बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India



वार्षिक रिपोर्ट 2018-19
ANNUAL REPORT 2018-19

नए क्षितिज की ओर
Moving Towards Orbit Next

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री एन. दामोदरन (कार्यपालक निदेशक), श्री डी. हरीश, श्री देबब्रत सरकार, श्रीमती वेनी थापर, श्री दीनबंधु मोहापात्रा (एमडी और सीईओ), श्री जी. पद्मनाभन (अध्यक्ष), श्री. एस. सी. मुर्मू, श्रीमती दक्षिता दास, श्री सी. जी. चैतन्य (कार्यपालक निदेशक), श्री ए. के. दास (कार्यपालक निदेशक)

Shri N Damodharan (Executive Director), Shri D Harish, Shri Debabrata Sarkar, Ms. Veni Thapar, Shri Dinabandhu Mohapatra (MD & CEO), Shri G Padmanabhan (Chairman), Shri S C Murmu, Ms. Dakshita Das, Shri C G Chaitanya (Executive Director), Shri A K Das (Executive Director)

बैंक ऑफ इंडिया / Bank of India

(भारत सरकार का उपक्रम),
(A Government of India undertaking),

प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
ई-मेल : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
E-mail : HeadOffice.share@bankofindia.co.in
Website : www.bankofindia.co.in

महत्वपूर्ण सूचनाएँ		Important Information	
ई-वोटिंग तिथियां	24 जून, 2019 सुबह 10.00 बजे से 26 जून, 2019 शाम 5.00 बजे तक	E- Voting dates	24th June 2019 10 a.m. to 26th June 2019 Till 5.00 p.m.
लेखाबंदी तिथि	24 जून, 2019 से 27 जून, 2019	Book Closure	24th June 2019 to 27th June 2019
वार्षिक आम बैठक तिथि एवं समय	गुरुवार, 27 जून, 2019 सुबह 10.30 बजे	Date & Time of Annual General Meeting	Thursday 27th June 2019 at 10.30 a.m.
वार्षिक आम बैठक का स्थान	बैंक ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.	AGM Venue	Bank of India Auditorium, Star House, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

विषय सूची

Contents

अवलोकन Overview

2 सांविधिक लेखा परीक्षक
2 महाप्रबंधक
3 अध्यक्ष का संबोधन
5 प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य

2 Statutory Auditors
2 General Managers
3 Chairman's Statement
5 Managing Director & CEO's Statement

सांविधिक रिपोर्ट Statutory Reports

9 निदेशक रिपोर्ट
15 प्रबंधन विचार - विमर्श एवं विश्लेषण
43 कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व रिपोर्ट
45 कॉरपोरेट शासन रिपोर्ट
65 सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (फार्म MR-3)
70 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण
70 मुख्य कार्यपालक अधिकारी की घोषणा
193 बासेल-III (स्तंभ 3) - प्रकटन
248 आम बैठक की सूचना

12 Directors' Report
30 Management Discussion & Analysis
43 Corporate Social Responsibility Report
45 Corporate Governance Report
65 Secretarial Audit Report (Form - MR-3)
70 CEO/CFO Certificate
70 Declaration by CEO
221 Basel-III (Pillar 3) - Disclosures
248 Notice of Annual General Meeting

वित्तीय विवरण Financial Statements

72 तुलनपत्र
73 लाभ एवं हानि खाता
74 नकदी प्रवाह विवरण
82 महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ
94 खातों के भाग स्वरुप टिप्पणियां
133 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
141 समेकित वित्तीय विवरण

72 Balance Sheet
73 Profit & Loss Account
74 Cash Flow Statement
82 Significant Accounting Policies
94 Notes Forming Part of Accounts
133 Independent Auditor's Report
141 Consolidated Financial Statements

सांविधिक लेखा परीक्षक Statutory Auditors

मेसर्स एनबीएस एण्ड कंपनी	M/s. NBS & Company
मेसर्स बंशी जैन एण्ड एसोसिएट्स	M/s. Banshi Jain & Associates.
मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी	M/s. Chaturvadi & Company

महाप्रबंधक General Managers

देवेंद्र शर्मा (सी.वीं,ओ)	DEVENDRA SHARMA (CVO)
एस.आर मीणा	SHEOJI RAM MEENA
रमेश चंद ठाकुर	RAMESH CHAND THAKUR
प्रसाद अंबादास जोशी	PRASAD AMBADAS JOSHI
राज कुमार मित्रा	RAJ KUMAR MITRA
सुदीप्त कुमार मुखर्जी	SUDIPTA KUMAR MUKHERJEE
रवि प्रकाश गुप्ता	RAVI PRAKASH GUPTA
अरविंद वर्मा	ARVIND VERMA
विश्वनाथ गुंटा	VISWANATH GUNTA
स्वरूप दासगुप्ता	SWARUP DASGUPTA
एस. रवि कुमार जोयसुला	S RAVI KUMAR JOSYULA
सलिल कुमार स्वाईं	SALIL KUMAR SWAIN
देवेंद्र पाल शर्मा	DEVENDER PAUL SHARMA
के. राजारमन	K RAJARAMAN
अरूण कुमार मण्डल	ARUN KUMAR MANDAL
सुनील कुमार रेलन	SUNIL KUMAR RELAN
गौर हरि सारंगी	GOURA HARI SARANGI
अजय कुमार साहू	AJAY KUMAR SAHOO
चंद्र शेखर सहाय	CHANDRA SHEKHAR SAHAY
शंकर प्रसाद	SHANKER PRASAD
अरूण कुमार जैन	ARUN KUMAR JAIN
राघवेंद्र के वी	K. V. RAGHAVENDRA
एम नसीम अहमद अंसारी	M NASEEM AHMED ANSARI
मनोज दास	MONOJ DAS
सुरेश कुमार वर्मा	SURESH KUMAR VERMA
लाल बृज	LAL BRIJ
विवेक वाही	VIVEK WAHI
प्रकाश कुमार सिंहा	PRAKASH KUMAR SINHA
बी विजय कुमार ए	B VIJAYAKUMAR A
अभिजीत बोस	ABHIJIT BOSE
अशोक कुमार पाठक	ASHOK KUMAR PATHAK
मकरंद दिवाकर अत्रे	MAKARAND DIWAKAR ATREY
शरत कुमार मिश्र	SARAT KUMAR MISHRA
सुधीरंजन पढ़ी	SUDHIRANJAN PADHI
शिव प्रकाश काली	SIVA PRAKASH KALI
अमित रॉय	AMIT ROY
खुर्शीद अनवर	KHURSHEED ANWAR
श्रीपद डी. एस. कारापूरकर	SRIPAD D. S. CARAPURCAR
ईश्वर चंद्र मिश्र	ISWAR CHANDRA MISHRA
पुंडरीकाक्ष्य दाश	PUNDARIKAKSHYA DASH
अजीत कुमार मिश्र	AJIT KUMAR MISHRA
बलदेव कुटर	BALDEO KUTAR

अध्यक्ष का संबोधन

Chairman's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. वैश्विक वृद्धि के मजबूत होने की आशा के भरोसे पर वर्ष 2018-19 आरंभ हुआ । परंतु व्यापारिक तनावों के बढ़ने, यूरोप में आर्थिक व्यवधानों, चीन एवं विकसित राष्ट्रों, विशेष रूप से अमेरिका में वित्तीय कड़ाई के बढ़ने के कारण, वर्ष के दौरान धीरे-धीरे आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलीं। निरंतर, सेन्ट्रल बैंक ने वैश्विक धीमेपन को दूर करने के लिए वर्ष के अंत में वित्तीय कड़ाई पर रोक लगाई।

2. कृषि तथा औद्योगिक वृद्धि में कमी के कारण घरेलू आर्थिक विकास धीमा हुआ । वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अर्ध-वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कड़ी मौद्रिक नीति अपनाई गई परंतु बाद में रेपो रेट में कमी करने के माध्यम से उक्त नीति में ढिलाई बरती गई ।

3. बैंकिंग उद्योग में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जमा तथा अग्रिमों की वृद्धि उच्च थी, विशेष रूप से अग्रिमों में 13.2% की वृद्धि दर्ज की गई जो पिछले वर्ष 10% थी । सकल एनपीए अनुपात तथा सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करने से सी.आर.ए.आर के कारण सुधार से भारतीय बैंकिंग उद्योग का प्रदर्शन भी सुधरा ।

4. निश्चित रूप से कुछ क्षेत्र विशेष से संबन्धित मामले थे । आई.एल. एवं एफ. एस. के चूक के बाद एन.बी.एफ.सी क्षेत्र को बहुत अधिक चल निधि (लिक्विडिटी) की कमी का सामना करना पड़ा । आर्थिक दवाव के कारण एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को भी नकदी प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ा । इन क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आरबीआई तथा बैंकों ने इस समस्या को दूर करने के लिए समझौता परक रवैया अपनाया।

5. इस वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन भी हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक तथा देना बैंक का विलय हुआ। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग उद्योग में चौथा सबसे बड़ा बैंक सृजित हुआ। इससे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच यह संकेत गया कि उन्हें भी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परिवर्तन को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अवसर के रुप मे देखना आवश्यक है ताकि वे अपने बीच सिनर्जी पैदा करने के लिए अपने अंदर विद्यमान शक्ति की तलाश करें।

Dear Shareholders and Stakeholders,

1. The year 2018-19 started on a promising note with expectation of strengthening of global growth. However, the economic and political scenario during the year changed gradually, with escalation of trade tensions, economic disruption in Europe and financial tightening in China and developed countries, especially the USA. Consequently, central banks paused on monetary tightening towards end of the year, to ward off a possible global slow-down.

2. The Domestic economic growth, decelerated on account of lower agriculture and industrial growth. The tight money policy pursued by the RBI in the 1st half of FY 2018-19 later gave way to relaxation in policy stance by way of reduction in repo rates.

3. The deposits and advances growth rate of the banking industry during FY 2018-19 was higher, particularly advances grew by 13.2% on the top of 10% growth rate of previous year. The performance of Indian Banking industry also improved with improvement in Gross NPAs ratio and CRAR, with Capital infusion by the Government.

4. Of course, there were sector specific issues. The NBFC sector faced severe liquidity crunch, after the default of IL & FS. The MSME Sector also faced cash flow problems because of economic stress. RBI and banks, realizing the genuine need of these sectors, had to adopt an accommodative stance to alleviate their problem.

5. The year also saw the consolidation of PSU Banks, with the merger of BOB, Vijaya Bank and Dena Bank, which created fourth largest Bank in Indian Banking space. This also sent a signal to all the PSU Banks that they should be in readiness for such an eventuality. This move needs to be seen as an opportunity for PSBs to explore their inherent strength for creating a synergy amongst them.

6. जैसे ही वर्ष के दौरान पीएसयू बैंकों की रेंकिंग जारी की गई, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के ईज़ (Ease) रिफॉर्म एजेंडा की महत्ता और भी बढ़ गयी । एक प्रकार से ईज़ रैंकिंग के कारण डिजिटलीकरण प्रक्रिया में तेजी आई है तथा 'जिम्मेदार बैंकिंग', 'ग्राहक प्रतिक्रिया' इत्यादि की दिशा में सही व्यवस्था एवं प्रक्रियाएँ स्थापित करने में तेजी आई है।

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा आरबीआई अधिसूचना, दिनांक 12/02/2018 का खारिज किया जाना एक महत्त्वपूर्ण बात थी जिसमें दबावग्रस्त आस्तियों का 180 दिनों के अंतर्गत समाधान किया जाना अनिवार्य था। और ऐसा न करने पर ऐसे मामलों को आईबीसी के तहत कार्रवाई करने हेतु एनसीएलटी को सौंपा जाना था। वर्तमान में उद्योग को खराब ऋणों की सुधार की प्रक्रिया पर निदेश और स्पष्टता उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय बैंक से संशोधित दिशानिर्देश की अपेक्षा है।

8. भविष्य में बैंकिंग जगत में आईटी और प्रौद्योगिकी का अत्यधिक महत्व होगा। आईटी प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना और कारोबार विकास एवं ग्राहक आधार को लक्ष्य बनाने हेतु डाटा एनालिटिक्स का उपयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।

9. बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में फिन-टेक सोल्यूशंस का प्रयोग, जैसे पेमेंट सिस्टम, एसएमई व रिटेल ऋण, बीमा, संपत्ति प्रबंधन इत्यादि की महत्ता और भी बढ़ गयी है। फिन-टेक एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच के रिश्ते की पूरक एवं सहकारी प्रकृति के कारण हम इस क्षेत्र में अपार वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं।

10. आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपनी स्थिति समृद्ध की और अल्पतम समय में पीसीए से बाहर आया है। वित्तीय सूचकों जैसे एनआईएम एनपीए अनुपात, सीआरएआर में सुधार हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में रू 252 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है। बड़े खातों, जिन पर आईबीसी के तहत कार्रवाई की जा रही है, के अपेक्षित समाधान से वित्तीय वर्ष 2019-20 में बैंक की वित्तीय स्थिति और भी सुदृढ़ होगी।

धन्यवाद

(जी. पद्मनाभन)
अध्यक्ष

6. The EASE Reforms Agenda of the Ministry of Finance, Government of India, further gained ground as the Ranking of PSU banks was rolled out during the year. The EASE ranking, in a way, has hastened the process of digitalization and establishing the right kind of set up and processes in the direction of 'responsible banking', 'customer responsiveness' etc.

7. One of the important development during FY 2018-19 has been the Supreme Court's squashing of RBI Notification dated 12th February, 2018, which mandated resolution of stressed accounts within 180 days failing which they were to be referred to the NCLT to be dealt under IBC. At present, the industry waits revised guidelines from the central bank to provide a direction and clarity to the process of bad loans clean up.

8. IT and Technology is going to be the cutting edge in banking space in future. Along with the upgradation of IT platform, the use of data analytics for business development and better targeting of clientele base will be of immense significance.

9. The use of Fin-tech solutions in banking in various fields, be it payment systems, SME and retail lending, insurance, wealth management etc., has assumed greater importance. Because of complementarity and cooperative nature of relationship between the Fintech and financial institutions, we can visualize an exponential growth in this field.

10. Your Bank, during FY 2018-19, has consolidated its position and has come out of PCA in the shortest possible time. There has been improvement in financial indicators like NIM, NPA ratios, CRAR and above all the Bank has posted a net profit of Rs.252 crore in Q4 FY 2018-19. With expected resolutions of large accounts which are being dealt with under IBC, the financial position will further strengthen in FY 2019-20.

Thank you

G. Padmanabhan
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का वक्तव्य
Managing Director & CEO's Statement



प्रिय शेयरधारकों और हितधारकों,

1. सबसे पहले मैं आप सबका आपके बैंक की 23 वीं वार्षिक आम बैठक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक की वार्षिक रिपोर्ट लगातार तीसरी बार प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, वैश्विक और घरेलू दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं ने अपेक्षा से कम वृद्धि दर्शाई। वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2017 में अपने चरम बिन्दु 3.8% पर पहुँचने के बाद, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधी तनाव की निरंतरता, जर्मनी में मांग को प्रभावित करने वाले विनियामक वाहन उत्सर्जन मानदंड, और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में कठोर मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के समागम के कारण 2018 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि की गति धीमी हो गई। आईएमएफ ने 2018 में वैश्विक वृद्धि दर के 3.6% होने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, घरेलू अर्थव्यवस्था ने भी विकास दर में गिरावट दर्शाई तथा मुख्य रूप से कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में दर्ज की गई निम्न वृद्धि दर के कारण जीडीपी विकास दर पहली तिमाही की 8% वृद्धि दर से घटकर तीसरी तिमाही में 6.6% रह गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, खाद्य वस्तुओं की कीमत में कमी के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट नज़र आई तथा सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च 2018 की 4.28% से घटकर मार्च 2019 में 2.86% रह गई।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंकिंग क्षेत्र में जमा और अग्रिम दोनों की वृद्धि मजबूत रही। वर्ष के दौरान जमाराशि वित्त वर्ष 2017-18 की 6.2% की तुलना में 10.0% तक बढ़ी। इसी प्रकार, अग्रिम भी वित्तीय वर्ष 2017-18 के 10.0% के मुकाबले 13.2% तक बढ़े। सरकारी प्रतिभूति बाजार, जो वर्ष 2018-19 की पहली छमाही के दौरान उच्च रहा, दूसरी छमाही के दौरान थोड़ा मंद रहा। आरबीआई ने उच्च मुद्रास्फीति होने की संभावना पर वर्ष की पहली छमाही के दौरान रेपो दर को दो बार बढ़ाया, परंतु बाद में मुद्रास्फीति में गिरावट आने के कारण आरबीआई ने एसएलआर को जनवरी, 2019 के 19.25% से अप्रैल 2020 तक 18.00% तक क्रमिक रूप से घटाने का निर्णय लिया है, जो सिस्टम में लगभग ₹ 1 लाख करोड़ से ₹ 1.5 लाख करोड़ तक की चलनिधि डालेगा।

Dear Shareholders & Stakeholders,

1. At the very outset, I extend a very warm welcome to each one of you to the 23rd Annual General Meeting of your Bank. I have great pleasure in placing before you the Annual Report of your Bank for the year ended March 31, 2019, for the third consecutive times.

2. During FY 2018-19, both the Global as well as Domestic economy witnessed a lower than expected growth. The World Economic growth, after reaching its peak of 3.8% in 2017 lost pace in 2018 due to a confluence of diverse factors such as continuing trade tensions between China and USA, regulatory vehicle emission norms in Germany affecting demand, tighter monetary and financial conditions in developed world. The global growth rate is now estimated by the IMF at 3.6% in 2018. During FY 2018-19, the domestic economy also witnessed moderation in growth rate and the GDP growth rate came down from 8.0% in Q1 to 6.6% in Q3, mainly due to lower growth registered by agricultural and manufacturing sector. The inflation during the year FY 2018-19 exhibited a falling trend aided by decline in food inflation and the CPI inflation came down from 4.28% in March, 2018, to 2.86% in March, 2019.

3. Both the Deposits and Advances growth in the Banking Sector remained strong during FY 2018-19. The Deposits grew by 10.0% during the year against 6.2% during FY 2017-18. Similarly, advances grew at 13.2% against 10.0% during FY 2017-18. The G-Sec market, which remained elevated during first half of the year 2018-19, sobered down during second half. The RBI, during the first Half of the year, raised Repo Rate twice on higher inflationary expectation, but subsequently the repo rate was reduced by 25 bps as inflation dipped. The RBI also decided for gradual reduction of SLR from 19.25% in January, 2019 to 18.00% by April, 2020, which will release about ₹ 1 to ₹ 1.5 lakh crore of liquidity into the system.

4. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की संपूर्ण वित्तीय स्थिति में एनपीए अनुपात में कमी के साथ महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। भारत सरकार द्वारा पूंजी के अन्त: प्रवाह तथा कुछ बैंकों (हमारे बैंक सहित) के मामले में ईएसपीएस (ESPS) के रूप में कर्मचारियों के योगदान के परिणाम स्वरूप वर्ष के दौरान विभिन्न बैंकों की पूंजी पर्याप्तता स्थिति में सुधार हुआ है। तथापि कुछ बड़े खातों के विषय में दिवाला और दिवालापन कोड/एनसीएलटी के माध्यम से एनपीए समाधान को ठोस रूप देना बाकी है। आईएल एण्ड एफएस की असफलता के बाद एनबीएफसी क्षेत्र ने गंभीर चलनिधि की कमी का सामना किया जिसको निश्चय ही, आरबीआई और बैंकों की सहायता से दूर किया गया।

5. उपर्युक्त पृष्ठभूमि के विरूद्ध, में आपके समक्ष बैंक द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के प्रदर्शन का उल्लेख करना चाहता हूँ।

6. **बैंक का प्रदर्शन**

बैंक की नवीन पहल व प्रदर्शन के विषय में बताने से पूर्व मैं वित्त वर्ष 2018-19 में आपके बैंक की दो उल्लेखनीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं :

- भारत सरकार द्वारा दी गई पूंजी सहायता और एनपीए समाधान हेतु बैंक द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से आपका बैंक 31 जनवरी, 2019 को पीसीए से बाहर आ गया। आपका बैंक सबसे कम संभव समय में पीसीए से बाहर आ गया है।
- इसके अलावा, वर्ष के दौरान, 95% कर्मचारियों की सहभागिता से बैंक ने ईएसपीएस द्वारा कर्मचारियों से ₹ 500.42 करोड़ का पूंजी निर्माण किया। यह किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा इएसपीएस के माध्यम से जुटाई गई अधिकतम राशि है। इससे बैंक की पूंजी में ₹ 660.80 करोड़ की वृद्धि करने में सहायता मिली।

पिछले 2 वर्षों में, आपके बैंक ने आन्तरिक व्यवस्था, कार्यप्रणाली एवं संरचना को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जो कि निम्नलिखित है :

- समर्पित श्रमशक्ति के साथ **क्षेत्र प्रबंधकों एव स्टार प्राइम वर्टिकल** का निर्माण किया गया। इसके साथ सीमित शाखाओं को संयुक्त किया गया। इनका कार्य, ग्रास रूट स्टार पर कारोबार की निगरानी तथा शाखाओं को सक्रिय करना एवं अन्य बैंकों के द्वारा हमारे अच्छे खातों के अधिग्रहण को रोकना है।
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) तथा दबावग्रस्त आस्तियों पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए **दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल** का निर्माण किया गया।
- **एआरसी को की जानेवाली आस्तियों की बिक्री** के लिए वसूली नीतियों में संशोधन किया गया तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित गैर-विभेदकारी/ गैर-पक्षपाती विशेष ओटीएस पॉलिसी (स्टार समाधान) तैयार की गयी है।
- वसूली एनपीए को कम करने एवं ऋण निगरानी तथा ट्रिगर प्रबंधन के लिए प्रत्येक अंचल में **'वॉर रूम'** तथा **'वॉच रूम'** का निर्माण किया गया। वर्तमान में **'अर्ली वॉर्निंग सिगनल'** (पूर्व चेतावनी संकेत) पर नज़र रखने के लिए एक तकनीक संचलित ऋण निगरानी प्रणाली कार्यान्वयन में है।
- रियल टाइम धोखाधड़ी निगरानी हेतु अलग 'जोखिम प्रबंधन विभाग' बनाया गया है तथा **''उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन'** फ्रेमवर्क की शुरूआत की गई है।
- एचआर के मामले में, स्टाफ की कार्यक्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए **जॉब फैमिली** की अवधारणा कार्यान्वित की जा रही है तथा सतत आधार पर स्टाफ के कौशल सुधार हेतु **''स्टार एकलव्य''** योजना के अंतर्गत उन्हें उनके कार्य स्थल पर निरंतर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

4. The overall financial health of the Banking Sector witnessed significant improvement during FY 2018-19, with decline in NPA ratios. The Capital Adequacy position of various banks during the year has been bolstered as a result of capital infusion by the Government of India as well as contribution by employees in the form of Employees Stock Purchase Scheme in case of some of the banks (including ours). However, NPA resolution through Insolvency & Bankruptcy Code/NCLT is yet to concretise in certain large account cases. The NBFC sector, following the IL&FS debacle, faced severe liquidity crunch, which was, of course, alleviated with support from RBI and banks.

5. Against the above backdrop, let me present before you major initiatives taken by your bank during the year as well as the highlights of the Bank's performance during FY 2018-19.

6. **BANK'S PERFORMANCE**

Before elaborating on the initiatives and performance, let me highlight two notable achievements of your Bank during FY 2018-19.

- Your Bank came out of PCA with effect from January 31, 2019, with the help of capital support from the Government of India and the Bank's persistent drive towards NPA resolution. Your Bank has been out of PCA during the shortest possible time.
- Secondly, during the year, the Bank raised ₹ 500.42 crore of capital from the employees through **ESPS,** with participation by 95% of employees. It is the highest amount raised through ESPS by any public sector bank. This has helped in augmenting the Bank's capital by ₹ 660.80 crore.

Over the last 2 years, your Bank has launched various initiatives to strengthen internal systems, procedures and structures. These are:

- **Area Managers** & **Star Prime Vertical** created with dedicated manpower, mapped to limited branches for activation and monitoring of business at grass root level and prevention of poaching of good accounts by other banks.
- **Stressed Asset Management Vertical** was created to have focused attention on NPAs and Stressed Assets.
- Recovery Policies modified for **sale of Assets to ARCs** and Special Non-discretionary/Non-discriminatory Board approved **OTS policies (Star Samadhan)** formulated.
- **'War Room'** and **'Watch Room'** formed in each Zone for Recovery, NPA reduction and credit monitoring and trigger management. Now, a tech-driven Credit Monitoring System for tracking of **'Early Warning Signals'** is under implementation.
- Creation of a separate 'Fraud Risk Management Dept' and **"Enterprise wide Fraud Risk Management"** framework initiated for real-time fraud monitoring.
- On HR front, to enhance efficiency and productivity, **Job family** is being implemented and regular training of staff at their place of work is being imparted under the scheme **"Star Eklavya"** for upgradation of skill on continuous basis

- **आरएएम कारोबार** (अर्थात रिटेल, कृषि एवं एमएसएमई) बढ़ाने, कॉरपोरेट क्रेडिट पर निर्भरता को कम करने तथा जोखिम संकेन्द्रण से बचने तथा पूंजी संरक्षण के लिए **11 अतिरिक्त खुदरा व्यावसायिक केंद्र(आरबीसी) तथा 28 नए एसएमई सिटी सेंटर खोले गए हैं।** अब बैंक के पास 60 आरबीसी तथा 57 एसएमई सिटी सेंटर उपलब्ध हैं। इसी प्रकार, सभी अंचलों में 255 अलग **गोल्ड लोन** सेल गठित किए गए हैं।
- फिनेकल 7 से **फिनेकल 10** में तकनीकी प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने के लिए **'स्टार महाशक्ति'** परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा एक नए **मोबाइल एप** की शुरूआत की गई, जो ग्राहकों द्वारा खूब सराहा जा रहा है।
- **255** चयनित शाखाओं को **स्टार डिजी** शाखाओं में परिवर्तित किया गया है जिनमें युवा ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उपलब्ध हैं। ग्राहक सेवा श्रेष्ठता का प्रदर्शन करने वाली इन शाखाओं को धीरे-धीरे **आइकॉनिक** शाखाओं में परिवर्तित कर दिया जाएगा।
- जहां बैंक की कोई शाखा नहीं है वहाँ कारोबार की संभावनाएं तलाशने के लिए **स्टार प्वाइंट** नामक कारोबार प्रतिनिधि आधारित आउटलेट खोले गए हैं। अब तक, **1919 स्टार प्वाइंट** खोले गए हैं।
- परिचालन लागत कम करने तथा लाभप्रदता बढ़ाने के लिए **एटीएम के साथ-साथ घरेलू व विदेशी शाखाओं का रेशनलाइजेशन किया जा रहा है।** वर्ष 2018-19 के दौरान, 36 घरेलू शाखाओं को बंद या उनका विलय किया गया है तथा 1269 एटीएम बंद किए गये हैं। विदेशी कार्यालयों के रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जारी है। बंद करने के लिए चिह्नित 12 कार्यालयों में से, अब तक 5 कार्यालयों को बंद/विलय कर दिया गया है, अन्य चिह्नित कार्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है।

उपलब्धियाँ

- परिचालन लाभ चौथी तिमाही 2018 में. ₹ 1,172 करोड़ से बढकर चौथी तिमाही 2019 में ₹ 2,303 करोड़ हुआ।
- शुद्ध निवल चौथी तिमाही मार्च 2018 में ₹ (-) 3,969 करोड़ से बढकर चौथी तिमाही मार्च 2019 में ₹ 252 करोड़ हुआ।
- थोक जमा राशियाँ मार्च 2018 मे ₹ 40,773 करोड़ से घटकर मार्च 2019 में ₹ 190,30 करोड़ हुई।
- जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) मार्च, 2018 के ₹ 3,17,546 करोड़ से घटकर मार्च 2019 में ₹ 3,05,953 करोड़ हो गई, अर्थात इनमें ₹ 11,593 करोड़ अथवा 3.65% की उल्लेखनीय रूप से कमी आई। घरेलु अग्रिम भी मार्च 2018 में ₹ 2,93,500 करोड से बढकर मार्च 2019 में ₹ 3,28,137 करोड़ हुए।
- निवल एनपीए अनुपात मार्च 2018 के 8.26% से घटकर मार्च 2019 में 5.61% हो गया।
- मार्च, 2018 में आरएएम अग्रिम स्तर ₹ 1,50,924 करोड़ था जो, मार्च 2019 में बढ़कर ₹ 1,61,425 करोड़ हो गया।
- घरेलू कासा (चालू खाता एवं बचत खाता) का प्रतिशत मार्च 2018 के 41.43% से बढ़कर मार्च 2019 में 43.36% हो गया।

- For expansion of **RAM Business** and reducing dependence on Corporate credit, avoiding concentration risk and conserving capital, **additional 11 Retail Business Centres (RBCs) and 28 new SME City Centres** opened. Now, the Bank is having 60 RBCs and 57 SME City Centres. Similarly, separate 255 **Gold Loan** cells were formed in all Zones.
- The Project **'Star Mahashakti'** for upgradation of technology platform from Finacle 7 to **Finacle 10** is being implemented. During the year, a new **Mobile App** was introduced by the Bank, which has been well appreciated by the customers.
- **255** Select Branches have been converted to **Star Digi** Branches having Customer Services Representatives for meeting the demands of Next Gen Customers. These branches gradually would be made **Iconic** branches representing Customer Services Excellence.
- For tapping business potential where the Bank has no branches, Business Correspondent based outlets called **Star Points** have been opened. So far, **1919 Star points** have been opened.
- **Rationalisation of Domestic and Overseas branches as well as ATM** for reduction of operating cost and increase in profitability. During 2018-19, closure/merger of 36 domestic branches was undertaken and 1269 ATMs were closed down. The rationalisation of overseas offices are in process. Out of 12 offices identified for closure, 5 offices have been closed/merged so far and closure of other identified offices is in process.

Mile Stones reached

- Operating profit increased from ₹ 1,172 Cr in Q4-2018 to ₹ 2303 Cr in Q4-2019.
- Net profit increased from ₹ (-) 3,969 Cr in Q4 March-2018 to ₹ 252 Cr in Q4 March-2019.
- Bulk deposit reduced from ₹ 40,773 Cr in March 2018 to ₹ 19,030 Cr in March 2019
- Risk Weight Assets (RWAs) reduced significantly from ₹ 3,17,546 crore in March, 2018 to ₹ 3,05,953 crore in March, 2019, i.e. by ₹ 11,593 crore or 3.65% even though domestic advances has increased from ₹ 293,500 Cr in March-2018 to ₹ 328,137 Cr in March-2019.
- Net NPA ratio brought down from 8.26% in March 2018 to 5.61 in March 2019.
- RAM Advances level, which was ₹ 1,50,924 crore in March ,2018 increased to ₹ 1,61,425 crore in March 2019
- Domestic CASA %age went up from 41.43% in March, 2018 to 43.36% in March, 2019.

- वैश्विक एनआईएम में वित्तीय वर्ष 2017-18 के 1.92% की अपेक्षा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2.56% सुधार हुआ। इसी प्रकार, उसी समयावधि में घरेलू एनआईएम 2.31% से बढ़कर 3.03% हो गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात, मार्च 2018 के 65.85% से सुधारकर मार्च 2019 में 76.95% हो गया।
- एनसीएलटी (आईबीसी) के अंतर्गत समाधान : ₹ 30,709 करोड़ की बकाया राशि के 223 खाते एनसीएलटी को संदर्भित किये गये हैं। इनके विरूद्ध बैंक ने 88% प्रावधान किये हैं। वर्ष के दौरान, एनसीएलटी को संदर्भित किये गये मामलों से ₹ 2008.63 करोड़ वसूल किए गए।

7. मैं आपके बैंक के निदेशक मंडल के सभी निदेशकों के बहुमूल्य योगदान हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिसमें निदेशक श्री एस.सी. मुर्मू भी शामिल हैं, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अपने पद से निवृत्त हुए। बैंक भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, विदेशी नियंत्रक और अन्य विनियामक प्राधिकरणों को भी उनके उत्तम सहयोग तथा मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद करता है। मैं बैंक की ओर से और अपनी ओर से अपने कारोबारी सहयोगियों, ग्राहकों, विदेशी ग्राहकों सहित, शेयर धारकों और हितधारकों, वित्तीय संस्थाओं और प्रतिनिधि बैंकों के हमारे प्रति विश्वास, भरोसे एवं सहयोग हेतु उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं और उनके सतत संरक्षण, मार्गदर्शन एवं सहयोग की कामना करता हूं। अंत में मैं अपने प्रतिबद्ध स्टाफ सदस्यों के ईमानदार और निष्ठापूर्ण प्रयासों की सराहना करता हूँ।

शुभकामनाओं सहित,

दीनबंधु मोहापात्रा

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

- Global NIM improved from 1.92% for FY 2017-18 to 2.56% for FY 2018-19. Similarly, Domestic NIM went up from 2.31% to 3.03% for the relative periods.
- Provision Coverage Ratio, improved from 65.85% in March 2018 to 76.95% in March, 2019.
- Resolution under NCLT (IBC): 223 accounts involving o/s of ₹ 30,709 crore have been referred to NCLT against which Bank has made 88% provisions. During this year, ₹ 2008.63 crore has been recovered from NCLT referred cases.

7. I wish to place on record the valuable contribution made by the directors on your Bank's Board including the Director Shri G. C. Murmu who demitted office during FY2017-2018. The Bank also thanks the Government of India, Reserve Bank of India, SEBI, Overseas regulators and other regulatory authorities, who have provided excellent support and valuable guidance. On behalf of the Bank and on my personal behalf I would like to thank our Business Associates, Customers including overseas customers, Shareholders and Stakeholders, Financial Institutions and Correspondent Banks for their trust, faith and active association and look forward to their continued patronage, guidance and support. Last, but not the least, I also place on record my appreciation for the sincere and unstinted efforts put in by our committed staff members.

With warm regards

Dinabandu Mohapatra

Managing Director & CEO

निदेशक रिपोर्ट

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, लेखा-परीक्षित लेखा विवरणी तथा नकद प्रवाह विवरणी के साथ, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता है।

कार्यनिष्पादन

घरेलू कारोबार

- बैंक के समग्र घरेलू कारोबार में 4.93% वृद्धि हुई है। यह 31 मार्च 2018 को रु.714,712 करोड़ था जो बढ़कर 31 मार्च, 2019 को रु.749,920 करोड़ हो गया।
- कासा जमाराशियां, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.20% वृद्धि के साथ रु.181,765 करोड़ के स्तर पर रहीं। एस.बी. जमाराशियों में 7.61% की वृद्धि हुई। घरेलू जमाराशियों में कम लागत की जमाराशियों (कासा) की हिस्सेदारी यथा 31.03.2018 को 41.43% से बढ़कर यथा 31.03.2019 को 43.36% हो गई।
- कुल जमाराशियां 0.14% बढ़कर रु.421,783 करोड़ के स्तर पर रहीं।
- कुल अग्रिम, 11.80% वृद्धि के साथ, 31.03.2018 को रु.293,500 करोड़ से बढ़कर, 31.03.2019 को रु.328,137 करोड़ हो गए।
- यथा 31.03.2018, घरेलू ऋण-जमा अनुपात 77.80 प्रतिशत रहा।
- यथा 31.03.2019, कुल अग्रिमों में राम अग्रिम (अर्थात् रिटेल, कृषि तथा एमएसएमई) की भागीदारी 49.19% (अर्थात् रु.161,425 करोड़) रही जो 31.03.2018 को 51.42% (अर्थात् रु.150,924 करोड़) थी।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, समायोजित निवल बैंक ऋण के 42.94% के स्तर पर रहे और समायोजित निवल बैंक ऋण में कृषि ऋण की हिस्सेदारी 18.86% रही।
- रिटेल ऋणों में 18.14% की वृद्धि हुई। ये ऋण रु. 47,817 करोड़ से बढ़कर रु.56,492 करोड़ हो गए।

विदेशी कारोबार :

- विदेशी कारोबार में 15.56 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी तथा यह 31.03.2019 को रु. 153,803 करोड़ के स्तर पर रहा। 31.03.2018 को यह रु. 182,138 करोड़ के स्तर पर था।
- यथा 31.03.2019, विदेशी ऋण-जमा अनुपात 55.23 प्रतिशत रहा।

वैश्विक कारोबार :

- बैंक का वैश्विक कारोबार जो यथा 31 मार्च, 2018 को रु. 896,850 करोड़ था, वह यथा 31 मार्च 2019 को रु. 903,723 करोड़ के स्तर पर रहा। कारोबार के स्तर में 0.77% की मामूली वृद्धि, अपने विदेशी एक्सपोज़र को तर्कसंगत करने के बैंक के सचेत निर्णय का परिणाम है।
- यथा 31 मार्च 2019 को कुल जमाराशियां **रु.520,862** करोड़ रहीं।
- यथा 31 मार्च 2019 को कुल अग्रिम **रु.382.860** करोड़ रहे।
- यथा 31.03.2019 को वैश्विक ऋण-जमा अनुपात 73.51% रहा।
- यथा 31.03.2019 को वैश्विक कासा 39.75% रहा।

वित्तीय मानदण्ड :

- परिचालन लाभ में 13.35 प्रतिशत (रु. 953 करोड़) की वृद्धि दर्ज की गयी। यह यथा 31.03.2019 को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर रु. 8092 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया।
- यथा 31.03.2019 को निवल हानि (-) रु. 5,547 करोड़ के स्तर पर रही जो 31.03.2018 को (-) रु. 6,044 करोड़ थी।
- आरबीआई द्वारा (बासेल III के अंतर्गत) निर्धारित 10.875% की पूंजी पर्याप्तता अनुपात की तुलना में यह 14.19% रहा।
- निवल मालियत (नेट वर्थ) में 37.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी तथा यह यथा 31.03.2019 को रु. 26,152 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया जो 31.03.2018 को रु. 18,992 करोड़ था।
- प्रतिशेयर बही मूल्य रु. 79.81 है।
- सकल एन.पी.ए राशि में 2.68 प्रतिशत (अर्थात् रु. 1,667 करोड़) की कमी आयी। यह राशि यथा 31.03.2019 को रु. 60,661 करोड़ के स्तर पहुँच गयी जो 31.03.2018 को रु. 62,328 करोड़ थी।
- सकल एन.पी.ए का प्रतिशत जो 31.03.2018 को 16.58 प्रतिशत था, वह कम होकर 31.03.2019 को 15.84 प्रतिशत हो गया।
- निवल एन.पी.ए राशि में 32.22 प्रतिशत (अर्थात् रु. 9,088 करोड़) की कमी दर्ज की गयी तथा यह राशि यथा 31.03.2019 को रु.19,119 करोड़ के स्तर पर पहुँच गयी जो 31.03.2018 को रु. 28,2017 करोड़ थी।
- 31.03.2019 को निवल एन.पी.ए प्रतिशत, कम होकर 5.61 प्रतिशत हो गया जो 31.03.2018 को 8.26 प्रतिशत था।

वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन का सार इस प्रकार है -

(राशि ₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	वृद्धि (%)
निवल ब्याज आय	10,506	13,658	29.99
गैर-ब्याज आय	5,734	5,132	-10.49
परिचालन व्यय	9,101	10,697	17.54
परिचालन लाभ	7,139	**8,092**	**13.35**
प्रावधान / आकस्मिकताएं	13,183	13,639	3.46
निवल लाभ / हानि	-6,044	**-5,547**	**8.22**
प्रति शेयर आय (रु.)	-52.55	-29.79	
प्रति शेयर बही मूल्य (रु.)	108.91	79.81	
इक्विटी पर प्रतिफल (%)	-31.07	-24.57	
औसत आस्तियों पर प्रतिफल (%)	-0.91	-0.84	

प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे प्रस्तुत किए गए हैं

(प्रतिशत) (%)

मानदण्ड	2017-18	2018-19
अग्रिम पर प्रतिफल	7.15	8.23
निवेश पर प्रतिफल	7.25	7.40
निधियों पर प्रतिफल	6.16	6.60

जमा राशियों की लागत	4.58	4.50
निधियों की लागत	4.46	4.39
निवल ब्याज मार्जिन	1.92	2.56
परिचालन व्ययों की तुलना में गैर ब्याज आय	63.00	47.97
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य आय	0.86	0.77
औसत कार्यशील निधि की तुलना में परिचालन व्यय	1.47	1.73
औसत कार्यशील निधि की तुलना में स्टाफ व्यय	0.79	0.98
औसत कार्यशील निधि की तुलना में अन्य परिचालन व्यय	0.68	0.76
आस्ति उपयोग अनुपात	1.16	1.31
कुल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	13.09	11.18
निवल आय की तुलना में गैर-ब्याज आय	35.31	27.31
निवल आय अनुपात पर लागत	56.04	56.93

पूँजी

- वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने नये इक्विटी शेयर के लिए रु.14,724 करोड़ की पूंजी प्रदान की है जिसमें से बैंक ने, सेबी (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक रु.10 के 95,37,58,865 इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन किया है।

पूंजी प्रदान करने की तारीख	प्रति शेयर इश्यू प्राइस (रु. में)	राशि (रु करोड में)	आबंटन की तारीख
26.12.2018	105.75	10,086	16.02.2019
21.02.2019	89.60	4,638	20.04.2019*
	कुल	14,724	

*आरबीआई के पत्र संख्या डीबीआर.सीओं. बीपी.सं.8307/21.01.002 /2018 -19 दिनांक 2 अप्रैल 2019 की शर्तों के अनुसार रु.4,638 करोड़ की शेयर आवेदन राशि जो 21.02.2019 को प्राप्त हुई, उसे 31 मार्च,2019 को सी.ई.टी.1 पूंजी की गणना के लिए शामिल किया गया है।

- इसके अतिरिक्त बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया – कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ई.एस.पी.एस) के अंतर्गत रु.660.80 करोड़ की राशि प्राप्त की है। इसके अंतर्गत बैंक ने 6,25,52,188 नये इक्विटी शेयर आबंटित किये हैं जिसमें प्रत्येक का अंकित मूल्य रु.10 है तथा यह प्रति शेयर रु.105.64 की फ्लोर प्राइस पर 24.28% छूट पर अर्थात् प्रत्येक को रु.80/-की ऑफर प्राइस पर आबंटित किया गया है। इसका विवरण निम्नलिखित है –

पूंजी प्रदान करने की तारीख	प्रति शेयर इश्यू प्राइस (रु. में)	राशि (रु करोड में)	आबंटन की तारीख
बैंक के कर्मचारी (ऑफर प्राइस रु.80 प्रति शेयर)	105.64	**660.80**	**07.03.2019**

- बैंक ने विनियामकीय कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 21.04.2018 को कुल रु.5,500 करोड़ (श्रेणी 1 से 5) के अतिरिक्त टियर -1 बॉन्ड, 16.10.2018 को रु.500 करोड़ के कुल अपर टियर II बॉन्ड तथा 11.02.2019 को रु.400 करोड़ के कुल आई.पी.डी.आई. बॉन्ड, रिडीम किये है।
- भारत सरकार ने अपनी गजट अधिसूचना, दिनांक 31 मार्च 2019 - 6 अप्रैल 2019 के माध्यम से प्राधिकृत पूंजी को रु.3,000 करोड़ (रुपया तीन हजार करोड़) से बढ़ाकर रु.6,000 करोड़ (रुपया छः हजार करोड़) करने का निर्णय लिया है।

पूंजी पर्याप्तता :

- बासेल III फ्रेमवर्क के अनुरूप, बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 14.19% था, जो कि विनियामक अपेक्षा 10.875% की तुलना में उच्चतर है।
- पूंजी पर्याप्तता (बासेल III) का विवरण निम्नवत है :

(रु. करोड़ में)

विवरण	बासेल - III			
	31.03.2018		31.03.2019	
सीईटी 1 सीआरएआर	24,993	7.87%	33,683	11.01%
एटी 1 सीआरएआर	5,905	1.86%	---	---
टियर - 1 पूँजी	30,898	9.73%	33,870	11.07%
टियर – 2 पूँजी	10,199	3.21%	9,534	3.12%
कुल पूँजी	41,097	12.94%	43,404	14.19%
जोखिम भारित आस्तियाँ	317,546		305,953	

कारोबार पहल :

- ग्राहकों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और कारोबार विकास, वसूली, निचले स्तर पर डिजिटाइजेशन और शाखा में पुन: सक्रीयन हेतु **क्षेत्र प्रबंधक और स्टार प्राइम** अवधारणा का कार्यान्वयन किया गया।
- सरकार, कारोबारी सहयोगियों, एचएनआई पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए **"आमंत्रण"** नामक विशेष कासा अभियान का आयोजन ।
- **आरएएम अग्रिमों** (रिटेल, कृषि और एमएसएमई) के पक्ष में ऋण संविभाग को पुनर्व्यवस्थित करने और कॉरपोरेट क्षेत्र में हमारे एक्सपोज़र को कम करने हेतु कार्यनीति ।
- एनपीए के त्वरित समाधान हेतु **"मिशन समाधान"** नामक भेद-भाव रहित ओटीएस (OTS) योजना तैयार की गई है ।
- **"स्वर्ण धारा"** - स्वर्ण ऋणों में तेज़ी लाई गई है।
- टेक-सैवी ग्राहकों हेतु उच्च कोटि की डिजिटलाइज्ड सेवाओं सहित, चयनित शाखाओं को **"स्टार डिजी"** के रूप में नया रूप देना।
- वसूली, एनपीए में कमी तथा ऋण निगरानी/ट्रिगर प्रबंधन के लिए प्रत्येक अंचल में **"वार रुम"** एवं **"वॉच रुम"** बनाये गए।
- 'पूर्व चेतावनी संकेत' की ट्रेकिंग के लिए **तकनीक समर्थित ऋण निगरानी प्रणाली** कार्यान्वित की जा रही है।
- हम कॉन्टेक्टलेस प्लेटफार्म (psbloansin59minutes.com) से जुड़ गए हैं।
- एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए **जीएसटी आधारित वित्तपोषण** आरंभ किया गया।

- हम **उद्यमी मित्र पोर्टल** पर सक्रियतापूर्वक सहभागिता कर रहे हैं जो एमएसएमई ऋणों के लिए मार्केट प्लेस है।
- **डिजी शाखाएं** : युवा ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 255 चयनित शाखाओं को डिजी शाखाओं में परिवर्तित किया गया ।
- **स्टार महाशक्ति** : आईटी प्लेटफार्म को फिनेकल 7 से फिनेकल 10 के रूप में अद्यतन किया जा रहा है।
- **केन्द्रीकृत प्रक्रिया केन्द्र** : आरएएम (RAM) व्यवसाय में वृद्धि के लिए 11 नये आर.बी.सी., 28 नये एस.एम.ई. सिटी सेंटर तथा सभी अंचलों में वर्तमान संरचना के अंतर्गत 118 स्वर्ण ऋण कक्ष खोले गए हैं।
- रियल टाइम ऋण निगरानी के लिए **"उद्यम व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन"** फ्रेमवर्क आरंभ किया गया है।
- परिचालनगत लागत को कम करने के लिए घरेलू/विदेशी शाखाओं तथा एटीएम की संख्या को तर्कसंगत किया जा रहा है।
- ग्रामीण एवं बैंक रहित क्षेत्रों में, **"सूचना एवं संचार तकनीकी (आईसीटी)"**आधारित, बाधारहित मूलभूत बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना।
- येन मुद्रा में क्रेडिट संव्यवहार के लिए **"भारत सरकार -वित्त मंत्रालय द्वारा येन क्रेडिट संव्यवहार के लिए प्राधिकृत बैंक के रुप"** में चयनित ।
- परिचालनगत लागत को कम करने के लिए एम.सी.बी. शाखाओं का एल.सी. बी. तथा अन्य शाखाओं के साथ एकीकरण।
- **डिजिटाईजेशन एवं वैकल्पिक प्रस्तुति माध्यमों** पर ध्यान केन्द्रित करना।
- कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) के माध्यम से विकासशील केन्द्रों को सक्रिय करना। इन्हें **"स्टार प्वाइंट"** नाम दिया गया है। इनका उद्देश्य हमारी पहुँच को फैलाना है।

पुरस्कार:

- इकनॉमिक टाइम्स द्वारा पीएसयू बैंक वर्ग में **दूसरा सबसे विश्वसनीय बैंक** घोषित किया गया।
- एनएसई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में करेंसी डेरिवेटिव खण्ड में **"मार्केट अचीवर्स अवार्ड"** पुरस्कार से अलंकृत किया गया।
- बीएसई द्वारा बैंक ऑफ़ इंडिया को समस्त बैंकों के वर्ग में **"बेस्ट परफॉरमर इन करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट"** अवार्ड प्रदान किया गया।
- बड़े बैंकों के वर्ग में आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलाजी एक्सीलेंस अवार्ड, **आईटी ईकोसिस्टम प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक** का पुरस्कार।
- बड़े बैंकों के वर्ग में आईडीआरबीटी बैंकिंग टेक्नॉलजी एक्सीलेंस अवार्ड, **इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंक** का पुरस्कार।
- पीएसयू बैंकों में बैंक को राष्ट्रीय बचत संस्थान (वित्त मंत्रालय) द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कार्य निष्पादन के लिए **द्वितीय स्थान** प्रदान किया गया।
- एशिया पैसिफिक एचआरएम काँग्रेस द्वारा पीएसयू बैंकों में वर्ष 2017-18 के लिए **"इनोवेटिव एचआर कार्य में भारत के शीर्ष संगठन"** अवार्ड प्रदान किया गया।
- बैंक ऑफ इंडिया को नवंबर, 2018 एपीवाई में नामांकन के लिए पीएफ़आरडीए द्वारा **एपीवाई- मेकर्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड** प्रदान किया गया।
- बेंगलुरु में एशिया पैसिफिक एचआरएम काँग्रेस द्वारा पीएसयू बैंकों में वर्ष 2017-18 के लिए **"इनोवेटिव एचआर कार्य में भारत के शीर्ष संगठन"** अवार्ड प्रदान किया गया।
- ईटी नाउ (ET NOW) समूह द्वारा "विश्व सीएसआर दिवस" के उपलक्ष्य में दिव्यांगों के लिए रोज़गार को बढ़ावा देना और शिक्षा गुणवत्ता के क्षेत्र में सहयोग एवं सुधार करने के लिए **सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व** पुरस्कार प्रदान किया गया।
- अटल पेंशन योजना- **ट्रांसफ़ॉर्मेटिव लीडर्स कैंपैन** के अंतर्गत- **सर्वश्रेष्ठ बैंक** के लिए रनर अप ट्रॉफी (तृतीय पुरस्कार) प्रदान की गई।

निदेशक के उत्तरदायित्व का कथन

निदेशक पुष्टि करते हैं कि मार्च 31, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक खातों को तैयार करने में;

क) लागू लेखा मानकों का पालन किया गया और महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके लिए उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बनाई गई लेखांकन नीति का सदैव पालन किया गया है। उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय एवं आकलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक की स्थिति के संबंध में तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ हानि खाते के विषय में सही एवं उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;

ग) बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने एवं उन्हें रोकने के लिए भारत में कार्यरत बैंकों पर लागू कानूनों के अनुरूप पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित एवं उपयुक्त सावधानी रखी जाती है;

घ) वार्षिक लेखा, संस्था की निरन्तरता के आधार पर तैयार किए गए हैं;

ड.) बैंक द्वारा अनुसरण की जानेवाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को स्थापित किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से परिचालन में हैं;

च) समस्त लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था बनायी गयी है और यह सुनिश्चित किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर्याप्त है और प्रभावी रूप से परिचालन में है।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the Bank's Annual Report along with the audited statement of accounts and the cash flow statement for the year ended 31st March 2019.

PERFORMANCE:

Domestic Business:

- Overall Domestic Business of the Bank increased by 4.93% reached at Rs. 749,920 crore as on 31.03.2019 from Rs. 714,712 crore as on 31.03.2018.
- CASA deposits increased by 5.20% on Y-O-Y and Stood at Rs. 181,765 crore, SB deposits grew by 7.61%. Share of low cost deposits (CASA) in domestic deposits improved from 41.43% as on 31.03.2018 to 43.36% as on 31.03.2019.
- Total deposits increased by 0.14% and stood at Rs. 421,783 crore.
- Gross Advances registered a growth of 11.80% from Rs. 293,500 crores as on 31.03.2018 to Rs. 328,137 crores as on 31.03.2019.
- The domestic CD Ratio stood at 77.80% as on 31.03.2019.
- Share of RAM Advances to Total advances is 49.19% (i.e. Rs. 161,425 crore) as on 31.03.2019 as compared to 51.42% (i.e. Rs. 150,924 crore) as on 31.03.2018.
- Priority Sector lending constituted 42.94% of Adjusted Net Bank Credit and the share of Agricultural Credit to Adjusted Net Bank Credit was 18.86%.
- Retail Credit grew by 18.14% from Rs 47,817 crore to Rs 56,492 crore.

Overseas Business:

- Overseas business has de-grown by 15.56% and stood at Rs. 153,803 crore as on 31.03.2019 compared to Rs. 182,138 crore as on 31.03.2018.
- The Overseas CD Ratio stood at 55.23% as on 31.03.2019.

Global Business:

- Global Business of the Bank stood at Rs.903,723 crore as on 31.03.2019 against Rs.896,850 crore as on 31.03.2018. The marginal growth of 0.77% in business level has been as a result of conscious decision of the Bank to rationalise its overseas exposure.
- Total deposits stood at Rs. 520,862 crores as on 31.03.2019.
- Gross Advances stood at Rs. 382,860 crores as on 31.03.2019.
- The Global CD Ratio stood at 73.51% as on 31.03.2019.
- Global CASA stood at 39.75% as on 31.03.2019.

Financial Parameters:

- Operating profit increased by 13.35% (Rs. 953 crore) and reached at Rs.8092 crores as on 31.03.2019 on Y-O-Y basis.
- Net loss stood at Rs. 5,547 crore as on 31.03.2019 from Rs. 6,044 crore as on 31.03.2018.
- Capital Adequacy Ratio stood at 14.19% as against 10.875% prescribed by RBI (under Basel III).
- Net Worth increased by 37.70% reached at Rs. 26,152 crores as on 31.03.2019 from Rs. 18,992 crore as on 31.03.2018.
- Book value per share is Rs. 79.81.
- Gross NPA amount reduced by 2.68% (i.e. Rs. 1,667 crore) reached at Rs. 60,661 crore as on 31.03.2019 from Rs. 62,328 crore as on 31.03.2018.
- Gross NPA percentage reduced to 15.84% as on 31.03.2019 from 16.58% as on 31.03.2018.
- Net NPA amount reduced by 32.22% (i.e. Rs. 9,088 crore) and reached at Rs. 19,119 crore as on 31.03.2019 from Rs. 28,207 crore as on 31.03.2018.
- Net NPA percentage reduced to 5.61% as on 31.03.2019 from 8.26% as on 31.03.2018.
- The Financial performance of the Bank for the year 2018-19 is summarised below:

(Amount in crore)

Particulars	2017-18	2018-19	Growth (%)
Net Interest Income	10,506	13,658	29.99
Non-Interest Income	5,734	5,132	-10.49
Operating Expenses	9,101	10,697	17.54
Operating Profit	7,139	8,092	13.35
Provisions / Contingencies	13,183	13,639	3.46
Net Profit/ Loss	-6,044	-5,547	8.22
Earnings per share (Rs.)	-52.55	-29.79	
Book Value per share (Rs.)	108.91	79.81	
Return on Equity (%)	-31.07	-24.57	
Return on Average Assets (%)	-0.91	-0.84	

Key Financial Ratios are presented below

(Percentage) (%)

Parameters	2017-18	2018-19
Yield on Advances	7.15	8.23
Yield on Investments	7.25	7.40
Yield on Funds	6.16	6.60

Parameters	2017-18	2018-19
Cost of Deposits	4.58	4.50
Cost of Funds	4.46	4.39
Net Interest Margin	1.92	2.56
Non Interest Income to Operating Expenses	63.00	47.97
Other Income to Average Working Fund	0.86	0.77
Operating Expenses to Average Working Fund	1.47	1.73
Staff Expenses to Average Working Fund	0.79	0.98
Other Operating Expenses to Average Working Fund	0.68	0.76
Asset Utilisation Ratio	1.16	1.31
Non Interest Income to Total Income	13.09	11.18
Non Interest Income to Net Income	35.31	27.31
Cost to Income Ratio	56.04	56.93

CAPITAL

- During the year, Government of India has infused Rs.14,724 crore capital for fresh equity shares out of which Bank has made preferential allotment of 95,37,58,865 equity shares of Rs.10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The details of capital infused are as under:

Date of Capital Infusion	Issue Price per share (in Rs.)	Amount (Rs. Crore)	Date of Allotment
26.12.2018	105.75	10,086	16.02.2019
21.02.2019	89.60	4,638	20.04.2019*
	Total	14,724	

* In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP.No. 8307/ 21.01.002/ 2018-19 dated 2nd April, 2019 the share application money of Rs.4,638 Crore received on 21.02.2019 has been considered for computation of CET 1 capital as on March 31, 2019.

- Further, the Bank under Bank of India- Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) has raised an amount of Rs. 660.80 crore. Under this scheme the Bank has allotted 6,25,52,188 new equity shares having face value of Rs. 10/- each at a discount of 24.28% on the floor price of Rs. 105.64 per share i.e. at an offer price of Rs. 80/- each. The details are as under:

Name of the Shareholder	Issue Price per share (in Rs.)	Amount (Rs. Crore)	Date of Allotment
Bank's Employees (Offer Price Rs.80/- Share)	105.64	**660.80**	**07.03.2019**

- Bank has exercised the regulatory call option and redeemed Additional Tier-1 Bonds amounting Rs.5,500 Crore (Series 1 to 5) on April 21, 2018, Upper Tier II Bonds amounting to Rs.500 Crore on 16.10.2018 and IPDI bonds (Tier-1) amounting to Rs.400 Crore on 11.02.2019.
- The Govt. of India vide their Gazette Notification dated March 31, 2019 - April 6, 2019 increased the authorised capital from Rs.3,000 Crore (Rupees Three Thousand Crore) to Rs.6,000 Crore (Rupees Six Thousand Crore).

CAPITAL ADEQUACY:

- As per Basel III framework, the Bank's Capital Adequacy Ratio was 14.19% which is higher than the regulatory requirement of 10.875 %.
- Details of Capital Adequacy (BASEL III) are :

(₹ in crore)

Particulars	BASEL – III			
	31.03.2018		31.03.2019	
CET1 CRAR	24,993	7.87%	**33,683**	**11.01%**
AT1 CRAR	5,905	1.86%	**---**	**---**
Tier I Capital	30,898	9.73%	**33,870**	**11.07%**
Tier II Capital	10,199	3.21%	**9,534**	**3.12%**
Total Capital	41,097	12.94%	**43,404**	**14.19%**
Risk Weighted Assets	317,546		305,953	

BUSINESS INITIATIVES:

- Concept of Area Managers and Star Prime implemented for being more customer focused and for business development, recovery, digitization at ground level and re-activation of branches.
- Special CASA campaigns "Amantran" organized with special focus on Government, Business Associates, HNIs & NRIs.
- Strategy for re-balancing of portfolio in favour of RAM advances (Retail, Agriculture and MSME) and reducing exposure to Corporate sector.
- A non-discriminatory OTS Scheme called "Mission Samaadhan" formulated for quick resolution of NPAs.
- "Swarna Dhara" – Gold Loans have been intensified.
- Refurbishing select branches as "Star Digi" branches with high end digitalized services for tech savvy customers.
- "War Room" and "Watch room" formed in each Zone for Recovery, NPA reduction and credit monitoring/trigger management.
- Tech-driven Credit Monitoring System for tracking of 'Early Warning Signals' under implementation.
- On boarded the Contactless Platform (psbloansin59minutes.com)
- Launched GST based Financing to MSME Borrowers.
- Actively participating in the Udyami Mitra Portal - marketplace for new MSME loans.
- Digi Branches: 255 Select Branches converted to Digi Branches for meeting the demands of Next Gen Customers.
- Star Mahashakti- Up gradation of IT platform from FINACLE 7 to FINACLE 10.

- Centralised processing centres: New 11 RBCs and 28 new SME City Centres opened and separate 182 Gold Loan cells formed in all Zones within the existing infrastructure to increase RAM business.
- "Enterprise wide Fraud Risk Management" framework initiated for real-time fraud monitoring.
- Rationalisation of Domestic/overseas branches and ATMs being undertaken to reduce Operational Cost.
- Seamless "Information and communication Technology (ICT)" based basic banking services enablement in Rural & unbanked areas.
- Selected as an "Authorized bank for Yen credit transaction by GOI-MOF" for Yen credit transaction.
- Synergizing of MCB with LCB and Branches to reduce the Operational Cost.
- Focus on Digitisation and Alternate Delivery Channels
- Activation of Growth Centers through Business Correspondents (BCs) called "Star Points" for expanding our outreach.

AWARDS AND RECOGNITION :

- 2nd Most Trusted Bank in the PSU Bank category by Economic Times.
- "Market Achievers' Award" in Currency Derivatives Segment amongst Public Sector Banks by NSE.
- "Best Performer in Currency Derivative Segment" amongst all Banks' Category by BSE.
- IDRBT Banking Technology Excellence Award, Best Bank for Managing IT Ecosystem, large Bank category.
- IDRBT Banking Technology Excellence Award, Best Bank for Electronic Payments, large bank category.
- Bank has been conferred Second Position among PSU Banks for performance under Sukanya Samriddhi by the National Savings Institute (Ministry of Finance) for the year 2017-18
- "India's Top Organisation with Innovative HR Practices" award in PSUs by the Asia Pacific HRM Congress for 2017-18.
- Bank of India awarded APY- Makers of Excellence Award by PFRDA for enrolment in APY in November,2018.
- "India's Top Organisation with Innovative HR Practices" award in PSUs in the Asia Pacific HRM Congress in Bengaluru.
- "Best Corporate Social Practices" for promoting Employment for Physically Challenged and also for Support and improvement in Quality of Education from ET NOW- WORLD CSR DAY.
- "India's Top Organisation with Innovative HR Practices" award in PSUs in the Asia Pacific HRM Congress in Bengaluru.
- Best Corporate Social Practices for promoting Employment for Physically Challenged and also for Support and improvement in Quality of Education from ET NOW- WORLD CSR DAY.
- Runner up Trophy (3rd Prize) for Best Bank under – Atal Pension Yojana-Transformative Leaders Campaign.

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2019:

a) The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any,

b) The accounting policies framed in accordance with the guidelines of the Reserve Bank of India were consistently applied. Reasonable and prudent judgments and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for the year ended March 31, 2019.

c) Proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities,

d) Annual accounts have been prepared on a going concern basis,

e) Internal financial controls system to be followed by the Bank were laid down and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively,

f) Proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण

वैश्विक परिदृश्य

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के नए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) में उल्लेख किया गया है कि 2017 में तथा 2018 के पूर्वार्ध में सुदृढ़ वृद्धि के बाद पिछले वर्ष के उत्तरार्द्ध में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कई सम्मिलित कारकों को दर्शाता है। अब आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि वैश्विक वृद्धि दर जो 2018 में 3.6% थी घटकर 2019 में 3.3% होगी।

यह मंदी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाले कई सम्मिलित कारकों के मिलने का परिणाम थी। चीन की वृद्धि में, शैडो बैंकिंग को नियंत्रित करने के लिए कड़े विनियामक आवश्यकताओं को अपनाने तथा यूएसए के साथ व्यापार में बढ़े तनाव के कारण कमी आई है। यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में अपेक्षा से अधिक कमी आई है, क्योंकि उपभोक्ता तथा व्यापार में विश्वास में कमी आई, नए उत्सर्जन मानकों की शुरूआत के कारण जर्मनी में कार उत्पादन बाधित हुआ; इटली में निवेश में कमी आई चूंकि सॉवरेन स्प्रेड अधिक बढ़ा है; तथा विशेषकर उभरते एशिया से बाह्य मांग में गिरावट आई।

इसके अलावा, जापान में प्राकृतिक आपदाओं के कारण रियल सेक्टर गतिविधियों में व्यापार में तनाव से व्यावसायिक विश्वास प्रभावित हुआ है जिससे वैश्विक मांग के आधार पर 2018 के पूर्वार्ध में संवेदनशील उभरते बाजारों तथा बाद में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए कठिन वित्तीय परिस्थितियों के साथ-साथ वित्तीय बाजार रूख की स्थिति और अधिक बिगड़ी है। यूएस फेडरल द्वारा एक उदार मौद्रिक नाति का रूख अपनाने के संकेत से 2019 में परिस्थितियों में राहत आयी तथा यूएस-चीन व्यापार समझौते के विषय में बाजार आशावादी रहा, परन्तु वर्ष के उत्तरार्ध की अपेक्षा वे कुछ अधिक प्रतिबंधात्मक बने रहे।

कॉमॉडिटी कीमतें कम होने के कारण सभी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कमज़ोर रही। कुछ उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के लिए, मुद्रा मूल्यह्रास के फलस्वरूप घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई है जिससे कमॉडिटी की कम कीमतों को दबाव से आंशिक राहत मिली।

घरेलू अर्थव्यवस्था का परिदृश्य

मई 2019 में राष्ट्रीय संख्यिकीय संगठन (एनएसओ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय आय का अनंतिम आकलन जारी किया गया था। इस विज्ञाप्ति के अनुसार, इस वर्ष के दौरान सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में गत वित्तीय वर्ष के 7.2% की वृद्धि दर की तुलना में 6.8% तक वृद्धि होने का आकलन किया गया है। वर्ष 2018-19 में मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) की अनुमानित वृद्धि 2017-18 में 6.9% की तुलना में 6.6% आकलित की गई है। 'बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवा ''कन्स्ट्रक्शन', 'वित्तीय', 'रियल इस्टेट एवं पेशेवर सेवाएं', 'लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवा' क्षेत्रों में 7.0% से अधिक वृद्धि दर दर्ज की गई। 'कृषि, वानिकी और मछली पालन', 'खनन एवं उत्खनन', विनिर्माण और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और ब्रोडकास्टिंग संबंधी सेवाओं' में क्रमश: 2.9%, 1.3%, 6.9% एवं 6.9% की वृद्धि अनुमानित की गई है।

अप्रैल मार्च 2018-19 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में संचयी वृद्धि, पिछले वर्ष संबंधित अवधि की अपेक्षा 3.6% (पिछले वित्त वर्ष में 4.4% के मुकाबले) रही। इसमें खनन, विनिर्माण और विद्युत खण्ड में क्रमश: 2.9%, 3.5% और 5.2% की वृद्धि रही। इन प्रमुख खंडों का प्रदर्शन पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलना में थोड़ा कम था।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा परिकलित खुदरा मुद्रास्फीति 3.4% पर संयमित रही जो आरबीआई के अनुकूल स्तर (कंफर्ट लेवल) से कम थी। खाद्य स्फीति में निरंतर गिरावट के कारण 2018 के मध्य से सीपीआई मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट आई थी (यहां तक कि अक्तूबर 2018-फरवरी2019 के दौरान यह अपस्फीति में बदल गई)। खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई स्फीति भी थोड़ी कम हुई, हालांकि इसका स्तर उच्च रहा।

विदेशी क्षेत्र के विषय में, 2018-19 में निर्यात एवं आयात के 9% की समानदर से बढ़ने के बावजूद, देश का व्यापार घाटा $176 बिलियन के उच्च रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2018-19 में निर्यात 331 बिलियन डॉलर रहा। पहली बार आउट बाउंड व्यापार लगातार 2 वर्षों के लिए 300 बिलियन डॉलर से ऊपर रहा है, हालांकि, निर्यात के आकड़ों ने अभी भी सरकार के 350 बिलियन डॉलर के घरेलू लक्ष्य को पार नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्यात 303.52 बिलियन डॉलर पर रहा। दूसरी ओर, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, चालू खाता घाटा (सीएडी) 2017-18 के 1.9% से बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2018 में 2.6% हो गया है। उसी समय, सीएडीने वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही में सुधार दर्शाया था और 2018-19 की चौथी तिमाही में और अधिक सुधारकी अपेक्षा है क्योंकि आयात में गिरावट ने व्यवसायिक व्यापार घाटे में वृद्धि की है।

राजकोषीय मामले में, सरकार को वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद के राजकोषीय घाटे के 3.4% (अनंतिम बजट के पहले 3.3%से संशोधित लक्ष्य) के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है। (पिछले वित्त वर्ष के दौरान यह जीडीपी का 3.53% था)

बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 9.85% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग प्रणाली ने 13.23% का अच्छा ऋण विकास दर्ज किया। जमाराशियों में वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 6.17% की तुलना में, 9.99% की वृद्धि हुई। ऋण वृद्धि में पुनरूत्थान अधिकांश खुदरा, अवसंरचना, रसायन एवं रसायन उत्पाद और सभी अभियांत्रिकी क्षेत्रों के माध्यम से किया गया। तथापि, वस्त्र, कच्ची धातुओं एवं धातुउत्पादों की ऋण वृद्धि में गिरावट आई है।

चलनिधि के क्षेत्र में, वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि बनाए रखने के लिए खुले बाज़ार संचालन के रूप में पर्याप्त उपाय किये हैं। आरबीआई ने वर्ष के दौरान बाज़ार में रु.2.98 लाख करोड़ की कुल चलनिधि डाली। आरबीआई ने 26 मार्च, 2019 को तीन वर्ष के लिए 'US$ 5 बिलियन का दीर्घ कालिक विदेशी विनिमय क्रय/विक्रय विनिमय भी किया है। इसके फलस्वरूप सिस्टम में रु.34,561 करोड़ की स्थायी चलनिधि डाली गई।

घरेलू वित्तीय बाज़ार के विभिन्न खण्डों में अलग-अलग उतार-चढ़ाव देखे गये क्योंकि उन्होंने वर्ष में उपजी वैश्विक और स्थानीय प्रगतियों के संबंध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी। एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार में ब्याज दर, पॉलिसी रेपो दर के समीप रही, क्योंकि आरबीआई ने विभिन्न लिखतों के माध्यम से चलनिधि प्रदान की। वैश्विक प्रभावों तथा घरेलू प्रगतियों जैसे खुली बाजार खरीद विकल्प के माध्यम से बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी डालना

तथा अंतरिम बजट 2019-20 में घोषित सरकार की बड़ी उधार योजना, की प्रतिक्रिया में ट्रेजरी बिल पर प्रतिफल, दीर्घावधि सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिफल के अनुसार घटे-बढ़े। कॉरपोरेट बॉन्ड पर प्रतिफल मोटे तौर पर सरकारी बॉन्ड्स के अनुरूप रहा। इक्विटी बा. जार धीमे चले परन्तु मार्च 2019 में फिर से तीव्र उछाल आया। भारतीय रुपये की विनिमय पर, मूल्य वृद्धि के साथ ट्रेड की गयी। यह अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में कमी, अमरीकी फेड की डोविश पॉलिसी, व्यापार संबंधी तनावों से कमी तथा पूंजी प्रवाह के पुन: आरंभ होने के कारण हुआ। उभरते हुए बाजारों की आस्तियों की माँग बढ़ी हुई रही। बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह में सुधार जारी रहा तथा उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की दिशा में रहा।

आरबीआई की हालकी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) ने यह दर्शाया कि खराब परिसंपत्तियों के कम होने तथा प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार के कारण बैंकिंग क्षेत्र सुधार की प्रक्रिया में है। सितम्बर 2015 के बाद यह प्रथम अर्ध वर्ष था जब सकल एनपीए अनुपात में कमी आयी। एफआरएस के दबाव जाँच नतीजों ने एनपीए अनुपात में और अधिक सुधार सूचित किया जबकि वह आरबीआई के संतोष के स्तर से अधिक था। दिवाला और दिवालियापन संहिता ने अत्यावश्यक ऋण अनुशासन को मज़बूत करने के लिए आवश्यक संस्थागत ढ़ांचा प्रदान किया है। मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत से सितम्बर 2018 में 10.8 प्रतिशत तक एससीबी के सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात में कमी आयी है तथा बैंक की संपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

बैंकों के पुन: पूँजीकरण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को भारत सरकार का समर्थन जारी है। सरकार द्वारा, वर्ष के दौरान सार्वनजिक क्षेत्रों के बैंकों में एक लाख करोड़ से अधिक की पूंजी लगाई गई है, जिसने एक ओर बैंकों को नियामक पूंजी आवश्यकता तक पहुंचने में मदद की है तथा दूसरी ओर 'पूंजीगत वृद्धि' के रूप में है, कुछ बैंकों की सहायता की है, ताकि ऋण प्रदान की गतिविधि को बढ़ाया जाए।

बैंक की मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि रणनीति: वर्तमान में बैंक ने अपने मध्यम और दीर्घ अवधि लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की है।

- एनपीए प्रबंधन और ऋण निगरानी पर अधिक फोकस करना।
- ग्राहक सेवा में सुधार के माध्यम से निम्न लागत जमाराशियाँ/कासा में वृद्धि करना।
- रिटेल ऋण के संबंध में आस्तियाँ पोर्टफोलियो रिबैलिंसिग करना ।
- शाखाओं/एटीएम का रैश्नलाइजेशन करना।
- गैर-मूलभूत आस्तियाँ का मुद्रीकरण करना।
- परिचालनगत व्यय को कम करना।

कारोबारी समीक्षा

1. संसाधन संग्रहण :

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.11,203 करोड़ की वृद्धि सहित बचत जमाराशियों में 7.61% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है। यद्यपि चालू जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष 6.85% की नकारात्मक वृद्धि दिखाई दी है, जिससे राशि में रु.1,752 करोड़ की कमी हुई है। समग्र रूप से कासा के आँकड़े वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 5.47 वृद्धि के साथ मार्च 18 के आँकडों से रु.9451 करोड़ अधिक है। बचत बैंक डायमण्ड ग्राहक सेगमेंट (औसत तिमाही शेष रु.1 लाख एवं उससे अधिक) में वर्ष-दर-वर्ष 7.20% तथा चालू डायमण्ड ग्राहक सेगमेंट (औसत तिमाही शेष रु.2 लाख एवं उससे अधिक) में वर्ष-दर-वर्ष 0.88% की वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च 2018 में कासा अनुपात वर्ष-दर-वर्ष 41.43% से बढ़कर 43.47% हो गया है। कुल मीयादी जमा में खुदरा मीयादी जमा का हिस्सा वित्तीय वर्ष 18-19 में बढ़कर 91.78% हो गया है, जो कि वित्तीय वर्ष 17-18 में 83.33% था।

2. अग्रिम :

बैंक का वैश्विक सकल अग्रिम, यथा 31.03.2018 के रु.3,75,996 करोड़ से कुछ बढ़कर 31.03.2019 को रु.3,82,802 करोड़ हो गया। यह 1.82% की वृद्धि है। सकल घरेलू ऋण में 11.80% की संतुलित वृद्धि दर्ज की गयी। यह 31.03.2018 को रु.293,500 करोड़ था जो 31.03.2019 को रु.328,127 करोड़ हो गया। जोखिम को कई क्षेत्रों में वितरित करने के लिए बैंक ने वर्तमान वर्ष के दौरान रिटेल तथा एसएमई क्षेत्र के अग्रिमों पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसमें ज्यादा प्रतिफल होता है। बैंक, 10 लार्ज कॉरपोरेट तथा सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों के प्रभार में अन्य बड़ी शाखाओं के माध्यम से कॉरपोरेट/मिड कॉरपोरेट की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करता है। रिटेल, एसएमई तथा कृषि के अन्य ग्राहकों की आवश्यकताएं, 5,093 शाखाओं तथा विशेष प्रसंस्करण केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से पूरी की जाती हैं।

3. रिटेल :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खुदरा ऋण सेग्मेंट में 17.34% प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान हमने आवास ऋणों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसके परिणामस्वरूप हमें काफी अच्छी वृद्धि प्राप्त हुई है। वर्ष के दौरान आवास ऋण सेग्मेंट रु.25,614 करोड़ से बढ़कर रु.32,416 करोड़ हो गया तथा उसमें 26.55% की वृद्धि दर्ज़ की गई। वर्ष के दौरान वाहन ऋण सेग्मेंट रु.4,476 करोड़ से बढ़कर रु.5,089 करोड़ हो गया तथा इसमें 13.70% की वृद्धि दर्ज की गई। बैंक ने मारुती-सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई मोटर्स तथा महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ गठजोड़ किया है। हमारा बैंक पीएसयू/पीएसई/प्रतिष्ठित कॉरपोरेट्स/संस्थानों के नियोक्ता के साथ गठजोड़ व्यवस्था के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराता है। आवास ऋण, वाहन ऋण तथा वैयक्तिक ऋणों के अलावा हम संपत्ति पर ऋण तथा शिक्षा ऋण भी देते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, हमने 11 और रिटेल बिजनेस सेंटर (आरबीसी) खोले हैं।

4. एसएमई विभाग :

सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक महत्वपूर्ण खण्ड है तथा इसका देश के जीडीपी में लगभग 8%, विनिर्माण उत्पादन में 45% तथा निर्यात में लगभग 40% योगदान है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के लक्ष्यों तथा वर्गीकरण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों में वर्गीकरण हेतु सेवाओं के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु प्रति उधारकर्ता रु.5 करोड़ तथा मध्यम उद्यमों हेतु रु.10 करोड़ की लागू ऋण सीमा- हटा दी गयी है। तदनुसार एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत निवेश एवं उपकरण में उल्लिखित के अनुसार सेवाएं प्रदान करने वाले एमएसएमई क्षेत्र दिए जाने वाले सभी बैंक ऋण बिना किसी ऋण सीमा के प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत माने जायेंगे। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया तथा डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान देने कारण बैंक स्तर पर एमएसएमई ऋण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं।

कार्य-निष्पादन

- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के संबंध में बैंक का कार्य-निष्पादन यथा 31 मार्च 2019 निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित है -

(राशि करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019	2017 की तुलना में यथा मार्च 2018 वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि (%)	2018 की तुलना में यथा मार्च 2019 वर्षानुवर्ष अभिवृद्धि (%)
कुल एमएसएमई	50123	52953	53878	5.65	1.75

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 194970 नये खाते खोले गये हैं जिनकी कुल स्वीकृत सीमा रु.11589 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन खातों में संवितरण रु.11,183 करोड़ तथा बकाया राशि यथा 31.03.2019 रु.8273 करोड़ थी।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान यथा 31.03.2019 मुद्रा के अंतर्गत संवितरण रु. 6550 करोड़ के बजट के समक्ष रु.6430 करोड़ था। इस प्रकार 3,65,272 खातों के साथ आबंटित बजट का 98.17% लक्ष्य प्राप्त किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 583 खाते जोड़े गये जिनकी कुल स्वीकृति सीमा का 131 करोड़ हैं और खातों की कुल संख्या 5945 है जिनमें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत कुल स्वीकृत सीमा रु.1116 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हमने सीजीटीएमएसई के अंतर्गत 25244 नये खाते कवर किये हैं, जिनकी कुल गारंटी राशि रु.3181 करोड़ तथा 31.03.2019 सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कवर किये गये समेकित खाते 366103 हैं तथा इनकी कुल राशि रु.24866 करोड़ है।
- एमएसएमई खण्ड के अंतर्गत कुल एनपीए 22% था।

वित्तीय वर्ष 18-19 की विशेषताएं

- एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए जीएसटी आधारित वित्तीय सहायता की शुरूआत की गई। (मूल्यांकन के पारम्परिक तरीके से हटकर कैश-फ्लो आधारित तरीके का उपयोग)
- एमएसएमई उधारकर्ताओं को बिल डिस्काउंटिंग की सुविधा देने के लिए हम TReDS (RXIL) प्लेटफॉर्म से जुड़ गये हैं।
- बेहतर सूचना समेकन, समुचित सावधानी तथा अंडरराइटिंग के ऑटोमेशन के लिए सिडबी के नेतृत्व में सार्वजनिक बैंकों के संघ द्वारा अधिगृहीत कॉन्टेक्टलेस प्लेटफॉर्म (कैपिटा वर्ल्ड) से 9000 से अधिक खातों को पोर्टल पर सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी गई।
- शाखाओं द्वारा विवेकपूर्ण तथा अच्छा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए सीएमआर रैंक तथा जेडईडी रैंक आरम्भ किया जा रहा है।
- विभिन्न स्थानों पर नए एसएमईसीसी (प्रसंस्करण केन्द्र) खोले जा रहे हैं।
- एसएमई वित्तपोषण की सुविधा हेतु, एसएमई पर ध्यान केन्द्रित करने वाली शाखाओं में वृद्धि की जा रही है, ये अब 100 से बढ़कर 207 हो गई हैं।
- क्षेत्र आधारित ऋण योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। बीते कुछ दिनों में विभिन्न नई क्लस्टर योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।
- बड़े कॉरपोरेट/औद्योगिक घरानों के बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों तथा लचीले मानदंडों के साथ चैनल वित्तपोषण योजना दुबारा शुरू की गई है।
- एमएसएमई को सरल वित्तपोषण हेतु विभिन्न फिनटेक/ऋण सूचना ब्यूरो/ओ.ई.एम. के साथ भागीदारी करना।
- टीएटी (TAT) तथा कार्य कुशलता में सुधार हेतु क्रेडिट अंडरराइटिंग की प्रक्रिया का डिजिटलाइजेशन/ (इसका यूएटी (UAT) अंतिम चरण में है।)
- एमएसएमई ग्राहकों के लिए एमएसएमई प्रस्तावों की रियल टाइम ट्रैकिंग तथा ऑनलाइन आवेदनों हेतु सीपीटीएस मॉड्यूल के माध्यम से एक विशिष्ट एलएमएस की शुरूआत की गई है।
- नए एमएसएमई ग्राहकों के लिए विभिन्न प्रकार की छूट तथा सुविधाओं के साथ वेलकम ऑफर की शुरूआत की गई है।
- उद्यमी मित्र पोर्टल में सक्रिय भागीदारी (नए एमएसएमई ऋणों हेतु मार्केटप्लेस)
- सरकार तथा सरकार द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेशन योजनाओं द्वारा निर्धारित स्टार्ट-अप के वित्तपोषण के लिए स्टार स्टार्ट-अप योजना की शुरूआत की गई।
- मुद्रा (MUDRA) योजना के अंतर्गत और अधिक वृद्धि के लिए विभिन्न मुद्रा (MUDRA) केंद्रित योजनाओं, जैसे-स्टार वीवर योजना, स्टार ई-रिक्शा योजना आदि शुरू की गई।
- सरलतापूर्वक, सम्पार्श्विक रहित ऋण प्राप्त करने के लिए विभिन्न गारंटी योजनाओं का सक्रिय रूप से प्रचार किया गया।

5. कृषि वित्त :

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम :

बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थापित अपनी शाखाओं एवं कृषि बैंकिंग केंद्रों (एबीसी) के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक एवं कृषि क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा है। बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रु.130,494 करोड़ (वित्त वर्ष 18-19 की औसत एएनबीसी का 41.86%) का शानदार स्तर प्राप्त किया है। इसमें कृषि क्षेत्र के अंतर्गत रु.57,302 करोड़ (वित्त वर्ष 18-19 की औसत एएनबीसी का 18.05%) है तथा कृषि के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को रु.28,455 करोड़ (वित्त वर्ष 18-19 की औसत एएनबीसी का 8.61%) का ऋण शामिल है। एसएमई के अंतर्गत रु.51,866 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसमें एमएसएमई सूक्ष्म क्षेत्र में रु.26,148 करोड़ (वित्त

वर्ष 18-19 की औसत एएनबीसी का 8.15%), शिक्षा में रु.3,140 करोड़, आवास में रु.17038 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में रु.1,148 करोड़ शामिल है। बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के प्राथमिकता क्षेत्र, कृषि, लघु एवं सीमित किसान एमएसएमई - सूक्ष्म उद्यम तथा कमजोर वर्गों को ऋण के अंतर्गत विनियामक अनुपातों को प्राप्त किया है।

(राशि करोड़ में)

विवरण	ऋण राशि		वर्ष-दर-वर्ष (मार्च 18/मार्च 19)		औसत एनबीसी का % (वित्त वर्ष 2018-19)	आरबीआई बेंचमार्क
	मार्च 18	मार्च 19	राशि	%		
कुल कृषि	51,938	*57,302	5,364	10.33	18.05	18.00
लघु एवं सीमांत किसान	23,858	28,455	4,597	19.27	8.61	8.00
सुक्ष्म उद्यम	24,051	26,148	2,097	8.72	8.15	7.50
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	121,691	130,494	8,803	7.23	41.86	40.00

* आरआईडीएफ एवं पीएसएलसी की बकाया सहित कुल कृषि

कृषि के अंतर्गत बैंक की शाखाओं ने वर्ष के दौरान रु.11,257 करोड़ संवितरित किए। बैंक ने लचीले रूप से ऋण उपयोग के लिए रु.3,066 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2.33 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंक कम आय वर्गों का 4% की छूट प्राप्त ब्याज दर पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक ने वर्ष के दौरान डीआरआई योजना के अंतर्गत 316 मामले स्वीकृत किए हैं जिसमें 3 करोड़ की राशि शामिल है। यथा मार्च 2019 अल्प संख्यक समूहों को बैंक का ऋण एक्सपोज़र रु.16,068 करोड़ (प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का 14.25%, लक्ष्य 15% था) है। दिनांक 31.03.2019 को कमजोर वर्गों के अंतर्गत बकाया राशि रु.34,926 करोड़ (मार्च एएनबीसी का 11.49% है) यथा 31.03.2019 खाद्य एवं कृषि उद्योग को बैंक का वित्तपोषण रु. 5,593 करोड़ है।

स्वर्ण ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 में रु.1,945 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई जबकि वित्त वर्ष 2017-18 में यह वृद्धि रु.845 करोड़ की थी। स्वर्ण ऋण के अंतर्गत कुल बकाया रु.5,082 करोड़ है जिसमें से कृषि स्वर्ण ऋण की बकाया राशि रु.4,176 करोड़ है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम): ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के जीवन से गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) एक महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष के दौरान बैंक ने इस योजना के अंतर्गत 0.77 लाख उधारकर्ताओं को रु.1,534 करोड़ ऋण संवितरित किये हैं।

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के पास 4.24 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का ग्राहक आधार है जिसमें से 0.39 लाख एसएचजी को ऋण सुविधा से जोड़ा गया है तथा इसमें से 0.29 लाख महिला एसएचजी हैं। ऑफ़साइट संव्यवहारों, वित्तीय तथा डाटा डिजिटलीकरण के लिए बैंक ने दोहरा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन आरंभ किया है।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक के पास 51 जिलों में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है जो झारखण्ड (15), महाराष्ट्र (14), मध्य प्रदेश (13), उत्तर प्रदेश (07) तथा ओडिशा (2) - इन पांच राज्यों में फैली हुई हैं। बैंक झारखण्ड राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है।

6. वित्तीय समावेशन :

बैंक यह मानता है कि वित्तीय समावेशन के माध्यम से व्यवसाय करना व्यावहारिक है तथा इस दिशा में बैंक ने अपना दृष्टिकोण "सीएसआर" से "आर्थिक व्यवहार्यता" की ओर मोड़ दिया है। वित्तीय क्षेत्र की अपेक्षानुसार अत्यंत कम लागत के संव्यवहारों को समर्थित करने एवं संरक्षित करने हेतु आईसीटी आधारित समाधान आवश्यक है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) से वित्तीय समावेशन अभियान को गति प्राप्त हुई है। व्यापार संपर्की मॉडल के नेतृत्व में आई.सी.टी. के माध्यम से उन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक ने ये सेवाएं दी हैं जहाँ बैंकिंग सेवाएं नहीं हैं। बैंक को एन.पी.सी.आई के द्वारा "बड़ी श्रेणी के बैंकों में ए.ई.पी.एस में उत्कृष्ट प्रदर्शन" के लिए रनर-अप ट्रॉफी प्रदान की गयी।

स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) :

बैंक झारखंड, ओड़िशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 42 आरसेटी परिचालित कर रहा है। वर्ष के दौरान आरसेटी ने 1,065 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये तथा 30610 अभ्यर्थियो मे से 52% (15892) को प्रशिक्षित किया गया और 55% (8811) को क्रेडिट लिंकेज प्रदान किया गया ताकि लाभकारी रोजगार प्राप्त करने मे उनकी मदद की जा सकें ।

वित्तीय साक्षरता तथा ऋण परामर्श केन्द्र (एफ.एल.सीसी.):

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी केन्द्रों में उन जिला स्थानों पर एफएलसीसी/एफएलसी स्थापित किया है जहाँ बैंक के पास अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। बैंक की 51 एफ.एल.सी. सभी 51 जिलों में कार्यरत हैं। प्रशिक्षण देने के अतिरिक्त एफ.एल.सी मामला-दर-मामला आधार पर दबावग्रस्त उधारकर्ताओं के लिए उपचारात्मक परामर्श तथा संचार माध्यमों, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के माध्यम से निवारक परामर्श भी देते हैं। अब तक 13,73,083 जरूरतमंद विपदाग्रस्त लोगों को सलाह दिया गया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक :

यथा 31.03.2019, बैंक ने चार ग्रामीण बैंकों को प्रयोजित किया है। ये हैं - आर्यावर्त ग्रामीण बैंक-जी.बी.ए (उत्तर प्रदेश राज्य), नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक-एन.जे.जी.बी (मध्य प्रदेश), विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक-वी.के.जी.बी. (महाराष्ट्र राज्य) तथा झारखण्ड ग्रामीण बैंक-जे.जी.बी (झारखण्ड राज्य)। सभी चारों आर.आर.बी की शाखाएं तथा उनके प्रशासनिक कार्यालय सी.बी.एस प्लेटफॉर्म पर हैं तथा इनके पास सिस्टम से रिपोर्ट सृजित करने की सुविधा है। इन आर.आर.बी के पास आर.टी.जी.एस, एन.ई.एफ.टी तथा ए.टी.एम की सुविधा है तथा ये 1,687 शाखाओं के नेटवर्क के साथ 61 जिलों में फैले हुए हैं। इनका कुल कारोबार मिश्र रु. 51,335.98 करोड़ है तथा इन्हें अपने-अपने 04 प्रधान कार्यालयों तथा कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

7. अंतर्राष्ट्रीय :अंतरराष्ट्रीय प्रभाग

सभी टाइम जोन के 20 देशों में बैंक की कुल 26 शाखाएं, 2 प्रतिनिधि कार्यालय, 5 अनुषंगी एवं 1 सहयोगी/संयुक्त उद्यम हैं। यथा दिनांक 31.03.2019 (अलेखापरीक्षित) को बैंक के वैश्विक व्यवसाय में विदेशी परिचालन का हिस्सा 17.02% है।

विदेशी अनुषंगी एवं सहयोगी :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि.
iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्सवाना) लि.
v) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि.
vi) इंडो-ज़ाम्बिया बैंक लि. (आईजेडबी) - संयुक्त उद्यम

बैंक ने म्यांमार और दुबई में अपने प्रतिनिधि कार्यालय बंद किए है। जारी वर्ष के दौरान बैंक ने अपने मानचेस्टर (बर्मिघम के साथ विलय), पूर्व हैम (लंदन के साथ विलय) और जर्सी शाखा को बंद किया है।

विदेशी कारोबार :

निर्यातकों तथा आयातकों का व्यापार वित्तपोषण तथा विदेशी विनिमय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना बैंक का प्रमुख एवं प्राथमिक क्षेत्र है। पूरे भारत में बैंक की 196 प्राधिकृत डीलर (ए.डी.) शाखाएं हैं। ये शाखाएं विदेशी विनिमय व्यापार संभालती हैं तथा निर्यातकों एवं आयातकों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पूरे विश्व में 247 बैंकों के साथ बैंक का संपर्की बैंकिंग संबंध भी है। आवक धन-प्रेषण में सहायता के लिए खाड़ी के निजी विनिमय प्रतिष्ठानों के साथ बैंक की रुपया आधारित आहरण व्यवस्था है।

8. ऋण निगरानी :

बैंक के ऋणों की आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए ऋणों तथा एकल खातों की निगरानी अनिवार्य है। ऋण निगरानी का लक्ष्य यह है कि ऋण आस्तियाँ, मानक श्रेणी में ही रहें, चिह्नित दबावग्रस्त खातों/निगरानी के अधीन खातों को अपग्रेड करने का प्रयास किया जाय तथा सुधारात्मक कार्रवाई की जाय ताकि खातों को मानक श्रेणी से अवमानक श्रेणी में जाने से रोका जा सके।

कमजोरी के संकेत/चूक की संभावना/डिलिक्वेंसी वाले दबावग्रस्त खातों को पहचानने तथा उनकी निगरानी करने के लिए, विभाग, विभिन्न उपकरण तथा पद्धतियों का प्रयोग कर रहा है ताकि संभावित स्लिपेज को प्रभावी तरीके से रोका जा सके तथा आस्ति की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके।

प्रभावी निगरानी तथा नियंत्रण के लिए उपकरण :

- ऋण संबंधी चूक की निगरानी के लिए पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) सिस्टम :- एसएमए के अंतर्गत वर्गीकृत ऋण अस्तियों की निगरानी के लिए सभी शाखाओं तथा नियंत्रक कार्यालयों को एक व्यापक निगरानी मोड्यूल उपलब्ध कराया गया है। हमारे बैंक के पास ऐसी व्यवस्था है जो कमजोरी का संकेत प्रदर्शित करने वाले खातों के संबंध में पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) कैप्चर करता है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के अलर्ट सृजित होते हैं। ये अलर्ट इस बात का संकेत होते हैं कि भविष्य में खाते एनपीए हो सकते हैं। संबंधित खातों की गम्भीरतापूर्वक निगरानी के लिए साप्ताहिक आधार पर विभिन्न प्रशासनिक/कार्यात्मक स्तरों पर ईडब्ल्यूएस सूचित किये जाते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत आंतरिक निगरानी के उद्देश्यों के लिए अतिदेय खातों के संबंध में चूक की समय सीमा तथा चूक की प्रकृति/प्रकार के अनुसार पृथक्करण किया जाता है ताकि खाते के एनपीए होने के काफी समय पूर्व, सक्रियतापूर्वक इस पर कार्रवाई की जा सके। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बैंक यह मूल्यांकन कर सके कि क्या यह चूक कुछ स्वाभाविक कमजोरी के कारण हो रही है या यह किसी तात्कालिक लिक्विडिटी/नकदी प्रवाह की समस्या के कारण है।
- बड़ी राशि के खातों के संबंध में मानक खातों हेतु उधारकर्ता हेल्थ प्रोफाइल, ऑनलाइन की जा रही है ताकि इन खातों की निगरानी रियल टाइम आधार पर की जा सके।
- एसएमए श्रेणी में खाते के वर्गीकरण के बाद खाते को ठीक करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई, पुन:संरचना आदि सुधारात्मक कदम उठाने हैं। आरबीआई के संशोधित दिशा-निर्देशों को अनुसार 5 करोड़ तथा इससे अधिक की ऋण सीमा वाले दबावग्रस्त खातों को साप्ताहिक आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट किया जाना है।
- इस संबंध में उन खातों को प्राथमिकता दी जा रही है जो वसूली के रिकॉर्ड के आधार पर दो माह से अधिक की अवधि के लिए अतिदेयता की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त उन खातों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो तकनीकी अनियमितता की स्थिति में हैं जैसे स्टॉक क्यूआईएस स्टेटमेंट तीन महीनों तक न प्रस्तुत करना, सीसी खातों में अपर्याप्त/कोई जमा न होना इत्यादि। यदि इस सम्बन्ध में सुधारात्मक कार्रवाई न की जाय तो खाते को डाउनग्रेड किया जा सकता है। मानक आस्तियों को डाउनग्रेड होने से रोकने के लिए इन खातों की निगरानी विशेष तौर पर विभिन्न स्तरों से की जाती है।
- ऋण प्रक्रिया की लेखा परीखा (सीपीए) यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि स्वीकृति की संवितरण पूर्व तथा संवितरण पश्चात् शर्तों/अनुबन्धों का अनुपालन किया जा रहा है। सीपीए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संवितरण करने वाले अधिकारी ने बैंक निधियों का संवितरण करने से पूर्व, प्रतिभूति के सृजन/प्रतिभूति की पूर्णता हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ताकि उक्त प्रतिभूतियों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित की जा सके।
- हम पात्र खातों में 'स्टॉक' तथा 'प्राप्य राशि' के संबंध में समयपूर्वक लेखा-परीक्षा किया जाना सुनिश्चित करते हैं ताकि जब भी आवश्यक हो, सक्रिय/सुधारात्मक कदम उठाया जा सके। स्टॉक की लेखा-परीक्षा ज्यादातर वैसे मानक अग्रिम खातों के संबंध में लागू है जिनका कार्यशील पूँजी एक्सपोज़र रु.5 करोड़ तथा इससे अधिक है। इसे प्रतिवर्ष किया जाना अपेक्षित है। जहाँ हमारा बैंक, कन्सॉर्टियम वित्तपोषण में लीडर है या हमारा बैंक एकल बैंकर है तथा ऋण एक्सपोज़र रु.250 करोड़ तथा इससे अधिक है, वहाँ बैंक विशेष लेखा-परीक्षा करा रहा है।

- ऐसी आस्तियां जो कमजोरी के स्वाभाविक संकेत दिखा रही हैं जैसे अनियमित स्थिति में होना, साख पत्र के अंतर्गत बिल का अतिदेय होना, गारंटी को लागू करना, लंबित समीक्षा आदि, जो बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर खतरा हैं, उनके संबंध में टेली/वीडियो सम्मेलन के माध्यम से विभिन्न प्लैटफार्म तथा स्तरों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।
- पूर्व चेतावनी संकेतों के आधार पर खातों को रेड फ्लैग किया जाता है तथा फॉरेंसिक ऑडिट की जाती है। रेड फ्लैग खातों (आरएफए) तथा धोखाधड़ी वाले खातों जहाँ हमारा एक्सपोज़र रु.50 करोड़ एवं इससे अधिक है, उसे सीआरआईएलसी प्लैटफार्म पर अपलोड किया जाता है। बैंक ने खातों को रेड फ्लैग करने/उनका फॉरेंसिक ऑडिट करने की नीति को अनुमोदित किया है।

9. एनपीए प्रबंधन :

बैंक ने एनपीए और बट्टे खाते डाले गये खातों में वसूली के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यनीतियों को आत्मसात करते हुए और आस्ति वसूली शाखाओं की शुरूआत करके तथा जमीनी स्तर पर स्टाफ के साथ मिलकर काम करके लगातार अथक प्रयास किये हैं। किये गये प्रयासों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित कार्यनीतियों में से कुछ के माध्यम से वसूली में सुधार आया है :

- ♦ अस्थायी नकदी प्रवाह असंतुलन से एनपीए हुए खातों को कम से कम समय में अपग्रेड करने के उद्देश्य से उनमें परिचालन रोकना।
- ♦ कुल अतिदेय की वसूली के पश्चात पूरे खाते का अपग्रेडेशन करना।
- ♦ उस खाते की पुर्नरचना करना जिसे दीर्घावधि सहयोग की आवश्यकता हो।
- ♦ एनसीएलटी पर आवेदन भरना, जहाँ हम लीडर नहीं हैं वहाँ अन्य बैंकों से अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- ♦ खातों मे ओटीएस द्वारा बैंक के लाभ व हानि खाते में सकारात्मक प्रभाव लाना, सरफेसी अधिनियम के प्रावधान तुरन्त लागू करना।
- ♦ मुकदमा दायर करना और रोक की समाप्ति अनुवर्ती कार्रवाई करना और डीआरटी के जरिए जल्दी-जल्दी निपटान के लिए।
- ♦ उन सभी मामलों में उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता घोषित करना जहाँ इरादतन चूक के स्पष्ट मामले हों। प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विशाल ई-नीलामी करना।
- ♦ विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेना ।
- ♦ जिन मामलों में मुकदमा/डिक्री फाइल कर दिया गया है अब उनकी ऑनलाइन निगरानी की जाती है।
- ♦ बैंक स्तर पर आयोजित की गई उन जेएलएफ़ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाता है जहाँ बैंक अग्रणी बैंक है या सहायता संघ (कन्सोर्टियम) का सदस्य है।

10. ट्रेज़री :

फॉरेक्स कारोबार : ट्रेजरी, बैंक का विदेशी विनिमय कारोबार संभालता है तथा फॉरवर्ड,ऑप्शन तथा स्वैप के माध्यम से ग्राहकों को हेजिग सुविधा उपलब्ध करता है। मुंबई में केंद्रीकृत ट्रेजरी के अतिरिक्त, बैंक के नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई तथा कोलकाता में 4 सैटेलाइट डीलिंग रूम हैं ताकि ग्राहकों को बेहतर ग्राहक सेवाएं उपलब्ध कराया जा सकें। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, मर्चेंट तथा इंटरबैंक टर्नओवर क्रमश: रु. 1.61 लाख करोड़ तथा रु. 32.42 लाख करोड़ रहे। इस वित्त वर्ष के दौरान बैंक का फॉरेक्स कारोबार टर्नओवर रु. 34.03 लाख करोड़ रहा।

मुद्रा फ्यूचर की ट्रेडिंग में ट्रेजरी सक्रियतापूर्वक सहभागिता करता है तथा यह सभी एक्सचेजों में एक अग्रणी बैंक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान करेंसी फ्यूचर में बैंक का टर्नओवर यूएसडी 128.60 बिलियन है। बैंक को करेंसी फ्यूचर व्यवसाय के लिए विभिन्न पुरस्कार दिये गए हैं। 2017-18 के लिए बैंक को करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट (बैंक) के अंतर्गत सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए बीएसई के द्वारा "टॉप वैल्यूम परफॉमर" पुरस्कार, एन.एस.सी के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के अंतर्गत करेंसी डेरिवेटिव सेग्मेंट में "मार्केट एचीवर्स अवार्ड" तथा बी.एस.ई के द्वारा सभी बैंको की श्रेणी के अंतर्गत "करेंसी" डेरिवेटिव सेग्मेंट में सर्वोत्तम कार्य निष्पादन पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

ट्रेज़री परिचालन व निवेश : बैंक ने 2018-19 के दौरान के सभी क्षेत्रों में अर्थात-मुद्रा बाजार,फॉरेक्स, बॉण्ड तथा डेरिवेटिव में सक्रिय भूमिका अदा करना जारी रखा। रेपो/टीआरईपीएस विण्डोज़ से उधार लेने हेतु अतिरिक्त एसएलआर का उपयोग करने के लिए बैंक ने समय-समय पर एसएलआर निवेशों को विनियामक आवश्यकता जो कि एन.डी.टी.एल का 19.25% है, उससे अधिक पर बनाये रखा। यथा दिनांक 31.03.2019 को सकल एसएलआर निवेश रु.106,644 करोड़ (कुल निवेश का 73.07%) था और गैर-एसएलआर निवेश रु.38,903 करोड़ (कुल निवेश का 26.93%) रहा। गैर एसएलआर निवेश में रु. 21,699 करोड़ के 'पुन:-पूंजीकरण' के बॉण्ड भी शामिल हैं। ट्रेजरी ने सक्रियतापूर्वक अपने निवेशों पोर्ट फोलियो को प्रबंधित किया है तथा एस.एल.आर ए.एफ़.एस पोर्टफोलियो के एम-ड्यूरेशन को, 31.03.2018 को 4.44 से 31.03.2019 को 2.65 तक कम किया है। ये निवेश,बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक नीति के अनुसार किये जाते हैं और बाज़ार में होने वाले बदलावों/विनियामक आवश्यकताओं से तालमेल बनाए रखने हेतु समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाती है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग :

मोबाइल बैंकिंग

- एन्ड्राइड उपकरणों के लिए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन का आरंभ 1 अगस्त 2018 को तथा आईओएस उपकरणों के लिए 10 अगस्त 2018 को किया गया।
- यह एप्लिकेशन हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला, उड़िया, तमिल तथा तेलगु भाषा में उपलब्ध है।

वेबसाइट संबंधी प्रगति

- नए रूप तथा सभी उपकरणों के अनुकूल विशेषताओं के साथ निजी बैंकों की वेबसाइट के समतुल्य हमारी नई/पुनर्निर्मित वेबसाइट का शुभारंभ माननीय एमडी एवं सीईओ द्वारा 7 दिसम्बर 2018 को किया गया।
- ओटीएस आवेदन को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा उसकी स्थिति को ऑनलाइन जानने के लिए ऑनलाइन ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) एप्लिकेशन
- नवीकृत ऑनलाइन पीओएस सर्वे फार्म
- वेबसाइट द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के निपटान के विषय में फीडबैक प्राप्त करने के लिए शिकायत फीडबैक फार्म
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम ऋण के लिए सेंट्रल प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम (CPTS)
- विदेशी केन्द्रों के लिए भारत द्वारा जारी 12 न्यू जनरेशन वेबसाइट

स्टारडेस्क मोड्यूल्स का निर्माण/स्टारडेस्क में फार्म

- सतर्कता पोर्टल
- निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा पोर्टल
- समवर्ती लेखा परीक्षा फीडबैक फार्म
- मार्केटिंग स्टाफ डैशबोर्ड
- ग्राहक सेवा समिति बैठक
- केन्द्रीकृत भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली

इंटरनेट बैंकिंग

क. इंटरनेट बैंकिंग द्वारा एससीएसएस खाता विवरण - इंटरनेट बैंकिंग में इस सुविधा का प्रारंभ ग्राहकों द्वारा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए किया गया था।

ख. रिटेल इंटरनेट बैंकिंग होम पेज की एफएटीसीए संदेश विज्ञप्ति : एनआरआई ग्राहकों के लिए रिटेल इंटरनेट बैंकिंग में संदेश प्रदर्शित होता है।

ग. इंटरनेट बैंकिंग से बीओआई बीटीएम हटाना : पुरानी मोबाइल बैंकिंग बंद हो जाने के कारण इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पुरानी मोबाइल बैंकिंग को निष्क्रिय करने हेतु स्क्रिप्ट में परिवर्तन किए गए थे।

घ. वैब के माध्यम से ऑनलाइन रिटेल ऋण - ऑनलाइन रिटेल मॉड्यूल को बैंक ऑफ़ इंडिया वैबसाइट के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहक हाइपर लिंक को एक्सेस कर सकेंगे तथा प्रमाणीकरण एवं बाद में सत्यापन हेतु अपेक्षित ब्यौरे को अद्यतन कर सकेंगे, वे मॉड्यूल के माध्यम से दस्तावेज़ अपलोड करके वाहन ऋण/आवास ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त को आगे की कार्रवाई हेतु संबंधित शाखाओं और केप्स को अग्रेषित किया जाएगा।

ङ. विभिन्न माध्यमों द्वारा संचालित- इस एप्लिकेशन का उपयोग विभिन्न माध्यमों तथा उपकरणों द्वारा किया जा सकता है।

च. ग्राहक वित्तीय प्रबंधन- मुख्य विशेषताएँ जैसे कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन ग्राहकों को उन्नत उपकरणों तथा विज़ुअल डैशबोर्ड के माध्यम से अपनी आय को योजनाबद्ध करने, उसका प्रबंधन करने तथा उसे ट्रैक करने मे सक्षम बनाता है।

छ. व्यापक निर्धारित मानदंडों तथा उपयोगकर्ता द्वारा कस्टमाइज़ेशन के माध्यम से डिजिटल चैनल पर उत्पादों और सेवाओं को और अधिक तेज़ी से फैलाना।

ज. एकीकृत बैंकिंग प्लेटफॉर्म- प्रत्येक बैंकिंग क्षेत्र के लिए व्यापक विशेषताओं से लैस।

झ. ओपेन एपीआई के माध्यम से समेकित एकीकरण।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुभाग

एकीकरण की प्रक्रिया वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी थी। इस प्रक्रिया में, हमारे बैंक को क्रमश: उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में कार्यरत निम्नलिखित 2 आरआरबी को हमारे बैंक के वर्तमान आरआरबी-जीबीए एवं एनजेजीबी को शामिल करने के निर्देश दिए गए।

डाटा वेयर हाउस की पहल

- चार मॉड्यूल्स MFTP, PFT, ALM एवं LRM के साथ OFSAA प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन
- NPA मॉडलिंग, क्रॉस सेल एवं अप सेल के लिए डाटा माइनिंग प्रोजेक्ट का विकास। उसमें ग्राहक का प्रोफाइल बनाना तथा खंडीकरण, मार्केट बास्केट एनालिसिस शामिल है। ग्राहक के लेन-देन पैटर्न के साथ व्यवहारिक लक्षणों पर विचार किया जाएगा।
- लेखा-परीक्षा स्वचलीकरण व्यवस्था के लिए निरीक्षण एवं लेखा-परीक्षा विभाग को नियमित डाटा उपलब्ध कराना।
- NeSL प्रोजेक्ट लागू किया
- क्लोजिंग स्टेटमेंट अनुलग्नक - 1,अनुलग्नक - 3 तथा अनुलग्नक - 9 का डिजिटलीकरण
- MSME अनुदान के लिए खातों की पहचान
- MSME क्षेत्र वर्गीकरण का पुनर्निर्माण करना
- उधारकर्ता के हेल्थ प्रोफ़ाइल का विकास
- पूर्व चेतावनी संकेतों की सूचना
- प्रधान कार्यालय के विभागों/एनबीजी/अंचलों को एमआईएस डाटा/ रिपोर्ट्स् उपलब्ध कराना
- एसएपी बीओ निकाय की निगरानी तथा नियंत्रण
- उच्च प्रबंधन डैश -बोर्ड को प्रबंधित करना
- एनपीए खातों का प्रावधानीकरण

- खातों का क्षेत्रवार वर्गीकरण
- सिबिल रिपोर्ट
- उच्च प्रबंधन को प्रतिदिन एनपीए रिपोर्ट उपलब्ध कराना।
- सीए-23 रिपोर्ट बनाना
- विनियामक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रधान कार्यालय को विभिन्न रिपोर्ट्स् उपलब्ध कराना

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली

दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) एक ऐसी व्यवस्था है जिसका प्रयोग दस्तावेज़ों को ट्रैक करने, उनका प्रबंधन करने तथा उनके भंडारण करने एवं कागज की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। यह अलग-अलग उपयोगकर्ताओं द्वारा बनाए तथा संशोधित किये गये विभिन्न प्रारूपों का रिकार्ड रखना सुगम बनाता है।

शाखाओं के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना

- 2 MPBS बैंडविड्थ के साथ 4750 शाखाओं का उन्नयन
- अन्य शाखाओं में साईट्रिक्स सोल्यूशन का प्रयोग किया गया।

कभी भी कहीं भी ऋण संबंधी कार्यवाही - रिटेल लोन टैब/मोबाइल एप्लिकेशन

- अब स्मार्ट फोन/टैब के माध्यम से रिटेल लोन आवेदन भरा जा सकता है।
- आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज़ को तात्कालिक रूप से केप्स में अपलोड किया जा सकता है।
- ग्राहकों के विषय में मूलभूत विवरण को एक एप्लिकेशन में एकत्र किया जाता है।
 - व्यक्तिगत विवरण
 - आय विवरण
 - ऋण संबंधी विवरण
 - केवाईसी विवरण
 - फोटोग्राफ
 - अन्य दस्तावेज़

12. जोखिम प्रबंधन :

जोखिम तथा नियंत्रण :

बैंक ने एकल और समेकित आधार पर संगत जोखिमों का अनवरत मूल्यांकन सुनिश्चित करने हेतु तंत्र स्थापित किए हैं। जोखिम प्रबंधन, बोर्ड द्वारा संचालित कार्य है, जिसमें शीर्ष स्तर पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति होती है जिसको विभिन्न जोखिमों जैसे आस्ति देयता प्रबंध समिति (एएलसीओ), सीआरएमसी (ऋण जोखिम प्रबंधन समिति), एमआरएमसी (बाज़ार जोखिम प्रबंधन समिति) और सीओआरएम (परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति)का प्रबंधन करने के लिए उच्च कार्यपालकों की परिचालन स्तर की समितियों से सहयोग प्राप्त होता है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में पहचान, मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण शामिल है। ये प्रक्रियाएं विभिन्न नीतियों यथा उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम प्रबंधन, परिचालन जोखिम प्रबंधन, बाज़ार जोखिम प्रबंधन, डेरिवेटिव्स (Derivatives), एएलएम, विदेशी विनिमय और डीलिंग रूम परिचालन के अंतर्गत समाविष्ट हैं। सभी गतिविधियों और उत्पादों में संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी व उसका न्यूनीकरण व्यापक विश्लेषण के माध्यम से किया जाता और इसकी जांचपरिचालन स्तर की जोखिम समितियों और कार्यबलों द्वारा की जाती है। चिह्नित जोखिमों के मूल्यांकन/मापन के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं वाले यंत्र व प्रणालियां, नये बेसिल अनुपालक क्रेडिट रेटिंग मॉडल, क्रेडिट लेखा-परीक्षा, बाजार जोखिमों हेतु VaR मॉडल, परिचालन जोखिम के लिए प्रमुख जोखिम संकेतकों की निगरानी के साथ-साथ स्वंय मूल्यांकन प्रक्रिया प्रस्तावित की गई है।

01अप्रैल 2013 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक ने ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत मूल्यांकन पद्धति (SMM) और परिचालन जोखिम के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण के आधार पर बेसिल III विनियमन के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता की गणना करना आरंभ कर दी है। बैंक द्वारा विभिन्न जोखिमों, इसकी जोखिम वहन करने की क्षमता की सीमा और जोखिमों व जोखिम वहन क्षमता के संबंध में आंतरिक पूंजी के समुचित स्तर के मूल्यांकन/मापन के लिए वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (ICAAP) संपन्न की जाती है। अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में भी बैंक को संभावित प्रभाव के बारे में बेहतर जानकारी उपलब्ध करके जोखिम मूल्यांकन को और बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेस परीक्षा प्रक्रिया मौजूद है।

बैंक के बढ़ते हुए कारोबार को देखते हुए आंतरिक नियंत्रकों को सुदृढ़ बनाकर बैंक के ब्रांड, प्रतिष्ठा और आस्तियों की सुरक्षा हेतु सूचना सुरक्षा खतरों से बचना बैंक के सूचना जोखिम प्रबंधन प्रणाली का स्पष्ट उद्देश्य है। बैंक द्वारा तत्काल (real-time) सूचना सुरक्षा उल्लंघन प्रयासों/घटनाओं/ वारदातों की 24x7 निगरानी के लिए विभिन्न सूचना सुरक्षा परियोजनाएं कार्यन्वित की गई हैं। बैंक अपने ग्राहकों और खाता धारकों से संबंधित डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर सतर्क है और इसे साइबर हमले से सुरक्षित करने का अत्यधिक ध्यान रखता है। बैंक द्वारा डेटा सेंटर में आबद्ध सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) स्थापित किया गया है। बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में अनवरत सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिकूल परिस्थितयों से उभरने की समुतिच क्षमता विकसित की है। बैंक आईएसओ 27001 (आईएसएमएस) और आईएसओ 22301 प्रमाणपत्र धारक है और PCI – DSSV3-2 प्रमाण-पत्र प्राप्ति के अग्रिम चरण में है। अन्य उन्नत सुरक्षा यंत्र जैसे विशेषाधिकार (privilege) पहचान प्रबंधन, डेटाबेस गतिविधि निगरानी, वेब एप्लीकेशन फायरवाल, नेटवर्क बिहेवियर अनामली डिटेक्शन (एनबीएडी), Anti-APT (web एवं ईमेल) और Anti–DDoS यंत्र कार्यान्वित कर दिये गए हैं। खतरे को दूर करने, उन्हें रोकने, उनका पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने पर ध्यान देते हुए विभिन्न नए सुरक्षा उत्पाद,

खरीद तथा कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं। सभी संवेदनशील अनुप्रयोगों (Applications) और सेवाओं के लिए नियमित जोखिम व कमजोरी (vulnerability) मूल्यांकन प्रक्रिया समयबद्ध उपचारात्मक गतिविधियों सहित पूरी की जाती है। पूरे बैंक में अध्ययन एवं संचार के विविध माध्यमों से व्यापक स्तर पर स्टाफ के साथ-साथ ग्राहकों के लिए सुरक्षा जागरूकता अभियान, विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।

13. वैकल्पिक डिलिवरी चैनल :

बैंकिंग उद्योग तेजी से बढ़ा है। नोटबंदी के पश्चात् नकदी रहित समाज की ओर बढ़ने की आवश्यकता है और इसलिए डिजिटलाइजेशन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बैंक ऑफ़ इंडिया विभिन्न डिजिटल उत्पाद जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्वाइप करने और भुगतान करने के सभी प्रकार के पीओएस, क्लिक एंड पे, टच एंड पे, इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग के वितरण हेतु बेहतर निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है और इन उत्पादों की सक्रियता और उपयोग भी सुनिश्चित कर रहा है। बैंक ऑफ़ इंडिया ने भारत सरकार द्वारा जारी किए गए यूपीआई/भीम, भारत क्यूआर एवं आधार-पे को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। 31.03.2019 तक पीओएस का वितरण 16,622 से बढ़कर 65,372 हो गया है। नोटबंदी से पहले सक्रिय डेबिट कार्ड जहां केवल 35% थे, अब वे बढ़कर 40% हो गए है, जो डिजिटलाइजेशन की दिशा में हमारी तेज गति को दर्शाता है। बैंक के प्रीपेड कार्ड से पीओएस की उपयोगिता बढ़ी है। बैंक ने पूरे भारत में 2594 डिजिटल गाँव बनाने की पहल की है।

14. संव्यवहार बैंकिंग :

डिजिटल बैंकिंग के जरिए ग्राहकों, विशेष रूप से लार्ज कॉरपोरेट, सरकारी संगठन और उच्च निवल मालियत वाले व्यक्तियों के ''नकदी प्रवाह'' का प्रबंधन करके बैंक के लिए थोक आय और फ्लोट सृजित करने के लिए बैंक ने एक अलग संव्यवहार बैंकिंग विभाग (TrBD) स्थापित किया है। विभाग के कार्य में चेक वसूली, पीडीसी वसूली और प्रत्यक्ष ऋण अधिदेश, अन्य सेवाएं जैसे नकदी प्रबंधन सेवाएं (घर-घर बैंकिंग), ऑनलाइन शेयर व्यापार - (3 in 1 A/cs, ASBA, SYNDASBA), पेमेंट गेटवेज, एनपीसीआई प्लैटफॉर्म पर NACH क्रियाकलाप और स्टार चैनल वित्त का परिचालन शामिल हैं।

विभाग ने विगत वर्ष अर्थात 2017-18 में रु.49.40 करोड़ की आय की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.100.38 करोड़ की आय दर्ज की है।

15. थर्ड पार्टी उत्पाद प्रभाग :

जीवन बीमा :

जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक का अपनी संयुक्त उद्यम जीवन बीमा कंपनी अर्थात् स्टार यूनियन दाई-इची जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड के साथ कॉरपोरेट एजेंसी समझौता है। पूरे भारत में बैंक के पास 8000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो आईआरडीएआई से प्रमाणित 'निर्धारित व्यक्त' हैं। सूडलाइफ के विभिन्न जीवन उत्पादों की बिक्री के अतिरिक्त हम बैंक के रिटेल ऋण के अंतर्गत आवास एवं शिक्षा ऋण के सम्बन्ध में कम प्रीमियम पर वैकल्पिक बीमा प्रदान करते हैं। इस संबंध में बैंक ने वित्तीय 2018-19 में रु.1014.96 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार रु.68.73 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

साधारण बीमा :

दो साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री के लिए बैंक का समझौता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक ने सह-ब्रांडिंग कर ''रिलायंस बीओआई स्वास्थ्य बीमा'' उत्पाद आरंभ किया है जो पूरे परिवार द्वारा प्रयोज्य (फैमिली फ्लोटर) पॉलिसी है। यह प्रतिस्पर्धी प्रीमियम पर बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को उपलब्ध है। बैंक ने रु. 198 करोड़ का साधारण बीमा प्रीमियम प्राप्त किया है तथा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु.23 करोड़ की कमीशन आय अर्जित की है।

केवल (स्टैंडअलोन) स्वास्थ्य बीमा:

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 में बैंक ने 26.24 करोड़ प्रीमियम प्राप्त किये अत: वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.3.16 करोड़ की अनंतिम कमीशन आय अर्जित की।

म्यूचुअल फंड उत्पाद:

हमारे ग्राहकों की सभी वित्तीय आवश्यकताओं के लिए बैंक एकल वित्तीय केन्द्र बना हुआ है। हमारे पास अनेक वित्तीय उत्पाद हैं जिसमें हमारी अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी बीओआई-एक्सा म्यूचुअल फंड सहित 10 आस्ति प्रबंधन कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। हम इनके म्यूचुअल फंड उत्पादों का विपणन करते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने इस क्षेत्र में रु.5.63 करोड़ की अनंतिम आय अर्जित की है।

16. विपणन एवं प्रचार: विपणन एवं प्रचार विभाग

बैंक के छवि निर्माण के साथ-साथ बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं की दृश्यता को बढ़ाने के लिए बैंक का प्रचार एवं जन-संपर्क विभाग, विभिन्न संचार माध्यमों से कॉरपोरेट अभियान चलाता है। मीडिया संबंधी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देशभर में बैंक के विविध उत्पादों का प्रचार-प्रसार, बैंक की थीम लाइन "रिश्तों की जमापूँजी" के साथ किया जाता है। रेडियो चैनलों और टेलीविजन प्लेटफॉर्म से बैंक के उत्पादों का प्रचार-प्रसार जोरदार ढंग से किया गया है। प्रिंट मीडिया में बड़े राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और विभिन्न प्रमुख पत्रिकाओं तथा 'आउट ऑफ़ होम' (ओओएस) गतिविधियों यथा होर्डिंग/बिल बोर्ड/गैन्ट्री के माध्यम से बैंक के उत्पादों का प्रचार किया जाता है।

"ईटी नाउ द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ऑफ़ इंडिया को बैंकिंग श्रेणी के अंतर्गत द्वितीय सर्वाधिक विश्वासनीय ब्रांड घोषित किया गया है।"

17. कारोबार प्रक्रिया पुनर्विन्यास :

बीपीआर विभाग बैंक में मौजूदा प्रणालियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ चेंज मैनेजमेंट के अन्य पहलुओं जिसमें संगठनात्मक संरचना, उत्पाद एवं नीतियां

शामिल हैं, में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। 2018-19 के दौरान की गई **ग्राहक केन्द्रित मुख्य पहल** निम्नलिखित हैं :-

- **डीजी(DIGI) शाखाएं:**

 अतिविशिष्ट ग्राहक अनुभव, खुदरा कारोबार में वृद्धि एवं डिजिटल बैंकिंग के विस्तार हेतु 255 डिजी शाखाओं (पूर्व बीओटीएफ प्रोजेक्ट को पुनर्निमित करके) का आरंभ किया गया है।

- **बैंक चेन में नामांकन:**

 यह प्लेटफार्म बैंक चैन तकनीक का प्रयोग कर रहा है, जो आसानी से सीमापार धन-प्रेषण, कॉरपोरेट केवाईसी, रजिस्ट्री प्रभार, बैंक गारंटी जारी करना, एलसी एवं अन्य डॉक्यूमेन्ट्री क्रेडिट, ट्रेड वित्त आदि की सुविधा देगा, जिसके परिणामस्वरूप ग्राहक को त्वरित सेवाएं मिलेगी।

- **यूएस डॉलर (US Dollar) चेक कलेक्शन सिस्टम:**

 यह सिस्टम ग्लोबल धन-प्रेषण केन्द्र - बीकेसी के माध्यम से यूएस $ चेक कलेक्शन के केन्द्रीकरण एवं सीटीएस के माध्यम से प्रक्रिया के ऑटोमेशन की व्यवस्था करता है। इससे कूरियर प्रभार एवं प्रेषण समय कम होता है, जिसका परिणाम उच्च ग्राहक संतुष्टि है।

- **एफसीएनआर (बी) जमा, डायमण्ड डॉलर एवं आरएफसी खाते:**

 आसान कार्यपद्धति, स्वत: समाधान एवं बेहतर ग्राहक अनुभव हेतु केवल 2 लिंक शाखाओं मुंबई एनआरआई एवं मुंबई ओवरसीज के साथ सरलीकृत एवं सुव्यवस्थित कार्यवाही।

- **शाखाओं का वर्गीकरण :**

 सही स्टाफ एवं ग्राहक सेवा प्रस्तुति की सुगमता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित मानदण्डों के तहत शाखाओं का पुन:वर्गीकरण किया गया है।

- **सेवा प्रभारों का रेशनलाइजेशन :**

 उद्योग में अन्य की तुलना में सस्ता एवं ग्राहक फ्रेंडली बनाने के क्रम में हमारे सेवा प्रभारों को रेशनालाइज किया गया है।

- **आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे बैंक के साथ स्विफ्ट (SWIFT) का केन्द्रीकरण :**

 धोखाधड़ी से बचने एवं अपने ग्राहक को बेहतर, सुगम एवं विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीकरण स्विफ्ट (SWIFT) परिचालन को फिनेकल से लिंक करने की प्रक्रिया में है।

- **स्टार परामर्श - स्टाफ परामर्श योजना :**

 सम्मेलन, कॉन्क्लेव एवं प्रशिक्षण केन्द्रों सहित सभी फोरम पर प्रभावी परिचालन एवं प्रभावकारी सेवाओं के लिए स्टाफ द्वारा दिए गए सभी विचारों एवं सुझावों को शामिल करने के लिए योजना में विस्तार किया गया है। वर्ष के दौरान 1841 सुझाव प्राप्त हुए जिसमें से 142 सुझावों का कार्यान्वयन के लिए चयन किया गया एवं 14 को पुरस्कृत किया गया।

18. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा :

बैंक में जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (घरेलू), समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा तथा विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा के संबंध में बोर्ड अनुमोदित नीति उपलब्ध है। इन नीतियों को, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने तथा आरबीआई एएफआई रिपोर्ट में उल्लिखित क्षेत्रों को कवर करने तथा साथ ही बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के निर्देशों के अनुसार समीक्षित/संशोधित किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, विभाग ने 4116 शाखाओं की लेखापरीक्षा आयोजित की। समवर्ती लेखापरीक्षा में एफसीए द्वारा 789 शाखाओं, ट्रेजरी शाखा, डाटा सेंटर तथा प्रधान कार्यालय के विभागों को कवर किया जाता है तथा बैंक के आंतरिक अधिकारियों द्वारा सभी विदेशी शाखाओं को कवर किया गया है। बाह्य लेखा परीक्षा फर्म द्वारा न्यूयॉर्क तथा सिंगापुर शाखा की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा 50% वैश्विक जमा तथा 50% वैश्विक अग्रिम को कवर किया गया।

बैंकने निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु समय-समय पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं:

- "उच्च जोखिम तथा अधिक" रेटिंग वाली शाखाओं में विवेकाधीन लेखापरीक्षा आयोजित की गई।
- संवेदनशील शाखाओं सहित अंचलों की अकस्मात लेखापरीक्षा की गई।
- लेखापरीक्षाधीन शाखाओं में निवारक सतर्कता उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन।
- निर्यात संव्यवहारों/आयात अग्रिम विप्रेषणों से संबंधित संव्यवहारों की जांच/सत्यापन के लिए चयनित प्राधिकृत डीलर शाखाओं की विशेष लेखापरीक्षा।
- बैंक के आंतरिक सूचना सिस्टम लेखापरीक्षकों द्वारा डाटा सेंटर तथा आपदा रिकवरी साइट की आईएस लेखापरीक्षा।
- ब्याज मानदंडों के सत्यापन, ब्याज प्रक्रिया को लागू करने तथा नमूना खातों में ब्याज की जाँच को सुनिश्चित करने हेतु डाटा सेंटर की समवर्ती लेखापरीक्षा।
- शीर्ष प्रबंधन, कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति तथा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को सभी महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निर्देशों के अनुसार नियमित रिपोर्टिंग की जाती है।
- बैंक में समवर्ती लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, प्रबंधन लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की प्रक्रिया ऑनलाइन है।
- बैंक ने यूनिफाइड ऑडिट मैनेजमेंट सॉल्यूशन(यूएएमएस) अर्थात् स्टार ऑडिट 2018 लागू किया। आरबीआईए तथा समवर्ती परीक्षा ये दो मॉड्यूल सक्रिय हैं।

19. विधि विभाग

बैंक का विधि विभाग सपोर्ट विभाग के रूप में कार्य करता है तथा प्रधान कार्यालय के विभिन्न कार्यात्मक विभागों में सामने आने वाले मामलों पर सलाह, प्रलेखीकरण, मुकदमों इत्यादि के संबंध में प्लैटफार्म उपलब्ध कराता है।

विभिन्न एनबीजी/अंचलों, घरेलू शाखाओं/विदेशी शाखाओं तथा बैंक की अनुषंगियों द्वारा संदर्भित मामलों पर कार्रवाई करने के अतिरिक्त यह विभाग विभिन्न संविदाओं/सेवा स्तरीय करारों (एसएलए), सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर खरीद, विभिन्न प्रकार की टाई-अप व्यवस्था/नये उत्पाद इत्यादि के प्रलेखों की ड्राफ्टिंग/वेटिंग के द्वारा विशेषज्ञ विभागों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग, कोषागार विभाग, कार्ड उत्पाद विभाग, संव्यवहार बैंकिंग विभाग इत्यादि विशेषज्ञ विभागों की आवश्यकता भी पूरी करता है।

सूचना के अधिकार ने समाज में महत्वपूर्ण स्थान अर्जित किया है तथा विभिन्न स्तरों पर बैंक के द्वारा विभिन्न आवेदन प्राप्त किये जाते हैं। बैंक ने विभिन्न अंचलों/एनबीजी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये हैं। विधि विभाग के उप महाप्रबंधक (विधि), प्रधान कार्यालय को बैंक का सीपीआईओ नामित किया गया है तथा महाप्रबंधक, विधि विभाग को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। आवेदन या अपील को निपटाने की प्रक्रिया यह है कि विभिन्न विभागों से वांछित जानकारी को एकत्र किया जाता है तथा 30 दिनों की निर्धारित अवधि के दौरान उसे आवेदकों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही इससे संबंधित विशिष्ट बिन्दुओं पर अन्य अंचलों/एनबीजी का मार्गदर्शन किया जाता है।

इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विधि विभाग, विधियों में संशोधन तथा नये विधानों पर एनबीजी/अंचलों को परिपत्र जारी करता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त विधि विभाग निम्नलिखित से संबंधित कार्य भी करता है।

- बैंक द्वारा दायर वादों के संबंध में वाद पत्र का अनुमोदन तथा वैसे वादों की निगरानी करना।
- बैंक के विरुद्ध दायर रिट, वादों, अपीलों, दावों इत्यादि पर परामर्श देना, आवेदनों/शपथ पत्रों इत्यादि, जहाँ भी लागू हों, उनकी जाँच करना।
- नयी विधियों/संशोधनों सहित विभिन्न अधिनियमों, जिन पर विचार हो रहा है, उनसे संबंधित विभिन्न मामलों पर मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा आईबीए के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देना।
- शेयर विभाग के शेयर अंतरण मामले पर राय देना।
- बैंक के विरुद्ध वाद/बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है/प्रावधान आवश्यकताएं/अंचलों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई इत्यादि।
- वाद दाखिल/डिक्री किए गए मामलों से संबंधित डाटा/सांख्यिकी एकत्रित तथा संकलित करना तथा विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारतीय रिज़र्व बैंक, वित्त मंत्रालय इत्यादि को प्रस्तुत करना। इसके अतिरिक्त विधि विभाग आरबीएस डाटा से संबंधित कार्रवाई भी करता है।

20. अनुपालन विभाग

वर्ष 2008 से बैंक में स्वतंत्र अनुपालन विभाग है। विभाग का नेतृत्व महाप्रबंधक श्रेणी के मुख्य अनुपालन अधिकारी करते हैं। बैंक के घरेलू और विदेशी परिचालन दोनों के लिए बैंक की सांविधिक, विनियामक एवं आंतरिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करना इसका कार्यक्षेत्र है।

बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन कार्यनीति को अपना रहा है। बैंक के घरेलू परिचालनों के विभिन्न कार्य क्षेत्रों हेतु अनुपालन नियमों को अपनाकर बैंक अपने अनुपालन संस्कृति को निरंतर बढ़ा रहा है।

अनुपालन विभाग विनियामक दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का छमाही निरीक्षण कार्य, तिमाही अनुपालन निरीक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के अंतर्गत की गई कार्रवाई का अनुपालन तथा अविरत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ट्रांश ष्ष्ष संबंधी अनुपालन नियमों का परीक्षण कर रहा है।

बैंक में अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) दिशानिर्देशों को लागू करने/निगरानी करने की ज़िम्मेदारी भी विभाग को सौंपी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार सभी खातों में केवाईसी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। धन शोधन अधिनियम 2002 (पीएमएल अक्त) के प्रावधान तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार इसके तहत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों की तरह नियम बनाए गए हैं, बैंक ने उन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी/एएमएल/सीएफ़टी नीति में जोड़ा है, जिन्हें भारत में स्थित शाखाओं ने अपनाया है। सभी ग्राहकों को जोखिम अवधारणा के आधार पर उच्च, माध्यम और निम्न जोखिम वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, जोखिम वर्गीकरण की समीक्षा प्रति छमाही आधार पर की जाती है। विभाग स्टाफ सदस्यों को केवाईसी/एएमएल और उसके अनुपालन से संबंधित पहलुओं पर प्रशिक्षण देना भी सुनिश्चित करता है।

अनुपालन विभाग सभी विनियामक एजेंसियों के लिए संपर्क का सिंगल पॉइंट है। यह जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्य में आरबीआई को जवाब देने हेतु फोकल पॉइंट है। बैंक के समस्त विभागों के समन्वयन से आरबीएस रिपोर्ट तैयार की जाती हैं तथा अनुपालन विभाग इन्हें आरबीआई में प्रस्तुत करता है।

विदेशों में स्थित कार्यालयों जो अपने संबंधित क्षेत्र आधारित नीतियों के साथ ही केवाईसी-एएमएल-सीएफ़टी नीतियों का पालन करते हैं, के अनुपालन संबंधी कार्यों का निरीक्षण प्रधान कार्यालय का अनुपालन विभाग करता है। प्रत्येक विदेश स्थित शाखा/सहयोगी संस्था में संबंधित अनुपालन कार्यों को करने हेतु एक अनुपालन अधिकारी होता है। विदेश स्थित शाखाएँ लागू विनियामक अपेक्षाओं (स्वदेश/मेजबान देश के विनियामक दिशानिर्देश, जो भी सख्त हो) का पालन करती है तथा तत्संबंधी पुष्टीकरण/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। विदेश स्थित प्रत्येक शाखा का अनुपालन अधिकारी तिमाही आधार पर अनुपालन संबंधी जांच करता है तथा प्रधान कार्यालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

21. राजभाषा

बैंक में एक सुस्थापित राजभाषा विभाग है जो भारत सरकार की राजभाषा नीति से संबंधित प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोगों को सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान नराकास नागपुर को 'ख' क्षेत्र में कीर्ति पुरस्कार(द्वितीय) से सम्मानित किया गया तथा नराकास मुज़फ़्फ़रपुर को भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है । बैंक इन दोनों नराकास का संयोजक है तथा कुल 6 नराकास के संयोजन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा रहा है। राजभाषा हिन्दी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत अंचलों को 28 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बैंक ने 166 हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया है जिसमें 4388 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा स्टाफ सदस्यों के लिए भारत सरकार, हिन्दी शिक्षण योजना के तहत 'पारंगत' कक्षा चलाई गई। विश्व हिन्दी दिवस (10 जनवरी, 2019) के अवसर पर देश में विभिन्न विद्यालयों में वाद-विवाद तथा भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया , जिसमें अनेक छात्र/छात्राओं ने भाग लिया तथा मेधावी छात्र-छात्राओं का सम्मान किया गया। राजभाषा ई-लर्निंग मॉडयूल विकसित किया गया जिसे अब तक 10131 स्टाफ सदस्यों ने उत्तीर्ण किया है। 15 अगस्त से 14 सितम्बर, 2018 तक हिन्दी माह मनाया गया जिसमें स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे बैंक के दिव्यांग (दृष्टिहीन) राजभाषा अधिकारियों के लिए एक राजभाषा अधिकारी द्वारा 'ब्रेल लिपि ' में राजभाषा नीति व नियमों को लिखा गया है। विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में एसएमएस भेजे जाते हैं।

22. मानव संसाधन, अध्ययन एवं विकास और गृहपत्रिका :

एचआर रूपांतरणीय कार्यनीति; क्षमता संवर्धन पर ज़ोर दिया जा रहा है जिससे समुचित कौशल युक्त स्टाफ की उपलब्धता, वर्तमान स्टाफ का इष्टतम उपयोग तथा कौशल में कमी को पूरा करते हुए स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कारोबार कार्यनीति योजना के अनुरूप वर्तमान एवं भविष्य के मानव संसाधनों की उपलब्धता; बदलते समय के साथ कदम-से-कदम मिलाने हेतु मानव संसाधन रूपांतरण पर निरंतर ध्यान देना। वर्ष के दौरान बैंक ने 350 सामान्य बैंकिंग अधिकारी, 241 विशेषज्ञ अधिकारी और 1899 लिपिक भर्ती किए हैं। कॉरपोरेट क्रेडिट, जोखिम प्रबंधन, कोषागार, आईटी और विपणन जैसे क्षेत्रों में मानव कौशल में कमी को पूरा करने हेतु बैंक निरंतर प्रयासरत है।

आरक्षण नीति का अनुपालन :

बैंक, भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है। प्रधान कार्यालय और आंचलिक कार्यालयों में भर्ती अनुभाग एवं एससी/एसटी कक्ष आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं तथा एससी/एसटी/ओबीसी कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निवारण करते हैं। प्रधान कार्यालय में महाप्रबंधकों को एससी/एसटी एवं ओबीसी हेतु मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप पद-आधारित आरक्षण रोस्टर रखे जाते हैं।

एससी/एसटी/ओबीसी स्टाफ (भारतीय) का प्रतिनिधित्व :

मार्च-2019	अधिकारी	लिपिक	अधीनस्थ कर्मचारी	कुल
कुल	**22061**	**19551**	**7195**	**48807**
एससी	3968	3099	2395	9462
कुल स्टाफ की तुलना में %	**17.98**	**15.85**	**33.29**	**19.39**
एसटी	1882	2258	830	4970
कुल स्टाफ की तुलना में %	**8.53**	**11.55**	**11.54**	**10.18**
ओबीसी	5334	4611	1646	11591
कुल स्टाफ की तुलना में %	**27.18**	**23.58**	**22.88**	**23.75**

अध्ययन एवं विकास : अध्ययन एवं विकास विभाग

प्रशिक्षण एवं प्रतिभा विकास कार्यक्रमों हेतु अध्ययन एवं विकास के लिए एक अलग कक्ष कार्यरत है। बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर बदलती व्यावसायिक गतिशीलता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने तथा स्टाफ को सही कौशल तथा जानकारी प्रदान करने हेतु ई-लर्निंग मॉड्यूल की शुरूआत की गई। 26107 अधिकारियों ने विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल उत्तीर्ण किए हैं। बैंक के 7 प्रशिक्षण कॉलेजों ने वर्ष के दौरान आरआरबी सहित अन्य संस्थानों के 2800+ स्टाफ सदस्यों तथा 469 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया है। स्टार एकलव्य योजना के अंतर्गत, (जहां सेवानिवृत्त कार्यपालकों ने अपनी सेवाएं प्रदान की तथा प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा किये) कुल 9529 प्रतिभागियों को विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया गया तथा स्थानीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (जहाँ आंचलिक कार्यालय के अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया) कुल 1453 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। नए भर्ती हुए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए, मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। बैंक के महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से क्षमता निर्माण प्रमाणन कार्यक्रम भी आरंभ किया गया। सहायक महाप्रबंधकों के लिए कार्यपालक विकास कार्यक्रम इन-हाउस आयोजित किए गए तथा उप महाप्रबंधकों हेतु ये कार्यक्रम एक प्रतिष्ठित संस्थान के संकाय सदस्य की मदद से इन-हाउस आयोजित किये गए। नेतृत्व कौशल पर बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु महाप्रबंधकों को एक प्रतिष्ठित संस्थान में नामित किया गया। चयनित कार्यपालकों को भी अन्य संस्थान में साइबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। बैंक ने दृष्टिबाधित स्टाफ सदस्यों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, ताकि वे अपना कार्य अधिक संतुष्टि व सरलता से कर सकें।

बैंक की गृह पत्रिका 'तारांगण (द्विभाषिक) एवं बीओआई वार्ता

बैंक में आंतरिक संचार विभाग का गठन किया गया है। इस विभाग में कर्मचारियों के लिए कारपोरेट गृह पत्रिका' तारांगण (वर्ष 1964 से)' और हिंदी पत्रिका 'बीओआई वार्ता' (सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप कर्मचारियों के मध्य हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु) तथा स्टार परिवार@112 फेसबुक ग्रुप शामिल है।

आंतरिक प्रकाशन कर्मचारियों को बैंक से जोड़ने का महत्वपूर्ण उपकरण है। बैंक के प्रकाशन, कर्मचारियों को अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करने अपनी उपलब्धियों को साझा करने और विविध विषयों में अपनी सृजनात्मकता और ज्ञान को प्रदर्शित करने हेतु एक प्रभावी प्लेटफार्म के रूप में कार्य कर रहा है। दोनों पत्रिकाओं में अंचलों/शाखाओं/भारत के कार्यालयों तथा विदेशों में होने वाले सामाजिक, प्रचार संबंधी, स्टाफ की उपलब्धियाँ, पुरस्कार तथा अन्य कारोबारी गतिविधियाँ प्रकाशित होती हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान तारांगण को भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुए। बैंक के 113 वें स्थापना दिवस पर पेपरलेस मानव संसाधन को बढ़ावा देने हेतु हमारे एमडी एवं सीईओ द्वारा कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के माध्यम से दोनों पत्रिकाओं की ई-कॉपी का लोकार्पण किया गया।

स्टार परिवार@112

सोशल मीडिया प्लेटफार्म की शक्ति का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंक द्वारा बैंक के सभी कार्यरत कर्मचारियों हेतु क्लोज़ फेसबुक ग्रुप स्टार परिवार@112 शुरू किया गया। यह प्लेटफर्म बहुत ही सफल रहा तथा स्टाफ सदस्यों द्वारा इसे बड़े स्तर पर सराहा गया। इस प्लेटफार्म का प्रयोग स्टाफ द्वारा जानकारी साझा करने, विविध मामलों पर सामान्य चर्चा करने, व्यक्तिगत तथा आंचलिक एवं शाखा स्तर की कारोबार उपलब्धियों के प्रदर्शन और विविध दैनंदिन कारोबारी गतिविधियों, कार्यक्रमों और प्रशिक्षणों इत्यादि साझा करने हेतु किया जाता है। यह पहल कर्मचारियों को बैंक से जोड़ने में सफल रही है।

23. ग्राहक श्रेष्ठता शाखा बैंकिंग :

मारा बैंक भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) की शुरुआत अर्थात वर्ष 2006 से, सदस्य है। हमारा बैंक पारदर्शी तरीके से उच्च स्तरीय सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा बैंक नियमित आधार पर ग्राहक अभिमुखता कार्यक्रम चलाता है और ग्राहकों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित आधार पर ग्राहक बैठकों का आयोजन करता है ताकि उन्हें बैंक के द्वारा प्रस्तुत विविध बैंकिंग उत्पादों पर उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके।

विविध नीतियां जैसे कि ग्राहक अधिकार नीति, ग्राहक स्वीकार्यता नीति, ग्राहक सेवा नीति, आंतरिक लोकपाल नीति एवं शिकायत निवारण नीति इत्यादि विनियामक आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध है और इसमें बदलावों को शामिल करने हेतु समय-समय पर समीक्षा की जाती है और इसे बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है।

शाखाओं में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए बैंक द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाये गए :

- हमारे अंचलों ने ग्राहकों को उनके अधिकारों एवं उनके प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस वर्ष तिमाही ग्राहक सेवा बैठकों के अलावा ग्राहक जागरूकता बैठकों का भी आयोजन किया है। पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर कुल 54 बैठकों का आयोजन किया गया है।
- ग्राहकों को 24*7 सहायता प्रदान करने के लिए हमने 7 सितम्बर, 2018 से एरोली (मुंबई) एवं हैदराबाद में पूर्ण-विकसित कॉल सेंटर का आरंभ किया है।
- हमने अपने परिचालनात्मक ग्राहक संबंध प्रबंधन में फीडबैक प्रणाली को भी शामिल किया है जिससे कि उनके शिकायत निवारण में ग्राहकों के संतुष्टि स्तर का विश्लेषण किया जा सके।
- बैंक ने आंतरिक प्रणाली में टिकर (Ticker) के माध्यम से स्टाफ हेतु ग्राहकों के लिए चुनिंदा शाखाओं में एटीएम स्क्रीन/डिजिटल संकेतक प्रणाली पर और जागरूकता अभियान शुरू किया है।
- अनुपालन सत्यापन आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल किया गया है जिसमें बेहतर ग्राहक सेवा/कोड प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में स्टाफ को जानकारी दी जाएगी।
- हमने स्टाफ सदस्यों के सुलभ संदर्भ हेतु स्टार डेस्क पर ई-बुक रखी है जिसमें शिकायत निवारण नीति, ग्राहकों हेतु बीसीएसबीआई कोड, एमएसएमई हेतु बीसीएसबीआई (BCSBI) कोड एवं बैंकिंग लोकपाल योजना (समय-समय पर सम्मिलित बदलावों के साथ) शामिल है।
- हमारे विविध उत्पादों एवं सेवाओं के लिए ग्राहकों से फीडबैक एवं सुझावों हेतु पूरे भारत में तृतीय पक्ष द्वारा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है।

24. शाखा नेटवर्क और विस्तार :

भारत और विदेश में भौगोलिक दृष्टि से बैंक का शाखा नेटवर्क फैला हुआ है। यथा दिनांक 31.03.2019 को भारत में बैंक की 5092 शाखाएं थी। विदेशों में 54 शाखाएं और 2 प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा सभी टाइम ज़ोन एवं वैश्विक स्तर पर सभी महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रों पर बैंक की उपस्थिति है। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने कोई नई शाखा नहीं खोली है। बैंक का शाखा नेटवर्क निम्नानुसार है :-

श्रेणी	31.03.2018		31.03.2019	
	शाखाओं की संख्या	कुल का प्रतिशत	शाखाओं की संख्या	कुल का प्रतिशत
महानगरीय	885	17.26	994	19.52
नगरीय	860	16.77	812	15.95
अर्द्ध नगरीय	1371	26.75	1454	28.55
ग्रामीण	2011	39.22	1832	35.98
कुल घरेलू शाखायें	5127	100	5097	100
विदेशी	59	-	56	-
कुल शाखायें	5186	-	5148	-

25. बैंक की अनुषंगियां/सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम :

बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड (बीओआईएसएल)

बैंक का बीओआईएसएल (बीओआईएसएल) में निवेश रु.6.64 करोड़ है, जो बैंक की 100% अनुषंगी है। बीओआईएसएल राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि.

(एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) दोनों निक्षेपागारों हेतु निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के रूप में कार्य करता है। कंपनी महाराष्ट्र, गुजरात, नई दिल्ली, तामिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तरप्रदेश सरकार की ओर से ब्रोकर टर्नओवर स्टाम्प शुल्क के संग्रहण का भी कारोबार करता है।

बीओआई एक्सा निवेश प्रबंधक प्रा.लि. तथा बीओआई एक्सा ट्रस्टी सेवा प्रा.लि. :

ये अनुषंगी, सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र विनियम के तहत म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन के कारोबार में है। बैंक ऑफ़ इंडिया रु.60.69 करोड़ के निवेश के साथ इन दोनों कंपनियों में 51% शेयरधारक है।

बीओआई मर्चेंट बैंकर लि. (BOIMBL) :

BOI मर्चेंट बैंकर्स को 31.10.2014 को सामूहिक ऋण, बॉन्ड तथा डिबेंचर की व्यवस्था करने सहित मर्चेंट बैंकिंग कारोबार करने हेतु संस्थापित किया गया था। रु.10 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ यह बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है।

एसटीसीआई फाइनांस लि.

1994 में स्थापित एसटीसीआई वित्तीय लि. जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। बैंक ऑफ़ इंडिया एसटीसीआई में रु.380 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के साथ 29.96% धारिता वाला सबसे बड़ा हितधारक है। एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लि. (एसटीसीआईपीडी), एसटीसीआई फाइनांस लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी है। एसटीसीआईपीडी ने 25 जून 2007 से परिचालन शुरू किया तथा यह देश की अग्रणी डीलरों में से एक है।

स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (सुड लाइफ)

अपने ग्राहकों को जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जापान ने "स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी" का गठन किया है। कंपनी ने फरवरी 2009 से बीमा कारोबार आरंभ किया। कंपनी में बीओआई की धारिता 28.96% (रु.75 करोड़ का निवेश) है, यूबीआई की धारिता 25.10% तथा दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की धारिता 45.94% है।

निवेश/गठबंधन:

एएसआरईसी (इंडिया) लि. को जांच तथा आस्ति पुनर्गठन गतिविधियां करने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रम द्वारा शुरू किया गया था। कंपनी की रु.98 करोड़ की इक्विटी पूंजी में बैंक की हिस्सेदारी 26.02% है।

नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लि. (एनसीएमएल) को नेशनल कमोडिटी एण्ड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लि. (एनसीडीईएक्स) द्वारा प्रवर्तित है। यह प्रतिभूतियों तथा वस्तुओं के सुरक्षित प्रबंधन तथा नियंत्रण रखने के लिए संपार्श्विक प्रबंधन सेवाओं को बढ़ावा देने तथा उपलब्ध कराने हेतु 28.09.2004 को निगमित हुआ। रु.3 करोड़ की प्रदत्त पूंजी निवेश के साथ कंपनी की इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता 2.34% है।

स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्रा.लि. एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसे स्विफ्ट और बैंक ऑफ़ इंडिया सहित 9 प्रमुख बैंकों द्वारा प्रोन्नत किया गया है। स्विफ्ट के पास इक्विटी की 55% धारिता है और शेष 45% धारिता 9 प्रमुख बैंकों के पास है। कंपनी में रु.7.71 करोड़ के निवेश के साथ बैंक ऑ. फ इंडिया का इक्विटी स्टेक 3.26% है।

एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च लि.(पहले एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ़ इंडिया लि. (SMERA) एक प्रमुख ऋण रेटिंग एजेंसी डून एण्ड ब्रैडस्ट्रीट के सहयोग से सिडबी द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान SMERA की स्थापना की गई। एसएमईआरए का प्रमुख उद्देश्य एक व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करना है जिससे एसएमई क्षेत्र को बड़ी मात्रा में और आसानी से ऋण की उपलब्धता होगी। रु.0.28 करोड़ के निवेश के साथ इसकी इक्विटी पूंजी में बैंक की धारिता मात्र 1.88% है।

अन्य महत्वपूर्ण निवेश :

बैंक का, सीईआरएसएआई (रु.2.15 करोड़) इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सर्विसेस लि. (रु.4.73 करोड़), यू.वी.एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कं.लि. (रु.0.15 करोड़), क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (रु.0.50 करोड़), एग्रीकल्चरल फाइनांस कॉरपोरेशन लि. (रु. 1.26 करोड़) सिडबी (रु.45.30 करोड़), सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन लि. (रु.1.11 करोड़), लॉस डाटा कंसोर्टियम सीओआरडीईएक्स (रु. 1 करोड़) एसबीआईडीएफ़एचआई (रु. 5.54 करोड़), एनपीसीआई (रु. 10 करोड़), एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लि. (रु. 1 करोड़) सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेस इंडिया लि. (रु.1 करोड़) इन्वेस्ट एसेट सिक्यूरिटी स्टेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. (रु.10 करोड़) में भी महत्वपूर्ण निवेश है।

26. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन :

उत्तम कारपोरेट शासन, धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करता है। यह सच है कि धोखाधड़ी को समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सक्रिय फ्रेमवर्क और दृष्टिकोण के साथ, अन्य कारोबारी जोखिमों की तरह धोखाधड़ी जोखिमों का प्रबंधन किया जा सकता है और कम किया जा सकता है।

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन विभाग निम्न क्षेत्रों में सभी धोखाधड़ी संबंधी मामलों की स्वतंत्र रूप से देखरेख करता है:

- बैंक हेतु एफ़आरएम नीति तैयार करना एवं उसका प्रशासन।
- नियत समय के भीतर आरबीआई को रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी की निगरानी करना।
- धोखाधड़ियों पर केंद्रीकृत डाटा का रखरखाव।
- की गई धोखाधड़ियों और धोखाधड़ियों के प्रयास का विश्लेषण।
- धोखाधड़ी मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और निदान तथा उपचारी उपायों का कार्यान्वयन, उत्पाद की कमियों के संबंध में जोखिम कम करना।
- परिपत्रों/अनुदेशों के जरिए समान प्रकृति के धोखाधड़ी की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी के कारणों की जानकारी देना ताकि उक्त प्रकार की धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

- स्टाफ को धोखाधड़ी निवारण पर शॉर्ट अलर्ट संदेशों टिकरों/ आवधिक संदेशों एमएमएस/प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जागरूक करना।
- धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए आवधिक अंतराल पर जाँच बिंदु परिचालित करना।
- पुलिस मामलों और एफआईआर पर अनुवर्ती कार्रवाई करना।
- प्रधान कार्यालय में धोखाधड़ी पर कार्यबल समिति की बैठक का आयोजन करना और धोखाधड़ियों पर आंचलिक कार्यबल समिति की बैठक की निगरानी करना।
- विभाग सभी वितरण चैनलों को शामिल करने वाले नए उद्यम व्यापक धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

27. सतर्कता प्रबंधन :

सतर्कता तंत्र का संचालन वित्त मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को सतर्कता मामलों से संबन्धित मुद्दों पर तथा अनुशासनात्मक विषयों पर संबन्धित मामलों में सामान्य बैंकिंग अधिकारी जो संबन्धित पृष्ठभूमि/ज्ञान से हैं, सहयोग प्रदान करते हैं। सतर्कता विभाग सतर्कता निवारक उपायों के साथ-साथ इनके प्रवर्तन और प्रसार पर भी विशेष ध्यान देता है। बैंक के एनबीजी कार्यालयों में 8 अलग "सतर्कता इकाइयां" हैं। सतर्कता विभाग बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा सलाह हेतु प्रेषित मामलों में भी उचित सलाह देता है।

28. लाभांश वितरण नीति :

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 43A के अनुसार बैंक ने लाभांश वितरण नीति बनाई है और यह हमारी वेबसाइट - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf पर उपलब्ध है।

29. कारोबार दायित्व रिपोर्टिंग 2018-19 :

सेबी - सूचीकरण दायित्व और प्रकटन आवश्यकता विनियमन के खंड 32(2) (एफ) के अनुसार कारोबार दायित्व रिपोर्ट, हमारी वेबसाइट - www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।

30. बासेल III (स्तंभ3)-प्रकटन(समेकित)मार्च 2018 :

बासेल पूँजी विनियम पर आरबीआई परिपत्र DBOD.NO.BP. BC.1/21.06.201/2015-16 दिनांक 1 जुलाई 2015 के अनुसार पूँजी पर्याप्तता और चलनिधि मानक संशोधनों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश को आरबीआई परिपत्र DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 दिनांक 31 मार्च 2015 के साथ पढ़ा जाए, बैंको को बासेल III फ्रेमवर्क के तहत लीवरेज अनुपात और चलनिधि कवरेज अनुपात सहित स्तंभ 3 प्रकटन को लागू करना आवश्यक हैं। ये प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर लिंक http://www.bankofindia.co.in/regDisclosureSec.aspx पर उपलब्ध है।

आभार

बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रति उनके यथोचित मार्गदर्शन तथा सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बोर्ड वित्तीय संस्थाओं एवं संपर्ककर्ता बैंकों के प्रति भी उनके सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। बोर्ड ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों एवं शोयरधारकों की असीमित सहायता हेतु आभार व्यक्त करता है। साथ ही बोर्ड बैंक के समग्र निष्पादन के लिए स्टाफ सदस्यों के प्रति भी उनकी समर्पित सेवाओं और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

बोर्ड के निदेशकों के लिए एवं उनकी ओर से

दीनबंधु मोहापात्रा
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थल : मुंबई
दिनांक : 28.05.2019

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

GLOBAL SCENARIO

International Monetary Fund's (IMF) recent World Economic Outlook (WEO) states that global economic activity slowed notably in the second half of last year, after strong growth in 2017 and early 2018, reflecting a confluence of factors affecting major economies. IMF has now projected global growth to slow from 3.6% in 2018 to 3.3% in 2019.

This slowdown was a result of the confluence of factors affecting major economies. China's growth declined following a combination of needed regulatory tightening to rein in shadow banking and an increase in trade tensions with the United States. The euro area economy lost more momentum than expected as consumer and business confidence weakened and car production in Germany was disrupted by the introduction of new emission standards; investment dropped in Italy as sovereign spreads widened; and external demand, especially from emerging Asia, softened.

Elsewhere, natural disasters real sector activities in Japan. Trade tensions effected business confidence which worsened financial market sentiments, with financial conditions tightening for vulnerable emerging markets in early 2018 and then in advanced economies later in the year, weighing on global demand. Conditions have eased in 2019 as the US Federal Reserve signaled a more accommodative monetary policy stance and markets became more optimistic about a US–China trade deal, but they remain slightly more restrictive than in the later part of the year.

Consumer price inflation remained muted across advanced economies, given the drop in commodity prices. For some emerging market economies, currency depreciations have passed through to higher domestic prices, partially offsetting downward pressure from lower commodity prices.

DOMESTIC ECONOMIC SCENARIO

The provisional estimates of National Income during FY 2018-19 were released by the National Statistical Office (NSO) in May 2019. As per this release, the Gross Domestic Product (GDP) has been estimated to have grown by 6.8% during the year, compared to 7.2% growth attained during last fiscal year. Growth of real GVA at Basic Prices in 2018-19 is estimated at 6.6% as against 6.9% in 2017-18. The sectors which registered growth rate of over 7.0% were, 'Electricity, Gas, Water Supply and Other Utility Services', 'Construction', 'Financial, Real Estate and Professional Services', 'Public Administration, Defence and Other Services'. The growth in the 'agriculture, forestry and fishing', 'mining & quarrying', 'manufacturing' and 'trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting' is estimated to be 2.9%, 1.3%, 6.9% and 6.9%, respectively.

The cumulative growth in the Index of Industrial Production (IIP) for the period April-March 2018-19 over the corresponding period of the previous year was at 3.6% (as against 4.4% in the previous fiscal). Within this, the growth in Mining, Manufacturing and Electricity segments were 2.9%, 3.5% and 5.2%, respectively. The performance of these major segments was a tad lower than that of the previous year.

Retail inflation, measured by the Consumer Price Index (CPI), remained benign at 3.4% during FY 2018-19, which was below the RBI's comfort levels. CPI inflation declined sharply since mid-2018, driven by the sustained fall in food inflation (even turning into deflation during October 2018-February 2019). CPI inflation excluding food and fuel also moderated slightly, though its level remained elevated.

On the external sector front, despite exports and imports growing at the same rate of 9%, country's trade deficit reached a record high of $176 billion in 2018-19. According to the commerce and industry ministry data release, exports stood at $331 billion in 2018-19. For the first time outbound trade has remained above $300 billion for two consecutive years, however, export figures are still to cross the government's internal target of $350 billion. In the 2017-18 financial year, exports stood at $303.52 billion. On the other hand, as a percentage of GDP, the Current Account Deficit (CAD) has gone up from 1.9% in 2017-18 to 2.6% in April-December 2018. At the same time, CAD had shown improvement in Q3 of FY2018-19 and is expected to further improve in Q4 of 2018-19 as the dip in imports has improved the merchandise trade deficit.

On fiscal front, the government seems to be hopeful of meeting the fiscal deficit target of 3.4% of the GDP (target revised from earlier 3.3% in the Interim Budget) during FY 2018-19 (it was 3.53% of GDP during the last fiscal year).

BANKING SECTOR DEVELOPMENT

The Banking System witnessed healthy credit growth during FY 2018-19 at 13.23% against 9.85% during FY 2017-18. The deposits growth also improved with the tally of 9.99% against 6.15% during FY 2017-18. The resurgence in credit growth was driven mostly by retail, infrastructure, chemical & chemical products and all engineering sectors. However, credit growth to textiles, basic metals and metal products decelerated.

On the liquidity front, constraints were witnessed during the second half of the financial year. The Reserve Bank of India (RBI) has taken adequate measures by way of open market operations to maintain liquidity. RBI injected a total liquidity of Rs. 2.98 lakh crore in the market during the year. RBI also conducted long-term foreign exchange buy/sell swaps of US$ 5 billion for 3 years on March 26, 2019, thereby injecting durable liquidity of Rs. 34,561 crore into the system.

Divergent movements were observed in various segments of the domestic financial market as they reacted differently to the evolving global and local developments during the year. In the overnight money market, interest rates remained close to the policy repo rate as RBI injected liquidity through a mix of instruments. Yields on T-bills moved in sync with longer tenor G-sec yields in response to global spillovers as well as domestic developments, like, large infusion of liquidity through open market purchase operations; and large borrowing program of the government announced in the Interim Budget 2019-20. Yields on corporate bonds broadly moved in line with those on government bonds. Equity markets moved sideways, but rallied sharply in March 2019. The exchange rate of the Indian Rupee (INR) traded with an appreciating bias as moderation in international crude oil prices, a dovish US Fed policy stance, waning trade tensions and the resumption of capital flows, buoyed appetite for emerging market assets. Credit flows from banks continued to improve and became increasingly broad-based.

RBI's recent Financial Stability Report (FSR) outlined that the banking sector was on course to recovery as the load of impaired assets recedes and Provision Coverage Ratio improves. This was the first half-yearly decline in Gross NPA ratio since September 2015. FSR's stress test results suggested further improvement in

NPA ratio even though it was above RBI's level of comfort. The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) bridged an important institutional gap to strengthen the much-needed credit discipline. The asset quality of banks showed an improvement with the gross non-performing assets (GNPA) ratio of SCBs declining from 11.5 per cent in March 2018 to 10.8 per cent in September 2018.

Government of India's support to the Public Sector Banks continued in the form of recapitalization of the banks. The govt. infused over one lakh Crore capital to the PSBs during the year, which aided the banks in meeting regulatory capital requirements on the one hand and on the other, helped some banks in the form of growth capital for further lending.

Bank's Medium term and long term strategy:

Presently Bank has identified the following priority areas for achieving its medium and long term Goals.

- More focus on NPA Mangement and Credit Monitoring
- Increase in Low cost Deposit/CASA through improvement in Customer Service
- Rebalancing Assets Portfolio in favour of retail lending.
- Retionalization of Branches/ATMs
- Monetization Non-Core Assets
- Curtailling Operational expenses

BUSINESS REVIEW

1. RESOURCE MOBILISATION:

There has been a YoY growth in saving bank deposit of 7.61% in FY 18-19, with an increase of Rs 11,203 crore. However the current deposit has shown YoY negative growth of 8.70% amounting to a decrease of Rs 2,225 crore. Overall CASA figures are above March-18 O/s by an amount of Rs. 8,978 crore with YoY growth of 5.20%. Saving bank diamond customer segment (with average quarterly balance of Rs.1 lakh & above) registered a YoY growth of 7.20 % & Current diamond customer segment (with average quarterly balance of Rs 2 lakh & above) registered a YoY growth of 0.88 %. CASA ratio has increased from 41.43 % in March'18 to 43.36 % in March'19. The share of retail term deposits to total term deposit has increased to 91.78 % in FY 18-19 as compared to 83.33 % in FY 17-18.

2. ADVANCES:

Bank's Global Gross Advances increased marginally from Rs. 375,996 crore as on 31.03.2018 to Rs.382,860 crore as on 31.03.2019 with an increase of 1.82%. Gross Domestic Credit registered a moderate growth of 11.80% from Rs. 293,500 crore as on 31.03.2018 to Rs. 328,137 crore as on 31.03.2019. Bank has focused on Retail and SME advances during current year with high yield to diversify the risk. Bank caters to specialised needs of Corporates/Mid Corporates through 10 Large Corporate Branches and other Large Branches headed by AGMs/CMs. The requirements of other clients from Retail, SME and Agriculture are met through the Network of 5,093 branches and the Specialized Processing Centers.

3. RETAIL:

The Retail loan segment grew at 17.34% during FY 2018-19. We kept our special focus on Home Loans during the year, which has yielded us a very good growth. The Home loan segment during the year recorded a growth of 26.55% from Rs. 25,614 crore to Rs. 32,416 crore. The Vehicle Loan segment recorded growth of 13.70% from Rs.4,476 crore to Rs.5,089 crore during the year. Bank has tie-up arrangement with Maruti Suzuki, Tata Motors, Hyundai Motors and Mahindra and Mahindra. Our Bank also extends Personal Loans to employees of PSUs/PSEs/Reputed Corporates/ Institutions under tie up arrangement with employer. Apart from Home Loans, Vehicle loans & Personal Loans, we also extend Loan against Property and Education Loans. During the Financial year 2018-19, we added 11 Retail Business Centres.

4. SMALL & MEDIUM ENTERPRISE:

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) is a very important segment and contribute nearly 8 % of the country's manufacturing GDP, 45 % of the manufacturing output and nearly 40 % of the exports. Reserve Bank of India has revised the guidelines for targets and classification of Priority sector lending. In terms of revised guidelines, the cap on applicable loan limits under services, viz Rs. 5 crore per borrower to Micro and Small enterprises and Rs. 10 crore to Medium enterprises, has been removed for classification under priority sector. Accordingly all Bank loans to MSMEs engaged in providing and rendering of services as defined in terms of investment and equipment under MSMED Act 2006, shall qualify under priority sector without any credit cap. Focus on programmes, such as, Make in India, Skill India and Digital India have also brought major changes in MSME credit at Bank's level.

PERFORMANCE

- Performance of the Bank in lending to MSME Sector as on 31.03.2019 is depicted as under:

(Amt. in crore)

Particulars	31.03.17	31.03.18	31.03.19	Growth (%) FY 17-18	Growth (%) FY 18-19
Total MSME	50,123	52,953	53,878	5.65	1.75

- During the financial year 2018-19, 194970 new accounts have been added with sanctioned limit of Rs.11,589 crores. Disbursement during the Financial year 2018-19 was Rs.11,183 crores and outstanding in these accounts as on 31.03.2019 is Rs.8,273 crores.
- During the financial year 2018-19, total sanction under MUDRA as on 31.03.2019 was Rs.6,431 crore against budget of Rs. 6,550 crore, thus achieving 98.17% of allocated budget with 365,272 no. of accounts.
- During financial year 2018-19, 583 accounts have been added with a total sanction limit of Rs.131 crore and cumulative figure is 5,945 accounts with total sanction limit of Rs. 1116 crore under Stand Up India during Financial Year 2018-19.

- During financial year 2018-19, 25244 new accounts covered under CGTMSE with total guarantee amount of Rs. 3,181 crore and cumulative accounts covered CGTMSE is 366,103 with total amount of Rs. 24,866 crore as on 31.03.2019.
- Total NPA under MSME segment was approximately at 22%.

HIGHLIGHTS OF FY18-19

- Launched GST based Financing to MSME Borrowers. (Moving from Conventional method to Cash Flow based method of assessment)
- On boarded the TReDS platform (RXIL) to facilitate Invoice discounting facility for MSME borrowers.
- Onboarding the Contactless Platform (Capita World) acquired by SIDBI led consortium of public sector Banks for improved due diligence and automation of information aggregation and underwriting. Over 9000 accounts were accorded in principle sanction on the portal.
- CMR Rank and ZED Rank being introduced, to aid branches for proper and prudent business sourcing.
- Opening of new SMECCs (Processing Cells) at various locations.
- Increasing the no. of SME focused branches from 100 to 207 for facilitating SME financing.
- Increased focus on Area based lending schemes. Approved various new cluster schemes in the recent past.
- Re launched the Channel Finance Scheme with aggressive pricing and relaxed norms through a digital platform for financing to forward and backward linkage of large corporate/industrial houses.
- Forging Partnerships with various fintechs/Credit Information Bureaus/OEMs for ease of finance to MSME.
- Digitalizing the process of Credit underwriting to improve the TAT and efficiency. (UAT of the same is in final stages)
- Exclusive LMS for MSME Borrowers has been introduced through CPTS module for online application and real time tracking of MSME proposals.
- Launched Welcome Offer with various concessions and freebies for new MSME borrowers.
- Actively participating the Udyami mitra portal (Marketplace for new MSME loans).
- Launched Star Start Up scheme for financing to Start Ups identified by Government & Government approved incubation centers.
- To further boost growth under MUDRA launched various MUDRA centric schemes like Star Weaver MUDRA scheme, Star e Rickshaw scheme etc.
- Actively promoted various guarantee schemes for ease of collateral free lending.

5. AGRICULTURE FINANCE:

Priority Sector Advances:

The bank is serving to the priority and agriculture sectors, through its network of rural and semi-urban branches and 51 Agricultural Banking Centres (ABCs) set up in these areas. The Bank has registered an outstanding level of Rs 130,494 crore (41.86 % of Average FY 18-19 ANBC) under Priority Sector Advances consisting of Agriculture Rs 57,302 crore (18.05% of Average FY 18-19 ANBC). Out of which SF & MF Rs.28,455 crore (8.61% of Average FY 18-19 ANBC), SME Rs 51,866 crore out of which MSME Micro Rs. 26,148 crore (8.15% of Average FY 18-19 ANBC), Education Rs 3,140 crore, Housing Rs 17,038 crore and other priority sector advances is Rs 1,148 crore. The Bank has surpassed all the regulatory ratios under Priority sector, Agriculture, SF & MF, MSME Micro and credit to weaker sections of FY 2018-19.

(Amt. in Crore)

Particulars	Amt O/S		Y-O-Y Growth (Mar18/Mar19)		% of Average ANBC (FY 18-19)	RBI Bench-mark
	Mar 18	Mar 19	Amount	%		
Total Agriculture	51,938	*57,302	5,364	10.33	18.05	18.00
Small & Marginal Farmers	23,858	28,455	4,597	19.27	8.61	8.00
Micro Enterprises	24,051	26,148	2,097	8.72	8.15	7.50
Priority Sector Advances	**121,691**	**130,494**	**8,803**	**7.23**	**41.86**	**40.00**

*Total Agriculture includes outstanding of RIDF & PSLC

Under Agriculture, Bank branches disbursed Rs 11,257 crore during the year. Bank has issued 2.33 lakhs Kisan Credit Cards during the year with credit limits of Rs 3066 crore for flexible credit utilization. The Bank also extends financial assistance under Differential Rate of Interest at concessional rate of interest of 4% to low income groups. The Bank has sanctioned 316 cases under DRI scheme during the year involving Rs 3 crore. Bank's credit exposure to the Minority Communities is Rs 16,068 crores as on March 2019 (14.25% of Priority Sector Lending against target of 15%). Amount O/s as on 31.03.2019 under weaker section is Rs. 34,926 crores (11.49 % of March ANBC). Bank's finance to Food & Agro Industries as on 31.03.2019 is Rs. 5,593 crore.

Gold Loan has registered Rs.1,945 crore growth on Y-o-Y basis in FY 2018-19 whereas in FY 2017-18 growth was Rs. 845 crore. The total outstanding under gold loan is Rs.5,082 crores of which agri gold loan is Rs.4,176 crores.

National Rural Livelihood Mission (NRLM): It is an important poverty eradication programme for rural poor. During the year Bank has disbursed Rs 1,534 crore to 0.77 lakhs borrowers.

Self Help Groups (SHGs):

Bank has customer base of 4.24 lakhs Self Help Groups (SHGs) as on 31.03.2019 of which 0.39 lakhs SHGs are credit linked including 0.29 lakhs women SHGs during the year 2018-19. Bank has introduced Dual Biometric authentication for offsite transactions, financial and Data Digitalization for monitoring of SHGs.

Lead Bank Scheme:

The Bank has Lead Bank responsibility in 51 districts spread across five states of Jharkhand (15), Maharashtra (14), Madhya Pradesh (13), Uttar Pradesh (7) and Odisha (2). The Bank is convener of the State Level Bankers' Committee (SLBC) in the state of Jharkhand.

6. FINANCIAL INCLUSION:

Bank considers Financial Inclusion as a viable business proposition and has shifted outlook from "CSR" to "economic viability". ICT based solution to support and secure sufficiently low cost transactions required by the financial sector. Financial inclusion drive gained momentum with Pradhan Mantri Jan Dhan Yojna (PMJDY) programme. Bank has provided banking services in unbanked rural areas through ICT led Business Correspondents model. Bank was awarded Runner-up Trophy for "Excellent performance in AEPS, large Bank Category" by NPCI.

Star Swarojgar Prashikshan Sansthan (RSETIs):

Bank is operating 42 RSETIs in the States of Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and West Bengal. During the year the RSETIs have conducted 1,065 training programs and imparted training to 30,610 candidates ensuring settlement of 52% (15892) and providing credit linkage to 55% (8811) candidates to enable them for gainful employment.

Financial Literacy and credit Counseling Centres (FLCC)

FLCC/FLCs are established as per Reserve Bank of India guidelines at Rural and Urban Centers at district locations where Bank is having Lead Bank responsibility. Bank's 51 FLCs are functional in all 51 Lead districts. The FLCs in addition to imparting training also undertake remedial counselling on case to case basis for the distressed borrowers, preventive counselling through media, workshops and seminars. To date 1,373,083 needy distressed people were given counseling.

Regional Rural Banks:

Bank has four sponsored Regional Rural Banks – Gramin Bank of Aryavart-GBA (Uttar Pradesh State), Narmada Jhabua Gramin Bank -NJGB (Madhya Pradesh State), Vidarbha Konkan Gramin Bank –VKGB (Maharashtra State) and Jharkhand Gramin Bank-JGB (Jharkhand State) as on 31-03-2019. All four RRBs Branches and Administrative offices are on CBS platform with system generated report facility. These RRBs are enabled on RTGS, NEFT and ATM platform and cover 61 districts, with a network of 1,687 branches. They have a combined business mix of Rs. 51,336 crore controlled by their respective 4 Head Offices and altogether 29 Regional Offices. DFS, Mof has directed merging of two RRBs viz. Central Madhya Pradesh Gramin Bank (CMPGB- Sponsored by Central Bank of India) and Allahabad Uttar Pradesh Gramin Bank (AUPGB-Sponsored by Allahabad Bank) with our RRBs. viz. Gramin Bank of Aryavart (GBA) & Narmada Jhabhua Gramin Bank (NJGB) respectively w.e.f 01.04.2019.

7. INTERNATIONAL:

The Bank has 26 Branches, 2 Representative Offices 5 Subsidiaries and 1 Associate/Joint Venture spread across 20 countries of all time zones. The contribution of foreign operations in Bank's global business mix has been 17.02% as on 31.03.2019.

Overseas Subsidiaries and Associates:

- PT Bank of India Indonesia Tbk
- Bank of India (Tanzania) Ltd
- Bank of India (New Zealand) Ltd
- Bank of India (Botswana) Ltd
- Bank of India (Uganda) Ltd
- Indo-Zambia Bank Ltd. (IZB)- Joint Venture.

Bank has closed its representative offices at Myanmar and Dubai. During current year bank has closed its Manchester (merged with Birmingham), East Ham (merged with London) and Jersey Branch.

FOREIGN BUSINESS:

Bank's key priority areas include meeting trade finance and forex requirements of exporters and importers. Bank has 196 Authorized Dealer Branches Pan India. These Branches handle foreign exchange business and cater to the need of exporters and importers. Bank also has correspondent banking relationship with 247 banks across the globe.

8. CREDIT MONITORING:

Monitoring of the credit portfolio and individual accounts is essential in order to maintain and improve the asset quality of the credit portfolio of the bank. Objective is to ensure that the credit assets remain in standard category, endeavor made for up-gradation of identified stressed accounts/watch list accounts and take corrective action to prevent slippage of the accounts from Standard to Sub-standard.

The Department has been using various tools and methods for identifying and monitoring stressed accounts with signs of weakness /potential default/delinquencies to ensure good asset quality coupled with containment of probable slippages effectively

Tools for efficient monitoring & control process:-

- Early Warning signal System Module is made available to all branches and controlling offices for monitoring credit assets categorised under SMA. Our Bank has a system that captures Early Warning Signals (EWS) in respect of accounts showing signs of weakness. i.e. generation of various types of alerts which are attributable for account becoming NPA. EWS are advised to various administrative/ functional levels on weekly basis for close monitoring of these accounts. For internal monitoring purposes under the system, segregation is being made according to default time limit along with nature/kind of default for overdue accounts for proactive intervention – well before the accounts become NPA. This is to enable the Bank to assess whether the default is due to some inherent weakness or due to a temporary liquidity/cash flow mismatch.

- Borrower Health Profile (BHP) for standard accounts are made on-line for high value accounts, to enable monitoring of these accounts on real time basis.
- Identification of the accounts in SMA category triggers mitigating steps such as follow-up for regularisation, restructuring etc,. In terms of RBI's revised guidelines, stressed accounts with credit limit of Rs. 5 crores and above are reported to RBI on weekly basis.
- The priority is being given to accounts showing overdue position of more than two months period, based on record of recovery as well as for accounts showing technical irregularities such as non-submission of Stock/QIS statement over three months, insufficient/ no credit in CC accounts etc,. This may cause downgrading of accounts if timely corrective action is not taken. These accounts are monitored specifically by various verticles for containment of downgrading of standard assets.
- Credit Process Audit is to ensure compliance of Pre and Post disbursement terms of sanction terms/ covenants, where in the disbursing officer, before parting with the Banks funds, has taken all necessary measures for creation/perfection of security with a view to ensure enforceability of the said securities.
- We ensure timely conduct of Stock & Receivables audit in eligible accounts and take active/preventive steps wherever warranted. The stock audit is applicable mostly for standard advance accounts having working capital exposure of Rs. 5 crores and above. It is required to be conducted annually. Bank is conducting specialized audit in advances accounts having credit exposure of Rs.250 crores and above, wherein our Bank is leader in consortium finance or our Bank is sole banker.
- Assets showing inherent signs of weakness, such as out of order position, overdue Bills under Letters of Credit, invocation of guarantees, review overdue etc., which pose a threat to the bank's asset quality, are followed up at various platforms & levels through Tele/ Video conferencing.
- On the basis of Early Warning Signal (EWS), the account is Red flagged and Forensic Audit is done. Information on Red Flagged Accounts (RFA), Fraud Accounts where our exposure is Rs.50 crore & above is uploaded in CRILC platform. The bank has approved policy on Red Flagging/Forensic Audit of accounts.

9. NPA MANAGEMENT:

The Bank made sustained relentless efforts for NPA and Written Off recovery by adopting Board approved strategies with activation of Asset Recovery Branches, staff at grass root levels. The measures initiated resulted in improved recovery through some of the following strategies:

- Holding-on operations in NPA accounts arising out of temporary Cash Flow mismatch for up-gradation within short span of time.
- Up-gradation of the entire account after recovery of the total overdue.
- Restructuring in accounts, which needs a long term support.
- Filing up application with NCLT, pursuing other Bank where we are not leader.
- OTS in accounts with positive impact in Bank's profits & loss A/c; Invoke promptly the provisions of SARFAESI Act.
- Filing of suit and follow for vacation of stay and for speedy resolution through the DRT.
- Declaring Borrowers as wilful defaulters in all eligible cases, Mega E-auctions on Pan-India basis to fast forward the process.
- Participation in the National Lok Adalat at various levels.
- Suit filed/decreed cases are now monitored online.
- Proactive participation in JLM meetings conducted at Bank level in all cases where Bank is Leader and also a member of consortium.

10. TREASURY:

Forex Business: The Treasury manages the foreign exchange business of the bank, providing hedging solutions to the customers through forwards, options and swaps. Apart from having Centralized Treasury at Mumbai, the Bank has 4 satellite dealing rooms situated at New Delhi, Ahmedabad, Chennai and Kolkata so as to provide better services to the customers. During the financial year 2018-19, Merchant and interbank turnover was Rs.1.61 lakh crore and Rs.32.42 lakh crore respectively. The aggregate turnover of Bank's forex business during the year was Rs.34.03 lakh crore.

The treasury actively participates in trading in Currency Futures and is one of the leading banks in all the exchanges. During the Financial Year 2018-19, Bank's Turnover in Currency Futures was USD 128.60 Bn. Bank has been conferred various awards for Currency Futures business. The Bank was awarded "TOP VOLUME PERFORMER" by BSE for Best Performance in Currency Derivatives Segment (Banks) 2017-18, "Market Achievers' Award" in Currency Derivatives Segment amongst Public Sector Banks by NSE and "Best Performer in Currency Derivative Segment" amongst all Banks' Category by BSE.

Treasury Operations & Investments: Bank continued to play an active role in all segments of the market – Money market, Forex, Bonds and Derivatives 2018-19. Bank has maintained a higher level of investments by holding SLR investments in excess of the regulatory requirement of 19.25% of NDTL from time to time to utilize excess SLR for borrowing from Repo/TREPS windows. As on 31.03.2019 the gross SLR investments were Rs.106,644 crore (73.07% of total investments) and Non-SLR investments stood at Rs.38,903 crores (26.93% of total investments). The Non-SLR investments also includes Recapitalisation Bonds of Rs.21,699 crore. The treasury dynamically managed its investment portfolio and brought down M-Duration of SLR AFS portfolio from 4.44 as on 31.03.2018 to 2.65 as on 31.03.2019. The investments are made in accordance with the Board approved investment policy which is reviewed periodically to respond to market developments/regulatory requirements.

11. INFORMATION TECHNOLOGY:

Mobile Banking

- Mobile Banking Application for Android was launched on 1st August 2018 and IOS was launched on 10th August 2018.
- The application has been made available in Hindi, English, Marathi, Bengali, Odiya, Tamil and Telugu.

Website related development

- New/revamped website was launched on 7th December, 2018 by our Respected MD & CEO with brand new look and feel, with device agnostic features to fit in all kinds of devices, at par with the website of private banks.
- Online OTS (One Time Settlement) application to submit OTS requests online and track their status online.
- Developed Online POS survey form.
- Grievance Feedback form to capture feedback on grievance resolutions for complaints logged through website.
- Central Proposal Tracking System (CPTS) for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Loan.
- 12 New Generation Websites for Foreign Centers launched from India.

Stardesk Development of modules /forms in Stardesk

- Vigilance Portal
- Inspection and Audit Portal
- Concurrent Audit Feedback Form
- Marketing Staff Dashboard
- Customer Service Committee Meeting
- Central Payment Tracking System

Internet Banking

- SCSS account statement through IB - Facility was introduced in internet banking for customers to generate account statement for Senior Citizen Savings Scheme account.
- FATCA message declaration of Retail Internet Banking Home Page: Message has been displayed in retail internet banking for NRI customers to submit the FATCA declaration with a view to educate and intimate customers.
- Removal of BOI BTM from Internet Banking: Due to decommissioning of old mobile banking, changes were made in the script to disable old Mobile Banking application through internet banking.
- Online Retail Loan through Web - The Online retail module will be linked through Bank of India Website. Customer can access the hyperlink and update the required details for authentication. Post verification, they can apply for vehicle loan/home loan through the module by uploading the documents. The same will be forwarded to the respective branches and CAPS for further processing
- Truly Omni channel Enabled- Delivers an exceptional user experience across multiple channels and devices
- Customer financial management- Powerful features, such as Personal Financial Management, enable customers to plan, manage and track their finances in real-time through visual dashboards and rich tools.
- Unmatched Flexibility- Roll out products and services faster on digital channels through extensive parameterization and user driven customization
- Unified Banking Platform- Comprehensive set of features targeting each banking segment
- Seamless integration through Open APIs

Regional Rural Banks Segment

The process of Amalgamation was initiated by Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance. In this process, our bank was directed to amalgamate the following 2 RRBs into our existing RRBs-GBA & NJGB operating in the states of UP & MP, respectively.

Initiatives at IT (Datawarehouse)

- Implemented OFSAA Project with four modules MFTP, PFT, ALM & LRM
- Development of Data Mining Project for NPA modelling and Cross Sell and Up Sell. This includes customer profiling and segmentation, market basket analysis. Customer's transaction pattern alongwith behavioral attributes are considered
- Providing daily data to Inspection & Audit Department for Audit Automation system
- Implemented NeSL Project
- Digitisation of Closing Statements Annexure 1, Annexure 3 and Annexure 9
- Identification of accounts for MSME subvention
- Revamping of MSME Sector classification
- Development of Borrower Health Profile
- Reporting of Early Warning Signals
- Providing MIS data/reports to HO Departments/NBGs/Zones
- Monitoring and control of SAP BO system
- Managing Top Management Dashboard
- Provision in NPA Accounts
- Sector wise classification of accounts
- CIBIL reporting
- Providing MIS data/reports to HO Departments/NBGs/Zones
- Providing Daily NPA Report to the top management
- Generation of CA-23 report

- Providing various reports to HO departments for onward submission to regulatory authorities

Document Management System

A document management system (DMS) is a system (based on computer programs in the case of the management of digital documents) used to track, manage and store documents and reduce paper. It facilitates keeping a record of the various versions created and modified by different users (history tracking).

Improving the Network Infrastructure of Branches

- 4750 Branches upgraded with 2 MPBS bandwidth.
- In remaining branches Citrix solution has been tested

Anytime Anywhere Loan Processing - RETAIL LOAN TAB/MOBILE APPLICATION

- Retail Loan application can now be captured from Smart Phone/TAB from the point of origination.
- The application form and the documents can be uploaded instantly in CAPS.
- Basic details of the Customer are captured in a Application
 - Personal Details
 - Income Details
 - Loan Details
 - KYC Details
 - Photograph
 - Other Documents

12. RISK MANAGEMENT :

Risk and Control:

Bank has established mechanisms to ensure ongoing assessment of relevant risks on an individual as well as on consolidated basis. Risk Management is a Board driven function with the Risk Management Committee of the Board at apex level supported by operational level committees of Top Executives for managing various risks, such as Asset Liability Management Committee (ALCO), CRMC (Credit Risk Management Committee), MRMC (Market Risk Management Committee) and CORM (Committee for Operational Risk Management).

The process of Risk Management consists of identification, measurement, monitoring and control. These processes are covered under various policies on Enterprise Wide Risk Management, Credit Risk Management, Operational Risk Management, Market Risk Management, Derivatives, ALM, Foreign Exchange and Dealing room operations etc. The identification, measurement, monitoring & mitigation of potential risks, in all activities and products is done through detailed analysis and vetting of the same is done by the operational level risk committees and task forces. Tools and systems for prudential limits, new Basel Compliant Credit Rating Models, Credit Audit, VaR models for Market Risks, Self-assessment exercise coupled with tracking of Key Risk Indicators for Operational Risk have been introduced for assessing / measuring the identified risks.

Bank has migrated to computation of Capital Adequacy under Basel III regulation based on Standardized Approach for Credit Risk, Standardised Measurement Method (SMM) for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk as per RBI guidelines effective 01st April, 2013. The Bank undertakes Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) on a yearly basis for assessment / measurement of various risks, the limits of its risk-bearing capacity and appropriate level of internal capital in relation to the risk and the Risk Appetite. Stress Testing Process is in place for enhancing risk assessment by providing the bank a better understanding of the likely impact even in extreme circumstances.

Bank's Information Risk Management System has clear objectives to obviate Information Security risks in the face of acceleration in Bank's business by strengthening internal controls to protect the brand, reputation and assets of the Bank. Bank has implemented various information security projects for Real-Time monitoring of Information Security breach attempts / incidents / events on 24x7 basis. Bank is vigilant of the security and privacy of the data related to its patrons and account holders and takes utmost care to protect it from cyber-attacks. Bank has put in place Captive Security Operation Centre (SOC) at Data Center. Bank has developed reasonable resiliency to provide uninterrupted services in adverse situations. The Bank is ISO 27001 (ISMS) and ISO 22301 (BCMS) certified and the PCI-DSS V3-2 certification is in the advanced stage of acquirement. Other advanced security tools like Privilege Identity Management, Database Activity Monitoring, Web Application Firewall, Network Behaviour Anomaly Detection (NBAD), Anti-APT (web & email) and Anti-DDoS have been operationalized. Various new security solutions focusing on threat hunting, prevention, detection and response are in the advanced stage of procurement and implementation. Risk and vulnerability assessment exercises are regularly carried out for all critical applications and services with in-time remedial activities. Security awareness campaigns, especially with respect to social engineering, conducted across the Bank encompassing staff as well as customers through various channels of learning and communication.

13. ALTERNATE DELIVERY CHANNEL :

The Banking industry has become fast paced. Post demonetization era needs moving towards less cash society and thus the emphasis is on digitalization. Bank of India is committed to give a stellar performance not only in distribution of various digital products viz. Debit Cards, Credit Cards, POS in all varieties of Swipe & Pay, Click & Pay, Touch & Pay, Internet Banking, Mobile Banking and also is ensuring that these products are activated and used. Bank of India has successfully implemented Government of India launched UPI / BHIM, Bharat QR and AADHAAR PAY. POS distribution has gone up from 16,622 to 65,372 as on 31.03.2019. Debit Card activation has gone up from 35% before demonetisation to 40%, which shows our fast pace in digitalisation. Bank's Prepaid Cards, added value to POS. Bank has taken lead to have 2594 Digital Villages pan India.

14. TRANSACTION BANKING :

Bank set up separate Transaction Banking Department (TrBD) to generate bulk income and float for the Bank by providing management of “cash flows” of customers especially large corporates, government institutions and high net worth individuals through digital banking. The Department's work coprising of Cheque collections, PDC collections and Direct Debit mandates, other services viz. Cash Management Services (Doorstep Banking), On–line Share Trading – (3 in 1 A/cs, ASBA SYND-ASBA), Payment Gateways, NACH activities on NPCI platform and operational aspect of Star Channel Finance.

The Department has posted an income Rs.100.38 crore in the Current Financial 2018-19 vis-à-vis Rs. 49.40 crore income of previous year i.e. 2017-18.

15. THIRD PARTY PRODUCTS DIVISION

Life Insurance:

Bank is having its Corporate Agency arrangement with Bank’s Joint Venture life Insurance Company i.e. Star Union Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. for distributing life insurance products. Bank has more than 8000 IRDAI certified Specified Person placed at various branches pan India. Besides distributing various life insurance products of SUD Life, we also market/ distribute optional Life Insurance cover to Bank’s Retail Home loan and Education Loan borrowers under Group Insurance Policy at a discounted premium. Bank has collected life insurance premium of Rs. 1014.96 Crore thus earned commission income of Rs. 68.73 crore for the FY 2018-19.

General Insurance:

Bank has tie up arrangement with two general insurance companies i.e. The New India Assurance Co. Ltd. and Reliance General Insurance Co. Ltd to distribute their products. In FY 2018-19, Bank has launched a co-branded health insurance product – “Reliance BOI Swasthya Bima” which is a Family Floater policy available for Bank of India account holders at a competitive premium. Bank has collected General Insurance premium of Rs. 198.68 crore thus earned commission income of Rs. 23.38 crore for the FY 2018-19.

Standalone Health Insurance:

Bank has tie-up arrangement with Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health Insurance category. Bank has collected Health Insurance premium of Rs. 26.24 crore thus earned commission income of Rs. 3.16 crore for the FY 2018-19.

Mutual Funds Products:

Bank continues to be a shop for all financial needs for our customers. We have basket of financial products which also consists of 10 Asset Management Companies including BOI AXA Mutual Fund, our own joint venture company for distribution of their mutual Fund products. Bank has earned a commission of Rs. 5.63 crore from Mutual Fund business during FY 2018-19.

16. MARKETING & PUBLICITY :

Bank's Publicity and Public Relation Department executes multi-media corporate campaigns to enhance the visibility of Bank's products and services along with image building. Bank's various products down the line across the country are executed by various media plan, on the lines of Bank's theme "Relationship Beyond Banking". Bank has been continuously undertaking the publicity of Bank's products through Radio channels and Television platform in a big way. The promotion of Bank's product through print media in major national / regional dailies and various top magazines and Out Of Home (OOH) activities i.e. hoarding/Bill Boards/ Gantries is also undertaken.

"Bank of India has been ranked 2nd Most Trusted Brands in the banking category, as per the survey conducted by ET Now during the year 2018-19."

17. BUSINESS PROCESS RE-ENGINEERING

BPR Department works on improving the existing systems and processes in the Bank as also on other aspects of change management that include the organizational structure, products, & policies. The major **customer centric initiatives** taken during 2018-19 are:

- **DIGI Branches:**

 255 Digi branches launched (through revamp of previous BOTF project) for unique customer experience, increase of retail business, & spread of digital banking.

- **Enrolment in Bank Chain:**

 This platform using Bank Chain Technology shall facilitate easy Cross Border Remittance, Corporate KYC, Charge Registry, issuance of Bank Guarantee, LC & other Documentary Credits, Trade Finance etc., resulting in fast delivery of services to the end customer.

- **US Dollar Cheque Collection system:**

 System that envisages centralization of US$ cheque collection through Global Remittance Center - BKC, and automation of the process through CTS. It reduces courier charges and transit time, thus resulting in higher customer satisfaction.

- **FCNR (B) Deposit, Diamond Dollar & RFC Accounts:**

 Simplified and streamlined procedures with only 2 link branches Mumbai NRI & Mumbai Overseas for smooth functioning, auto reconciliation and better customer experience.

- **Categorization of Branches :**

 Re-categorization of branches done under revised norms for ensuring right staffing and ease of customer service delivery.

- **Rationalization of Service Charges:**

 Our service charges have been rationalized in order to make these customer friendly and cheaper compared to others in the industry.

- **Centralization of SWIFT as per RBI guidelines with our Bank:**

 Centralized SWIFT operation having link with FINACLE is underway to avoid fraud & provide better, smooth and reliable services to our customers.

- **Star Paramarsh – Staff Suggestion Scheme:**

 Expanded the scheme to cover all ideas & suggestions of staff given at all fora, including at conferences, conclaves, & training centers, for operational efficiency & service effectiveness. Suggestions received during the year: 1841, Selected for implementation: 142, Awarded prizes: 14.

18. INSPECTION & AUDIT :

Bank has board approved policy on Risk Based Internal Audit, Risk Based Management Audit (Domestic), Concurrent Audit, Information System Audit and Audit of Foreign Branches. The policies were reviewed/revised to comply with the Guidelines issued by the Department of Financial Services, MOF, GOI and covers the areas mentioned in the RBI SPARC report, MOF guidelines and also as per the directions of Audit Committee of the Board. During the FY 2018-19, the Department conducted audit of 4116 branches and offices. Concurrent Audit covers 789 Branches, Treasury Branch, Data Centre and HO Departments by practicing CAs and all the Foreign Branches are covered in-house by Bank's officers. Internal Audit of New York Branch and Singapore branch are carried out by External Audit Firms. Concurrent Auditors cover more than 50% of Global Deposits and more than 50% of Global Advances. Bank also conduct special assignments to meet requirements of the Bank from time to time.

- Discretionary Audit conducted at branches with 'High Risk and above' rating.
- Snap Audit conducted at zones with sensitive branches.
- Assessment of impact of preventive vigilance measures at branches under audit.
- Special Audit of select Authorized Dealer (AD) branches for checking/verification of transactions relating to Export transactions / Import Advance Remittances.
- IS Audit of Data Centre & Disaster Recovery site by Bank's Internal Information System auditors.
- Concurrent audit of Data Centre to ensure verification of interest parameters, application of interest process and checking of interest in sample accounts.
- Regular reporting on all important Audit findings are made to Top Management, Audit Committee of Executives and Audit Committee of the Board as per the directions.
- Bank has implemented Unified Audit Management Solution (UAMS) i.e. On line Star Audit in 2018. Two Modules RBIA and Concurrent Audit modules are live.

19. LEGAL & RIGHT TO INFORMATION ACT :

Banks Legal department acts as support department and provides platform for various matters of Opinion, Documentation, Litigation etc. emanating from various other functionals.

Besides attending to referral matters of various NBGs/ Zones, Domestic Branches/Foreign Branches and Bank's subsidiaries, the Department also caters to the specific needs of specialized Departments like Information Technology Department, International Department, Treasury Department, Card Products Department, Transaction Banking Department etc. by Drafting / Vetting of documents of various contracts/ Service Level Agreements (SLAs), Software/Hardware procurement, various types of tie-up arrangements /new products etc.

The Right to Information Act has taken a pivotal role in the Society and lot many applications are received by the Bank at various levels. Bank has identified Central Public Information Officer and Appellate Authority at various Zones / NBGs. Deputy General Manager (Law) of Legal Department, Head Office is designated as the CPIO of the Bank, and the General Manager, Legal Department is the Appellate Authority. The procedure for disposing of application or appeals involves collecting the desired information from various Departments and supplying the same to the applicant within the fixed time duration of 30 days and also to guide the other Zones / NBG on specific points.

Moreover, with a view to create awareness among the staff, Legal Department issues circulars and guidance to NBGs/ Zones on the amendments on Statutes and New Legislations.

In addition to the above, the Legal Department also attends to:

- Approval of Plaints in respect of suits filed by Bank and Monitoring of said cases.
- Advising on writs, cases, appeals, claims etc. filed against the Bank, vetting of the applications/affidavits etc. wherever required.
- Attending to the various queries of Ministry, Reserve Bank of India and IBA on different matters including new Legislation/amendments under consideration on various Acts.
- Opinion on Share transmission matters of share Dept.
- Cases against Bank/ Claim against Bank not acknowledged as debt/provision requirement/ follow up with Zones etc.
- Collection and compilation of data/statistics pertaining to suit filed/ decreed cases and submission to various authorities like Reserve Bank of India, MOF etc. RBS data.

20. COMPLIANCE DEPARTMENT ;

An independent Compliance Department since the year 2008. The department is headed by Chief Compliance Officer in the rank of General Manager. Compliance of statutory, regulatory and Bank's internal guidelines is the scope of compliance function in the Bank, both for Domestic and Overseas operations.

Bank is adopting Board approved Compliance Function Policy framed as per Reserve Bank of India guidelines. Bank is continually enhancing its compliance culture with adoption of Compliance Rules for different work areas of Bank's domestic operations. The compliance department is conducting half-yearly compliance testing exercise, quarterly compliance testing of implementation of Regulatory guidelines, compliance audit of action taken to RBI observations made under Risk Based Supervision and test check for Tranche III compliance rules prescribed by RBI to ensure compliance sustainability.

Bank has also vested with the responsibility of implementation/ monitoring Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) Measures/ Combating Financing of Terrorism (CFT) Guidelines in the Bank. Compliance with KYC norms in all accounts, as directed by RBI is ensured. As per the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PML Act) and its subsequent amendments thereto and the Rules made thereunder as well as the guidelines issued by the RBI, Bank has put in place Board approved KYC/ AML/CFT Policy which is adopted by branches in India. All customers have been classified into High, Medium or Low Risk category based on the Risk perception. As per extant RBI guidelines, the review of the Risk categorisation is done once in every six months. The department also ensures for imparting of training on KYC / AML and its related compliance aspects to the staff members.

The Compliance department is the single point of contact for all the Regulatory Agencies.

It is the focal point of the Bank to respond to RBI in conducting Risk Based Supervision (RBS). The RBS reports are attended in coordination with all the departments of Bank and compliance is submitted to RBI.

The compliance department at HO is overseeing compliance function of overseas establishments who follow their respective territory based compliance policies as well as KYC-AML-CFT Policies. Each overseas branch / subsidiary has a compliance officer to look after the respective compliance function. Overseas branches comply with the applicable regulatory requirements (home country / host country regulatory guidelines whichever is stringent) and submit confirmations / compliance sustainability reports. The compliance officer of each overseas Branch undertakes Quarterly Compliance testing and submits reports to Head Office.

21. OFFICIAL LANGUAGE :

Bank has a well established set-up of Official Language Department which ensures the implementation of Government of India policy related provisions and progressive use of Hindi. During the year TOLIC Nagpur has got prestigious Kirti Puraskar(2nd) for 'B' region and TOLIC Muzaffarpur has got 2nd prize at regional level from Government of India. Bank is the convenor of both the TOLIC and successfully carrying the responsibility of convenorship of 6 TOLIC. Other 28 Zones received prizes/awards for excellent implementation of Official Language Hindi across pan India. Bank has conducted 166 Hindi workshops and 4388 staff members were imparted training. Apart from this bank has conducted "Parangat" classes for staff members under Hindi teaching scheme. On Vishwa Hindi Diwas (10 January 2019) debate and speech competitions were organized in various schools across the country in which many students participated and meritorious students were awarded. Rajbhasha e-learning module has also been developed, which was successfully passed by 10131 staff members. Hindi month was celebrated from 15 August to 14 September 2018 in which various Hindi competitions were held for staff members. Policy and regulations related to Hindi have been written in Braille Script by one of our Official Language Officers for our Visually Challenged Official Language Officers. SMS are being sent in various regional languages by the bank.

22. HUMAN RESOURCES, LEARNING & DEVELOPMENT AND IN HOUSE JOURNALS:

The HR transformational strategy is focused on Capacity Building to ensure availability of manpower with right sets of skills, its optimum utilization and to bridge skill gaps in critical areas such as Credit, General Operations, Finance & Planning, Treasury & FOREX, HR, IT & Analytics, Risk Compliance & Audit and Sales & Marketing through appropriate training and certification for augmenting their skill and efficiency. Bank has also embarked upon an exercise of Talent Management to build a robust and sustainable pipeline of leaders as a succession management plan.

Bank has during the year 2018-19, recruited 350 General Banking Officers, 241 Specialist officers and 1899 clerks. Endeavour is to bridge the human skill gaps in areas of Corporate Credit, Risk Management, Treasury, IT and Marketing on an on-going basis.

Compliance with Reservation Policy :

The Bank is complying with the reservation policy of Government of India. Recruitment and SC/ST Cells at Head Office and Zonal Offices ensure to implement the reservation policy and redressal of grievances relating to SC/ ST/OBC Employees. General Managers at Head Office are designated as Chief Liaison Officer for SC/STs and OBCs. Officers from SC/ST/OBC categories are designated as Cell / Liaison Officers at Zonal Offices. Post-based Reservation Rosters are maintained as per Government guidelines.

Representation of SC/ST/OBCs Staff (Indian) :

Mar-2019	Officer	Clerk	Sub	Staff Total
Total	**22061**	**19551**	**7195**	**48807**
SC	3968	3099	2395	9462
% to total Staff	**17.98**	**15.85**	**33.29**	**19.39**
ST	1882	2258	830	4970
% to total Staff	**8.53**	**11.55**	**11.54**	**10.18**
OBC	5334	4611	1646	11591
% to total Staff	**27.18**	**23.58**	**22.88**	**23.75**

LEARNING AND DEVELOPMENT:

A separate cell for learning and development function as overall countrywide in charge of the training colleges, MDI and all related activities including capacity building. In house talent development and imparting of class room trainings are being taken care of by the Learning and Development Department. Bank has introduced E-Learning modules for enhancing the competencies of employees and to equip the staff with right skills and knowledge for meeting ever changing business dynamics across different segments. 26107 officers have done various e learning modules. The Bank's 7 Training Colleges have imparted training to 28000+ Staff members and 469 trainees from other Institutes including RRBs during the year. Under Star Eklavya Programme, (where retired Executives provide their services and share their experiences with the participants) total 9529 participants were imparted training on different subjects and under Locational training programme (where officers of ZO conduct the training programme), total 1453 participants were trained. To hand hold newly recruited officers, the Mentoring project has been initiated. To enhance the

capabilities of officers in key work areas of the Bank, the Capacity building certification programme is also launched. Executive Development Programmes for AGMs were conducted in-house and for DGMs these programmes were conducted in house with the help of faculty support from one of the institutes of repute. GMs have been nominated for outside training programme on Leadership Excellence at one of the Institutes of repute. Also select Executives were nominated for training on Cyber security at outside Institute. Bank has also conducted, special training programmes for visually impaired staff members to enable them to perform their job with greater satisfaction and ease.

BANK'S IN-HOUSE JOURNAL 'TAARANGAN (BILINGUAL) & BOI VAARTA (HINDI)'

Internal communication Department has been established in the Bank consisting of Corporate In-House Journal 'Taarangan (Since 1964)' and Hindi Magazine 'BOI Vaarta' (Published for promotion of Hindi Language amongst employees as per GOI OL Policy) and StarParivar@112 Facebook Group for the serving employees.

The In-house publications are important tool of employee engagement in the Bank. Bank's publications are effectively serving as a platform for employees to express their views, share their achievements and bringing out their creativity & intellect on varied subjects. Both the journals are publishing social, promotional, staff achievements, awards and other business activities organized at Zones/ Branches/ offices across India and abroad.

During 2018-19 Taarangan has been awarded by Reserve Bank of India and other reputed organizations. On Bank's 113 foundation day, to promote paperless HR, the e-copy of both the magazines were launched by our MD&CEO for employees through Human Resource Management Systems (HRMS).

STARPARIVAR@112 :

Going forward in harnessing the power of social media platform, Bank had started a closed Facebook group titled StarParivar@112 for all serving employees of the Bank. The platform has been very successful and widely appreciated by the staff members. The platform is used by staff members to share knowledge, general interactions on various matters, showcasing personal as well as Zonal and Branch level business achievements and various day to day business activities, program and trainings etc. The initiative has been successful in engaging employees..

23. CUSTOMER EXCELLENCE BRANCH BANKING:

Bank is a member of the Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) since its inception in 2006. Our Bank is committed to provide service of a high order in a transparent manner. Our Bank undertakes customer orientation programs and Customer Meetings on a regular basis to provide necessary information so as to enable them to take appropriate decision on different banking products offered by the Bank.

Various policies such as Customer Rights Policy, Customer Acceptance Policy, Customer Care Policy, Internal Ombudsman Policy and Grievance Redressal Policy are in place as per the regulatory requirements and same are reviewed from time to time to incorporate the changes as per the regulatory authorities and are placed in the public domain.

The Bank has taken initiatives during the year to enhance Customer service at Branches:

- Our Zones have conducted Customer Awareness Meets apart from the quarterly Customer Service Meetings this year to create an awareness among the customers about their rights and banks' commitment towards them. A total of 54 such meeting has been conducted PAN India at different places.
- We have started full-fledged Call center for providing assistance to the customer 24*7 from 7 September, 2018 at Airoli (Mumbai) and Hyderabad.
- We have also included Feedback system in our Operational Customer Relationship Management to analyse the level of Customer Satisfaction in their grievance redressal.
- Bank has started an awareness campaign for staff through ticker in internal system and on ATM screens/ Digital signage system in selected branches, for customers.
- Compliance verification of BCSBI Codes in included in the Internal Audit/Inspection Report which would sensitize the staff for compliance of code provisions/ improved customer service.
- We have kept E-book on Stardesk containing Grievance Redressal Policy, BCSBI codes for Consumers, BCSBI codes for MSME and Banking Ombudsman Scheme 2006 (along with changes incorporated form time to time) for ready reference of staff members.
- Customer Satisfaction Survey is conducted by Third party PAN India for the feedback and suggestions from the customers for our various products and services.

24. BRANCH NETWORK & EXPANSION :

Bank has a geographically well spread branch network in India and aboard. Bank had 5092 branches in India as on 31.03.2019. In the foreign countries 54 branches and 2 representative offices keep Bank's presence felt in all times Zones and important financial centers of the globe. During the year 2018-19, Bank has not opened any new branch. Composition of Bank's Branch Network is as under:

Category	31.03.2018		31.03.2019	
	No of Brs	% to total	No of Brs	% to total
Metropolitan	885	17.26	994	19.52
Urban	860	16.77	812	15.95
Semi-Urban	1371	26.75	1454	28.55
Rural	2011	39.22	1832	35.98
Total Domestic Branches	5127	100	5092	100
Overseas	59	-	56	-
Total Branches	5186	-	5148	-

25. BANK'S DOMESTIC SUBSIDIARY/ASSOCIATES/JOINT VENTURES :

BOI SHAREHOLDING LIMITED (BOISL)

Bank has investment of Rs.6.64 crore in BOISL, a 100% subsidiary of the Bank. BOISL acts as Depository Participant (DP) of both the Depositories, National Securities Depository Ltd. (NSDL) and the Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). The Company also undertakes collection of Broker Turnover Stamp Duty on behalf of Government of Maharashtra, Gujarat, New Delhi, Tamil Nadu, Telangana, West Bengal, Haryana, Karnataka and Uttarpradesh..

BOI AXA INVESTMENT MANAGERS PVT. LTD. & BOI AXA TRUSTEE SERVICES PVT. LTD.

These subsidiaries are in the business of Mutual Fund and Invesment Advisory Services under SEBI Investment Advisor Regulations. Bank of India is holding 51% Stake in both the Companies with Investment of Rs.60.69 crore.

BOI MERCHANT BANKERS LIMITED (BOIMBL)

BOI Merchant Bankers Limited was promoted on 31.10.2014 to undertake merchant banking business including arranging of Syndicated Loans, Bonds and Debentures. It is a wholly owned subsidiary of the Bank with paid up capital of Rs.10 crore.

STCI FINANCE LIMITED

Established in 1994, STCI Finance Ltd., acts as a non deposit taking NBFC. Bank of India with 29.96% holding is the largest stakeholder in STCI, with a Paid up Capital of Rs.380 crore. STCI Primary Dealer Ltd. (STCIPD) is a wholly owned subsidiary of STCI Finance Limited. STCIPD commenced its operations from 25th June 2007 and is one of the leading primary dealers in the country.

STAR UNION DAI-ICHI LIFE INSURANCE COMPANY LTD. (SUDLIFE):

Bank of India, Union Bank of India and Dai-Ichi Life Insurance Company, Japan have formed "Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company" to provide life insurance services to its clients. The company commenced insurance business in February 2009. BOI holds 28.96% (Investment of Rs.75 crore), UBI holds 25.10%, and Dai-ichi Life Insurance Company holds 45.94% stake of the Company.

INVESTMENT / ALLIANCES :

ASREC (India) Ltd. was floated by the Specified Undertaking of the Unit Trust of India (SUUTI) to undertake securitization and asset reconstruction activities. Bank holds 26.02% stake, in the equity capital of the company of Rs. 98 crore.

National Collateral Management Services Ltd. (NCML) is promoted by the National Commodity and Derivatives Exchange Ltd. (NCDEX). It was incorporated on 28.09.2004 to promote and provide collateral management services for securing, managing and controlling securities and commodities. Bank holds stake of 2.34% in the equity capital of the company with Investment of Rs.3 crore.

SWIFT India Domestic Service Pvt. Ltd. a joint venture company promoted by SWIFT and 9 major Banks including Bank of India. SWIFT is holding 55 % equity and remaining 45% is held by 9 major Banks. Bank of India has an equity stake of 3.26% in the company with Rs.7.71 crore Investment.

Acuite Ratings & Research Limited (Earlier SME Rating Agency of India Ltd. (SMERA)) was set up during FY 2005-06 by SIDBI in association with Dun & Bradstreet, one of the leading providers of commercial data and analytics. The Company's objective is to provide comprehensive, transparent and reliable ratings which would facilitate greater and easy flow of credit to SME sector. Bank has a nominal stake of 1.88% in the equity capital with investment of Rs.0.28 crore.

Other Strategic Investments:

Bank also has strategic investments in CERSAI (Rs.2.15 crore), Equifax Credit Information Services Ltd. (Rs.4.73 crore), U.V. Asset Reconstruction Co. Ltd. (Rs.0.15 crore) Clearing Corporation of India (Rs.0.50 crore), Agricultural Finance Corporation Ltd. (Rs.1.26 crore), SIDBI (Rs.45.30 crore), Central Ware Housing Corporation Ltd. (Rs.1.11 crore), Loss Data Consortium CORDEX (Rs.1 crore), SBIDFHI (Rs.5.54 crore), NPCI (Rs.10 crore), MCX Stock Exchange Ltd. (Rs.27.50 crore), CSC e-Governance services India Ltd. (Rs.1 crore), Invent Assets Securitisation and Reconstruction Pvt. Ltd. (Rs.10 crore).

26. FRAUD RISK MANAGEMENT

Good corporate governance serves as an important factor in control of fraudulent activities. It may be true that Fraud itself cannot be eliminated but fraud risks can be managed and mitigated like other business risks with a proactive framework and approach.

Fraud Risk Management Department handles all fraud related matters independently in areas of:

- Devising and Administration of FRM Policy for the Bank,
- Reporting to RBI within stipulated timeline and Monitoring of Frauds,
- Maintenance of Centralized data on frauds,
- Analysis of Perpetrated and Attempted Frauds,
- Diagnostic and root cause analysis of fraud cases and implementation of remedial measures and steps to mitigate risks thereof in respect of product deficiencies,
- Plugging the loopholes in the systems, procedures & practices leading to perpetration of frauds,
- Dissemination of modus operandi & reasons for occurrence of fraud revealed by way of Circulars/ instructions to avoid the risk of recurrence of frauds of similar nature,
- Sensitizing staff through short alerts messages through tickers/periodical messages through MMS/ training/Video Conferencing on Fraud prevention,

- Periodical circulation of checklist on prevention of frauds,
- Follow up of complaints and FIRs with police authorities,
- Convening meeting of Task Force Committee on frauds at HO and monitoring the meeting of Zonal Task Force Committee on frauds,
- Department is in the process of acquiring new Enterprise wide Fraud Risk Management Solution encompassing all delivery channels.

27. VIGILANCE MANAGEMENT :

Vigilance machinery is headed by the Chief Vigilance Officer (CVO) appointed by Government of India, Ministry of Finance and the Central Vigilance Commission. The CVO is assisted by General Banking Officers with knowledge/ background of investigation and disciplinary matters for rendering advice and support on matters relating to vigilance cases. Vigilance Department also focuses on initiation and dissemination of preventive vigilance measures. Bank has eight separate "Vigilance Units" across NBG offices. The Vigilance Department also renders advice of the CVO in Vigilance cases referred by the Bank's sponsored Regional Rural Banks (RRB).

28. DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

In terms of Clause 43A of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, Bank has formed a Dividend Distribution Policy and the same is available on our website - https://www.bankofindia.co.in/pdf/DDP.pdf

29. BUSINESS RESPONSIBILITY REPORTING-2018-19

In terms of Clause 32 (2) (F) of SEBI-Listing Obligation and Disclosure Requirement Regulations, the Business Responsibility Report is available on our website - www.bankofindia.co.in

30. BASEL-III (PILLAR 3) DISCLOSURE (CONSOLIDATED) MARCH 2019

In terms of RBI Circular DBOD.No.BP.BC.1/21.06.201/2015-16 dated July 1, 2015 on Basel III Capital Regulations read together with RBI Circular DBR.No.BP.BC.80/21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015 on Prudential Guidelines on Capital adequacy and Liquidity Standard – Amendments, requires Banks to make applicable Pillar 3 disclosures including Leverage Ratio and Liquidity Coverage Ratio under the Basel III framework. These disclosures are available on Bank's website at the link https://www.bankofindia.co.in/RegDisclosureSec.aspx.

ACKNOWLEDGEMENT:

The Board expresses its gratitude to the Government of India, Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India and other regulatory authorities for their valuable guidance and support. The Board also thanks financial Institutions and correspondent banks for their co-operation and support. The Board acknowledges the unstinted support of its customers, business associates and shareholders. The Board also wishes to place on record its appreciation of staff members for their dedicated service and contribution for the overall performance of the Bank..

For and on behalf of the Board of Directors



Place : Mumbai
Date : 28.05.2019

Dinabandhu Mohapatra
Managing Director & CEO

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक ऑफ़ इंडिया, भारत का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है। जिस समाज में यह कार्य करता है, उसके सामाजिक- आर्थिक विकास के प्रति यह निरंतर समर्पित रहता है। बैंक ऑफ़ इंडिया यह मानता है कि जिस समाज ने, इतने वर्षों में, इस बैंक को इतने बड़े आकार में फलने-फूलने का अवसर दिया है, वह इस प्रगति के बदले कुछ न कुछ प्राप्त करने का अधिकारी है।

बैंक ऑफ़ इंडिया दृढ़तापूर्वक यह मानता है कि सी.एस.आर. के अंतर्गत किये गये कार्य प्रतिस्पर्धात्मक लाभ देते हैं तथा कारोबारी संस्था की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक विकास के संबंध में विभिन्न् सामाजिक दायित्वों का निर्वहण कर बैंक ऑफ़ इंडिया ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बैंक मुख्य रूप से स्वच्छ भारत अभियान, ग्रामीण विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे शैक्षणिक कार्यों, गरीबों एवं वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों, स्वच्छता, पेय जल प्रदान करने, जीवन स्तर सुधारने, कौशल विकास, महिला, बाल तथा एससी/एसटी/ओबीसी के कल्याण इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित सी.एस.आर. कार्यों से जुड़ा हुआ है।

बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में देश के प्रत्येक भाग में सीएसआर से संबंधित कार्यों को उदारतापूर्वक किया है। कंपनी अधिनियम 2013 के नये प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत गठित कंपनियों को सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय करना है। यद्यपि बैंक इस श्रेणी में नहीं आता है परन्तु एक जिम्मेदार कॉरपोरेट निकाय होने के कारण बैंक, सी.एस.आर. गतिविधियों में शामिल होता है क्योंकि यह समाज के लिए आवश्यक है।

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ऑफ़ इंडिया ने कुल रु.3.95 करोड़ की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं अनुमोदित की।

वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित तीन श्रेणियों के अंतर्गत सी.एस.आर. लीडरशिप पुरस्कार प्राप्त किये :

1. सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट सामाजिक कार्यप्रणाली
2. दिव्यांगों के लिए रोजगार प्रोत्साहित करना
3. शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा इस हेतु सहयोग

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक द्वारा विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं में सहयोग दिया गया है जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :

- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सहभागिता जिसका लाभ समाज के विभिन्न तबकों के लाखों परिवारों को हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना इत्यादि गतिविधियों में सहभागिता की गयी। गरीब एवं वंचित क्षेत्रों की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए इनसिनरेटर मशीन के साथ सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था आदि कार्य किये गये।
- समाज के गरीब/वंचित लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के मरीजों को लाभ हुआ।
- कैंसर के मरीजों को सहयता प्रदान की गयी।

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Bank of India, a premier financial institution of the country believes in continuous dedication towards the socio-economic development of communities in which it operates. Bank of India believes that the society which has helped the Bank to grow to such an enormous size over the years, deserves to get back something in return for its development.

The Bank strongly believes that CSR activity is an important instrument that provides competitive advantage and improves reputation of the business concern. BOI has created its individual brand image in the field of Corporate Social Responsibility (CSR) by taking various social initiatives for social welfare and community development. The Bank is engaged in CSR activities mostly in the area of Swachhta Bharat Abhiyan, Rural Development, Educational program such as Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan, Extending health care to poors / under privileged, socio economic development, sanitation, providing drinking water, improving standard of living, skill development, welfare of women, Children and SC/ST/OBC etc.

The Bank has been generously contributing to CSR activities over the last few years throughout the length and breadth of the country. A new provision in Companies Act 2013 has mandated expenditure under CSR for the Companies formed under the Act. Even though Bank does not come under this category, as a responsible corporate citizen, the Bank has been participating in CSR activities for worthy causes.

Bank of India has approved various CSR projects during the year 2018-19 aggregating Rs.3.95 crores.

During the year 2017-18 Bank won CSR leadership Awards under the following three categories:

1. Best Corporate Social Practices
2. Promoting Employment for physically challenged
3. Support and improvement in quality of Education

During the year 2018-19 Bank has assisted various CSR projects some of them are mentioned below.

- Participation under Swachh Bharat Abhiyaan benefitting lakhs of people of various strata of society, activities undertaken such as financial assistance provided for construction of toilets in rural area, providing waste bins, Waste Processing machines. Sanitary Napkins with Incinerator machines for girls and women of poor and underprivileged area. etc.
- Extending health care to poor /under privileged section of the society benefitting number of patients across various strata of society.
- Assistance to Cancer Patients.

- वंचित बच्चों और महिलाओं तथा गरीब मरीजों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए अस्पतालों को मेडिकल उपकरण, एम्बूलेंस उपलब्ध करा कर सहायता देना।
- दिव्यांग लोगों तथा नेत्रहीन व्यक्तियों की आय सृजन क्षमता को सुनिश्चित कर तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाकर उन्हें सहायता प्रदान करना।
- गरीब बच्चों के स्कूलों को वाटर कूलर, कम्प्यूटर, लैपटॉप, स्कूल बैग उपलब्ध करा कर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता प्रदान करना। इससे विभिन्न जनसमूहों के कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों का लाभ हुआ है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विभिन्न विद्यालयों के करीब 8800 बालिका छात्रों को सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए व्यवसाय परक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।

वर्ष 2018-19 के दौरान सीएसआर गतिविधियों का विभाजन इस प्रकार है :-

1)	स्वास्थ्य भारत अभियान	रु. 64.60 लाख
2)	एंजेल इंडिया (बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान) तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के अंतर्गत	रु. 127.78 लाख
3)	स्वास्थ्य	रु. 134.35 लाख
4)	शिक्षा	रु. 16.99 लाख
5)	अन्य समाजिक कल्याण	रु. 52.08 लाख
	कुल राशि	रु. 395.80 लाख

- Extending assistance by way of providing Medical equipment's, Ambulances to hospitals for health care needs of poor patients and underprivileged children/ women benefitting thousands of poor patients.
- Extending assistance to differently abled and blind persons by uplifting their economic and social status and ensuring their income generation capacity.
- Assistance for promoting education by way of providing school bags, Laptops, computers, water coolers to schools for poor children benefitting students from standard 1 to standard 10th of varied population size.
- Assistance through providing scholarship under Government's Beti Bachao Beti Padao Abhiyan to around 8800 girl students of various schools located in rural area.
- Assistance for providing vocational training for skill development for differently abled persons.

Bifurcation of the CSR activities during the year 2018-19 as under.

1)	Swachha Bharat Abhiyan	Rs. 64.60 Lakhs
2)	Under empowering women and Angel India (Beti Bachao Beti Padhao Abhiyan)	Rs. 127.78 Lakhs
3)	Health	Rs. 134.35 Lakhs
4)	Education	Rs. 16.99 Lakhs
5)	Other Social Welfare	Rs. 52.08 Lakhs
	Total amount	Rs. 395.80 Lakhs

कॉरपोरेट प्रशासन प्रणाली

प्रशासन प्रणाली संहिता पर बैंक का दर्शन :

बैंक की कॉरपोरेट शासन प्रणाली का दर्शन, शेयरधारक के मूल्य में वृद्धि करते हुए, अपने कारोबार के संचालन में नैतिकता के प्रति अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता पर आधारित है। बोर्ड, कार्यपालकों तथा अन्य पदाधिकारियों का पारस्परिक संबंध इस तरह गठित है कि उनकी विशिष्ट भूमिकाएं स्पष्टतया निर्धारित हैं तथा इससे कॉरपोरेट कार्यनिष्पादन में सुधार आता है। बैंक उच्च प्रकटन मानकों तथा पारदर्शिता के अनुसरण के प्रति भी प्रतिबद्ध है। सर्वश्रेष्ठ कार्य-प्रणालियों का अनुसरण करते हुए बैंक ने कारोबार के प्रत्येक पक्ष की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

बोर्ड के निदेशक :

समय-समय पर यथा संशोधित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत बैंक का गठन किया गया है। सामान्य पर्यवेक्षण, बैंक के कारोबार तथा कामकाज का प्रबंधन तथा निदेशन, निदेशक मंडल के पास है जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन) करते हैं। अगस्त 2015 से, बैंक में एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं।

समीक्षागत वर्ष (2018-19) के अंतर्गत बोर्ड में तथा अब तक निम्नलिखित सदस्य थे :

श्री जी. पद्मनाभन (14.08.2108 से पुनर्नियुक्त)	अध्यक्ष
श्री दीनबंधु मोहापात्रा	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री एन. दामोदरन	कार्यपालक निदेशक
श्री ए. के. दास	कार्यपालक निदेशक
श्री सी. जी. चैतन्य	कार्यपालक निदेशक
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू (12.07.2018 तक)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती दक्षिता दास (13.07.2018 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती आर. सेबास्टियन, (25.04.2019 तक)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्री एस.सी. मुर्मू, (26.04.2019 से)	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक
श्रीमती वेणी थापर	सनदी लेखाकार
श्री डी. सरकार	शेयरधारक निदेशक
श्री डी. हरीश	शेयरधारक निदेशक

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशकों को छोड़कर शेष सभी निदेशकगण, बोर्ड के गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। केंद्रीय सरकार को छोड़कर, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटन बाध्यताएं) विनियमन-2015 (सेबी-एलओडीआर) के विनियम 16 (बी) के अनुरूप स्वतंत्र निदेशक हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को दिए गए पहचान कार्यक्रम का विवरण हमारी वेबसाइट अर्थात् www.bankofindia.co.in में उपलब्ध है।

हमारा कोई भी निदेशक दूसरे किसी निदेशक का रिश्तेदार नहीं है।

वर्ष 2018-19 के दौरान और अब तक बैंक में कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री जी. पद्मनाभन :

श्री जी. पद्मनाभन को 14 अगस्त, 2015 को तीन वर्षों की अवधि के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया का गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था जिसे दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

श्री पद्मनाभन ने केरल विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया है। साथ ही उन्होंने बर्मिंघम बिज़नेस स्कूल से कारोबार प्रशासन में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। उन्हें

CORPORATE GOVERNANCE

Bank's Philosophy on code of Governance:

The Bank's corporate governance philosophy is woven around its total commitment to ethical practices in the conduct of its business, while striving to enhance shareholders' value. The interrelation between the Board, the executives and other functionaries is so configured as to have distinctly demarcated roles and improved corporate performance. The Bank is also committed to following high disclosure standards and transparency. In line with the best practices, the Bank has formed various committees of the Board to monitor every aspect of business.

Board of Directors :

The Bank is constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 as amended from time to time. The general superintendence, direction and management of the affairs and business of the Bank is vested in the Board of Directors presided over by the Chairman. Since August 2015, the Bank has a Non-Executive Chairman and a full time Managing Director & Chief Executive Officer.

During the year under review (2018-19) and as on date the Composition of the Board was as under:

Shri G. Padmanabhan (Re-appointed on 14.08.2018)	Chairman
Shri Dinabandhu Mohapatra	Managing Director & CEO
Shri N. Damodharan	Executive Director
Shri A. K. Das	Executive Director
Shri C. G. Chaitanya	Executive Director
Shri Girish Chandra Murmu (upto 12.07.2018)	Govt. Nominee Director
Ms. Dakshita Das (from 13.07.2018)	Govt. Nominee Director
Ms. R. Sebastian upto 25.04.2019	RBI Nominee Director
Shri S. C. Murmu from 26.04.2019	RBI Nominee Director
Ms. Veni Thapar	Chartered Accountant
Shri D. Sarkar	Shareholder Director
Shri D. Harish	Shareholder Director

All directors, other than the Managing Director & CEO and the Executive Directors, are non-executive Directors on the Board. The Directors representing shareholders of the Bank other than the Central Government are independent directors within the meaning of Regulation 16 (b) of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 (SEBI-LODR).

Details of familiarization programmes imparted to independent directors are available on our website i.e. www.bankofindia.co.in.

None of the Directors is a relative of other Director.

Brief Profile of the Directors who joined the Bank during the year - 2018-19 and till date:

Shri G Padmanabhan:

Shri G. Padmanabhan was appointed as Non-executive Chairman of Bank of India on 14th August, 2015 for a period of three years which has been extended for a further period of two years.

Shri Padmanabhan, a post graduate in Economics from Kerala University and a Masters in Business Administration from the Birmingham Business School, holds extensive experience and

आर.बी.आई. में विभिन्न पदों पर भारत में विदेशी विनिमय/प्रतिभूति बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान प्रणालियों के संबंध में बैंक विनियमन तथा पर्यवेक्षण में 35 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता है। इसके साथ-साथ उन्हें देश की बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और प्रतिभूति क्षेत्र से संबंधित नीतियों, प्रणालियों, दिशा-निर्देशों और विनियमों की अनुशंसा करने और लागू करने का अनुभव है।

श्री पद्मनाभन देश में जीआईआरओ के क्रियान्वयन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे और रिज़र्व बैंक में नये ई-ट्रेज़री के क्रियान्वयन में भी उनका योगदान रहा है। वे अपनी प्रकार के पहले आईएसओ 20022 पर आधारित आरटीजीएस प्रणाली और भुगतान संव्यवहारों के डिजिटलीकरण के क्रियान्वयन में भी शामिल थे।

सीपीएसएस, बासेल के संचालन दल के सदस्य के रूप में श्री पद्मनाभन ने ठवित्तीय बाजार अवसंरचना हेतु सिद्धान्तठ के संबंध में रिपोर्ट पर कार्य किया और गैर-बैंकों पर सीपीएसएस (अब सीपीएमआई) द्वारा गठित अंतरराष्ट्रीय कार्यदल की अध्यक्षता भी की।

श्री पद्मनाभन खेलों में भी अत्यधिक रुचि लेते हैं और वे अपने कॉलेज के दिनों में टेनिस में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनित्व भी कर चुके हैं। वे अभी तक भी नियमित रूप से इस खेल को खेलते हैं।

श्रीमती दक्षिता दास :

श्रीमती दक्षिता दास, वित्तीय सेवाएं विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत हैं। उनकी आयु 57 वर्ष है। उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन से बी.ए (ऑनर्स) किया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध में एम.फिल किया है।

श्रीमती दक्षिता दास को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा दिनांक 14.08.2018 से राष्ट्रीय आवास बैंक के एम.डी एवं सी.ई.ओ का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। उनकी रुचि का क्षेत्र पब्लिक फाइनांस है।

उन्हें 13.07.2018 से अगले आदेश तक बैंक का सरकारी नामिती निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू

श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.एससी. की उपाधि प्राप्त की है तथा उन्होंने भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (आई.आई.बी.एफ) से सी.ए.आई.आई.बी किया है।

उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक के चेन्नई तथा कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय एवं केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई में कार्य करने का 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने आर.बी.आई में विभिन्न कार्यों को संभाला है जैसे बैंकिंग विनियमन, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन, एम.एस.एम.ई क्षेत्र को वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन तथा वित्तीय साक्षरता। उन्हें आर.बी.आई की सूचना प्रौद्योगिकी संरचना को प्रबंधित करने का भी अनुभव है। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में आर.बी.आई के कोलकाता कार्यालय के प्रमुख हैं। उन्होंने 2016 से 2019 के बीच देना बैंक के बोर्ड पर आर.बी.आई नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया है।

* सेबी एलओडीआर विनियमन 2015 की अनुसूची V के खण्ड सी के अनुपालन में,

expertise in bank regulation and supervision of foreign exchange/ securities markets in India, information technology and payment systems, with more than 35 years of experience with the RBI in various capacities, like recommending and implementing policies, systems, guidelines and regulations relating to the banking, financial services and securities sector of the country.

Shri Padmanabhan was the Chairman of the Committee to implement GIRO in the country and has been involved in the implementation of new e-Treasury system in the Reserve Bank. He was involved in the operationalization of the first of its kind ISO 20022 standards based RTGS System and the digitization of payment transactions.

As a member of the Working Group of the CPSS, Basel, Shri Padmanabhan worked on the report on Principles for Financial Market Infrastructures and also chaired the International Working Group set up by CPSS(now CPMI) on Non-banks.

Shri Padmanabhan is a keen sportsman and had represented his University in Tennis during his college days. He regularly plays the game to date.

Ms. Dakshita Das:

Ms. Dakshita Das is working in Department of Financial Services, Ministry of Finance as an Additional Secretary. She is 57 years old. She has completed her BA (Hons) from Lady Sriram College of Women. She has done her M.Phil in International Relations.

Ms. Dakshita Das had been assigned additional charge of MD&CEO of National Housing Bank from 14.08.2018 by Government of India, Ministry of Finance. Her area of interest is Public Finance.

She has been appointed by Government of India as Government Nominee Director of the Bank w.e.f. 13.07.2018 until further orders.

Shri Shirish Chandra Murmu:

Shri Shirish Chandra Murmu is M.Sc. from Jawaharlal Nehru University, New Delhi and is a Certified Associate of Indian Institute of Bankers from Indian Institute of Banking and Finance.

He has more than 27 years of working experience in Reserve Bank of of India in Regional Officers of Chennai, Kolkata and Central Office Mumbai. He has handled diverse functions in RBI, such as Banking Regulations, Supervision of Commercial and Cooperative Banks, Currency Management, financing of MSME sector, Financial Inclusion, Financial Literacy. He has also the experience of managing the Information Technology infrastructure of RBI. He is Presently heading Kolkata Office of RBI as Regional Director for West Bengal & Sikkim. He has served on the board of Dena Bank as RBI nominee director between 2016 to 2019.

निदेशकों के अन्य विवरण (31.03.2019 तक)

OTHER PARTICULARS OF DIRECTORS (As on 31.03.2019)

क्र सं. Sr. No.	निदेशकों के नाम Name of Directors	श्रेणी (अध्यक्ष / कार्यपालक / गैरकार्यपालक / स्वतंत्र / नामिती) Category (Chair- person/ Executive / Non-Executive/ independent/ Nominee)	बैंक के ईक्विटी शेयरों की धारिता Holding of Bank's Equity shares	निदेशक के रूप में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment as Director	विशेषज्ञता क्षेत्र Area of Expertise	अन्य कंपनियों में निदेशक पद Directorships of other Companies	बोर्ड समितियों के सदस्य Member of Board Committees*	
							सदस्य Member	अध्यक्ष Chairman
1	श्री जी. पद्मनाभन Shri G. Padmanabhan	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष Non-Executive Chairman	–	14.08.2015	बैंकिंग Banking	–	1	–
2	श्री डी मोहापात्रा Shri D. Mohapatra	कार्यपालक Executive	11200	05.05.2017	बैंकिंग Banking	एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया Export Import Bank of India	1	–
3	श्री एन दामोदरन Shri N Damodharan	कार्यपालक Executive	4750	16.02.2017	बैंकिंग Banking	1. बी ओ आई मर्चेन्ट बैंकर्स लि. 2. द न्यू इंडिया एशुरेंस को. लि. 1. BOI Merchant Bankers Ltd 2. The New India Assurance Co. Ltd.	3	–
4	श्री ए के दास Shri A. K. Das	कार्यपालक Executive	4750	17.02.2017	बैंकिंग Banking	1. जनरल इन्शुरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया 2. बीओआई शेयर होल्डिंग लि. 3. स्विफ्ट इंडिया डोमेस्टिक सर्विस प्राइवेट लि. 1. General Insurance Corporation of India 2. BOI Shareholding Ltd. 3. Swift India Domestic Services Pvt. Ltd.	3	–
5	श्री सी.जी चैतन्य Shri C. G. Chaitanya	कार्यपालक Executive	10000	09.10.2017	बैंकिंग Banking	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाईनान्स कंपनी लि. India Infrastructure Finance Co. Ltd.	3	–
6	सुश्री दक्षिता दास Ms Dakshita Das	नामिती Nominee	–	13.07.2016	प्रशासन Administration	राष्ट्रीय आवास बैंक National Housing Bank	1	–
7	श्रीमती आर. सेबास्टियन Ms R. Sebastian	नामिती Nominee	–	26.04.2016	बैंकिंग Banking	शून्य None	1	–
8	श्रीमती वेनी थापर Ms Veni Thapar	गैर कार्यपालक Non Executive	–	21.06.2016	लेखा Accounting	शून्य None	–	1
9	श्री डी. सरकार Shri D. Sarkar	स्वतंत्र Independent	500	25.10.2017	लेखा Accounting	1. विस्तारा आईटीसीएल(इंडिया) लि. 2 एसेट रीकन्स्ट्रक्शन को (आई) लि. 3. हिंदुजा लीलैंड फ़ाइनेंस लि. 4. लर्निंग कर्व एडुटेक सोल्युशंन(पी)लि. 5. इनसेपशन ऍडवाजर(पी) लि. 6. ईज़ी होम फाइनेंस लि. 7. बीओआई मर्चेंच अण्ड बँकर्स लि. 8. इमामी लि. 9. आईडीएल एक्सप्लोसिव लि. 1. Vistara ITCL (India) Ltd. 2. Asset Reconstruction Co (I) Ltd. 3. Hinduja Leyland Finance Ltd. 4. Learning Curve Edutech Solution (P) Ltd. 5. Inception Advisors (P) Ltd. 6. Easy Home Finance Ltd. 7. BOI Merchant & Bankers Ltd. 8. Emami Ltd. 9. IDL Explosive Ltd.	3	2
10	श्री डी. हरीश Shri D. Harish	स्वतंत्र Independent	1300	25.10.2017	मानव संसाधन Human Resources	शून्य None	1	–

बैंक ने केवल लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारक संबंध समिति की अध्यक्षता/ सदस्यता पर विचार किया है।

* In compliance of Clause C of Schedule V of SEBI LODR Regulations 2015, the Bank has considered the Chairmanship/ Membership of the Audit Committee and the Stakeholders' Relationship committee only

बोर्ड की बैठकों का संचालन :

वित्त-वर्ष 2019 के दौरान, निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की कुल 15 बैठकें आयोजित की गईं:

वित्त-वर्ष 2019 में बोर्ड बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

Conduct of Board Meetings:

During the FY 2019, 15 Board Meetings were held on the following dates:

12.04.2018	28.05.2018	06.06.2018	18.06.2018	31.07.2018	09.08.2018
10.09.2018	27.09.2018	11.10.2018	12.11.2018	07.12.2018	11.01.2019
28.01.2019	08.02.2019	19.03.2019			

Details of attendance of the Directors at the Board Meetings in FY 2019 are as follows:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	दर्ज की गयी उपस्थिति Attendance Recorded	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री जी. पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री एन. दामोदरन	Shri N. Damodharan	15	14	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री ए. के. दास	Shri A. K. Das	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	15	13	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू	Shri Girish Chandra Murmu	04	01	01.04.2018 to 12.07.2018
सुश्री दक्षिता दास	Ms Dakshita Das	11	02	13.07.2018 to 31.03.2019
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R. Sebastian	15	06	01.04.2018 to 31.03.2019
श्रीमती वेणी थापर	Ms Veni Thapar	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री डी. सरकार	Shri D. Sarkar	15	13	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019

बोर्ड समितियां

व्कॉरपोरेट प्रशासन और जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप रणनीतिक महत्व वाले विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने हेतु बैंक के निदेशक मंडल ने निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड समितियां निम्नानुसार हैं :-

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति
2. बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति
3. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
4. शेयरधारक संबंध समिति
5. शेयर अंतरण समिति
6. जोखिम प्रबंधन हेतु निदेशकों की समिति
7. ग्राहक सेवा हेतु निदेशकों की समिति
8. निदेशकों की नामांकन समिति
9. कारोबार समीक्षा समिति
10. निवेश अनुमोदन समिति
11. बड़ी राशि की धोखाधड़ियों की निगरानी हेतु समिति
12. आईटी कार्यनीति समिति
13. पदोन्नति पर निदेशकों की समिति
14. एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति
15. इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में समीक्षा समिति
16. उच्च राशि एनपीए और हानि परिसंपत्तियों की निगरानी समिति
17. बोर्ड की स्वतंत्र निदेशकों की समिति
18. अनुशासनिक कार्यवाही समिति
19. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
20. डिजिटल भुगतान संवर्धन समिति

बोर्ड की प्रबंधन समिति :

Board Committees

The Board of Directors of the Bank has constituted various committees of directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India / SEBI / Government of India Guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Board Committees are as under:

1. Management Committee of the Board
2. Credit Approval Committee of the Board
3. Audit Committee of the Board
4. Stakeholders' Relationship Committee
5. Share Transfer Committee
6. Committee of Directors for Risk Management
7. Committee of Directors for Customer Services
8. Nomination Committee of Directors
9. Business Review Committee
10. Investment Approval Committee
11. Committee for Monitoring on Large Value Frauds
12. IT Strategy Committee
13. Directors Promotion Committee
14. Steering Committee of the Board on HR
15. Review Committee for Wilful Defaulters
16. Committee for Monitoring High Value NPAs and Loss Assets
17. Independent Directors' Committee of the Board
18. Disciplinary Proceeding Committee
19. Corporate Social Responsibility Committee
20. Digital Payment Promotion Committee

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन राष्ट्रीकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। प्रबंधन समिति वित्तीय स्वीकृतियों, समझौतों/बट्टे खाते में डालने संबंधी प्रस्तावों, वाद/अपील दायर करने आदि के संबंध में बोर्ड को प्राप्त सभी अधिकारों का प्रयोग करती है। दिनांक 31.03.2019 तक इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, 3 कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशकों सहित 7 सदस्य शामिल हैं।

वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान बोर्ड के प्रबंधन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 23 बैठकें हुई :

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति की रिपोर्ट निम्नानुसार है:

20.04.2018	09.05.2018	18.05.2018	07.06.2018	20.06.2018	28.06.2018
16.07.2018	01.08.2018	13.08.2018	23.08.2018	10.09.2018	18.09.2018
27.09.2018	09.10.2018	15.10.2018	01.11.2018	27.11.2018	12.12.2018
20.12.2018	27.12.2018	21.01.2019	05.02.2019	21.02.2019	06.03.2019
19.03.2019	27.03.2019				

Management Committee of the Board:

The Management Committee of the Board is constituted as per the provisions of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme, 1970. The Management Committee exercises all the powers vested in the Board in respect of financial sanctions, compromises/write off proposals and filing of suits/appeals, etc. As on 31.03.2019, it comprised of 7 members consisting of the Managing Director and CEO, 3 Executive Directors, RBI Nominee Director and 2 other Directors.

The Management Committee of the Board met 26 times during the FY 2019 on the following dates:

20.04.2018	09.05.2018	18.05.2018	07.06.2018	20.06.2018	28.06.2018
16.07.2018	01.08.2018	13.08.2018	23.08.2018	10.09.2018	18.09.2018
27.09.2018	09.10.2018	15.10.2018	01.11.2018	27.11.2018	12.12.2018
20.12.2018	27.12.2018	21.01.2019	05.02.2019	21.02.2019	06.03.2019
19.03.2019	27.03.2019				

बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति:

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, नई दिल्ली की प्रत संदर्भ सं.13/1/2006-बीओ.1 दिनांकित 31 जनवरी, 2012, द्वारा जारी निदेशों के अनुसार बैंक ने बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति का गठन किया है। यह ऋण अनुमोदन समिति हमारे बैंक के मामले में रु.400 करोड़ तक के किसी एकल ऋण प्रस्ताव के बारे में बोर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगी और ऐसी सीमाओं से अधिक एक्सपोज़र के मामलों पर प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, वित्त के प्रभारी महाप्रबंधक और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी महाप्रबंधक और संबंधित ऋण के प्रभारी महाप्रबंधक इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ करते हैं। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान बोर्ड की ऋण अनुमोदन समिति की निम्नलिखित तारीखों को 15 बैठकें हुई:

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड निम्नानुसार है :

15.05.2018	02.06.2018	14.06.2018	28.06.2018	04.08.2018	16.08.2018
19.09.2018	29.09.2018	03.11.2018	01.12.2018	29.12.2018	31.01.2019
22.02.2019	12.03.2019	29.03.2019			

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	26	26	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री एन. दामोदरन	Shri N. Damodharan	26	25	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री ए. के. दास	Shri A. K. Das	26	22	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री सी. जी. चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	26	24	01.04.2018 to 31.03.2019
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R. Sebastian	26	09	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री डी. सरकार	Shri D. Sarkar	24	23	01.04.2018 to 24.04.2018 18.05.2018 to 31.10.2018 02.11.2018 to 31.03.2019
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	24	23	01.04.2018 to 24.04.2018 18.05.2018 to 17.11.2018 01.12.2018 to 31.03.2019

Credit Approval Committee of the Board:

In terms of the directions of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their communication reference No.13/1/2006-BO.1 dated 31st January 2012, the Bank has constituted the Credit Approval Committee of the Board. The Credit Approval Committee shall exercise the powers of the Board in respect of any single credit proposal upto Rs. 400 Crore in case of our Bank and in case of exposure exceeding such limits shall be considered by the Management Committee.

The members of the committee are the Managing Director & CEO, the Executive Directors, the General Manager in-charge of Finance and the General Manager in-charge of Risk Management and the General Manager in charge of Credit concerned. The committee meetings are being chaired by the Managing Director & CEO of the Bank. Credit Approval Committee of the Board met 15 times during the FY 2019 on the following dates:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति :

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। यह एसीबी दिशानिर्देश देती है तथा बैंक के संपूर्ण लेखा-परीक्षा कार्य के परिचालन का निरीक्षण भी करती है।

लेखा परीक्षा समिति में 5 सदस्य हैं, अर्थात निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रभारी कार्यपालक निदेशक, सरकार नामिती निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक और 2 अन्य निदेशक। वर्तमान में श्रीमती वेनी थापर, सनदी लेखाकर निदेशक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षा हैं। वित्तीय-वर्ष 2019, के दौरान निम्नलिखित तारीखों को लेखा परीक्षा समिति की 13 बैठकें हुई :

उपर्युक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नानुसार है :

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी. मोहापात्रा	Shri D. Mohapatra	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री एन. दामोदरन	Shri N. Damodharan	15	13	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री ए. के. दास	Shri A. K. Das	15	12	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री सी.जी. चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	15	15	01.04.2018 to 31.03.2019

बोर्ड के निदेशकों के समक्ष स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व बैंक के गैर-

लेखा परीक्षित तिमाही परिणामों और वर्ष के लेखा परीक्षित परिणामों की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई।

स्टेक होल्डर संबंध समिति:

सेबी-एलओडीआर विनियमन 2015 के विनियम 20 के प्रावधान के अनुरूप कॉर्पोरेट शासन पर सेबी के दिशानिर्देशों के अनुपालन में शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने इत्यादि के संबंध में शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों के निवारण हेतु स्टेकहोल्डर संबंध समिति का गठन किया गया है। वर्ष के दौरान निवेशकों से अब तक प्राप्त सभी शिकायतों/सदंर्भों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया। संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद प्राय:सात दिनों के अंदर निवेशकों की शिकायतों पर कार्रवाई की जाती हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशकगण और दो स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री डी.सरकार, शेयरधारक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

श्री राजीव भाटिया, कंपनी सचिव, इस उद्देश्य के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी हैं।

Attendance record of the members in the above meetings is shown below:

Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board (ACB) has been constituted by the Board of Directors as per the guidelines of the Reserve Bank of India. The ACB provides direction and also oversees the operation of the total audit function of the Bank.

The Audit Committee comprises of 5 members viz. Executive Director in charge of Inspection & Audit, Government Nominee Director, Reserve Bank of India Nominee Director and 2 other directors. Mrs. Veni Thapar, Chartered Accountant Director is the present Chairperson of the Audit Committee of the Board. During the FY 2019, the Audit Committee met 13 times on the following dates:

09.05.2018	28.05.2018	29.06.2018	31.07.2018	20.08.2018	27.09.2018	11.10.2018
12.11.2018	10.12.2018	21.01.2019	25.01.2019	28.01.2019	05.03.2019	

The attendance record of the members in the above meetings is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Record	अवधि Period (From - To)
श्रीमती वेणी थापर	Ms Veni Thapar	13	13	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री जी. पद्मनाभन	Shri G. Padmanabhan	05	05	10.12.2018 to 31.03.2019
श्री ए के दास	Shri A. K. Das	13	13	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री एन दामोदरन	Shri N. Damodharan	13	11	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	13	10	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री गिरीश चन्द्र मुर्मु	Shri Girish Chandra Murmu	03	01	01.04.2018 to 12.07.2018
श्रीमती दक्षिता दास	Ms Dakshita Das	10	04	13.07.2018 to 31.03.2019
श्रीमती आर. सेबास्टियन	Ms R. Sebastian	13	05	01.04.2018 to 31.03.2019

Unaudited quarterly results of the Bank and audited results for the year were reviewed by the Audit Committee of the Board prior to the placing before the Board of Directors for approval.

Stakeholders Relationship Committee:

In compliance of Regulation 20 of SEBI-LODR Regulations – 2015, Stakeholders' Relationship Committee, has been constituted, for redressal of the grievances of the shareholders/ investors with regard to the transfer of shares, non-receipt of Balance Sheet, non-receipt of dividends, etc. All the references/ complaints received from the investors during the year have been replied / redressed till date. Investors' grievances are normally attended to within seven days on receipt of the relevant information. The Committee comprises of Executive Directors and Two Independent Directors. It is headed by Shri D. Sarkar, Shareholder Director of the Bank.

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को 18 शिकायतें प्राप्त हुई। इन सभी शिकायतों का निवारण किया गया है और यथा 31.03.2019 को एससीओआरईएस (SCORES) में कोई शिकायत लंबित नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 4 बैठकें आयोजित की गई:

सदस्यों की उपस्थिति का अभिलेख निम्नलिखित है:

Shri Rajeev Bhatia, Company Secretary, is the Compliance Officer of the Bank for this purpose.

During the year 2018-19, Bank has received 18 Complaints. All of these have been resolved and there are no pending complaints at SCORES as on 31.03.2019.

The Committee met 4 times during the FY 2019 on the following dates:

20.06.2018	10.09.2018	27.11.2018	21.02.2019

शेयर अंतरण समिति:

The attendance record of the members is shown below:

निदेशकों के नाम	Name of Directors	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें Meetings held during their tenure	कितनी बैठकों में उपस्थित Attendance Record	अवधि (से - तक) Period (From - To)
श्री डी.सरकार	Shri D. Sarkar	4	4	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री एन दामोदरन	Shri N. Damodharan	4	4	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री ए. के दास	Shri A. K. Das	4	3	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री सी.जी चैतन्य	Shri C. G. Chaitanya	4	3	01.04.2018 to 31.03.2019
श्री डी. हरीश	Shri D. Harish	4	3	01.04.2018 to 31.03.2019

इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुई :

जोखिम प्रबंधन के लिए निदेशकों की समिति:

Share Transfer Committee:

It comprises of Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. The Committee met 4 times during the FY 2018-2019 on the following dates:

07.06.2018	23.08.2018	01.11.2018	05.02.2019

इस समिति का गठन बैंक द्वारा लिए गए समस्त जोखिमों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 5 बैठकें हुई :

ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति:

Committee of Directors for Risk Management:

This committee was formed to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank. It comprises of Chairman, Managing Director & CEO, Executives Directors and three other directors. The committee met 5 times during the FY 2018-2019 on the following dates:

12.04.2018	30.07.2018	27.11.2018	21.01.2019	18.03.2019

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप सितंबर 2004 में ग्राहक सेवा के लिए निदेशकों की समिति का गठन किया गया था। समिति का कार्य बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता अनवरत रूप से सुधार लाने की है और ग्राहक सेवा हेतु गठित संचालन समिति (प्रधान कार्यालय में) के प्रदर्शन की समीक्षा करना है। इसमें प्रबंध निदेशक व सीईओ, तीन कार्यपालक निदेशक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक शामिल होते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की 4 बैठकें हुईं:

निदेशकों की नामांकन समिति:

Committee of Directors for Customer Service:

As per the RBI guidelines, the Customer Service Committee of the Board was formed in September 2004. The functions of the committee are to bring about improvement in the quality of customer service provided by the Bank on an ongoing basis and to review the performance of the Standing Committee on Customer Service (at the Head Office). It comprises of Managing Director & CEO, three Executive Directors, GOI Nominee Director and three other directors. The committee met 4 times during the FY 2018- 2019 on the following dates:

29.06.2018	18.09.2018	20.12.2018	19.03.2019

धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के चयन के लिए व्यक्तियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रखे गए 'फिट एंड प्रोपर' मानदंड को पूरा करना होगा। नामांकन समिति में अध्यक्ष, सरकार द्वारा नामित निदेशक और 2 अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान समिति ने शेयरधारक निदेशकों की "उपयुक्त एवं उचित" ('फिट एंड प्रोपर') स्थिति का पता लगाने के लिए 09.08.2018 को बैठक की गई।

कारोबार समीक्षा समिति:

Nomination Committee of Directors:

Under the provisions of Section 9 (3) (i) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Reserve Bank of India has laid down `Fit and Proper' criteria to be fulfilled by the persons to be elected as directors on the Boards of the Nationalised Banks. The Nomination Committee consists of Chairman, Govt. Nominee Director and 2 other Non-Executive Directors. During the FY 2019 the committee met on 1 times on 09.08.2018 to ascertain the `Fit & Proper' status of Shareholders Directors.

नियामक कैलेण्डर मदों की आवधिक समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और दो अन्य निदेशक हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Business Review Committee:

The Committee was formed to review the regulatory calendar items periodically. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and two other Directors. During the FY 2019, it met on following dates:

12.04.2018	06.06.2018	30.07.2018	11.10.2018
07.12.2018	08.02.2019		

निवेश अनुमोदन समिति

निवेश संबंधित निर्णय लेने के लिए निवेश अनुमोदन समिति का गठन किया गया। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, महाप्रबंधक-जोखिम प्रबंधन और महाप्रबंधक-वित्त शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2018-2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई।

Investment Approval Committee:

The Investment Approval Committee was formed to take investment decisions. It consists of the Managing Director & CEO, Executive Directors, General Manager – Risk Management and General Manager – Finance. During the FY 2018- 2019 it met on the following dates:

23.04.2018	31.05.2018	21.06.2018	02.07.2018	19.07.2018	26.07.2018
10.09.2018	19.09.2018	16.10.2018	23.10.2018	05.11.2018	13.11.2018
29.11.2018	23.01.2019	31.01.2019			

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति:

बड़े मूल्य की धोखाधडियों की निगरानी हेतु समिति का गठन किया गया था। इस समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण और तीन अन्य निदेशक शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर इसकी बैठकें हुई:

Monitoring of Large Value Frauds Committee:

The Committee was formed to monitor large value frauds. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors and three other Directors. During the FY 2019, it met on following dates:

06.06.2018	09.08.2018	27.11.2018	21.02.2019

आई.टी. कार्यनीति समिति:

आई.टी. कार्यनीतियों पर निर्णय लेने के लिए तथा आई.टी. परियोजनाओं के क्षेत्र में हुए विकास की निगरानी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में यह समिति गठित की गई। इसमें अध्यक्ष, एमडी व सीईओ, कार्यपालक निदेशकगण, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। इसकी तिमाही अंतराल में बैठक होती है। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

IT Strategy Committee:

The committee was formed in compliance of guidelines issued by Reserve Bank of India to take decision on IT Strategies and to monitor the development in the area of IT Projects. IT Strategy Committee consists of Chairman, MD and CEO, Executive Directors, and two other Non-Executive Directors. It meets on quarterly interval. During the FY 2019 it met on the following dates:

06.06.2018	30.07.2018	07.12.2018	18.03.2019

निदेशकों की पदोन्नति समिति:

इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और आरबीआई नामिती निदेशक शामिल होते हैं । वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान समिति की 29.03.2019 को बैठक हुई।

Directors Promotion Committee:

The Members of this committee are the Chairman, Managing Director & CEO and RBI Nominee Director. During the FY 2019 it met on 29.03.2019.

एचआर पर बोर्ड की संचालन समिति:

समिति एचआर से संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए गठित की गई। अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ , कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और दो अन्य निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

Steering Committee of the Board on HR:

The Committee was formed to consider the HR related matters. The Members of this committee are Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and two other directors. During the FY 2019 it met on the following dates:

10.05.2018	30.07.2018	07.12.2018	08.02.2019	18.03.2019

इरादतन चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति :

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ और दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक हैं। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

Review Committee for Wilful Defaulters:

The Members of this committee are Managing Director & CEO and two other non-Executive Directors. During the FY 2019 it met on the following dates:

20.06.2018	10.09.2018	27.12.2018	27.03.2019

अत्यधिक मूल्य वाले एनपीए और हानि आस्तियों की निगरानी हेतु समिति :

समिति वसूली की निगरानी और सबसे अधिक राशि वाले 30 एनपीए की समीक्षा के लिए गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और संयोजक के रूप में महाप्रबंधक-वसूली विभाग शामिल हैं। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई :

Committee for Monitoring High value NPAs and Loss Assets:

The Committee was formed to monitor recovery & review of top 30 NPAs. This committee consist of the Chairman, Managing Director & CEO, Executive Directors, Govt. Nominee Director and General Manager – Recovery Department as convener. During the FY 2019, it met on following dates:

12.04.2018	10.05.2018	06.06.2018	30.07.2018	09.08.2018
10.09.2018	11.10.2018	27.11.2018	20.12.2018	21.02.2019

बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों की समिति:

दो शेयर धारक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। स्वतंत्र निदेशक' समिति की बैठक 19.06.2018 को ही हुई।

Independent Directors' Committee of the Board:

The two Shareholder Directors are the members of this committee. The Independent Directors' Committee of the Board met on 19.06.2018.

बोर्ड की अनुशासनिक कार्यवाही समिति:

इस समिति के सदस्य प्रबंध निदेशक और सीईओ , सरकार द्वारा नामित निदेशक, आरबीआई नामित निदेशक और दो अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक है। वित्तीय-वर्ष 2019 के दौरान निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

Disciplinary Proceedings Committee of the Board:

The Members of this committee are Managing Director & CEO, Govt. Nominee Director, RBI Nominee Director and two other Non-Executive Directors. During the FY 2019 it met on the following dates:

29.06.2018	07.09.2018	20.12.2018	18.03.2019

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

श्री दीनबंधु मोहापात्रा समिति के सदस्य हैं। तीन कार्यपालक निदेशक और तीन गैर -कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को समिति की बैठकें हुई:

Corporate Social Responsibility Committee:

Shri Dinabandhu Mohapatra is the Chairman of the Committee. Three Executive Directors and three non-executive directors are members of this committee. The Committee met on following dates:

12.04.2018	10.05.2018	18.09.2018	07.12.2018	19.03.2019

डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन समिति :

श्री जी. पद्मनाभन इस समिति के अध्यक्ष हैं। प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और तीन कार्यपालक निदेशक तथा दो गैर कार्यपालक निदेशक इस समिति के सदस्य हैं। निम्नलिखित तारीखों को इस समिति की बैठकें हुई:

Digital Payment Promotion Committee:

Shri G. Padmanabhan is the Chairman of the Committee. Managing Director & CEO and three Executive Directors and two non-executive directors are members of this committee The Committee met on following dates:

06.06.2018	09.08.2018	27.11.2018	21.02.2019

विगत वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

श्री जी. पद्मनाभन, अध्यक्ष, श्री दीनबंधु मोहापात्रा, एमडी व सीईओ, श्री एन. दामोदरन, श्री अतनु कुमार दास, श्री सी.जी. चैतन्य, श्रीमति वेनी थापर, श्री देवब्रत सरकार और श्री डी. हरीश दिनांक 13.07.2018 को हुई बैंक की पिछली अर्थात बाईसवीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे।

Attendance of the Directors at the last Annual General Meeting:

Shri G Padmanabhan, Chairman, Shri Dinabandhu Mohapatra, MD & CEO, Shri N. Damodharan, Shri A. K. Das, Shri C G Chaitanya, Smt. Veni Thapar, Shri Debabrata Sarkar and Shri D Harish attended the last Annual General Meeting i.e. Twenty Second Annual General Meeting of the Bank held on 13.07.2018.

शेयर अंतरण और शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

शेयर अंतरण, लाभांश/ ब्याज का भुगतान और निवेशकों से संबंधित अन्य सभी कार्यकलापों पर कार्रवाई हमारे पंजीयक एवं अंतरण एजेंट के कार्यालय में की जाती है। इनमें से किसी दस्तावेज को जमा करने और किसी भी पूछताछ/शिकायत/ कठिनाइयों के संबंध में शेयरधारकों एवं निवेशकों से निम्नलिखित पते पर संपर्क करने का अनुरोध है :

इक्विटी शेयर और डिबेंचर/बॉन्ड के लिए
बिगशेयर सर्विसेस प्रा.लि
ईकाई : बैंक ऑफ इंडिया,
प्रथम तल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग, वसंत ओसिस के सामने, मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400059, फोन -022-6263 8200, फैक्स -022-6263 8299
ई मेल : info@bigshareonline.com

उपर्युक्त के अलावा, निवेशक निम्नलिखित पते पर बैंक के शेयर विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं:

स्टार हाउस, 8 वीं मंजिल, पूर्वी खण्ड, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051,
फोन 022-6668 4444, फैक्स- 022-6668 4491,
ई-मेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

Share Transfers and Redressal of Shareholders`/Investors` Grievances:

Share Transfers, Dividend / Interest Payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Transfer Agents. For lodgement of any of these documents and for queries/complaints/grievances, shareholders and investors are requested to contact:

For Equity Shares and Debentures/ Bonds:
Bigshare Services Pvt. Ltd.,
Unit: Bank of India,
1st Floor, Bharat Tin Works Building, Opp. Vasant Oasis, Makwana Road, Marol, Andheri (East), Mumbai-400 059,
Phone: 022 – 6263 8200, Fax: 022 – 6263 8299 Email: info@bigshareonline.com

Apart from the above, investors may also contact the Bank at its Investor Relations Cell at:

Star House, 8th Floor, East Wing, C-5, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051,
Phone: 022 – 6668 4444, Fax: 022 - 6668 4491,
E-mail: headoffice.share@bankofindia.co.in.

आम सभा की बैठकें : General Body Meetings

क्र. Sr. No.	बैठक का स्वरूप	Nature of Meeting	दिनांक एवं समय Date & Time	स्थान Venue	विशेष संकल्प Special Resolution
1	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	25.03.2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे 25.03.2019 11.00 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to the Government of India on preferential basis
2	पोस्टल बैलेट	Postal Ballot	15.02.2019 15.02.2019		1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। 2. विभिन्न प्रकार के माध्यमों से इक्विटी शेयर जारी करने हेतु बहुप्रयोजन अनुमोदन। 3. बॉण्ड्स जारी करने के लिए बहुप्रयोजन अनुमोदन। 1. Issue of Shares to Government of India on preferential basis. 2. Omnibus approval for issue of Equity Shares through various modes 3. Omnibus approval for issue of bonds.
3	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	04.09.2018 पूर्वाह्न 10.30 बजे 04.09.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	ईएसपीएस के अंतर्गत बैंक के स्टाफ सदस्यों को एवं बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों को शेयर जारी करना Issue of Shares to Staff Members of the Bank and Whole Time Directors of the Bank under ESPS
4	बाइसवीं वार्षिक आम बैठक	Twenty Second Annual General Meeting	13.07.2018 पूर्वाह्न 10.30 बजे 13.07.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
5	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	20.02.2018 पूर्वाह्न 10.30 बजे 20.02.2018 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। Issue of Shares to Government of India on preferential basis
6	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	12.10.2017 पूर्वाह्न 10.15 बजे 12.10.2017 10.15 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	बैंक के शेयरधारकों में से दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव Election of two Shareholder directors amongst the shareholders of the Bank
7	इक्कीसवीं वार्षिक आम बैठक	Tweny First Annual General Meeting	11.07.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 11.07.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil
8	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	04.05.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 04.05.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	1. भारत सरकार को अधिमानी आधार पर नये शेयर जारी करना। 2. नई पूंजी और टियर-1/ टियर-2 बॉण्ड्स जारी करने हेतु अनुमोदन। 1. Issue of Shares to Government of India on preferential basis 2. Approval to issue fresh capital and Tier-I / Tier-II Bonds.
9	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.03.2017 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.03.2017 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis

10	असाधारण आम बैठक	Extra ordinary General Meeting	30.08.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे 30.08.2016 10.30 A.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना। Issue of Shares to the Government of India on preferential basis
11	बीसवीं वार्षिक आम बैठक	Twentieth Annual General Meeting	14.07.2016 पूर्वाह्न 3.00 बजे 14.07.2016 3.00 P.M.	बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व) मुंबई - 400 051, Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.	कुछ नहीं Nil

प्रकटन:

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अंतर्गत बैंक शासित है। सेबी ने यह स्पष्ट किया है कि विनियम 15(2) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाएं जो कंपनियां नहीं किंतु कार्पोरेट निकाय हैं या कारपोरेट शासन प्रणाली के प्रावधानों के अन्य संविधियों के विनियम के अधीन है, जैसा कि कुछ विनियमों के तहत स्पष्ट किया गया है यह उस सीमा तक लागू होगा जहां उनके संबन्धित प्राधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा संबंधित संविधि का उल्लंघन न हो रहा हो।

i) निदेशकों का पारिश्रमिक:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। बैंक, अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क, जो कि निम्नलिखित है, के अलावा अन्य किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं करता:

बैठक	:	बैठक के अनुसार राशि
क) बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए	:	रु. 40,000/-
ख) बोर्ड समिति की बैठक में शामिल होने के लिए	:	रु. 20,000/-
ग) बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	:	रु. 10,000/- (उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त)
घ) बोर्ड समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए	:	रु. 5,000/- (उपर्युक्त (ख) के अतिरिक्त)

प्रतिवर्ष रु. 15 लाख की सम्पूर्ण सीमा के अधीन।

ii) महत्वपूर्ण संव्यवहारों और आर्थिक संबंधों का प्रकटन

बैंक कारोबार की सामान्य प्रकृति के अलावा बैंक ने कोई महत्वपूर्ण भौतिक संव्यवहार इसके प्रवर्तकों, निदेशकों अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों अथवा संबंधियों आदि से नहीं किया है जिसका बैंक के हितों से कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास हो सकता हो। बैंक और इसके गैर-कार्यपालक निदेशक के बीच वर्ष के दौरान कोई आर्थिक संबंध अथवा संव्यवहार नहीं हुए हैं।

बैंकिंग में यह सुस्थापित प्रथा है कि निदेशक, बोर्ड और बोर्ड की उप समितियों की उन चर्चाओं में भाग नहीं लेते जिनमें उनसे संबंधित या उनके रिश्तेदारों से संबंधित कोई मामला बोर्ड में चर्चाधीन होता हो।

Disclosures:

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 and Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970. SEBI has clarified under Regulation 15 (2) that for listed entities which are not companies, but body corporates, or are subject to regulations under other statues the provisions of Corporate Governance, as specified under certain regulations shall apply to the extent that it does not violate their respective statutes and guidelines or directives issued by the relevant authorities.

i) Remuneration of Directors :

The remuneration of the Managing Director & CEO and Executive Directors is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the other directors except sitting fees which is as under:

Meeting	:	Amount per meeting
a) For attending Board Meeting	:	Rs. 40,000/-
b) For attending Meeting of Board Committee	:	Rs. 20,000/-
c) For chairing Board meeting	:	Rs. 10,000 (in addition to (a) above)
d) For chairing Meeting of Board Committee	:	Rs. 5,000/- (in addition to (b) above)

Subject to overall ceiling of Rs. 15 lakhs per annum.

ii) Disclosure of Material Transactions and Pecuniary Relationship

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management, their subsidiaries or relatives etc. that may have potential conflict with the interests of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-a-vis the bank during the year.

It is an established practice in the Bank that Directors do not take part in the deliberations of the Board and other Sub-Committees of the Board, when matters relating to them or to their relatives are discussed.

iii) सार्वजनिक निर्गमों, अधिकार निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि की आगम राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूंजी को बढ़ाने के लिए बैंक ने निम्न इक्विटी शेयर और टियर-I बॉन्ड जारी किए हैं :-

आबंटन की तारीख	विवरण (निवेशक)	शेयरों/बॉन्डों की संख्या	प्रति शेयर/ बॉन्ड मूल्य	राशि (₹ करोड़ में)
16.02.2019	भारत सरकार	95,37,85,865	105.75	10,086.00
07.03.2019	बैंक के कर्मचारी एवं पूर्णकालिक निदेशक (ऑफर मूल्य रु.80/-)	6,25,52,188	105.64	660.80
	कुल	101,63,11,053		10,746.80

पूंजी पर्याप्तता अनुपात को सशक्त करने के लिए तथा बैंक की लंबी अवधि के स्त्रोंतो को विकसित करने के लिए टियर I पूंजी संवर्धित करने के प्राथमिक उद्देश्य से निधि बढ़ाई गई तथा इस उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया गया।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक को अधिमानी इश्यू के अंतर्गत नए इक्विटी शेयर्स जारी करने के लिए भारत सरकार से भी रु. 4638 करोड़ प्राप्त हुये हैं। यथा 31.03.2019, इस राशि को शेयर के संबंध में आवेदन राशि के रूप में रखा गया है तथा आरबीआई अनुमोदन की शर्तें दिनांक 02.04.2019 के सदर्भ में पूंजी अनुपात की गणना के लिए उसका प्रयोग किया गया।

iv. किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, सेबी या अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर कोई दंड या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

v. सेबी एलओडीआर विनियमन-2015 के विनियम 40 (9) के अनुसार अंतरण करने, प्रेषण, उप विभाजन, समेकन, नवीनीकरण एवं प्रस्तुतीकरण के एक माह के भीतर इक्विटी शेयर्स के विनिमय के संबंध में जानकारी के साथ-साथ व्यावसायिक कंपनी सचिव से प्रत्येक छः माह में एक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाता है। ये प्रमाण पत्र जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर बीएसई और एनएसई के वेब-पोर्टल, जहां शेयर सूचीबद्ध हैं, पर लोड किए जाते हैं।

vi. सेबी के परिपत्र सं. डी एवं सीसी/एफआईटीटीसी/सीआइआर-16 दिनांक 31 दिसंबर, 2002 की शर्तों के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रविष्ट इक्विटी शेयर पूंजी के समाधान एवं बैंक ऑफ़ इंडिया की कुल जारी/प्रदत्त इक्विटी पूंजी सहित प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत किए जाने के प्रयोजन के साथ-साथ अभ्यासी कंपनी सचिव की फर्म के द्वारा तिमाही आधार पर एक कैपिटल रिपोर्ट का समाधान (reconciliation) किया जाता है। इस संबंध में जारी प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं एवं बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाते हैं जहां बैंक ऑफ़ इंडिया के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए गए हैं।

vii. वर्तमान में बैंक का कोई भौतिक अनुषंगी नहीं है।

viii. **स्वतंत्र निदेशकों की बैठक** - स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक 19.06.2018 को आयोजित की गयी।

ix. **गैर-कार्यपालक निदेशकों का प्रशिक्षण:-** वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के कारोबारी मॉडल तथा उद्योग की प्रकृति से परिचय कराने के लिए निदेशकों को निम्नलिखित प्रशिक्षण प्रदान किया गया -

क्र. सं.	तारीख	निदेशकों के नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम
1	18.06.2018	श्री डी.सरकार श्री डी. हरीश	सीएएफ़आरएएल, मुंबई	बैंक की ऋण समितियों पर गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए कार्यशाला
2	03.12.2018 व 04.12.2018	श्रीमती वेणी थापर	आईडीआरबीटी, हैदराबाद	बोर्ड के सदस्यों हेतु दिनांक 3-4 दिसंबर,2018 को आईटी एवं साइबर सुरक्षा का कार्यक्रम

iii) Proceeds from Public Issues, Right Issues, Preferential Issues etc.

During the year under review, the Bank has raised the following capital by issue of Equity Shares and Additional Tier I Bonds:

Date of Allotment	Particulars (Investors)	Number of Shares/ Bonds	Price per Share/bond	Amount (₹ In Crore)
16.02.2019	Government of India	95,37,58,865	105.75	10,086.00
07.03.2019	Employees and Whole Time Directors of the Bank (offer price Rs. 80/-)	6,25,52,188	105.64	660.80
	Total	101,63,11,053		10,746.80

The funds were raised with the primary objective of augmenting Tier-I Capital for strengthening Capital Adequacy Ratio and for improving the long- term resources of the Bank and the same were utilised for the said purpose.

In addition to above Bank has also got Rs. 4638 crore from Government of India for the purpose of issue of fresh equity shares under preferential Issue. The amount has been kept as Share Application Money as on 31.03.2019 and used the same for calculation of Capital ratios in terms of RBI approval dated 02.04.2019.

iv. No penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges, SEBI or any Statutory Authority on any matter relating to Capital Markets during the year under review.

v. As required under regulation 40(9) of the SEBI LODR Regulations-2015, a certificate is obtained every six months from a practising Company Secretary, with regard to, inter alia, effecting transfer, transmission, sub-division, consolidation, renewal and exchange of equity shares within one month of the lodgement. The certificates are uploaded on the web portals of BSE and NSE, where the equity shares are listed, within 30 days of issuance.

vi. In terms of SEBI's circular No.D&CC/FITTC/CIR-16 dated December 31, 2002 a Reconciliation of Capital Audit is conducted on a quarterly basis by a firm of practising company secretaries, for the purpose of, inter alia, reconciliation of the total admitted equity share capital with the depositaries and in the physical form with the total issued/paid up equity capital of Bank of India. Certificate issued in this regard is placed before the Board of Directors and forwarded to BSE and NSE, where the equity shares of Bank of India are listed.

vii. At present the Bank does not have any material subsidiary.

viii. **Independent Directors Meeting:** The separate meeting of Independent Directors was held on 19.06.2018.

ix. **Training of Non-Executive Directors**: During the year 2018-19 the Bank has provided the following training to Directors to familiarize them with the nature of industry and business mode of the Bank:

Sr. No.	Date	Name of Directors	Name of Institute	Name of Course
1	18.06.2018	Shri D. Sarkar Shri D. Harish	CAFRAL, Mumbai	Workshop for Non-Executive Directors on Credit Committees of Banks
2	3.12.2018 and 4.12.2018	Ms. Veni Thapar	IDRBT, Hyderabad	Programme in IT and Cyber Security for Board Members from December 3-4, 2018

3	7.03.2019 व 8.03.2019	श्री डी. हरीश	आईडीआरबीटी, हैदराबाद	बोर्ड के सदस्यों हेतु दिनांक 7-8 मार्च,2019 को आईटी एवं साइबर सुरक्षा का प्रमाणीकरण कार्यक्रम

x. बैंक के वेबसाइट - http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx पर निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता प्रदर्शित की गई है ।

xi. सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसरण में पर्दाफाश करनेवाली (व्हिसल ब्लोअर) नीति बनाई गई है। इसे बैंक के बेवसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर प्रदर्शित किया गया है।

xii. संबंधित नीति का लेनदेन:- संबंधित पक्ष लेनदेन को लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट की जाती है। संबंधित पक्ष के लेनदेन पर बैंक की नीति को बैंक के वेबसाइट http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx पर पोस्ट किया गया है। संबंधित पक्ष के लेनदेन का विस्तृत वर्णन एएस-18 के अंतर्गत है।

xiii. पारिश्रमिक नीति - प्रबंध निदेशक व सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों का पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अन्य स्टाफ सदस्यों के वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ के साथ त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार होता है।

संचार के साधन :

तिमाही तथा अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम (अलेखापरीक्षित किंतु सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अध्यधीन) तथा लेखापरीक्षित वार्षिक परिणाम इकॉनोमिक टाइम्स/ बिज़नेस स्टैंडर्ड/फाइनेन्शियल एक्सप्रेस/बिज़नेस लाइन में अंग्रेजी में, नवशक्ति/मुंबई लक्षदीप में मराठी (क्षेत्रीय भाषा) में तथा बिज़नेस स्टैण्डर्ड/नवभारत टाइम्स/नवभारत में हिन्दी में प्रकाशित हुए। परिणाम को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर भी प्रदर्शित किया गया है। संस्थागत निवेशकों को की गई प्रस्तुतियां भी बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

जैसा कि सेबी द्वारा अपेक्षित है तथा सूचीबद्ध करारनामे के अनुसार, बैंक ऑफ़ इंडिया स्टॉक एक्सचेंज के अपने वेब पोर्टलों पर ऑनलाइन वित्तीय तथा अन्य सूचनाएं फ़ाइल करता है।

वित्तीय कलेंडर : 1 अप्रैल, 2019 से

बैंक ऑफ़ इंडिया के वार्षिक लेखापरीक्षित खातों तथा लाभांश अनुशंसा पर चर्चा हेतु बोर्ड की बैठक	16.05.2019
23वीं वार्षिक आम-बैठक का दिनांक, समय, स्थल	27 जून, 2019 10:30 बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडोटोरियम, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051
वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण	स्पीड पोस्ट / कूरियर द्वारा
बही बंद करने की तिथि	24-06-2019 से 27-06-2019
परोक्षी फार्म प्राप्ति की अंतिम तिथि	21-06-2019
प्रथम तीन तिमाहियों के अलेखापरीक्षित परिणाम पर विचार करने हेतु बोर्ड की बैठक	संबंधित तिमाही के 45 दिनों के भीतर।

स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के शेयरों को बीएसई लि., नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है। स्टॉक स्क्रिप कोड निम्नानुसार है:

दि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई)	532149/BANKINDIA
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई)	BANKINDIA EQ
आईएसआईएन क्रमांक	INE084A01016

3	7.03.2019 and 8.03.2019	Shri D. Harish	IDRBT, Hyderabad	Certification Programmes in IT & Cyber Security for Board Members – March 7-8, 2019

x. Code of Conduct for Directors and Senior Management is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/codeconduct.aspx

xi. Whistle Blower Policy in terms of CVC guidelines has been formulated. The same is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx

xii. Related Policy transaction – The Related party transactions are reported to Audit Committee. The Bank's policy on Related Party transaction is posted on Bank's website – http://www.bankofindia.co.in/english/SEBI.aspx. The details of related party transactions are as detailed under AS-18.

xiii. Remuneration Policy - The remuneration of the Managing Director & CEO, Executive Directors is fixed by the Government of India. Salary of the other staff members is as per the tripartite agreement of the IBA.

Means of Communication:

The quarterly and half-yearly financial results (unaudited but subject to limited review by the Statutory Auditors) and audited Annual results were published in the Economic Times/Business Standard/ Business Line in English, Navshakti/ Mumbai Lakshadeep in Marathi (Regional language) and Business Standard/ Navbharat Times/Navbharat in Hindi. The results were also displayed on the Bank's website at www.bankofindia.co.in. The presentations made to institutional investors are also available on Bank's website.

As required by SEBI and in the Listing Regulations, Bank of India, files its financial and other information online on their web portals of the stock exchange.

Financial Calendar: From 1st April, 2019 :

Board Meeting for considering Annual Audited Accounts of Bank of India and recommendation of dividend	16.05.2019
Date, Time, Venue of 23rd AGM	27 June, 2019. At 10.30 A.M. Bank of India Auditorium, Star House, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051
Posting of Annual Report	By Speed Post/Courier
Book Closure dates	24-06.2019 to 27-06-2019
Last Date for receipt of proxy forms	21-06-2019
Board Meeting for considering Un-audited result for first 3 quarters	Within 45 days of the relevant quarter.

Listing on Stock Exchanges

The shares of the Bank are listed on The BSE Ltd. and The National Stock Exchange of India Limited. The stock scrip codes are as follows:

The BSE Ltd. (BSE)	532149/ BANKINDIA
National Stock Exchange of India Limited (NSE)	BANKINDIA EQ
ISIN Number	INE084A01016

उक्त दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक ने समय-समय पर वचनपत्रों/डिबेंचर्स के रूप में अपरिवर्तनीय बॉंड (टियर I एवं II पूंजी) जारी किये हैं। तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

बैंक ऑफ़ इंडिया बॉंड - टियर I एवं टियर II पूंजी स्थिति यथा 31.03.2019

Annual listing fee for 2019-20 has been paid to both of the stock exchanges.

The Bank has issued Non Convertible Bonds in the nature of Promissory Notes / Debentures (Tier I & II capital) from time to time. The relevant details thereof are as under:

BANK OF INDIA BOND – TIER I and TIER II CAPITAL POSITION AS ON 31.03.2019

क्र.सं. Sr.No	निर्गम का विवरण	PARTICULARS OF THE ISSUE	कुल मूल्य (₹ करोड़ में) TOTAL VALUE (₹ in Crores)	आईएसआईएन नं. ISIN NO.
1	9.00% आईपीडीआई बॉन्ड श्रृंखला V	9.00% IPDI Bonds-Series V	325.00	INE084A09191
2	9.05% आईपीडीआई बॉन्ड श्रृंखला VI	9.05% IPDI Bonds-Series VI	300.00	INE084A09225
3	8.45% अपर टियर II श्रृंखला -III-2024	8.45% Upper Tier II Series –III-2024	500.00	INE084A09175
4	8.50% अपर टियर II श्रृंखला -IV-2024	8.50% Upper Tier II Series –IV-2024	500.00	INE084A09183
5	8.54% अपर टियर II श्रृंखला -V-2025	8.54% Upper Tier II Series –V-2025	1000.00	INE084A09209
6	8.48% अपर टियर II श्रृंखला -VI-2025	8.48% Upper Tier II Series –VI-2025	1000.00	INE084A09217
7	9.80% टियर II श्रृंखला X	9.80% Tier II Series X	1000.00	INE084A08037
8	9.80% टियर II श्रृंखला XI	9.80% Tier II Series XI	500.00	INE084A08045
9	8.52% टियर II श्रृंखला XII	8.52% Tier II Series XII	3000.00	INE084A08060
10	8.57% टियर II श्रृंखला XIII	8.57% Tier II Series XIII	1500.00	INE084A08094
11	8.00% टियर II श्रृंखला XIV	8.00% Tier-II Series XIV	1000.00	INE084A08110
	कुल	**TOTAL**	**10,625.00**	

इन सभी बॉन्डों का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. में सूचीकरण किया गया है तथा बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक सूची शुल्क अदा किया है।

All these bonds are listed on National Stock Exchange of India Ltd. and the Bank has paid the Annual listing fee for 2019-2020 to the Stock Exchange.

ऋण श्रेणी निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग)

Credit Ratings (Outlooks)

क्र.सं. Sr. No.	जारीकर्ता रेटिंग Issuer Rating	कॉर्पोरेट रेटिंग(दीर्घ/लघु) Corporate Rating (Long/ Short)	कॉर्पोरेट प्रशासन रेटिंग Corporate Governance Rating	बैंक सावधि जमा Bank Fixed Deposit	आईपीडीआई बॉन्ड IPDI Bonds	टियर II बॉन्ड Tier II Bonds	जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposit
1	मूडीज इन्वेस्टर सर्विस Moody's Investor Service	Baa3/ P3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
2	स्टैंडर्ड एण्ड पूअर (एस एंड पी) Standard & Poor (S&P)	BB+/ B (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
3	फिच रेटिंग्स Fitch Ratings	BBB-/ F3 (स्थिर) (Stable)	-	-	-	-	-
4	क्रिसिल लिमिटेड CRISIL Limited	-	-	-	AA+ (स्थिर) (Stable)	AA+ (स्थिर) (Stable)	A1+
5	सीएआरई CARE	-	-	-	AA- (स्थिर) (Stable)	AA- (स्थिर) (Stable)	-
6	आईसीआरए ICRA	-	CGR-2	MAA+ (स्थिर) (Stable)	-	-	-
7	ब्रिकवर्क रेटिंग Brickwork Ratings	-	-	-	AA (स्थिर) (Stable)	AA (स्थिर) (Stable)	-
8	इंडिया रेटिंग India Rating	AA+ (नकारात्मक) (Negative)	-	-	-	AA+ (नकारात्मक) (Negative)	-

शेयरों का अमूर्तीकरण:

बैंक के शेयरों का लेन-देन अनिवार्य रूप से केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में किया जा रहा है। बैंक ने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों यथा राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडील) एवं केन्द्रीय निक्षेपागार सेवाएं (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है।

यथा 31/03/2019 को शेयरधारकों द्वारा भौतिक एवं अमूर्त रूप से धारित शेयरों का ब्योरा निम्नानुसार है :

Dematerialisation of Shares:

The Bank's shares are being traded compulsorily in Demat form only. The Bank has entered into agreements with both the Depositories viz. National Securities Depositories Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for dematerialization of shares.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the shareholders as of 31/03/2019 are as under:

		शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरधारकों का % Shareholders in %	शेयरो की संख्या No. of shares	शेयरधारिता का % Shareholders in %
एनएसडीएल	NSDL	116902	36.62	273975806	9.93
सीडीएसएल	CDSL	107471	33.66	2471006027	89.55
मूर्त	Physical	94905	29.72	14307589	0.52
कुल	Total	319278	100.00	2759289422	100.00

शेयरधारिता का पैटर्न यथा 31.03.2019:

Shareholding Pattern as on 31.03.2019:

शेयरधारकों का वर्ग	Category of Shareholders	शेयरधारकों की संख्या Number of Shareholders	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding	लॉक इन के तहत शेयर Shares under Lock- in	लॉक इन के तहत शेयरों का % % of Shares under Lock-in
केन्द्रीय सरकार (प्रवर्तक)	Central Government (Promoters)	1	2402056938	87.05	2402056938	100.00
म्यूचुअल फंड/यूटीआई	Mutual Funds / UTI	22	19765675	0.72	-	-
वित्तीय संस्थाएं/बैंक	Financial Institutions / Banks	35	14339339	0.52	-	-
बीमा कंपनियां	Insurance Companies	35	159978007	5.80	-	-
कार्पोरेट निकाय	Bodies Corporate	1853	11726555	0.42	-	-
विदेशी धारण	Foreign Holding	2215	29996710	1.09	-	-
एकल व्यक्ति	Individuals	315117	121426198	4.40	62552188	51.51
कुल	**Total**	**319278**	**2759289422**	**100.00**	**2464609126**	**89.32**

शेयरों की कुल संख्या का 1% से अधिक धारण करने वाले एकल व्यक्तियों(जन सामान्य) की शेयर धारिता :

Shareholding of persons (Public) holding more than 1% of the total number of shares:

शेयरधारक का नाम	Name of the Shareholder	शेयरों की संख्या Number of Shares	शेयरधारिता % % of Holding
भारतीय जीवन बीमा निगम	Life Insurance Corporation of India	152781603	5.54

शेयरधारिता का संवितरण यथा दिनांक 31 मार्च, 2019 :-

Distribution of Shareholdings as on 31st March, 2019:

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	No of Equity Shares held	फोलियों Folio		शेयर Shares	
		संख्या Nos.	प्रतिशत % age	संख्या Nos.	प्रतिशत % age
500 तक	Upto 500	274567	86.00	35406262	1.28
501 से 1000	501 to 1000	17380	5.44	13355642	0.48
1001 से 5000	1001 to 5000	25142	7.87	56862444	2.06
5001 से 10000	5001 to 10000	1577	0.49	11446968	0.41
10001 एवं इससे अधिक	10001 & Above	612	0.19	2642218106	95.76
कुल	**Total**	**319278**	**100.00**	**2759289422**	**100.00**

शेयर मूल्य/मात्रा :

एनएसई में मासिक रूप से उच्च एवं निम्न भाव (कोटेशन) एवं शेयरों के लेन-देन की मात्रा निम्नानुसार है:-

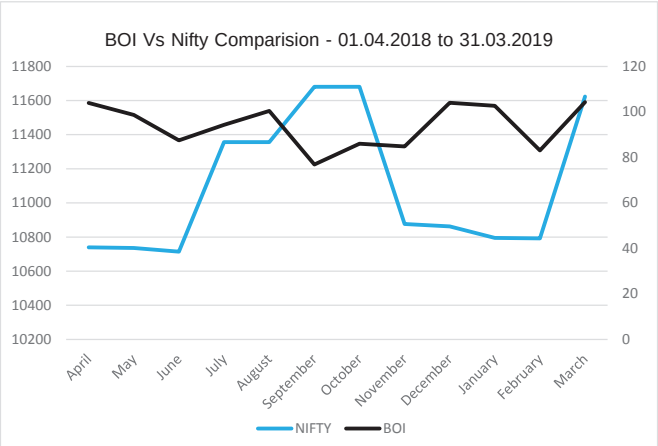
Share Price/Volume:

The monthly high and low quotation and the volume of Shares traded on NSE are as under:

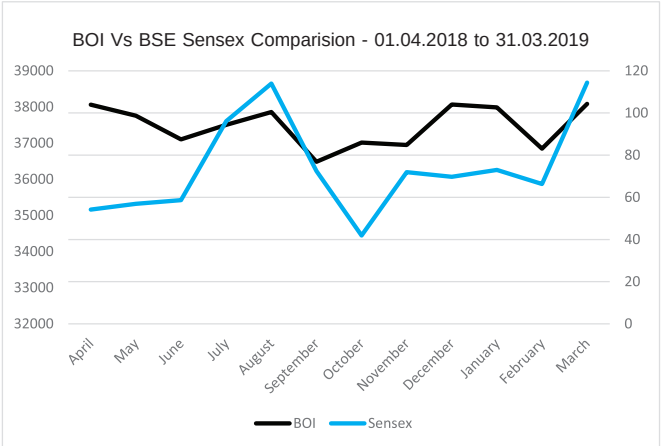
अवधि	Period	अधिकतम ₹ Highest ₹	न्यूनतम ₹ Lowest ₹	शेयरों के लेन-देन की मात्रा Volume of Share Traded
अप्रैल, 2018	April, 2018	118.70	96.40	188877325
मई, 2018	May, 2018	108.80	92.75	184122586
जून, 2018	June, 2018	104.90	84.50	137410453
जुलाई, 2018	July, 2018	104.35	76.50	225098460
अगस्त, 2018	August, 2018	101.00	87.75	173937045
सितंबर, 2018	September, 2018	103.00	75.80	149451658
अक्टूबर, 2018	October, 2018	88.00	73.20	150411311
नवम्बर, 2018	November, 2018	93.00	79.60	214851827
दिसम्बर, 2018	December, 2018	105.15	76.10	257848818
जनवरी, 2019	January, 2019	110.15	85.40	257138054
फ़रवरी, 2019	February, 2019	106.65	77.50	185773191
मार्च, 2019	March, 2019	106.90	83.15	215456887
31.03.2019 को लेखा बंदी मूल्य	Closing Price as on 31.03.2019			₹ 104.25
बाज़ार पूंजीकरण	Market Capitalisation			₹ 28765.59 करोड़ Crore

व्यापक आधारित सूचियों की तुलना में कार्यनिष्पादन
Performance in comparison to Broad Based Indices

एनएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Price on NSE



बीएसई में बैंक ऑफ इंडिया का शेयर मूल्य
Bank of India Share Prise on BSE



कॉरपोरेट शासन के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन का प्रमाणपत्र:

स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार की शर्तों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन प्रणाली के अनिवार्य अनुबंध के अनुपालन में कारोबारी कंपनी सचिव द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न किया गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट :

सेबी - एलओडीआर 2015 के विनियम 24A के अनुपालन में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट (फॉर्म एम.आर-3) संलग्न है।

अनुषंगियों की वित्तीय विवरणी:

सेबी - एलओडीआर 2015 के विनियम 46(2) के अनुपालन में अनुषंगियों की लेखा - परीक्षित विवरणी हमारी वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर अपलोड कर दी गई है।

अनिवार्य/ गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन:

बैंक ने सेबी सूचीकरण करार-2015 की अनुसूची II के भाग-ई की निम्नलिखित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं (Discretionary Requirements) का अनुपालन किया है।

Certificate of compliance of mandatory stipulations of Corporate Governance:

The certificate issued by the practising company secretary, regarding compliance of mandatory stipulations of corporate governance in terms of the listing agreement with the Stock Exchange is attached.

Secretial Audit Report:

In Compliance of Regulation 24A of SEBI LODR 2015 The Annual Secretarial Compliance Report (Form MR 3) is enclosed.

Financial Statements of Subsidiaries :

In Compliance of Regulation 46(2) of SEBI LODR 2015 the Audited Financial Statements of subsidiaries have been uploaded on our website i.e. www.bankofindia.co.in

Compliance of Mandatory / Non Mandatory Requirements:

The Bank has complied with the following Discretionary Requirement as mentioned under Part –E of Schedule II of SEBI Listing Regulations- 2015:

क्र. सं. Sr. No.	अपेक्षाएं जो गैर-अनिवार्य हैं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
1	बोर्ड - एक गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए हकदार है। **The Board –** A Non-Executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expenses	अध्यक्ष का पद गैर-कार्यपालक का है और बैंक में उनका पृथक कार्यालय है। The Chairman's Position is Non- Executive and he is having a separate office in the Bank.
2	**शेयरधारकों का अधिकार-** विगत छः महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं का सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा शेयरधारकों को भेजी जा सकती है। **Shareholder's Rights-** A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six- months, may be sent to shareholders.	तिमाही/संबंधित वर्ष में आज की तारीख तक/वार्षिक वित्तीय परिणाम को एनएसई और बीएसई को भेजा जाता है और मुख्य अंश का अखबारों में प्रकाशित किया जाता है तथा बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है। अतः शेयरधारकों को सूचना व्यक्तिशः नहीं भेजी जाती है। The quarterly/year to date/ Annual Financial Results are sent to NSE & BSE & published in Newspapers and placed on Bank's website including highlights. As such, information to Shareholders is not sent individually.

क्र. सं. Sr. No.	अपेक्षाएं जो गैर-अनिवार्य हैं Non Mandatory requirements	कार्यान्वयन की स्थिति Status of implementation
3	**लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित मत (तों)** - सूचीबद्ध संस्था असंशोधित लेखा परीक्षा मत वाली वित्तीय विवरण की व्यवस्था का चयन कर सकती है। **Modified Opinion (s) in Audit Report –**The listed entity may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion.	बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण असंशोधित लेखा-परीक्षा मत के साथ हैं। The Bank's Annual Financial Statements are with unmodified audit opinion.
4	**अध्यक्ष एवं सीईओ के पृथक पद** - सूचीबद्ध संस्था अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। **Separate Posts of Chairperson and Chief Executive Officer.** The listed entity may appoint Separate persons to the post of Chairperson and Managing Director or Chief executive officer.	बैंक के पास यह पद है। The Bank is having this position.

आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली पर प्रमाणपत्र

सदस्यगण
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस,सी-5,जी ब्लॉक
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स
बांद्रा (पूर्व)
मुंबई-400 051

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड (स्टॉक एक्स्चेंज) के साथ हुए सूचीकरण करार के तहत कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों, जिनका उल्लेख सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियम 17-27, 46 एवं अनुसूची V के प्रावधानों में किया गया है, के अनुपालन के प्रमाणीकरण के प्रयोजन से बैंक ऑफ इंडिया (''दि बैंक/कंपनी'') के सभी संगत अभिलेखों की जांच की है।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली तथा उसके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह प्रमाणपत्र न तो भविष्य में बैंक की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक की दक्षता या प्रभावशीलता के संचालन से संबन्धित है।

हमारी राय में और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने ऊपर उल्लेख किए गए सेबी (एलओडीआर) 2015 में निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की शर्तों को पूरा किया है।

कृते आर. एस. पडिया एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
(आईसीएसआई यूनिक कोड एस2007एमएच094000)

हस्ता./-

राजश्री पडिया
एफसीएस: 6804
सीपी: 7488

स्थान: मुंबई
दिनांक: 25.04.2019

R.S. Padia & Associates
Company Secretaries

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

The Members
Bank of India
Star House, C-5, 'G' Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai 400 051

We have examined all relevant records of Bank of India ("the Bank/Company") for the purpose of certifying compliances of conditions of Corporate Governance under the Regulation 17 to 27, 46 and Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 entered into with National Stock Exchange of India Ltd and BSE Limited (Stock Exchanges) for the Financial Year ended 31st March, 2019.

The compliance of conditions of corporate governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliances of conditions of Corporate governance. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of corporate governance as stipulated in the above mentioned SEBI (LODR) 2015.

For R.S. Padia & Associates
Company Secretaries
(ICSI Unique Code S2007MH094000)

Sd/-

Rajshree Padia
FCS:6804
CP: 7488

Place: Mumbai
Date: 25.04.2019

Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries

सेवा में,
सदस्य गण,
बैंक ऑफ़ इंडिया
स्टार हाउस, सी-5 "जी" ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा(पूर्व), मुंबई -400 051

निर्धारित तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय रिकॉर्ड पर हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने उन लेखा कार्य प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने हेतु उपयुक्त हैं। सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य दर्शाए गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया है। हमें विश्वास है कि पालन की गई प्रक्रियाएं एवं कार्य प्रणालियाँ हमारी राय हेतु तर्कसंगत आधार उपलब्ध कराती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और खाता बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ कहीं भी अपेक्षित था, हमने विधि, नियम एवं विनियम और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. बैंकिंग विनियम के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता, जिससे प्रबंधन बैंक के कारोबार का संचालन करता है, का आश्वासन है।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखा परीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण यह अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ महत्वपूर्ण गलत विवरण या महत्वपूर्ण गैर अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता, भले ही लेखा परीक्षा उचित रूप से नियोजित और निष्पादित की गई हो।

कृते प्रदीप पुरवार एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

हस्ता./-
प्रदीप कुमार पुरवार
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 5769
सीओपी सं. 5918

दिनांक:26 अप्रैल, 2019
स्थान : ठाणे

To,
The Members,
Bank of India
Star House, C 5, G Block,
Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai – 400 051

Our report of even date is to be read along with this letter:

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance of provisions of Banking Regulations and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.
7. Due to inherent limitations of an audit including internal, financial and operating controls, there is an unavoidable risk that some material mis-statements or material non-compliances may not be detected, even though the audit was properly planned and performed.

For Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Pradeep Kumar Purwar
Proprietor
FCS No. 5769
CoP No. 5918

Date: 26th April, 2019
Place: Thane

फार्म संख्या एमआर-3
सचिवीय लेखा-परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसरण में)

सेवा में,
सदस्य गण,
बैंक ऑफ़ इंडिया

हमने **बैंक ऑफ़ इंडिया** (इसके बाद इसे 'बैंक' कहा जायेगा) के द्वारा लागू विधिक प्रावधानों तथा अच्छी कॉरपोरेट परिपाटी के अनुपालन की सचिवीय लेखा-परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस प्रकार से की गयी कि हमें कॉरपोरेट परिचालन/विधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उसके संबंध में अपने मत को प्रकट करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान बही,दस्तावेज, कार्यवृत्त बही, फॉर्म एवं दायर विवरणी तथा बैंक के द्वारा रखे गये अन्य दस्तावेजों के सत्यापन एवं बैंक, उसके अधिकारियों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा उपलब्ध कराई गयी जानकारी के आधार पर भी, हम एतद्-द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे विचार से, बैंक ने, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष की लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान, निम्नलिखित सूचीबद्ध विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अतिरिक्त हमारे मत में बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया तथा अनुपालन व्यवस्था भी स्थापित है। उक्त प्रक्रिया तथा व्यवस्था उस सीमा तक तथा उस प्रकार की है जैसा कि इसके बाद रिपोर्टिंग में प्रतिपादित किया गया है।

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए बैंक के द्वारा रखी गयी बही, दस्तावेजों, कार्यवृत्त बही, दायर विवरणी तथा फार्म एवं अन्य रिकॉर्ड का अध्ययन किया है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अधीन बने नियम (जिस सीमा तक लागू है);

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके अंतर्गत बने नियम;

iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इसके अंतर्गत बने विनियम तथा उप विधि

iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम :

१. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर तथा टेकओवर का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;

२. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक ट्रेडिंग पर निषेध) विनियम, 2015;

३. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

४. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;

५. क्लायंट से व्यवहार करने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इश्यू तथा शेयर ट्रांस्फर एजेंट का रजिस्ट्रार)विनियम, 1993 तथा

६. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015; तथा

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
For the Financial Year ended 31st March, 2019

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
BANK OF INDIA

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Bank of India (hereinafter called 'the Bank'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March, 2019 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (to the extent applicable);

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

(iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

(a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;

(e) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding dealing with client; and

(f) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; and

v) चूँकि बैंक संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित कॉरपोरेट निकाय है, अत: बैंक के संबंध में लागू विशेष अधिनियम यथा - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एंव अतिरिक्त प्रावधान) योजना, 1970 सहित बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 ('अधिनियम'), भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970.

हमने निम्नलिखित लागू उपबंन्धों के अनुपालन का भी अध्ययन किया है:

क. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के द्वारा जारी सचीवीय मानक, और

ख. बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के साथ किये गये सूचीकरण संबंधी करार।

संबंधित वित्तीय वर्ष में रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित अधिनियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के प्रावधान लागू नहीं थे : -

क. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, भारत से बाहर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋण के संबंध में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बने तत्संबधी नियम एवं विनियम;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीकरण) विनियम, 2009;

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना) विनियम, 1998;

ध भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008।

समीक्षा की अवधि के दौरान, निम्नलिखित मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों के अलावा बैंक ने आवश्यक सीमा तक सभी अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है :

क. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 3 सितंबर 2018 द्वारा बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक की धोखाधड़ी - वर्गीकरण एवं विनिर्दिष्ट बैंक नोट्स के अंतर्गत रिपोर्टिंग संबंधी दिशानिर्देश के उल्लंघन के कारण रु. 10 मिलियन का जुर्माना लगाए जाने की सूचना दी।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 1 फरवरी, 2019 के माध्यम से बैंक को अपने एक उधारकर्ता खाते की जांच के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण रु.10 मिलियन जुर्माने का भुगतान करने की सूचना दी।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि बैंक का निदेशक मंडल कार्यपालक निदेशकों, गैर कार्यपालक निदेशकों तथा स्वतंत्रनिदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित है। समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के संयोजन में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालनार्थ किए गए थे।

निदेशक मंडल की बैठकें निर्धारित करने हेतु सभी निदेशकों को यथोचित नोटिस दिया जाता है, अधिकतर मामलों में कार्यसूची तथा कार्यसूची के संबंध में विस्तृत जानकारी अग्रिम रूप से प्रेषित की जाती है तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों के संबंध में अधिक जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होता है तथा सदस्यों के ऐसे कोई असहमतिपूर्ण विचार नहीं होते हैं जिन्हें कार्यवृत्त के रूप में रखने तथा रिकार्ड करने की आवश्यकता हो।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उसकी निगरानी हेतु बैंक के आकार तथा कार्यवाहियों के अनुरूप बैंक में उचित प्रणाली तथा तकनीक उपलब्ध हैं।

(v) The Banking Regulation Act, 1949 ('the Act'), Reserve Bank of India Act, 1934 and The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 along with The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, being the special acts governing the Bank, since the Bank is a body corporate constituted under the Act of Parliament.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(a) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India, and

(b) The Listing Agreements entered into by the Bank with BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited.

Provisions of the following Acts, Regulations and Guidelines were not applicable to the Bank under the financial year under report:

(a) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

(b) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;

(c) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

(d) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of debt securities) Regulations, 2008.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. as mentioned above, to the extent applicable except of the Reserve Bank of India Act, 1934 and the guidelines/ instructions issued by the Reserve Bank of India in the following instances:

(a) the Reserve Bank of India vide their communication dated 3rd September, 2018 had advised the Bank to pay penalty of INR 10 Million on account of violation of Reserve Bank of India guidelines on frauds – classification and reporting under Specified Bank Notes; and

(b) the Reserve Bank of India vide their communication dated 1st February, 2019 has advised the Bank to pay a penalty of INR 10 Million on account of violation of Reserve Bank of India guidelines on scrutiny of one of its borrower accounts.

We further report that the Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda are sent in advance in most cases and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through and there were no dissenting members' views which were required to be captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

हम यह भी रिपोर्ट करते है कि लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान:

i) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 जुलाई 2018 के माध्यम से सुश्री दक्षिता दास, अपर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को केंद्र सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक बैंक के निदेशक मंडल में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री गिरीश चंद्र मुर्मु के स्थान पर निदेशक नामित किया गया है।

ii) वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 13 अगस्त 2018 के माध्यम से श्री जी. पद्मनाभन को केन्द्र सरकार द्वारा 14 अगस्त 2018 से दो वर्ष के लिए अथवा अगले आदेशों तक,जो भी पहले हो तक के लिए पुन: गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नामित किया है।

iii) बैंक के शेयरधारकों ने अपनी असाधारण आम बैठक दिनांक 4 सितम्बर, 2018 में विशेष संकल्प पारित कर तथा वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा बैंक के पात्र कर्मचारियों को 10 करोड़ नए इक्विटी शेयरों को जारी करने एवं आबंटन करने और बाद में बैंक ऑफ़ इंडिया - कर्मचारी शेयर क्रय योजना (बीओआई-ईएसपीएस) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर रु.10/- के 6,25,52,188 शेयर आबंटित करने का अनुमोदन दिया है।

iv) बैंक के शेयर धारकों ने पोस्टल बैलट दिनांक 7 जनवरी, 2019 के नोटिस में अंतर्विष्ट विशेष संकल्पपारित करते हुए ऑफर डॉक्यूमेंट/प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस या ऐसे अन्य डॉक्यूमेंट के द्वारा शेयरों को एक या अधिक चरणों मेंरु.10/- प्रति अंकित मूल्य के 125 करोड़ तक के नए इक्विटी शेयर नकद ऐसे प्रीमियम पर वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी सहित सृजित करने, जारी करने, आबंटित करने का अनुमोदन दिया है, बशर्ते कि केंद्र सरकार बैंक की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का कभी भी 51% से कम धारिता नहीं रखेगी, चाहे वह डिस्काउंट या बाजार मूल्य पर प्रीमियम पर हो।

v) बैंक के शेयर धारकों ने पोस्टल बैलट दिनांक 7 जनवरी, 2019 के नोटिस में अंतर्विष्ट विशेष संकल्प पारित करते हुए ऑफर डॉक्यूमेंट/प्लेसमेंट डॉक्यूमेंट/प्रॉस्पेक्टस या ऐसे अन्य डॉक्यूमेंट के द्वारा शेयरों को एक या अधिक चरणों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप परपेच्युअल ऋण लिखतों के अंशदान हेतु प्रस्ताव व आमंत्रण करने के लिए अनुमोदन दिया। अपरिवर्तनीय डिबेंचर, सबऑर्डिनेंट डिबेंचर सहित, परंतु उस तक सीमित नहीं, बॉन्ड्स, परपेचुअल गैर-संचयी अधिमानी शेयर तथा/या अन्य ऋण प्रतिभूतियाँ/प्रिफ्रेंस शेयर आदि प्राइवेट प्लेसमेंट/पब्लिक इश्यू के आधार पर एक बार में या अन्य चरणों में जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा जैसा कि निर्दिष्ट और वर्गीकृत किया गया है, टियर । तथा टियर ॥ पूंजी के रूप में वर्गीकृत किया जा सके, रु.10,000 करोड़ की राशि से अधिक न हो।

vi) भारत सरकार को अधिमानी आधार पर एवं बाद में इसका आबंटन कर कुल रु. 10,086 करोड़ तक सेबी (पूंजी कानिर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के विनियम 164 के अनुसार निर्धारित शेयर के प्रीमियम सहित रु.105.75 प्रति शेयर पर नकद हेतु रु.10/- प्रत्येक के 95,37,58,865 तक के इक्विटी शेयर्स सृजित, प्रस्तावित, जारी और आबंटित करने हेतु पोस्टल बैलेट की सूचना दिनांक 7 जनवरी, 2019 में अंतर्निहित विशेष प्रस्ताव पारित कर बैंक के शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

We further report that during the audit period:

(i) Ms. Dakshita Das, Additional Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services was nominated by the Central Government as a Government Nominee Director on the Board of the Bank with immediate effect and until further orders vice Mr. Girish Chandra Murmu, vide letter dated 13th July, 2018 issued by the Ministry of Finance;

(ii) Mr. Gopalaraman Padmanabhan was re-nominated by the Central Government as the Non-Executive Chairman of the Bank for a term of two years with effect from 14th August, 2018 or until further orders, whichever is earlier, vide letter dated 13th August, 2018 issued by the Ministry of Finance;

(iii) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution at their Extra-ordinary General Meeting held on 4th September, 2018 and from the Ministry of Finance vide letter dated 13th September, 2018 for issue and allotment of 10 Crore new Equity Shares to eligible employees of the Bank and subsequent allotment of 6,25,52,188 Equity Shares of INR 10/- each to eligible employees under Bank of India – Employee Share Purchase Scheme (BOI-ESPS);

(iv) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution contained in Notice of Postal Ballot dated 7th January, 2019 to create, offer, issue and allot in one or more tranches by way of offer document(s)/ placement document/ prospectus or such other documents, in India or abroad up to 125 Crores fresh Equity Shares of the face value of INR 10/- each for cash at such premium which together with the existing paid-up share capital provided that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price;

(v) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution contained in Notice of Postal Ballot dated 7th January, 2019 to create, offer, issue and allot in one or more tranches by way of offer document(s)/ prospectus or such other documents in India or abroad for making offers or invitations to subscribe to perpetual debt instruments in accordance with the guidelines framed by the Reserve Bank of India, Non-Convertible Debentures including but not limited to Subordinated Debentures, Bonds, Perpetual Non-Cumulative Preference Shares and/ or other debt securities / preference shares, etc. on a private placement / public issue basis, in one or more tranches which may classify for TIER I or TIER II capital as identified and classified by the Reserve Bank of India or such other authority for an amount not exceeding INR 10,000 Crore;

(vi) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution contained in Notice of Postal Ballot dated 7th January, 2019 to create, offer, issue and allot upto 95,37,58,865 Equity Shares of face value of INR 10/- each at an issue price determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 of INR 105.75/- per share inclusive of premium for cash to Government of India aggregating to INR 10,086 Crore on preferential basis and its subsequent allotment;

(vii) बैंक की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि के लिए 25 मार्च 2019 को आयोजित अपनी असाधारण आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बैंक के शेयर धारकों से बैंक की वर्तमान अधिकृत शेयर पूंजी मौजूदा रु.3000 करोड़, प्रत्येक रु.10/- के 300 करोड़ शेयरों में विभाजित, को बढ़ाकर रु.6,000 करोड़, प्रत्येक रु.10/- के 600 करोड़ शेयरों में विभाजित, करने का अनुमोदन प्राप्त किया गया तथा वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने अपने पत्र एफ सं.11/8/2019 - बीओए - दिनांक 29 मार्च 2019 के माध्यम से इसे अनुमोदित किया है।

(viii) भारत सरकार (प्रवर्तक) को अधिमानी आधार पर कुल रु.4638 करोड़ तक सेबी (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 के विनियम 164 के अनुसार निर्धारित रु.79.60 प्रति इक्विटी शेयर्स के प्रीमियम सहित रु.89.60 प्रति इक्विटी शेयर पर नकद रु.10/- प्रत्येक के 51,76,33,928 तक के इक्विटी शेयर्स के सृजन, प्रस्तावित, जारी करने और आबंटित करने लिए दिनांक 25 मार्च 2019 को आयोजित बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर उनका अनुमोदन प्राप्त किया गया है।

कृते प्रदीप पुरवार एवं एसोसिएट
कंपनी सचिव

हस्ता./-
प्रदीप कुमार पुरवार
प्रोपराइटर
एफसीएस सं. 5769
सीओपी सं. 5918

दिनांक : 26 अप्रैल 2019
स्थान : ठाणे

(vii) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution at their Extra-ordinary General Meeting held on 25th March, 2019 for increase in the Authorized Share Capital of the Bank from the existing INR 3,000 Crores divided into 300 Crore Shares of INR 10/- each to INR 6,000 Crores divided into 600 Shares of INR10/- each and the Ministry of Finance, Department of Financial Services has vide their F. No. 11/8/2019 – BOA – I dated 29th March, 2019 approved the same; and

(viii) Approval received from the shareholders of the Bank by passing of a Special Resolution at their Extra-ordinary General Meeting held on 25th March, 2019 to create, offer, issue and allot upto 51,76,33, 928 Equity Shares of INR 10/- each for cash at INR 89.60/- per Equity Share including premium of INR 79.60 per equity share as determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 aggregating upto INR 4638 Crore shares to Government of India (Promoters) on preferential basis.

For Pradeep Purwar & Associates
Company Secretaries

Sd/-
Pradeep Kumar Purwar
Proprietor
FCS No. 5769
CoP No. 5918

Date: 26th April, 2019
Place: Thane

सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
महोदय,

विषय : वर्ष 2018-19 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 की अनुसूची II के भाग बी के साथ पढें विनियम 17 (8) के अनुसार हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि :-

क. हमने वर्ष 2018-19 हेतु वित्तीय वितरण और नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में कोई तात्विक रूप से गलत विवरण नहीं है या इनमें कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड़ा गया है या इसमें कोई ऐसे कथन नहीं हैं तो भ्रम की स्थिति पैदा करती हों।

ii. ये सभी विवरण मिलाकर बैंक की गतिविधियों का सही और उचित स्थिति दर्शाती है और ये वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।

ख हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, बैंक ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया है जो धोखाधड़ी पूर्ण हो, अवैध हो अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

ग. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियम की स्थापना एवं रखरखाव की जिम्मेदारी और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना स्वीकार करते हैं और ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन अथवा डिजाइन में कमियों का प्रकटन, यदि कोई हो, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष किया है जिसके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को सुधारने के प्रयोजन से हमने कदम उठाए हैं या कदम उठाया जाना प्रस्तावित है।

घ हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समितियों को यह सूचित किया है:-

i. वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन।

ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उनका प्रकटन वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में किया गया है।

iii. ऐसी किसी बड़ी धोखाधड़ी की हमें जानकारी मिली हो और जिसमें प्रबंधन अथवा वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला कोई कर्मचारी शामिल हो।

कृते बैंक ऑफ इंडिया

हस्ता/	**हस्ता/**
(के. वी. राघवेन्द्र)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
स्थान : मुंबई	दिनांक 16.05.2019

मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा घोषणा

बैंक ने सभी निदेशकों और कोर प्रबंधन के लिए आचरण संहिता निर्धारित की है, जिसका सार बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है। निदेशक और कोर प्रबंधन ने 31 मार्च 2019 की समाप्ति के लिए आचारसंहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/	**हस्ता/**
(के. वी. राघवेन्द्र)	**(दीनबंधु मोहापात्रा)**
मुख्य वित्तीय अधिकारी	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.05.2019

CEO / CFO CERTIFICATION

Board of Directors,
Bank of India,
Mumbai
Dear Sir,

Re: CEO/CFO Certification for the year 2018-19

Pursuant to Regulation 17 (8) read with Part B, Schedule II of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby certify that:

a. We have reviewed financial statement and the cash flow statement for the year 2018-19 and that to the best of our knowledge and belief:
 i. These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading:
 ii. These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

b. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

c. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the Audit Committee deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

d. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee.
 i. Significant changes in internal control over financial reporting during the year.
 ii. Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements and
 iii. Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Bank of India

Sd/-	**Sd/-**
(K. V. Raghavendra)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO
Place: Mumbai	Date: 16.05.2019

DECLARATION BY CEO

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the directors and Core Management of the Bank, the text of which is posted on the Bank's website. The Directors and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct for the financial year ended 31st March, 2019.

Sd/-	**Sd/-**
(K. V. Raghavendra)	**(Dinabandhu Mohapatra)**
Chief Financial Officer	Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: 16.05.2019

बैंक ऑफ़ इंडिया

तुलन-पत्र

यथा 31 मार्च, 2019

एवं

लाभ एवं हानि खाता

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु

BANK OF INDIA

BALANCE SHEET

As at 31st March, 2019

&

PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the Year Ended 31st March, 2019

तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2019
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019

(000' छोड़े गए हैं Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2019 ₹	यथा As at 31-03-2018 ₹
I.	पूँजी एवं देयताएं	CAPITAL AND LIABILITIES			
	पूंजी	Capital	1	27,600,285	17,437,175
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	389,211,250	337,969,278
	आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money, pending allotment		46,380,000	0
	जमाराशियां	Deposits	3	5,208,623,485	5,208,543,783
	उधार	Borrowings	4	442,411,678	435,887,753
	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities and Provisions	5	138,001,739	95,910,271
	कुल	**TOTAL**		**6,252,228,437**	**6,095,748,260**
II.	आस्तियां	ASSETS			
	भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	292,365,626	313,478,449
	बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	655,749,238	645,346,643
	निवेश	Investments	8	1,476,390,350	1,371,111,122
	अग्रिम	Advances	9	3,410,059,443	3,413,801,866
	अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	89,200,364	82,652,874
	अन्य आस्तियां	Other Assets	11	328,463,416	269,357,306
	कुल	**TOTAL**		**6,252,228,437**	**6,095,748,260**
	आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,113,092,079	3,426,539,857
	वसूली के लिए बिल	Bills for collection		285,003,999	321,026,665

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तुलन-पत्र का अभिन्न अंग है।
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' के अनुसार तुलन-पत्र तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form `A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएट्स	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता
PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(000's छोड़े गए हैं Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2019 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2018 ₹
I. आय	INCOME			
अर्जित ब्याज	Interest earned	13	407,678,113	380,714,089
अन्य आय	Other income	14	51,320,059	57,337,571
कुल	TOTAL		**458,998,172**	438,051,660
II. व्यय	EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	271,101,410	275,650,707
परिचालनगत व्यय	Operating expenses	16	106,974,662	91,011,698
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions and Contingencies		136,391,105	131,826,306
कुल	TOTAL		**514,467,177**	498,488,711
III. लाभ	PROFIT			
अवधि के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the period		(55,469,005)	(60,437,051)
घटाएं : असाधारण मद	Less: Extra ordinary Item		0	0
जोड़ें : आगे लाया गया लाभ / (हानि)	Add: Profit brought forward		(149,623,085)	(85,568,434)
कुल	TOTAL		**(205,092,090)**	(146,005,485)
IV. विनियोजन	APPROPRIATIONS			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	0
निवेश घट-बढ आरक्षिति से अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		0	0
राजस्व आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Revenue Reserve		0	0
पूंजी आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		735,300	3,617,600
राजस्व और अन्य आरक्षितियों से अंतरण	Transfer from Revenue & Other Reserves		0	0
अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		0	0
आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act,1961		0	0
लाभ और हानि खाते में शेष	Balance in Profit and Loss Account		(205,827,390)	(149,623,085)
कुल	TOTAL		**(205,092,090)**	(146,005,485)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant accounting policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		
प्रति शेयर आय (आधार एवं तनुकृत) (₹)	Earnings Per Share (Basic & Diluted) (₹)		(29.79)	(52.55)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ एवं हानि खाते का अभिन्न अंग है।
The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.
बैंकिंग विनिमयन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।
The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form `B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Cash Flow for the year ended 31st March, 2019

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

	विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2019 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2018 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	A.	**Cash Flow from Operating Activities:**		
	करपूर्व निवल लाभ		**Net Profit before taxes**	(87,134,074)	(86,334,904)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/मूल्यह्रास		Amortisation/Depreciation on Investments	13,904,597	18,428,209
	संयुक्त उद्यमों में निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ		Profit on sale /redemption of investments in Joint Venture	0	0
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		Depreciation on Fixed Assets	3,666,741	5,199,840
	अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		Profit on sale of Fixed Asset	(4,302,226)	(526,745)
	एनपीए के लिए प्रावधान		Provision for NPA	157,696,534	150,953,169
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Standard Assets	1,263,172	(6,712,492)
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान		Provision for Other Assets	(1,545,929)	(1,202,909)
	गौण बांड्स/आईपीडीआई, अप्पर टियर II बांड्स पर ब्याज हेतु भुगतान / प्रावधान		Payment / Provision for Interest on Subordinated Bonds, IPDI, Upper Tier II Bonds	10,151,050	10,433,533
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	(178,444)	(120,914)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :		**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ /(घट)		Increase /(Decrease) in Deposits	79,702	(191,776,295)
	उधार में बढ /(घट)		Increase /(Decrease) in Borrowings	70,523,925	48,899,690
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)		Increase / (Decrease) in Other Liabilities and Provisions	45,078,719	(35,951,203)
	निवेशों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Investments	(119,183,825)	(108,680,378)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट		(Increase)/ Decrease in Advances	(153,954,111)	100,061,635
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट		(Increase) / Decrease in Other Assets	5,880,368	48,081,488
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी		Direct Taxes (Paid)/Refund	(33,861,562)	(14,982,056)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (क)		**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(91,915,363)**	**(64,230,332)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह:**	B.	**Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्तियों की खरीद		Purchase of Fixed Assets	(2,865,923)	(3,379,945)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री		Sale of Fixed Assets	4,195,650	857,982
	अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश		Additional investment in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates	0	(2,590,321)
	प्राप्त लाभांश		Dividend received	178,444	120,914
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ख)		**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**1,508,171**	**(4,991,370)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**	C.	**Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी		Share Capital	10,163,111	6,882,833
	शेयर प्रीमियम		Share Premium	97,304,903	102,656,342
	शेयर आवेदन		Share Application	46,380,000	(17,219,175)
	आईपीडीआई, गौण बांड, अप्पर टियर II बांड (निवल)		IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(64,000,000)	(7,068,588)
	लाभांश भुगतान (अन्तरिम और अंतिम)		Dividend (Interim & Final) paid	0	0
	आईपीडीआई, गौण बांड अप्पर टियर II बांड पर ब्याज भुगतान		Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(10,151,050)	(16,084,150)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)		**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**79,696,964**	**69,167,262**
	नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (क) + (ख) + (ग)		**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(10,710,228)**	**(54,440)**
	वर्ष के आरंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**958,825,092**	**958,879,532**
	वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**948,114,864**	**958,825,092**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2019 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2018 ₹
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	292,365,626	313,478,449
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	655,749,238	645,346,643
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**948,114,864**	**958,825,092**

नकदी में नकदी प्रवाह विवरणी के अनुसार नकद एव नकद समतुल्य जिसमें हाथ में नकदी, एटीएम में, आरबीआई एवं अन्य बैंकों में शेष (जमाराशियां सहित) और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि जिसे तुरंत परिवर्तित किया जा सके, शामिल हैं।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएट्स	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	**SCHEDULE- 1 : CAPITAL**		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 300,00,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 300,00,00,000)	300,00,00,000 (Previous year ended 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
प्रत्येक ₹ 10 के 276,04,66,522 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 174,41,55,469)	Equity Shares 276,04,66,522 (Previous year ended 174,41,55,469) of ₹10 each	27,604,665	17,441,555
कुल	**TOTAL**	**27,604,665**	**17,441,555**
प्रदत्त पूंजी	**PAID-UP CAPITAL**		
प्रत्येक ₹ 10 के 275,92,89,422 इक्विटी शेयर (विगत वर्ष के अंत में 174,29,78,369)	275,92,89,422 Equity Shares (Previous year ended 174,29,78,369) of ₹10/- each	27,592,894	17,429,784
जोडें: जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**27,600,285**	**17,437,175**
उपरोक्त में से प्रत्येक ₹ 10 के पूर्णत: प्रदत्त 240,20,56,938 शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 144,82,98,073) जिनकी कीमत ₹2402.06 करोड़ है, (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 1448.30 करोड़) भारत सरकार द्वारा धारित है।	* Of the above, 240,20,56,938 Equity Shares (Previous year ended 144,82,98,073) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹2402.06 crores (Previous year ended ₹1448.30 crores) is held by Central Government;		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS**		
I. सांविधिक आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve:**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	70,868,842	70,868,842
वर्ष के दौरान संवर्धन	Additions during the year	0	0
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**70,868,842**	**70,868,842**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves:**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	55,491,649	56,867,087
जोडें : परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़	Add: Addition during the period on Revaluation of Premises	9,015,306	23,680
घटाएं: वर्ष के दौरान समायोजन	Less: Adjustments during the period	(103,613)	(161,746)
घटाएं : लाभ / हानि खाते को अंतरित पुनर्मूल्यांकित अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation on revalued Fixed Assets transferred to Revenue reserve	1,877,186	1,560,864
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**62,733,382**	**55,491,649**
बी) अन्य	B) Others:		
i. निवेश की ब्रिकीपर लाभ-"परिपक्वता तक धारित"	i. Profit on sales of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	22,400,238	18,782,638
अवधि के दौरान संवर्धन	Additions during the period	735,300	3,617,600
(i) का उप-जोड	**Sub-total of (i)**	**23,135,538**	**22,400,238**
ii. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिती	ii. Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	18,343,885	14,875,004
जोड़ें/(घटाएं) : वर्ष के दौरान संवर्धन/समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Additions / adjustments during the period (Net)	1,712,391	3,468,881
(ii) का उप-जोड़	**Sub-total of (ii)**	**20,056,276**	**18,343,885**
(बी) का कुल	**Total of (B)**	**43,191,814**	**40,744,123**
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**105,925,196**	**96,235,772**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 2 : आरक्षितियाँ एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	214,809,166	112,152,824
जोडें: वर्ष के दौरान संवर्धन	Add : Additions during the period	97,304,903	102,656,342
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**312,114,069**	**214,809,166**
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति :	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	83,978,582	87,419,271
जोडें : वर्ष के दौरान संवर्धन	Add: Additions during the period	1,647,377	2,209,928
वर्ष के दौरान कटौतियां	Deductions during the period	1,195,426	5,650,617
IV(i) का उप-जोड	**Sub-total of IV(i)**	**84,430,533**	**83,978,582**
ii) निवेश आरक्षिति :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	0	0
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
IV (ii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(ii)**	**0**	**0**
iii) निवेश अस्थिर आरक्षिति	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	0	0
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
IV (iii) का उप-जोड	**Sub-total of IV(iii)**	**0**	**0**
iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
अवधि के दौरान परिवर्धन	Additions during the period	0	0
IV (iv) का कुल-जोड़	**Sub-total of IV(iv)**	**21,700,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**106,130,533**	**105,678,582**
V. लाभ-हानि खाते में शेष :	**V. Balance in Profit and Loss Account :**	**(205,827,390)**	**(149,623,085)**
कुल (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**389,211,250**	**337,969,278**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,547,152	6,434,045
ii) अन्यों से	ii) From Others	269,676,172	288,988,406
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**275,223,324**	**295,422,451**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,594,771,454**	**1,481,198,277**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	512,777,522	454,862,600
ii) अन्यों से	ii) From Others	2,825,851,185	2,977,060,455
कुल (III)	**TOTAL (III)**	**3,338,628,707**	**3,431,923,055**
कुल ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,208,623,485**	**5,208,543,783**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	**B.** i) Deposits of branches in India	4,217,832,182	4,212,113,302
ii) भारत से बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	990,791,303	996,430,481
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**5,208,623,485**	**5,208,543,783**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i. भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	111,000,000	133,580,000
ii. अन्य बैंक	ii. Other Banks		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	1,800,000	5,428,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	50,000	50,000
सी. अन्य	c. Others	16,800,000	0
कुल (ii)	**Total (ii)**	**18,650,000**	**5,478,000**
III) अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां	III) **Other Institutions and Agencies**		
ए . टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	4,450,000	59,822,000
बी. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	99,950,000	104,950,000
सी. अन्य	c. Others	117,518,703	6,515,053
कुल **(iii)**	**Total (iii)**	**221,918,703**	**171,287,053**
कुल (I)	**Total (I)**	**351,568,703**	**310,345,053**
II. भारत के बाहर उधार	**II. Borrowings outside India**		
ए. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	0	0
बी. अपर टियर II पूँजी	b. Upper Tier II Capital	0	0
सी. अन्य	c. Others	90,842,975	125,542,700
कुल **(II)**	**Total (II)**	**90,842,975**	**125,542,700**
कुल **(I & II)**	**Total (I & II)**	**442,411,678**	**435,887,753**
उपर्युक्त में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	**Secured borrowings included in above**	**0**	**0**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	12,801,694	13,783,047
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	0	0
III. उपचित ब्याज	III. Interest accrued	20,238,468	21,584,304
IV. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax Liabilities	28,819	1,837
V. अन्य (प्रावधान सहित)	V. Others (Including Provisions)	104,932,758	60,541,084
कुल	**TOTAL**	**138,001,739**	**95,910,272**
अनुसूची-6 भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष राशि	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. **हाथ में नकदी**	I. **Cash in hand**	**24,556,246**	**25,807,047**
(विदेशी मुद्रा और सोने सहित)	(including foreign currency notes and gold)		
II. **रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पास शेषराशि :***	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	267,809,380	287,671,402
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	0
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**267,809,380**	**287,671,402**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**292,365,626**	**313,478,449**
***भारत के बाहर के केंद्रीय बैंकों के पास शेष राशि को मिलाकर**	* Including balances with Central Banks outside India		

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 7 : बैंकों के पास शेषराशि और मांग एवं अल्प सूचना पर धन	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेषराशि	i) Balances with Banks		
ए) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,564,652	1,470,164
बी) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	83,331,775	55,072,875
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	ii) Money at call and short notice		
ए) बैंकों में	a) With Banks	0	0
बी) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	0	60,000,000
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**84,896,427**	**116,543,039**
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों मे	i) In Current Accounts	2,862,033	4,713,460
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	368,128,701	302,958,284
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धन	iii) Money at call and short notice	199,862,077	221,131,860
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**570,852,811**	**528,803,604**
कुल **(I & II)**	**TOTAL (I & II)**	**655,749,238**	**645,346,643**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश :	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	1,285,570,352	1,183,704,530
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	0	0
iii) शेयर	iii) Shares	9,793,592	15,466,662
iv) डिबेंचर एवं बॉण्ड्स	iv) Debentures and Bonds	79,386,216	80,521,525
v) अनुषंगियां एवं सहायक कंपनियां	v) Subsidiaries and Associates	4,650,063	4,650,063
vi) अन्य (वाणिज्यिक दस्तावेज, म्यूचुअल फंड के यूनिट, पास थ्रू सर्टिफिकेट, प्रतिभूति रसीदें, जोखिम फंड, इत्यादि)	vi) Others (Commercial Papers, Units of Mutual Funds, Pass Through Certificates, Security Receipts, Venture Fund etc.)	30,795,689	27,679,330
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**1,410,195,912**	**1,312,022,110**
सकल	Gross	1,445,700,306	1,347,022,279
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	35,504,394	35,000,169
निवल	**Net**	**1,410,195,912**	**1,312,022,110**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	32,113,683	24,570,821
ii) विदेश में अनुषंगियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों में	ii) In Subsidiaries and/or joint ventures abroad	9,576,760	9,760,843
iii) अन्य निवेश (डिबेंचर एवं बॉण्ड)	iii) Other Investments (Debentures, Bonds etc.)	24,503,995	24,757,348
कुल (II)	**TOTAL (II)**	**66,194,438**	**59,089,012**
सकल	Gross	66,481,458	59,329,100
घटाएं: मूल्यह्रास एवं परिशोधन	Less: Depreciation and Amortisation	287,020	240,088
निवल	**Net**	**66,194,438**	**59,089,012**
कुल (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,476,390,350**	**1,371,111,122**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	122,737,248	450,851,629
ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,477,479,360	1,417,280,666
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,809,842,835	1,545,669,571
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,410,059,443**	**3,413,801,866**
बी. अग्रिमों का विवरण :	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण के निमित्त अग्रिमों सहित)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,526,260,004	2,332,397,555
ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	161,899,796	413,412,715
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	721,899,643	667,991,596
कुल (बी)	**TOTAL (B)**	**3,410,059,443**	**3,413,801,866**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण :	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,121,314,154	1,015,893,551
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	629,785,792	474,814,830
iii) बैंक	iii) Banks	142,920	450,652
iv) अन्य	iv) Others	1,179,274,560	1,166,334,900
कुल (सी-I)	**Total (C-I)**	**2,930,517,426**	**2,657,493,933**
II. भारत के बाहर अग्रिम :	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	99,380,579	355,314,730
II) अन्य से देय	II) Due from others		
ए) खरीदे गए और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	32,707,804	12,812,291
बी) समूहित ऋण	b) Syndicated Loans	129,690,731	159,707,915
सी) अन्य	c) Others	217,762,903	228,472,997
कुल **(सी-II)**	**TOTAL (C-II)**	**479,542,017**	**756,307,933**
कुल **(सी - I, सी - II)**	**TOTAL (C - I, C - II)**	**3,410,059,443**	**3,413,801,866**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	**SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS**		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance, at cost	17,109,272	16,196,958
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the period	209,549	912,580
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	171,344	266
उप-जोड	**Sub-total**	**17,147,477**	**17,109,272**
पुनर्मूल्यांकन के कारण अब तक संवर्धन	Addition to date on account of revaluation	63,565,808	59,052,451
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,449,395	7,029,155
कुल -(I)	**TOTAL (I)**	**76,263,890**	**69,132,568**
II. अन्य अचल आस्तियां :	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सहित)	**(including Furniture and Fixtures)**		
लागत पर प्रारंभिक शेष	Opening Balance at cost	32,725,686	30,147,886
वर्ष के दौरान जोड / समायोजन	Additions / Adjustments during the period	2,238,681	2,852,204
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौती / समायोजन	Less:Deductions / Adjustments during the period	263,173	274,404
उप-जोड	**Sub-total**	**34,701,194**	**32,725,686**
घटाएं: तिथि पर मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	23,762,970	20,785,937
जोड **(II)**	**TOTAL (II)**	**10,938,224**	**11,939,749**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,998,250**	**1,580,557**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**89,200,364**	**82,652,874**

तुलनपत्र की अनुसूची
SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		As at यथा 31-03-2019 ₹	As at यथा 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	**SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS**		
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter-office adjustments (net)	23,575,657	10,036,968
II. उपचित ब्याज	II. Interest accrued	31,521,737	28,716,089
III. अग्रिम में अदा किया गया कर / स्रोत पर काटा गया कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (net)	50,532,617	12,776,333
IV. लेखन सामग्री एवं स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	54,749	60,400
V. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	V. Deferred Tax Assets (Net)	118,884,849	91,654,656
VI. अन्य	VI. Others	103,893,807	126,112,860
कुल	**TOTAL**	**328,463,416**	**269,357,306**
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	**SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES**		
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	15,013,941	13,938,129
II. आंशिक रूप से प्रदत्त निवेशों के लिए देयता	II. Liability for partly paid Investments	168,582	233,461
III. अतिदेय वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,551,539,928	2,717,618,610
IV. घटकों की और से दी गई गारंटी:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
ए. भारत में	a. In India	209,178,461	220,560,690
बी. भारत के बाहर	b. Outside India	32,085,993	182,145,295
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं अन्य बाध्यताएं	V. Acceptances, endorsements and other obligations	189,421,022	200,749,961
VI. उपरोक्त III में सूचीबद्ध के अलावा व्युत्पन्नी संविदाएं	VI. Derivative contracts other than listed at III above	106,090,890	83,298,574
VII. अन्य मदें जिसके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	9,593,262	7,995,137
कुल	**TOTAL**	**3,113,092,079**	**3,426,539,857**

लाभ एवं हानि खाता की अनुसूची
SCHEDULES TO THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए हैं) / **(000's Omitted)**

		को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2019 ₹	को समाप्त वर्ष For the Year ended 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज	**SCHEDULE - 13 : INTEREST EARNED**		
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	272,503,460	252,952,988
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	99,728,865	91,535,458
III. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि पर ब्याज और अन्य अंतर-बैंक निधियां	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	28,376,583	27,317,015
IV. अन्य	IV. Others	7,069,205	8,908,628
कुल	**TOTAL**	**407,678,113**	**380,714,089**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय एवं दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	12,434,825	13,330,827
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ	II. Profit on sale of Investments: 0 / 14,792,575		
घटाएं: निवेशों की बिक्री पर हानि	Less : Loss on sale of Investments: 4,438,104 / 70,488	(4,438,104)	14,379,783
III. जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से लाभ	III. Profit on sale of land, buildings and other assets: 4,302,226 / 0		
घटाएं:जमीन, बिल्डिंग और अन्य आस्तियों की बिक्री से हानि	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets: 0 / 0	4,302,226	526,745
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ	IV. Profit on exchange transactions: 13,087,282 / 9,804,442		
घटाएं : विनिमय संव्यवहारों पर हानि	Less: Loss on Exchange Transactions: 4 / 347,851	13,087,278	14,013,211
V. अनुषंगी/कंपनी और/अथवा संयुक्त उद्यमों के लाभांश इत्यादि से अर्जित आय	V. Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries / cos.and/or JVs	178,444	120,915
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	25,755,390	14,966,090
कुल	**TOTAL**	**51,320,059**	**57,337,571**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाराशियों पर ब्याज	I. Interest on Deposits	229,906,259	243,249,349
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	30,957,820	22,087,454
III. अन्य:	III. Others	10,237,331	10,313,904
कुल	**TOTAL**	**271,101,410**	**275,650,707**
अनुसूची - 16 : परिचालन खर्चे	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	60,210,417	49,032,666
II. किराया, कर एवं लाइटिंग	II. Rent, Taxes and Lighting	7,085,389	6,698,504
III. प्रिंटिंग एवं लेखन सामाग्री	III. Printing and Stationery	749,124	764,087
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	195,710	242,120
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property*	3,666,741	5,199,840
VI. निदेशकों का शुल्क, भत्ते और खर्चे	VI. Directors' fees, allowances and expenses	4,569	3,603
VII. लेखा-परीक्षकों का शुल्क और खर्चे (शाखा के लेखा-परीक्षकों के शुल्क एवं भत्ते सहित)	VII. Auditors' fees and expenses (Including branch Auditors' fees & expenses)	706,370	694,033
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	404,535	333,330
IX. डाक-खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन, इत्यादि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,366,133	1,066,543
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	627,473	649,971
XI. बीमा	XI. Insurance	5,017,978	5,167,133
XII. अन्य खर्चे	XII. Other Expenditure	26,940,223	21,159,868
कुल	**TOTAL**	**106,974,662**	**91,011,698**
	*After reversing depreciation charged on land earlier		

अनुसूची - 17:
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1) तैयार करने का आधार:

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर, वित्तीय विवरण तैयार किये जाते हैं जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों" (जीएएपी) का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियम, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेश, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत के बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा प्रथाएं शामिल हैं। यदि अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है तो, विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है।

2) आकलन का आधार:

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में निर्धारित किया जाता है।

3) आय का निर्धारण:

क. यदि अन्यथा न उल्लिखित हो तो आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख. अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग. बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ. अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तो आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ड़. "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है:-

ग. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ग. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च. निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

SCHEDULE 17:
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

1) BASIS OF PREPARATION:

The financial statements are prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform, in all material aspects, to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevalent in the banking industry in India. In respect of foreign offices/branches, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

2) USE OF ESTIMATES:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However, actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3) REVENUE RECOGNITION:

a. Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, income/expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

b. Interest income is recognised on time proportion basis except interest on non-performing assets.

c. Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

d. All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

e. Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

f. Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI Guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

छ. जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज. निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में निर्धारित किया जाता है।

झ. **एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन** :

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन-इन तीन मामलों को छोड़कर एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्य ब्याज
- अप्रभारित ब्याज
- मूल धन

4) अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार में अग्रिमों को "अर्जक" और "अनर्जक" (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं :

g. Dividend Income is recognised when the right to receive the dividend is established.

h. Interest Income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

i. **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest,
- Principal

4) ADVANCES:

a. Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

b. NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

c. In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम पर प्रावधान % Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति:*	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोज़र जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

* On the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, ईसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

d. In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

e. Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc. are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रिडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किये जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

5) अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली, अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

6) डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

7) निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणियों में किया गया है। निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे क) सरकारी प्रतिभूतियाँ, ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां ग) शेयर, घ) डिबेंचर और बॉन्ड, ड़) अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और च) अन्य।

f. In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

g. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amount is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

h. Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

i. Provision for net funded country exposures (Direct/Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

5) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

6) DEBIT/CREDIT CARDS REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to the debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

7) INVESTMENTS:

a. Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

b. Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of Investments, these are classified in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six categories viz. a.) Government Securities, b.) Other Approved Securities, c.) Shares, d.) Debentures and Bonds, e.) Subsidiaries and Joint Ventures and f.) Others.

(क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा 'कारोबार के लिए धारित' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश का अधिग्रहण लागत

i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

ii) ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/ डेब्ट निवेश पर प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

iii) निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है - इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

i) परिपक्वता तक धारित :

1 इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

A. Basis of categorisation

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

i) Held to Maturity

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity

ii) Held for Trading

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

iii) Available for Sale

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition).

i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

वर्गीकरण	मूल्यांकन का आधार
सरकारी प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार ब्रेक अप मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी रु. 1
अधिमानी शेयर	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड की यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
वेंचर पूँजी निधि (वीसीएफ) की यूनिट	18 महीनों से पुरानी नहीं, ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो रु.1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर जो 6 माह से अधिक पुराना न हो।

घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

ए) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी

i. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.

2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/ audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

A) HTM to AFS/HFT –

i) If the security was originally placed under the HTM category at a discount

कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ii. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख) **एएसएस/एचएफटीसे एचटीएम में अंतरण -** बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

ग) **एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत -** एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) **अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:**

i. निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

ii. अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किये जाते हैं।

iii. परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में "अन्य आस्तियों" के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) **रेपो/रिवर्स रेपो**

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ii) If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

B) **AFS/HFT TO HTM-** Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value..

C) **AFS TO HFT AND VICE-VERSA -** In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa.

E. **Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:**

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. **Repo / Reverse Repo:**

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

छ) आस्तियों के विरूद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17, दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से, प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेची गयी दबावग्रस्त आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा, प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो, उसके अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान होगा;

अ. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक के दर पर प्रावधान; तथा

आ. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा, एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में, एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में निवेश किया जाता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा, उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को निर्धारित जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

जब तक की बिक्री या वसूली न हो जाये, उपर्युक्त निवेश उपर्युक्त निर्धारित मूल्य पर बैंक की बही में जारी रहेगा।

8) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - ऑप्शन, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ड) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 10% of entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

8) DERIVATIVE:

The Bank presently deals in Forex Forward Contracts, interest rate, and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

a. The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

b. Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

c. Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account

d. MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

e. Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

f. Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market

है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि-इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

9. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण:

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति को पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है-

rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

g. Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

h. Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

9) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मूल्यह्रास की दर Rate of Depreciation	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन Estimated useful life as determined by the Bank	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका Method of charging depreciation
1	**भवन एवं भूमि**	**Land & Building:**			
a.	भूमि (फ्री होल्ड)	Land (Freehold)	शून्य NIL		
b.	पट्टाधारित भूमि	Leasehold Land		पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है। Lease premium is amortised over the period of lease	
c.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
2.	**अन्य अचल आस्तियां:-**	**Other Fixed Assets:-**			
a.	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
b.	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	Electrical Fitting and Equipments	9.50%	10 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
c.	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
d.	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
e.	साइकल	Cycle	20.00%	5 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
f.	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवेयर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 वर्ष Years	सीधी आरेख पद्धति Straight Line
g.	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	Computer Software, not embedded in hardware	खरीदी के वर्ष में 100.00% 100% in the Year of acquisition	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित As prescribed by RBI

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार :

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन, आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुसार किया गया है:

क) समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i. विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv. विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v. बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi. एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

10) TRANSACTION INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

A. Translation in respect of Integral Foreign operations:

Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i. Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii. Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii. Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv. Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v. Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi. Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii. Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii. मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:

विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i. आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii. आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित 'तिमाही औसत क्लोजिंग दर" पर स्पष्ट किया जाता है।

iii. सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते - "विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व" में संचित किया जाता है।

iv. विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

11. कर्मचारी लाभ :

क. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ख. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

ए. उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

बी. पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन

viii. Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/losses are recognised in the Profit and Loss account.

B. Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:

Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i. Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii. Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii. All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv. The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

11) EMPLOYEE BENEFITS:

A. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

B. Long Term Employee Benefits:

a. Defined Benefit Plan:

i.) Gratuity:

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules,1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ii.) Pension:

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees

की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

i.) भविष्य निधि

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ii.) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

सी) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - कर्मचारी लाभ के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बीमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 – कर्मचारी लाभ के अनुरूप ऐक्चवेरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

12. प्रति शेयर अर्जन :

एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

b. Defined Contribution Plan:

i.) Provident Fund:

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

ii.) Pension:

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

C. Other Long term Employee Benefit:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, Sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 - Employee Benefits.

iii.) In respect of overseas branches and offices, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

12) EARNINGS PER SHARE:

Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा की गयी, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

14. आस्तियों का ह्रास:

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 "आस्तियों का ह्रास" के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

13) TAXES ON INCOME:

Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

14) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on a revalued asset is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

15) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

16) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं। कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

खातों के भाग स्वरूप टिप्पणियाँ :-

1. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने नये इक्विटी शेयरों के लिए रु.14,724 का निवेश किया है, जिसमें से सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2018 के अनुरूप मूल बैंक ने अधिमानी आधार पर अंकित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर के 95,37,58,865 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

पूंजी के अंत:प्रवाह की तारीख	शेयरधारक का नाम	इश्यू का प्रकार	प्रति शेयर इश्यू मूल्य (रु. में)	राशि	आबंटन की तारीख
26.12.2018	भारत सरकार	अधिमानी इश्यू	105.75	10,086.00	16.02.2019
21.02.2019	भारत सरकार	अधिमानी इश्यू	89.60	4,638.00	20.04.2019*
		कुल		14,724.00	

* आरबीआई पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी सं.8307/21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च, 2019 की गणना पर विचार किया गया।

इसके अलावा, बैंक ऑफ़ इंडिया - कर्मचारी शेयर योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत बैंक को रु.660.80 राशि की प्राप्ति हुई है। इस योजना के अंतर्गत, बैंक ने 24.28% की छूट पर रु.105.64 प्रति शेयर के फ्लोर मूल्य अर्थात् रु.80/- प्रति शेयर के ऑफर पर 6,25,52,188 नये इक्विटी शेयर आबंटित किये हैं जिनका अंकित मूल्य रु.10 प्रति शेयर है। इसका विवरण इस प्रकार है :

शेयरधारक का नाम	इश्यू का प्रकार	प्रति शेयर इश्यू मूल्य (रु. में)	राशि	आबंटन की तारीख
बैंक के कर्मचारी (ऑफर मूल्य रु.80/- प्रति शेयर)	ईएसपीएस इश्यू	105.64	660.80	07.03.2019

2. भारत सरकार ने अपने साप्ताहिक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2019 - 6 अप्रैल, 2019 के माध्यम से प्राधिकृत पूंजी को रु. 3000/- (तीन हजार रुपए) से बढ़ाकर रु.6000/- (छः हजार रुपये) कर दिया।
3. अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों, इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।
4. 31 मार्च 2018 को समाप्त विगत वित्तीय वर्ष में जिन लेखांकन नीतियों का पालन किया गया उन्हीं के आधार पर अवधि हेतु लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम तैयार किए गए हैं सिवाय इस बात के कि अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के पैरा 3(i) में उल्लिखित एनपीए खातों में उपयुक्त वसूली के।
5. आरबीआई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है:

SCHEDULE 18:

All figures are in ₹ crore unless specifically stated, figures in brackets relate to previous year.

NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, Government of India has infused ₹ 14,724 capital for fresh equity shares, out of which bank has made preferential allotment of 95,37,58,865 equity shares of ₹ 10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The details are as under:-

Date of Capital Infusion	Name of the Share-holder	Type of Issue	Issue Price per share (in ₹.)	Amount	Date of Allotment
26.12.2018	Govt. of India	Preferential Issue	105.75	10,086.00	16.02.2019
21.02.2019	Govt. of India	Preferential Issue	89.60	4,638.00	20.04.2019*
		Total		14,724.00	

* In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP.No. 8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019, the share application money of ₹ 4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2019.

Further, the Bank under Bank of India- Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) has raised an amount of ₹ 660.80. Under this scheme, the Bank has allotted 6,25,52,188 new equity shares having face value of ₹ 10/- each at a discount of 24.28% on the floor price of ₹ 105.64 per share i.e. at an offer price of ₹ 80/- each. The details are as under:

Name of the Shareholder	Type of Issue	Issue Price per share (in ₹)	Amount	Date of Allotment
Bank's Employees (Offer Price ₹ 80/-Share)	ESPS Issue	105.64	660.80	07.03.2019

2. The Govt. of India vide their weekly Gazette Notification dated March 31, 2019 - April 6, 2019 increased the authorised capital from ₹ 3,000 (Rupees Three Thousand) to ₹ 6,000 (Rupees Six Thousand).
3. Balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.
4. The audited financial results for the period have been arrived at on the basis of the same accounting policies as those followed in the preceding financial year ended 31st March, 2018 except appropriation of recovery in NPA accounts as mentioned in para 3(i) of Schedule 17 - Significant Accounting Policies.
5. The following information is disclosed in terms of guidelines issued by RBI:

5.1. पूँजी (बासेल-III के अनुसार):

Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	सामान्य इक्विटी टियर I पूंजी अनुपात (सीईटी-1) (%)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET1) (%)	11.01%	7.87%
ii)	टियर -I पूंजी अनुपात (%)	Tier I Capital ratio (%)	11.07%	9.73%
iii)	टियर –II पूंजी अनुपात (%)	Tier II Capital ratio (%)	3.12%	3.21%
iv)	कुल अनुपात पूंजी (सीआरएआर) (%)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	14.19%	12.94%
v)	भारत सरकार की शेयर धारिता का प्रतिशत	Percentage of the shareholding of the Government of India	87.05%	83.09%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	Amount of Equity Capital Raised during the year	10,746.80	*10,953.92
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित **	Share application money pending for allotment **	4,638	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर —I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात पीडीआई	Amount of Additional Tier 1 capital raised during the year i.e. PDI		
	क) पीएनसीपीएस	a) PNCPS	0.00	0.00
	ख) पीडीआई	b) PDI	0.00	500.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर –II राशि अर्थात डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	क) डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	ख) पीसीपीएस /आरएनसीपीएस / आरसीपीएस	b) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

* इस राशि में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित रु.1,721.92 शेयर आबंटित राशि शामिल है।

** आरबीआई के पत्र सं.डीबीआर.सीओ.बीपी सं. 8307/21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में दिनांक 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2019 को सीईटी -1 पूंजी की गणना हेतु विचार किया गया ।

टियर I पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई) बॉन्ड के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2009-10	आईपीडीआई	325.00	97.50
2010-11	आईपीडीआई	300.00	90.00
	कुल	625.00	187.50

टियर II पूंजी में अभिवृद्धि करने हेतु प्राप्त किए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

वर्ष में प्राप्त	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बेसल III)
2009-10	अपर टियर II	2,000.00	600.00
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	300.00
2013-14	टियर II	1,500.00	1,200.00
2015-16	टियर II	3,000.00	3,000.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	10,000.00	7,600.00

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी. 13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2019 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

बैंक ने विनियामक कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 21 अप्रैल 2018 को रु. 5,500 (श्रेणी 1 से 5) राशि के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड को रिडीम किया है। इसके अतिरिक्त 16 अक्तूबर 2018 को रु. 500 के अपर टियर – II बॉन्ड को रिडीम करने के लिए तथा 11 फरवरी 2019 को रु. 400 आईपीडीआई बॉन्ड (टियर 1) को रिडीम करने के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है।

5.1. Capital (as per BASEL III) :

* The amount includes share application money of ₹ 1,721.92 received during FY 2016-17 and allotted during FY 2017-18.

** In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP.No. 8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019, the share application money of ₹ 4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2019.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) bonds raised to augment Tier-I capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2009-10	IPDI	325.00	97.50
2010-11	IPDI	300.00	90.00
	Total	**625.00**	**187.50**

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier -II capital are as under:

Raised during the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2009-10	Upper Tier-II	2,000.00	600.00
2010-11	Upper Tier-II	1,000.00	300.00
2013-14	Tier-II	1,500.00	1,200.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	3,000.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	**10,000.00**	**7,600.00**

Pursuant to RBI circular No. DBR. NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated March 1, 2016, the bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2019.

Bank has exercised the regulatory call option and redeemed Additional Tier-1 Bonds amounting ₹ 5,500 (Series 1 to 5) on April 21, 2018 and has also exercised the call option to redeem the Upper Tier-II Bonds amounting to ₹ 500 on October 16, 2018 and IPDI bonds (Tier-1) amounting to ₹ 400 on February 11, 2019.

5.2 निवेश

क्र. स.	विवरण	यथा 31.03.2019	यथा 31.03.2018
1	निवेश का मूल्य		
	i) निवेशों का सकल मूल्य	**151,218.18**	1,40,635.14
	क) भारत में	**144,570.03**	1,34,702.23
	ख) भारत के बाहर	**6,648.15**	5,932.91
	ii) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	**3,579.14**	3,524.03
	क) भारत में	**3,550.44**	3,500.02
	ख) भारत के बाहर	**28.70**	24.01
	iii) निवेशों का निवल मूल्य	**147,639.04**	1,37,111.11
	क) भारत में	**141,019.59**	1,31,202.21
	ख) भारत के बाहर	**6,619.45**	5,908.90
2	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति		
	i) प्रारंभिक शेष	**3,524.03**	1,128.11
	ii) जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान *	**1,267.76**	3,242.70
	iii) घटाएं : बट्टेखाते डालना/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	1,215.94	859.35
	iv) जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	3.29	12.57
	v) **अंतिम शेष**	3,579.14	3,524.03

*समाप्त वर्ष 31 मार्च,2019 के दौरान, वि.व. 2017-18 से संबंधित रु. 1,010.76 परिशोधित हुई तथा रु. 2.04 का वर्ष के दौरान राइट-ऑफ किया गया।

राशि रू. 25,199.35 (पिछले वर्ष रु. 24924.35) की सरकारी प्रतिभूतियों (अंकित मूल्य) को मार्जिन/प्रतिभूति निपटान के पक्ष में आरबीआई, सीसीआईएल, समाशोधन गृह और विनिमयों के पास मार्जिन के रूप में रखा गया है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा संघटित पूरी हिस्सेदारी बेची है और रू. 129.34 का लाभ कमाया है। बैंक ने बीएसई लिमिटेड के 5.41 लाख शेयर बेचे और रू. 13.02 का लाभ कमाया है।

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान एक्यूइट रेटिंग एवं रिसर्च लि. द्वारा 1.20 लाख शेयरों के बायबैक के तहत रु. 0.82 का लाभ अर्जित किया। बायबैक के पश्चात यथा 31.03.2019 को निवेश घटकर रु. 0.28 हो गया है।

5.2.1 वर्ष के दौरान किए गए रेपो संव्यवहार (अंकित मूल्य पर)

5.2. Investments

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
1	Value of Investments		
	i) Gross Value of Investments	151,218.18	1,40,635.14
	a) In India	144,570.03	1,34,702.23
	b) Outside India	6,648.15	5,932.91
	ii) Provisions for Depreciation	3,579.14	3,524.03
	a) In India	3,550.44	3,500.02
	b) Outside India	28.70	24.01
	iii) Net Value of Investments	147,639.04	1,37,111.11
	a) In India	141,019.59	1,31,202.21
	b) Outside India	6,619.45	5,908.90
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	i) Opening balance	3,524.03	1,128.11
	ii) Add: Provisions made during the year *	1,267.76	3,242.70
	iii) Less: Write-off/reduction/write-back of excess provisions during the year	1,215.94	859.35
	iv) Add/(Less): Adjustments on account of exchange difference	3.29	12.57
	v) Closing balance	3,579.14	3,524.03

* ₹ 1,010.76 pertaining to FY2017-18 has been amortised during the year ended March 31, 2019 and ₹ 2.04 has been write-off during the year.

Government Securities (Face Value) amounting to ₹ 25,199.35 (previous year ₹ 24924.35) are kept as margin with RBI, CCIL, Clearing House and Exchange towards margin/security settlement.

During the year, Bank has sold entire stake held by Bank in Central Depository Services Limited (CDSL) and earned profit of ₹ 129.34. Bank has sold 5.41 lakh shares of BSE Ltd. and earned a profit of ₹ 13.02.

During the year ended March 31, 2019, the Bank has earned a profit of ₹ 0.82 under buyback of 1.20 Lakh shares by Acuite Rating & Research Ltd. Post Buyback the investment has reduced to ₹ 0.28 as on March 31, 2019.

5.2.1. Repo Transactions (in face value terms) undertaken during the year:

विवरण	Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	बकाया यथा ३१ मार्च, २०१९ Outstanding as on March 31, 2019
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	Securities sold under repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	15,041.10 (22,443.10)	5,144.96 (5,654.09)	12,033.42 (13,772.34)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	Securities purchased under reverse repo:				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	i) Government Securities	0.00 (0.00)	12,300.00 (39,692.64)	364.56 (15,079.12)	0.00 (5,787.11)
ii) कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	ii) Corporate Debt Securities	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.2.2. गैर-एसएलआर निवेश संविभाग:

i. गैर एसएलआर निवेश -जारीकर्ता

क्रं. सं. Sr. No.	जारीकर्ता / Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आवंटन Extent of Private Placement	'निवेश ग्रेड से नीचे' प्रतिभूति* आवंटन Extent of 'Below Investment Grade' Securities*	'अश्रेणीकृत' प्रतिभूति आवंटन* Extent of 'Unrated' Securities*	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियोंका आवंटन* Extent of 'Un-listed' Securities*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
i.	सार्वजनिक उपक्रम / PSUs	2,847.89	2,276.20	0.00	616.25	0.00
		(2,940.85)	(2,378.99)	(0.00)	(698.54)	(0.00)
ii.	वित्तीय संस्थाएं / FIs	3,214.37	3,091.66	0.00	0.00	127.35
		(3,209.44)	(3,160.77)	(0.00)	(0.00)	(134.20)
iii.	बैंक / Banks	1,652.36	966.01	70.06	0.00	172.89
		(800.86)	(271.85)	(0.00)	(0.00)	(162.94)
iv.	निजी कॉर्पोरेट / Private Corporates	4,809.68	3,576.53	823.06	56.35	27.35
		(4,638.89)	(3,439.28)	(1,035.15)	(56.35)	(34.20)
v.	अनुषंगियां / संयुक्त उद्यम** / Subsidiaries / Joint Ventures**	1,442.96	0.00	0.00	0.00	0.00
		(1,442.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
vi.	अन्य Others* $	30,606.37	22,518.81	0.00	0.17	0.00
		(15,571.89)	(7969.81)	(0.00)	(45.35)	(0.00)
	जोड Total	**44,573.63**	**32,429.21**	**893.12**	**672.77**	**327.59**
		(28,604.88)	**(17220.60)**	**(1035.15)**	**(800.24)**	**(331.34)**
vii.	घटाएं: मूल्यह्रास हेतु किए गए प्रावधान Less: Provision held towards Depreciation	3,441.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		(2,538.40)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल / Total	**41,131.81**	**32,429.21**	**893.12**	**672.77**	**327.59**
		(26,066.48)	**(17,220.60)**	**(1,035.15)**	**(800.24)**	**(331.34)**

* इक्विटी में निवेश, इक्विटी अभिविन्यस्त म्युचुअल फंड, जोखिम पूंजी, वर्गीकृत आस्ति समचित प्रतिभूति, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ, प्रतिभूति रसीद, इत्यादि को इन श्रेणियों के तहत भिन्न नहीं किया गया है, क्योंकि इन्हें वर्गीकरण/सूचीकरण दिशानिर्देशों से छूट दी गई है।

** अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहायकों में निवेश को विभिन्न श्रेणियों में पृथक नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के तहत कवर नहीं किया गया है।

$ रु. 21,699 (विगत वर्ष रु.6975) का भारत सरकार गैर-एसएलआर पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड में निवेश शामिल है।

ii. अनर्जक गैर-एसएलआर निवेश:

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	2,594.60	1,066.99
वर्ष के दौरान परिवर्धन	65.29	1,564.15
वर्ष के दौरान कटौतियां	206.78	44.55
जोडें/(घटाएं): एक्सचेंज अंतर	15.00	8.01
अंतिम शेष	2,468.11	2,594.60
धारित कुल प्रावधान	2,257.42	1,911.27

5.2.3 (i) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री तथा हस्तांतरण:

01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के दौरान, एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का कुल मूल्य, यथा 31 मार्च 2018 को एचटीएम श्रेणी में रखे गए बही मूल्य का 5% से ज्यादा नहीं है।

(ए) निदेशक मंडल के अनुमोदन से लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में बैंकों द्वारा जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण किया जाना अनुमत है;

5.2.2 Non-SLR Investment Portfolio:

i. Issuer Composition of Non SLR Investments

* Investment in Equity, Equity Oriented Mutual Funds, Venture Capital, Rated Assets Backed Securities, Central Govt. Securities, Security Receipts, etc. are not segregated under these categories as these are exempt from rating/listing guidelines.

** Investment in Subsidiaries/Joint Ventures/Associates have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI guidelines.

$ includes investment in GOI Non-SLR re-capitalisation bonds of ₹ 21,699 (previous year ₹ 6975)

ii. Non-performing Non-SLR Investments:

Particulars	2018-19	2017-18
Opening balance	2,594.60	1,066.99
Additions during the year	65.29	1,564.15
Less: Reductions during the year	206.78	44.55
Add/(Less): Exchange difference	15.00	8.01
Closing balance	2,468.11	2,594.60
Total provisions held	2,257.42	1,911.27

5.2.3. (i) Sale and transfer of securities to/from HTM Category during the financial year 2018-19:

The total value of sale and transfers of securities from HTM category during April 1, 2018 to March 31, 2019 has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category as on March 31, 2018. The 5 per cent threshold referred to above will exclude

(a) The one-time transfer of securities to/from HTM category with the approval of Board of Director permitted to be undertaken by banks at the beginning of the accounting year.

(बी) पूर्व घोषित ओपन मार्केट नीलामियों के तहत आरबीआई को बिक्री।

(सी) बैंक से भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीदी

(डी) लेखांकन वर्ष के आरंभ में अनुमति प्राप्त अंतरण के अतिरिक्त, एचटीएम के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों पर सीलिंग के कम होने के कारण एएफएस/एचएफटी में अंतरण या प्रतिभूतियों की बिक्री।

वि.व. 2018-19 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	3,974.80	% में बिक्री (<5%) =4.95%
यथा 31.03.2018 को एचटीएम श्रेणी में सरकारी प्रतिभूतियाँ	80,346.19	

(ii) एचटीएम के अंतर्गत निवेश की बिक्री पर लाभ से संबंधित तथा उसके प्रीमियम के परिशोधन का विवरण:

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	वि.व. 2018-19 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री (अंकित मूल्य) (ओएमओ के अंतर्गत एकबारगी अंतरण एवं बिक्री के अलावा)	4,108.29
2	वर्ष 2018-19 के दौरान एचटीएम से प्रतिभूतियों की बिक्री द्वारा प्राप्त लाभ (ओएमओ के अंतर्गत बिक्री सहित)	113.02
3	वर्ष 2018-19 के दौरान एचटीएम प्रतिभूतियों में प्रीमियम का परिशोधन	326.22

5.3 डेरिवेटिव

5.3.1 वायदा दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019	यथा 31.03.2018
i)	स्वैप अनुबंध की कल्पित मूल राशि	10,630.67	12,993.80
ii)	संबंधित पक्षों द्वारा करार के अंतर्गत अपने दायित्व पूर्ति न किए जाने के फलस्वरूप होने वाली हानियां	94.08	119.42
iii)	स्वैप प्रक्रिया अपनाने पर बैंक द्वारा अपेक्षित सम्पार्श्विक प्रतिभूति	स्वैप के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउन्टर पार्टी या तो बैंक अथवा प्रीमियर कार्पोरेट थे.	
iv)	स्वैप से आए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	वर्ष के दौरान ब्याज दर स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का कोई संकेन्द्रण नहीं है।	
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	6.80	159.66

5.3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव

(b) Sale to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions.

(c) Repurchase of Government Securities by Government of India from banks.

(d) Sale of securities or transfer to AFS/HFT consequent to the reduction of ceiling on SLR securities under HTM, in addition to the shifting permitted at the beginning of the accounting year.

Sale of Securities from HTM during FY 2018-19 (Other than one time Shifting & sale under OMO)	3,974.80	Sale in % (<5%) 4.95%
Government Securities held in HTM Category as on 31.03.2018	80,346.19	

(ii) Details pertaining to Profit on Sale of Investment under HTM and amortisation of premium thereof:

Sr No	Particulars	Amount
1	Sale of Securities from HTM during 2018-19 (Face Value) (Other than one time Shifting & sale under OMO)	4,108.29
2	Profit earned by sale of securities from HTM during 2018-19 (including sale under OMO)	113.02
3	Amortization of premium in HTM securities during 2018-19	326.22

5.3. Derivatives

5.3.1. Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

Sr. No.	Particulars	As at 31.03.2019	As at 31.03.2018
i)	The notional principal of swap agreements	10,630.67	12,993.80
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	94.08	119.42
iii)	Collateral required by the bank upon entering into swaps	No collaterals were required for the swaps as counterparties were either banks or premiere corporates	
iv)	Concentration of Credit Risk arising from the swaps	There is no concentration of credit risk arising from the interest rate swaps undertaken during the year	
v)	The fair value of the swap book	6.80	159.66

5.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	यथा As at 31.03.2019	यथा As at 31.03.2018
(i)	वर्ष के दौरान लिये गये विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित-वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00	0.00
(ii)	यथा 31 मार्च को बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेविरेटिव की कल्पित मूल राशि (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March(instrument-wise)	0.00	0.00
(iii)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव की कल्पित मूल राशि और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00
(iv)	बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य और जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हो (लिखित वार)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00	0.00

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आरबीआई में आरआरसी खाता में तथा रेपो/रिजर्व रेपो संव्यवहार में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोई चूक एवं दंड नहीं लगाया गया है।

There was no default and penalty imposed by Reserve Bank of India in Repo/ Reverse Repo transactions and in RRC Account with RBI during the Financial year 2018-19

5.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र पर प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

बैंक तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं की प्रतिरक्षा के लिए अथवा कारोबारी उद्देश्यों और ग्राहक जरूरतों को पूरा करने के लिए डेरिवेटिव संविदाएं करता है जैसे कि ब्याज-दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली और मुद्रा तथा परस्पर लेन देन की मुद्रा का विकल्प या व्यापार के उद्देश्य हेतु ये उत्पाद जोखिम की प्रतिरक्षा, लागत घटाने तथा ऐसे संव्यवहारों से आय बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बैंक इस प्रकार के व्यवहार में जिस प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, वे हैं ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालनगत जोखिम आदि।

जोखिम प्रबंधन बैंक के कारोबार प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जोखिम की पहचान करने और उनका विश्लेषण करने, समुचित जोखिम सीमाएं निर्धारित करने और उन जोखिमों और सीमाओं की निरंतर आधार पर अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणालियों के जरिए देख-रेख करने के लिए बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। जोखिम प्रबंधन नीतियां और प्रमुख नियंत्रण सीमाएं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई हैं और उनकी नियमित आधार पर देख-रेख तथा समीक्षा की जाती है। बैंक का संगठन जोखिम के प्रबंधन में सहायक रहा है। डेरिवेटिव परिचालन में व्यापार क्रिया कलापों के ऋण जोखिमों की पर्याप्त जानकारी है।

अध्यक्ष (Chairman) की अध्यक्षता में बैंक के निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति है।

हैज/नान-हैज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहारों को भिन्न रूप से रिकार्ड किया जाता है। हेजिंग व्यूत्पन्नी पर आय/खर्च को उपचित आधार पर लेखांकित किया जाता है।

फोरेक्स फोरवर्ड संविदाओं को बाजार को चिन्हित किया गया है और परिणामत: लाभ और हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार व्यूत्पन्न के अलावा ब्याज दर व्यूत्पन्न और मुद्रा व्यूत्पन्न को बाजार को चिन्हित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई, को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है। निवल लाभ, यदि कोई, पर ध्यान नहीं दिया जाता है ।

व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट विनिमय व्यापार व्युत्पन्न का विनिमय द्वारा दिए गए दर के आधार पर प्रचलित मार्केट दरों पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत:लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है ।

व्यापार स्वैप की समाप्ति पर लाभ/हानि को समाप्ति तिथि पर आय/खर्च के रूप में रिकार्ड किया जाता है। स्वैप की समाप्ति पर किसी भी लाभ/हानि का स्थगन स्वैप की शेष अनुबंधित कम अवधि अथवा पदनामित आस्तियों/देयताओं की बकाया अवधि से संबद्ध किया जाता है।

विकल्प संविदा के परिपक्वता काल पर विकल्प शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है ।

बैंक में वरिष्ठ और उच्च प्रबंधन को आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की उचित पद्धति है इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित/या परिचालन आवश्यकतानुसार विनियामक प्राधिकारियों को भी रिपोर्ट भेजी जाती है। बैंक के पास निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट डेरिवेटिव दिशा-निर्देश है। डेरिवेटिव लेन देन समवर्ती आंतरिक, सांविधिक और नियामक लेखा परीक्षा के शर्तो के अध्यधीन है।

संव्यवहारों के प्रतिपक्ष बैंक प्राथमिक डीलर और प्रीमियर कार्पोरेट्स ईकाइयां हैं। इनमें व्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर किया जाता है। बैंक ने ब्याज दर एवं विदेशी विनिमय डेरिवेटिव लेन-देनों के कारण उत्पन्न ऋण जोखिमों के मापन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारत वर्तमान ऋण जोखिम विधि अपनाई है। वर्तमान ऋण जोखिम विधि में वर्तमान ऋण जोखिम और इन संविदाओं के संभावी आगामी ऋण जोखिम का जोड़ है।

वर्तमान ऋण एक्सपोज़र इन संविदाओं के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का जोड़ है अर्थात् जब बैंक को प्रतिपक्ष से राशि प्राप्त करनी होती है।

5.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

i. Qualitative Disclosure

The Bank enters into derivative contracts such as interest rate derivatives, currency swaps and currency options to hedge on balance sheet assets and liabilities or to meet client requirements as well as for trading purpose as per policy approved by the Board. These products are used for hedging risk, reducing cost and increasing the yield. In such transactions, the types of risks to which the bank is exposed to, are credit risk, market risk, operational risk etc.

Risk management is an integral part of bank's business management. Bank has risk management policies designed to identify and analyse risks, to set appropriate risk limits and to monitor these risks and limits on an on-going basis by means of reliable and up to date management information systems. The risk management policies and major control limits are approved by the Board of Directors and they are monitored and reviewed regularly. The organization of the Bank is conducive to managing risks. There is sufficient awareness of the risks and the size of exposure of the trading activities in derivative operations.

The Bank has a Risk Management Committee of Directors presided over by the Chairman.

The hedge/non-hedge (market making) transactions are recorded separately. Income/expenditure on hedging derivatives is accounted on accrual basis.

Forex forward contracts are marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the profit and loss account.

Interest rate derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit, if any, is ignored.

Exchange traded derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit & Loss account.

Gains/losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/expenditure. Any gain/loss on termination of hedging swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

Bank has a proper system of submitting periodical reports to Senior and Top Management and Board as well as regulatory authorities as required by RBI and/or as per operational requirements. Bank has clearly spelt derivative guidelines on various aspects approved by the Board of Director. The derivative transactions are subject to concurrent, internal, statutory and regulatory audits.

The counter parties to the transactions are banks, primary dealers and corporate entities. The deals are done under approved exposure limits. The Bank has adopted the Current Exposure method prescribed by Reserve Bank of India for measuring Credit Exposures arising on account of interest rate and foreign exchange derivative transactions. Current exposure method is the sum of current credit exposure and potential future exposure of these contracts.

The current credit exposure is the sum of positive mark to market value of these contracts i.e. when the Bank has to receive money from the counter party.

संभावी आगामी ऋण जोखिम का निर्धारण इन संविदाओं के कतिपत मूल राशि, चाहे संविदा का शून्य, सकारात्मक अथवा नकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य हो, के साथ निम्नानुसार संबंधित एड-ऑन तत्वों के अनुसार लिखत के शेष परिपक्वता और स्वरुप का गुणा करके प्राप्त किया जाएगा।

अवशिष्ट परिपक्वता	कुल अनुमानित मूल राशि पर लागू परिवर्तनकारक तत्व	
	ब्याज दर संविदा	विनिमय दर संविदा
एक वर्ष या उससे कम	0.50%	2.00%
एक वर्ष से अधिक पांच वर्ष तक	1.00%	10.00%
पाँच वर्ष से अधिक	3.00%	15.00%

ऋण जोखिम की गणना करते समय ''बिक्रीगत विकल्पों'' को वहाँ छोड दिया जाता है जहाँ कहीं प्रीमियम / शुल्क या किसी भी रूप में आय प्राप्त / वसूली होती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशानुसार के अनुसार संविदा के वर्तमान बाजार मूल्य पर ऋण जोखिम की गणना की जाती हे। इस पर ''मानक'' श्रेणी के ऋण आस्ति पर लागू प्रावधान जरतें भी लागू है। वर्तमान में जोखिमवाली आस्तियों पर 0.40% प्रावधान किया जाना है। हमारे खातों में बैंक उपर्युक्त के अनुसार अपेक्षित प्रावधान करते हैं।

Potential future credit exposure is determined by multiplying the notional principal amount of these contracts irrespective of whether the contract has zero, positive or negative mark to market value by the relevant add-on factors as under according to the nature and residual maturity of the instrument.

Residual Maturity	Conversion factor applied on Notional Principal Amount	
	Interest Rate Contract	Exchange Rate Contract
One year or less	0.50%	2.00%
Over one year to five years	1.00%	10.00%
Over five years	3.00%	15.00%

While computing the credit exposure, "sold options" are excluded wherever the entire premium/fee or any other form of income is received / realized.

As per the extant RBI guidelines, credit exposures computed as per the current Mark to Market value of the contracts, also attracts provisioning requirement as applicable to the loan assets in the "Standard" category, of the concerned counterparty. At present, the provision is to be maintained at 0.40% of the risk weighted assets. The Bank makes the requisite provision as aforesaid in the books.

ii. मात्रात्मक प्रकटन

ii. Quantitative Disclosures

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives		ब्याजदर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	
1	डेरिवेटिव (अनुमानित मूल राशि)	Derivatives (Notional Principal Amount)	11,418.25		10,522.15	
	क) हेजिंग हेतु	a) For hedging	9818.24 (6709.71)		10522.15 (12993.80)	
	ख) कारोबार हेतु	b)For trading	1600.01 (1007.85)		0.00 (0.00)	
2	मार्क टू मार्केट पोजिशन्स (1)	Marked to Market Positions [1]				
	क) आस्ति (+)	a) Asset (+)	25.14 (18.19)		92.71 (119.42)	
	ख) देयता (-)	b) Liability (-)	(-)2.35 (1.08)		128.79 (177.35)	
3	क्रेडिट एक्सपोजर [2]	Credit Exposure [2]	229.36 (162.55)		112.30 (431.56)	
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन से होने वाला संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	a) On hedging derivatives	0.00 (0.00)		50.38 (44.17)	
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	b) On trading derivatives	0.40 (1.28)		0.00 (0.00)	
5	वर्ष के दौरान देखी गई 100*पीवी01 की अधिकतम एवं न्यूनतम	Maximum & Minimum of 100*PV01 observed during the year	अधि./Max	न्यू./Min	अधि./Max	न्यू./Min
	क) हेजिंग पर	a) On hedging	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	50.38 (44.17)	50.35 (2.14)
	ख) ट्रेडिंग पर	b) On trading	0.52 (1.46)	0.40 (1.28)	0.00 (0.25)	0.00 (0.00)

5.4 आस्ति गुणवत्ता
5.4.2 अनर्जक आस्तियां
ए) अनर्जक अग्रिम

5.4. Asset Quality
5.4.2. Non Performing Assets:
(a) Non performing Advances

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(i) निवल अग्रिमों में से निवल एनपीए (%)	(i) Net NPAs to Net Advances (%)	5.61%	8.28%
(ii) एनपीए (सकल) का उतार-चढ़ाव	(ii) Movement of NPAs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	62,328.46	52,044.52
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	24,133.26	39,074.54
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	25,800.60	28,790.60
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	60,661.12	62,328.46
(iii) निवल एनपीए का उतार-चढ़ाव	(iii) Movement of Net NPAs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	28,207.27	25,305.03
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	7,584.66	7,498.43
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	16,672.97	4,596.19
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	19,118.96	28,207.27
(iv) एनपीए के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधान को छोड़कर)	(iv) Movement of provision for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	31,871.97	24,681.76
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	18,425.13	11,483.16
ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट बैक / राइट ऑफ	c) Write-off/write-back of excess provisions	10,905.41	4,292.95
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	39,391.69	31,871.97

(बी) अनर्जक निवेश

(b) Non performing Investments

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(i) निवल निवेश पर निवल एनपीआई (%)	(i) Net NPIs to Net Investment (%)	0.14%	0.50%
(ii) एनपीआई (सकल) का उतार चढाव	(ii) Movement of NPIs (Gross)		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	2,594.60	1,066.99
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	84.02	1,572.16
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	210.50	44.55
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	2,468.12	2,594.60
(iii) एनपीआई-मूल्यहास के लिये प्रावधान	(iii) Provision for depreciation - NPI		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	1,911.26	767.20
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	b) Additions during the year	489.65	1,196.05
ग) वर्ष के दौरान कमी	c) Reductions during the year	144.71	51.99
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	2,256.20	1,911.26
(iv) एनपीआई के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	(iv) Movement of provision for NPIs		
क) आरंभिक शेष	a) Opening balance	683.34	299.79
ख) वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	b) Provisions made during the year	0.60	376.11
ग) अतिरिक्त प्रावधान का राइट ऑफ / राइट बैक	c) Write-off/write-back of excess provisions	472.02	(-)7.44
घ) अंतिम शेष	d) Closing balance	211.92	683.34

(सी) परिपक्व एनपीआई (अनुसूची 11 'अन्य आस्तियों' में शामिल)

(1) निवेश का मूल्य:

विवरण	2018-19	2017-18
(i) निवेश का सकल मूल्य	822.02	794.74
(क) भारत में	391.95	377.38
(ख) भारत के बाहर	430.07	417.36
(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	822.02	794.74
(क) भारत में	391.95	377.38
(ख) भारत के बाहर	430.07	417.36
(iii) निवेश का निवल मूल्य	-	-
(क) भारत में	-	-
(ख) भारत के बाहर	-	-

(2) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों की स्थिति:

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	794.74	737.68
जोडें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	14.57	49.05
उप-योग	809.31	786.73
घटाएं : बट्टेखाते डालना/कमी/वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान का राइट-बैक	0.00	0.00
जोड़ें/(घटाएं): विनिमय अंतर की वजह से समायोजन	12.71	8.01
अंतिम शेष	822.02	794.74

(c) Matured NPI (included in Schedule 11 'Other Assets'):

(1) Value of Investments:

Particulars	2018-19	2017-18
(i) Gross Value of Investments	822.02	794.74
(a) In India	391.95	377.38
(b) Outside India	430.07	417.36
(ii) Provision for Depreciation	822.02	794.74
(a) In India	391.95	377.38
(b) Outside India	430.07	417.36
(iii) Net Value of Investments	-	-
(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-

(2) Movement of provisions held towards depreciation on investments:

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	794.74	737.68
Add: Provisions made during the year	14.57	49.05
Sub-total	809.31	786.73
Less: Write off/ write-back of excess provision during the year	0.00	0.00
Add/(Less): Adjustments on account of Exchange Diff	12.71	8.01
Closing Balance	822.02	794.74

5.4.3 पुनर्गठित खातों के विवरण / Particularsof Accounts Restructured-

(क) वर्ष 2018-19 के दौरान पुनर्गठन की शर्त पर ऋण आस्तियों के ब्यौरे (प्रबंधन द्वारा समेकित)

(a) Details of Loan assets subjected to restructuring during 2018-19 (As compiled by the management and relied upon by the Auditors)

(राशि करोड़ में)

Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring / आस्तियों का विवरण Assets Classification / ब्यौरे Details		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	वित्तीय वर्ष के यथा 1 अप्रैल को पुनर्गठित खाते (प्रारम्भिक आंकड़े) Restructured Account As on April 1 of FY (Opening Figure)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	3 (7)	3 (4)	22 (50)	0 (0)	28 (61)	16 (11)	1 (5)	62 (82)	0 (0)	79 (98)	13700 (27961)	12046 (7632)	902 (875)	2 (2)	26650 (36470)	13719 (27979)	12050 (7641)	986 (1007)	2 (2)	26757 (36629)
		बकाया राशि Amount Outstanding	115 (622)	229 (465)	4549 (6782)	0 (0)	4893 (7869)	125 (90)	3 (15)	805 (968)	0 (0)	933 (1072)	3137 (5309)	1908 (686)	9827 (7324)	264 (271)	15137 (13590)	3377 (6021)	2141 (1166)	15181 (15073)	264 (271)	20964 (22531)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	2 (17)	1 (7)	10 (99)	0 (0)	13 (123)	1 (2)	0 (0)	1 (8)	0 (0)	2 (10)	132 (111)	29 (21)	41 (57)	0 (0)	202 (188)	135 (129)	30 (28)	52 (163)	0 (0)	217 (320)
2	वर्ष के दौरान ताज़ा पुनर्गठित Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	14557 (3)	140 (0)	61 (1)	0 (0)	14758 (4)	25 (2604)	1 (22)	0 (45)	0 (0)	26 (2671)	14582 (2607)	141 (22)	61 (46)	0 (0)	14784 (2675)
		बकाया राशि Amount Outstanding*	0 (-49)	0 (-6)	28 (122)	0 (0)	28 (67)	483 (10)	8 (0)	1 (68)	(0)	492 (78)	155 (728)	498 (140)	162 (2487)	0 (-10)	815 (3345)	638 (689)	506 (134)	191 (2678)	0 (-10)	1336 (3491)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	21 (0)	0 (0)	7 (0)	(0)	28 (0)	1 (76)	0 (0)	0 (14)	0 (0)	1 (90)	22 (77)	0 (0)	7 (15)	0 (0)	30 (92)
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक प्रवर्ग में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (1)	0 (-1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (4)	0 (-2)	-1 (-2)	0 (0)	0 (0)	2 (2)	0 (-1)	-2 (-2)	0 (0)	0 (-1)	3 (7)	0 (-4)	-3 (-4)	0 (0)	0 (-1)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-24 (25)	0 (-31)	0 (0)	0 (0)	-24 (-6)	52 (34)	0 (-2)	-52 (-32)	0 (0)	0 (0)	91 (60)	0 (-3)	-117 (-105)	-1 (-1)	-27 (-49)	119 (119)	0 (-36)	-169 (-136)	-1 (-1)	-51 (-54)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (1)	0 (-1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	7 (0)	0 (0)	-7 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (4)	0 (0)	-1 (-4)	0 (0)	0 (0)	7 (5)	0 (-1)	-7 (-4)	0 (0)	0 (0)

	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
Sr No	आस्तियों का विवरण Assets Classification / ब्यौरे Details		मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
4	ऐसे पुनर्गठित मानक अग्रिम जिनपर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्चतर प्रावधानीकरण और/अथवा अतिरिक्त जोखिम भार लगना बंद है और इसीलिए उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में पुनर्गठित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की आवश्यकता नहीं हैं। Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	4 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	4 (0)	11072 (12432)	0 (0)	(0)	0 (0)	11072 (12432)	11077 (12432)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11077 (12432)
		बकाया राशि Amount Outstanding	25 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	25 (0)	18 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	18 (0)	292 (203)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	292 (203)	335 (203)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	335 (203)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (11)	11 (11)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (11)

Sr No	पुनर्गठित खातों के प्रकार Type of Restructuring / आस्तियों का विवरण Assets Classification / ब्यौरे Details		सीडीआर मेकेनिजम के तहत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्गठन के तहत Under SME Debt Restructuring					अन्य Others					कुल Total				
			मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Stand-ard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubt-ful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अव-मानक Sub-stand-ard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का डाउनग्रेडेशन Downgradations of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	-1 (-3)	-3 (0)	3 (3)	1 (0)	0 (0)	-2 (-1)	1 (-1)	0 (2)	1 (0)	0 (0)	-8 (-4423)	-1 (4397)	3 (26)	6 (0)	0 (0)	-11 (-4427)	-3 (4396)	6 (31)	8 (0)	0 (0)
		बकाया राशि Amount Outstanding	-36 (-244)	-229 (-171)	-684 (409)	949 (0)	0 (-6)	-5 (-3)	2 (-5)	2 (8)	1 (0)	0 (0)	-577 (-2498)	-1258 (1145)	1618 (1335)	217 (0)	0 (-18)	-619 (-2745)	-1485 (969)	935 (1753)	1168 (0)	0 (-23)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	-1 (-1)	-1 (-3)	2 (4)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	-9 (-30)	-14 (16)	23 (15)	0 (0)	0 (1)	-10 (-31)	-15 (13)	24 (18)	0 (0)	0 (0)
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाते में डालना Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	0 (2)	0 (0)	4 (31)	0 (0)	4 (33)	4 (1)	0 (1)	12 (21)	0 (0)	16 (23)	11 (12)	1 (4)	50 (42)	0 (0)	62 (58)	15 (15)	1 (5)	66 (94)	0 (0)	82 (114)
		बकाया राशि Amount Outstanding	0 (240)	0 (29)	517 (2790)	2 (0)	519 (3059)	9 (5)	0 (5)	352 (210)	1 (0)	362 (220)	775 (265)	17 (60)	1576 (1218)	2 (0)	2371 (1543)	784 (510)	17 (94)	2446 (4218)	5 (0)	3252 (4822)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (15)	0 (2)	11 (93)	0 (0)	11 (110)	1 (1)	0 (0)	1 (6)	0 (0)	2 (7)	53 (17)	1 (8)	52 (41)	0 (0)	106 (66)	54 (34)	1 (10)	64 (140)	0 (0)	119 (184)
7	वित्तीय वर्ष के यथा 31 मार्च को पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आकड़ेंड) Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)	उधारकर्ताओं की संख्या No. Of Borrowers	1 (3)	0 (3)	21 (22)	1 (0)	23 (28)	14564 (16)	142 (1)	110 (62)	1 (0)	14817 (79)	2636 (13700)	12045 (12046)	853 (902)	8 (2)	15542 (26650)	17201 (13719)	12187 (12050)	984 (986)	10 (2)	30382 (26757)
		बकाया राशि Amount Outstanding	30 (115)	0 (229)	3376 (4549)	948 (0)	4354 (4893)	629 (125)	13 (3)	403 (805)	0 (0)	1045 (933)	1739 (3137)	1132 (1908)	9913 (9827)	478 (264)	13261 (15136)	2397 (3377)	1145 (2141)	13692 (15181)	1426 (264)	18661 (20963)
		उस पर प्रावधान Provision thereon	0 (2)	0 (1)	0 (10)	0 (0)	0 (13)	28 (1)	1 (0)	0 (1)	0 (0)	29 (2)	62 (132)	14 (29)	12 (41)	0 (0)	88 (202)	91 (135)	14 (30)	12 (52)	0 (0)	117 (217)

* इसमे 3 पुन:संरचित खातों में बकाया शेष शामिल है, जो यथा 31.03.2018 की बहियों में भी उपलब्ध है।

* Includes increase in outstanding which were also there in the books as at March 31, 2018.

5.4.3.2 दबावग्रस्त आस्तियों पर प्रकटन

(1) वर्तमान ऋणों की लचीली पुन:संरचना पर प्रकटन

5.4.3.2 Disclosure on Stressed Assets

(1) Disclosure on Flexible Structuring of Existing Loans:

अवधि / Period	कितने उधारकर्ताओं के लिए लचीली पुन:संरचना पर विचार किया गया No. of borrowers taken up for flexible structuring	लचीली पुन:संररचना हेतु चयनित ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली पुन:संरचना हेतु चयनित ऋणों की एक्सपोज़र भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली पुन:संररचना लागू करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली पुन:संरचना लागू करने से पश्चात After applying flexible structuring
विगत वित्तीय वर्ष	5	585.01	247.83	13.30 Yrs	18.85 Yrs
चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2018 से मार्च 2019) / Current Financial Year (From April 2018 to March 2019)	0	0.00	0.00	0	0

(2) कार्यनीतिक ऋण पुन:संररचना योजना पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(2) Disclosure on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां एसडीआर शुरू किया गया है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन किया गया है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / NIL						

(3) एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व परिवर्तन पर प्रकटीकरण (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(3) Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

खाते जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय ले लिया है No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन/ इक्विटी शेयरों की गिरवी लंबित है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares is pending		जिन खातों में ऋण का इक्विटी में परिवर्तन / इक्विटी शेयरों की गिरवी की गई है उनमें रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/ invocation of pledge of equity shares has taken place		जिन खातों में नए शेयर जारी कर या प्रमोटर की इक्विटि की बिक्री द्वारा स्वामित्व में परिवर्तन प्रस्तावित है वहां रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / NIL								

(4) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटन (खाते जो वर्तमान में स्टैंड-स्टिल अवधि के अंतर्गत हैं)

(4) Disclosure on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

परियोजना ऋण खाते जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where the Bank has decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	मानक पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / NIL			

(5) दबावग्रस्त आस्तियों की धारणीय पुनर्रचना (एस4ए) हेतु योजना पर प्रकटन, जहां भी कार्यान्वित किया गया हो

(5) Disclosure on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), wherever implemented

क्र.सं. Sr No	कुल बकाया राशि Aggregate Amount Outstanding	बकाया राशि Amount Outstanding		धारित प्रावधान Provision Held
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard				
3	313.59	163.78	149.81	113.94
एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA				
4	340.17	116.86	223.31	233.72

5.4.4 आस्ति पुनर्निर्माण हेतु प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

5.4.4 Details of financial assets sold to Securitisation/ Reconstruction Company for Asset Reconstruction

क. बिक्री के ब्यौरे

A. Details of Sales:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(i)	खातों की संख्या	Number of accounts	19	15
(ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)	Aggregate value (net of provision) of accounts sold to SC/RC	1,689.56	319.18
(iii)	कुल प्रतिफल	Aggregate consideration	1,774.12	669.74
(iv)	विगत वर्षों में अंतरित खातों मे वसूल किया हुआ अतिरिक्त प्रतिफल	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	1.74
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल आय/(हानि)	Aggregate gain/(loss) over net book value	84.55	352.30

ख. प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य

B. Book Value of Investments in Security Receipts:

विवरण	Particulars	एनपीए के समर्थन से बैंक द्वारा अंतर्निहीत रूप में बेचा गया Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		एनपीए के समर्थन से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों/ एनबीएफसी द्वारा बेचा गया Backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/NBFC as underlying		कुल Total	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
प्रतिभूतियों की प्राप्ति में निवेश का बही मूल्य	Book Value of investments in securities receipts	2,858.48	3,090.40	0.00	0.00	2,858.48	3,090.40

ग. एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के संबंध में प्रावधान पर प्रकटन :

C. Disclosure on Provision in respect of sale of NPA to SCs/RCs:

क्र.सं. S. No	राशि Amount	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान Provision made during the year	यथा 31.3.2019 को 'अन्य आरक्षितियों' से नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान Unamortised provision debited from 'other reserves' as on 31.03.2019
शून्य / NIL			

घ. एनपीए की बिक्री से लाभ

D. Profit from sale of NPA:

क्र.सं. S. No	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
1	एनपीए की बिक्री के संबंध में बुक किया गया लाभ	Profit booked in respect of sale of NPA	84.55	66.93

च. बैंक द्वारा बेचे गए एन.पी.ए. के आधार पर प्रतिभूति रसीद (एसआर) का बही मूल्य :

E. Book value of Security Receipts backed by NPAs sold by the Bank:

विवरण	Particulars	पिछले 5 सालों में जारी एसआर SRs issued within past 5 Years	5 साल पहले लेकिन पिछले 8 साल के अंदर जारी एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 Years ago	8 साल पहले जारी एसआर SRs issued more than 8 Years ago	कुल Total
(i) एसआर का बही मूल्य जिसके अंतर्निहित मे बैंक का बिका हुआ एन.पी.ए. है	(i) Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying	1,289.57 (2939.91)	1,418.42 (0.00)	150.49 (150.49)	2,858.48 (3090.40)
उपर्युक्त (i) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (i) above	450.94 (599.22)	658.87 (0.00)	150.49 (150.49)	1,260.31 (749.71)
(ii) एसआर का बही मूल्य एनपीए के समर्थन से अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान द्वारा अंतर्निहित रूप में बेचा गया	(ii) Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/financial institutions/non-banking financial companies as underlying	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
उपर्युक्त (ii) के विरुद्ध प्रावधान	Provision held against (ii) above	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

5.4.5 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (अन्य बैंकों से/को)

5.4.5 Details of non-performing financial assets purchased/sold (from/to other banks)

(ए) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा :

(a) Details of non-performing financial assets purchased:

Sr. No.	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
1 (क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	No. of accounts purchased during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2 (क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान कितने खातों का पुनर्गठन किया गया	Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य / NIL	शून्य / NIL
(ख) (b)	कुल बकाया	Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL

(बी) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:

(b) Details of non-performing financial assets sold:

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
1. बेचे गए खातों की संख्या	1. No. of accounts sold	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2. कुल बकाया	2. Aggregate outstanding	शून्य / NIL	शून्य / NIL
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	3. Aggregate consideration received	शून्य / NIL	शून्य / NIL

5.4.6 मानक आस्तियों पर प्रावधान

5.4.6 Provisions on Standard Assets

विवरण	Particulars	यथा 31.03.2019 As at 31.03.2019	यथा 31.03.2018 As at 31.03.2018
आरबीआई मानकों के अनुरूप मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provisions towards Standard Assets held as per RBI Norms	1,888.33	1,738.89

5.4.7 आस्ति वर्गीकरण और एनपीए हेतु प्रावधानीकरण में अंतर :

समाप्त वर्ष 2017-18 हेतु जोखिम आकलन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में रिपोर्ट के अनुरूप अनर्जक आस्तियों को विधिवत वर्गीकृत किया गया और अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। आरबीआई परिपत्र क्र. बीआर.बीपी.बीसी. सं.63/21.04.018/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल 2017 एवं डीबीआर.बीपी.बीसी. नं. 32/21.04.018/2018-19 दि. 1 अप्रैल 2019 और सेबी परिपत्र क्रं.सीआईआर/सीफडी/सीएमडी/80/2017 दि. 18 जुलाई, 2017 के अनुरूप अपेक्षित प्रकटन निम्नानुसार हैं:-

5.4.7 Divergence in Asset Classification, and Provisioning for NPAs:

In compliance with the Risk Assessment Report (RAR) for the year ended 2017-18, non-performing assets as per report have duly been classified and additional provision has been made. In conformity with RBI Circular No. BR.BP.BC.NO.63/21.04.018/2016-17 dated 18th April, 2017 & DBR.BP.BC.No.32/21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019 and SEBI Circular No. CIR/CFD/CMD/80/2017 dated July 18, 2017, the required disclosure is detailed below:-

क्र.सं. S. No	ब्यौरे	Particulars	राशि Amount
1	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2018	Gross NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank	62,328.46
2	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार सकल एनपीए यथा 31 मार्च, 2018	Gross NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI	62,573.46
3	सकल एनपीए में अंतर (2-1)	Divergences in Gross NPA (2-1)	245.00
4	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2018	Net NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank	28,207.27
5	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार निवल एनपीए यथा 31 मार्च, 2018	Net NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI	27,033.37
6	निवल एनपीए में अंतर (5-4)	Divergences in Net NPA (5-4)	(-)1,173.90
7	बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया एनपीए हेतु प्रावधान यथा 31 मार्च, 2018	Provision for NPA as on 31st March, 2018 as reported by the Bank	15,095.32
8	आरबीआई के मूल्यांकन अनुसार एनपीए-प्रावधान यथा 31 मार्च, 2018	Provision for NPA as on 31st March, 2018 as assessed by the RBI	16,514.22
9	प्रावधान में अंतर (8-7)	Divergences in Provisioning (8-7)	1,418.90
10	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट किया गया कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Reported Net Profit after tax (PAT) for the year ended 31st March 2018	(-)6,043.71
11	प्रावधान में अंतर की गणना करने के बाद 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु समायोजित (अनुमानित) निवल कर पश्चात लाभ (पीएटी)	Adjusted (Notional) Profits after Tax (PAT) for the year ended 31st March 2018 after taking into account divergence in provisioning	(-)7,533.50

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पाये गए डाइवर्जेन्स की वजह से हुये उपरोक्त स्लिपेज के प्रभाव को 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के परिणामों में विधिवत प्रदर्शित किया गया है।

The impact of the above mentioned slippages due to divergences noted by Reserve Bank of India has been duly reflected in the results for the year ended 31st March 2019..

5.5 कारोबार अनुपात

5.5 Business Ratios

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2019 (in %)	31.03.2018 (in %)
(i)	औसत कार्यशील निधियों में ब्याज आय का प्रतिशत	Interest Income as a percentage to average Working Funds	6.14	5.73
(ii)	औसत कार्यशील निधियों में गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	Non-interest income as a percentage to average Working Funds	0.77	0.86
(iii)	औसत कार्यशील निधियों में परिचालन लाभ का प्रतिशत	Operating Profit as a percentage to average Working Funds	1.22	1.08
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल	Return on Assets	(-)0.84)	(-)0.91
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (इटर बैंक जमाराशि सहित जमाराशि +अग्रिम)	Business per employee(deposits plus advances including interbank deposits) (in ₹ crore)	18.39	18.29
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (₹ करोड़ में)	Profit per employee (in ₹ crore)	(-)0.113	(-)0.123

5.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कतिपय मदों का परिपक्वता प्रकार यथा 31 मार्च, 2019

5.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31st March 2019

विवरण Details	1 दिन Day 1 (01/04/2019)	2 से 7 दिन तक 2to 7 days (02/04/2019 to 07/04/2019)	8 से 14 दिन तक 8 TO 14 DAYS (08/04/2019 to 14/04/2019)	15 से 28 दिन तक 15 TO 28 DAYS (15/04/2019 to 28/04/2019)	28 दिन से अधिक 3 महीने तक Over 28 days up to 3 months (29/04/2019 to 30/06/2019)	3 महीनों से अधिक एवं 6 महीने तक Over 3 months and up to 6 months (01/07/2019 to 30/09/2019)	6 महीनों से अधिक एवं 1 वर्ष तक Over 6 months and up to 1 year. (01/10/2019 to 31/03/2020)	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्षों तक Over 1 year and upto 3 years. (01/04/2020 to 31/03/2022)	3 वर्षों से अधिक एवं 5 वर्षों तक Over 3 years and up to 5years. (01/04/2022 to 31/03/2024)	5 वर्षों से अधिक Over 5 years (After 31/03/2024)	कुल Total (1 TO 10)
जमाराशियां Deposits	13,059.04	20,551.39	10,989.61	17,260.63	57,045.27	38,780.11	43,484.04	116,710.56	80,921.22	122,060.48	520,862.35
	(15,171.04)	(17,126.17)	(18,832.98)	(22,592.58)	(59,992.22)	(42,778.59)	(35,759.26)	(105,560.84)	(76,085.47)	(126,955.22)	(520,854.38)
अग्रिम Advances	20,214.38	3,878.12	6,709.26	5,839.57	65,547.16	30,904.11	40,542.35	108,355.23	33,510.28	25,505.48	341,005.94
	(22,070.37)	(8,179.18)	(6,629.52)	(11,655.22)	(58,473.31)	(37,480.98)	(27,533.65)	(58,204.07)	(54,442.74)	(56,711.13)	(341,380.18)
निवेश Investments	0.00	660.17	17.10	280.01	3,822.34	3,099.11	2,497.28	12,945.89	24,917.28	99,399.86	147,639.04
	(0.00)	(611.78)	(739.87)	(216.80)	(1,752.65)	(5,741.89)	(5,551.20)	(9,565.70)	(22,853.61)	(90,077.61)	(137,111.11)
उधार Borrowings	57.88	20,921.42	3,002.01	3.45	106.12	14.28	80.00	9,132.97	0.10	10,922.94	44,241.17
	(11.48)	(7,363.61)	(6,108.37)	(169.58)	(464.29)	(3,345.76)	(149.27)	(8,794.07)	(70.22)	(17,112.12)	(43,588.78)
(क) विदेशी मुद्रा अस्तियां (a) Foreign Currency Assets	2,741.63	10,518.39	2,842.02	9,207.15	17,191.35	10,601.62	15,739.06	13,537.63	5,730.44	11,136.42	99,245.71
	(6,266.56)	(3,716.90)	(3,063.45)	(24,323.59)	(21,802.51)	(29,663.47)	(18,931.79)	(11,673.94)	(5,952.92)	(14,168.03)	(139,563.15)
(ख)विदेशी मुद्रा देयताएं (b) Foreign Currency Liabilities	3,410.08	11,892.24	1,962.64	5,712.28	49,037.83	26,245.99	22,584.29	15,752.15	1,788.96	1,902.78	140,289.24
	(1,723.48)	(8,420.68)	(8,575.27)	(8,356.27)	(38,536.43)	(22,766.35)	(10,817.03)	(16,603.97)	(2,689.34)	(1,116.02)	(119,604.85)

5.7 एक्सपोज़र

5.7.1 रियल इस्टेट क्षेत्र को एक्सपोज़र: प्रबंधन द्वारा संकलित

5.7 Exposures

5.7.1 Exposure to Real Estate Sector: As compiled by the management

Sr. No.	प्रवर्ग		Category		31.03.2019	31.03.2018
क)	प्रत्यक्ष एक्सपोज़र		Direct Exposure		43,967.39	37,886.58
	(क)	आवासीय बंधक	(a)	Residential Mortgages	39,363.92	32,577.21
		(i) आवासीय संपत्ति पर ऋण, बंधक द्वारा पूरी तरह से प्रतिभूत है, जो उधारकर्ता द्वारा काबिज है या काबिज किया जाएगा या किराये पर दिया है (नीचे दिये गए (ii) के अलावा)		(i) Lending fully secured by Mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented (other than (ii) below);	22,900.43	20,104.55
		(ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में समावेश के लिए पात्र वैयक्तिक गृह ऋण		(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector	16,463.49	12,472.66
	(ख)	वाणिज्यिक रियल इस्टेट	(b)	Commercial Real Estate-	4,354.84	5,010.74
		वाणिज्यिक रियल इस्टेट (कार्यालय इमारत, रिटेल जगह, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, मल्टी-फैमिली आवासीय इमारत, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या वेयर हाउस जगह, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकसित एवं निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल होगी।		Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	4,354.84	5,010.74

Sr. No.	प्रवर्ग		Category		31.03.2019	31.03.2018
	(ग)	गिरवी रखी गयी प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतित एक्सपोजर में निवेश	(c)	Investments in Mortgage Backed duties (MBS) and other securitised Exposures	248.63	298.63
		क) आवासीय ख) व्यवसायिक रियल इस्टेट		a) Residential b) Commercial Real Estate	0.00 248.63	0.00 298.63
2		अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	Indirect Exposure		18,956.71	12,801.73
		नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (एचएफसीज़) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित एक्सपोजर	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		18,956.71	12,801.73
रियल इस्टेट सेक्टर हेतु कुल एक्सपोजर (1+2)			Total exposure to Real Estate Sector (1+2)		62,924.10	50,688.31

5.7.2 पूंजी बाजार हेतु एक्सपोजर

5.7.2 Exposure to Capital Market

Sr. No	प्रवर्ग	Category	31.03.2019	31.03.2018
i)	इक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बॉण्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर तथा इक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फण्ड में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी आधारभूत निधि केवल कार्पोरेट ऋण में निवेश नहीं की गई है;	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	1,026.31	1,058.82
ii)	शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों/अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर व्यक्तियों को शेयरों(आईपीओ/ईएसओपीएस सहित) परिवर्तनीय बॉण्ड/ परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश के लिए अग्रिम;	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	8.34	132.10
iii)	अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिट को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	7.69	5.83
iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की युनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत सीमा तक, अर्थात जहाँ मूलभूत प्रतिभूति शेयरों/ परिवर्तनीय बाण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फण्डों की यूनिटों के अलावा पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती हैं, किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम;	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.69	9.13
v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम एवं स्टॉक ब्रोकरों तथा बाजार निर्धारकों की ओर से जारी गारंटियाँ;	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	1,297.87	1,948.26
vi)	संसाधनों की वृद्धि की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी के लिए प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बाण्डों/ डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष या बेजमानती आधार पर कंपनियों के लिए स्वीकृत ऋण;	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new Companies in anticipation of raising resources;	9.58	0.00
vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के समक्ष कंपनियों के लिए पूरक ऋण;	Bridge loans to Companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बाण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फण्डों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में की गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
ix)	मार्जिन व्यवसाय हेतु स्टॉक ब्रोकरों के लिए वित्तपोषण;	Financing to stockbrokers for margin trading;	6.70	6.70
x)	उद्यम के लिए पूंजी निधि हेतु सभी निवेशों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	314.86	356.49
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोज़र	**Total Exposure to Capital Market**	**2,672.04**	**3,517.33**

5.7.3 जोखिम प्रवर्ग वार देश का एक्सपोज़र

5.7.3 Risk Category wise Country Exposure

Sr.No.	जोखिम प्रवर्ग	Risk Category	यथा / As at 31.03.2019		यथा / As at 31.03.2018	
			एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held	एक्सपोज़र (निवल) Exposure (Net)	धारित प्रावधान Provision held
1	नगण्य	Insignificant	47,256.54	40.16	59,935.55	56.79
2	न्यून	Low	17,877.75	10.02	20,732.18	8.55
3	साधारण	Moderate	176.65	0.00	4,191.99	0.00
4	उच्च	High	5,592.87	0.00	687.95	0.00
5	बहुत उच्च	Very High	134.49	0.00	861.00	0.00
6	प्रतिबंधित	Restricted	1.00	0.00	0.06	0.00
7	ऑफ क्रेडिट	Off credit	0.00	00.0	0.00	0.00
	कुल	**Total**	**71,039.30**	**50.19**	**86,408.71**	**65.34**

5.7.4 एकल उधारकर्ता सीमा (एसबीएल), सामूहिक उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) जिनका बैंक द्वारा उल्लंघन किया गया, के ब्यौरे

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम	एक्सपोज़र सीमा	स्वीकृत सीमा	बकाया यथा 31.03.2019
1.	एकल उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)
2.	सामूहिक उधारकर्ता			
	कुछ नहीं	(शून्य)	(शून्य)	(शून्य)

5.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank:

Sr. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling	Limit Sanctioned	Outstanding as on 31.03.2019
1.	Single Borrower			
	None	(NIL)	(NIL)	(NIL)
2.	Group Borrower			
	None	(NIL)	(NIL)	(NIL)

5.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

विवरण	2018-19	2017-18
कुल गैर-जमानती अग्रिम	72,189.96	66,799.16
जिसमें से i) अमूर्त प्रतिभूतियां जैसे अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि जो बैंक को सांपार्श्विक के रूप में प्रभारित किए गए हैं के प्रभार पर बकाया अग्रिम की कुल राशि.	653.32	605.52
ii) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (जैसा कि उपर्युक्त (i))	480.38	757.99

5.7.5 Unsecured Advances:

Particulars	2018-19	2017-18
Total Unsecured Advances	72,189.96	66,799.16
Out of which i) Amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licenses, authorizations etc. charged to the Bank as collateral	653.32	605.52
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above)	480.38	757.99

5.7.6 एमएसएमई पुन:संरचना -

अग्रिमों की पुन:संरचना के संबंध में आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर सं. बीपी.बीसी.18/21.04.048/2018-19 दिनांक 01.01.2019 के माध्यम से मौजूदा एमएसएमई ऋणों की एक-बारगी पुन:संरचना को इस योजना के अंतर्गत ''मानक'' के रूप में वर्गीकरण किया है, जो निम्नलिखित है : -

पुन:संरचित खातों की संख्या	राशि
14,757	479.25

5.7.6 MSME RESTRUCTURING -

RBI vide circular no.DBRNo.BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated 01.01.2019 regarding restructuring of advances wherein one-time restructuring of existing MSME Loan has been classified as "Standard" under this scheme, are as under:

No. of Account Restructured	Amount
14,757	479.25

5.7.7 विविध : शून्य

5.7.7 Miscellaneous: Nil

5.7.8 वर्ष के दौरान आयकर हेतु किए प्रावधान की राशि

विवरण	2018-19	2017-18
वर्तमान कर	(-)446.19	1170.02
आस्थागित कर	(-)2,720.32	(-)3759.81
कुल कर व्यय	**(-)3,166.51**	**(-)2589.79**

5.7.8 Amount of Provisions made for Income-tax during the year

Particulars	2018-19	2017-18
Current Tax	(-)446.19	1170.02
Deferred Tax	(-)2,720.32	(-)3759.81
Total Tax Expense	**(-)3,166.51**	**(-)2589.79**

5.7.9 भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अन्य विनियामकों द्वारा लगायी गई शास्तियों (पेनल्टीज़) का प्रकटन

विवरण	2018-19	2017-18
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) तथा अन्य विनियामकों के अंतर्गत लगाई गई पेनल्टी	2.37	25.72

6. लेखांकन मानकों (एएस) के अनुसार अपेक्षित प्रकटन जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखे पर टिप्पणियों के प्रकटन मदों के विषय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं :

6.1 लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं है।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन, की विधि में परिवर्तन किया है जहाँ वसूली को अब प्रभारों, वसूल न किए गए ब्याज(URI), अप्रभारित ब्याज(UCI) एवं अंत में मूलधन के प्रति समायोजित किया जा रहा है जबकि पहले की पद्धति में वसूलियों को प्रभारों, URI, मूलधन एवं अंत में यूसीआई के प्रति समायोजित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में रु.598.76 तथा कर पूर्व लाभ में रु. 165.07 की वृद्धि हुई है। पैकिंग ऋण, हुंडियों तथा फ्रीज्ड खातों के मामले में लेखांकन नीति में परिवर्तन प्रणाली संचालित नहीं है। सिस्टम को प्रणाली संचालित बनाने के लिए प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन का यह मत है कि उस पर होने वाला प्रभाव, यदि कोई है तो वह महत्वपूर्ण नहीं है।

6.2 लेखांकन मानक 9 - राजस्व निर्धारण

अनुसूची 17: मुख्य लेखांकन नीतियों के लेखांकन नीति सं. 3 के अनुसार आय की कुछ मदों को वसूली के पश्चात स्वीकार किया जाता है। तथापि उक्त आय को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है।

6.3 लेखांकन मानक 15 - कर्मचारी लाभ : :

5.7.9 Disclosures of Penalties imposed by RBI& Other Regulators

Particulars	2018-19	2017-18
Penalty imposed under Section 46(4) of The Banking-Regulation Act, 1949 and under other regulations	2.37	25.72

6. Disclosure requirements as per Accounting Standards (AS) where RBI has issued guidelines in respect of disclosure items for Notes to Accounts:

6.1 Accounting Standard – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

There are no material prior period items during the year.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

During the financial year ended March 31, 2019, bank has changed the method of appropriation of recovery in NPA accounts, where recoveries are now being adjusted against charges, Unrealised Interest (URI), Uncharged Interest (UCI) and lastly against principal as against the earlier method of adjusting recoveries against charges, URI, principal and lastly UCI. This has resulted in increase of interest income by ₹ 598.76, and Profit before tax by ₹ 165.07. The change in accounting policy is not system driven in case of Packing Credit, Bills, and Freezed accounts. The management is in the process of strengthening the system in order to make the process system driven. The management is of the opinion, that the impact, if any, of the same may not be material.

6.2 Accounting Standard 9 – Revenue recognition

Certain items of income are recognised on realisation basis as per Accounting Policy para 3 of Schedule 17: Significant Accounting Policies. However, the said income is not considered to be material.

6.3 Accounting Standard 15 – Employee Benefits:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	FY 2018-19		FY 2017-18	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used:**				
	छूट दर	Discount Rate	7.79%	7.48%	7.85%	7.68%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	7.38%	8.28%	7.96%	8.23%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Current	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	ह्रास दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका:**	**Table showing change in benefit obligation:**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1,754.54	13,716.87	1,410.08	12,851.13
	ब्याज लागत	Interest Cost	124.14	979.58	101.35	945.76
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	65.58	656.28	541.01	566.92
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	321.93	1,241.69	238.07	1,073.17
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	61.45	598.16	(-)59.83	426.23
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1,683.78**	**14,709.20**	**1,754.54**	**13,716.87**

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	FY 2018-19		FY 2017-18	
			ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका :**	**Table of Fair value of Plan Assets:**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the-Beginning of the period	**1,319.42**	13,330.64	1,360.32	12,321.80
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	**97.37**	1,103.78	108.28	1,014.08
	अंशदान	Contributions	**490.87**	1,077.76	110.03	1,322.04
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	**321.93**	1,241.69	238.07	1,073.17
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	**6.65**	44.39	(-)21.14	(-)254.11
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	**1,592.38**	14,314.88	1,319.42	13,330.64
	कुल बीमांकित लाभ/(हानि) जिसकी गणना की जाए	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(-)54.80**	**(-)553.77**	**38.69**	**(-)680.34**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल :**	**Actual return on Plan Assets:**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	97.37	1,103.78	108.28	1,014.08
	प्लान एसेट्स पर बीमांकित लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	6.65	44.39	(-)21.14	(-)254.11
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**104.02**	**1,148.17**	**87.13**	**759.97**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि :**	**Amount recognised in the Balance Sheet:**				
	अवधि के अंत में देयता	Liability at the end of the period	1,683.78	14,709.20	1,754.54	13,716.87
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,592.38	14,314.88	1,319.42	13,330.64
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**91.40**	**394.32**	**435.13**	**386.23**
(vi)	**आय विवरण - पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement:**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	65.58	656.28	541.01	566.92
	ब्याज लागत	Interest Cost	124.14	979.58	101.35	945.76
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)97.37	(-)1,103.78	(-)108.28	(-)1,014.08
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	संक्रमण कालीन देयता-मान्य	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	54.80	553.77	(-)38.69	680.34
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**147.15**	**1,085.85**	**169.05**	**1,178.94**
	परिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाता से प्रभारित नहीं है)	**Unamortised expenses (not charged to P&L Account)**	0.00	0.00	326.34	0.00
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation:**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	435.11	386.23	49.75	529.33
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	147.15	1,085.85	495.39	1,178.94
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-)490.87	(-)1,077.76	(-)110.03	(-)1,322.04
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**91.39**	**394.32**	**435.11**	**386.23**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग*:**	**Category of Assets*:**				
	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	Government of India Securities	71.88	1,986.75	71.34	1,951.31
	इक्विटी	Equity	0.00	196.25	0.00	102.97
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	176.03	4,102.59	184.97	3,809.54
	राज्य सरकार	State Government Securities	340.09	4,504.91	348.10	3,745.26
	अन्य	Other	1,004.38	3,524.37	715.00	3,721.56
	कुल	**Total**	**1,592.38**	**14,314.87**	**1,319.42**	**13,330.63**
(ix)	**अनुभव समायोजन :**	**Experience Adjustment:**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	54.03	546.91	(-)22.79	(-)66.62
	प्लान आस्तियों पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	14.29	37.73	(-)4.76	33.27

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ *:

Other long term employee benefits*:

विवरण	Particulars	देयता यथा 31.03.2019 Liability as on 31.03.2019	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/ (w/back) during the year	देयता यथा 31.03.2018 Liability as on 31.03.2018	वर्ष के दौरान किए गए/(डब्ल्यू/बैक) प्रावधान Provisions made/(w/back) during the year
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	791.43	83.02	708.41	(-)52.62
छुट्टी यात्रा रियायत	Leave Travel Concession	63.97	6.27	57.70	0.04
पुनर्वास लाभ	Resettlement Benefits	7.23	(-)0.21	7.44	0.41
माइलस्टोन अवार्ड	Milestone Awards	4.24	(-)0.14	4.38	0.29
बीमारी छुट्टी **	Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए एक्चुएरियल अनुमान ग्रैच्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि जो एक परिभाषित अंशदान योजना है, के लिए रू. 134.80 (विगत वर्ष रू. 110.99) का अंशदान दिया है ।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान किया है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 823.14 (विगत वर्ष रु. 1,030) और ग्रैच्युटी के लिए रु.212.31 (विगत वर्ष रु. 517.19) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹ 134.80 (Previous Year ₹ 110.99) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹ 823.14 (Previous Year ₹ 1,030) and towards Gratuity is ₹ 212.31 (Previous Year: ₹ 517.19)

योजना में अधिशेष/घाटा:

Surplus /Deficit in the Plan:

विवरण	Particulars	ग्रैच्युटि योजना / Gratuity Plan				
		वि.व.2018-19 FY2018-19	वि.व.2017-18 FY2017-18	वि.व.2016-17 FY2016-17	वि.व.2015-16 FY2015-16	वि.व.2014-15 FY2014-15
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99
प्लान आस्तियां	Plan assets	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18
अधिशेष / (घाटा)	Unrecognised Transitional liability	0.00	326.34	0.00	0.00	0.00
अमान्य संक्रमणशील देयता	Surplus/(deficit)	91.40	108.78	(-) 49.76	(-)146.83	(-)45.81
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	54.03	(-)22.79	38.41	146.31	(-)7.79
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41	19.27

विवरण	Particulars	पेन्शन योजना / Pension Plan				
		वि.व.2018-19 FY2018-19	वि.व.2017-18 FY2017-18	वि.व.2016-17 FY2016-17	वि.व.2015-16 FY2015-16	वि.व.2014-15 FY2014-15
परिभाषित लाभ देयता	Defined benefit obligation	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03
प्लान आस्तियां	Plan assets	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48
अमान्य संक्रमणशील देयता	Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	Surplus/(deficit)	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88	(-)378.55
प्लान देयता (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	546.91	(-)66.62	198.92	930.23	592.91
प्लान आस्ति (लाभ)/हानि पर अनुभव समायोजन	Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	37.73	33.27	103.05	101.74	312.64

6.4 लेखांकन मानक 17 - खंड रिपोर्टिंग

भाग क : कारोबार खण्ड

6.4. Accounting Standard 17 - Segment Reporting

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		(*)अन्य बैंकिंग परिचालन (*)Other Banking Operations		कुल Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व Revenue	13,611.87	14,610.29	15,607.04	15,182.93	16,578.61	13,845.17	0.00	0.00	45,797.52	43,638.39
गैर-अंबटित राजस्व Unallocated revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	366.15	445.996
अंतर खंड राजस्व Inter segment revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	263.85	279.18
कुल राजस्व Total Revenue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	45,899.82	43,805.17
परिणाम Results	1,797.02	2,233.86	(-)10,462.20	(-)13,637.44	931.05	3,313.80	0.00	0.00	(-)7,734.13	(-)8,089.78
गैर अंबटित व्यय Unallocated Expenses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)979.28	(-)543.72
परिचालन लाभ/ (हानि) Operating Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)8,713.41	(-)8,633.50
आयकर Income Tax	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)3,166.51	(-)2,589.79
असाधारण लाभ /हानि Extraordinary Profit/ (Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
निवल लाभ Net Profit/(Loss)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(-)5,546.90	(-)6,043.71
अन्य जानकारी Other Information :										
खंड अस्तियां Segment Assets	239,484.92	221,716.34	214,175.60	220,336.55	146,370.77	147,961.60	0.00	0.00	600,031.29	590,014.49
गैर आंबटित अस्तियां Unallocated Assets									25,191.55	19,560.34
कुल आस्तियां Total Assets	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	625,222.84	609,574.83
खंड देयताएं Segment Liabilities	229,093.29	214,023.60	230,500.49	237,554.10	114,950.68	118,298.87	0.00	0.00	574,544.46	569,876.57
गैर आंबटित देयताएं Unallocated Liabilities									4,359.23	4,157.62
कुल देयताएं Total Liabilities	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	578,903.69	574,034.19

(*) बैंक का कोई अर्थपूर्ण "अन्य बैंकिंग परिचालन'' नहीं है।

(*) The Bank does not have any significant "Other Banking Operations".

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल Total	
विवरण	Particulars	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	Revenue	40,836.88	39,237.14	5,062.94	4,568.03	45,899.82	43,805.17
आस्तियां	Assets	509,620.78	489,186.90	115,602.06	120,387.93	625,222.84	609,574.83

बैंक ने लेखांकन मानक (एएस) 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्राथमिक रिपोर्टिंग वाले खंडों और गौण खंड के रूप में भौगोलिक खंडों को मान्यता दी है।

The Bank has recognised Business Segments as Primary Reporting Segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with Accounting Standard 17.

प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन** : खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेशसंविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियाँ, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग** : थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग** : खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु. 5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु. 50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग खण्ड को उसके द्वारा उधार दी गई निधियों की क्षतिपूर्ति जमाराशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं।

लागत का विनियोजन

क) किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

ख) जो व्यय किसी खण्ड विशेष से प्रत्यक्षत: संबंधित न हो उन्हें कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

6.5 लेखांकन मानक 18-संव्यवहारों से संबंधित पक्षकार (प्रबंधन द्वारा संकलित तथा लेखा परीक्षकों द्वारा विश्वास किया गया)

I) संबंधित पक्षकारों की सूची

(क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री दीनबंधु मोहापात्रा
कार्यपालक निदेशक गण : श्री नीलम दामोदरन
श्री अतनु कुमार दास
श्री सी.जी. चैतन्य

(ख) अनुषंगियाँ :

(i) बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
(ii) बीओआई एएक्सए इनवेस्टमेंट मैनजर्स प्राइवेट लि.
(iii) बीओआई एएक्सए ट्रस्टी सर्विसेज् प्राइवेट लि.
(iv) बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.
(v) पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके
(vi) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लि.
(vii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.
(viii) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगान्डा) लि.
(ix) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि

(ग) सहायक कंपनियां

(i) एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड
(ii) एएसआरईसी (इंडिया) लि.
(iii) इंडो-जाम्बिया बैंक लि.

Primary Segment: Business Segments

a) **Treasury Operations:** 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) **Wholesale Banking:** Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) **Retail Banking :** Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5 crore.

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 crore i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

Pricing of Inter-Segmental transfers:

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

Allocation of Costs:

a) Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment.

b) Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees/business managed.

Secondary Segment: Geographical Segments:

a) Domestic Operations

b) International Operations

6.5. Accounting Standard 18 - Related Party Transactions (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

I) List of Related Parties:

a. Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO : Shri Dinabandhu Mohapatra
Executive Directors : Shri Neelam Damodharan
Shri Atanu Kumar Das
Shri C. G. Chaitanya

b. Subsidiaries

i. BOI Shareholding Limited
ii. BOI AXA Investment Managers Private Limited
iii. BOI AXA Trustee Services Private Limited
iv. BOI Merchant Bankers Limited
v. PT Bank of India Indonesia Tbk
vi. Bank of India (Tanzania) Limited
vii. Bank of India (New Zealand) Limited
viii. Bank of India (Uganda) Limited
ix. Bank of India (Botswana) Limited

c. Associates

i. STCI Finance Limited
ii. ASREC (India) Limited
iii. Indo Zambia Bank Limited

(घ) बैंक द्वारा प्रायोजित 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

i. आर्यावर्त ग्रामीण बैंक

ii. झारखण्ड ग्रामीण बैंक

iii. नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक

iv. विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक

(घ) संयुक्त उद्यम

i. स्टार यूनियन दाई ईची लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि.

II) क) संबंधित पक्षकारों के साथ संव्यवहार (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा आश्वासित)

d. 4 Regional Rural Banks sponsored by the Bank

i. Gramin Bank of Aryavart

ii. Jharkhand Gramin Bank;

iii. Narmada Jhabua Gramin Bank

iv. Vidharbha Konkan Gramin Bank

e. Joint Venture:

i. Star Union Dai-Ichi Life Insurance Co. Limited

II) a) Transactions with Related Parties (As compiled by Management and relied upon by the Auditors)

विवरण/Particulars	अनुषंगियों/सहयोगी/संयुक्त उद्यम सहित With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives		कुल Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
वर्ष 2018-19 के दौरान संव्यवहार **Transactions during the year 2018-19**						
प्राप्त ब्याज Interest Received	16.65	1.27	-	-	16.65	1.27
प्रदत्त ब्याज Interest Paid	73.69	61.10	-	-	73.69	61.10
प्राप्त लाभांश Dividend Received	11.70	6.22	-	-	11.70	6.22
अन्य आय Other Income	86.41	89.47	-	-	86.41	89.47
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की बिक्री Sale of Government Securities/ Treasury Bills	345.16	558.65	-	-	345.16	558.65
सरकारी प्रतिभूतियों/ट्रेज़री बिलों की खरीद Purchase of Government Securities/ Treasury Bills	1,123.80	638.62	-	-	1,123.80	638.62
कार्पोरेट बॉन्ड और अन्य मौद्रिक बाजार लिखत की खरीद Purchase of Corporate Bonds and other money market instrument	-	-	-	-	-	-
प्राप्त की गयी जमाराशि Deposit Accepted	1.08	1.02	-	-	1.08	1.02
परिपक्व जमाराशियां Matured Deposits	-	12.35	-	-	-	12.35
दिये गये ऋण Loan provided	810.63	1,569.77	-	-	810.63	1,569.77
चुकाए गए ऋण Loan Repaid	562.37	1,818.21	-	-	562.37	1,818.21
एनपीए की बिक्री Sale of NPA	-	-	-	-	-	-
किए गए निवेश Investment made	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना (ईएसपीएस) के अंतर्गत जारी इक्विटी शेयर Equity shares issued under Employee's Stock Purchase Scheme (ESPS)	-	-	0.24	-	0.24	-
बकाया यथा 31.03.2019 Outstanding as on 31.03.2019			-	-		
देय Payable	-	-	-	-	-	-
जमाराशियां स्वीकार्य Deposits accepted	44.43	38.34	-	-	44.43	38.34
उधार Borrowings	-	-	-	-	-	-
दिये गए ऋण Loan given	248.00	-	-	-	248.00	-

विवरण/Particulars	अनुषंगियों/सहयोगी/संयुक्त उद्यम सहित With Subsidiaries/ Associates/Joint Ventures		मुख्य प्रबंधन कार्मिक तथा उनके संबंधी Key Management Personnel & their relatives		कुल Total	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
जमाराशियों का नियोजन Placement of Deposits	-	-	-	-	-	-
अन्य देयताएं Other liabilities	3.57	2.69	-	-	3.57	2.69
प्राप्तियाँ (अग्रिम) Receivable (Advances)	-	-	-	-	-	-
निवेश Investments	313.38	313.38	-	-	313.38	313.38
गैर वित्तपोषित प्रतिबद्धता Non Funded Commitment	-	-	-	-	-	-
पट्टे पर/एचपी व्यवस्था का लाभ उठाया गया Leasing / HP arrangements availed	-	-	-	-	-	-
पटटे पर/एचपी व्यवस्था प्रदान की गया Leasing / HP arrangements provided	-	-	-	-	-	-
अचल संपत्तियों की खरीद Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
अंचल संपत्तियों की बिक्री Sale of fixed Assets	-	-	-	-	-	-
अन्य आस्तियां Other Assets	11.71	9.50	-	-	11.71	9.50

पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगियों के साथ संव्यवहार और चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सरकार द्वारा नियंत्रित हैं उनके साथ संव्यवहारों का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि संबंधित पार्टी प्रकटन के संबंध में आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक-18 के पैरा 9 के अनुसार 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यमों' को अन्य संबद्ध पार्टियों, जो स्वयं 'सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम' हैं, के साथ किए गए अपने संव्यवहारों का प्रकटन करने से छूट प्राप्त है। इसके अलावा लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

The transactions with wholly owned subsidiaries and regional rural banks being state controlled, have not been disclosed in view of Para 9 of AS - 18 on Related Party disclosure issued by ICAI exempting 'State Controlled Enterprises' from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties which are also 'State Controlled Enterprises'. Further, in terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship have not been disclosed including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

ख) मुख्य प्रबंधन कार्मिक: प्रदत्त पारिश्रमिक (रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	श्री दीनबंधु मोहापात्रा	2,907,051	2,396,529
2	श्री मेलविन ओ रेगो	0	452,824
3	श्री नीलम दामोदरन	2,533,503	2,283,849
4	श्री अतनु कुमार दास	2,561,116	2,283,722
5	श्री सी.जी. चैतन्य	2,474,949	1,085,733
6	श्री आर.ए.शंकरनारायण	0	969,286
7	श्री आर.पी. मराठे	-	908,749

b)Key Management Personnel: Remuneration paid in ₹:

Sr. No	Particulars	2018-19	2017-18
1	Shri Dinabandhu Mohapatra	2,907,051	2,396,529
2	Shri Melwyn O Rego	0	452,824
3	Shri Neelam Damodharan	2,533,503	2,283,849
4	Shri Atanu Kumar Das	2,561,116	2,283,722
5	Shri C. G. Chaitanya	2,474,949	1,085,733
6	Shri R. A. Sankara Narayanan	0	969,286
7	Shri R.P.Marathe	-	908,749

6.6. लेखांकन मानक 19 - पट्टा वित्तपोषण : शून्य

6.6 Accounting Standard 19 – Lease Financing: - Nil

6.7 लेखांकन मानक 20 - प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	2018-19	2017-18
1	आधारभूत और तनुकृत *	(-)29.79	(-)52.55

6.7 Accounting Standard 20 - Earnings per Share in ₹:

Sr. No.	Particulars	2018-19	2017-18
1.	Basic & Diluted *	(-)29.79	(-)52.55

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(क) (A)	वर्ष के लिए इक्विटी शेयाधारकों को प्राप्य निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(-)5,546.90	(-)6,043.71
(ख) (B)	इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (₹ करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	186.22	115.02
(ग) (C)	मूलभूत प्रति शेयर आय (क/ख) (₹)	Basic Earnings per Share (A/B) (₹)	(-)29.79	(-)52.55
(घ) (D)	प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

* आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है। Basic & Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

6.8 लेखांकन मानक 22 -आय पर करों के लिए लेखांकन

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

6.8 Accounting Standard 22 – Accounting for Taxes on Income

The major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
	आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
i)	प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provision for doubtful debt and advances	13,123.92	10,329.10
ii)	अन्य प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards other provisions/items	79.01	76.15
iii)	विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के कारण(FCTR)	On account of Foreign Currency Translation Reserve (FCTR)	214.70	154.86
iv)	अन्य	Others	422.10	456.79
	कुल आस्थगित कर आस्तियाँ	**Total Deferred Tax Assets**	**13,839.73**	**11,016.90**
	आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
i)	स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of Depreciation on fixed assets	265.58	251.42
ii)	प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due on investments	927.38	839.99
iii)	आय कर अधिनियम 1961 की कटौती यू/एस 36(01)(viii) के कारण *	On account of Deduction in respect of special reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act 1961 *	758.28	758.28
iv)	अन्य	Others	2.88	1.92
iv)	**कुल आस्थगित कर देयताएं**	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1,954.12**	**1,851.61**
	निवल आस्थगित कर आस्तियाँ /(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**11,885.61**	**9,165.29**

* ₹ 431.67 पुरांनी आरक्षितियाँ में से और लाभ में से शेष

* ₹ 431.67 out of past reserves and balance out of profit

6.9 लेखांकन मानक 24 - बट्टाकरण परिचालन:

भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप एवं विदेशी परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में बैंक ने कुछ विदेशी परिचालनों से बाहर रहने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अपनी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बंद कर दिया है। इस क्षेत्र में बैंक के कारोबार पर परिचालन के बंद होने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

6.9 Accounting Standard 24 - Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalization of Overseas Operations, the Bank has decided to exit from certain foreign operations. During the year 2018-19, the Bank has initiated closure of its subsidiary namely Bank of India (Botswana) Ltd. The impact of closure of operations in this territory on the business of the Bank, is not material.

6.10 लेखांकन मानक 27- संयुक्त उद्यमों में निवेश :

निवेशों में रू.75 (पिछले वर्ष रू.75) शामिल है जो निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में बैंक-हित को दर्शाता है :-

6.10 Accounting Standard 27 – Investments in Joint Venture

Investments include ₹75 (Previous year ₹75) representing Bank's interest in the following jointly controlled entity:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम Name of the Company	राशि Amount	निवास देश Country of Residence	होल्डिंग % Holding %
1	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि./ Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 75	भारत / India	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

विवरण	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
देयताएं	**Liabilities**		
पूंजी एवं आरक्षितियां	Capital & Reserves	173.80	152.36
जमाराशियां	Deposits	-	-
उधार	Borrowings	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other Liabilities & Provisions	2,349.17	2,013.07
कुल	**Total**	**2,522.97**	**2,165.43**
आस्तियां	**Assets**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	Cash and Balances with Reserve Bank of India	38.16	25.80
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
निवेश	Investments	2,313.18	1,993.27
अग्रिम	Advances	2.44	2.58
अचल आस्तियां	Fixed Assets	4.98	5.67
अन्य आस्तियां	Other Assets	164.21	138.11
कुल	**Total**	**2,522.97**	**2,165.43**
पूंजीगत बाध्यताएं	Capital Commitments	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	Other Contingent Liabilities	25.66	7.38
आय	**Income**		
अर्जित ब्याज	Interest Earned	9.22	6.98
अन्य आय	Other Income	29.77	23.32
कुल	**Total**	**38.99**	**30.30**
व्यय	**Expenditure**		
व्यय किया गया ब्याज	Interest Expended	-	-
परिचालन व्यय	Operating Expenses	8.54	8.32
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	1.05	-
कुल	**Total**	**9.59**	**8.32**
लाभ / (हानि)	Profit / (Loss)	29.40	21.98

6.11. परिसंपत्तियों की हानि (लेखांकन मानक 28) : रू. शून्य

6.11 Impairment of Assets (Accounting Standard 28): ₹ Nil

6.12. "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां" (लेखांकन मानक 29)

6.12 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" (Accounting Standard 29)

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव :

A. Movement of Provisions for contingent liabilities:

विवरण	Particulars	विधिक मामले/आकस्मिकताएं * Legal cases/contingencies*	
		2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	96.43	97.14
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	Provided during the year	3.85	1.94
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	Amounts used during the year	0.00	2.65
अंतिम शेष	Closing Balance	100.28	96.43
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	Timing of outflow/uncertainties	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन Outflow on settlement / Crystallization

* **अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर** *Excluding provisions for others

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर का समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग, जैसा भी मामला हो, पर क्रमशः निर्भर करता है। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

7. अतिरिक्त देयताएं

7.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

लाभ और हानि खाते में दिखाए गए "प्रावधान और आकस्मिकताएं" का ब्रेक-अप निम्नानुसार है:

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon, the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

7. Additional Disclosures

7.1 Provisions and Contingencies

The break-up of "Provisions and Contingencies" appearing in the Profit and Loss Account is as under:

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
निवेश के मूल्यह्रास पर प्रावधान	Provision for Depreciation on Investment	1,064.24	1,468.64
एनपीए हेतु प्रावधान	Provision towards NPA	15,769.65	15,095.32
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	Provision towards Standard Assets	126.32	(-)671.25
आयकर के लिए किया गया प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	Provision made towards Income Tax (including Deferred Tax)	(-)3,166.51	(-)2,589.79
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	**Other Provision & Contingencies**		
• पुनर्गठित खातों में त्याग हेतु प्रावधान	• Provision for Sacrifice in Restructured Accounts	(-)227.83	(-)188.09
• देशीय जोखिम हेतु प्रावधान	• Provision for Country Risk	(-)15.15	(-)12.14
• अन्य प्रावधान	• Other Provisions	88.39	79.94
कुल.	**Total**	**13,639.11**	**13,182.63**

7.2 अस्थायी प्रावधान

7.2 Floating Provisions:

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान खाते में प्रारम्भिक शेष	Opening Balance in the floating provisions account	232.22	232.22
जोड़ें : लेखाकंन वर्ष में किए गए अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधान की प्रमात्रा	Add: The quantum of floating provisions made in the accounting year	0.00	0.00
घटाएँ : लेखाकंन वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन की राशि	Less: Amount of draw down made during the accounting year	0.00	0.00
अस्थिर प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing Balance in the floating provisions account	232.22	232.22

7.3 आरक्षितियों (रिजर्वस्) से ड्रॉ डाउन :

समाप्त वर्ष 31.03.2019 के दौरान आरक्षितियों से कोई ड्रा-डाउन नहीं किया गया है।

7.3 Drawdown from Reserves

There is no drawdown from reserves made during the year ended 31.03.2019.

7.4 शिकायतों का प्रकटन

i) ग्राहकों की शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.4 Disclosure of complaints

i) Customer Complaints: As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the beginning of the year	220	255
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	No. of complaints received during the year	34,736	35,874
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	No. of complaints redressed during the year	34,675	35,909
(d)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	No. of complaints pending at the end of the year	281	220

ii) एटीएम से संबंधित शिकायतें : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

ii) ATM Complaints: As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	वर्ष के आरंभ में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at beginning of the year	5,631	2,285
(b)	वर्ष के दौरान प्राप्त एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints received during the year	3,25,776	1,92,132
(c)	वर्ष के दौरान निपटाई गई एटीएम संबंधी शिकायतें	No. of ATMs complaints redressed during the year	3,21,413	1,88,786
(d)	वर्ष के अंत में लम्बित एटीएम से संबंधित शिकायतें	No. of ATMs complaints pending at the end of the year	9,994	5,631

iii) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
(a)	वर्ष के प्रारंभ में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	2	0
(b)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	8	2
(c)	वर्ष के दौरान लागू किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of Awards implemented during the year	2	0
(d)	वर्ष के अंत में लागू नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	No. of unimplemented Awards at the end of the year	8	2

iii) Awards passed by the Banking Ombudsman:

7.5 बैंक द्वारा अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्रों (एलओसीज़) पर प्रकटन (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अनुषंगियों की ओर से कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किए हैं। वर्ष 2011-2012 के दौरान, बैंक ने अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोतस्वाना को वचनपत्र जारी किया है कि वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा किया जाएगा।

वर्ष 2010-11 के दौरान, अपने पूर्ण स्वामित्व की अनुषंगी बीओआई (न्यूजीलैंड) लि. के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक के पक्ष में बैंक ने वित्तीय वायदे देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए अभिभावकीय गारंटी जारी की है।

यथा 31.03.2019 को, उपर्युक्त वायदों से कोई वित्तीय दायित्व नहीं हुआ है।

7.5 Disclosure of Letters of Comfort (LoCs) issued by bank for Subsidiaries (As compiled by the management)

During the year 2018-19, the bank has not issued any Letter of Comforts on behalf of Subsidiaries. During the year 2011-12, the bank has issued an undertaking to the governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd to meet its financial commitments if they fall due.

During the year 2010-11, the bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2019, no financial obligations have arisen on the above commitments.

7.6 प्रावधान कवरेज़ अनुपात (पीसीआर)

यथा 31 मार्च 2019 को बैंक के सकल अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान 76.95% है (पिछले वर्ष: 65.85%)

7.6 Provisioning Coverage Ratio (PCR)

The Provisioning to Gross Non-Performing Assets of the Bank as on 31st March 2019 is 76.95% (Previous year: 65.85%).

7.7 बैंक एश्योरेंस कारोबार से प्राप्त शुल्क, पारिश्रमिक :

7.7 Fees, remuneration received from Bancassurance business

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
जीवन बीमा पॉलिसी	Life Insurance Policies	68.73	75.79
गैर-जीवन बीमा पॉलिसी	Non-Life Insurance Policies	23.38	28.15
स्वास्थ्य बीमा कारोबार	Health Insurance Business	3.16	2.48
कुल	**Total**	**95.27**	**106.42**

7.8 जमाओं, अग्रिमों, एक्सपोज़र तथा एनपीए का संकेंद्रण

7.8 Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

7.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण-

7.8.1 Concentration of Deposits –

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां	Total Deposits of twenty largest depositors	19,603.83	22,668.35
बैंक की कुल जमाराशियाँ में से बीस बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	3.76%	4.35%

7.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण-

7.8.2 Concentration of Advances -

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	Total Advances to twenty largest borrowers	60,815	54,226
बैंक के कुल अग्रिमों में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	14.28%	12.43%

7.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण:

7.8.3 Concentration of Exposures –

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to twenty largest borrowers/ customers	73,161	71,086
बैंक के उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोज़र में से बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं /ग्राहकों के एक्सपोज़र का प्रतिशत	Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the bank on borrowers/ customers	12.68%	12.32%

7.8.4 एनपीए संकेंद्रण

7.8.4 Concentration of NPAs

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
चार शीर्ष एनपीए खातों का कुल एक्सपोज़र	Total Exposure to top four NPA accounts	7,035	7,985

7.9 क्षेत्रवार एनपीए (प्रुडेन्शियल /तकनीकी राइट ऑफ को शामिल करते हुए) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित)

7.9 Sector-wise Advances (Including Prudential/Technical write off) (As compiled by management)

क्र. सं. Sr. No	क्षेत्र	Sector	2018-19			2017-18		
			बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector	बकाया सकल अग्रिम O/S Gross Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत % of Gross NPAs to Total Advances in that Sector
A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	Priority sector						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियां	Agriculture & allied activities	50,337.96	10,534.29	20.93	44,140.19	6,256.40	14.17
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में पात्र उद्योगों को अग्रिम	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	22,557.81	6,027.20	26.72	33,798.55	7,026.97	20.79
3	सेवाएं	Services	32,426.37	5,932.34	18.29	19,667.73	2,812.67	14.30
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	18,558.18	1,106.01	5.96	9,254.61	396.80	4.29
	उप योग (क)	**Sub-total (A)**	**1,23,880.32**	**23,599.84**	**19.05**	**1,06,861.08**	**16,492.84**	**15.43**
B	गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**Non Priority Sector**						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधिया	Agriculture & allied activities	1,842.81	318.70	17.29	2,600.06	298.74	11.49
2	उद्योग	Industry	1,52,775.78	39,212.85	25.67	1,17,566.64	45,091.65	38.35
3	सेवाएं	Services	1,04,372.01	19,531.00	18.71	51,731.03	7,406.45	14.32
4	व्यक्तिगत ऋण	Personal loans	26,283.32	4,292.60	16.33	21,609.36	1,182.10	5.47
	उप योग (ख)	**Sub-total (B)**	**2,85,273.92**	**63,355.15**	**22.21**	**1,93,507.09**	**53,978.94**	**27.90**
	योग (क+ख)	**Total (A+B)**	**4,09,154.24**	**86,954.99**	**21.25**	**3,00,368.17**	**70,471.78**	**23.46**

7.9.1 प्राथमिकता क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) (प्रबंधन द्वारा यथा समेकित) :

7.9.1 Disclosure of Priority Sector Lending Certificates (PSLCs) (As compiled by the Management):

वर्ष के दौरान खरीदे गए / Purchased during the year	वर्ष के दौरान बेचे गए / Sold During the Year
5090	शून्य / NIL

समाप्त वर्ष, 31 मार्च 2019 के दौरान, बैंक ने कृषि के अंतर्गत 18% के एएनबीसी के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रु. 34.09 के प्रीमियम का भुगतान कर राशि रु.5090.00 के पीएसएलसी के 20360 यूनिट खरीदे हैं।

Bank has purchased 20360 units of PSLCs amounting to ₹ 5090.00 during the year ended 31st March 2019, by paying a premium of ₹ 34.09 to bridge the gap under agriculture in reaching 18% of ANBC mandatory target.

7.10 एनपीए का मूवमेंट :

7.10 Movement of NPAs

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
सकल एनपीए यथा 01.04.2018 को (प्रारंभिक शेष)	Gross NPAs as on 01.04.2018 (Opening Balance)	62,328.46	52,044.52
वर्ष के दौरान (नए एनपीए) परिवर्धन	Additions(Fresh NPAs) during the year	17,902.53	25,580.50
उप-जोड़ (ए)	Sub-total(A)	**80,230.99**	**77,625.02**
घटाएं :-	Less:		
(i) अपग्रेडेशन	(i) Up gradations	3,368.81	2,212.43
(ii) वसूलियाँ (अपग्रेडेड खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	(ii) Recoveries-excluding recoveries made from upgraded accounts	8,784.61	4,039.33
(iii) तकनीकि प्रुडेंशियल राइट ऑफ	(iii) Technical/Prudential Write Offs	829.43	6,591.50
(iv) बट्टे खाते लिखाई, उक्त (iii) के अंतर्गत छोडकर	(iv) Write offs other those under (iii) above	6,587.02	2,453.30
उप-जोड़ (बी)	Sub-total (B)	**19,569.87**	**15,296.56**
सकल एनपीए यथा 31.03.2019 (अंतिम शेष) (ए-बी)	Gross NPAs as on 31.03.2019 (Closing Balance) (A-B)	**60,661.12**	**62,328.46**

7.11 तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों का मूवमेंट :

7.11 Movement of Technically/Prudentially written-off accounts:

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में प्रारंभिक शेष	Opening Balance of Technical/prudential written-off accounts	20,269.15	13,640.98
जोडें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते लिखाई	Add: Technical/prudential written-offs during the year	4,104.33	8,148.16
उप-जोड (ए)	Sub-total(A)	24,373.48	21,789.14
घटाएं :- पूर्व में तकनीकी/विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले खातों में वर्ष के दौरान की गई वसूली (बी)	Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year(B)	2,082.16	1,519.99
अंतिम शेष (ए-बी)	Closing Balance (A-B)	22,291.32	20,269.15

7.12 विदेशी आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व

7.12 Overseas Assets, NPAs and Revenue:

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2018-19	2017-18
1	कुल आस्तियां / Total Assets	1,15,607.39	1,20,387.93
2	कुल एनपीए / Total NPAs	11,310.39	11,892.66
3	कुल राजस्व / Total Revenue	5,064.83	4,568.37

7.13 ऑफ बैलेन्स शीट प्रायोजित एसपीवी

7.13 Off-Balance Sheet SPVs sponsored

स्पॉन्सर किए गए एसपीवी का नाम / Name of the sponsored SPV	
स्वदेशी / Domestic	विदेशी / Overseas
शून्य /Nil	शून्य /Nil

7.14 प्रतिभूतिकरण से सम्बद्ध प्रकटन :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) फ्लोट नहीं किया है।

7.14 Disclosure relating to Securitisation:

The Bank has not floated any Special purpose Vehicle (SPV) during the Financial Year 2018-19.

7.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स :

बैंक ने कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स नहीं किया है।

7.15 Credit Default Swaps:

The bank has not dealt with any Credit Default Swap.

7.15.1इंट्रा-ग्रुप एक्स्पोज़र (प्रबंधन द्वारा संकलित और लेखा परीक्षकों द्वारा समर्थित) :

7.15.1Intra-Group Exposures (As compiled by the management and relied upon by the Auditors):

Sr. No.	विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
A	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of intra group exposures	5,671.59	4,640.52
B	टॉप 20 इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र की कुल राशि	Total amount of top 20 intra group exposure	5,671.59	4,640.52
C	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर कुल एक्सपोज़र की तुलना में इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़र का प्रतिशत	% of Intra group Exposure to total exposure on Borrowers/Customers	0.69%	0.57%
D	इन्ट्रा ग्रुप एक्सपोज़रों पर सीमाओं के उल्लंघन के ब्यौरे और उनपर विनियामक की कार्रवाई, यदि कोई हो.	Details of breach of limits on intra group exposures and regulatory action thereon, if any.	निरंक Nil	निरंक Nil

7.16 जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता फंड (डीईएएफ) को अंतरण :

7.16 Transfers to Depositors Education and Awareness Fund (DEAF)

विवरण	Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
डीईएएफ में अंतरित प्रारंभिक शेष राशि	Opening balance of amounts transferred to DEAF	539.24	292.26
जमा : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि	Add : Amounts transferred to DEAF during year	257.75	261.90
घटाएं :दावों के तहत डीईएएफ द्वारा राशि की प्रतिपूर्ति	Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	12.98	14.92
डीईएएफ में अंतरित राशि का अंतिम शेष	Closing balance of amounts transferred to DEAF	784.01	539.24

7.17 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (यूएफसीई) : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित

7.17 Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE): As compiled by the management

क्र.सं. Sr. No	विवरण	Particulars	FY 2018-19	FY 2017-18
A	प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	Opening balance provisions account	34.07	57.75
B	लेखा वर्ष में किए गए प्रावधानों की मात्रा	The quantum of provisions made in the accounting year	18.95	3.64
C	लेखा वर्ष के दौरान रिवर्स की गई राशि	Amount Reverse during the accounting year	16.92	27.32
D	प्रावधान खाते में अंतिम शेष	Closing balance in the provisions account	36.09	34.07

'अनहैज़ करेंसी एक्सपोज़र' वाली संस्थाओं पर एक्सपोज़र हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकता पर बैंक के पास बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित नीति है जो भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरणों पर आधारित है।

यथा 31.03.2019, उपलब्ध डाटा और उधारकर्ताओं से नीति के अनुरूप प्राप्त घोषणा के आधार पर, एक्सपोज़र पर अतिरिक्त आरडब्ल्यूए रु.399.69 (विगत वर्ष रु. 926.37) है। इसकी तुलना में, अतिरिक्त न्यूनतम पूंजी आवश्यकता रु.43.47 (विगत वर्ष रु. 100.74) है।

The bank has duly approved policies by the Board on Capital and Provisioning Requirement for exposures to entities with UFCE which is based on RBI circulars.

As on 31.03.2019, based on available data and declaration from the borrowers, wherever received in accordance with the policy, the additional RWA on this exposure is ₹ 399.69 (Previous Year ₹ 926.37). As against this, additional minimum capital requirement is ₹ 43.47 (Previous Year ₹ 100.74).

8. चलनिधि कवरेज अनुपात : प्रबंधन द्वारा यथा समेकित मात्रात्मक प्रकटन

8. Liquidity Coverage Ratio: As compiled by the management Quantitative Disclosure

	एल.सी.आर अवयव LCR Components	यथा As on 31.03.2019*		यथा As on 31.03.2018 *	
		कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average) @	कुल गैर-भारित मूल्य (औसत)[1] Total Unweighted Value (average) @	कुल भारित मूल्य (औसत)[2] Total Weighted Value (average) @
उच्च् स्तरीय परिसंपत्ति आस्तियाँ / HIGH QUALITY LIQUID ASSETS					
1	कुल उच्च स्तरीय आस्तियां (एचक्यूएलए) / Total High Quality Assets(HQLA)		81,406.60		97,491.02
नकदी प्रवाह / CASH OUTFLOW					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे कारोबारी ग्राहकों की , जिसमें से Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	384,601.79	38,041.47	375,378.63	37,414.07
(i)	स्थिर जमाराशियां / Stable deposits	7,942.94	393.94	7,308.20	397.53
(ii)	कम स्थिर जमाराशियां / Less stable deposits	376,658.85	37,647.54	368,070.43	37,016.54
3	अरक्षित थोक निधियां, जिसमें से : / Unsecured wholesale funding of which:	57,284.99	29,126.99	63,934.97	31,693.12
(i)	परिचालनगत जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार) / Operational deposits (all counterparties)	-	-	2,128.17	421.13
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) / Non -operational deposits (all counterparties)	46,452.64	18,586.66	54,011.28	23,433.08
(iii)	अरक्षित ऋण / unsecured debts	10,832.35	10,540.33	7,795.53	7,838.92
4	जमानती थोक निधियन / Secured wholesale funding		612.39		-
5	अतिरिक्त आवश्यकताएं, जिसमें से / Additional requirements, of which	13,773.10	5,069.89	23,064.97	7,171.68
(i)	व्युत्पन्न एक्सपोज़र से संबंधित बहिर्गमन / Outflows related to derivative exposures and other collateral requirement	3,406.46	3,418.93	4,014.83	4,209.29
(ii)	ऋण उत्पादों पर निधियन हानि से संबंधित बहिर्गमन Outflows related to loss of funding on debt products	162.27	64.91	-	-
(iii)	ऋण तथा चलनिधि सुविधाएं / Credit and liquidity facilities	10,204.37	1,586.05	19,050.14	2,962.39
6	अन्य संविदागत निधियन दायित्व / Other contractual funding obligations	25,312.35	25,345.11	12,203.89	11,717.81
7	अन्य आकस्मिक निधियन दायित्व / Other contingent funding obligations	42,324.56	1,583.89	50,948.12	2,252.64
8	कुल नकदी बहिर्गमन / TOTAL CASH OUTFLOWS		99,779.75		90,249.32
नकदी आगमन / CASH INFLOW					
9	जमानती उधार (उदा:रिवर्स रेपो) / Secured lending(e.g. reverse repos)	9,301.63	6,701.47	18,785.28	11,032.89
10	पूर्णतया निष्पादक एक्सपोजर से आगमन / Inflows from fully performing exposures	24,596.62	17,027.94	7,596.24	4,879.10
11	अन्य नकदी आगमन / Other cash inflows	11,365.42	10,144.82	18,911.44	18,210.45
12	कुल नकदी आगमन / TOTAL CASH INFLOWS	45,263.67	33,874.23	45,292.95	34,122.44
			कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3		कुल समायोजित मूल्य 3 Total Adjusted Value 3
21	कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA		81,406.60		97,491.02
22	कुल निवल नकदी बहिर्गमन TOTAL NET CASH OUTFLOWS		65,905.53		56,126.87
23	चलनिधि कवरेज अनुपात (%) / LIQUIDITY COVERAGE RATIO(%)		123.52		173.70

नोट:

* समेकित आधार पर (घरेलू एवं विदेशी अनुषंगियां शामिल)

Note-

* *On consolidated basis (including domestic and foreign subsidiaries)*

@ दि.31 मार्च 2019 साथ ही साथ 31.03.2018 तक के डाटा हेतु विगत 4 तिमाहियों में दैनिक अवलोकनों का साधारण औसत लेकर(अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 क्रमशः हेतु औसत) प्रकटन किए गए हैं। यह आरबीआई दिशानिर्देश संदर्भ सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दि. 31 मार्च 2015 के अनुरूप हैं।

एलसीआर के संबंध में गुणात्मक प्रकटन

1 जनवरी, 2015 से बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) पर दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया है।

एलसीआर का मानक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक भार-रहित उच्च स्तरीय चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) को यथोचित स्तर पर अनुरक्षित करता है अत्यधिक चलनिधि दबाव परिदृश्य के अन्तर्गत 30 कलेंडर दिन सीमा के लिए चलनिधि आवश्यकता को पूरा करने के लिए एचक्यूएलए को नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। गंभीर चलनिधि दबाव परिदृश्य में चलनिधि आस्तियों के स्टॉक की सहायता से बैंक कम से कम अगले 30 कैलंडर दिवस गुज़ार सके।

$$\text{एलसीआर} = \frac{\text{उच्च कोटि की चलनिधि आस्तियां}}{\text{अगले 30 कलेंडर दिनों तक कुल निवल नकदी बहिर्गमन}}$$

यहाँ ,

- एचक्यूएलए लेवल 1 तथा लेवल 2 आस्तियां सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में यह नकदी हैं या नकदी मदों के करीब हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बाज़ार में आसानी से उपयोग किया जा सकता है/भुनाया जा सकता है।
- भारिबैं/बासेल द्वारा परिभाषा के अनुसार दबाव की स्थिति के अन्तर्गत कुल बहिर्गमन पर कुल अंतर्वाह का निवल नकदी बहिर्गमन अधिक रहता है। निवल नकदी बहिर्गमन के परकलन के लिए, अंतर्वाह को पूर्व परिभाषित हेयरकट के साथ माना जाता है तथा बहिर्गमन को पूर्व परिभाषित रन-ऑफ़ फैक्टर पर माना जाता है।
- यदि दबावग्रस्त निधियों का अंतर्वाह दबावग्रस्त निधियों के बहिर्गमन से अधिक है, तो कुल निधियों के बहिर्गमन का 25% एलसीआर के परिकलन के लिए कुल शुद्ध नकद निधियों के बहिर्गमन के रूप में लिया जाएगा।
- प्रभावी तिथि 01.01.2015 से, अविरत आधार पर 60% एलसीआर को बनाए रखना बैंकों के लिए आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष 10% की बढ़ती वृद्धि के साथ दिनांक 01.01.2019 तक यह 100%तक पहुंच जाएगा।

वर्णन	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

एलसीआर का मुख्य संचालक : एलसीआर के मुख्य संचालक, उच्च गुणवत्ता की चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) और खुदरा ग्राहकों से उच्च निधियन स्त्रोत की वजह से न्यून निवल नकदी हैं। एचक्यूएलए के पर्याप्त स्टॉक ने एलसीआर बनाए रखने में बैंक की सहायक की है।

एचक्यूएलए की संरचना : उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की संरचना में प्रमुखतया नकदी शेष, अतिरिक्त एसएलआर, अतिरिक्त सीआरआर तथा एफएएलएलसीआर (चलनिधि कवरेज अनुपात के लिए चलनिधि प्राप्त करना) होता है।

@ Disclosure as on 31.03.2019 as well as 31.03.2018 has been done by taking simple average of daily observations over previous 4 quarters (i.e. average for the FY 2018-19 & FY 2017-2018 respectively). This is as per RBI guidelines ref. no. DBR.No.BP.BC.80 /21.06.201/2014-15 dated March 31, 2015.

Qualitative disclosures with regard to LCR:

W.e.f. 1st January 2015, the Bank has implemented guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR) as directed by Reserve Bank of India.

The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLA) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario. At a minimum, the stock of liquid assets should enable the bank to survive until next 30 calendar days under a severe liquidity stress scenario.

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Total net cash outflows over the next 30 calendar days}}$$

Here,

- HQLA comprises of level 1 and level 2 assets, in other words these are cash or near to cash items which can be easily used / discounted in the market in case of need.
- Net cash outflows are excess of total inflows over total outflows under stressed situation as defined by Basel / RBI. While arriving at the net cash outflow, the inflows are taken with pre-defined hair-cuts and the outflows are taken at pre-defined run-off factors.
- In case stressed inflows are more than the stressed outflows, 25% of total outflows shall be taken as total net cash outflows to arrive at the LCR.
- With effect from 01.01.2015, Banks are required to maintain minimum 60% LCR on an ongoing basis. The same shall reach 100% as on 01.01.2019 with incremental increase of 10% each year:

	01.01.2015	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019
Minimum LCR	60%	70%	80%	90%	100%

Main Drivers of LCR: The main drivers of the LCR are adequacy of High Quality Liquid Assets (HQLA) and lower net cash outflow on account of higher funding sources from retail customers. Sufficient stock of HQLA helped the Bank to maintain adequate LCR.

Composition of HQLA: The composition of High Quality Liquid Assets (HQLA) mainly consists of cash balances, excess SLR, excess CRR and FALLCR (Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio).

आज की तिथि तक एचक्यूएलए संरचना का प्रकटन निम्नलिखित है :

हाथ में नकदी	4%
अतिरिक्त सीआरआर शेष	8%
न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता से अधिक सरकारी प्रतिभूति	7%
एफएएलएलसीआर (एमएसएफ के लिए अनुमत वर्तमान में एनडीटीएल का 15 प्रतिशत तक) सहित एमएसएफ के अन्तर्गत भारिबैं द्वारा अनुमत अनुसार न्यूनतम एसएलआर आवश्यकता की अधिकता में सरकारी प्रतिभूतियां	11%
रेपो/रिवर्स रेपो संव्यवहार के कारण अन्य प्रतिभूतियॉ समायोजन और बासेल II के मानक दृष्टिकोण के अन्तर्गत 0%, जोखिम के विदेशी सार्वभौम द्वारा जारी या गारंटीकृत प्रतिभूतियां	5%
चलनिधि कवरेज अनुपात हेतु चलनिधि सुविधा	61%
लेवल 2 अस्तियां	4%

निधियन स्रोत का संकेन्द्रीकरण: बैंक का अधिकांश निधियन स्रोत खुदरा ग्राहकों से है अतएव बहिर्गमन दबाव तुलनात्मक ढंग से कम है। तथापि, मीयादी जमाराशियों के लिए किसी अप्रतिदेय विकल्प के अभाव में भारिबैं के दिशानिर्देशों के अनुसार बहिर्गमन अनुभाग के अन्तर्गत लगभग सभी जमाराशियों को बैंक ने शामिल किया है। बैंक का, किसी महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से अत्यधिक निधि प्राप्त नहीं है। महत्वपूर्ण प्रतिपक्षकार से तात्पर्य है एकल प्रतिपक्षकार या सम्बद्ध प्रतिपक्षकारों का समूह जिनकी बैंक की कुल देयताओं में हिस्सेदारी 1% से अधिक है।

व्यत्पन्नी एक्सपोज़र तथा संभाव्य संपार्श्विक कॉल: डेरिवेटिव कारोबार में बैंक का बहुत कम क्सपोज़र है जो उल्लेखनीय नहीं है।

एलसीआर में मुद्रा असंतुलन : भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसरण में एक महत्वपूर्ण मुद्रा वह है जिसमें उस मुद्रा में कुल मूल्यवर्गित देयताएं बैंक की कुल देयताएं का 5 प्रतिशत या अधिक हो। हमारे मामले में यूएसडी एकमात्र महत्वपूर्ण मुद्रा है। अतएव बैंक, एलसीआर का परिकलन यूएसडी मुद्रा में भी करता है।

चलनिधि प्रबंधन के संकेन्द्रीकरण के स्तर का वर्णन तथा समूह की इकाईयों में पारस्परिक क्रिया : उद्यम स्तर पर बैंक का चलनिधि प्रबंधन, बोर्ड स्तरीय कार्य है तथा बोर्ड की एक अलग उप-समिति (आर.कॉम) इसपर निगाह रखती है। एएलसीओ द्वारा नियमित अंतराल पर चलनिधि प्रबंधन की नियमित निगरानी की जाती है। बैंक की संपूर्ण चलनिधि प्रबंधन प्रक्रिया, बैंक की एएलएम नीति से शासित होती है।

घरेलू परिचालनों के लिए चलनिधि प्रबंधन के केन्द्रीय कार्य है जो प्रधान कार्यालय स्तर पर प्रबंधित किया जाता है। निगरानी तथा नियंत्रण के लिए तथा स्थानीय विनियामक का अनुपालन भी प्रत्येक केन्द्र के क्षेत्राधिकार अनुसार विदेशी चलनिधि प्रबंधन किया जाता है। बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग विदेशी चलनिधि स्थिति पर निगरानी रखता है तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर केन्द्रीय रूप से सम्पूर्ण चलनिधि निगरानी की जाती है।

एलसीआर परिकलन में अन्य अंतर्वाह और बहिर्गमन जिन्हें एलसीआर के आम टेम्पलेट द्वारा कैप्चर नहीं किया जाता है परन्तु अपने चलनिधि प्रोफाइल के लिए संस्था इसे उपयुक्त समझती है : : हमारे ध्यान में ऐसी कोई मद नहीं है।

9. अन्य नोट

ए) आयकर

(i) आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है जिसके अंतर्गत रू 631.98 (विगत वर्ष रु. 653.42) की विवादित आय कर/ ब्याज कर देयताएं सम्मिलित हैं जिनके

The composition of HQLA as on date of disclosure is given below:

Cash in hand	4%
Excess CRR balance	8%
Government securities in excess of minimum SLR Requirement	7%
Government securities within the mandatory SLR Requirement, to the extent allowed by RBI under MSF including FALLCR (presently to the extent of 15 percent of NDTL as allowed for MSF)	11%
Marketable securities issued or guaranteed by foreign sovereigns having 0% risk weight under Basel II standardized approach and other securities adjustments on account of Repo/Reverse Repo transactions	5%
Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio	61%
Level 2 Assets	4%

Concentration of funding sources: Majority of Bank's funding sources are from retail customers (about 60%) therefore the stressed outflows are comparatively lower. However, in absence of any non-callable option for term deposits, the Bank has considered almost all deposits under outflow section as per RBI guidelines. Bank also does not have funding concentration from any significant counterparty. A significant counterparty is defined as a single counterparty or group of connected or affiliated counter parties accounting in aggregate for more than 1% of the bank's total liabilities.

Derivative Exposures and potential collateral calls: Bank has very little exposure in derivative business which is not very significant.

Currency mismatch in the LCR: In terms of RBI guidelines, a significant currency is one where aggregate liabilities denominated in that currency amount to 5 per cent or more of the bank's total liabilities. In our case, USD is the only significant currency. Therefore, Bank also calculates LCR in USD currency.

Description of the degree of centralization of liquidity management and interaction between the group's units: The liquidity management of the Bank at enterprise level is a Board level function and a separate sub-committee of the Board (R.Com.) keeps close watch on that. The periodical monitoring of the liquidity management is being monitored by the ALCO on regular intervals. The entire liquidity management process of the Bank is being governed by ALM Policy of the Bank.

The liquidity management for domestic operations is the central function, being managed at Head Office level. The overseas liquidity management is being handled at each centre, jurisdiction wise to keep close monitoring and control and also to comply with the local regulatory requirements as well. International Division of the Bank keeps watch on the overseas liquidity position and the overall liquidity monitoring is done at Head Office level centrally.

Other inflows and outflows in the LCR calculation that are not captured in the LCR common template but which the institution considers to be relevant for its liquidity profile: No such items as per our notice.

9. Other Notes

a) Income Tax:

(i) Claims against the Bank not acknowledged as debt under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 631.93 (previous year ₹

लिए ऐसे विवादों पर विगत आकलनों के संदर्भ में विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। कथित विवादों को के विरुद्ध भुगतान/समायोजनों को अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।

(ii) लागू कर-विधियों के प्रावधानों और कतिपय विवादित मामलों में विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर उचित विचार किये जाने के बाद कर के प्रावधान का परिकलन किया गया है।

653.42) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

(ii) Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

बी) वर्ष 2018-19 के लिए रिवार्ड पॉइंट का मूवमेंट :

b) Movement of Reward Points for 2018-19:

क्र. सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Debit Card	डेबिट कार्ड पर रिवार्ड पॉईंट Reward points on Credit Card	कुल Total
1	प्रारंभिक शेष Opening Balance	2166169724	221864993	2388034717
		(1389590266)	(59043930)	(1448634196)
2	जोडें: ग्राहकों द्वारा वर्ष के दौरान अर्जित किए गए रिवार्ड पॉइन्ट्स Add: Reward points accrued during the Year by Customers	1654113828	205673032	1859786859
		(1328898249)	(211830022)	(1540728271)
3	घटाएं: रिवार्ड पॉईंट ग्राहकों द्वारा लाभ उठाया गया Less: Reward Points availed by customers	468787399	89274206	558061606
		(324187381)	(49008959)	(373196340)
4	घटाएं: रिवार्ड पॉइंट की समय सीमा समाप्त (वित्त 2018-19) Less: Reward Points Expired (FY 2018-19)	275955175	0	275955175
		(228131410)	(0)	(228131410)
5	अंतिम शेष Closing Balance	3075540977	338263818	3413804795
		(2166169724)	(221864993)	(2388034717)

सी) धोखाधडियों के संबंध में प्रकटन

c) Disclosure regarding frauds:

वित्तीय वर्ष Financial Year	धोखाधडी की संख्या Number of frauds	सम्मिलित राशि Amount involved	संभावित हानि Probable Loss	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधानों की मात्रा Quantum of Provision made during the year	अन्य आरक्षित से नामे की गयी असंशोधित प्रावधान की मात्रा Quantum of unamortized provision debited from other reserve
2018-19	211 (170)	4,172.17 (2,619.07)	3,135.97 (2,579.12)	3,230.09 (2,579.12)	0.00 (0.00)

डी) अखिल भारतीय मजदूर संघ तथा सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक एसोसिएशन के बीच ग्यारहवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो गया। 1 नवम्बर, 2017 से प्रभाव में आने वाले वेतन संशोधन समझौते के लंबित कार्यान्वयन के क्रम में, मजदूरी क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.600 (पिछले वर्ष रु 100) का एक अंतरिम जोड़ प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2019 को किया गया संशोधन रु.700 है।

d) The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October, 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2017, an ad-hoc sum of ₹ 600 (previous year ₹ 100) has been provided during financial year ended March 31, 2019 towards wage arrears. Cumulative provision held as on March 31, 2019 is ₹ 700.

ई) भारतीय लेखांकन मानकों को लागू करने की रणनीति एवं प्रगति

प्रारंभ में भारतीय लेखांकन मानकों का निर्माण 1 अप्रैल 2018 से बैंकों में लागू करने के लिए हुआ था, जिसे आरबीआई द्वारा बैककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में विचाराधीन वैधानिक संशोधन तथा बैंकों में तैयारी के स्तर के कारण विलंबित कर दिया गया था। आरबीआई ने उसके द्वारा प्रस्तावित वैधानिक संशोधनों के भारत सरकार के विचाराधीन होने के कारण

e) Strategy for Ind-AS implementation and its Progress

Ind AS was initially planned to be implemented in Banks from April 1, 2018, which was deferred by RBI by one year owing to the pending legislative amendments in Banking Regulation Act, 1949 and also the level of preparedness of Banks. RBI vide its Circular No. DBR.BP.BC. No.29/21.07.001/2018-19 dated March 22, 2019, has once

अपने परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के माध्यम से एक बार फिर भारतीय लेखांकन के कार्यान्वयन को अगली सूचना आने तक स्थगित कर दिया है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया में आने वाले समस्य के विषय में विचार करने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में नियमित अंतराल पर स्टीयरिंग समिति की बैठक होती है। स्टीयरिंग समिति द्वारा विचार/अनुमोदन किये जाने के पश्चात बैंकों द्वारा आरबीआई द्वारा अपेक्षित तिमाही प्रोफार्मा भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण जमा किया गया। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के समक्ष भारतीय लेखा मानकों को लागू करने संबंधित संपूर्ण प्रगति रिपोर्ट के साथ पीएफएस प्रस्तुत किया गया।

चूंकि वर्तमान रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की तुलना में भारतीय लेखांकन अधिक सिद्धांत आधारित है तथा इसके कार्यान्वयन में अधिक विचार एवं पूर्वानुमान की आवश्यकता है अत: बैंक लगातार इन विचारों/पूर्वानुमानों के संशोधन का प्रयास कर रहा है। बैंक भारतीय लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए सिस्टम आधारित डाटा के निष्कर्ष में होने वाले सुधार का मूल्यांकन भी कर रहा है।

भारतीय लेखांकन के क्रियान्वयन के लिए नये सिस्टम को प्राप्त करने तथा मौजूदा कोर बैंकिंग सिस्टम में सुधारात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। बैंक, भारतीय लेखा मानकों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए किये जाने वाले सिस्टम परिवर्तनों का मूल्यांकन कर रहा है।

एफ. 213 उधारकर्ता के संदर्भ में अन्तर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य में आई कमी तथा वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.4,817 के अतिरिक्त प्रावधानों का निर्माण किया है।

जी. यथा 31 मार्च 2019 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबन्ध में बैंक रु.6,150.88 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

एच. बैंक द्वारा निर्धारित दबावग्रस्त क्षेत्र के संदर्भ में आरबीआई परिपत्र डीबीआर. सं.पीबी.बीसी.64/21.04.048/2016-17 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक के दूर-संचार, वस्तु, लोहा एवं स्टील, व्यवसायिक अचल संपत्ति, अन्य धातु एवं धातु उत्पाद, मणि एवं आभूषण, सड़कें एवं पत्तन वाहन एवं वाहन पुर्जे, खनन एवं उत्खनन और बिजली उद्योग से संबंन्धित अग्रिमों के संबन्ध में विनियामक न्यनतम के अतिरिक्त 0.10% के मानक संपत्ति प्रावधान को अनुमोदित किया है। तद्नुसार 31 मार्च, 2019 को रु.59.76 का एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, विमानन क्षेत्र में एक दबावग्रस्त आस्ति के संबंध में रु.40 के एक अतिरिक्त प्रावधान किया है।

आई . इस अवधि के दौरान बेंक ने अपनी अचल सम्पतियों के सभी परिसर निर्माण भागों का पुर्नमूल्यांकन किया। उक्त पुर्नर्मूल्यांकन में सामने आए कुल अधिशेष रु.689.94 को आरक्षितियों एवं अधिशेष के अन्तर्गत 'पुनर्मुल्यांकन' आरक्षितियों में जमा कराया गया। वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार पुर्नमूल्यांकन आरक्षितियों की गणना सीईटी I पूँजी के अन्तर्गत की गई है।

जे. भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी. बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018, द्वारा बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋण को मानक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत करना जारी रखने की अनुमति प्रदान की है जहाँ 1 सितम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर 2018 के बीच बकाया का भुगतान योजना के अनुसार उनसे संबंधित मूल बकाया तारीख से 180 दिनों के बाद न किया गया है। तद्नुसार बैंक ने यथा दिनांक 31 मार्च, 2019 को रु.190.96 के अग्रिमों को ''मानक आस्तियों'' के रूप में रखा है। इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने रु.1.56 की ब्याज आय की पहचान नहीं की है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को रु.9.55 के मानक आस्ति प्रावधान का रखरखाव किया है।

again deferred implementation of Ind AS till further notice as the legislative amendments recommended by RBI are under consideration of the Government of India.

The meetings of Steering Committee, headed by Executive Director, are held at regular intervals to discuss the issues in implementation process. As required by RBI, Bank has submitted quarterly Proforma Ind AS Financial Statements (PFS) during FY 2018-19 after being discussed/approved by Steering Committee. The PFS have also been presented to Audit Committee of Board along-with the overall progress report regarding Ind AS implementation.

Since Ind AS is more principle-based compared to present reporting requirements and its implementation involves use of substantial amount of judgments and assumptions, bank is constantly endeavoring in refining such judgements / assumptions. Bank is also evaluating improvements in extracting system based data for Ind AS implementation.

Implementation of Ind AS may entail acquiring new systems and also modifications changes in existing core banking system. Bank is in the process of evaluating such system changes that may have to be made for smooth implementation of Ind AS.

f) During the financial year ended March 31, 2019, bank has made additional provision of ₹ 4,817 in view of uncertainty of recovery and deterioration in value of underlying assets in respect of 213 borrower.

g) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2), as on March 31, 2019, Bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 6,150.88.

h) In terms of RBI Circular DBR. No. BP BC. 64/ 21.04.048/ 2016-17 dated April 18, 2017 regarding stressed sectors identified by Bank, the Board of Directors of the Bank has approved standard assets provision of 0.10%, over & above the regulatory minimum, in respect of the Bank's advances pertaining to Telecommunication, Textile, Iron & Steel, Commercial Real Estate, Other Metal & Metal products, Gem & Jewellery, Roads & ports, Vehicle & Vehicle Parts, Mining & Quarrying and Power Industry. Accordingly, an additional provision of ₹ 59.76 has been held as at March 31, 2019. Further, in respect of one stressed performing asset in aviation sector Bank has made additional provision of ₹ 40.

i) During the period, bank has revalued all premises forming parts of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to ₹ 689.94 is credited to 'Revaluation Reserves', under 'Reserves & Surplus'. The Revaluation Reserve has been reckoned for CET I capital as per extant RBI guidelines.

j) RBI vide Circular no. DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated June 6, 2018 permitted banks to continue the exposure to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates as per the scheme. Accordingly, the Bank has retained advances of ₹ 190.96 as 'standard assets' as on March 31, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognised interest income of ₹ 1.56 and is maintaining a standard asset provision of ₹ 9.55 as on March 31, 2019 in respect of such borrowers.

के. 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंक ने केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों को बही मूल्य रु.5,923.20 तथा राज्य सरकार प्रतिभूतियों को बही मूल्य रु.4,446.83 के साथ एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानान्तरित किया है। और ऐसे स्थानांतरण पर मूल्यह्रास दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने रु.537.42 की स्थानांतरण हानि प्रभारित करने के पश्चात रु.8,835.95 की बही मूल्य की केन्द्र सरकार प्रतिभूतियों को एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्थानान्तरित किया है।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक ने रु.9.71 को मूल्यह्रास के लिए प्रदान करने के बाद रु.43.12 राशि की जोखिम पूंजी निधि पोर्टफोलियो को भी एचटीएम से एएफएस श्रेणी में स्थानान्तरित किया है।

एल. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान बैंक को 18 निवेशकों की शिकायतें मिली हैं जिनका निपटान किया गया है। वर्ष के शुरूआत या अंत में निवेशकों की कोई शिकायत लंबित नहीं है।

एम. आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति सं. 2018-2019/1807 दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अनुसार बैंक का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रुपरेखा से बाहर कर दिया गया है।

एन. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण को पुष्ट करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों को, जहाँ भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन: व्यवस्थित किया गया है।

k) For the year ended 31-03-2019, Bank has shifted Central Government securities with a book value of ₹ 5,923.20 and State Government securities with a book value of ₹ 4,446.83 from HTM to AFS category and has booked depreciation upon such transfer. Further, Bank has shifted, Central Government securities with a book value of ₹ 8,835.95 from AFS to HTM category after charging shifting loss of ₹ 537.42.

For the year ended 31-03-2019, Bank has also shifted portfolio of Venture Capital Fund for an amount of ₹ 43.12 from HTM to AFS category after providing for depreciation of ₹ 9.71.

l) The Bank has received 18 Investor complaints during the financial year ended March 31, 2019 which has been disposed-off. There are no pending investor complaints at the beginning or end of the year.

m) In terms of RBI Press release no.2018-2019/1807 dated January 31, 2019, Bank has been taken out of 'Prompt Corrective Action (PCA)' framework.

n) Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary, to confirm to current year classification.

.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

प्रति,
भारत के राष्ट्रपति / बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('बैंक') की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी की लेखा-परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2019 को तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा सम्बन्धित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियों (नोट्स) शामिल हैं। इसके अंतर्गत उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित 20 शाखाओं तथा कोषागार शाखा तथा सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 2783 घरेलू शाखाओं तथा स्थानीय लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 24 विदेशी शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। बैंक ने हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रि. जर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी में उन 2288 शाखाओं की विवरणी भी शामिल है जिन्हें लेखा-परीक्षित नहीं किया गया है। इन अलेखा-परीक्षित शाखाओं से 5.93% अग्रिम,19.11% जमाराशियाँ,4.73% ब्याज आय तथा 17.59% ब्याज व्यय सम्बन्धित है।

2. हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियां, बैंकिंग विनियिम अधि नियम,1949(''अधिनियम'') के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुसार जानकारी देती हैं तथा यह अपेक्षित तरीके से भी हैं एवं ये 31 मार्च, 2019 को बैंक की स्थिति तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी हानि तथा नकद प्रवाह की सही तथा संतुलित तस्वीर प्रस्तुत करती हैं एवं ये भारत में समान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार हैं।

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी ''लेखा-परीक्षा पर मानक''(एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारीको विस्तारपूर्वक, हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम'के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणी के संबंध में जो लेखा-परीक्षित साक्ष्य हमने प्राप्त किये हैं, वे हमारे मत का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं समुचित हैं।

जिस मामले पर ध्यान दिया जाना है :

4. बिना किसी शर्त के, हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:

 1. एनपीए खातों के विषय में वसूली के विनियोजन के संबंध में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में अनुसूची स. 18 का नोट संख्या 6(1)(ii)

 2. एनपीए खातों के विषय में किये गये प्रावधान के संबंध में अनुसूची संख्या 18 के नोट 9(एफ) तथा 9(जी)।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Standalone Finacial Statements

To
The President of India / The Members of the Bank of India

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to standalone financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and Treasury Branch audited by us and 2783 domestic branches audited by statutory branch auditors and 24 foreign branches audited by local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 2288 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 5.93% of advances, 19.11% of deposits, 4.73% of interest income and 17.59% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019, and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the standalone financial statements under provision of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the standalone financial statements.

Emphasis of Matter:

4. Without qualifying our opinion, we draw attention to:

 a. Note. 6.(1)(ii) of Schedule No.18 regarding change in accounting policies in appropriation of recovery in NPA accounts.

 b. Note.9.(f) and 9(g) of Schedule No.18 regarding provision made in NPA accounts

महत्वपूर्ण लेखांकन मामले

5. वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणी की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले', वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। समग्र रूप से वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।	आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। हमने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है।
अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर खातों के लिए वर्गीकरण तथा प्रावधान निर्धारित करना है। आय निर्धारण,आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।	**अग्रिम :** - हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। - अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण,वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। - नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों केअनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। - हमें आबंटित शाखाओं की लेखा-परीक्षण के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। - आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। - वित्तीय विवरणियों के समेकन के दौरान सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों के द्वारा अनुशंसित एमओसी का सत्यापन तथा वैधीकरण।

Key Audit Matters

5. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matter	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matter
1.Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/ Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the bank. We have carried out following procedures for verification of compliance with the RBI guidelines.
Advances: Bank has to classify the accounts under performing advances and non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India is for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances are system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank.	**Advances:** -We have communicated to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the bank and we have relied on the audit reports given by the branch statutory auditors. - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. -On sample basis tested whether the classification of advances under performing and non performing and provisioning is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. -During audit of branches allotted to us we have carried out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verified the security aspect by checking the valuation reports. -Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. -Verification and implementations of MOC's suggested by statutory branch auditors and statutory central auditors during consolidation of financial statements.

निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन(वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण यह प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंककी कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 54.54% तथा 23.61% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	**निवेश :** निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी को समझना। - नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। - नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। - आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।	**Investments:** Bank has to classify the investments under performing and non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA / FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Advances and Investments constitutes 54.54% and 23.61% respectively of total assets of the bank. As advances and investments form part of a major portion of the business of the bank and the regulatory compliances involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	**Investments:** Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. -On sample basis tested whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. -On sample basis also verified whether proper provision for depreciation in the value of investments and ensured that provision for depreciation is done as per RBI guidelines. - Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2. अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन। टैक्स मुकदमों सहित बैंक के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को 31 मार्च, 2019 को 12वीं अनुसूची तथा वित्तीय विवरण से संबंधित नोट्स के नोट सं.9(क)(i) में बताया गया है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, सेवा कर अधिनियम/माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली की की इनपुट क्रेडिट/प्रयोज्यता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन परिणामों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमने कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति की जांच की है। हमने नवीनतम आदेशों तथा कर निर्धारण के विवरण प्राप्त किए हैं। हमने देयताओं के निर्धारणहेतु कर तथा अन्य मुकदमों के संबंध में प्राप्त नई जानकारी एकत्र की है। आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।	2.Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities Claims against the bank not acknowledged as debt including tax litigations as on March 31, 2019 is disclosed in Schedule 12 and Note No.9(a)(i) of Notes to Accounts to financial statements. Under Indirect Taxes, there are ongoing disputes regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Service Tax Act/Goods and Service Tax Act. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	We went through the current status of the tax litigations and contingent liabilities. We obtained the details of latest orders and tax assessments. We gathered recent information received on the tax and other litigations for assessing the liabilities. Wherever required reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.
3. सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का मूल्यांकन : संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है।	- सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। - विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। - सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना।	3.Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc	-Understanding and testing of operative effectiveness of the system. -Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers -Understanding and testing of different validations available in the system

हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना हैं क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता,त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	- बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। - डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच। - जनरेट हुई रिपोर्टों की सामान्य आधार पर समीक्षा - बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।
4. लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में अपनी लेखा नीति में बदलाव किए हैं। वित्तीय विवरण के संबंध में नोट के नोट सं.6.1(ii) का संदर्भ लें। हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा का विषय माना हैं क्योंकि सिस्टम में लेखा नीति में परिवर्तन के कार्यान्वित न होने पर बैंक के वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।	- हमने इस प्रणाली में हुए बदलावों के कार्यान्वयन की जांच के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों को लेखा नीति में हुए परिवर्तनों की सूचना दी है। - सामान्य आधार पर, हमने उन शाखाओं के बड़े अग्रिमों की जांच की है, जिनकी हमने लेखा परीक्षा की हुई थी तथा यह जांच की है कि लेखा नीतिमें हुए परिवर्तनों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। - टेस्ट चेक आधार पर हमने लेखा नीति में हुए बदलावों के समग्र प्रभावों की भी पुष्टि की। - सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां भी लेखा नीति में परिवर्तन के कार्यान्वयन में कमी पायी गई है, उसकी सूचना प्रबंधन को दी गई है।
5. आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण 31 मार्च, 2019 को बैंक ने रु.11885.61 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की वसूली की जा सकती है। भावी समयावधि में पूर्वानुमानित लाभ पर आधारित अवधि में आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण की एक बड़ी धनराशि के कारण इस प्रकार की आस्तियों मेंअनिश्चितता तथा जोखिम बढ़ता है। अत: हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना हैं।	- हमने पुष्टि की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा आयकर के लिए जारी लेखाकंन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। - आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं तथा अन्य मानदंडों का मूल्यांकन।

वित्तीय विवरणों तथा उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अलावा जानकारी

6. अन्य जानकारी के लिए बैंक के निदेशक मंडल उत्तरदायी हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट तथा चेयरमेन के विवरण शामिल है, परन्तु इसमें वित्तीय विवरण तथा उसके संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	-Checked the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the bank -Testing of logic used for extracting the data. -On sample basis reviewed the reports generated. -Reliance is placed on system audit report of the bank.
4.Impact of Change in Accounting Policy During the year bank has changed its accounting policy in respect of appropriation of recovery in NPA accounts. Refer Note No.6.1(ii)of Notes to Accounts to financial statements. We have considered this as Key Audit Matter as non-implementation of the change in accounting policy in the system may have significant impact on the financial statements of the bank.	-We have communicated the change in accounting policy to the statutory branch auditors to verify the implementation of the change in the system. -On sample basis we have verified the large advances of the branches audited by us and checked whether the change in accounting policy has been implemented. -On test check basis we have also verified the overall impact of change in accounting policy. -We have suggested the management to strengthen the system wherever we have observed deficiencies in the implementation of the change in accounting policy.
5.Recognition of Deferred Tax Asset: As on March 31, 2019 the Bank has recognised a net deferred tax asset of Rs 11885.61 crore. Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Due to the huge amount of deferred tax assets recognised over a period based on the profit forecasted over future period of time increases the uncertainty and risk of recognition of such asset. Hence we have considered this as a Key Audit Matter.	-We have verified that recognition criteria for Deferred Tax Asset as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India have been complied with. -Assessed the assumptions and other parameters used by the bank management for recognition of the deferred tax asset.

Information Other than the financial statements and Auditors Report thereon

6. The Bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं किया जाता है तथा हम इस संबंध में किसी भी प्रकार का सुनिश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के संबंध में, हमारी अन्य जानकारी को समझने की जिम्मेदारी है, तथा ऐसा करने में, यह विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न है अथवा लेखा परीक्षा या अन्य प्रकार से प्राप्त की गई हमारी जानकारी का विवरण महत्वपूर्ण रूप से गलत प्रतीत हो रहा है।

अन्य जानकारी को समझते समय यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण गलत जानकारी है तो हमें इस मामले की सूचना उन्हें देनी होती है जो गवर्नेंस युक्त हैं तथा लागू विधि एवं विनियमों के अंतर्गत कार्रवाई का निर्धारण करना होता है।

प्रबंधन तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में गवर्नेंस युक्त है, उनके उत्तरदायित्व

7. बैंक का निदेशक मंडल इन स्वतंत्र वित्तीय विवरणों जो, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा इंस्टीट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक का वित्तीय प्रदर्शन तथा नकदी प्रवाह तथा वित्तीय स्थिति की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधडियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग, विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेख बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के समनुरूप उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखना शामिल है।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागू हो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्ट की प्रक्रिया के पर्यवेक्षण हेतु भी उत्तरदायी है।

8. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and determine the actions under the applicable laws and regulations

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors are responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by The Institute of Chartered Accountants of India, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the standalone financial statements, the Board of Directors are responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of

गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समेकित रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावितकर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते है।

- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक की संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो,यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।

- प्रकटन सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंर्तनिहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य विषयों में लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को गवर्नेंस प्रभारी सूचित करते हैं।

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and

हम गवर्नेंस प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन किया है

गवर्नेंस प्रभारी को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं कि बहुत ही कम परिस्थितियों में, को हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आमजन के हित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

9. हमने बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 2807 शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की, जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2019 को रु.217896.27 करोड़ के कुल अग्रिम तथा उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में रु.18488.73 करोड़ की ब्याज से प्राप्त कुल आय को दर्शाते हैं, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में व्यक्त किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, तथा हमारी राय, जो शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, केवल शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

10. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

11. उपरोक्त पैरा 7 से 9 में दी गई सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमने हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, प्राप्त किया है तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं;

2. हमारी जानकारी में आए हुए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं; और

3. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

9. We did not audit the financial statements / information of 2807 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs.217896.27 Crore as at March 31, 2019 and total interest income of Rs.18488.73 Crore for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches has been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion inso far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

10. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

11. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 7 to 9 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

12. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ उचित रूप से बैंक द्वारा रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता हैं उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त है;

2. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं से प्राप्त बही खाते और विवरणियों से मेल खाते हैं;

3. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है; और

4. हमारी राय में, तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

12. We further report that:

a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

d) In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by Reserve Bank of India.

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940

कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस
For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner
सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)

एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner
सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

बैंक ऑफ़ इंडिया

समेकित वित्तीय विवरण

यथा 31 मार्च, 2019

BANK OF INDIA

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

As at 31st March, 2019

समेकित तुलन-पत्र यथा 31 मार्च, 2019
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2019

(000 छोडे गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule No.	यथा As at 31-03-2019 ₹	यथा As at 31-03-2018 ₹
I. पूँजी एवं देयताएं	I. CAPITAL AND LIABILITIES			
पूँजी	Capital	1	27,600,285	17,437,175
आरक्षिती एवं अधिशेष	Reserves & Surplus	2	402,539,191	350,127,640
आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन रकम	Share Application Money pending allotment		46,380,000	0
अल्पसंख्यक हित	Minorities Interest	2A	1,621,544	1,591,471
जमाराशियां	Deposits	3	5,225,549,623	5,229,969,037
उधार	Borrowings	4	442,651,923	435,982,553
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	Other liabilities and provisions	5	162,496,529	116,735,522
कुल	**TOTAL**		6,308,839,095	6,151,843,398
II. आस्तियां	II. ASSETS			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद एवं शेष	Cash and balances with Reserve Bank of India	6	293,220,915	315,751,890
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	Balances with Banks and money at call and short notice	7	655,379,035	644,490,435
निवेश	Investments	8	1,509,050,173	1,403,210,710
अग्रिम	Advances	9	3,429,663,402	3,432,889,205
अचल आस्तियां	Fixed Assets	10	89,990,777	83,498,563
अन्य आस्तियां	Other Assets	11	331,534,793	272,002,595
कुल	**TOTAL**		6,308,839,095	6,151,843,398
आकस्मिक देयताएं	Contingent Liabilities	12	3,113,172,967	3,427,636,769
वसूली के लिए बिल	Bills for collection		285,047,547	321,051,500
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	Significant Accounting Policies	17		
लेखों पर टिप्पणियां	Notes to Accounts	18		

ऊपर बताई गई अनुसूचियां तूलन-पत्र का अभिन्न अंग है
The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.
तुलन-पत्र, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'ए' के अनुसार तैयार किया गया है।
The Balance Sheet has been prepared in conformity with Form 'A' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएटस	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि खाता
CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(000 छोड़े गए है) / (000's Omitted)

	विवरण	Particulars	अनुसूची Schedule	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019 ₹	को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2018 ₹
I.	आय	INCOME			
	अर्जित आय	Interest earned	13	410,048,191	383,127,982
	अन्य आय	Other income	14	52,640,298	58,458,900
	कुल	TOTAL		462,688,489	441,586,882
II.	व्यय	EXPENDITURE			
	व्यय किया गया ब्याज	Interest expended	15	272,071,159	276,788,305
	परिचालगत व्यय	Operating expenses	16	108,670,426	92,651,886
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	Provisions & Contingencies	18[8(b)]	136,921,107	132,875,461
	कुल	TOTAL		517,662,692	502,315,652
	सहयोगि कंपनियों में अर्जन/(हानि) का हिस्सा	Share of earnings/(loss) in Associates	16A	713,310	911,615
	अल्पसंख्यकों के हित की कटौती के पूर्व वर्ष के लिए समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year before deducting Minorities' interest		(54,260,893)	(59,817,155)
	घटाएं: अल्पसंख्यकों का हित	Less: Minorities' Interest		4,770	(204,040)
	वर्ष के लिए समूह के संबंधित समेकित निवल लाभ/(हानि)	Consolidated Net Profit/(Loss) for the year attributable to the group		(54,265,663)	(59,613,115)
	जोडें: समूह के लिए आगे लाया गया समेकित लाभ/(हानि)	Add: Brought forward consolidated profit/(loss) attributable to the group		(149,144,493)	(85,852,891)
	कुल	TOTAL		(203,410,156)	(145,466,006)
III.	विनियोग	APPROPRIATIONS			
	सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण	Transfer to Statutory Reserve		0	60,887
	निवेश घट-बढ़ आरक्षितियों को अंतरण	Transfer from Investment Fluctuation Reserve		0	0
	राजस्व आरक्षिति को / (से) अंतरण	Transfer to/ (from) Revenue Reserve		0	0
	पूँजी आरक्षिति को अंतरण	Transfer to Capital Reserve		735,300	3,617,600
	विशेष आरक्षिति (से)/को अंतरण - करेंसी स्वैप	Transfer (from) / to Special Reserve - Currency Swap		0	0
	अंतरिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Interim Dividend (including dividend tax)		0	0
	अंतिम लाभांश (लाभांश कर सहित)	Final Dividend (including dividend tax)		0	0
	लाभांश कर - अनुषंगियों के लिए	Dividend Tax - for Subsidiary		0	0
	आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	Special Reserve u/s Sec 36(1) (viii) of Income Tax Act, 1961		0	0
	समेकित तुलन-पत्र में आगे लाया गया शेष	Balance carried over to consolidated Balance Sheet		(204,145,456)	(149,144,493)
	कुल	TOTAL		(203,410,156)	(145,466,006)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नितियां	Significant accounting policies	17		
	लेखे पर नोट	Notes to Accounts	18		
	प्रति शेयर अर्जन (₹)	Earnings Per Share (₹)		(29.14)	(51.83)

ऊपर बताई गई अनुसूचियां लाभ-हानि खाते का अभिन्न अंग हैं।

The schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account.

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म 'बी' के अनुसार लाभ-हानि खाता तैयार किया गया है।

The Profit and Loss Account has been prepared in conformity with Form 'B' of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएट्स	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai

दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह का विवरण
Statement of Consolidated Cash Flow for the year ended 31st March, 2019

(000 छोड़े गए हैं) / (000's Omitted)

विवरण		Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2019 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2018 ₹
क.	**परिचालनगत गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	**A. Cash Flow from Operating Activities:**		
	कर के पहले निवल लाभ	**Net Profit before taxes**	**(85,875,642)**	**(85,483,085)**
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
	निवेशों पर परिशोधन/ मूल्यह्रास	Amortisation / Depreciation on Investments	13,919,098	18,428,209
	अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on Fixed Assets	3,728,417	5,216,765
	आस्तियों की बिक्री पर लाभ	Profit on sale of Assets	(4,303,827)	(528,326)
	एनपीए के लिए प्रावधान	Provision for NPA	158,151,411	151,971,856
	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Standard Assets	1,267,918	(6,711,789)
	अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	Provision for Other Assets	(1,545,141)	(1,201,026)
	गौण बॉन्ड्स/आईपीडीआई, अपर टियर II, बॉन्ड्स पर ब्याज के लिए भुगतान/प्रावधान	Interest on Subordinated Bonds, IPDI. Upper Tier II Bonds	10,151,050	10,433,533
	प्राप्त लाभांश	Dividend received	(114,861)	(74,829)
	निम्नलिखित के लिए समायोजन:	**Adjustments for:**		
	जमाराशियों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Deposits	(4,419,414)	(193,552,110)
	उधार में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease) in Borrowings	70,669,370	48,136,972
	अन्य देयताओं और प्रावधानों में बढ़/(घट)	Increase / (Decrease)in Other Liabilities and Provisions	48,623,831	(38,779,474)
	निवेश में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Investments	(119,045,252)	(113,214,675)
	अग्रिमों में (बढ़)/घट	(Increase)/ Decrease in Advances	(154,925,607)	98,426,587
	अन्य आस्तियों में (बढ़)/घट	(Increase) / Decrease in Other Assets	5,451,447	48,662,777
	प्रत्यक्ष कर (भुगतान)/वापसी	Direct Taxes (Paid)/Refund	(33,913,819)	(15,391,360)
	परिचालनगत गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (अ)	**Net Cash Flow from Operating Activities (A)**	**(92,181,021)**	**(73,659,975)**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**	**B. Cash Flow from Investing Activities :**		
	अचल सम्पत्ति की खरीद	Purchase of Fixed Assets	(2,978,162)	(3,435,390)
	अचल सम्पत्ति की बिक्री	Sale of Fixed Assets	4,257,222	891,594
	प्राप्त लाभांश	Dividend received	114,861	74,829
	सहायक कंपनियो के समेकन का प्रभाव	Impact of consolidation of subsidiaries	(713,310)	(911,615)
	अल्पसंख्यक हित	Minority Interest	30,073	781,662
	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ख)	**Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**710,684**	**(2,598,920)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:**	**C. Cash Flow from Financing Activities:**		
	शेयर पूंजी	Share Capital	10,163,111	6,882,833
	शेयर प्रीमियम	Share Premium	97,435,901	105,343,211
	शेयर आवेदन रकम	Share Application Money	46,380,000	(17,219,175)
	आईपीडीआई, गौण बॉन्ड, अपर टियर II बॉन्ड (निवल)	IPDI, Subordinated Bonds & Upper Tier II Bonds (Net)	(64,000,000)	(7,068,588)
	लाभांश प्रदत्त	Dividend paid	0	0
	आईपीडीआई, गौण बॉन्ड, अपर टियर II बॉन्ड पर ब्याज भुगतान	Interest Paid on IPDI, Subordinated Bonds, Upper Tier II Bonds	(10,151,050)	(16,084,150)
	वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (ग)	**Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**79,827,962**	**71,854,131**
	नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि (ए)+(बी)+(सी)	**Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)**	**(11,642,375)**	**(4,404,764)**
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the beginning of the year**	**960,242,325**	**964,647,089**
	वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**948,599,950**	**960,242,325**

विवरण	Particulars	वर्षान्त/ Year ended 31-03-2019 ₹	वर्षान्त Year ended 31-03-2018 ₹
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्यों का समाधान	**Reconciliation of Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं शेष (अनुसूची 6)	Cash and balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	293,220,915	315,751,890
बैंकों में शेष एवं मांग पर और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि (अनुसूची 7)	Balances with Banks and money at call and short notice (Schedule 7)	655,379,035	644,490,435
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य	**Cash and Cash Equivalents as at the end of the year**	**948,599,950**	**960,242,325**

नकदी एवं नकदी समतुल्य के अनुसार नक़द प्रवाह विवरण में आरबीआई और अन्य बैंक(जमाराशियों सहित) के चालू खातों में शेष,एटीएम में एवं हाथ में नक़दी और मांग पर एवं अल्प सूचना पर जिसको आसानी से नक़द में बदला जा सकता है , को शामिल किया जाता है।

Cash and cash equivalent as per cash flow statement comprises of cash in hand, in ATM, balances in current account with RBI and other Banks (including deposits) and money at call and short notice which can be readily convertible into cash.

जी. पद्मनाभन	दीनबंधु मोहापात्रा	एन. दामोदरन	ए. के. दास	सी.जी. चैतन्य	के.वी. राघवेन्द्र
G. Padmanabhan	**Dinabandhu Mohapatra**	**N. Damodharan**	**A.K. Das**	**C.G. Chaitanya**	**K.V. Raghavendra**
अध्यक्ष	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी
Chairman	Managing Director & CEO	Executive Director	Executive Director	Executive Director	Chief Financial Officer

निदेशकगण DIRECTORS

दक्षिता दास	एस.सी. मुर्मू	वेनी थापर	डी सरकार	डी हरीश
Dakshita Das	S C Murmu	Veni Thapar	D Sarkar	D Harish

सम तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार In terms of our report of even date attached

कृते एनबीएस एण्ड कं.	कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएट्स	कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For NBS & Co.	For Banshi Jain & Associates	For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants	सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)	(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)	(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)
प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty	पराग जैन Parag Jain	एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner	भागीदार Partner	भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940	सदस्यता सं 078548 M. No. 078548	सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 1 : पूँजी	SCHEDULE- 1 : CAPITAL		
प्राधिकृत	**AUTHORISED**		
300,00,00,000 (पिछले वर्ष 300,00,00,000) ₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	300,00,00,000 (Previous year 300,00,00,000) Equity Shares of ₹ 10 each	**30,000,000**	**30,000,000**
जारी एवं अभिदत्त	**ISSUED AND SUBSCRIBED**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 276,04,66,522 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 174,41,55,469)	Equity Shares 276,04,66,522 (Previous year 174,41,55,469) of ₹10 each	27,604,665	17,441,555
कुल	**TOTAL**	**27,604,665**	**17,441,555**
प्रदत्त पूँजी	**PAID-UP CAPITAL**		
पूर्णत: प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 के 275,92,89,422 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 174,29,78,369)	275,92,89,422 Equity Shares (Previous year ended 174,29,78,369) of ₹10 each fully paid-up	27,592,894	17,429,784
जोडें : जब्त शेयरों की राशि	Add: Amount of shares forfeited	7,391	7,391
कुल	**TOTAL***	**27,600,285**	**17,437,175**
* उपर्युक्त में से 240,20,56,938 के पूर्णत: प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष की समाप्ति पर 144,82,98,073) प्रत्येक ₹10 के ₹2402.06 करोड़ (पिछले वर्ष की समाप्ति पर ₹ 1448.30 करोड़) केन्द्र सरकार द्वारा धारित हैं।	* Of the above, 240,20,56,938 Equity Shares (Previous year 144,82,98,073) of ₹10 each fully paid up amounting to ₹ 2402.06 crores (Previous year ₹1448.30 crores) is held by Central Government		
अनुसूची - 2 : आरक्षितियां और अधिशेष	SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS		
I. कानूनी आरक्षितियां :	**I. Statutory Reserve :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	71,077,120	71,019,233
वर्ष के दौरान परिवर्धन	Additions / Adjustments during the year	(31,864)	57,887
कुल (I)	**TOTAL (I)**	**71,045,256**	**71,077,120**
II. पूँजी आरक्षितियां :	**II. Capital Reserves :**		
ए) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति :	A) Revaluation Reserve:		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	56,047,354	57,437,804
जोड: परिसर के पुनर्मूल्यांकन पर वर्ष के दौरान जोड़े गए	Add : Additions during the year on revaluation of premises	9,015,306	23,680
घटाएं : संपत्ति का पुनर्मुल्यांकन	Less: Adjustments during the year	(57,744)	(146,734)
घटाएं : पुनर्मूल्यांकन की वजह से मूल्यह्रास/समायोजन	Less: Depreciation / adjustments on account of revaluation	1,877,186	1,560,864
(ए) का कुल	**Total of (A)**	**63,243,218**	**56,047,354**
बी) अन्य	B) Others:		
i) पूंजी मोचन आरक्षिति	i) Capital Redemption Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	5,000	5,000
जोड़ें/घटाएं: परिवर्धन/कटौतियां	Add /Less: Additions/deductions	0	0
(i) का उप-जोड	Sub-total of (i)	**5,000**	**5,000**
ii) "परिपक्वता तक धारित'' निवेशों को बिक्री पर लाभ	ii) Profit on sale of Investments - "Held to Maturity"		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	22,400,237	18,782,638
जोडें : वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	735,300	3,617,599
(ii) का उप-जोड	Sub-total of (ii)	**23,135,537**	**22,400,237**
iii) समेकन पर पूजी आरक्षिति	iii) Capital Reserve on Consolidation		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	268,264	268,264
जोडें : वर्ष के दौरान समायोजन	Add: Adjustment during the year	0	0
(iii) का उप-जोड	Sub-total of (iii)	**268,264**	**268,264**
iv) विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति	iv) Foreign Currency Translation Reserve		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	17,365,515	14,002,486
जोडें/ (घटाएं) :वर्ष के दौरान समायोजन (निवल)	Add/ (Less) : Adjustments during the year (Net)	1,703,655	3,363,029
(iv) का उप-जोड	Sub-total of (iv)	**19,069,170**	**17,365,515**
जोड (बी)	**Total of (B)**	**42,477,971**	**40,039,016**
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**105,721,189**	**96,086,370**
III. शेयर प्रीमियम :	**III. Share Premium :**		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	220,605,677	115,262,466
वर्ष के दौरान परिवर्धन (इक्विटी का अधिमानी निर्गम)	Additions during the year (Preferential Issue of Equity)	97,435,901	105,343,211
जोड़े:विलोपित जब्त शेयरों पर	Add: On forfeited shares annulled	0	0
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**318,041,578**	**220,605,677**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 2 : अरक्षितियां एवं अधिशेष (जारी)	**SCHEDULE - 2 : RESERVES & SURPLUS (contd.)**		
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां :	**IV. Revenue and Other Reserves :**		
i) राजस्व आरक्षिति:	i) Revenue Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	89,802,968	95,894,085
जोडें: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	1,647,377	2,209,928
जोडें/ (घटाएं): समायोजन	Add / (Less): Adjustments	(78,295)	2,650,428
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां	Less: Deductions during the year	1,195,426	5,650,617
(i) का उप जोड़	Sub-total of (i)	**90,176,624**	**89,802,968**
ii) निवेश आरक्षितियाँ :	ii) Investment Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	0	0
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
(ii) का उप- जोड़	Sub-total of (ii)	**0**	**0**
iii) निवेश अस्थिर आरक्षित :	iii) Investment Fluctuation Reserve :		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	0	0
जोडें: :लाभ और हानि विनियोजन से अंतरण	Add: Transfer from Profit & Loss Appropriations	0	0
घटाएँ:लाभ और हानि विनियोजन को अंतरण	Less:Transfer to Profit & Loss Appropriations	0	0
(iii) का उप-जोड़	Sub-total of (iii)	**0**	**0**
iv) आयकर अधिनियम,1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षिति	iv) Special Reserve u/s Sec 36(1)(viii) of Income Tax Act, 1961		
प्रारंभिक शेष	Opening Balance	21,700,000	21,700,000
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन	Add: Additions during the year	0	0
(iv) का कुल-जोड़	Sub-total of (iv)	**21,700,000**	**21,700,000**
जोड (IV)	**TOTAL (IV)**	**111,876,624**	**111,502,968**
V. समेकित लाभ-हानि खाते में शेष	**V. Balance in Consolidated Profit and Loss Account**	**(204,145,456)**	**(149,144,495)**
जोड (I से V)	**TOTAL (I TO V)**	**402,539,191**	**350,127,640**
अनुसूची - 2ए : अल्पसंख्यक हित	**SCHEDULE - 2A : MINORITIES INTEREST**		
उस तारीख को अल्पसंख्यक हित जब मूल कंपनी - सहायक कंपनी संबंध अस्तित्त्व में आए	Minority interest at the date on which the parent-subsidiary relationship came into existence	471,356	471,356
परवर्ती वृद्धि/(कमी)	Subsequent increase / (decrease)	1,150,188	1,120,115
तुलन-पत्र की तारीख को अल्पसंख्यक हित	Minority interest on the date of Balance sheet	**1,621,544**	**1,591,471**
अनुसूची - 3 : जमाराशियां	**SCHEDULE - 3 : DEPOSITS**		
ए. I. मांग जमाराशियां :	**A. I. Demand Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	5,590,995	6,486,096
ii) अन्य से	ii) From Others	271,308,483	289,030,059
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**276,899,478**	**295,516,155**
II. बचत बैंक जमाराशियां	**II. Savings Bank Deposits**	**1,596,142,039**	**1,482,756,278**
III. मीयादी जमाराशियां :	**III. Term Deposits :**		
i) बैंकों से	i) From Banks	515,514,081	457,872,520
ii) अन्य से	ii) From Others	2,836,994,025	2,993,824,084
जोड (III)	**TOTAL (III)**	**3,352,508,106**	**3,451,696,604**
जोड ए (I to III)	**TOTAL A (I to III)**	**5,225,549,623**	**5,229,969,037**
बी. i) भारत में शाखाओं की जमाराशियां	B) i) Deposits of branches in India	4,217,280,493	4,211,636,585
ii) भारत के बाहर की शाखाओं की जमाराशियां	ii) Deposits of branches outside India	1,008,269,130	1,018,332,452
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**5,225,549,623**	**5,229,969,037**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 4 : उधार	SCHEDULE - 4 : BORROWINGS		
I. भारत में उधार:	**I. Borrowings in India:**		
i) भारतीय रिज़र्व बैंक	i. Reserve Bank of India	111,000,000	133,580,000
ii) अन्य बैंक	ii. Other Banks		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	1,800,000	5,428,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	50,000	50,000
ग. अन्य	c. Others	16,855,947	0
जोड (ii)	**Total (ii)**	**18,705,947**	**5,478,000**
iii) **अन्य संस्थाएं और एजेन्सियां**	III) **Other Institutions and Agencies**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	4,450,000	59,822,000
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	99,950,000	104,950,000
ग. अन्य	c. Others	117,518,703	6,515,053
जोड (iii)	**Total (iii)**	**221,918,703**	**171,287,053**
जोड (I)	**Total (I)**	**351,624,650**	**310,345,053**
II. भारत के बाहर से उधार	**II. Borrowings outside India**		
क. टियर I पूँजी (आई.पी.डी.आई)	a. Tier I Capital (I.P.D.I.)	0	0
ख. टियर II पूँजी	b. Tier II Capital	0	0
ग. अन्य	c. Others	91,027,273	125,637,500
जोड (II)	**Total (II)**	**91,027,273**	**125,637,500**
जोड (I एवं II)	**Total (I & II)**	**442,651,923**	**435,982,553**
ऊपर सम्मिलित प्रतिभूति उधार	Secured borrowings included in above	0	**0**
अनुसूची - 5 : अन्य देयताएं एवं प्रावधान	SCHEDULE - 5 : OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I. देय बिल	I. Bills Payable	12,824,005	13,796,839
II. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	II. Inter-office adjustments (net)	0	0
III. उपार्जित ब्याज	III. Interest Accrued	20,349,043	21,656,386
VI. आस्थगित कर देयता	IV. Deferred Tax liability	28,819	1,837
VII. अन्य	V. Others	129,294,662	81,280,460
जोड	**TOTAL**	**162,496,529**	**116,735,522**
अनुसूची - 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष	SCHEDULE - 6 : CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. हाथ में नकदी (विदेशी करेंसी नोट एवं सोने सहित)	I. **Cash in hand** (including foreign currency notes & Gold)	24,773,790	25,939,533
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष:	II. **Balances with Reserve Bank of India : ***		
i) चालू खातों में	i) In Current Account	268,447,125	289,638,803
ii) अन्य खातों में	ii) In Other Accounts	0	173,554
जोड (II)	TOTAL (II)	**268,447,125**	**289,812,357**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**293,220,915**	**315,751,890**
*** भारत के बाहर केन्द्रीय बैंकों में शेष सहित**	* Including balances with Central Banks outside India		
अनुसूची - 7 : बैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE		
I. भारत में :	**I. In India :**		
i) बैंकों में शेष	i) Balances with Banks		
क) चालू खातों में	a) in Current Accounts	1,546,052	1,472,942
ख) अन्य जमाराशि खातों में	b) in Other Deposit Accounts	83,331,803	55,053,384
ii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	ii) Money at call and short notice		
क) बैंकों में	a) With Banks	0	0
ख) अन्य संस्थाओं में	b) With Other Institutions	0	60,000,000
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**84,877,855**	**116,526,326**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 7 : वैंकों में शेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर धनराशि	**SCHEDULE - 7 : BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE**		
II. भारत के बाहर :	**II. Outside India :**		
i) चालू खातों में	i) In Current Accounts	2,292,974	3,000,802
ii) अन्य जमाराशि खातों में	ii) In Other Deposit Accounts	368,187,033	303,024,104
iii) मांग पर एवं अल्प सूचना पर धनराशि	iii) Money at call and short notice	200,021,173	221,939,203
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**570,501,180**	**527,964,109**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**655,379,035**	**644,490,435**
अनुसूची - 8 : निवेश	**SCHEDULE - 8 : INVESTMENTS**		
I. भारत में निवेश:	**I. Investments in India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति	i) Government Securities	1,294,027,734	1,192,639,845
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	ii) Other approved Securities	3,361,449	977,558
iii) शेयर	iii) Shares	13,523,061	19,714,736
iv) डिबेंचर एवं बंधपत्र	iv) Debentures and Bonds	81,815,622	82,506,265
v) सहायक कंपनियों में निवेश	v) Investment in Associates	15,055,110	14,493,542
vi) अन्य	vi) Others	36,521,644	32,028,922
जोड (I)	**TOTAL (I)**	**1,444,304,620**	**1,342,360,868**
II. भारत के बाहर निवेश:	**II. Investments outside India :**		
i) सरकारी प्रतिभूति (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	i) Government Securities (including local authorities)	36,242,902	31,432,691
ii) डिबेंचर एवं बंधपत्र	ii) Debentures & Bonds	0	0
iii) सहायक कंपनियों में निवेश	iii) Investment in Associates	1,267,985	1,300,328
iv) अन्य	iv) Others	27,234,666	28,116,823
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**64,745,553**	**60,849,842**
जोड (I & II)	**TOTAL (I & II)**	**1,509,050,173**	**1,403,210,710**
III. भारत में निवेश :	**III. Investments in India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	1,479,809,013	1,377,361,036
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	35,504,393	35,000,168
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**1,444,304,620**	**1,342,360,868**
IV भारत के बाहर निवेश:	**IV. Investments outside India :**		
i) निवेश का सकल मूल्य	i) Gross value of Investments	65,032,573	61,089,930
ii) मूल्यह्रास हेतु संकलित प्रावधान	ii) Aggregate provisions for depreciation	287,020	240,088
iii) निवल निवेश	iii) Net Investments	**64,745,553**	**60,849,842**
जोड (III & IV)	**TOTAL (III & IV)**	**1,509,050,173**	**1,403,210,710**
अनुसूची - 9 : अग्रिम	**SCHEDULE - 9 : ADVANCES**		
ए. i) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	A. i) Bills Purchased and Discounted	122,737,248	450,852,778
ii) नकद उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	1,489,320,012	1,429,043,350
iii) मीयादी ऋण	iii) Term Loans	1,817,606,142	1,552,993,077
कुल (ए)	**TOTAL (A)**	**3,429,663,402**	**3,432,889,205**
बी. अग्रिम का विवरण	**B. Particulars of Advances :**		
i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों के निमित्त अग्रिम शामिल है)	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	2,545,863,964	2,351,484,894
ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	ii) Covered by Bank/Government Guarantees	161,899,796	413,412,715
iii) अप्रतिभूत	iii) Unsecured	721,899,642	667,991,596
जोड (बी)	**TOTAL (B)**	**3,429,663,402**	**3,432,889,205**
सी. अग्रिमों का क्षेत्रवार वर्गीकरण	**C. Sectoral Classification of Advances :**		
I. भारत में अग्रिम	**I. Advances in India**		
i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	i) Priority Sector	1,121,314,154	1,015,893,551
ii) सार्वजनिक क्षेत्र	ii) Public Sector	629,785,792	474,814,830
iii) बैंक	iii) Banks	142,920	450,652
iv) अन्य	iv) Others	1,179,298,988	1,166,360,744
कुल (i)	Total (i)	**2,930,541,853**	**2,657,519,777**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 9 : अग्रिम	SCHEDULE - 9 : ADVANCES		
II. भारत के बाहर अग्रिम	**II Advances outside India :**		
i) बैंकों से देय	i) Due from Banks	99,380,579	355,314,731
II) अन्यों से देय	II) Due from others		
क) खरीदे गए बिल और बट्टाकृत बिल	a) Bills Purchased and Discounted	32,707,804	12,812,292
ख) समूहनकृत ऋण	b) Syndicated Loans	129,690,731	159,707,915
ग) अन्य	c) Others	237,342,435	247,534,490
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**499,121,549**	**775,369,428**
जोड (I एवं II)	**TOTAL (I & II)**	**3,429,663,402**	**3,432,889,205**
अनुसूची - 10 : अचल आस्तियां	SCHEDULE - 10 : FIXED ASSETS		
I. परिसर :	**I. PREMISES :**		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	17,878,425	16,984,278
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	238,584	894,490
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/ समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	236,324	343
उप-जोड	Sub-total	17,880,685	17,878,425
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि में जमा किए गए पुनर्मूल्यन के कारण इस तारीख तक जोड	Addition to date on account of revaluation credited to revaluation reserve	63,565,808	59,052,451
घटाएं : इस तारीख को मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यांकन के कारण सहित)	Less : Depreciation to date (including on account of revaluation)	4,559,437	7,118,037
जोड (I)	**TOTAL (I)**	76,887,056	69,812,839
II. अन्य अचल आस्तियां	**II. OTHER FIXED ASSETS :**		
(फर्नीचर एवं फिक्स्चर सम्मिलित है)	(including Furniture and Fixtures)		
लागत पर आरंभिक शेष	Opening Balance at cost	33,367,048	30,731,446
वर्ष के दौरान परिवर्धन/समायोजन	Additions /Adjustments during the year	2,321,717	2,925,425
घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियां/समायोजन	Less: Deductions/ Adjustments during the year	281,061	289,823
उप-जोड	Sub-total	35,407,704	33,367,048
घटाएं: इस तारीख को मूल्यह्रास	Less: Depreciation to date	24,303,941	21,263,421
जोड (II)	**TOTAL (II)**	**11,103,763**	**12,103,627**
III. निर्माणाधीन पूँजीगत कार्य	**III. CAPITAL WORK IN PROGRESS**	**1,999,958**	**1,582,097**
जोड (I से III)	**TOTAL (I to III)**	**89,990,777**	**83,498,563**
अनुसूची - 11 : अन्य आस्तियां	SCHEDULE - 11 : OTHER ASSETS		
I. अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	I. Inter Office Adjustment (Net)	23,575,657	10,036,968
II. उपचित ब्याज	II. Interest Accrued	32,242,467	29,289,228
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर / स्रोत पर काटे गए कर (निवल)	III. Tax paid in advance/tax deducted at source (Net)	50,564,781	12,798,231
IV. लेखन सामग्री और स्टैम्प	IV. Stationery and Stamps	55,142	60,961
V. आस्थगित कर आस्तियां	V. Deferred Tax Assets	119,357,305	92,140,211
VI. अन्य	VI. Others	105,739,441	127,676,996
जोड	**TOTAL**	**331,534,793**	**272,002,595**

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		पर यथा As at 31-03-2019 ₹	पर यथा As at 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 12 : आकस्मिक देयताएं	SCHEDULE - 12 : CONTINGENT LIABILITIES		
I. बैंक के विरुद्ध दावें जिन्हे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	I. Claims against the Bank not acknowledged as debts	15,013,941	13,938,129
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों के लिए देयताएं	II. Liability for partly paid Investments	168,582	233,461
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	III. Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2,551,620,422	2,717,635,524
IV. संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां:	IV. Guarantees given on behalf of Constituents :		
क) भारत में	a. In India	209,178,461	220,574,203
ख) भारत के बाहर	b. Outside India	32,086,386	182,559,970
V. स्वीकार, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	V. Acceptances, endorsements and other obligations	189,421,022	201,313,441
VI. ब्याज दर स्वैप	VI. Interest Rate Swaps	106,090,890	83,298,574
VII. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप में देनदार है	VII. Other items for which the Bank is contingently liable	9,593,262	8,083,467
जोड	**TOTAL**	**3,113,172,967**	**3,427,636,769**

समेकित लाभ एवं हानि खाता की अनुसूचियां
SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(000 छोडे गए है) / (000's Omitted)

		समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2019 ₹	समाप्त वर्ष For the year ended 31-03-2018 ₹
अनुसूची - 13 : अर्जित ब्याज एवं लाभांश	**SCHEDULE - 13 : INTEREST AND DIVIDENDS EARNED**		
I. अग्रिमों/बिल पर ब्याज/बट्टा	I. Interest/Discount on advances/bills	274,149,940	254,519,042
II. निवेशों पर आय	II. Income on Investments	100,181,338	92,007,866
III. भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य अंतर बैंक निधियों के शेषों पर ब्याज	III. Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	28,647,724	27,692,497
IV. अन्य	IV. Others	7,069,189	8,908,577
जोड	**TOTAL**	**410,048,191**	**383,127,982**
अनुसूची - 14 : अन्य आय	**SCHEDULE - 14 : OTHER INCOME**		
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	I. Commission, exchange and brokerage	12,582,769	13,469,161
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ	II. Profit/(Loss) on sale of Investments	(3,896,080)	14,423,736
III. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ घटाएं : अचल आस्तियों के विक्रय पर नुकसान	III. Profit / (Loss) on sale of land, buildings and other assets	4,303,827	528,326
IV. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ/(हानि)	IV. Profit / (Loss) on exchange transactions	13,146,699	14,069,730
V. अनुषंगियों/कंपनियों और/अथवा संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय	V. Income Earned by way of dividend etc. on subsidiaries / companies and /or joint ventures	114,861	74,829
VI. विविध आय	VI. Miscellaneous Income	26,388,222	15,893,118
जोड	**TOTAL**	**52,640,298**	**58,458,900**
अनुसूची - 15 : व्यय किया गया ब्याज	**SCHEDULE - 15 : INTEREST EXPENDED**		
I. जमाओं पर ब्याज	I. Interest on Deposits	230,831,837	244,348,419
II. भारतीय रिज़र्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	II. Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	31,001,992	22,113,102
III. गौण ऋणों, आईआरएस इत्यादि पर ब्याज	III. Interest on Subordinated Debts, IRS etc.	10,237,330	10,326,784
जोड	**TOTAL**	**272,071,159**	**276,788,305**
अनुसूची - 16 : परिचालनगत व्यय	**SCHEDULE - 16 : OPERATING EXPENSES**		
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	I. Payments to and provisions for employees	60,818,246	49,631,725
II. किराया, कर एवं बिजली	II. Rent, Taxes and Lighting	7,264,510	6,896,170
III. मुद्रण एवं लेखन सामग्री	III. Printing and Stationery	759,429	772,922
IV. विज्ञापन एवं प्रचार	IV. Advertisement and Publicity	209,650	262,039
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	V. Depreciation on Bank's property	3,728,417	5,216,765
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय	VI. Directors' fees, allowances and expenses	44,462	41,076
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय)	VII. Auditors' fees and expenses (Including Branch Auditors' Fees & Expenses)	725,772	724,030
VIII. विधि प्रभार	VIII. Law Charges	539,938	474,679
IX. डाक व्यय, तार, टेलिफोन आदि	IX. Postage, Telegrams, Telephones, etc.	1,448,434	1,129,377
X. मरम्मत एवं रखरखाव	X. Repairs and Maintenance	647,663	668,718
XI. बीमा	XI. Insurance	5,044,635	5,185,313
XII. अन्य खर्च	XII. Other Expenditure	27,439,270	21,649,072
जोड	**TOTAL**	**108,670,426**	**92,651,886**
अनुसूची - 16 A : सहयोगी कंपनी में उपार्जन/ हानि का अंश	**SCHEDULE - 16 A : SHARE OF EARNINGS / LOSSES IN ASSOCIATES**		
I. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)	I. Regional Rural Banks (RRBs)	465,075	491,015
II. अन्य	II. Others	248,235	420,600
जोड	**TOTAL**	**713,310**	**911,615**

कार्यसूची 17 :

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (समेकित वित्तीय विवरणियां)

1. लेखांकन परिपाटी :

संस्था की निरन्तरता की अवधारणा तथा यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो पूर्व के लागत के आधार पर संलग्न समेकित वित्तीय विवरण (सीएसएस) तैयार किया गया है जो सभी महत्वपूर्ण पक्षों में भारत में 'सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों' (जीएएपी) के सभी पक्षों का पालन करते हैं। इसके अंतर्गत, लागू विधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियामक नियमों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), कंपनी अधिनियम 2013, लेखा मानक (ए.एस.), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी निदेशों, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 तथा भारत में प्रचलित लेखा प्रथाओं को भी शामिल करते हैं। विदेशी शाखाओं/कार्यालयों के संबंध में संबंधित देशों में प्रचलित सांविधिक उपबन्धों तथा लेखांकन पद्धतियों का अनुपालन किया जाता है, यदि इन्हें अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी की तैयारी हेतु प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि वह वित्तीय विवरण की प्रभावी तारीख को रिपोर्ट की गयी आस्ति एवं देयता (आकस्मिक देयताएं सहित) तथा रिपोर्टिंग अवधि के लिए आय एवं व्यय का आकलन तथा अनुमान प्रतिपादित करे। प्रबंधन यह मानता है कि वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन उचित तथा तार्किक हैं। तथापि वास्तविक परिणाम आकलन से भिन्न हो सकते हैं। वर्तमान तथा भविष्य की अवधि के लिए लेखांकित आकलन में किसी भी परिवर्तन को भविष्य में उल्लिखित किया जाता है।

2. समेकन का आधार

समूह के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किये गये हैं :-

क) बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) एवं उसकी अनुषंगियों की वित्तीय विवरणियाँ, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) द्वारा जारी किये गये लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार तैयार की गयी हैं। ऐसा पंक्ति दर पंक्ति आधार पर किया जाता है तथा इसमें आस्ति, देयताएं, आय तथा आंतर समूह संव्यवहार हटाकर व्यय, शेष राशि, वसूली रहित लाभ/हानि को जोड़ा जाता है तथा एकरूप लेखांकन का पालन करने के लिए जहाँ भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण प्रकृति का आवश्यक समायोजन किया जाता है।

ख) अनुषगियों में मूल बैंक के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में मूल बैंक के शेयर को गुडविल/आरक्षित पूँजी के रूप में मान्यता दी जाती है। निर्धारित होने के तुरंत बाद यदि कुछ गुडविल हो तो उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

ग) समेकित वित्तीय विवरणी में अल्प संख्यक हित, अनुषंगियों की निवल इक्विटी में अल्प संख्यक शेयरधारकों के शेयर के रूप में है।

घ) सहायक कंपनियों में निवेश का मूल्यांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)23 "समेकित वित्तीय विवरणियों में सहायक कम्पनियों में निवेश का लेखांकन" के अनुसार इक्विटी पद्धति से किया जाता है।

SCHEDULE 17:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Consolidated Financial Statements)

1) ACCOUNTING CONVENTION:

The accompanying consolidated financial statements (CFS) have been prepared following the going concern concept, on historical cost basis unless otherwise stated and conform in all material aspects to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which encompasses applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), Companies Act 2013, Accounting Standards (AS), pronouncements issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Banking Regulation Act, 1949 and accounting practices prevailing in India. In respect of foreign offices/ branches/subsidiaries/associates, statutory provisions and accounting practices prevailing in the respective foreign countries are complied with, except as specified elsewhere.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. However actual results can differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

2) BASIS OF CONSOLIDATION:

Consolidated financial statements of the group have been prepared on the basis of:

a) The financial statements of Bank of India (the Parent bank) and its subsidiaries in accordance with Accounting Standard (AS) 21 "Consolidated Financial Statements" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), on a line by line basis by adding together like items of assets, liabilities, income and expenses after eliminating intra-group transactions, balances, unrealised profit/ loss and making necessary adjustments of material nature wherever required to conform to uniform accounting.

b) The difference between cost to the parent bank of its investment in the subsidiaries and Parent bank's share in the equity of the subsidiaries is recognised as goodwill/capital reserve. Goodwill, if any, is written off immediately on its recognition.

c) Minority interest in the Consolidated Financial Statement consists of the share of the minority shareholders in the net equity of the subsidiaries.

d) Accounting for Investment in Associate companies is done under Equity method in accordance with Accounting Standard (AS) 23, "Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements", issued by ICAI.

ड) संयुक्त उद्यमों में निवेशों का लेखांकन आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस)27 "संयुक्त उद्यमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुसार "आनुपातिक आधार" पर की जाती है।

3. आय की निर्धारण:

3.1 बैंकिंग निकाय

क) आय/व्यय को उपचय के आधार पर तय किया जाता है, यदि अन्यथा न उल्लिखित हो। विदेशी कार्यालयों के संबंध में संबंधित मेज़बान देश के स्थानीय कानूनों/मानकों के अनुसार आय निर्धारित की जाती है।

ख) अनर्जक आस्तियों पर ब्याज को छोड़कर आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ग) बैंक गारंटी तथा साख पत्र जारी करने पर कमीशन का निर्धारण बीजी/एलसी की अवधि पर होता है।

घ) अन्य सभी कमीशन एवं विनिमय, ब्रोकरेज, फीस तथा अन्य शुल्कों की जब प्राप्ति हो जाती है तब आय के रूप में उनका निर्धारण होता है।

ड) "परिपक्वता तकधारित" श्रेणी में निवेश पर आय (ब्याज के अतिरिक्त) जिसे उसके अंकित मूल्य पर बट्टे के रूप में प्राप्त किया गया था, उसे निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित किया जाता है :-

i. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर, केवल बिक्री/मोचन के समय ही इनका निर्धारण किया जाता है।

ii. जीरो-कूपन प्रतिभूतियों में, स्थिर प्रतिफल के आधार पर प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर इसका लेखांकन किया जाता है।

च) निवेशों की बिक्री में हुए लाभ या हानि को लाभ तथा हानि खाते में मान्यता दी जाती है। आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री के मामले में (करों तथा सांविधिक आरक्षितियों में अंतरण करने हेतु आवश्यक राशि छोड़कर), इसके बराबर की राशि "आरक्षित पूँजी खाते" में विनियोजित की जाती है।

छ) जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, तब लाभांश को आय के रूप पहचाना जाता है।

ज) निर्धारण आदेश जारी होने के वर्ष में आयकर वापसी पर ब्याज, आय के रूप में पहचाना जाता है।

झ) **एन.पी.ए. में वसूली का विनियोजन :**

क) समझौता निपटान/विशेष ओटीएस, ख) न्यायालय/डीआरटी/एनसीएलटी के निर्णय तथा ग) एआरसी/एससी को समनुदेशन-इन तीन मामलों को छोड़कर एनपीए में वसूली निम्नलिखित क्रम में प्रभावी की जाती है :-

- उधारकर्ता के खाते में नामे प्रभार
- ऐसे खर्च/अपने जेब से खर्च, जो किये तो गये परंतु जिन्हें नामे नहीं किया गया
- अप्राप्य ब्याज
- अप्रभारित ब्याज और अंत में
- मूल धन

e) Accounting for Investments in Joint Venture are consolidated on "Proportionate basis" as prescribed in Accounting Standard (AS) 27, "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures" issued by ICAI.

3) REVENUE RECOGNITION:

3.1 Banking entities:

(a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis, unless otherwise stated. In respect of foreign offices, Income/ Expenditure is recognised as per local laws/ standards of host country.

(b) Interest income is recognised on time proportion basis except interest on Non-performing Assets.

(c) Commission on issue of Bank Guarantee and Letter of Credit is recognised over the tenure of BG/LC.

(d) All other Commission and Exchange, Brokerage, Fees and other charges are recognised as income on realisation.

(e) Income (other than interest) on investments in "Held to Maturity" category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows:

i. On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.

ii. On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

(f) Profit or loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss account. As per RBI guidelines, in case of profit on sale of investments under 'Held to Maturity' category, an equivalent amount (net of taxes and amount required to be transferred to Statutory Reserves) is appropriated to 'Capital Reserve Account'.

(g) Dividend income is recognised when the right to receive the dividend is established.

(h) Interest income on Income-tax refund is recognised in the year of passing of assessment order.

(i) **Appropriation of recoveries in NPAs:**

In respect of NPAs, recoveries effected except through a.) compromise settlement /special OTS, b.) Judgement of a Court/DRT/NCLT and c.) Assignment to ARC's/SC's. is to be made in the following order:-

- Charges debited to borrower's account,
- Expenses/out of pocket expenses incurred but not debited,
- Unrealised interest,
- Uncharged interest and lastly
- Principal

3.2 गैर बैंकिंग निकाय : बीमा

क) **प्रीमियम आय :**

प्राप्य होने पर, गैर-सम्बद्ध व्यवसाय के लिए, राइडर प्रीमियम सहित प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है। सहायक इकाइयों के सृजित होने पर, सम्बद्ध व्यवसाय के लिए प्रीमियम को निर्धारित किया जाता है। यथा लागू कर काटकर, प्रीमियम निर्धारित किया जाता है। व्यपगत पॉलिसी पर प्रीमियम को आय के रूप में निर्धारित किया जाता है, जब वैसी पॉलिसियाँ पुन: आरंभ की जाती हैं।

सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत टॉप-अप प्रीमियम को एक प्रीमियम माना जाता है तथा सहायक इकाइयाँ सृजित करने पर उन्हें एक प्रीमियम माना जाता है।

पीएमजेजेबीवाई के मामले में प्रीमियम को, बैंक को देय प्रशासनिक प्रभार तथा व्ययों की प्रतिपूर्ति (यथा लागू) को हटाकर निर्धारित किया जाता है।

ख) पॉलिसी के विरूद्ध ऋणों पर ब्याज उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

ग) निवेश पर ब्याज आय उपचय के आधार पर पहचाना जाता है।

घ) परिशोधित आय/लागत

गैर-सम्बद्ध निवेशों से संबंधित कर्ज प्रतिभूति/निश्चित आय प्रतिभूति के संबंध में अधिग्रहण पर प्रीमियम या डिस्काउन्ट, जैसा भी मामला हो, को परिपक्वता/धारित की अवधि पर सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है और ब्याज आय के निमित्त समायोजित किया जाता है।

ड.) लाभांश

उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय, पूर्व-लाभांश तारीख को पहचाना जाता है तथा गैर-उद्धृत शेयरों के लिए लाभांश आय तब पहचाना जाता है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

च) सम्बद्ध निधियों से आय

पॉलिसी की निबंधन एवं शर्तों के अनुसार सम्बद्ध निधियों से निधि प्रबंधन शुल्क, पॉलिसी प्रशासनिक शुल्क, मॉर्टेलिटी शुल्क आदि सहित सम्बद्ध निधियों से आय जब वसूली जाती है तब प्राप्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

छ) सम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा बही लागत का अंतर सम्बद्ध व्यवसाय के लिए डेब्ट प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर, भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

ज) असम्बद्ध कारोबार हेतु ऋण प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि)

व्यय को छोड़कर बिक्री तथा परिशोधन लागत का अंतर असम्बद्ध व्यवसाय के लिए डेब्ट प्रतिभूतियों पर प्राप्त लाभ/(हानि) है। इसे बिक्री की तारीख पर भारित औसत आधार पर परिकलित किया जाता है।

3.2 Non-Banking entities- Insurance:

a) Premium Income:

Premium including rider premium for non-linked business is recognised as income when due. Premium for linked business is recognised when the associated units are created. Premium is recognised net of taxes as applicable. Premium on lapsed policies is recognised as income when such policies are reinstated.

Top up premium under linked business is considered as single premium and recognised as income when associated units are created.

Premium in case of PMJJBY Scheme is recognized at net of administrative charges and reimbursement of expenses (as applicable) payable to the banks.

b) Interest on loans against policies is recognized for on accrual basis.

c) Interest income on investments is recognized on accrual basis.

d) Amortised Income/Cost:

Premium or discount on acquisition, as the case may be, in respect of debt securities/fixed income securities, pertaining to non-linked investments is amortized on straight line basis over the period of maturity/holding and adjusted against interest income.

e) Dividend:

Dividend income for quoted shares is recognised on ex-dividend date, for non-quoted shares dividend income is recognised when the right to receive dividend is established.

f) Income from linked funds:

Income from linked funds which includes fund management charges, policy administrative charges, mortality charges etc. are recovered from the linked funds in accordance with the terms and conditions of policy and recognised on due basis.

g) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the book cost, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale.

h) Realized Gain/ (Loss) on Debt Securities for Non-Linked Business:

Realized gain/(loss) on debt securities for other than linked business is the difference between the sale consideration net of expenses and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

झ) इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड/एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)/अतिरिक्त टियर 1 बॉन्ड (एटी 1) की बिक्री पर लाभ/हानि

व्यय को हटाकर बिक्री तथा बिक्री के दिन भारित औसत आधार पर निर्धारित बही लागत का अंतर, इक्विटी शेयर/म्यूचुअल फंड इकाइयों/ईटीएफ/अतिरिक्त टियर 1 परपेचुअल बॉन्ड की बिक्री पर लाभ/(हानि) है। (म्यूचुअल फंड, ईटीएफ की बिक्री पर गणना, नवीनतम उपलब्ध एनएवी पर होगी।)

असम्बद्ध व्यवसाय के मामले में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत पूर्व में निर्धारित उचित मूल्य में जमा हुए परिवर्तन लाभ/(हानि) में शामिल हैं।

परन्तु जहाँ अंतिम संग्रहणीयता में उचित संभाव्यता की कमी हो, वहाँ आय का निर्धारण स्थगित रखा जाता है।

ञ) सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ/(हानि)

सम्बद्ध कारोबार के लिए अप्राप्त लाभ और हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है।

ट) प्रतिभूति लेने और देने से आय

प्रतिभूति लेने और देने (एसएलबी) की व्यवस्था के अंतर्गत इक्विटी शेयर को देने पर प्राप्त फीस को उस अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर परिशोधित किया जाता है तथा इसे ब्याज आय के साथ जोड़ा जाता है।

ठ) पुनर्बीमा प्रीमियम

पुनर्बीमा करने वाले के साथ प्रासंगिक समझौतों के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय दिये गये पुनर्बीमा प्रीमियम को लेखांकित किया जाता है। पुनर्बीमा पर दिये गये प्रीमियम के विरुद्ध पुनर्बीमा पर दिये गये लाभ कमीशन को घटा दिया जाता है।

3.3 गैर बैंकिंग गतिविधियाँ - म्यूचुअल फंड और ट्रस्टी सेवाएं

निवेश प्रबंधन करार के अनुसार, उपचय आधार पर, म्यूचुअल फंड योजना से प्रबंधन फीस का लेखांकन किया जाता है तथा जैसा की बीओआई एक्सा म्यूचुअल फण्ड की योजना के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, यह निवल आस्ति मूल्य के ऊपर आश्रित है।

ट्रस्टी फीस को उस सीमा तक निर्धारित किया जाता है जिस सीमा तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगा तथा बीओआई एक्सा म्यूचुअल फंड के साथ आय को भरोसापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। ब्याज तथा अन्य आय, यदि कुछ हो तो उसका लेखांकन एक्चुरीयल आधार पर किया जाता है।

अन्य आय : व्यापार की तारीख को, निवेश की बिक्री पर लाभ या हानि को, लाभ/हानि खाते में अंकित किया जाता है और एकल प्रतिभूति हेतु भारित औसत आधार पर उसका निर्धारण किया जाता है।

3.4 गैर-बैंकिंग इकाइयाँ - मर्चेंट बैंकिंग सेवाएं :

i. यदि कंपनी का अंडररिटेन इश्यू के संबंध में इक्विटी शेयरों का कुछ डिवोल्वमेंट होता है तो इसे निवेश माना जायेगा। इन निर्गमों पर अंडरराइटिंग आय, लाभ हानि खाते में जमा की जायेगी तथा निवेश के वैल्यू के विरुद्ध नहीं घटाई जायेगी।

i) Profit/ (Loss) on sale of Equity Shares/ Mutual Fund/ Exchange Traded Funds (ETFs)/ Additional Tier 1 Bonds (AT 1):

Profit/ (Loss) on sale of equity shares/ mutual fund units/ ETFs/ Additional Tier 1 Perpetual Bonds is the difference between the sale consideration net of expenses & the book cost computed on weighted average basis as on the date of sale (mutual fund, ETFs sale considerations would be based on the latest available NAV).

In respect of non linked business the Profit/(Loss) includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under "Fair Value Change Account".

However, revenue recognition is postponed where ultimate collectability lacks reasonable certainty.

j) Unrealized Gain/ (Loss) for Linked Business:

Unrealized gains and losses for Linked Business are recognized in the Revenue account of respective fund.

k) Income from Security Lending and Borrowing:

Fees received on lending of equity shares under Securities Lending and Borrowing (SLB) mechanism is amortized on a straight-line basis over the period of lending and clubbed with the interest income.

l) Reinsurance Premium:

Reinsurance Premium ceded is accounted for on due basis at the time of recognition of premium income in accordance with the terms and conditions of the relevant treaties with the reinsurers. Profit commission on reinsurance ceded is netted off against premium ceded on reinsurance.

3.3 Non-Banking entities – Mutual Fund and Trustee Services:

Management fees from the scheme of mutual fund are accounted on an accrual basis in accordance with the investment management agreement and are dependent on the net asset value as recorded by the schemes of BOI AXA Mutual fund.

Trustee fees is recognized to the extent that it is probable that economic benefits will flow to the Company and the revenue can be reliably arranged with the BOI AXA Mutual Fund. Interest and other income, if any, is accounted on accrual basis.

Other Income: Profit or loss on sale of investment is recognised in the Profit & Loss Account on the trade date and determined on weighted average basis for individual security.

3.4 Non-Banking entities– Merchant Banking Services:

i. Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten if any by the company shall be treated as investments. Underwriting income on these issues shall be credited to profit and loss account and shall not be netted against the value of investments.

ii. सेकेन्ड्री मार्केट परिचालन पर अर्जित ब्रोक्रेज तथा कमीशन, कारोबार की तारीख के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। ऑनलाइन पोर्टल परिचालन पर ब्रोक्रेज, कारोबार की तारीख पर निर्धारित किये जायेंगे। इश्यू मार्केटिंग तथा संसाधन संग्रहण के संबंध में ब्रोक्रेज तथा कमीशन उपलब्ध जानकारी की सीमा तक उपचित किये जायेंगे। डिपोजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश बैंकिंग तथा अन्य आयों को उपचय आधार पर लेखांकित किया जायेगा।

4. गैर बैंकिंग गतिविधियां -बीमा : अन्य नीतियां

क) भुगतान किये गये लाभ

भुगतान किए गए लाभ में, पॉलिसी लाभ तथा दावा निपटान लागत, यदि कुछ हो तो, शामिल है।

सूचना की प्राप्ति पर, मृत्यु, राइडर तथा अभ्यर्पण दावे, लेखांकित किये जाते हैं। सम्बद्ध व्यवसाय के अंतर्गत, सरेन्डर में, व्यपगत पॉलिसियों पर भुगतान योग्य राशि भी शामिल है जो लॉक इन अवधि की समाप्ति पर लेखांकित की जाती है। सकल प्रभार के आधार पर सरेंडर और समाप्ति को लेखाकृत किया जाता है।

देय होने पर उत्तरजीविता, परिपक्वता तथा वार्षिक लाभ के दावे लेखांकित होते हैं।

जिस अवधि में संबंधित दावों का निपटान किया जाता है, उसी में पुनर्बीमा वसूलियों का लेखांकन किया जाता है।

न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष विवादित दावे, विवेक के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं, जैसा कि प्रबंधन, प्रत्येक ऐसे दावे के संबंध में तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उचित समझता है।

ख) अधिग्रहण लागत

अधिग्रहण लागत वह लागत है जो मुख्य रूप से बीमा संविदा के अधिग्रहण से संबंधित होती है। जिस अवधि में इसे खर्च किया जाता है, उसी अवधि में रखा जाता है।

प्रथम वर्ष में भुगतान किये गये कमीशन के लिए, भविष्य में वापसी, यदि कुछ हो तो, उसी वर्ष में लेखांकित की जाती है, जिस वर्ष में वह प्राप्त की गयी थी।

ग) जीवन बीमाओं के लिए देयता :

वर्तमान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए मूल्यांकन कवायद की जाती है। सलाभ नीतियों के लिए पॉलिसीधारकों की यथोचित अपेक्षाओं (पीआरई) पर भी विचार होता है। भविष्य की विभिन्न परिस्थितियों में सभी पॉलिसीधारकों को लाभ देने के लिए पर्याप्त आरक्षितियाँ होनी चाहिए। प्रतिकूल विचलन के लिए मार्जिन (एमएडी) का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी संभावित विपरीत परिस्थितियों में भी पॉलिसीधारक के हित की रक्षा सुनिश्चित की जाय।

लागू पॉलिसियों के लिए बीमांकित देयता प्रीमियम पद्धति से तथा समूह व्यवसाय (क्रेडिट लाइफ व्यवसाय तथा रिवर्स बंधक ऋण सक्षम वार्षिकी को छोड़कर जहां सकल प्रीमियम पद्धति का प्रयोग होता है) के मामले में अनर्जित प्रीमियम रिवर्स पद्धति से बीमांकित देयता परिगणित होती है। सम्बद्ध देयताओं में यूनिट देयता तथा गैर-

ii. Brokerage and commission earned on secondary market operations shall be recongnised on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations shall be recognised on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization shall be accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management, Investment Banking and other fees shall be accounted for on accrual basis.

4) NON BANKING ENTITIES – Insurance : Other Policies:

a) Benefits paid:

Benefits paid comprise of policy benefits & claim settlement costs, if any.

Death, rider, surrender & withdrawal claims are accounted for on receipt of intimation. Under linked Business, surrender also includes amount payable on lapsed policies which are accounted for on expiry of lock in period. Surrenders and terminations are accounted at gross of charges.

Survival, maturity and annuity benefit claims are accounted for when due.

Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as that of the related claims.

Claims disputed before judicial authorities are provided for on prudent basis as considered appropriate by management based on facts and circumstances in respect of each such claim.

b) Acquisition Costs:

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts. These are expensed in the period in which they are incurred.

Claw back in future, if any, for the first year commission paid, is accounted for in the year in which it is recovered.

c) Liability for life policies:

The valuation exercise is done to protect the interests of the existing policyholders. For With Profit policies the reasonable expectations of policyholders (PRE) are also considered. The reserves should be adequate to provide for all the policyholders benefits in various future scenarios. Adequate use of Margin for Adverse Deviation (MAD) is made to ensure that policyholders' benefits are protected even in some plausible adverse scenarios.

Actuarial liability for inforce policies and for those in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined using the gross premium method and in case of group business (except for Credit Life Business and Reverse Mortgage Loan Enabled Annuity where gross premium method is used), the actuarial liabilities have been calculated on the

यूनिट देयता शामिल है। यूनिट देयता पॉलिसी का निधि मूल्य प्रदर्शित करती है तथा गैर-यूनिट देयता बीमा दावा व्यय आदि के लिए है। मूल्यांकन के लिए शासित मुख्य दिशा-निर्देश हैं : बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीए अधिनियम 1999, आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट एवं जीवन बीमा व्यवसाय के लिए सारांश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई जीवन बीमा व्यवसाय के लिए (आस्तियां, देयताएं तथा शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम 2016, भारतीय बीमांकिक संगठन द्वारा जारी बीमांकिक व्यवसाय मानक तथा मार्गदर्शन नोट्स एवं आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र।

घ) ऋण:

बही मूल्य (चुकौतियों को हटाकर) तथा पूँजीगत ब्याज का समायोजन कर पॉलिसी के बदले ऋण का मूल्यांकन किया जाता है तथा यह किसी भी कमी के अधीन है।

ड.) भविष्य में विनियोजन के लिए निधि

भविष्य में विनियोजनों के लिए शेष राशि ऐसी निधि को प्रदर्शित करती है जो तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या शेयरधारकों को आबंटित नहीं की गयी है। निधि में अंतरण तथा निधि से अंतरण अधिकता या व्यय से कम आय तथा कंपनी के पॉलिसीधारक की निधि से प्रत्येक लेखांकन अवधि में निकलने वाले विनियोजन को प्रदर्शित करता है। सहभागिता करने वाली पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को कोई भी आबंटन आवश्यक अनुपात में शेयरधारक को भी अंतरण आवश्यक करेगा।

गैर-सहभागिता वाले समूह वार्षिकी उत्पादों के संबंध में, प्रतिफल की अधिकता, फाइल तथा प्रयोग में परिभाषित, यदि हो, तो उसे वर्ष के दौरान अंतरिम वित्तीय अवधि में भविष्य के विनियोजन के लिए निधि मानी जाती है तथा उक्त को वर्ष के अंत में फाइल में निर्दिष्ट अनुपात में पॉलिसीधारक तथा शेयरधारक के मध्य बाँटा जायेगा।

च) बंद पॉलिसी निधि :

बंद पॉलिसी निधि का अर्थ है पृथक् निधि जिसे निम्नलिखित कारणों से अलग रखा गया है

i) अनुबंधित प्रीमियम का भुगतान न करना।

ii) पॉलिसी के बंद करने के विषय में पॉलिसीधारक से कंपनी को सूचना प्राप्त होने पर।

बंद की गयी पॉलिसियों के लिए निधि का भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बंद की गयी सम्बद्ध बीमा पॉलिसी के साथ व्यवहार) विनियम 2010 तथा उसके बाद जारी परिपत्रों के अनुसार लेखांकन किया जाता है।

5. अग्रिम:

(क) लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, में अग्रिमों को ''उत्पादक '' और ''अनर्जक अग्रिमो''(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

(ख) इसके अतिरिक्त लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) को पुन: अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

basis of Unearned Premium Reserve method. Linked liabilities comprise unit liability representing the fund value of policies and non-unit liability for meeting insurance claims, expenses etc. The main governing guidelines considered for valuation are the Insurance Act 1938, the IRDA Act 1999, IRDAI (Actuarial Report & Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016, IRDAI (Assets, Liabilities and Solvency Margin of Life Insurance Business) Regulations 2016, Actuarial Practice Standards and Guidance notes issued by Institute of Actuaries of India, Circulars issued by IRDAI from time to time.

d) Loans:

Loans against policies are valued at the aggregate of book values (net of repayments) plus capitalized interest and are subject to impairment if any.

e) Funds for Future Appropriation:

The balance in the funds for future appropriations account represents funds, the allocation of which, either to policyholders or to shareholders has not been determined at the Balance Sheet date. Transfers to and from the fund reflect the excess or deficit of income over expenses and appropriations in each accounting period arising in the Company's policyholders' funds. In respect of participating policies, any allocation to the policyholders would also give rise to transfer to the shareholders in the required proportion.

In respect of the Non-participating Group Annuity products, the excess returns, if any as defined in file and use, is considered as funds for future appropriation in the interim financial periods during the year and the same would be distributed between policyholders and shareholders in the proportion prescribed in file and use at the year end.

f) Discontinued Policies fund:

Discontinued policy fund means the segregated fund that is set aside on account of:

i) Non-payment of contracted premium

ii) Upon the receipt of the information by the Company from the policyholder about the discontinuance of the policy.

Fund for discontinued policies is accounted in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Treatment of Discontinued Linked Insurance Policies) Regulations 2010 and circulars issued thereafter.

5) ADVANCES:

(a) Advances are classified into "Performing" and "Non-Performing Advances" (NPAs) in accordance with the applicable regulatory guidelines.

(b) NPAs are further classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets in terms of applicable regulatory guidelines.

(ग) घरेलू शाखाओं के संबंध में, एनपीए से संबंधित प्रावधान, निम्नलिखित दर पर किये जाते हैं :

(c) In respect of domestic branches, NPA Provisions are made at the rates given as under:

एनपीए की श्रेणी	Category of NPAs	निवल बकाया अग्रिम का % Provision % on net outstanding advance
अवमानक आस्ति: *	Sub Standard:*	
ऐसे एक्सपोज़र, जो आरंभ से गैर जमानती हैं	Exposures, which are unsecured ab initio	25%
आधारभूत संरचना ऋण खातों के संबंध में प्रतिभूति रहित एक्सपोजर जहाँ कुछ सुरक्षा प्रावधान, जैसे एस्क्रो खाते उपलब्ध हैं (गैर प्रतिभूति इंफ्रा)	Unsecured exposure in respect of infrastructure loan accounts where certain safeguards such as escrow accounts are available (unsecured – infra)	20%
अन्य	Others	15%
संदिग्ध :	Doubtful:	
जमानती हिस्सा (उस अवधि के लिए जिसके दौरान अग्रिम संदिग्ध श्रेणी में ही रहा)	Secured portion (Period for which advance has remained in doubtful category)	
- एक वर्ष तक	- Upto one year	25%
- एक वर्ष से तीन वर्ष तक	- One year to three years	40%
- तीन वर्ष से अधिक	- More than three years	100%
गैर जमानती हिस्सा	Unsecured portion	100%
हानि	Loss	100%

* बकाया अग्रिम पर

*On the outstanding advance

(घ) विदेशी शाखाओं के संबंध में, अग्रिमों का एनपीए के रूप में वर्गीकरण और एनपीए के संबंध में प्रावधान संबंधित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामक आवश्यकताओं अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हो, उसके अनुसार होगी।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानकों के अनुसार शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु कुल अग्रिमों में से अनर्जक आस्तियों, अप्राप्य ब्याज, ईसीजीसी दावा का निपटान इत्यादि के संबंध में प्रावधान घटाएं जाते हैं।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्निधारित/पुन:संरचित खातों के संबंध में विद्यमान मूल्य स्थिति में आकलित पुनर्संरचित अग्रिम के फेयर वैल्यू में ह्रास के परित्याग के लिए प्रावधान किया जाता है। शुद्ध अग्रिम के परिकलन हेतु इस प्रावधान को घटाया जाता है।

(छ) आस्ति पुनर्गठन कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय आस्तियां बेचे जाने के मामले में यदि बिक्री, निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बकाया में से धारित प्रावधान घटाकर) से कम है तो इस कमी को आरबीआई के समय-समय पर जारी वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते से नामे किया जाना है। यदि बिक्री का मूल्य, निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक है तो जिस वर्ष राशि प्राप्त होती है उस वर्ष में, एनपीए की बिक्री पर किए गए अतिरिक्त प्रावधान को लाभ एवं हानि खाते में वापस किया जाना है। परंतु अतिरिक्त प्रावधान तब ही वापस किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभ में विचारित या एसआर /पीटीसी रिडेंपशन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से ज्यादा हो। परंतु कोई भी अतिरिक्त प्रावधान को तभी रिवर्स किया जाता है जब आस्ति का निवल बही मूल्य (एनबीवी) प्राप्त नकदी (केवल प्रारंभिक प्रतिफल द्वारा/अथवा एसआरएस/पीटीसी का रिडेम्पशन) से अधिक होगा। अतिरिक्त प्रावधान का रिवर्सल आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक सीमित होगा।

(d) In respect of foreign branches, classification of advances as NPAs and provision in respect of NPAs is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(e) Provisions in respect of NPAs, unrealised interest, ECGC claims, etc., are deducted from total advances to arrive at net advances as per RBI norms.

(f) In respect of Rescheduled/Restructured advances, provision is made for the diminution in the fair value of restructured advances measured in present value terms as per RBI guidelines. The said provision is reduced to arrive at Net advances.

(g) In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC) / Securitisation Company (SC), if the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is debited to the Profit and Loss account as per the extant RBI guidelines issued from time to time. If the sale is at a price higher than the NBV, the excess provision on sale of NPAs may be reversed to profit and loss account in the year the amounts is received. However, any excess provision is reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SR's/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset

(ज) मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुन:संरचित अग्रिमों सहित मानक आस्तियों का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। विदेशी शाखाओं के मामलों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधान, संबन्धित विदेशी केन्द्र पर लागू विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार अथवा घरेलू शाखाओं के लिए लागू दिशानिर्देशों, इनमें से जो भी कड़े हों, उसके अनुसार किये जाते हैं।

(झ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवल निधीकृत कंट्री एक्सपोज़र का (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) श्रेणीबद्ध स्केल पर प्रावधान किया जाता है।

6. अस्थायी प्रावधान:

बैंक में अस्थायी प्रावधान का सृजन करने और उसका उपयोग करने की नीति है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में सृजित की जाने वाली, अस्थायी प्रावधान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अस्थायी प्रावधान का उपयोग, नीति में निर्धारित, केवल असाधारण परिस्थितियों के अंतर्गत, आकस्मिकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से अथवा किसी निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई विशेष अनुमति से ही किया जाता है।

7. डेबिट/क्रेडिट कार्ड रिवार्ड प्वाइंट :

बैंक के डेबिट कार्ड धारकों के संबंध में रिवार्ड पॉइंट का प्रावधान एक्चुरीयल आकलन के आधार किया जाता है और क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड पॉइंट के लिए प्रावधान संचित बकाया पॉइंट के आधार पर किया जाता है।

8. निवेश :

क. सरकारी प्रतिभूतियों में संव्यवहार को निपटान तारीख पर मान्यता दी जाती है और अन्य सभी निवेशों को कारोबार की तारीख पर मान्यता दी जाती है।

ख. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण, 'परिपक्वता तक धारित', 'कारोबार के लिए धारित' और 'बिक्री हेतु उपलब्ध श्रेणियों में किया गया है। निवेशों के प्रकटन के उद्देश्य से इन्हें आरबीआई के दिशानिर्देशों और बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार छह वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जैसे **क)** सरकारी प्रतिभूतियाँ, **ख)** अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां **ग)** शेयर, **घ)** डिबेंचर और बॉन्ड, **ड़)** अनुषंगियों और संयुक्त उद्यम में निवेश और **च)** अन्य।

क) वर्गीकरण का आधार

किसी निवेश का वर्गीकरण, उसके अर्जन के समय किया जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें बैंक परिपक्वता तक रखने का इरादा रखता है। अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों की इक्विटी किए गए निवेश को भी परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित

इसमें ऐसे निवेश हैं जिन्हें अल्प मीयादी मूल्य/ब्याज दर के उतार-चढ़ाव का लाभ लेते हुए कारोबार के इरादे से अर्जित किया जाता है। खरीद की तारीख से 90 दिनों के अंदर इन्हें बेच दिया जाना है।

(h) Provision for Standard assets, including restructured advances classified as standard, is made in accordance with RBI guidelines. In respect of foreign branches provision for Standard Assets is made as per the regulatory requirements prevailing at the respective foreign countries or as per guidelines applicable to domestic branches, whichever is stringent.

(i) Provision for net funded country exposures (Direct/ Indirect) is made on a graded scale in accordance with the RBI guidelines.

6) FLOATING PROVISION:

The bank has framed a policy for creation and utilisation of floating provisions. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of each financial year. The floating provisions are utilised only for contingencies under extraordinary circumstances specified in the policy with prior permission of Reserve Bank of India or on being specifically permitted by Reserve Bank of India for specific purposes.

7) DEBIT/CREDIT CARD REWARD POINTS:

Provision for reward points in relation to debit cards is provided for on actuarial estimates and Provision for Reward Points on Credit cards is made based on the accumulated outstanding points.

8) INVESTMENTS:

(a) Transactions in Government Securities are recognised on Settlement Date and all other Investments are recognised on trade date.

(b) Investments are categorised under `Held to Maturity', 'Held for Trading' and 'Available for Sale' categories as per RBI guidelines. For the purpose of disclosure of Investments, these are classified in accordance with RBI guidelines & Banking Regulation Act 1949, under six categories viz. a.) Government Securities, b.) Other Approved Securities, c.) Shares, d.) Debentures and Bonds, e.) Subsidiaries and Joint Ventures and f.) Others.

A. Basis of categorisation:

Categorisation of an investment is done at the time of its acquisition.

(i) Held to Maturity:

These comprise investments that the Bank intends to hold till maturity. Investments in equity of subsidiaries, joint ventures and associates are also categorised under Held to Maturity.

(ii) Held for Trading:

These comprise investments acquired with the intention to trade by taking advantage of short term price/interest rate movements. Securities are to be sold within 90 days from the purchase date.

(iii) बिक्री के लिए उपलब्ध

ऐसे निवेश जिनका वर्गीकरण ''परिपक्वता तक धारित'' अथवा ''कारोबार के लिए धारित'' रूप में नहीं किया हैं, उन्हें इस शीर्ष में रखा गया है।

ख) निवेश के अधिग्रहण की लागत

(i) इक्विटी निवेश के अर्जन के लिए भुगतान किए गए ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूति संव्यवहार कर इत्यादि को लागत में शामिल किया जाता है।

(ii) ब्रोकरेज, कमीशन, खण्डित अवधि के लिए ब्याज भुगतान/डेब्ट निवेश पर प्राप्तियों को व्यय/आय के रूप में माना गया है और इसे लागत/बिक्री पर विचार करते समय शामिल नहीं किया जाता है।

(iii). निवेशों के अभिदान पर प्राप्त ब्रोकरेज और कमीशन, यदि कुछ हो तो, उसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है।

ग) मूल्यांकन का तरीका

भारत में निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और विदेशी शाखाओं में रखे गये निवेशों को संबंधित देश में लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुसार जो मूल्य है अथवा समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार जो मूल्य है - इन दोनों में जो भी कम हो, उसके अनुसार किया जाता है।

ट्रेज़री बिलों और अन्य सभी बट्टाकृत लिखतों का मूल्य, कैरिंग कॉस्ट (अर्थात् प्राप्त करने की लागत में, प्राप्त करते समय लागू दर में उपचित बट्टा को जोड़कर) के आधार पर निकाला जाता है।

(i) परिपक्वता तक धारित:

1. इस श्रेणी के तहत निवेशों को उनके अर्जन लागत, परिशोधन को घटाकर, यदि कोई हो, पर लिया जाता है। अंकित मूल्य से अधिक अर्जन लागत, यदि कोई हो, तो उसे स्थिर अर्जन पद्धति का उपयोग कर परिपक्वता की शेष बची अवधि में परिशोधित किया गया है। प्रीमियम का इस प्रकार परिशोधन, आय में 'निवेश पर ब्याज' शीर्ष के अंतर्गत समायोजित किया जाता है।

2. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों (भारत और विदेश दोनों में) में निवेश पूर्व के लागत के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है सिवाय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश के जिन्हें कैरिंग कॉस्ट पर (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया जाता है। अस्थायी प्रकृति को छोड़कर, प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग ह्रास (डिमिन्युशन) का प्रावधान किया जाता है।

(ii) कारोबार के लिए धारित/बिक्री के लिए उपलब्ध :

1. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का मूल्यांकन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार मूल्य अथवा उचित मूल्य पर एक-एक करके निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी के प्रत्येक

(iii) Available for Sale:

These comprise investments which do not fall either under "Held to Maturity" or "Held for Trading" category.

B. Acquisition Cost of Investment:

(i) Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost.

(ii) Brokerage, commission, broken period interest paid/ received on debt investments is treated as expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

(iii) Brokerage and Commission, if any, received on subscription of investments is credited to Profit and Loss Account.

C. Method of valuation:

Investments in India are valued in accordance with the RBI guidelines and investments held at foreign branches are valued at lower of the value as per the statutory provisions prevailing at the respective foreign countries or as per RBI guidelines issued from time to time.

Treasury Bills and all others discounted instruments are valued at carrying cost (ie acquisition cost plus discount accrued at the rate prevailing at the time of acquisition)

(i) Held to Maturity:

1. Investments included in this category are carried at their acquisition cost, net of amortisation, if any. The excess of acquisition cost, if any, over the face value is amortised over the remaining period of maturity using constant yield method. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head "interest on investments".

2. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e. book value). Suitable provision is made for diminution, other than of temporary nature, for each investment individually.

(ii) Held for Trading / Available for Sale:

1. Investments under these categories are individually valued at the market price or fair value determined as per Regulatory guidelines and only the net depreciation in each classification for each category is provided for and net appreciation is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged

वर्गीकरण में केवल निवल मूल्यह्रास लगाया जाता है और निवल मूल्यवृद्धि को ध्यान में नहीं लिया जाता है। मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के संबंध में, बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के पश्चात एकल प्रतिभूतियों का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।

2. ''कारोबार के लिए धारित'' और ''बिक्री के लिए उपलब्ध'' श्रेणियों में उद्धृत किए गए निवेश के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु, स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार दर/भाव, भारतीय प्राथमिक डीलर संघ (पीडीएआई) /निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव संघ (एफआईएमएमडीए)/ फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित दरों का उपयोग किया जाता है। जिन निवेश के लिए ऐसे दर/भाव उपलब्ध नहीं है, उनका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है जो निम्नानुसार है :

सरकारी/प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
इक्विटी शेयर्स, पीएसयू और न्यासी शेयर्स	अद्यतन तुलन पत्र (18 महीनों से अधिक पुरानी नहीं) के अनुसार बही मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी ₹ 1
अधिमान्य शेयर्स	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
पीएसयू/कॉरपोरेट बॉन्ड	परिपक्वता आधार के प्रतिफल पर
म्यूचुअल फंड के यूनिट	अद्यतन पुनर्खरीद मूल्य/प्रत्येक योजना के संबंध में घोषित एनएवी पर
उद्यम पूँजी निधि (वीसीएफ)	18 महीनों से पुरानी नहीं ऐसे लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार घोषित एनएवी अथवा ब्रेक अप एनएवी। यदि एनएवी/लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण 18 महीनों से अधिक हेतु उपलब्ध नहीं है तो ₹ 1 प्रति वीसीएफ
प्रतिभूति रसीद	प्रतिभूतिकरण कंपनियों द्वारा घोषणा के अनुसार एनएवी पर

घ) विभिन्न श्रेणियों के बीच प्रतिभूतियों का अंतरण:

(i) एचटीएम से एएफएस/एचएफटी

क. यदि किसी डिस्काउंट पर मूलत: प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे अधिग्रहण कीमत/बही मूल्य पर अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

ख. यदि किसी प्रीमियम पर प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी में रखा गया था तो इसे एमोर्टाइजेशन की लागत पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी में अंतरित किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तत्काल मूल्यांकन किया जाता है तथा यदि कोई मूल्यह्रास होता है तो उसका लेखांकन किया जाता है।

after marking to market.

2. For the purpose of valuation of quoted investments in "Held for Trading" and "Available for Sale" categories, the market rates / quotes on the Stock Exchanges, the rates declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) / Fixed Income Money Market and Derivatives Association (FIMMDA)/ Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) are used. Investments for which such rates/quotes are not available are valued as per norms laid down by RBI, which are as under:

Classification	Basis of Valuation
Government Securities	on Yield to Maturity basis
Other Approved Securities	on Yield to Maturity basis
Equity Shares, PSU and Trustee shares	at break up value as per the latest Balance Sheet (not more than 18 months old), otherwise Re.1 per company.
Preference Shares	on Yield to Maturity basis
PSU/Corporate Bonds	on Yield to Maturity basis
Units of Mutual Funds	at the latest repurchase price/NAV declared by the fund in respect of each scheme
Units of Venture Capital Funds (VCF)	declared NAV or break up NAV as per audited financials which are not more than 18 months old. If NAV/audited financials are not available for more than 18 months then at Re. 1/- per VCF.
Security Receipts	at NAV as declared by Securitisation Companies which is not more than 6 months old.

D. Transfer of Securities between Categories:

(i) HTM to AFS/HFT :

a. If the security was originally placed under the HTM category at a discount it is transferred at the acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

b. If the security was originally placed in the HTM category at a premium, it is transferred to the AFS / HFT category at the amortised cost. After transfer, these securities are immediately re-valued and resultant depreciation, if any, is provided.

ख) एएसएस/एचएफटीसे एचटीएम में अंतरण -

बही मूल्य या बाजार मूल्य में से जो की कम हो उस पर एएफएस/एचएफटी श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में स्क्रिप का अंतरण किया जाता है। यदि अंतरण के समय बाजार मूल्य बही मूल्य से ज्यादा होता है तो बढ़ोतरी को नजरअंदाज किया जाता है। यदि बही मूल्य से बाजार मूल्य कम होता है तो वैसी प्रतिभूति के लिए किये गये मूल्यह्रास के प्रावधान को समायोजित किया जाता है एवं बही मूल्य को बाजार मूल्य तक कम किया जाता है तथा प्रतिभूति को बाजार मूल्य पर अंतरित किया जाता है।

ग) एएफएस से एचएफटी तथा इसके विपरीत - एएफएस से एचएफटी श्रेणी या इसके विपरीत, प्रतिभूति अंतरित करने के मामले में, अंतरण की तारीख पर प्रतिभूतियों का पुन: मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा संकलित मूल्यह्रास का प्रावधान, यदि कुछ हो तो, उसे एचएफटी प्रतिभूतियां या इसके विपरीत, जैसा मामला हो, के विरुद्ध मूल्यह्रास के लिए प्रावधान में अंतरित किया जाता है।

ङ) अनर्जक निवेश (एनपीआई) और उसका मूल्यांकन:

i. निवेशों को अर्जक और अनर्जक में वर्गीकृत किया जाता है जो घरेलू कार्यालयों के मामले में आरबीआई और विदेशी कार्यालयों के मामले में संबंधित विनियामकों द्वारा जारी दिशानिर्देशों पर आधारित होते हैं।

ii. अनर्जक निवेशों के संबंध में आय मान्य नहीं होती है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य में ह्रास हेतु प्रावधान किये जाते हैं।

iii. परिपक्व एनपीआई को अनुसूची 11 में ''अन्य आस्तियाँ'' के अंतर्गत दिखाया गया है। (प्रावधान घटाकर)

च) रेपो/रिवर्स रेपो:

रेपो/रिवर्स रेपो के अंतर्गत बेची और खरीदी गई प्रतिभूतियों का लेखांकन संपार्श्विक उधार और उधार के संव्यवहार के रूप में किया जाता है। तथापि प्रतिभूतियों का अंतरण वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य सीधी बिक्री/खरीद संव्यवहार के मामले में होता है और ऐसी प्रतिभूतियों का आवागमन रेपो/रिवर्स रेपो खातों और दुतरफा प्रविष्टियों के प्रयोग द्वारा होता है। उपर्युक्त प्रविष्टियों को परिपक्वता पर रिवर्स किया जाता है। लागत तथा राजस्व का लेखांकन, जैसा भी मामला हो, ब्याज व्यय/आय के रूप में किया जाता है। तुलन पत्र में रेपो खाते में शेष को उधार के रूप में वर्गीकृत किया गया और रिवर्स रेपो खाते में शेष को बैंक के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

छ) आस्तियों के विरुद्ध प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश

परिपत्र संख्या डीबीआर.सं.बी.पी.बी.सी. 9/21.04.048/2016-17, दिनांक 01 सितंबर 2016 के द्वारा जारी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने 01 अप्रैल 2018 से, प्रतिभूतीकरण के अंतर्गत एसआर के संबंध में मूल्यांकन पद्धति में संशोधन किया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार यदि बैंक के द्वारा बेची गयी दबावग्रस्त

(ii) AFS/HFT TO HTM:

Transfer of scrips from AFS / HFT category to HTM category is made at the lower of book value or market value. In cases where the market value is higher than the book value at the time of transfer, the appreciation is ignored. In cases where the market value is less than the book value, the provision against depreciation held against this security is adjusted to reduce the book value to the market value and the security is transferred at the market value.

(iii) AFS TO HFT AND VICE-VERSA :

In the case of transfer of securities from AFS to HFT category or vice-versa, the securities are not re-valued on the date of transfer and the provisions for the accumulated depreciation, if any, held are transferred to the provisions for depreciation against the HFT securities and vice-versa

E. Non performing Investments (NPIs) and valuation thereof:

(i) Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices.

(ii) In respect of non performing investments, income is not recognised and provision is made for depreciation in value of such securities as per RBI guidelines.

(iii) Matured NPIs are shown under 'Other Assets' Schedule11 (Net of Provision).

F. Repo / Reverse Repo:

The securities sold and purchased under Repo/ Reverse repo are accounted as Collateralised lending and borrowing transactions. However, securities are transferred as in case of normal outright sale/ purchase transactions and such movement of securities is reflected using the Repo/ Reverse Repo Accounts and Contra entries. The above entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo Account is classified as Borrowings and balance in Reverse Repo account is classified as Balance with Banks and Money at Call & Short Notice in the balance sheet.

G. Investment in Security Receipts (SRs) backed by assets:-

In terms of RBI guidelines issued vide circular no DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 01, 2016, the bank has revised valuation methodology in respect of SRs under securitization, with effect from April 01, 2018. As per the revised guidelines, if the quantum of SRs backed by stressed assets sold by the bank exceeds 10% of

आस्तियों के विरुद्ध एसआर की मात्रा, प्रतिभूतिकरण के अंतर्गत जारी तथा बेची गयी आस्तियों के विरुद्ध एसआर के संपूर्ण पोर्टफोलियो से 10 प्रतिशत से ज्यादा होती है, तो निम्नलिखित में से जो भी ज्यादा हो, उसके अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान होगा;

क. एससी/आरसी के द्वारा घोषित किये गये निवल आस्ति मूल्य की शर्तों के अनुसार आवश्यक के दर पर प्रावधान; तथा

ख. यह मानकर कि कल्पित रूप से ऋण बैंक की बही में जारी रहा, अंतर्निहित ऋणों पर लागू दर पर प्रावधान।

जब बैंक के द्वारा, एआरसी को बेची गयी वित्तीय संपत्ति के संबंध में, एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र में निवेश किया जाता है तो निम्नलिखित में से जो भी कम होगा, उसके अनुसार बैंक की बही में बिक्री को निर्धारित जायेगा :

- प्रतिभूति रसीद/पास-थ्रू प्रमाणपत्र का मोचन मूल्य
- वित्तीय आस्ति का निवल बही मूल्य

जब तक की बिक्री या वसूली न हो जाये, उपर्युक्त निवेश उपर्युक्त निर्धारित मूल्य पर बैंक की बही में जारी रहेगा।

9) व्युत्पन्न (डेरिवेटिव)

वर्तमान में बैंक फॉरेक्स वायदा संविदा, ब्याज दर एवं करेंसी डेरिवेटिव का कार्य करता है। बैंक द्वारा किया जाने वाला, ब्याज दर डेरिवेटिव, रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप, वायदा दर करार तथा ब्याज दर फ्यूचर है। बैंक द्वारा किये जा रहे मुद्रा डेरिवेटिव विकल्प हैं - ऑप्शन, करन्सी स्वैप तथा करन्सी फ्यूचर। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, डेरिवेटिव को निम्नानुसार मूल्यांकित किया जाता है :

क) हेज/नॉन हेज (मार्केट मेकिंग) संव्यवहार अलग-अलग से रिकार्ड किए जाते हैं।

ख) हेज़िग डेरिवेटिव पर आय/व्यय उपचय आधार पर लेखांकित होती है।

ग) फॉरेक्स फॉरवर्ड संविदाओं को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: लाभ एवं हानि को लाभ एवं हानि खाते में बताया जाता है।

घ) हेजिंग डेरिवेटिव की एमटीएम बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन)/मूल्यह्रास होने पर सर्वप्रथम इनके संबंधित अंडरलाइंग आस्ति के मूल्यह्रास/बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) से इसका समंजन (सेट ऑफ) किया जाता है तथा इसके परिणाम से निकले मूल्यह्रास को निर्धारित किया जाता है। यदि उक्त के परिणाम स्वरूप बढ़ोतरी (एप्रीसिएशन) निकलता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ड़) व्यापार उद्देश्य से विनिमय व्यापार डेरिवेटिव के अलावा, ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव को बाजार मूल्य पर अंकित किया जाता है और परिणामत: हानि, यदि कोई हो तो उसको लाभ एवं हानि में निर्धारित किया जाता है। लाभ, यदि कोई हो तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

च) व्यापार उद्देश्य से प्रविष्ट, विनिमय व्यापार डेरिवेटिव का, विनिमय द्वारा प्रदत्त दरों के आधार पर प्रचलित बाजार दरों पर अंकन किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि को लाभ-हानि खाते में

entire portfolio of SRs backed by sold assets issued under that securitization, provision for depreciation will be higher of the following;

a. provisioning at a rate required in terms of net asset value declared by the SCs/RCs; and

b. provisioning at a rate as applicable to the underlying loans, assuming that the loans notionally continued in the books of the bank.

When Bank invests in the security receipts/ pass-through certificates issued by ARC in respect of the financial assets sold by the Bank to the ARC, the sale will be recognized in books of the bank at the lower of:

- the redemption value of the security receipts/ pass-through certificates, and
- the Net Book Value of the financial asset.

The above investment will be carried in the books of the bank at a price as determined above until its sale or realization.

9) DERIVATIVE

The Bank presently deals Forex Forward Contracts in interest rate and currency derivatives. The interest rate derivatives dealt with by the Bank are Rupee Interest Rate Swaps, Foreign Currency Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Interest Rate Futures. Currency Derivatives dealt with by the Bank are Options, Currency Swaps and Currency Futures. Based on RBI guidelines, Derivatives are valued as under:

(a) The hedge/non hedge (market making) transactions are recorded separately.

(b) Income/expenditure on hedging derivatives are accounted on accrual basis.

(c) Forex forward contracts are Marked to market and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(d) MTM appreciation/ depreciation of hedging derivative is first set off with the depreciation / appreciation of the corresponding underlying and the resultant depreciation is recognized. Resultant appreciation, if any, is ignored.

(e) Interest Rate Derivatives and currency derivatives other than exchange traded derivatives for trading purpose are marked to market and the resulting losses, if any, are recognised in the Profit & Loss account. Net Profit if any, is ignored.

(f) Exchange Traded Derivatives entered into for trading purposes are valued at prevailing market rates based on rates given by the Exchange and the resultant gains and losses are recognized in the Profit and Loss Account.

(g) Gains/ losses on termination of the trading swaps are recorded on the termination date as income/ expenditure. Any gain/loss on termination of hedging

निर्धारित किया जाता है।

छ) ट्रेडिंग स्वैप के निरस्तीकरण से, लाभ/हानियों को, निरस्तीकरण तिथि पर आय/व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। हेजिंग स्वैप की समाप्ति पर, किसी भी लाभ/हानि को उस समय स्थगित किया जाता है तथा संविदा के अनुसार स्वैप की बची हुई अवधि या निर्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि-इन दोनों में जो भी कम हो, उस काल खण्ड में उसे निर्धारित किया जाता है।

ज) ऑप्शन संविदा की परिपक्वता अवधि पर ऑप्शन शुल्क/प्रीमियम का परिशोधन किया जाता है।

10. संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण

क. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के मामलों के अतिरिक्त जिन्हें पुनर्मूल्यन रकम पर ही बताया जाता है, अचल आस्तियों को पूर्व के लागत के आधार पर बताया है। पुनर्मूल्यांकन से आयी वृद्धि (एप्रीसिएशन) को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति जमा किया जाता गया है।

ख. लागत में शामिल है - खरीद की लागत तथा आस्ति के उपयोग के पहले या उसे पहले प्रयोग योग्य बनाने के लिए स्थान संबंधी तैयारी की संस्थापना लागत, व्यावसायिक शुल्क इत्यादि जैसे किए गए सभी व्यय शामिल है। उपयोग किए जा रहे आस्तियों पर किए गए उत्तरवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाएगा जब ऐसे आस्तियों से अथवा उनकी कार्यात्मक क्षमता से भविष्य में लाभ में वृद्धि होती है।

ग. 5 वर्ष से कम आकलित उपयोगी जीवन वाली आस्तियों को छोड़कर, सभी आस्तियों के लिए 5% अवशिष्ट मूल्य रखा गया है (यथा कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर तथा साइकल) जहाँ आस्ति को पूरी लागत, उपयोगी जीवन के ऊपर परिशोधित है।

घ. मूल्यह्रास की दर तथा मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका नीचे दिया गया है -

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	बैंक के द्वारा निर्धारित उपयोगी जीवन का आकलन	मूल्यह्रास प्रभारित करने का तरीका
1	**भवन एवं भूमि**			
1.क.	भूमि (फ्री होल्ड)	शून्य		
1.ख.	पट्टाधारित भूमि	पट्टे की अवधि में लीज प्रीमियम परिशोधित की जाती है।		
1.ग.	भवन (भूमि की लागत सहित यदि पहले निर्धारित नहीं की गयी है)	1.58 %	60 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
2	**अन्य अचल आस्तियां:-**			
क)	फर्नीचर, फिक्सचर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ख)	इलेक्ट्रिकल फिटिंग एवं उपकरण	9.50%	10 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ग)	एयर कंडिशनिंग प्लांट इत्यादि एवं कारोबार मशीनें	6.33%	15 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
घ)	मोटर कार, वैन एवं मोटर साइकिलें	11.88%	8 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
ड़)	साइकल	20.00%	5 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
च)	कम्प्यूटर तथा कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग है।	33.33%	3 वर्ष	सीधी आरेख पद्धति
छ)	कंम्प्यूटर साफ्टवयेर जो हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है।	खरीदी के वर्ष में 100.00%	-	आरबीआई द्वारा यथा निर्धारित

ङ. खरीद/बिक्री के संबंध में मूल्य ह्रास को वर्ष के दौरान जितने दिनों के लिए आस्ति का प्रयोग किया गया, उसके आनुपातिक आधार पर किया जाता है।

swaps are deferred and recognised over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the designated assets/liabilities.

(h) Option fees/premium is amortised over the tenor of the option contract.

10) PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT

a. Fixed assets are stated at historic cost, except in the case of assets which have been revalued, which are stated at revalued amount. The appreciation on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

b. Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs, professional fees, etc. incurred on the asset before it is put to use or capable of put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

c. 5% residual value has been kept for all the assets except for the assets with estimated useful life less than 5 Years (eg. Computers, Computer Software and Cycles), where the entire cost of the assets is amortised over the useful life.

d. The rates of depreciation and method of charging depreciation is given below-

Sr. No.	Particulars	Rate of Depreciation	Estimated useful life as determined by the Bank	Method of charging depreciation
1	**Land & Building:**			
1.a.	Land (Freehold)	NIL		
1.b.	Leasehold Land		Lease premium is amortised over the period of lease	
1.c.	Building (including cost of land if not ascertained separately)	1.58%	60 Years	Straight Line
2.	**Other Fixed Assets:-**			
a.	Furniture, Fixtures, Electrical fittings and Equipments	9.50%	10 Years	Straight Line
b.	Electrical Fitting and Equipments	9.50%	10 Years	Straight Line
c.	Air-conditioning plants, etc. and business machines	6.33%	15 Years	Straight Line
d.	Motor cars, Vans & Motor cycles	11.88%	8 Years	Straight Line
e.	Cycle	20.00%	5 Years	Straight Line
f.	Computers and Computer Software forming integral part of hardware	33.33%	3 Years	Straight Line
g.	Computer Software, not embedded in hardware	100% in the Year of acquisition	-	As prescribed by RBI

e. In respect of additions/sale during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

च. जैसा कि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन के समय मूल्यांकित किया गया, उक्त आस्ति के बचे हुए, उपयोगी जीवन में पुनर्मूल्यांकित अंश का मूल्यह्रास किया जाता है। ऐसे मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि पर प्रभारित किया जाता है और इसके बराबर की राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया जाता है।

छ. भारत के बाहर की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास, सीधी आरेख पद्धति पर आधारित होता है, उन स्थानों को छोड़कर जहाँ स्थानीय संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा अलग दर/पद्धति निर्धारित की गयी है।

11. विदेशी मुद्रा विनिमय से संबद्ध संव्यवहार

विदेशी मुद्रा से संबंधित संव्यवहारों का लेखांकन आरबीआई के वर्तमान दिशानिर्देशों के साथ पठित लेखामानक (एएस)11, ''विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव'' के अनुरूप किया गया है:

क) **<u>समाकलित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण:</u>** भारतीय शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों का वर्गीकरण समाकलित विदेशी परिचालन के रूप में किया गया है और ऐसे परिचालन के विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

i) विदेशी मुद्रा में संव्यवहारों को, रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर रिकॉर्ड किया जाता है, जो कॉगजेन्सिस/रायटर के पृष्ठ में प्रदर्शित दैनिक क्लोजिंग दर पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर को विदेशी मुद्रा रकम पर लगाया जाता है।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को, भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर, रिपोर्ट किया जाता है।

iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों को, जिन्हें पूर्व के लागत के अनुसार लगाया जाता है, उन्हें संव्यवहार की तारीख पर विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

iv) विदेशी मुद्रा में रखे गए आकस्मिक देयताओं को एफईडीएआई के क्लोजिंग स्पॉट दरों का प्रयोग कर रिपोर्ट किया जाता है।

v) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय स्पॉट और कारोबार के लिए धारित वायदा संविदा का निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामत: लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

vi) एफईडीएआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय वायदा संविदा जिन पर कारोबार नहीं किया जाएगा, उनका क्लोजिंग स्पॉट दर पर मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे वायदा विनिमय संविदा के आरंभ में उत्पन्न प्रीमियम अथवा बट्टे को, संविदा के जीवनकाल में व्यय अथवा आय पर परिशोधित किया जाता है।

vii) मौद्रिक मदों के निपटान में, आरंभ में रिकार्ड किए गए दरों से भिन्न दरों के लिए उत्पन्न विनिमय अंतर को उस अवधि के लिए आय के रूप में अथवा व्यय के रूप में माना जाएगा जिस समय यह उत्पन्न हुई।

f. The revalued portion is depreciated over the balance useful life of the assets as assessed at the time of revaluation. Such depreciation is charged to Profit & loss account and equivalent amount is transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

g. Depreciation on fixed assets outside India is provided on Straight Line Method, except at the centres where different rates/method have been prescribed by the local statutory authorities.

11) TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE:

Transactions involving foreign exchange are accounted for in accordance with AS 11, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates" read with extant RBI guidelines:

a) **<u>Translation in respect of Integral Foreign operations:</u>** Foreign currency transactions of Indian branches have been classified as integral foreign operations and foreign currency transactions of such operations are translated as under:

i) Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the daily closing rate as available from Cogencis/ Reuter's page.

ii) Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.

iii) Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms of historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

iv) Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

v) Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting notional profit or loss is recognised in the Profit and Loss account.

vi) Outstanding Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading are valued at the closing spot rate as advised by FEDAI. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.

vii) Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

viii) मुद्रा वायदा कारोबार में खुली स्थिति के विनिमय दर में परिवर्तन के कारण प्राप्ति/हानि का निपटान दैनिक आधार पर विनिमय समाशोधन गृह में किया जाता है और ऐसे लाभ/हानि को लाभ एवं हानि खाते में मान्य किया जाता है।

ख) समाकलन रहित विदेशी परिचालनों के संबंध में स्पष्टीकरण: विदेशी शाखाओं के विदेशी मुद्रा में संव्यवहार को आंतरिक विदेशी परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके वित्तीय विवरणपत्रों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

i) आस्तियों एवं देयताओं (मौद्रिक और गैर-मौद्रिक के साथ साथ आकस्मिक देयताओं) को वर्ष की समाप्ति पर भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित क्लोजिंग दरों के आधार पर स्पष्ट किया जाता है।

ii). आय और व्ययों को संबंधित तिमाही की समाप्ति पर एफईडीएआई द्वारा सूचित 'तिमाही औसत क्लोजिंग दर' पर स्पष्ट किया जाता है।

iii) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को संबंधित विदेशी शाखाओं में निवल निवेशों के निपटान तक एक अलग खाते 'विदेशी मुद्रा स्पष्टीकरण रिजर्व' में संचित किया जाता है।

iv) विदेशी कार्यालयों के विदेशी मुद्रा में आस्तिओं और देयताओं (विदेशी कार्यालयों के स्थानीय मुद्रा को छोड़कर) को उस देश में लागू स्पॉट दरों का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में आंका जाता है।

12. कर्मचारी लाभ :

i. अल्पावधि कर्मचारी लाभ :

अल्पावधि कर्मचारी लाभों की बट्टाकृत रकम जैसे मेडिकल लाभ आदि का भुगतान जो कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विनिमय में किया जाता है। इसे कर्मचारी द्वारा दी जा रही सेवा की अवधि के दौरान ही मान्यता दी जाएगी।

ii. दीर्घावधि कर्मचारी लाभ :

क. परिनिश्चित लाभ योजना:-

क) उपदान (ग्रैच्युटी)

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रैच्युटी प्रदान करता है। यह लाभ निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर एक मुश्त भुगतान के रूप में दी जाती है। यह राशि प्रत्येक पूर्ण किए गए सेवा वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य है जो उपदान संदाय अधिनियम, 1972 अथवा बीओआई (कर्मचारी) उपदान विनियम, 1975 में निर्धारित अधिकतम राशि में जो भी अधिक हो, के अधीन है। पांच वर्षों की सेवा पूर्ण होने पर वेस्टिंग होती है। बैंक निधि में आवधिक अंशदान करता है जिसका प्रबंधन न्यासियों (ट्रस्टी) द्वारा किया जाता है जो तिमाही रूप में एक स्वतंत्र बाह्य एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है।

viii) Gains/Losses on account of changes in exchange rates of open position in currency futures trades are settled with the exchange clearing house on daily basis and such gains/ losses are recognised in the Profit and Loss account.

b) **Translation in respect of Non-Integral Foreign operations:** Transactions and balances of foreign branches are classified as non-integral foreign operations and their financial statements are translated as follows:

i) Assets and Liabilities (monetary and non-monetary as well as contingent liabilities) are translated at the closing rates notified by FEDAI.

ii) Income and expenses are translated at the quarterly average closing rates notified by FEDAI.

iii) All resulting exchange differences are accumulated in a separate account 'Foreign Currency Translation Reserve' till the disposal of the net investments by the bank in the respective foreign branches.

iv) The Assets and Liabilities of foreign offices in foreign currency (other than local currency of the foreign offices) are translated into local currency using spot rates applicable to that country.

12) EMPLOYEE BENEFITS:

i. Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

ii. Long Term Employee Benefits:

A. Defined Benefit Plan

a) Gratuity

The Bank provides gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum prescribed as per The Payment of Gratuity Act, 1972 or Bank of India Gratuity Fund Rules, 1975, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes periodic contributions to a fund administered by trustees based on an independent actuarial valuation carried out quarterly.

ख) पेंशन

बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन देता है। नियत के अनुसार यह लाभ मासिक भुगतान के रूप में होता है और निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नियोजन के दौरान मृत्यु पर, अथवा नियोजन की समाप्ति पर भुगतान किया जाता है। नियमों के अनुसार वेस्टिंग विभिन्न स्तरों पर होती है। बीओआई (कर्मचारी) पेंशन विनियमन,1995 के अनुसार बैंक पेंशन निधि में वेतन का 10% मासिक अंशदान करता है। पेंशन की देयता स्वतंत्र एक्चुरीयल मूल्यांकन पर आधारित है जो तिमाही रूप में की जाती है और पेंशन विनियमन के अंतर्गत भुगतान के लाभों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर निधि में बैंक द्वारा ऐसे अतिरिक्त अंशदान किए जाते हैं।

ख. परिनिश्चित अंशदान योजना :

क) भविष्य निधि:

बैंक एक भविष्य निधि योजना चलाती है। सभी पात्र कर्मचारियों को बैंक के भविष्य निधि योजना के अंतर्गत लाभ पाने का हक है। बैंक एक निर्धारित दर (वर्तमान में कर्मचारी के बेसिक वेतन के 10% के साथ पात्र भत्ते) पर मासिक अंशदान करता है। यह अंशदान इस उद्देश्य से स्थापित न्यास को प्रेषित किया जाता है और इसे लाभ तथा हानि खाते से प्रभारित किया जाता है। बैंक ऐसे वार्षिक अंशदानों को उस संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है।

ख) पेंशन

दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से बैंक में भर्ती हुए सभी कर्मचारी अंशदायी पेंशन के पात्र हैं। ऐसे कर्मचारी पेंशन योजना में पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करते हैं। उक्त पेंशन योजना में बैंक भी पूर्व निर्धारित दर पर मासिक अंशदान करता है। बैंक ऐसी योजना में हुए व्यय को संबंधित वर्ष के व्यय के रूप में मान्यता देता है। यह अंशदान राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम न्यास को प्रेषित किया जाता है। बैंक का दायित्व ऐसे पूर्व निर्धारित अंशदान तक सीमित है।

ग. अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सभी पात्र कर्मचारी निम्नलिखित के पात्र हैं -

i.) छुट्टी नकदीकरण लाभ जो परिभाषित लाभ दायित्व है, एएस 15 - ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

b) Pension

The Bank provides pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contribution to the pension fund at 10% of pay in terms of Bank of India (Employees) Pension Regulations, 1995. The pension liability is reckoned based on an independent actuarial valuation carried out quarterly and Bank makes such additional contributions periodically to the Fund as may be required to secure payment of the benefits under the pension regulations.

B. Defined Contribution Plan:

a. Provident Fund

The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The bank recognises such annual contributions as an expense in the year to which it relates.

b. Pension

All Employees of the bank, who have joined from 1st April, 2010 are eligible for contributory pension. Such employees contribute monthly at a predetermined rate to the pension scheme. The bank also contributes monthly at a predetermined rate to the said pension scheme. Bank recognises its contribution to such scheme as expenses in the year to which it relates. The contributions are remitted to National Pension System Trust. The obligation of bank is limited to such predetermined contribution.

c. Other Long term Employee Benefits:

All eligible employees are entitled to the following-

i.) Leave encashment benefit, which is a defined benefit obligation, is provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

ii.) अन्य कर्मचारी लाभ जैसे छुट्टी किराया रियायत, माइलस्टोन अवार्ड, पुनर्स्थापना लाभ, बीमारी अवकाश इत्यादि परिनिश्चित लाभ दायित्व है जो एएस 15 - ''कर्मचारी लाभ'' के अनुरूप एक्चुरीयल मूल्यांकन के आधार पर उपलब्ध करवाया जाता है।

iii.) विदेशी शाखाओं, कार्यालयों एवं सहायक कंपनियों के मामलों में, प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के संबंध में लाभों की गणना संबंधित देशों में विद्यमान कानून के आधार पर की जाती है।

13. प्रति शेयर अर्जन :

क) एएस 20 "अर्जन प्रति शेयर" के अनुसार, प्रति इक्विटी शेयर, बेसिक एवं डायल्यूटेड अर्जन रिपोर्ट की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर मूल अर्जन की गणना कर पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

ख) प्रति इक्विटी शेयर डायल्यूटेड आय की गणना, इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं अवधि के दौरान बकाया डाइलूटिव संभाव्य इक्विटी शेयरों को उपयोग में लाकर की जाती है।

14. आय पर कर :

क) बैंक द्वारा की गयी, वर्तमान कर तथा आस्थागित कर के व्यय की कुल राशि आयकर व्यय है। आयकर अधिनियम, 1961 तथा लेखांकन मानक 22- ''आय पर करों के लिए लेखांकन'' के प्रावधानों अनुसार क्रमश: वर्तमान कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय का निर्धारण किया जाता है। इसमें विदेशी कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर कानूनों पर आधारित भुगतान किये गये करों को ध्यान में रखा जाता है।

ख) आस्थगन कर समायोजन में वर्ष के दौरान स्थगित कर आस्ति या देयता में परिवर्तन शामिल होता है। वर्तमान वर्ष हेतु कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच अंतर तथा हानि को आगे ले जाने पर समय के प्रभाव पर विचार करते हुए आस्थगित कर आस्ति एवं देयताओं को निर्धारित किया जाता है। तुलन पत्र की तारीख को लागू या पूर्णत: लागू कर दर तथा कर कानून का प्रयोग कर आस्थगित कर आस्तियाँ तथा देयताएँ तय की जाती हैं। आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन का प्रभाव लाभ तथा हानि खाते में निर्धारित किया जाता है।

ग) प्रबंधन के निर्णय के अनुसार यदि उगाही निश्चित है तो प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आस्थगित कर आस्तियाँ, निर्धारित एवं पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं। अनवशोषित मूल्यह्रास तथा कर हानि को आगे ले जाने पर आस्थगित कर आस्ति को तब ही निर्धारित किया जाता है जब इस बात के ठोस और निश्चित प्रमाण हों कि भविष्य के कर योग्य आय के विरुद्ध आस्थगित कर आस्ति की उगाही की जा सकती है।

ii.) Other employee benefits such as Leave Fare Concession, Milestone award, resettlement benefits, sick leave etc. which are defined benefit obligations are provided for on the basis of an actuarial valuation in accordance with AS 15 – "Employee Benefits".

iii.) In respect of overseas branches, offices and subsidiaries, the benefits in respect of employees other than those on deputation are valued and accounted for as per laws prevailing in the respective territories.

13) EARNINGS PER SHARE:

a) Basic and Diluted earnings per equity share are reported in accordance with AS 20 "Earnings per share". Basic earnings per equity share are computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the period.

b) Diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the end of the period.

14) TAXES ON INCOME:

a) Income tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax expense incurred by the Bank. The current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and as per Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" respectively after taking into account taxes paid at the foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdictions.

b) Deferred Tax adjustments comprise changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.

c) Deferred tax assets are recognised and re-assessed at each reporting date, based upon management's judgment as to whether their realisation is considered as reasonably certain. Deferred Tax Assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that such deferred tax assets can be realised against future taxable income.

15. आस्तियों का ह्रास

स्थिर आस्तियों (पुनर्मूल्यित आस्तियों सहित) पर ह्रासित हानि यदि कोई हो, तो एएस 28 ''आस्तियों का ह्रास'' के अनुरूप लाभ और हानि खाते में प्रभारित की जाती है। तथापि, पुनर्मूल्यित आस्ति पर ह्रासित हानि को सीधे आस्ति के लिए किसी पुनर्मूल्यन अधिशेष पर मान्यता उस हद तक है जहां तक एक ही आस्ति के पुनर्मूल्यन अधिशेष में रखी गयी रकम ह्रासित हानि से अधिक न हो।

16. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां :

एएस 29 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' के अनुसार बैंक, प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान पर कोई दायित्व हो और यह संभाव्य है कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमनों के दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी और जब दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान किया जा सकता है।

जब तक कि आर्थिक लाभों को समाविष्ट करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना कम न हो, आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक आस्तियों को मान्य नहीं किया जाता है।

17. शेयर जारी करने हेतु व्यय :

जिस वर्ष में शेयर जारी किया जाता है, उस वर्ष शेयर जारी करने के व्यय को लाभ तथा हानि खाते में प्रभारित किया जाता है।

15) IMPAIRMENT OF ASSETS:

Impairment losses, if any on Fixed Assets (including revalued assets) are recognised and charged to Profit and Loss account in accordance with AS 28 "Impairment of Assets". However, an impairment loss on revalued assets is recognised directly against any revaluation surplus for the asset to the extent that the impairment loss does not exceed the amount held in the revaluation surplus for that same asset.

16) PROVISIONS, CONTINGENT LIABLITIES AND CONTINGENT ASSETS:

As per AS 29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent Assets are not recognised in the financial statements.

17) SHARE ISSUE EXPENSES:

Share issue expenses are charged to the Profit and Loss Account in the year of issue of shares.

अनुसूची 18

जब तक कि विशिष्ट रूप से अन्यथा न कहा गया हो सभी आंकडे ₹ करोड़ों में हैं।

कोष्ठक में दिए आंकडे पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणपत्रों के भाग रूप नोट्स

1. अनुषंगियों (सब्सिडीरिज) के विवरण निम्नानुसार हैं जिनके वित्तीय विवरणपत्र बैंक ऑफ़ इंडिया (मूल बैंक) के एकल वित्तीय विवरण पत्र के साथ समेकित हैं :

अनुषंगियों का नाम		निगमन (इन्कॉर्पोरेशन) देश	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्वदेशी अनुषंगियां :				
क	बीओआई शेयरहोल्डिंग लि.	**भारत**	100%	100%
ख	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्रा.लि.	**भारत**	51%	51%
ग	बीओआई अक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि	**भारत**	51%	51%
घ	बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	**भारत**	100%	100%
विदेशी अनुषंगियां:				
क	पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	इंडोनेशिया	76%	76%
ख	बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानियां) लिमिटेड	तंजानियां	100%	100%
ग	बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैन्ड) लिमिटेड	न्यूजीलैन्ड	100%	100%
घ	बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लिमिटेड	युगांडा	100%	100%
ङ	बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लिमिटेड	बोत्स्वाना	100%	100%

2. समेकित विवरण पत्रों में विचार की गयी सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उद्यमियों के विवरण इस प्रकार है:

(i) **सहयोगी कंपनियां:**

सहयोगियों के नाम		**निगमन देश**	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
क	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक-			
i)	झारखण्ड ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ii)	नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iii)	विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
iv)	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	भारत	35%	35%
ख	इंडो जाम्बिया बैंक लि.	जाम्बिया	20%	20%
ग	एसटीसीआई फाइनैन्स लिमिटेड	भारत	29.96%	29.96%
घ	एएसआरईसी (इंडिया) लि.	भारत	26.02%	26.02%

SCHEDULE 18

All figures are in ₹ Crore unless specifically stated.

Figures in Brackets relate to previous year

NOTES FORMING PART OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

1. Particulars of the subsidiaries whose financial statements are consolidated with the standalone financial statement of Bank of India (the Parent Bank) are as under:

Names of Subsidiaries		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018
Domestic Subsidiaries:				
a)	BOI Shareholding Ltd.	India	100%	100%
b)	BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd.	India	51%	51%
c)	BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd.	India	51%	51%
d)	BOI Merchant Bankers Ltd	India	100%	100%
Overseas Subsidiaries:				
a)	PT Bank of India Indonesia Tbk	Indonesia	76%	76%
b)	Bank of India (Tanzania) Ltd.	Tanzania	100%	100%
c)	Bank of India (New Zealand) Ltd.	New Zealand	100%	100%
d)	Bank of India (Uganda) Ltd.	Uganda	100%	100%
e)	Bank of India (Botswana) Ltd.	Botswana	100%	100%

2. Particulars of associates and joint venture considered in the Consolidated Financial Statements are as under :

(i) Associates:

Names of Associates		Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018
a)	Regional Rural Banks -			
i)	Jharkhand Gramin Bank	India	35%	35%
ii)	Narmada Jhabua Gramin Bank	India	35%	35%
iii)	Vidharba Konkan Gramin Bank	India	35%	35%
iv)	Gramin Bank of Aryavart	India	35%	35%
b)	Indo Zambia Bank Limited	Zambia	20%	20%
c)	STCI Finance Ltd.	India	29.96%	29.96%
d)	ASREC (India) Ltd.	India	26.02%	26.02%

(ii) संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यमों के नाम	निगमन देश	यथा 31.03.2019 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात	यथा 31.03.2018 को मूल बैंक द्वारा स्वामित्व का अनुपात
स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमा कंपनी लि.	भारत	28.96%	28.96%

3. इन अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमियों एवं सहयोगियों के विवरणपत्र जो समेकन में इस्तेमाल किए जाते हैं मूल बैंक की यथा रिपोर्टिंग तारीख अर्थात 31 मार्च, 2019 तक बनाए गए हैं, सिवाय एक सहायक कंपनी - इंडो ज़ाम्बिया बैंक लिमिटेड (आईज़ेडबीएल) के। आईज़ेडबीएल के वित्तीय विवरण 31 दिसंबर, 2018 तक तैयार किए गए थे और 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कोई महत्वपूर्ण संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किए गए थे।

4. स्वदेशी अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों के मामले में, मूल बैंक और अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमियों / सहयोगियों द्वारा अपनायी गयी भिन्न-भिन्न लेखांकन पॉलिसियों के कारण उत्पन्न लेखागत समायोजन अनुषंगियों / संयुक्त उद्यम / सहयोगियों द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के आधार पर किए गए है।

5. समेकित वित्तीय विवरण पत्र निम्न के आधार पर तैयार किए गए हैं :

i) पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके के यथा 31.03.2019 के वित्तीय विवरण पत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

ii) बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) के यथा 31.03.2019 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

iii) बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. के यथा 31.03.2019 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

iv) बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. के यथा 31.03.2019 के वित्तीय विवरणपत्र प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र समीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की गई है।

v) बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के यथा 31.03.2019 के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र निगमन देश की स्थानीय अपेक्षाओं के अनुरूप प्रबंधन द्वारा तैयार एवं प्रमाणित हैं।

vi) बीओआई शेयरहोल्डिंग लि., बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्रा.लि., बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज़ प्रा.लि., स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरंस कंपनी लि., एवं झारखंड ग्रामीण बैंक के 31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए और इंडो जाम्बिया बैंक लि., के बारह माह 31.12.2018 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

vii) बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि., एसटीसीआई फाइनैन्स लि., एएसआरईसी (इंडिया) लि., नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक के

(ii) Joint Venture:

Names of Joint Venture	Country of Incorporation	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2019	Proportion of Ownership by the Parent bank as on 31.03.2018
Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Limited	India	28.96%	28.96%

3. The financial statements of the subsidiaries, joint ventures and associates which are used in the consolidation have been drawn upto the same reporting date as that of the Parent Bank i.e. 31st March 2019 except for an associate Indo Zambia Bank Limited (IZBL). IZBL's financial statements were prepared up to 31st December 2018 and reported no significant transaction for the quarter ended 31st March 2019.

4. In case of Domestic subsidiaries/joint venture/associates, accounting adjustments arising due to different accounting policies followed by Parent Bank and subsidiaries/joint venture/associates have been carried out on the basis of data provided by subsidiaries/joint venture/associates.

5. The Consolidated Financial Statements have been prepared on the basis of :

(i) Financial statements of PT Bank of India Indonesia Tbk as on 31.03.2019 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(ii) Financial statements of Bank of India (Tanzania) Ltd. as on 31.03.2019 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iii) Financial statements of Bank of India (New Zealand) Ltd. as on 31.03.2019 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(iv) Financial statements of Bank of India (Uganda) Ltd. as on 31.03.2019 certified by the Management and reviewed by an independent reviewer as per the local requirements of the country of incorporation.

(v) Unaudited Financial statements of Bank of India (Botswana) Ltd. as on 31.03.2019 prepared and certified by the Management as per the local requirements of the country of incorporation.

(vi) Audited financial statements of BOI Shareholding Ltd., BOI AXA Investment Managers Pvt. Ltd., BOI AXA Trustee Services Pvt. Ltd., Star Union Dai-ichi Life Insurance Company Ltd. and Jharkhand Gramin Bank for the financial year ended 31.03.2019 and Indo Zambia Bank Ltd. for the twelve months ended 31.12.2018.

(vii) Unaudited financial statements of BOI Merchant Bankers Ltd., STCI Finance Ltd., ASREC (India) Ltd., Narmada Jhabua Gramin Bank, Vidharbha

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरणपत्र हैं।

6. वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने इक्विटी शेयरों के अधिमनी आबंटन द्वारा मूल बैंक में रु. 14,724 के नये इक्विटी शेयर पूंजी का निवेश किया है। मूल बैंक ने सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप प्रत्येक रु.10/- प्रति शेयर के 95,37,58,865 इक्विटी शेयरों का अधिमनी आबंटन किया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

आबंटन की तारीख	शेयर धारक का नाम	शेयर का प्रकार	प्रति शेयर इश्यू मूल्य (रू.मे)	राशि	आबंटन की तारीख
26.12.2018	भारत सरकार	अधिमानी इश्यू	105.75	10,086.00	16.02.2019
21.02.2019	भारत सरकार	अधिमानी इश्यू	89.60	4,638.00	20.04.2019*
		कुल		**14,724.00**	

* आरबीआई पत्र सं. डीबीआर.सीओ.बीपी.सं.8307/21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई और सीईटी-1 पूंजी यथा 31 मार्च,2019 की गणना पर विचार किया गया।

इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ़ इंडिया -कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) के अन्तर्गत मूल बैंक को रु.660.80 राशि की प्राप्ति हुई है। इस योजना के अंतर्गत, मूल बैंक ने 24.28% की छूट पर रु.105.64 के फ्लोर मूल्य प्रति शेयर अर्थात रु.80/- प्रति शेयर के ऑफर पर 6,25,52,188 नये इक्विटी शेयर आंबटित किये हैं जिनका अंकित मूल्य रु. 10 प्रति शेयर है। इनका विवरण इस प्रकार है:

शेयरधारक का नाम	इश्यू का प्रकार	प्रति शेयर इश्यू मूल्य	राशि	आबंटन की तारीख
मूल बैंक के कर्मचारी (ऑफर मूल्य रु 80/- प्रति शेयर)	ईएसपीएस इश्यू	105.64	660.80	07.03.2019

6.1 भारत सरकार ने अपने साप्ताहिक राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च,2019 -6 अप्रैल, 2019 के माध्यम से प्राधिकृत पूंजी को रु.3,000 (रुपये तीन हजार)से बढ़ाकर रु.6,000 (रुपये छः हजार) कर दिया।

7. मूल बैंक के संबंध में, अनुषंगी बही खातों का समतुलन, विदेशी शाखाओं, आंतर कार्यालय खातों, नोस्ट्रो खातों, उचंत, संदेय ड्राफ्ट, समाशोधन अन्तरों,अन्य ऑफिस इत्यादि के साथ शेष राशियों की पुष्टि/समाधान का कार्य सतत आधार पर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में उपरोक्त का लम्बित अंतिम समाशोधन/समायोजन का वित्तीय विवरणों पर समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण होने की सम्भावना नहीं है ।

8. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणपत्र के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जा रही है:

Konkan Gramin Bank and Gramin Bank of Aryavart for the financial year ended 31.03.2019 certified by their management.

6. During the year, Government of India has infused ₹ 14,724 capital for fresh equity shares out of which the Parent bank has made preferential allotment of 95,37,58,865 equity shares of ₹ 10 each, in accordance with the provisions of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The details are as under:

Date of Capital Infusion	Name of the Shareholder	Type of Issue	Issue Price per share (in ₹)	Amount	Date of Allotment
26.12.2018	Govt. of India	Preferential Issue	105.75	10,086.00	16.02.2019
21.02.2019	Govt. of India	Preferential Issue	89.60	4,638.00	20.04.2019*
		Total		**14,724.00**	

* In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP.No. 8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019 the share application money of ₹4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2019.

Further, the Parent bank under Bank of India- Employee Stock Purchase Scheme (ESPS) has raised an amount of ₹ 660.80. Under this scheme, the Parent bank has allotted 6,25,52,188 new equity shares having face value of ₹ 10/- each at a discount of 24.28% on the floor price of ₹ 105.64 per share i.e. at an offer price of ₹ 80/- each. The details are as under:

Name of the Shareholder	Type of Issue	Issue Price per share (in ₹)	Amount	Date of Allotment
Parent Bank's Employees (Offer Price ₹ 80/- Share)	ESPS Issue	105.64	660.80	07.03.2019

6.1 The Govt. of India vide their weekly Gazette Notification dated March 31, 2019 - April 6, 2019 increased the authorised capital from ₹ 3,000 (Rupees Three Thousand) to ₹ 6,000 (Rupees Six Thousand).

7. In respect of the Parent bank, balancing of Subsidiary Ledger Accounts, confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, Inter-office accounts, NOSTRO Accounts, Suspense, Draft Payable, Clearing Difference, other office accounts, etc. is in progress on an on-going basis. In the opinion of the management, the overall impact on the financial statements, if any, of pending final clearance/adjustment of the above, is not likely to be significant.

8. The following information is disclosed in respect of consolidated financial statements in terms of guidelines issued by Reserve Bank of India:

ए) पूँजी:

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (CET1) (%)	11.71%	8.52%
ii)	टियर I पूंजी अनुपात (%)	11.77%	10.36%
iii)	टियर II पूंजी अनुपात (%)	3.09%	3.18%
iv)	कुल पूंजी अनुपात (CRAR) (%)	14.86%	13.54%
v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	87.05%	83.09%
vi)	वर्ष के दौरान प्राप्त इक्विटी पूंजी राशि	10,746.80	*10,953.92
vii)	शेयर आवेदन राशि आबंटन के लिए लंबित**	4,638	0.00
viii)	वर्ष के दौरान टियर-I पूंजी के रूप में प्राप्त राशि अर्थात PDI		
	क) पीएनसीपीएस	0.00	0.00
	ख) पीडीआई	0.00	500.00
ix)	वर्ष के दौरान टियर–II राशि अर्थात डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट		
	डेट कैपिटल इन्स्ट्रूमेंट	0.00	0.00
	पीसीपीएस /आरएनसीपीएस / आरसीपीएस	0.00	0.00

* इस राशि में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आबंटित रु.1,721.92 शेयर आबंटित राशि शामिल है।

** आरबीआई के पत्र सं.डीबीआर.सीओ.बीपी सं. 8307/21.01.002/2018-19 दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में दिनांक 21 फरवरी, 2019 को रु.4,638 की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2019 को सीईटी -1 पूंजी की गणना हेतु विचार किया गया ।

टियर I पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया नवोन्मेष सतत ऋण लिखत (आईपीडीआई)/ के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना (बासेल III)
2009-10	आईपीडीआई	325.00	97.50
2010-11	आईपीडीआई	300.00	90.00
	कुल	625.00	187.50

टियर II पूंजी बढ़ाने हेतु लिए गए बकाया टियर II लिखतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

वर्ष में वर्धित	स्वरूप	राशि	सीआरएआर परिकलन के प्रयोजन हेतु गणना
2009-10	अपर टियर II	2,000.00	600.00
2010-11	अपर टियर II	1,000.00	300.00
2013-14	टियर II	1,500.00	1,200.00
2015-16	टियर II	3,000.00	3,000.00
2016-17	टियर II	2,500.00	2,500.00
	कुल	**10,000.00**	**7,600.00**

a) Capital:

Sr. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
i)	Common Equity Tier 1 Capital ratio (CET-1) (%)	11.71%	8.52%
ii)	Tier-I Capital ratio (%)	11.77%	10.36%
iii)	Tier-II Capital ratio (%)	3.09%	3.18%
iv)	Total Capital ratio (CRAR) (%)	14.86%	13.54%
v)	Percentage of the shareholding of the Government of India	87.05%	83.09%
vi)	Amount of Equity Capital Raised during the year	10,746.80	*10,953.92
vii)	Share application money pending for allotment **	4,638	0.00
viii)	Amount of Additional Tier-1 capital raised during the year i.e. PDI		
	a) PNCPS	0.00	0.00
	b) PDI	0.00	500.00
ix)	Amount of Tier-II capital raised i.e. Debt Capital Instruments, during the year		
	a) Debt capital instruments	0.00	0.00
	B) PCPS / RNCPS / RCPS	0.00	0.00

* The amount includes share application money of ₹ 1,721.92 received during FY 2016-17 and allotted during FY 2017-18.

** In terms of RBI letter no. DBR.CO.BP.No. 8307/21.01.002/2018-19 dated April 2, 2019, the share application money of ₹ 4,638 received on February 21, 2019 has been considered for computation of CET-1 capital as on March 31, 2019.

Details of outstanding Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI) raised to augment Tier-I capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2009-10	IPDI	325.00	97.50
2010-11	IPDI	300.00	90.00
	Total	**625.00**	**187.50**

Details of outstanding Tier-II Instruments raised to augment Tier-II capital are as under:

Raised in the year	Nature	Amount	Reckoned for the purpose of CRAR computation (Basel III)
2009-10	Upper Tier-II	2,000.00	600.00
2010-11	Upper Tier-II	1,000.00	300.00
2013-14	Tier-II	1,500.00	1,200.00
2015-16	Tier-II	3,000.00	3,000.00
2016-17	Tier-II	2,500.00	2,500.00
	Total	**10,000.00**	**7,600.00**

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीआर.सं.बीपी.13018/21.04.048/2015-16 दिनांक 1 मार्च, 2016 के अनुरूप, बैंक ने पूंजी पर्याप्तता अनुपात यथा 31 मार्च, 2019 के परिकलन में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती, विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षिती और आस्थगित कर पर विचार किया है।

बैंक ने विनियामक कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है तथा 21 अप्रैल 2018 को रु. 5,500 (श्रेणी 1 से 5) राशि के अतिरिक्त टियर-1 बॉन्ड को रिडीम किया है। इसके अतिरिक्त 16 अक्तूबर 2018 को रु. 500 के अपर टियर - II बॉन्ड को रिडीम करने के लिए तथा 11 फरवरी 2019 को रु 400 के आईपीडीआई बॉन्ड (टियर 1) को रिडीम करने के लिए कॉल ऑप्शन का प्रयोग किया है।

बी) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं:

मदें	2018-19	2017-18
एनपीए के लिए प्रावधान	15,815.14	15197.19
निवेशों के मूल्य में ह्रास	1,065.69	1468.64
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कर सहित)	(-)3,161.00	(-)2587.00
मानक आस्तियों पर प्रावधान	126.79	(-)671.18
अन्य प्रावधान (फ्लोटिंग प्रावधानों सहित)	(-)154.51	(-)120.10
कुल	**13,692.11**	**13287.55**

सी) फ्लोटिंग प्रावधान (काउन्टर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर) - (मूल बैंक)

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारम्भिक शेष	232.22	232.22
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0.00	0.00
अंतिम शेष	232.22	232.22

डी) आय कर - (मूल बैंक)

I) मूल बैंक के संबंध में आकस्मिक देयताओं (अनुसूची 12) के अंतर्गत ऋण के रूप में अभिस्वीकृत न किए गए बैंक के विभिन्न दावों में रु. 631.93 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 653.42 करोड़) की विवादित आय कर/ब्याज कर देयता शामिल है जिसके लिए ऐसे विवादों पर विगत निर्धारणों के लिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के आधार पर कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है। ऐसे विवादित देयों के विभिन्न भुगतान/समायोजन अन्य आस्तियों (अनुसूची 11) के तहत शामिल हैं।

II) लागू कर विधियों के प्रावधान तथा कुछ विवादित मामलों पर प्रासंगिक विधिक निर्णयों को ध्यान में रखने के बाद कर के लिए प्रावधान निकाला गया है।

ई) अनुषंगियों के संबंध में मूल बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित)

वर्ष 2018-19 के दौरान,मूल बैंक ने अनुषंगियों की ओर से किसी भी प्रकार का चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान, मूल बैंक ने अपनी पूर्णत: स्वामित्व वाली अनुषंगी, बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. के बारे में, उसकी वित्तीय वचनबद्धताओं, यदि कोई देय होती हैं, को पूरा करने के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ़ बोत्स्वाना को एक वचनबंध जारी किया है।

Pursuant to RBI circular No. DBR.NO.BP.13018/21.04.048/2015-16 dated March 1, 2016, the parent bank has considered revaluation reserve, foreign currency translation reserve and deferred tax assets in calculation of Capital Adequacy Ratio as on March 31, 2019.

Parent bank has exercised the regulatory call option and redeemed Additional Tier-1 Bonds amounting ₹ 5,500 (Series 1 to 5) on April 21, 2018 and has also exercised the call option to redeem the Upper Tier II Bonds amounting to ₹ 500 on October 16, 2018 and IPDI bonds (Tier-1) amounting to ₹ 400 on February 11, 2019.

(b) Provisions and Contingencies:

Items	2018-19	2017-18
Provision for NPA	15,815.14	15197.19
Depreciation in Value of Investments	1,065.69	1468.64
Provision for Taxation (including deferred tax)	(-)3,161.00	(-)2587.00
Provision on Standard Assets	126.79	(-)671.18
Other Provisions (including floating provisions)	(-)154.51	(-)120.10
Total	**13,692.11**	**13287.55**

(c) Floating Provisions (Countercyclical Provisioning Buffer) - (Parent Bank)

Particulars	2018-19	2017-18
Opening Balance	232.22	232.22
Additions during the year	0.00	0.00
Reductions during the year	0.00	0.00
Closing Balance	232.22	232.22

d) Income-Tax – (Parent Bank)

I. Claims against the Bank not acknowledged as debt appearing under contingent liabilities (Schedule 12) include disputed income tax/interest tax liabilities of ₹ 631.93 (previous year ₹ 653.42) for which no provision is considered necessary based on various judicial decisions in respect of past assessments on such disputes. Payments/adjustments against the said disputed dues are included under Other Assets (Schedule 11).

II. Provision for taxes has been arrived at after due consideration of the provisions of the applicable tax laws and relevant judicial decisions on certain disputed issues.

e) Disclosure of Letter of comfort issued by the Parent bank for subsidiaries (As compiled by Management)

During the year 2018-19, the Parent bank has not issued any letter of comforts on behalf of Subsidiaries. During the year 2011-2012, the Parent Bank has issued an undertaking to the Governor, Bank of Botswana in respect of its wholly owned subsidiary, Bank of India (Botswana) Ltd. to meet its financial commitments if they fall due.

वर्ष 2010-11 के दौरान मूल बैंक ने, रॉयल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पक्ष में, उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी बीओआई (न्यूज़ीलैंड) के लिए उसके वित्तीय दायित्वों, यदि वे देय होते हैं, को पूरा करने के लिए पैरेन्टल गारन्टी जारी की है।

यथा 31.03.2019 को उक्त वचनबद्धताओं पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं आया है।

9 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानकों (एएस) के अनुरूप किए गए प्रकटन.

ए. लेखांकन मानक - 5 अवधि के लिए निवल लाभ/हानि, पूर्व अवधि मदें एवं लेखांकन नीतियों में परिवर्तन :

(i) पूर्व अवधि मद :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण पूर्व अवधि मद नहीं है।

(ii) लेखांकन नीति में परिवर्तन (एएस-5) :

31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन की विधि में परिवर्तन किया है जहाँ वसूली को अब प्रभारों, वसूल न किए गए ब्याज(URI), अप्रभारित ब्याज(UCI) एवं अंत में मूलधन के प्रति समायोजित किया जा रहा है जबकि पहले की पद्धति में वसूली को प्रभारों, URI, मूलधन एवं अंत में यूसीआई के प्रति समायोजित किया जाता था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज आय में रु.598.76 तथा कर पूर्व लाभ में रु. 165.07 की वृद्धि हुई है। पैकिंग ऋण, हुंडियों तथा फ्रीज्ड खातों के मामले में लेखांकन नीति में परिवर्तन प्रणाली संचालित नहीं है। सिस्टम को प्रणाली संचालित बनाने के लिए प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करने की प्रक्रिया में है। प्रबंधन का यह मत है कि उस पर होने वाला प्रभाव, यदि कोई है तो वह महत्वपूर्ण नहीं है।

During the year 2010-11, the Parent Bank issued parental guarantee in favour of Royal Bank of New Zealand, for its wholly owned subsidiary, BOI (New Zealand) Ltd. to meet its financial obligations, if they fall due.

As on 31.03.2019 no financial obligations have arisen on the above commitments.

9. Disclosures in terms of Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):

A. AS – 5 Net Profit / loss for the period, Prior Period Items and changes in accounting policies:

(i) Prior Period Items:

There are no material prior period items during the year.

(ii) Change in Accounting Policy (AS-5):

During the financial year ended March 31, 2019, Parent bank has changed the method of appropriation of recovery in NPA accounts, where recoveries are now being adjusted against charges, Unrealised Interest (URI), Uncharged Interest (UCI) and lastly against principal as against the earlier method of adjusting recoveries against charges, URI, principal and lastly UCI. This has resulted in increase of interest income by ₹ 598.76, and Profit before tax by ₹ 165.07. The change in accounting policy is not system driven in case of Packing Credit, Bills, and Freezed accounts. The management is in the process of strengthening the system in order to make the process system driven. The management is of the opinion, that the impact, if any, of the same may not be material.

बी . लेखांकन मानक 15 -'कर्मचारी लाभ ' (संशोधित) (मूल बैंक)

B. AS-15 " Employee Benefits" (Revised) (Parent Bank)

क्र.सं. Sr. No.	विवरण	Particular	2018-2019 ग्रेच्युटी Gratuity	2018-2019 पेंशन Pension	2017-2018 ग्रेच्युटी Gratuity	2017-2018 पेंशन Pension
(i)	**प्रयुक्त प्रमुख बीमांकिक पूर्वानुमान :**	**Principal actuarial assumptions used :**				
	वर्तमान छूट दर	Discount Rate	7.79%	7.48%	7.85%	7.68%
	आयोजन आस्तियों पर प्रतिफल दर	Rate of Return on Plan Assets	7.38%	8.28%	7.96%	8.23%
	वर्तमान वेतन वृद्धि	Salary Escalation Rate	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
	संघर्षण दर	Attrition Rate	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
(ii)	**लाभ दायित्व में परिवर्तन दर्शानेवाली तालिका**	**Table showing change in benefit obligation :**				
	अवधि के प्रारंभ में देयता	Liability at the beginning of the period	1,754.54	13,716.87	1,410.08	12,851.13
	ब्याज लागत	Interest Cost	124.14	979.58	101.35	945.76
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	65.58	656.28	541.01	566.92
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	321.93	1,241.69	238.07	1,073.11
	दायित्वों पर बीमांकित (लाभ)/हानि	Actuarial (gain)/loss on Obligation	61.45	598.16	(-)59.83	426.23
	वर्ष के अंत में देयता	**Liability at the end of the year**	**1,683.78**	**14,709.20**	**1,754.54**	**13,716.87**
(iii)	**प्लान एसेट्स के उचित मूल्य की तालिका:**	**Table of Fair value of Plan Assets :**				
	अवधि प्रारंभ में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the period	1,319.42	13,330.64	1,360.32	12,321.80
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected return on Plan Assets	97.37	1,103.78	108.28	1,014.08
	अंशदान	Contributions	490.87	1,077.76	110.03	1,322.04
	प्रदत्त लाभ	Benefit Paid	321.93	1,241.69	238.07	1,073.17
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	6.65	44.39	(-)21.14	(-)254.11
	वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,592.38	14,314.88	1,319.42	13,330.64
	मानने योग्य कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	**Total Actuarial Gain/(Loss) to be recognised**	**(-)54.80**	**(-)553.77**	**38.69**	**(-)680.34**
(iv)	**प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल**	**Actual return on Plan Assets**				
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	97.37	1,103.78	108.28	1,014.08
	प्लान एसेट्स पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	Actuarial gain/(loss) on Plan Assets	6.65	44.39	(-)21.14	(-)254.11
	प्लान एसेट्स पर वास्तविक प्रतिफल	**Actual return on Plan Assets**	**104.02**	**1,148.17**	**87.13**	**759.97**
(v)	**तुलन पत्र में मान्य राशि**	**Amount recognised in the Balance Sheet :**				
	अवधि के अंत में देयता वर्ष के अंत में प्लान एसेट्स का उचित मूल्य	Liability at the end of the period	1,683.78	14,709.20	1,754.54	13,716.87
	अंतर अमान्य परिवर्तन देयता	Fair Value of Plan Assets at the end of the year	1,592.38	14,314.88	1,319.42	13,330.64
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in the Balance Sheet**	**91.40**	**394.32**	**435.13**	**386.23**
(vi)	**आय विवरण-पत्र में मान्य व्यय :**	**Expenses recognised in the Income Statement :**				
	वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	65.58	656.28	541.01	566.92
	ब्याज लागत	Interest Cost	124.14	979.58	101.35	945.76
	प्लान एसेट्स पर अपेक्षित प्रतिफल	Expected Return on Plan Assets	(-)97.37	(-)1,103.78	(-)108.28	(-)1,014.08
	विगत वर्षों के मान्य व्यय	Expenses recognized relating to prior years	0.00	0.00	0.00	0.00
	मान्य परिवर्तन देयता	Recognition of Transition Liability	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमांकिक (लाभ) या हानि	Actuarial (Gain) or Loss	54.80	553.77	(-) 38.69	680.34
	लाभ एवं हानि में मान्य व्यय	**Expense Recognised in P & L**	**147.15**	**1,085.85**	**169.04**	**1,178.94**
	अपरिशोधित व्यय (लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित नहीं)	**Unamortised expenses (not charged to P&L Account)**	**0.00**	**0.00**	**326.34**	**0.00**
(vii)	**तुलन पत्र समाधान :**	**Balance Sheet Reconciliation :**				
	प्रारंभिक निवल देयता (तुलन पत्र में मान्य की गई विगत अवधि की निवल राशि)	Opening Net Liability (Last period's net amount recognized in the balance sheet)	435.11	386.23	49.75	529.33
	उपर्युक्त अनुसार व्यय	Expenses as above	147.15	1,085.85	495.39	1,178.94
	नियोक्ता का अंशदान	Employer's Contribution	(-) 490.87	(-)1,077.76	(-)110.03	(-)1,322.04
	तुलन पत्र में मान्य राशि	**Amount Recognised in Balance Sheet**	**91.39**	**394.32**	**435.11**	**386.23**
(viii)	**आस्तियों का प्रवर्ग **:**	**Category of Assets* *:**				
	भारत सरकार की आस्तियां (प्रतिभूतियां)	Government of India Securities	71.88	1,986.75	71.34	1,951.31
	इक्विटी	Equity	0.00	196.25	0.00	102.97
	कार्पोरेट बांड्स	Corporate Bonds	176.03	4,102.59	184.97	3,809.54
	राज्य सरकार (प्रतिभूतियां)	State Government	340.09	4,504.91	348.10	3,745.26
	अन्य	Other	1,004.38	3,524.37	715.00	3,721.56
	कुल	**Total**	**1,592.38**	**14,314.87**	**1,319.42**	**13,330.63**
(ix)	**अनुभव समायोजन**	**Experience Adjustment :**				
	प्लान देयता पर (लाभ)/हानि	**On Plan Liability (Gain)/Loss**	54.03	546.91	(-)22.79	(-) 66.62
	प्लान एसेट पर (हानि)/लाभ	**On Plan Asset (Loss)/Gain**	14.29	37.73	(-)4.76	33.27

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ * :

विवरण	31.03.2019 की देयता	वर्ष में किया गया/ (डब्ल्यू/बैक) प्रावधान	31.03.2018 की देयता	वर्ष में किया गया/(डब्ल्यू/ बैक) प्रावधान
अवकाश नकदीकरण	791.43	83.02	708.41	(-)52.62
अवकाश यात्रा छूट	63.97	6.27	57.70	0.04
पुनर्वास लाभ	7.23	(-)0.21	7.44	0.41
माइलस्टोन अवार्ड	4.24	(-)0.14	4.38	0.29
चिकित्सा अवकाश**	3.00	0.00	3.00	0.00

* अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए बीमांकिक अनुमान ग्रेज्युटी के लिए प्रयुक्त के समान ही है।

मूल बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि के लिए अंशदान को व्यय के रूप में माना है। वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसी निधि के जो एक परिनिष्ठित अंशदान योजना है, के लिए रू. 134.80 (विगत वर्ष रू. 110.99 करोड़) का अंशदान दिया है।

** बैंक ने अब तक पूरी बीमारी छुट्टी अर्थात पूरी बकाया अवकाश शेष की देयता को मान्यता प्रदान की है। बीमारी की छुट्टी के संबंध में कर्मचारी लाभ कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश नोट (एएस-15) - (2005 में संशोधित) के अनुरूप, इस संबंध में देयता को कर्मचारियों द्वारा ऐसी छुट्टी लिए जाने की संभावना के आधार पर इसे मान्य किया है।

मूल बैंक के श्रेष्ठतम अनुमान के अनुसार तुलन पत्र की तारीख के बाद वार्षिक अवधि के दौरान पेन्शन के लिए रु. 823.14 (विगत वर्ष रु. 1,030 और ग्रैच्युटी के लिए रु 212.31 (विगत वर्ष रु. 517.19) का अंशदान किए जाने की संभावना है।

ii. योजना में अधिशेष/घाटा:

विवरण	ग्रैच्युटी योजना				
	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
परिभाषित लाभ देयता	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99
प्लान आस्तियां	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	326.34	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	**91.40**	**108.78**	**(-)49.76**	**(-)146.83**	**(-)45.81**
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	54.03	(-)22.79	38.41	146.31	(-)7.79
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41	19.27

Other long term employee benefits*

Particulars	31.03.2019		31.03.2018	
	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year	Liability	Provisions made/ (w/back) during the year
Leave Encashment	791.43	83.02	708.41	(-)52.62
Leave Travel Concession	63.97	6.27	57.70	0.04
Resettlement Benefits	7.23	(-)0.21	7.44	0.41
Milestone Awards	4.24	(-)0.14	4.38	0.29
Sick Leave**	3.00	0.00	3.00	0.00

* The actuarial assumptions for other long term benefits are same which are used for Gratuity.

The Parent bank has recognised contribution to employees' Provident Fund/Defined contribution scheme as an expense. During the year, the bank has contributed ₹134.80 (Previous Year ₹110.99) towards such fund which is a defined contribution plan.

** The Parent bank has been recognising the liability of sick leave to full extent hitherto i.e. entire outstanding leave balance. In line with the Guidance Note on implementation of Employee Benefits (AS-15) - (revised 2005) in respect of Sick Leave, the liability in this regard is recognised based on probability of availing such leaves by employees.

The Parent bank's best estimate of contributions expected to be paid during the annual period beginning after the Balance sheet date, towards Pension is ₹823.14 (Previous Year ₹1,030.00) and towards Gratuity is ₹212.31 (Previous Year: ₹517.19).

Surplus/ Deficit in the Plan

Particulars	Gratuity Plan				
	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15
Defined benefit obligation	1,683.78	1,754.54	1,410.08	1,370.70	1,310.99
Plan assets	1,592.38	1,319.42	1,360.32	1,223.87	1,265.18
Unrecognised Transitional liability	0.00	326.34	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	**91.40**	**108.78**	**(-)49.76**	**(-)146.83**	**(-)45.81**
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	54.03	(-)22.79	38.41	146.31	(-)7.79
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/Gain	14.29	(-)4.76	1.71	(-)6.41	19.27

विवरण	पेन्शन योजना				
	वि.व. 2018-19	वि.व. 2017-18	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16	वि.व. 2014-15
परिभाषित लाभ देयता	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03
प्लान आस्तियां	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48
अमान्य संक्रमणशील देयता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अधिशेष / (घाटा)	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88	(-)378.55
प्लान देयता (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	546.91	(-)66.62	198.92	930.23	592.91
प्लान आस्ति (लाभ)/ हानि पर अनुभव समायोजन	37.73	33.27	103.05	101.74	312.64

Particulars	Pension Plan				
	FY 2018-19	FY 2017-18	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15
Defined benefit obligation	14,709.20	13,716.87	12,851.12	11,076.48	9,420.03
Plan assets	14,314.88	13,330.64	12,321.80	10,515.60	9,041.48
Unrecognised Transitional liability	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Surplus/(deficit)	(-)394.32	(-)386.23	(-)529.32	(-)560.88	(-)378.55
Experience Adjustment On Plan Liability (Gain)/Loss	546.91	(-)66.62	198.92	930.23	592.91
Experience Adjustment On Plan Asset (Loss)/ Gain	37.73	33.27	103.05	101.74	312.64

(बी) लेखांकन मानक 17 - खण्ड रिपोर्टिंग

भाग क: कारोबार खण्ड

(B) AS-17 "Segment Reporting"

Part A: Business Segment

कारोबार खण्ड	Business Segment	कोषागार परिचालन Treasury Operations		थोक बैंकिंग परिचालन Wholesale Banking Operations		खुदरा बैंकिंग परिचालन Retail Banking Operations		कुल Total	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	Revenue	13605.51	14605.68	15607.04	15182.93	16846.35	14101.72	46058.90	43890.33
गैर-आबंटित राजस्व	Unallocated Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473.80	547.54
अंतर खंड राजस्व	Inter Segment Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263.85	279.18
कुल राजस्व	Total Revenue	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46268.85	44158.69
परिणाम	Results	1861.99	2320.42	(-)10462.20	(-)13637.44	953.00	3279.25	7647.21	(-)8037.77
गैर-आबंटित व्यय	Unallocated Expenses	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)940.36	(-)510.54
परिचालन लाभ	Operating profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)8587.57	(-)8548.31
आयकर	Income Tax	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)3161.00	(-)2587.00
असाधारण लाभ/हानि	Extraordinary profit/loss	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0.00	0.00
निवल लाभ	Net Profit	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	(-)5426.57	(-)5961.31
अन्य जानकारी :	**Other Information:**								
खंड आस्तियां	Segment Assets	240775.39	222935.47	214175.60	220336.55	148307.76	150277.07	603258.75	593549.09
गैरआबंटित आस्तियां	Unallocated Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27625.16	21635.26
कुल आस्तियां	Total Assets	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630883.91	615184.34
खंड देयताएं	Segment Liabilities	229093.29	214023.60	230500.49	237554.10	116941.54	120683.30	576535.32	572261.01
गैर आबंटित देयताएं	Unallocated Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6696.64	6166.86
कुल देयताएं	Total Liabilities	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583231.96	578427.87

नोट : गैर बैंकिंग अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों से संबंधित सूचना को अनाबंटित खंड के अंतर्गत शामिल किया गया है।

Note: Information in respect of Non-Banking subsidiaries/joint venture has been included under unallocated segment.

भाग ख : भौगोलिक खण्ड

Part B: Geographical Segment

भौगोलिक खण्ड	Geographical Segments	स्वदेशी / Domestic		अंतर्राष्ट्रीय / International		कुल / Total	
विवरण	Particulars	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
राजस्व	Revenue	40937.18	39327.90	5331.67	4830.79	46268.85	44158.69
आस्तियां	Assets	513247.23	492398.50	117636.68	122785.85	630883.91	615184.35

बीओआई समूह ने एएस 17 के अनुपालन में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप कारोबारी खंड को प्राथमिक रिपोर्टिंग खंड और भौगोलिक खंड को गौण खंड के रूप में मान्यता दी है।

I. प्राथमिक खंड : कारोबारी खंड

क) **कोषागार परिचालन:** खंड रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु कोषागार में संपूर्ण निवेश संविभाग शामिल हैं जैसे सरकारी तथा अन्य प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार परिचालन तथा फॉरेक्स परिचालन में लेनदेन।

ख) **थोक बैंकिंग:** थोक बैंकिंग में वह सभी अग्रिम सम्मिलित हैं जो खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किए गए हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग में वह निवेश सम्मिलित हैं जो निम्नलिखित दो मानदंडों को पूर्ण करते हैं :

i) एक्सपोजर : अधिकतम कुल एक्सपोजर रु.5 करोड़ तक।

ii) कुल वार्षिक टर्नओवर रु.50 करोड़ से कम अर्थात मौजूदा कम्पनियों के मामले में विगत 3 वर्षों का औसत टर्नओवर और नई कम्पनियों के लिए पूर्वानुमानित टर्नओवर है।

घ) **अंतर खण्डीय अंतरणों का मूल्य निर्धारण:**

खुदरा बैंकिंग खण्ड एक प्राथमिक स्त्रोत संग्रह इकाई है एवं थोक खण्ड और कोषागार खण्ड, खुदरा बैंकिंग को उसके द्वारा उधार दी गइ निधियों की क्षतिपूर्ति जमा राशियों की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए करते है।

ङ) **लागत का विनियोजन :**

– विशेष खण्ड को सीधे प्रदान किए गए व्ययों को संबंधित खण्ड में विनियोजित किया गया है।

– विशेष खण्ड को सीधे न प्रदान किए गए व्ययों को कर्मचारियों/संचालित कारोबार की संख्या के अनुपात में विनियोजित किया गया है।

II. गौण खण्ड : भौगोलिक खण्ड

क) स्वदेशी परिचालन

ख) अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

(सी) लेखांकन मानक 18 "संव्यवहारों संबंधित पक्षकार"(मूल बैंक)

(1) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ : श्री दीनबंधु मोहापात्रा

कार्यपालक निदेशकगण : श्री नीलम दामोदरन
श्री अतनु कुमार दास
श्री सी. जी. चैतन्य

The BOI group has recognised Business Segments as Primary reporting segment and Geographical Segments as Secondary segment in line with RBI guidelines in compliance with AS-17.

I. Primary Segment: Business Segments

a) Treasury Operations: 'Treasury' for the purpose of Segment Reporting includes the entire investment portfolio i.e. dealing in Government and other Securities, Money Market Operations and Forex Operations.

b) Wholesale Banking: Wholesale Banking includes all advances which are not included under Retail Banking.

c) Retail Banking: Retail Banking includes exposures which fulfil following two criteria:

i) Exposure – The maximum aggregate exposure up to ₹ 5

ii) The total annual turnover is less than ₹ 50 i.e. the average turnover of the last three years in case of existing entities and projected turnover in case of new entities.

d) Pricing of Inter-Segmental transfers

Retail Banking Segment is a Primary resource mobilising unit and Wholesale Segment and Treasury Segment compensates the Retail banking segment for funds lent by it to them taking into consideration the average cost of deposits incurred by it.

e) Allocation of Costs

- Expenses directly attributed to particular segment are allocated to the relative segment
- Expenses not directly attributable to specific segment are allocated in proportion to number of employees / business managed.

II. Secondary Segment: Geographical Segments

a) Domestic Operations

b) International Operations

(C) AS-18 "Related Party Transactions" (Parent Bank):

Key Managerial Personnel :

Managing Director & CEO : Shri Dinabandhu Mohapatra

Executive Directors : Shri Neelam Damodharan
Shri Atanu Kumar Das
Shri C. G. Chaitanya

ख) प्रदत्त पारिश्रमिक

b) REMUNERATION PAID

(₹ में) / (in ₹)

पदनाम	Name	2018-19	2017-18
श्री दीनबंधु मोहापात्रा	Shri Dinabandhu Mohapatra	2,907,051	2,396,529
श्री मेलविन ओ. रेगो	Shri Melwyn O Rego	0	452,824
श्री नीलम दामोदरन	Shri Neelam Damodharan	2,533,503	2,283,849
श्री अतनु कुमार दास	Shri Atanu Kumar Das	2,561,116	2,283,722
श्री सी. जी. चैतन्य	Shri C.G. Chaitanya	2,474,949	1,085,733
श्री आर.ए.शंकरनारायणन	Shri R.A. Sankara Narayanan	0	969,286

लेखांकन मानक-18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंक-ग्राहक रिश्ते की प्रकृति स्वरूप संव्यवहारों, जिसमें महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिकों एवं उनके रिश्तेदारों के साथ संव्यवहार शामिल हैं, का प्रकटन नहीं किया गया है क्यों कि ऐसा प्रकटन गोपनीयता संबंधी बैंक के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker – Customer relationship, including those with Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel have not been disclosed, since the disclosure would conflict with Bank's duties of confidentiality.

(डी) लेखांकन मानक 19- "पट्टा वित्तपोषण (मूल बैंक): शून्य

(D) AS19 "Lease Financing" (Parent Bank): Nil

(ई) लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर अर्जन" रुपयों में :

आधारभूत एवं तनुकृत ईपीएस का परिकलन

(E) AS20 "Earnings per Share" in ₹:

Calculation of Basic & Diluted E.P.S.:

विवरण	Particulars	2018-19	2017-18
इक्विटी शेयर धारकों को प्रदान करने योग्य वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) for the year attributable to Equity Shareholders	(-)5426.57	(-)5961.31
इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या (करोड़ में)	Weighted Average Number of Equity shares (in crore)	186.22	115.02
* आधारभूत और तनुकृत प्रति शेयर आय (ए/बी) (₹)	*Basic & Diluted Earnings per Share (A/B) (₹)	(-)29.14	(-)51.83
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	Nominal Value per Equity Share (₹)	10.00	10.00

*आधारभूत एवं तनुकृत ई.पी.एस. समान ही है क्योंकि मंदी संभाव्य इक्विटी शेयर नहीं है।

*Basic and Diluted E.P.S. are same as there are no dilutive potential equity shares.

(एफ) लेखांकन मानक - 22 ''आय पर करों के लिए लेखांकन''

आस्थगित कर आस्तियां और आस्थगित कर देयताओं के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं :

(F) AS-22 "Accounting for Taxes on Income":

The Major components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities are as under:

विवरण	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
आस्थागित कर आस्तियां	**Deferred Tax Assets**		
प्रावधान के निमित्त समय अन्तर के कारण	On account of timing difference towards provisions	13171.31	10376.48
अन्य	Others	715.81	688.17
कुल आस्थगित कर आस्तियां	**Total Deferred Tax Assets**	**13887.12**	**11064.64**
आस्थगित कर देयता	**Deferred Tax Liabilities**		
स्थिर आस्तियों पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on fixed assets	265.72	250.60
निवेश पर मूल्यह्रास के कारण	On account of depreciation on investment	0.00	0.00
प्रोदभूत ब्याज जो देय नहीं हैं के कारण	On account of interest accrued but not due	927.38	839.99
अन्य	Others	761.16	760.20
कुल आस्थगित कर देयताएं	**Total Deferred Tax Liabilities**	**1954.26**	**1850.79**
निवल आस्थगित कर आस्तियां/(देयताएं)	**Net Deferred Tax Assets / (Liabilities)**	**11932.86**	**9213.85**

(जी) लेखांकन मानक - 24 बट्टाकरण परिचालन

भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप एवं विदेशी परिचालनों को तर्क संगत बनाने के लिए कार्यनीतिक पहल के भाग के रूप में बैंक ने कुछ विदेशी परिचलनों से बाहर रहने का निर्णय लिया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने अपनी अनुषंगी बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. को बंद कर दिया है। इस क्षेत्र में बैंक के कारोबार पर परिचालन के बंद होने का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

(एच) लेखांकन मानक - 27 " संयुक्त उद्यमों में निवेश की वित्तीय रिपोर्टिंग":

निवेश में शामिल हैं रू.75 (पिछल वर्ष रू. 75) निम्नलिखित संयुक्त रूप से नियंत्रित ईकाई में बैंक की ब्याज का प्रतिनिधित्व :-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	राशि	निगमन देश	होल्डिंग %
1	स्टार यूनियन दाई इची जीवन बीमा कंपनी लि.,	₹ 75	भारत	28.96%

संयुक्त रूप से नियंत्रित निकायों में समूह के निवेश से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय एवं व्ययों की कुल राशि:

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
देयताएं		
पूंजी एवं आरक्षितियां	173.80	152.36
जमाराशियां	-	-
उधार	-	-
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	2349.17	2,013.07
कुल	**2522.97**	**2,165.43**
आस्तियां		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और शेष राशियां	38.16	25.80
बैंकों में शेष और मांग पर तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	-	-
निवेश	2313.18	1,993.27
अग्रिम	2.44	2.58
अचल आस्तियां	4.98	5.67
अन्य आस्तियां	164.21	138.11
कुल	**2522.97**	**2,165.43**
पूंजीगत बाध्यताएं	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएं	25.66	7.38
आय		
अर्जित ब्याज	9.22	6.98
अन्य आय	29.77	23.32
कुल	**38.99**	**30.30**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	-	-
परिचालन व्यय	8.54	8.32
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	1.05	-
कुल	**9.59**	**8.32**
लाभ / (हानि)	**29.40**	**21.98**

(G) AS – 24 Discontinuing Operations:

In consonance with the Government of India directives and as a part of strategic initiatives for rationalization of Overseas Operations, the Parent Bank has decided to exit from certain foreign operations. During the year 2018-19, the Parent Bank has initiated closure of its subsidiary, namely, Bank of India (Botswana) Ltd. The impact of closure of operations in this territory on the business of the Parent Bank, is not material.

(H) AS-27 "Financial Reporting of Interests in Joint Ventures":

Investments include ₹75 (Previous year ₹75) representing Parent Bank's interest in the following jointly controlled entity:

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of incorporation	Holding %
1	Star Union Dai–Ichi Life Insurance Company Ltd.	₹ 75	India	28.96%

Aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to the group's interest in jointly controlled entities:

Particulars	31.03.2019	31.03.2018
Liabilities		
Capital & Reserves	173.80	152.36
Deposits	-	-
Borrowings	-	-
Other Liabilities & Provisions	2349.17	2,013.07
Total	**2522.97**	**2,165.43**
Assets		
Cash and Balances with Reserve Bank of India	38.16	25.80
Balances with Banks and Money at call and short notice	-	-
Investments	2313.18	1,993.27
Advances	2.44	2.58
Fixed Assets	4.98	5.67
Other Assets	164.21	138.11
Total	**2522.97**	**2,165.43**
Capital Commitments	-	-
Other Contingent Liabilities	25.66	7.38
Income		
Interest Earned	9.22	6.98
Other Income	29.77	23.32
Total	**38.99**	**30.30**
Expenditure		
Interest Expended	-	-
Operating Expenses	8.54	8.32
Provisions & Contingencies	1.05	-
Total	**9.59**	**8.32**
Profit / (Loss)	**29.40**	**21.98**

(एच) लेखांकन मानक 29 : ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां'' (मूल बैंक) :

क. आकस्मिक देयताओं हेतु प्रावधानों में उतार चढाव

विवरण	विधिक मामले/आकस्मिकताएं*	
	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष	96.43	97.14
वर्ष के दौरान प्रावधान	3.85	1.94
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.00	2.65
अंतिम शेष	100.28	96.43
बहिर्गमन का समय/अनिश्चितताएं	समझौते / क्रिस्टलीकरण पर बहिर्गमन	

* अन्य के लिए प्रावधानों को छोड़कर

ख. आकस्मिक देयताएं

यथा उल्लिखित इस प्रकार की देयताएं, न्यायालय के निर्णय/ मध्यस्थता करने/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपील का निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्वों की शर्तें, विकास तथा संबंधित पक्षों द्वारा उठाई गई मांग जैसा भी मामला हो पर क्रमश: निर्भर करता हे। इन मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अपेक्षित नहीं है।

10) अन्य नोट

(ए) अखिल भारतीय मजदूर संघ तथा सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक एसोसिएशन के बीच ग्यारहवां द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो गया। 1 नवम्बर, 2017 से प्रभाव में आने वाले वेतन संशोधन समझौते के लंबित कार्यान्वयन के क्रम में, मजदूरी क्षेत्रों के लिए 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.600 (पिछले वर्ष रु 100) का एक अंतरिम जोड़ प्रदान किया गया है। 31 मार्च, 2019 को किया गया संशोधन रु.700 है।

(बी) 213 उधारकर्ता के संदर्भ में अन्तर्निहित परिसंपत्तियों के मूल्य में आयी कमी तथा वसूली की अनिश्चितता को देखते हुए बैंक ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रु.4,817 के अतिरिक्त प्रावधानों का निर्माण किया है।

(सी) यथा 31 मार्च 2019 को, आरबीआई द्वारा उल्लिखित एनसीएलटी खाता (सूची 1 एवं 2) के संबन्ध में बैंक रु.6,150.88 की बकाया राशि के 100% प्रावधान को होल्ड करता है।

(डी) इस अवधि के दौरान बैंक ने अपनी अचल सम्पतियों के सभी परिसर निर्माण भागों का पुर्नमूल्यांकन किया। उक्त पुर्नर्मूल्यांकन में सामने आए कुल अधिशेष रु.689.94 को आरक्षितियों एवं अधिशेष के अन्तर्गत 'पुनर्मुल्यांकन' आरक्षितियों में जमा कराया गया। वर्तमान आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार पुर्नमूल्यांकन आरक्षितियों की गणना सीईटी-I पूँजी के अन्तर्गत की गई है।

(ई) भारतीय रिज़र्व बैंक ने परिपत्र सं. डीबीआर सं.बीपी. बीसी.108/21.04.048/2017-18 दिनांक 6 जून, 2018, द्वारा बैंकों को एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋण को मानक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत करना जारी रखने की अनुमति प्रदान की है जहाँ 1 सितम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर 2018 के बीच बकाया का भुगतान योजना के अनुसार उनसे संबंधित मूल बकाया तारीख से 180 दिनों के बाद न किया गया है। तद्नुसार बैंक ने यथा दिनांक 31 मार्च,

(I) AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets": (Parent Bank)

A. Movement of Provisions for contingent liabilities

Particulars	Legal cases/contingencies*	
	2018-19	2017-18
Opening Balance	96.43	97.14
Provided during the year	3.85	1.94
Amounts used during the year	0.00	2.65
Closing Balance	100.28	96.43
Timing of outflow/uncertainties	Outflow on settlement /Crystallization	

*Excluding provisions for others

B. Contingent Liabilities

Such liabilities are dependent upon the outcome of court order/arbitration/out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be. No reimbursement is expected in such cases.

10. Other Notes:

a) The 11th Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October, 2017. In accordance with the pending execution of agreement for wage revision, to be effective from 1st November 2017, an ad-hoc sum of ₹ 600 (previous year ₹ 100) has been provided by the Parent bank during financial year ended March 31, 2019 towards wage arrears. Cumulative provision held as on March 31, 2019 is ₹ 700.

b) During the financial year ended March 31, 2019, the Parent bank has made additional provision of ₹ 4,817 in view of uncertainty of recovery and deterioration in value of underlying assets in respect of 213 borrowers.

c) In respect of RBI referred NCLT accounts (List 1 & 2), as on 31st March 2019 the Parent bank holds 100% provision of the outstanding value of ₹ 6,150.88.

d) During the period, the Parent bank has revalued all premises forming parts of its fixed assets. Surplus arising on such revaluation aggregating to ₹ 689.94 is credited to 'Revaluation Reserves', under 'Reserves & Surplus'. The Revaluation Reserve has been reckoned for CET-I capital as per extant RBI guidelines.

e) RBI vide Circular no. DBR.No.BP.BC.108/21.04.048/2017-18 dated June 6, 2018 permitted banks to continue the exposure to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates as per the scheme. Accordingly, the Parent bank has retained advances of ₹ 190.96 as 'standard assets' as on

2019 को रु.190.96 के अग्रिमों को ''मानक आस्तियों'' के रूप में रखा है। इस परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने रु.1.56 की ब्याज आय की पहचान नहीं की है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में यथा दिनांक 31 मार्च 2019 को रु.9.55 के मानक आस्ति प्रावधान का रखरखाव किया है।

(एफ) मूल बैंक और अनुषंगियों के पृथक वित्तीय विवरणों में जिन अतिरिक्त जानकारियों का प्रकटन किया गया है, उनका समेकित वित्तीय विवरणों के सही और न्यायोचित दृष्टिकोण पर कोई प्रभाव नहीं है तथा कम महत्व की मदों से संबंधित जानकारी का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरणों में नहीं किया गया है।

(जी) पिछली अवधि के आंकड़ो को, जहां भी आवश्यक समझा गया है, पुन: समूहित/पुन:व्यवस्थित किया गया है।

March 31, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Parent bank has not recognised interest income of ₹ 1.56 and is maintaining a standard asset provision of ₹ 9.55 as on March 31, 2019 in respect of such borrowers.

f) Additional information disclosed in the separate financial statements of the Parent bank and the subsidiaries having no bearing on the true and fair view of the Consolidated Financial Statements and also the information pertaining to the items which are not material, have not been disclosed in the Consolidated Financial Statements.

g) Previous Year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary.

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

प्रति,
बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल

मत

1. हमने बैंक ऑफ़ इंडिया ('मूल बैंक') तथा इसकी अनुषंगियों, सहायकों तथा संयुक्त निकायों (इसके बाद इसे संयुक्त रूप से ''समूह'' कहा जायेगा) की लेखा परीक्षा की है। इसमें यथा 31 मार्च, 2019 को समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ-हानि विवरणी तथा संबंधित वर्ष के अंत में नकद प्रवाह की समेकित विवरणी तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सहित समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणियाँ, हमारे द्वारा लेखा-परीक्षित मूल बैंक की वित्तीय विवरणी, तीन घरेलू अनुषंगियों के वित्तीय विवरण, एक घरेलू संयुक्त निकाय तथा अन्य लेखा-परीक्षक के द्वारा लेखा-परीक्षित एक घरेलू सहायक कंपनी, अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित 31.12.2018 को समाप्त वर्ष के लिए एक विदेशी सहायक कंपनी को वित्तीय विवरण, 31 मार्च,2019 को प्रबंधन द्वारा तैयार तथा विशेष रूप से समेकन के लिए अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा समीक्षित चार विदेशी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा एक घरेलू सहायक कंपनी,एक विदेशी सहायक कंपनी तथा पाँच घरेलू सहायक कंपनियों पर आधारित हैं।

2. हमारे विचार से तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणियाँ, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के द्वारा जैसा आवश्यक है, उसके अनुसार जानकारी देती हैं तथा यह उस तरीके से भी है, जैसा कि अपेक्षित है एवं 31 मार्च 2019 को बैंक की स्थिति उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह और हानि के संदर्भ में सही एवं उचित तस्वीर भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार है।

मत का आधार

3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, आईसीएआई के द्वारा जारी ''लेखा-परीक्षा पर मानक''(एसए) के अनुसार की है। उक्त मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी को विस्तारपूर्वक हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षकों की जिम्मेदारी खण्ड में प्रतिपादित किया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता तथा उक्त 'अधिनियम' के प्रावधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए जो प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं तथा नैतिक आचार संहिता के अनुसार अपनी सभी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

4. हम मानते हैं कि निम्नलिखित अनुच्छेद 10 में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की शर्तों के अनुसार, उनके द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य तथा हमारे द्वारा प्राप्त लेखा-परीक्षा साक्ष्य, लेखा-परीक्षा संबंधी मत का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का प्रभाव

5. हम निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

 क. एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के संबंध में अनुसूची 18 का नोट सं.9ए. तथा

 ख. एनपीए खातों में किए गए प्रावधान के संबंध में अनुसूची 18 के नोट सं.10बी) एवं 10 सी)

 इन मामलों में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

To
The Board of Directors of Bank of India

Opinion

1. We have audited the consolidated financial statements of **Bank of India** ('the **Parent bank'**),and its subsidiaries, associates and jointly venture (collectively hereinafter referred to as "**the Group**") which comprise the consolidated Balance Sheet as at 31st March 2019, the consolidated Statement of Profit and Loss and the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The consolidated financial statements are based on financial statement of the Parent bank audited by us, financial statements of three domestic subsidiaries, one domestic joint venture and one domestic associate audited by other auditors, financial statement of one overseas associates for the year ended 31-12-2018 audited by other auditors, financial statement of four overseas subsidiaries prepared by the management as on 31st March 2019 and reviewed by the other auditors specifically for consolidation purpose and unaudited financial statements of one domestic subsidiary, one overseas subsidiary and five domestic associates.

2. In our opinion and to the best of our information and explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019, its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by The Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in India, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics.

4. We believe that the audit evidence obtained by us and the audit evidence obtained by the other auditors in terms of their reports referred to in paragraph 10 below, is sufficient and appropriate to provide the basis for audit opinion on the consolidated financial statements.

Emphasis of Matter

5. We draw attention to:

 a) Note. 9.(A) of Schedule.18 regarding change in accounting policies in appropriation of recovery in NPA accounts, and

 b) Note. 10. (b) & (c) of Schedule.18 regarding provision made in NPA accounts.

 Our opinion is not modified in respect of these matters.

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले

6. वर्तमान अवधि की समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा में 'महत्वपूर्ण लेखांकन मामले, वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है तथा उस पर विचार तैयार करने में हमने इन मामलों पर कार्रवाई की है तथा इन मामलों पर हम अलग से कुछ विचार नहीं उपलब्ध करा रहे हैं।

महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले	महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए पालन की जाने वाली लेखा-परीक्षा प्रक्रिया
1. भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों तथा निवेशों पर आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान संबंधी नियमों का अनुपालन।	आईआरएसी नियमों/परिपत्रों तथा भारतीय रि. जर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंक की पॉलिसी के आधार पर हमने अग्रिमों तथा निवेशों की लेखा-परीक्षा की है। हमने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन के सत्यापन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया है।
अग्रिम : बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/परिपत्रों तथा अनुदेशों के आधार पर खातों को अर्जक अग्रिम तथा अनर्जक अग्रिम के अंतर्गत वर्गीकृत करना है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देश, बैंक द्वारा दी गयी सभी ऋण सुविधाओं के लिए हैं तथा इसका पालन अनिवार्य रूप से, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए किया जाना है। अर्जक तथा अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण सिस्टम द्वारा होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा प्रयुक्त सॉफ्टवेयर वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण के लिए खातों की पहचान निर्धारित करता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो यह बैंक की वित्तीय विवरणी को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।	**अग्रिम :** - हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को आईआरएसी नियमों तथा प्रक्रियाओं एवं बैंक के द्वारा स्वीकृत नीतियों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए सूचित किया है तथा हमने शाखा के सांविधिक लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। - अग्रिमों के मामले में उससे संबंधित निर्धारण, वर्गीकरण तथा प्रावधान के लिए बैंक द्वारा सिस्टम में बनाए गये सत्यापन तथा लॉजिक एवं स्थापित नियंत्रण एवं आईटी प्रणाली को समझना। - नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक तथा अनर्जक के रूप में किया गया है तथा इसके संबंध में प्रावधान किये गये हैं। - हमें आबंटित शाखाओं की लेखा-परीक्षण के दौरान हमने महत्वपूर्ण अग्रिमों के संबंध में पर्याप्त जाँच की है जिसमें विशेष रूप से उल्लिखित खाते (एसएमए) शामिल हैं तथा मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच के द्वारा प्रतिभूति संबंधी पक्षों को भी सत्यापित किया है। - आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, ऋण लेखा-परीक्षा, सिस्टम लेखा-परीक्षा तथा बैंक द्वारा की गयी विशेष लेखा-परीक्षा पर भी भरोसा किया गया है। - वित्तीय विवरणियों के समेकन के दौरान सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षकों तथा सांविधिक केन्द्रीय लेखा-परीक्षकों के द्वारा अनुशंसित एमओसी का सत्यापन तथा वैधीकरण।

Key Audit Matters

6. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matter	Audit Procedure followed to address the Key Audit Matter
1.Compliance of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning Norms on advances and investments as per guidelines issued by Reserve Bank of India.	We have carried out the audit of the advances and investments based on the IRAC Norms/Circulars and directives issued by Reserve Bank of India and the policy of the Parent bank. We have carried out following procedures for verification of compliance with the RBI guidelines
Advances: Parent bank has to classify the accounts under performing advances and non performing advances based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. The guidelines issued by Reserve Bank of India are for all credit facilities given by the bank and is to be mandatorily followed for the purpose of Income Recognition, Asset Classification and Provisioning. Identification of performing and non performing advances are system driven. The software used by the bank identifies the accounts for classification and provisioning as per the guidelines issued by Reserve Bank of India. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the Parent bank.	**Advances:** -We have communicated to the branch statutory auditors to verify the compliance of IRAC Norms and procedures and the policies adopted by the Parent bank and we have relied on the audit reports given by the Other auditors. - Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of advances. -On sample basis tested whether the classification of advances under performing and non performing and provisioning is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. -During audit of branches allotted to us we have carried out substantive test on major advances including Specially Mentioned Accounts (SMA) and also verified the security aspect by checking the valuation reports. -Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports, credit audit, system audit and special audits conducted by the bank. -Verification and implementations of MOC's suggested by statutory branch auditors and statutory central auditors during consolidation of financial statements.

निवेश : भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा अनुदेशों/परिपत्रों के आधार पर बैंक को निवेशों को अर्जक तथा अनर्जक में वगीकृत करना है। निवेशों का अर्जक तथा अनर्जक के रूप में निर्धारण आम तौर पर सिस्टम से होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन (वैल्यूएशन) किया जाता है तथा बीएससी/एनएससी, एफआईएमडीए/एफबीआईएल दर इत्यादि पर उद्धृत मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। यदि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी नियमों के अनुसार ठीक प्रकार से आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण यह प्रावधानीकरण नहीं किया जाता है तो वह बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम तथा निवेश, क्रमश: 54.54% तथा 23.92% है। चूँकि बैंक के व्यवसाय का बड़ा हिस्सा अग्रिम तथा निवेश है तथा इसमें विनियामक अनुपालन शामिल है, अत: हमने इस पक्ष को महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा मामले के रूप में विचारित किया है।	**निवेश :** निवेश के मामले में उसकी पहचान, वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण, बैंक के द्वारा सिस्टम में स्थापित, लॉजिक तथा वैधीकरण एवं स्थापित नियंत्रण और आईटी को समझना। - नमूना आधार पर यह जाँच करना कि क्या निवेशों का मूल्यांकन तथा वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। - नमूना आधार पर यह भी सत्यापित किया गया कि क्या निवेशों के मूल्य में मूल्यह्रास के लिए उचित प्रावधान किया गया है तथा यह सुनिश्चित किया गया कि मूल्यह्रास का प्रावधान, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। - आंतरिक लेखा-परीक्षा रिपोर्टों, समवर्ती लेखा-परीक्षा रिपोर्टों तथा बैंक द्वारा की गयी सिस्टम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया गया है।
2. अनिश्चित कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों का मूल्यांकन। टैक्स मुकदमों सहित बैंक के विरुद्ध वे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को 31 मार्च, 2019 को 12वीं अनुसूची तथा 18वीं अनुसूची के वित्तीय विवरण से संबंधित नोट्स के नोट सं.9(क)(i) में बताया गया है। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, सेवा कर अधिनियम/माल एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कुछ भुगतानों पर प्रतिवर्ती प्रभार प्रणाली की प्रयोज्यता संबंधी विवाद चल रहे हैं। परिणामों की अनिश्चितता के कारण यह एक प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय है, जिसमें इन परिणामों के संभावित परिणामों के अनुमानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं।	हमने कर के मुकदमों तथा आकस्मिक दायित्वों की वर्तमान स्थिति की जांच की है। हमने नवीनतम आदेशों तथा कर निर्धारण के विवरण प्राप्त किए हैं। हमने देयताओं के निर्धारण हेतु कर तथा अन्य मुकदमों के संबंध में प्राप्त नई जानकारी एकत्र की है। आवश्यकता होने पर विधि तथा कर परामर्शदाताओं पर भरोसा जताया गया है।

Investments: Parent bank has to classify the investments underperforming and non performing based on the guidelines/circulars and directives issued by Reserve Bank of India. Identification of performing and non performing investments is generally system driven. The valuation is done as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and the valuations are done based on the price quoted on BSE/NSE, FIMDA / FBIL rates etc. The Income recognition, asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the consolidated financial statements of the Parent bank. Advances and Investments constitute 54.54% and 23.92% respectively of total assets of the Group. As advances and investments form part of a major portion of the business of the Parent bank and the regulatory compliances involved, we have considered this aspect as Key Audit Matter.	**Investments:** Understanding the IT system and controls put in place and logic and validations built in the system by the bank for identification, classification and provisioning in case of investments. -On sample basis tested whether the classification and valuation of investments is carried out as per the guidelines of Reserve Bank of India. -On sample basis also verified whether proper provision for depreciation in the value of investments and ensured that provision for depreciation is done as per RBI guidelines. - Reliance is also placed on the internal audit reports, concurrent audit reports and system audit conducted by the bank.
2.Evaluation of uncertain tax litigations and contingent liabilities Claims against the bank not acknowledged as debt including tax litigations as on March 31, 2019 is disclosed in Schedule No.12 and Schedule No.18 (9)(I) of Notes to Accounts to consolidated financial statements. Under Indirect Taxes, there are ongoing disputes regarding availability of input credits/ applicability of Reverse Charge Mechanism on certain payments under Services Tax Act/Goods and Service Tax Act. This is a key audit matter due to uncertainty of the outcome which involves significant judgment to determine the possible outcome of these disputes.	We went through the current status of the tax litigations and contingent liabilities. We obtained the details of latest orders and tax assessments. We gathered recent information received on the tax and other litigations for assessing the liabilities. Wherever required reliance is placed on the opinion of legal and tax consultants.

3. सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) का मूल्यांकन: संव्यवहारों को रिकॉर्ड करने, आईआरएसी सहित आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न रिपोर्ट जनरेट करना, वित्तीय विवरण तैयार करना तथा विनियामकों को अनुपालन की रिपोर्ट करना आदि में आईटी कंट्रोल प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रकार की रिपोर्टिंग कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर तथा अन्य सहायक सिस्टमों के प्रभावी रूप से कार्य करने पर निर्भर है। हमने इसे प्रमुख लेखा-परीक्षा का विषय माना हैं क्योंकि नियंत्रण में चूक, वैधता की विफलता, त्रुटिपूर्ण इनपुट डाटा तथा गलत डाटा निकालने के परिणामस्वरूप प्रबंधन तथा विनियामकों को डाटा की गलत रिपोर्टिंग हो सकती है।	- सिस्टम के परिचालन की प्रभावशीलता को समझना तथा उसकी जांच करना। - विभिन्न श्रेणी के ग्राहकों के लिए बैंक द्वारा अपनाए गए कोडिंग सिस्टम को समझना। - सिस्टम में उपलब्ध विभिन्न वैधीकरण को समझना तथा उनकी जांच करना। - बैंक की विनियमों/नीति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं की जांच। - डाटा निकालने के लिए प्रयुक्त लॉजिक की जांच। - जनरेट हुई रिपोर्टों की नमूना आधार पर समीक्षा - बैंक के सिस्टम लेखापरीक्षा पर भरोसा जताया गया है।
4. लेखा नीति में परिवर्तन का प्रभाव वर्ष के दौरान बैंक ने एनपीए खातों में वसूली के विनियोजन के संबंध में अपनी लेखा नीति में बदलाव किए हैं। समेकित वित्तीय विवरण की अनुसूची संख्या 18(9) (ए) के नोट का संदर्भ लें। हमने इसे प्रमुख लेखापरीक्षा का विषय माना हैं क्योंकि सिस्टम में लेखा नीति में परिवर्तन के कार्यान्वित न होने पर बैंक के वित्तीय विवरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।	- हमने इस प्रणाली में हुए बदलावों के कार्यान्वयन की जांच के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों को लेखा नीति में हुए परिवर्तनों की सूचना दी है। - नमूना आधार पर, हमने उन शाखाओं के बड़े अग्रिमों की जांच की है, जिनकी हमने लेखा परीक्षा की हुई थी तथा यह जांच की है कि लेखा नीति में हुए परिवर्तनों का कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं। - टेस्ट चेक आधार पर हमने लेखा नीति में हुए बदलावों के समग्र प्रभावों की भी पुष्टि की। - सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए जहां भी लेखा नीति में परिवर्तन के कार्यान्वयन में कमी पायी गई है, उसकी सूचना प्रबंधन को दी गई है।
5. आस्थगित कर आस्तियों का अभिनिर्धारण : 31 मार्च, 2019 को बैंक ने रु.11935.73 करोड़ आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है। आस्थगित कर आस्तियों का निर्धारण व प्रसारण केवल उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जहाँ यह उचित सुनिश्चितता हो कि इस प्रकार की आस्थगित कर आस्तियों पर उपलब्ध भावी कर योग्य पर्याप्त आय की वसूली की जा सकती है। भावी समयावधि में पूर्वानुमानित लाभ पर आधारित अवधि में आस्थगित कर आस्तियों के अभिनिर्धारण की एक बड़ी धनराशि के कारण इस प्रकार की आस्तियों में अनिश्चितता तथा जोखिम बढ़ता है। अत: हमने इसे प्रमुख लेखा परीक्षा का विषय माना हैं।	- हमने पुष्टि की कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा आयकर के लिए जारी लेखाकंन मानक 22 के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों की पहचान के मानदंडों का पालन किया जा रहा है। - आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण के लिए बैंक प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त मान्यताओं तथा अन्य मानदंडों का मूल्यांकन।

3.Assessment of Information Technology (IT): IT controls with respect to recording of transactions, generating various reports in compliance with RBI guidelines including IRAC, preparing financial statements and reporting of compliances to regulators etc is an important part of the process. Such reporting is highly dependent on the effective working of Core Banking Software and other allied systems We have considered this as key audit matter as any control lapses, validation failures, incorrect input data and wrong extraction of data may result in wrong reporting of data to the management and regulators.	-Understanding and testing of operative effectiveness of the system. -Understanding the coding system adopted by the bank for various categories of customers -Understanding and testing of different validations available in the system -Checked the user requirements for any changes in the regulations/ policy of the Parent bank - testing of logic used for extracting the data. -On sample basis reviewed the reports generated. -Reliance is placed on system audit report of the Parent bank.
4.Impact of Change in Accounting Policy During the year, Parent bank has changed its accounting policy in respect of appropriation of recovery in NPA accounts. Refer Schedule No.18 (9) (A) of the Notes to the consolidated financial statements. We have considered this as Key Audit Matter as non-implementation of the change in accounting policy in the system may have significant impact on the financial statements of the bank.	-We have communicated the change in accounting policy to the statutory branch auditors to verify the implementation of the change in the system. -On sample basis we have verified the large advances of the branches audited by us and checked whether the change in accounting policy has been implemented. -On test check basis we have also verified the overall impact of change in accounting policy. -We have suggested the management to strengthen the system wherever we have observed deficiencies in the implementation of the change in accounting policy.
5.Recognition of Deferred Tax Asset: As on March 31, 2019 the Group has recognised a net deferred tax asset of Rs 11935.73 crore. Deferred tax assets should be recognised and carried forward only to the extent that there is a reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. Due to the huge amount of deferred tax assets recognised over a period based on the profit forecasted over future period of time increases the uncertainty and risk of recognition of such asset. Hence we have considered this as a Key Audit Matter.	-We have verified that recognition criteria for Deferred Tax Asset as per Accounting Standard 22 Accounting for Taxes on Income issued by The Institute of Chartered Accountants of India have been complied with. -Assessed the assumptions and other parameters used by the Parent bank's management for recognition of the deferred tax asset.

समेकित वित्तीय विवरणों तथा उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा जानकारी

7. अन्य जानकारी के लिए मूल बैंक का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के वक्तव्य में शामिल जानकारियाँ समाविष्ट है परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण और इस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारियाँ शामिल नहीं है तथा हम इस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को प्रस्तुत नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारियों का अध्ययन करना तथा ऐसा करते हुए यह ध्यान रखना कि अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरण या लेखा परीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी या अन्यथा महत्वपूर्ण गलत विवरण से वास्तव में असंगत है। यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर हम अन्य जानकारी के महत्वपूर्ण रूप से गलत होने का निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें उस बारे में रिपोर्ट करनी होती है। इस संबंध में हमें कुछ रिपोर्ट नहीं करना है।

प्रबंधन तथा जिन्हें समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में गवर्नेंस युक्त है, उनके उत्तरदायित्व

8. बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों जो, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बैंक का समेकित वित्तीय प्रदर्शन तथा समेकित नकदी प्रवाह तथा समेकित वित्तीय स्थिति की एक वास्तविक तथा उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं, को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस जिम्मेदारी में, बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधडियों व अन्य अनियमितताओं से बचने तथा धोखाधडियों का पता लगाने के लिए बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों, उपयुक्त लेखांकन नीति का चयन तथा अनुप्रयोग, विवेकपूर्ण एवं तर्कसंगत अनुमान एवं आकलन करना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेख बनाना, लागू करना एवं उसे बनाए रखना, जिन्हें लेखांकन रिकार्डों की पूर्णता एवं सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित किया जा रहा था, जो वित्तीय विवरणयों को तैयार करने एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित थे और जो वास्तविक एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त है, के समनुरूप उपयुक्त लेखांकन रिकार्डों को बनाए रखना शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में, निदेशक मंडल बैंक की संस्थागत क्रियाशीलता की निरंतरता की क्षमता, प्रकटन, संस्था की निरंतरता से संबंधित मामलों, जो भी लागूहो तथा जब तक प्रबंधन लेखांकन का संस्था की निरंतरता के आधार पर प्रयोग न करे, चाहे वह बैंक का परिसमापन या परिचालन बंद करना चाहते हो या ऐसे करने के अलावा और कोई विकल्प न हो, का मूल्यांकन करने हेतु उत्तरदायी है।

गुप में शामिल बैंक के निदेशक मंडल गुप की प्रकिया की वित्तीय रिपोर्टिंग का निरीक्षण करते गे लिए जिम्मेदार है।

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा हेतु परीक्षक जिम्मेदार है।

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

7. The Parent bank's Board of Directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Management report and Chairman's Statement but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

8. The Parent bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Board of Directors of the banks within the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error, which has been used for the purpose of preparation of the consolidated financial statements by the Directors of the Parent bank, as aforesaid.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the banks included in the are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the banks included in the Group are responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

9. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण समग्ररूप से धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गंभीर गलत विवरणों से मुक्त है, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है परंतु यह गारंटी नहीं है कि मानक लेखांकन (एसए) के अनुरूप की गई लेखा परीक्षा में हमेशा गलत विवरण यदि कोई हो, का पता लगा लिया जाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकते हैं तथा उन्हें गंभीर माना जाएगा और वे अलग-अलग या समेकित रूप से प्रयोक्ता द्वारा लिए गए इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानक लेखांकन (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में हम लेखा परीक्षाके दौरान पेशेवर आकलन करते हैं और पेशेवर संशय को बनाए रखते हैं। इस के साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, की पहचान एवं मूल्यांकन करते हैं, इन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रिया को तैयार एवं निष्पादित करते हैं और हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए गए गंभीर गलत विवरणों की जांच न करने का जोखिम त्रुटिवश दिए गए गलत विवरण की अपेक्षा उच्चतर होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में षडयंत्र, जालसाजी, इरादतन की गई चूक, मिथ्या प्रस्तुति या आंतरिक कानून के विरूद्ध कार्य करना शामिल हो सकता है।
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन के मूल्यांकन एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटन के औचित्य का मूल्यांकन करते है।
- संस्था की निरंतरता के आधार पर लेखांकन संबंधी प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या ऐसे मामलों या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता है जो बैंक की संस्थागत निरंतरता को जारी रखने में महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती हो, यदि हम महत्वपूर्ण अनिश्चितता के मौजूद होने का निष्कर्ष निकालते हैं या उक्त प्रकटन हमारी राय को संशोधित करने में अपर्याप्त हो तो वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन हेतु हमें हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखांकन साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्य की घटनाएँ या मामले बैंक की संस्थागत निरंतरता को रोकने के कारण हो सकते हैं।
- प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन और वित्तीय विवरण में अंर्तनिहित संव्यवहारों और मामलों को उचित प्रकार प्रस्तुत करने के तरीके का मूल्यांकन करते हैं।
- समेकित वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के बैंकों की वित्तीय जानकारी से संबंधित पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं। हम समेकित वित्तीय विवरण में शामिल बैंकों के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण तथा निष्पादन

9. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the banks within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of the banks included in the consolidated financial statements of which we are the Independent auditors. For the other banks included in the

के लिए उत्तरदायी हैं। जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य बैंकों, जिनकी लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, की लेखा परीक्षा के अनुदेश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए अन्य लेखा परीक्षक जिम्मेदार होगें, जिन्होंने लेखा परीक्षा की है । हम केवल हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय के लिए उत्तरदायी हैं।

- हम अन्य विषयों में लेखा परीक्षा की समय-सीमा एवं नियोजित स्वरूप एवं हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई महत्वपूर्ण कमियाँ सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों को गवर्नेंस प्रभारी को सूचित करते है।
- हम गवर्नेंस के प्रभारी को इस विवरण के साथ भी सूचित करते हैं कि हम आत्मनिर्भरता संबंधी सभी प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का तथा उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों अन्य मामलों जो हमारी आत्मनिर्भरता को प्रभावित कर सकते हैं, और संबंधित रक्षा उपायों जहाँ भी लागू है, का पालन किया है

गवर्नेंस को सूचित संबंधित मामलों से, हमने उन मामलों को निर्धारित किया है जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए प्रमुख लेखा संबंधी मामले हैं। इन मामलों को हम हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दर्शाते हैं। यदि कानून या विनियम इस मामले के सार्वजनिक प्रकटीकरण को प्रतिबंधित न करें या जब हम यह तय करते हैं, बहुत ही कम परिस्थितियों में, कि इन्हें हमारी रिपोर्ट में व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जनहित लाभों को बढ़ाने के संबंध में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं।

अन्य मामले

10. हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जिन का वित्तीय विवरण समूह के समेकित वित्तीय विवरण में समाविष्ट किया गया है :

क. ऐसी अनुषंगियाँ जिनके वित्तीय विवरण रु.2944.87 करोड़ की कुल आस्तियां, रु.345.87 करोड़ का कुल राजस्व, कर भुगतान के बाद रु.26.97 करोड़ का निवल लाभ और रु.119.23 करोड़ का निवल नकद बाह्य प्रवाह दर्शाते हों;

ख. संयुक्त नियंत्रण वाली इकाइयां जिनके वित्तीय विवरण रु. 8585.21 करोड़ की कुल आस्तियाँ, रु.2669.39 करोड़ का कुल राजस्व, कर भुगतान के बाद रु.101.53 करोड़ का निवल लाभ और रु.197.78 करोड़ का निवल नकद अंतर्वाह दर्शाते हों;

ग. सहायक कंपनियाँ, जिनका मूल बैंक के निवल लाभ में रु.30.18 करोड़ की हिस्सेदारी है।

इन वित्तीय विवरणों की समीक्षा/लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जो इन अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनी के संदर्भों में शामिल राशि एवं प्रकटन से संबंधित है तथा हमारी रिपोर्ट, जो उक्त अनुषंगियों, संयुक्त उपक्रमों और सहायक कंपनी के संबंध में है, पूर्ण रूप से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

11. लेखा परीक्षा न की गई 2(दो) अनुषंगियों के वित्तीय विवरण सहित समेकित वित्तीय विवरण, जिनका वित्तीय विवरण दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रु.93.39 करोड़ की कुल आस्तियाँ, रु.7.39 करोड़ का कुल

consolidated financial statements, which have been audited by the other auditors, such other auditors remain responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

- We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
- We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

10. We did not audit the financial statements of followings, whose financial statements are incorporated in the consolidated financial statements of the Group:

a) Subsidiaries whose financial statements reflect total assets of Rs.2944.87 Crore, total revenues of Rs.345.87 Crore, total net profit after tax of Rs.26.97 Crore and net cash outflows of Rs.119.23 Crore;

b) Jointly controlled entities whose financial statements reflect total assets of Rs.8585.21 Crore, total revenue of Rs.2669.39 Crore, net profit after tax of Rs.101.53 Crore and net cash inflows of Rs.197.78 Crore;

c) Associates reflecting share of net profit of the Parent bank of Rs.30.18 Crore.

These financial statements have been reviewed/audited by other auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries, Joint ventures and associates and our report, in so far as it relates to the aforesaid subsidiaries, Joint ventures and associates, is based solely on the reports of the other auditors.

11. The consolidated financial statements includes the unaudited financial statements of 2 (two) subsidiaries, whose financial statements reflect total assets of Rs.

राजस्व, कर भुगतान के बाद रु.0.03 करोड़ का कुल निवल लाभ और रु.10.94 करोड़ का निवल नकद बाह्य प्रवाह दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरण में प्रस्तुत किया गया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष में कर भुगतान के बाद समूह के रु.41.15 करोड़ के 5(पांच) सहायक कंपनी के संबंध में जिनके वित्तीय विवरण की हमारे द्वारा लेखा परीक्षा नहीं की गई निवल लाभ वाले हिस्से को भी शामिल किया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया है। इन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है तथा इन्हें हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय, जो इन अनुषंगियों और सहायक कंपनी के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटन के संदर्भ में है, पूर्ण रूप से ऐसे लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारियों पर आधारित है। हमारी राय में तथा बैंक के द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी बैंक के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण पर निम्नलिखित अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट के निष्पादित कार्य पर निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा न किए गए वित्तीय विवरणों/वित्तीय जानकारी के संदर्भ में हमारी राय को संशोधित नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

12. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाते को बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुरूप तैयार किया गया है।

13. उपरोक्त पैरा 8 से 11 में दी गई लेखा परीक्षा संबंधी सीमाओं के अधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की अपेक्षाओं के अनुरूप और इसमें अपेक्षित प्रकटन की सीमाओं के अध्यधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

 क. हमने समेकित वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, आवश्यक सभी जानकारियों और स्पष्टीकरणों को प्राप्त कर लिए है तथा वे संतोषजनक पाए गए हैं;

 ख. हमारी जानकारी में आए हुए समूह के बैंकों के लेन-देन समूह के संबंधित बैंक के अधिकार क्षेत्र में हैं; और

 ग. समूह के बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाई गई हैं।

14. हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

 क. हमारी राय में, विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखे की बहियाँ उचित रूप से बैंक द्वारा रखी गई हैं और जिन शाखाओं का हमने दौरा नहीं किया है इन बहियों की जांच से जहाँ तक प्रतीत होता हैं उनसे प्राप्त विवरणियां हमारे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त हैं;

 ख. इस रिपोर्ट में प्रस्तुत समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा निरीक्षण न की गई शाखाओं से प्राप्त बही खाते और विवरणियों से मेल खाते हैं;

93.39 Crore as at 31st March, 2019, total revenue of Rs. 7.39 Crore, total net profit after tax of Rs. 0.03 Crore and net cash outflows of Rs. 10.94 Crore for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. The consolidated financial statements also includes the Group's share of net profit after tax of Rs.41.15 Crore for the year ended 31st March, 2019, in respect of 5 (five) associates, whose financial statements have not been audited by us. These financial statements are unaudited and have been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these subsidiaries and associates, is based solely on such unaudited financial statements / financial information. In our opinion and according to the information and explanations given to us by the Parent bank's management, these financial statements/financial information are not material to the Group.

Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the Other Legal and Regulatory Requirements below, is not modified in respect of above matters with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors and the un-audited financial statements/financial information certified by the management.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

12. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit & Loss account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

13. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 8 to 11 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit of the consolidated financial statements and have found them to be satisfactory;

 b) The transactions of the banks within the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the respective banks within the Group; and

 c) The returns received from the banks within the Group have been found adequate for the purposes of our audit of the consolidated financial statements.

14. We further report that:

 a) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept so far as it appears from our examination of those books and the reports of the other auditors;

 b) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the relevant books of accounts maintained for the purpose of the preparation of the consolidated financial statements;

ग. बैंकिंग विनियामक अधिनियम 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित/समीक्षा किए गए घरेलू अनुषंगियों, सहायक कंपनियों, संयुक्त उपक्रमों के लेखों पर रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है तथा विदेशी अनुषंगियों और सहायक कंपनियों के खातों पर रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई गई है और रिपोर्ट को तैयार करने में हमने उचित रूप से कार्रवाई की है; और

घ. हमारी राय में, समेकित तुलनपत्र, समेकित लाभ एवं हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने की सीमा तक अनुपालन करते हैं।

c) the reports on the accounts of the domestic subsidiaries, associates and joint ventures reviewed/audited by other auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and the reports on the accounts of the Overseas Subsidiaries and associates have been provided to us and have been properly dealt with by us in preparing this report;and

d) In our opinion, the Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account and the Consolidated Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards; to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

कृते एनबीएस एण्ड कं.
For NBS & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 110100W) (FRN 110100W)

प्रदीप शेट्टी Pradeep Shetty
भागीदार Partner
सदस्यता सं. 046940 M. No. 046940

कृते बंसी जैन एण्ड एसोशिएट्स
For Banshi Jain & Associates.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 100990W) (FRN 100990W)

पराग जैन Parag Jain
भागीदार Partner
सदस्यता सं 078548 M. No. 078548

कृते चतुर्वेदी एण्ड कं.
For Chaturvedi & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants
(एफआरएन 302137E) (FRN302137E)

एस.सी. चतुर्वेदी S.C.Chaturvedi
भागीदार Partner
सदस्यता सं 012705 M. No. 012705

स्थान : मुंबई / Place : Mumbai
दिनांक : 16 मई, 2019 / Date : 16th May 2019

बासेल III (स्तंभ 3)- प्रकटन(समेकित)मार्च 2019

तालिका डीएफ 1

अनुप्रयोग का कार्यक्षेत्र

समूह में शीर्ष बैंक का नाम जिस पर यह संरचना लागू होती है

बैंक ऑफ इंडिया

i. गुणात्मक प्रकटन

क. ऐसे समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल हैं

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	क्या इकाई/ संस्था लेखा समेकन के दायरे में शामिल है (हां/ नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	क्या इकाई समेकन के नियामक दायरे के तहत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की विधि समझाएं	समेकन की विधि में अंतर के कारण दें	समेकन के केवल एक दायरे के अंतर्गत समेकित है तो कारण दें
बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (तनजानिया) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई शेयर होल्डिंग लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
बीओआई मर्चंट बैंकर्स लि.	हाँ	अनुषंगी	हाँ	अनुषंगी	लागू नहीं	लागू नहीं
स्टार यूनियन दाई-ईची लाईफ इंश्योरेंन्स कं. लि.	हाँ	संयुक्त उद्यम	नहीं	संयुक्त उद्यम	लागू नहीं	लागू नहीं
एसटीसीआई फायनान्स लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
इंडो-जांबिया बैंक लि.	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी झारखंड ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं
आरआरबी नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक	हाँ	सहायक कंपनी	हाँ	सहायक कंपनी	लागू नहीं	लागू नहीं

ख) **लेखांकन तथा नियामक समेकन गुंजाइश दोनों के तहत समेकन में शामिल न किए जाने वाले समूह संस्थाओं की सूची-**

ऐसी कोई भी समूह संस्था नहीं है जिसके लिए लेखांकन समेकन गुंजाइश और नियामक समेकन गुंजाइश, दोनों के तहत समेकन हेतु विचार न किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटन:

(ग) ऐसी समूह संस्थाओं की सूची जो समेकन में शामिल है

संस्था का नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की मुख्य गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी व रिजर्व (विधिक इकाई के लेखाकंन तुलन पत्र में उल्लिखित के अनुसार) (इक्विटी + रिजर्व) (रु. मि.)	कुल बैलेंस शीट आस्तियां (विधिक इकाई के लेखाकंन तुलन पत्र में उल्लिखित के अनुसार) (रु. मि.)
बैंक ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड लि.	बैंकिंग	2593.51	4156.38
बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.	बैंकिंग	687.33	3252.17
बैंक ऑफ इंडिया (तनजानिया) लि.	बैंकिंग	1024.65	3322.96
बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.	बैंकिंग	222.42	638.21
पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके	बैंकिंग	5550.50	17563.99
बीओआई शेयर होल्डिग लि.	स्टॉक एक्सचेंज का समाशोधन व निपटान	308.53	326.46
बीओआई एक्सा इन्वेस्टमेन्ट मैनेजर्स प्रा.लि.	आस्ति प्रबंधन	586.56	689.99
बीओआई एक्सा ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. लि.	ट्रस्टीशिप सेवाएं	2.15	2.76
बीओआई मर्चेंट बैंकर्स लि.	मर्चेंट बैंकिंग	142.58	143.50
स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	जीवन बीमा	6001.55	85852.06
एसटीसीआई फायनान्स लि.	एनबीएफसी-एनडीएसआई	18112.27	135115.14
एएसआरईसी (इंडिया) लि.	आस्ति वसूली कंपनी	1382.91	1645.68
इंडो जांबिया बैंक लि.	बैंकिंग	5081.46	25847.52
आरआरबी विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1148.73	44139.23
आरआरबी आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	16935.37	188917.12
आरआरबी झारखंड ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	1688.40	38263.56
आरआरबी नर्मदा झबुआ ग्रामीण बैंक	बैंकिंग	6391.38	90525.34

घ. सभी अनुषंगियों में पूंजीगत कमी की कुल राशि जिसे विनियामक समेकन, अर्थात गुंजाइश में शामिल नहीं किया गया जिनकी कटौती की जाती है:

अनुषंगियों में कोई कमी नहीं है।

ङ बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हित की समग्र राशि (उदाहरणार्थ चालू बही मूल्य) जिन्हें जोखिम आधार पर मापा जाता है:

बीमा कंपनियों के नाम/निगमीकरण का देश	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (रू. मिलियन)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का % /मतदान अधिकार का अनुपात	कटौती पद्धति का उपयोग करने बनाम जोखिम भारिता पद्धति का उपयोग करने से नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव (रू. मिलियन में)
स्टार युनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	जीवन बीमा	85852.06	28.96	1875.00 (जोखिम भार 250 %)

च. बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियामक पूंजी के अंतरण के संबंध में कोई प्रतिबंध या बाधाएं जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिशासित है।

नहीं।

तालिका डीएफ - 2
पूंजी पर्याप्तता

i. गुणात्मक प्रकटन

क. वर्तमान तथा भावी कार्य-कलापों के समर्थन में अपनी पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षेप में विवेचना।

1. बैंक ऑफ इंडिया

बैंक समय-समय पर अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं का नियमित मूल्यांकन करता है। भविष्य में कारोबार वृद्धि, पूंजीगत आवश्यकताएं, नीति दिशा-निर्देश, मेक्रो आर्थिक परिदृश्य एवं जोखिम क्षमता, आदि का ध्यान रखने हेतु पूंजीगत योजना की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। सभी जोखिमों से व्यापक रूप से निपटने हेतु बैंक ने आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) विकसित की है।

2. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुरूप विदेशी मुद्रा व्यापार चलाने के लिए, बैंक की टियर-1 पूंजी कम-से-कम आईडीआर-1 ट्रिलियन होना चाहिए।

3. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. (अनुषंगी):

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु बैंक ऑफ तंजानिया (बीओटी) और बैंक ऑफ युगांडा (बीओयू) द्वारा कार्यान्वित अनुसार, बासेल समिति द्वारा विकसित दिशानिर्देशों पर आधारित तकनीक का प्रयोग करते हुए, बैंक प्रबंधन द्वारा पूंजी पर्याप्तता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की नियमित निगरानी की जाती है। आवश्यक सूचना तिमाही आधार पर बीओटी और बीओयू स्थानीय विनियामक के पास प्रस्तुत है। आई एफ आर एस - 9 जनवरी 1, 2018 से लागू हो गया है।

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है:

टियर 1 पूंजी : - शेयर पूंजी तथा प्रतिधारित आय टियर-1 पूंजी की गणना में आस्थगित प्रभार, सांविधिक आरक्षितियां एवं सामान्य प्रावधान काट लिए जाते हैं।

टियर 2 पूंजी : -अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त लाभ

जोखिम भारित आस्तियों को चार जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, संभावित हानियों की अधिक आकस्मिक प्रकृति को परिलक्षित करते हुए कुछ आशोधनों के साथ, ऑफ-बैलेन्स शीट एक्सपोजर के लिए भी की जाती है।

4. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैड) लि. (अनुषंगी):

पर्यवेक्षण उद्देश्य हेतु रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) के दिशानिर्देशों पर आधारित नियोजित तकनीक पर पूंजी पर्याप्ताता तथा नियामक पूंजी के प्रयोग की निगरानी प्रतिदिन बैंक के प्रबंधन द्वारा की जाती है। आवश्यक सूचना का प्रकटन तिमाही आधार पर सामान्य प्रकटन विवरण द्वारा किया जाता है। बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंधित नियामक पूंजी में केवल टियर 1 पूंजी शामिल है।

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियाँ।

जोखिम भारित आस्तियों को पाँच जोखिम भारों के अनुक्रम द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। जोखिम-भार का वर्गीकरण, किसी पात्र संपार्श्विक या गारंटी की गणना करते हुए, आस्ति की प्रकृति, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और प्रत्येक आस्ति एवं प्रतिपक्ष से जुडे जोखिम के आधार पर किया जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया, ऑफ-बैलेन्स शीट एक्सपोजर के लिए भी की जाती है।

5. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक की नियामक पूंजी, जो इसके प्रबंधन द्वारा प्रबंधित है, वह दो टियर में विभाजित है :

टियर 1 पूंजी : शेयर पूंजी, प्रतिधारित आय तथा प्रतिधारित आय के विनियोजन द्वारा निर्मित आरक्षितियां (अनुषंगी के लिए अब हानि)। टियर I पूंजी की गणना के लिए पूर्वदत्त व्यय एवं आस्थगित प्रभारोंको घटा दिया जाता है।

टियर 2 पूंजी : अर्हक गौण ऋण पूंजी, समेकित क्षतिभत्ता अर्थात मानक आस्तियों पर प्रावधान तथा बिक्री हेतु उपलब्ध इक्विटी लिखतों के उचित मूल्यांकन पर अप्राप्त उगाही।

ii मात्रात्मक प्रकटन

		रू. मिलियन में
	ऋण जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं (#):	234,926.10
➢	मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की शर्त पर पोर्टफोलियो	
➢	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
	बाजार जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकताएं :मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (#):	16,450.00
➢	ब्याज दर जोखिम	10371.00
➢	विदेशी मुद्रा जोखिम (सोना सहित)	335.00
➢	इक्विटी जोखिम	5744.00
	परिचालन जोखिम हेतु पूंजी आवश्यकता (#):	
➢ ➢	बेसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण मानकीकृत दृष्टिकोण (यदि लागू हो)	26,640.00
	कॉमन इक्विटी टियर 1, टियर 1 और कुल पूंजी अनुपात : (श्रेष्ठ समेकित समूह हेतु)	
➢	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1)	11.71%
➢	टियर 1 पूंजी (टी 1)	11.77%
➢	कुल पूंजी अनुपात	14.86%
#	आवश्यक पूँजी को आरडबल्यूए की 9% की दर से न्यूनतम नियामक आवश्यकता पर गणना की जाती है।	

तालिका डीएफ 3 - ऋण जोखिम
सभी बैंकों के लिए सामान्य प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

क) ऋण जोखिम सहित सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें सम्मिलित है:

- पिछले देय तथा अपसामान्य की परिभाषा (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

1.0 बैंक ऑफ इंडिया

बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों का अनुपालन करता है, जिसका सारांश निम्नलिखित है:

1.1 अनर्जक आस्तियाँ

एक आस्ति जिसमें पट्टा आस्ति शामिल है जब बैंक के लिए आय उत्पन्न नहीं करती है तब वह अनर्जक हो जाती है।

अनर्जक आस्ति (एनपीए) एक ऐसा ऋण या अग्रिम है जिसमें :

- मीयादी ऋण के संबंध 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए मूलधन का ब्याज और/या किस्त अतिदेय रहता है।
- एक ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण (ओडी/सीसी) के सम्बन्ध में, नीचे दर्शाए गए अनुसार ''अनियमित'' हुआ खाता।
- क्रय तथा बट्टागत बिल के मामले में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहने वाले बिल।
- अल्पावधि फसलों हेतु दो फसली मौसमों के लिए, अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा ब्याज।
- दीर्घावधि फसलों हेतु एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहने वाले मूलधन की किस्त अथवा उसपर ब्याज।
- दिनांक 1 फरवरी, 2006 के प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में किसी प्रतिभूतिकरण लेन देन चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया रहती है तो।
- बैंक किसी भी खाते को एनपीए के रूप में तब ही वर्गीकृत करेगा जब ब्याज तिमाही के अंत से 90 दिनों के भीतर पूरी तरह चुकाया नहीं जाए।
- बुनियादी/गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण, यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार (90 दिन का अतिदेय होने पर) वाणिज्यिक परिचालन शुरु होने से पहले किसी भी समय एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से दो वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।
- किसी गैर बुनियादी संरचना परियोजना के लिए कोई ऋण यदि उसे पुन:संरचित नहीं किया जाता और ''मानक आस्ति'' के रुप में वर्गीकरण के लिए पात्र नहीं हो जाता, वसूली के रिकार्ड के अनुसार नियमित होने पर भी मूल डीसीसीओ से बारई माह के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन शुरु करने में असफल रहता है तो उसे एनपीए के रुप में वर्गीकृत किया जाएगा।

1.2 ''अनियमित'' स्थिति

एक खाता तब ''अनियमित'' माना जाता है जब उसमें स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा बकाया लगातार बना रहे। उन मामलों में जहाँ प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृति सीमा/आहरण अधिकार से कम है किन्तु तुलन पत्र की तिथि तक 90 दिनों तक लगातार कोई जमा नहीं है या उस अवधि के दौरान ब्याज नामें करने की राशि न हो तो, इन खातों को ''अनियमित'' खाता माना जाता है।

1.3 ''अतिदेय''

किसी ऋण सुविधा के अंतर्गत बैंक को देय कोई राशि तब ''अतिदेय'' होती है जब बैंक द्वारा निधार्रित तिथि को देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.4 अनर्जक निवेश

एक अनर्जक निवेश (एनपीआई) एक अनर्जक अग्रिम (एनपीए) के समान है जहाँ

- ब्याज/किस्त (परिपक्वता आगम सहित) देय है तथा 90 दिनों से अधिक तक अदत्त है।
- अधिमानी शेयरों के यथोचित परिवर्तनों सहित जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
- इक्विटी शेयरों के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुरुप नवीनतम तुलन पत्र की अनुपलब्धता पर किसी कंपनी के शेयरों में निवेश का मूल्य रु. 1 प्रति कंपनी है तो ऐसे इक्विटी शेयर अनर्जक निवेश माने जाएंगे।
- निर्गमकर्ता द्वारा यदि कोई ऋण सुविधा प्राप्त की जाती है जो बैंक की बही में अनर्जक अग्रिम है तब इस निर्गमकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश को अनर्जक अग्रिम माना जाएगा तथा विलोमत:।
- डिबेन्चर/बॉड में निवेश, जिसे अग्रिम प्रकृति का समझा जाए वह निवेशों पर लागू अनर्जक अग्रिम के अध्यधीन है।

2.0 पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

ऋण गुणवत्ता का अभिनिर्धारण कारोबार की संभावना, ऋणी का कार्यनिष्पादनऔर चुकौती क्षमता जैसे तथ्यों के आधार पर किया जाता है। यह प्रत्येक अभिनिर्धारण तथ्य और घटकों तथा संबंधित ऋणी की विशिष्टताओं से संबद्ध अभिनिर्धारण तथ्यो के आधार पर किया जाता है। तदनुसार आस्तियों को चालू, विशेष उल्लेख, अवमानक, संदिग्ध और हानि प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता हैं।

''आस्तियाँ'' अर्जक आस्तियों और अनर्जक आस्तियों में वर्गीकृत की जाती हैं। अर्जक आस्तियाँ, राजस्व अर्जित करने के लिए किसी बैंक द्वारा निधियों का प्रावधान है। ''अनर्जक आस्तियाँ '' बैंक की अर्जक आस्तियों के अलावा है जिसमें हानि की संभावना है।

कोई आस्ति अनर्जक तब होती है जब वह बैंक के लिए राजस्व उत्पन्न करना बंद कर देती है। अनर्जक आस्ति ऐसा ऋण या अग्रिम है जहाँ मूलधन और/या ब्याज 90 दिन से अधिक के लिए बकाया है।

गत देय : किसी भी ऋण सुविधा के अन्तर्गत बैंक को देय राशि गतदेय होती है यदि उसका भुगतान बैंक द्वारा निधार्रित की गई तिथि को नहीं किया जाता है।

2010 को पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके ने नई लेखांकन नीति पीएसएके 50 तथा 55 के कार्यान्वयन को आरम्भ किया जो अन्तर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक आईएएस 32 तथा 39 के समान है जिसके अनुसार वित्तीय आस्तियों को उचित मूल्य पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। पीएसएके 50 व 55 के कार्यान्वयन के दौरान बैंक इंडनोशिया ने इन दिशा-निर्देशों का प्रयोग किया कि यदि परिवर्तन की अवधि के दौरान वर्ष 2011 तक, बैंक पूर्व में हुई हानियों का आंकडा नहीं रखता है तो उपर्युक्त वर्णितानुसार ह्रासित वित्तीय आस्ति की गणना कर सकता है। अब हम बैंक के कोर बैंकिंग में समेकित पीएसएके परिकलन में प्रगति दर्शा रहे हैं जो प्रौद्योगिकी उन्नतिकरण के हमारे कारोबारी योजना के समान है।

मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा समीक्षित बकाया ऋण और अग्रिम निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाना चाहिए :

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
90-120	अवमानक	15%
120-180	संदिग्ध	50%
180 और अधिक	हानि	100%

3.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि., बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया युगांडा एवं बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. (अनुषंगी)

ऋण जोखिम बैंक के लिए वित्तीय हानि का जोखिम हो जाता है जब कोई ग्राहक या किसी वित्तीय लिखत का प्रतिपक्षी अपने संविदागत दायित्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है और वह प्रमुख रूप से ग्राहकों एवं अन्य बैंकों को बैंक द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों तथा नामे प्रतिभूतियों में निवेश के कारण होता है।

निदेशक मंडल ने अपनी ऋण समिति को ऋण जोखिम की चूक के लिए जिम्मेदारी प्रत्यायोजित की है। ऋण समिति को रिपोर्ट करने वाला ऋण विभाग बैंक के ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- संपार्श्विक आवश्यकताओं को कवर करते हुए ऋण नीतियों का प्रतिपादन, ऋण निर्धारण, जोखिम ग्रेडिंग तथा रिपोर्टिंग, प्रलेखी तथा विधिक प्रक्रियाएं, विनियामक तथा सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए प्राधिकृत करने का ढाँचा स्थापित करना। बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित ऋण नीति द्वारा ऋण सीमाएँ शामिल होती है।
- ऋण जोखिम की समीक्षा एवं अभिनिर्धारण।
- प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम का संकेन्द्रण, भौगोलिक एवं औद्योगिक (ऋणों एवं अग्रिमों के लिए) सीमित करना।

3.1 गत देय एवं अनर्जक की परिभाषा (लेखांकन उद्देश्य के लिए)

ओवरड्राफ्ट एवं अन्य ऋण सुविधा बिना विशिष्ट नियत तारीखों के गत देय माने जाएंगे यदि:

- ग्राहक की उधार सीमा से अधिक है।
- ग्राहक की उधार सीमा समाप्त हो जाए।
- गणना किए गए ब्याज और अवधि के लिए नियत ब्याज को पूरा करने के लिए जमाराशियों का अपर्याप्त होना।
- बिल अनादृत कर दिए गए हों।
- बिल या खाते का भुगतान नियत तारीख पर न किया गया हो।
- ऋण जिनकी चुकौती किस्तों में की जानी होती है, समूचे रूप से गतदेय माने जाते हैं, यदि कोई भी किस्त जो देय हो चुकी है और तीस दिन या ज्यादा अवधि के लिए भुगतान नहीं की गई हो।

4.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि.:

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-180	अवमानक	10%
181-270	संदिग्ध	50%
271 और अधिक	हानि	100%

5.0 बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि.:

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
30-90	विशिष्ट रूप से उल्लिखित	3%
91-180	अवमानक	20%
181-360	संदिग्ध	50%
361 और अधिक	हानि	100%

6.0 बैंक ऑफ इंडिया युगांडा –

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
91-179	अवमानक	20%
180-365	संदिग्ध	50%
365 और अधिक	हानि	100%

7.0 बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बकाया ऋण और अग्रिमों की समीक्षा मात्रात्मक दृष्टिकोण द्वारा कर निम्नानुसार वर्गीकृत की जानी चाहिए:

गत देय दिनों की संख्या	वर्गीकरण	प्रावधानीकरण
1 वर्ष	मानक	प्रतिभूत - 20% अप्रतिभूत - 25%
1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष से कम	संदिग्ध	25% + कमी का 100%
2 वर्ष से अधिक से 4 वर्ष तक	संदिग्ध	40% + कमी का 100%
4 वर्ष से अधिक	हानि	100%

ख) बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

क. बैंक ऑफ इंडिया :

- एक बैंक के पोर्टफोलियों में, एक ग्राहक अथवा प्रतिपक्ष का उधार, व्यापार समझौता और अन्य वित्तीय लेन-देन के प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की अक्षमता या अनिच्छा से अथवा ऋण नीति में वास्तविक या महसूस किए गए ह्रास से पोर्टफोलियों के बढ़ते मूल्य की एकमुश्त चूक से हानि उत्पन्न होती है।
- इन कमियों के विरुद्ध बैंक के दीर्घावधि वित्तीय स्वास्थ्य के लिए एक दृढ़ जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। ऋण जोखिम प्रबंधन में पहचान, मापन, निगरानी तथा ऋण जोखिम नियंत्रण सम्मिलित है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन नीति में सामान्य स्तर पर बैंक ने विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम की पहचान की है। उत्पाद/प्रक्रियाओं के स्तर पर अधिक सूक्ष्मता से पहचान होती है। नए उत्पादों/प्रक्रियाओं को आरम्भ करने से पहले विभिन्न जोखिमों का आकलन किया जाता है, जिसे जोखिम दृष्टिकोण से जोखिम रहित किया जाता है।
- ऋण जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क में तीन विशिष्ट खण्डों को इसकी नीति में समाहित किया गया है जो है- नीति एवं कार्यनीति, संस्थागत ढांचा और परिचालन/प्रणाली।

i) नीति और कार्यनीति:

बैंक संतुलित जोखिम दर्शन को अपनाता रहा है, जिससे कठिन समय में भी बैंक अपने संतुलन को बनाए रख पाया। यद्यपि नए तथा अनछुए क्षेत्रों के संबंध में बैंक की एक खुली नीति रही है तथा नए अवसरों को बैंक ने हमेशा पहचाना है। इस दर्शन के महत्वपूर्ण पक्षों को परिपत्रों में दर्शाया गया है तथा समय-समय पर अनुदेश पुस्तिका रूप में संहिताबद्ध किया गया है।

लाभप्रदता, सामना किए जानेवाले विभिन्न जोखिमों के स्तर, पूँजी स्तर, बाजार परिदृश्य तथा प्रतियोगिता को दृष्टिगत रखते हुए बैंक के कारोबारी उद्देश्यों और कार्यनीतियों का निर्णय लिया जाता है। बैंक की सोच हमेशा आस्ति गुणवत्ता तथा अर्जन पर रहती है अतएव वह विवेकपूर्ण ढंग से जोखिम नियंत्रण सहित लाभप्रदता को अधिक करने का प्रयास करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन नीति तथा सार्थक ऋण जोखिम संबंधी नीति जैसे ऋण नीति तथा ऋण अनुप्रवर्तन नीति का अनुमोदन तथा आवधिक तौर पर समीक्षा निदेशक मंडल द्वारा की जाती है। ऋण नीति विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखती जैसे ग्राहक, विपणन, उधार के क्षेत्रवार अभिगम, ऋण सुपुर्दगी, ऋण पर जोर, ऋण अवधि, ऋण अर्जन, जोखिम श्रेणी निर्धारण (जोखिम स्वीकार मानदंड सहित), कीमत निर्धारण, ऋण मूल्यांकन, सीमाओं का निर्धारण, ऋण जोखिम मानदंड, उद्योग मानदंड, संपार्श्विक और मार्जिन, रिश्तों की समीक्षा, प्रत्यायोजन कर योजना सांविधिक तथा अन्य नियंत्रण तथा प्रलेखीकरण। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों हेतु ऋण नीति है और प्रत्येक केन्द्र की अपनी क्रेडिट नीति है जो मुख्य नीति से मेल खाती है। ऋण मामले में शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक अलग नीति है। इसके अतिरिक्त ऋण जोखिम की पहचान तथा निगरानी ऋण अनुप्रवर्तन नीति के अंतर्गत की जाती है। पुनर्गठन नीति, बैंक जोखिम नीति, देश जोखिम नीति तथा ऋण लेखापरीक्षा नीति भी है। निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के बाद तथा निवेश नीति में दिए गए नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश अनुबंधित होता है।

ii) संस्थागत ढांचा:

ऋण जोखिम प्रबंधन कार्य हेतु बैंक के संस्थागत ढांचे में शीर्ष स्तर पर निदेशक मंडल है जो जोखिम प्रबंधन पर व्यापक पर्यवेक्षण रखता है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर कॉम) जो कि बोर्ड की उप-समिति है तथा जिसके अध्यक्ष बैंक के अध्यक्ष और इसके सदस्य के रुप में ऋण, माकेर्टिंग और परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं जो ऋण जोखिम सहित समेकित जोखिम प्रबंधन की नीति और कार्यनीति निधार्रित करते हैं। परिचालनात्मक स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) ऋण जोखिम का दायित्व संभालते है। इसके मुख्य कार्यों में बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का कार्यान्वयन, बृहत आधार पर बैंक के ऋण जोखिम की निगरानी, ऋण प्रत्यायोजन, बृहत ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, पोर्टफोलियों प्रबंधन आदि सहित ऋण मामलों से संबंधित सभी नीतियों का बोर्ड से अनुमोदन हेतु अनुशंसा करना है।

जोखिम प्रबंधन विभाग महाप्रबंधक पद के मुख्य जोखिम अधिकारी के देखरेख में कार्यरत है जो जोखिम प्रबंधन पर बोर्ड द्वारा निर्धारत सीमाओं के अंदर व्यापक रूप से ऋण जोखिम का मापन, नियंत्रण तथा प्रबंधन करता है तथा बोर्ड/आर कॉम/सीआरएमसी द्वारा तय जोखिम मानदंडों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करता है। महाप्रबंधक के अंतर्गत कार्यरत ऋण निगरानी विभाग ऋण पोर्टफोलियों का अनुप्रवर्तन करता है, समस्याओं की पहचान करता है तथा कमियों को दूर करने का उपाय करता है। ऋण लेखापरीक्षा कार्यों में ऋण समीक्षा/ऋण लेखापरीक्षा का समावेश है।

iii) परिचालन/प्रणाली/प्रक्रियाएं

बैंक ऋण प्रदान करने के लिए निरंतर एक मानक, तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों सहित सभी ऋण जोखिमों का अनुरक्षण तथा प्रलेखीकरण, आवधिक व्यक्तिगत बाध्यताधारी समीक्षा, आवधिक निरीक्षण तथा संपार्श्विक प्रबंधन प्रणाली जैसी स्वत: पहल कर ऋण जोखिम प्रबंधन करता है।

ऋण जोखिम सीमा में उद्योग द्वारा बाध्यताधारी सीमा व संकेन्द्रण सीमा, ग्राहकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु प्रणाली व प्रक्रिया हेतु निगरानी तथा सीमा में बकाया नियंत्रण सम्मिलित है। ऋण विस्तार हेतु जांच तथा अधिशेष है यथा ऋण स्वीकृति से ऋण जोखिम प्रबंधन को अलग करना, सीआरएमसी द्वारा जोखिम दृष्टिकोण से नए उत्पादों तथा प्रणाली का पुनरीक्षण, बहु ऋण अनुमोदक, जोखिम निर्धारण करने की प्रणाली, ग्राहक के जोखिम ग्रेंडिंग पर आधारित कीमत सुविधाओं की प्रणाली, जोखिम दृष्टिकोण से ऋण प्रस्तावों के पुनरीक्षण हेतु ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति, ऋण प्रक्रिया लेखापरीक्षा, स्वीकृति पूर्व संवितरण पूर्व समीक्षा तथा स्वीकृति पूर्व समीक्षा प्रणाली तथा स्वतंत्र लेखापरीक्षा व जोखिम समीक्षा कार्य निवेशों हेतु प्रस्ताव ऋण जोखिम विश्लेषण, विस्तृत मूल्यांकन तथा क्रम निर्धारण के अध्यधीन है। प्रवेश स्तर के मामले में, न्यूनतम क्रमनिर्धारण/गुणवत्ता मानक, उद्योग, परिपक्वता, अवधि, निर्गम अनुसार मामले निवेशों हेतु विनिधार्रित किए गए हैं जिससे कि तरलता के जोखिम तथा संकेन्द्रण के विपरीत प्रभाव को कम कर सकता है। अन्य बैंकों पर सकल जोखिम पर केन्द्रीयकृत परिदृश्य प्रदान करने हेतु एक उचित फ्रेमवर्क तथा अर्धवार्षिक समीक्षा की गई है। देश के जोखिम का अनुप्रवर्तन अर्धवार्षिक आधार पर होता है।

जोखिम आस्तियों के विविधतापूर्ण पोर्टफोलियों का अनुरक्षण किया जाता है तथा पोर्टफोलियों के नियमित विश्लेषण करने की एक प्रणाली है जिससे कि जोखिम संकेन्द्रण के जोखिम नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। अनर्जक अग्रिमों के संबंध में एक संतुलित नीति प्रक्रियागत है। ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली के आरम्भ सहित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) उन्नतिशील किया गया है जिससे कि बैंक की क्षमताएं बढ़ेगी तथा तुलन पत्र में न आनेवाली अनिवाली सभी गतिविधियों के ऋण जोखिम का बैंक प्रबंधन करेगा।

iv) ऋण जोखिम प्रबंधन/न्यूनीकरण हेतु निम्नलिखित साधनों का उपयोग

किया जाता है -

➢ **ऋण अनुमोदित करने संबंधी प्राधिकार-अधिकारों का प्रत्यायोजन**

बैंक में बहु स्तरीय जोखिम आधारित अनुमोदित प्रणाली वाली सुस्पष्ट प्रत्यायोजन अधिकार की योजना है जिसकी आवधिक समीक्षा की जाती है और कारोबार के वातावरण की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए जब एवं जैसा आवश्यक होता है, उसे संशोधित किया जाता है। अधिकारियों का प्रत्यायोजन उधारकर्ताओं के रेटिंग के साथ लिंक की हुई है जहां बेहतर रेट वाले ग्राहकों को उच्चतर सीमा की मंजूरी देने का अधिकार है। वर्तमान में सभी ऋण प्रस्तावों पर जो महाप्रबंधक और उससे उच्चतर प्राधिकारी को प्रत्यायोजित प्राधिकारमें आते हैं। "ऋण जोखिम मूल्यांकन समिति (सीआरईसी)" के माध्यम से कार्रवाई की जाती है जिससे ऋण प्रस्तावों में जोखिमों को स्वतंत्र एवं परोक्ष रूप से मूल्यांकन समझा जा सके। जोखिम प्रबंधन विभाग के महाप्रबंधक जिसे कोई मात्रात्मक या लाभ का लक्ष्य नहीं है सीआरईसी का अनिवार्य सदस्य होता है।

वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर प्रत्यायोजित अधिकारों के प्रयोग हेतु स्वीकृति के अधिकारी सहित गठित की गई है। प्रधान कार्यालय स्तर पर फील्ड में कार्यरत अधिकारियों को प्रत्यायोजित अधिकारों से परे प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए तीन ऋण समितियाँ (जीएमएलसीसी, ईडीएलसीसी एवं सीएसी) कार्यरत है। आंचलिक कार्यालय/ एनबीजी कार्यालय में उनके अधिकारों में आनेवाले ऋण प्रस्तावों पर विचार करने के लिए इसी प्रकार ऋण समितियाँ (एसजेडएलसीसी/ जेडएलसीसी/एनबीजीएलसीसी) का गठित की गई है।

➢ **विवेकपूर्ण सीमाएँ**

विभिन्न प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ऋण/निवेश के विविध पहलुओं जैसे एकल/समूह उधारकर्ता सीमाओं के संबंध में उपयुक्त विवेकपूर्ण सीमाएँ है।

➢ **जोखिम श्रेणी निर्धारण/मूल्य निर्धारण**

काऊन्टर पार्टी के विभिन्न जोखिम घटकों के लिए एकल बिन्दु इन्डीकेटर तथा क्रेडिट तथा मूल्य निर्धारण में सहायता हेतु बैंक ने विभिन्न खण्डों में श्रेणी निर्धारण माडल आरंभ किया है।

➢ **ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम)**

ऋण लेखा परीक्षा/ऋण समीक्षा व्यवस्था ऋण बही की गुणवत्ता के लगातार मूल्यांकन करने और ऋण प्रबंध में गुणात्मक सुधार लाने हेतु एक प्रभावी साधन है।

v. विश्लेषण के माध्यम से संविभाग प्रबंधन

विभिन्न ऋण पोर्टफोलियों एवं निवेशों की समग्र संरचना और गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक उपयुक्त प्रणाली होना भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से शुरुआत के लिए बैंक ने एक सरल पोर्टफोलियों निगरानी फ्रेमवर्क प्रारंभ किया है। आगे चलकर बैंक और अधिक परिष्कृत पोर्टफोलियों प्रबंधन मॉडल तैयार करेगा। रु 10 लाख और इससे अधिक वाले खातों में रेटिंग माइग्रेशन छ:माही किया जा रहा है और बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते है। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट साफ्टवेयर (सीआरएमएस) चरणबद्ध रुप से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंक एडवांस एप्रोच को स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहा है।

vi. जोखिम मापांकन

वर्तमान में ऋण जोखिम का निर्धारण जोखिम श्रेणी निर्धारण व्यक्तिश: स्तर पर करने और पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों के भारांक एवं जोखिम भारांको के आधार पर रखी गई पूँजी के माध्यम से किया जाता है। 31 मार्च 2008 से प्रभावी नवीन पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल II) के अन्तर्गत बैंक ने मानक दृष्टिकोण को अपना लिया है।

vii. जोखिम रिपोर्टिंग प्रणाली

सभी ऋण संबंधी नीतियाँ अनुमोदन के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले सीआरएमसी (जो ऋण जोखिम के लिए परिचालन स्तर की समिति है) द्वारा अनुमत की जाती है। उचित निगरानी करने के लिए विभिन्न ऋण संबंधी सूचनाएँ सीआरएमसी को प्रस्तुत की जाती है।

viii. जोखिम समीक्षा

लेखापरीक्षा-ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं साधन भी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं।

ix. विशेषकर उल्लिखित खाते/एनपीए खातों के अनुवर्तन हेतु उपाय

एनपीए की निगरानी/निवारण हेतु सामान्यत: बैंक में उपलब्ध विभिन्न उपाय नीचे सूचीबद्ध किए गए है :-

I. एनपीए होने से पहले खाता [विशेष रूप से उल्लिखित खाता (एसएमए)]:

क. आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए स्वीकृत अवधि के अनुपालन हेतु सघन निगरानी।

ख. जहाँ भी अनियमितताएँ पाई गई है वहां तत्परता से अनुस्मारकों का भेजा जाना।

ग. एनपीए प्रवर्ग में खाते का न जाना सुनिश्चित करने हेतु तुरंत अतिदेयों की वसूली करना।

घ. वित्तीय डाटा के विश्लेषण के साथ इकाई का आवधिक निरीक्षण एवं आस्ति प्रभार।

ड. खातों को एनपीए होने से पहले प्राप्य राशियों को पुनर्संरचित करना, अधिस्थगन अवधि, ब्याज निधि एवं किश्तों के आस्थगन की वृद्धि सहित सुधारात्मक कार्रवाई।

II) एनपीए होने के बाद खाता:-

क. बकाया को कम करने हेतु अर्थ सुलभ प्रतिभूतियों (टीडीआर, शेयर, मार्जिन राशि आदि) एवं गिरवी वस्तुओं का विनियोजन।

ख. उधारकर्ताओं के सहयोग से अन्य प्रतिभूतियों का निपटान।

ग. समझौता वार्ता के माध्यम से प्राप्य राशियों का समझौता निपटान।

घ. अग्रिम को रीकॉल करना।

ड. अदालत में मुकदमा दाखिल - डिक्री निष्पादन।

च. अंत में, प्राप्य राशियों की वसूली हेतु सभी उपाय करने के पश्चात्,खाता को नियत शेष के बट्टे खाते में डाला जाता हैं ।

ख. पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) ने संपूर्ण जोखिम प्रबंधन को स्वीकृत लक्षित, समन्वित और सतत बनाने की आशा से जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) तथा जोखिम प्रबंधनइकाई (आरएमयू) स्थापित की है जो परिचालन इकाई और आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई (''आंतरिक लेखा परीक्षा") से स्वतंत्र है। इसके अतिरिक्त आरएमसी और आरएमयू के कार्यों के कार्यान्वयन के प्रभाव की निगरानी के लिए बैंक ने जोखिम निगरानी समिति बनाई है जो सीधे बोर्ड ऑफ कमीशनर्स को उत्तरदायी है।

बैंक ऑफ इंडोनेशिया के अनुसार बैंक ने 8 (आठ) प्रकार के जोखिमों को संभाला है। ऋण जोखिम, चलनिधि जोखिम, बाजार् जोखिम, परिचालन जोखिम, अनुपालन जोखिम, विधि जोखिम, जोखिम के साथ संभाव्य जोखिम वाली गतिविधियाँ जो बैंक की कारोबार निरन्तरता को खंडित करती है । जोखिम प्रकार का आकलन किसी भी कार्यात्मक गतिविधि (निहित जोखिम) और जोखिम नियंत्रण प्रणाली में निहित जोखिमों का संयोजन है।

बैंक नए ऋणों का अनुमोदन करने में चयनात्मक है और नियामक द्वारा आवश्यक ऋण के प्रावधान से अधिक बनाए रखता है। संपार्श्विक आधारित उधार में,

संपार्श्विक के मूल्य पर हेयरकट लगाई जाती है। बैंक को जोखिम अधिकारी निदेशक अनुपालन को रिपोर्ट करता है। जोखिम प्रबंधन इकाई (आरएमयू) ऋण अनुमोदन प्रक्रिया की देखभाल/निगरानी रखते हैं।

ग. बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना -II) लि.

मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाना, मानक आस्तियों में संभाव्य ऋण चूक या व्यतिक्रम से निपटने का एक उपयोगी साधन बन गया है। आस्ति की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु बैंक ने निम्नलिखित नीति अपनाई है जिस पर शाखाओं को तुरंत अमल करना चाहिए और :-

- उधारकर्ता के साथ सक्रिय अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से अतिदेय या कम से कम संकटपूर्ण राशि को वसूल करना।
- अस्थायी बेमेल रोकड प्रवाह के मामलों में खातों में परिचालन को बनाए रखना।
- अपेक्षित नकदी प्रवाह के अनुसार चुकौती मीयाद को पुनर्निधार्रित करना।
- पुनर्रचना नीति में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार नकदी प्रवाह में यदि कोई अंतर हो तो अपेक्षित नकदी प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देय राशि की पुनर्रचना की जाए।

एनपीए होने से पहले खातों में बैंक द्वारा उपरोक्त में से एक या अधिक कार्रवाई की गई है।

ii मात्रात्मक प्रकटन

क. कुल सकल ऋण जोखिम निम्नानुसार है:

प्रवर्ग	रू. मिलियन में
निधि आधारित	4,111,537.44
गैर-निधि आधारित *	458,102.50

* क्रेडिट छोडक़र डेरिवैटिव के समतुल्य

ख. जोखिम का भौगोलिक वितरण:

(रू. मिलियन में)

	स्वदेशी	विदेशी
निधि आधारित	3,526,210.92	585,326.53
गैर-निधि आधारित	403,933.62	54,168.88

ग. उद्योगवार जोखिम का वितरण (निधि आधारित और गैर- निधि आधारित) निम्नलिखित है :

(रू. मिलियन में)

उद्योग का नाम	निधि आधारित (बकाया राशि)	गैर निधि आधारित (बकाया राशि)
कोयला	987.01	0.00
खदान	50,665.86	1,138.88
लौह एवं इस्पात	92,761.53	895.71
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	52,671.50	7,426.91
सभी इंजीनियरिंग	18,417.98	4,201.25
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	4,072.57	543.79
विद्युत	328,655.40	0.00
सूती वस्त्र उद्योग	29,794.43	653.09
जूट वस्त्र उद्योग	1,062.03	15.75
अन्य वस्त्र उद्योग	42,223.19	2,294.00
खाद्य प्रसंस्करण	40,093.50	2,358.97
जिसमें से वनस्पति तेल एवं वनस्पति	6,492.95	1,402.89
जिसमें से चीनी	14,729.98	464.93
जिसमें से अन्य खाद्य प्रसंस्करण	18,382.80	476.60
जिसमें से चाय	5.76	14.55
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	5,345.35	68.37
पेपर एवं पेपर उत्पाद	10,534.67	251.88
रबर एवं रबर उत्पाद	17,768.89	1,812.39
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	54,956.84	5,716.59
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	15,206.70	1,147.46
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	8,421.77	1,931.54
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	16,353.42	1,625.72
जिसमें से अन्य	14,885.44	1,011.86
सीमेंट	12,689.33	353.85
चर्म एवं चर्म उत्पाद	3,971.73	171.86
रत्न एवं आभूषण	67,584.41	185.91
निर्माण	67,598.18	17,059.30
पेट्रोलियम	22,485.93	4,824.16
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	19,242.62	958.97
कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर	5,472.97	0.00
आधारभूत संरचनायें	477,814.43	87,256.73
जिसमें से पॉवर	329,821.36	46,817.35
जिसमें से दूरसंचार	1,530.99	57.05
जिसमें से सडक़ें और पत्तन	106,360.87	25,305.08
अन्य उद्योग	529,413.72	314,239.11
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	2,487,981.35	6,218.83
कुल	**4,111,537.44**	**458,102.50**

- बुनियादी संरचना क्षेत्र के 11.62% के दर से एक्सपोजर् कुल निधि आधारित अग्रिमों के 5% से अधिक है।
- बुनियादी संरचना क्षेत्र के 19.04% के दर से एक्सपोजर् कुल गैर-निधि आधारित बकाया के 5% से अधिक है।

घ. आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण निम्नलिखित है:

(रू. मिलियन में)

	अग्रिम	निवेश (सकल)	विदेशी मुद्रा आस्तियाँ
पहला दिन	49,470.76	257,835.45	324.21
2 से 7 दिन	71,809.62	65,475.28	25,867.26
8 से 14 दिन	84,711.29	19,364.78	11,361.45
15 से 30 दिन	77,991.94	21,293.10	24,455.65

31 दिन और 2 माह तक	130,118.97	25,423.67	70,368.16
>2 माह और 3 माह तक	129,067.13	29,567.50	99,134.14
>3 माह और 6 माह तक	323,135.40	26,033.51	70,486.41
6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	98,785.31	60,260.00	29,162.69
1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	941,715.47	262,525.35	7,588.63
3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	252,285.36	176,897.37	407.22
5 वर्ष से अधिक	908,473.31	514,351.06	26,440.77
कुल	**3,067,564.54**	**1,459,027.07**	**365,596.59**

ङ. सकल एनपीए इस प्रकार है –

प्रवर्ग	**(रू. मिलियन में)**
अवमानक	105,927.20
संदिग्ध-1	73,245.49
संदिग्ध – 2	145,551.61
संदिग्ध – 3	117,302.34
हानि	165,369.99
कुल	**607,396.63**

च. निवल एनपीए की राशि रू. 191,676.04 मिलियन है।

छ. एनपीए अनुपात निम्नानुसार है :

- सकल अग्रिमों पर सकल एनपीए : 15.78%
- निवल अग्रिमों पर निवल एनपीए : 5.59%

ज. सकल एनपीए का उतार चढ़ाव निम्नप्रकार है :

(रू. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	624,061.21
ii) वर्ष के दौरान किया गया परिवर्धन	179,293.92
iii) वर्ष के दौरान की गई कटौती	195,958.50
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	607,396.63

झ. एनपीए हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्नानुसार है : (रू. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष	318,942.21
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	121,767.87
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	46,494.15
iv) वर्षान्त मे इतिशेष (i+ii-iii)	394,215.93

ञ. अनर्जक आस्ति निवेश की राशि रू 20,380.30 मिलियन है।

ट. अनर्जक आस्ति निवेश हेतु किए गए प्रावधान की राशि रू 18,273.36 मिलियन है।

ठ. निवेशों पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों का उतार चढ़ाव निम्न प्रकार है :

(रू. मिलियन में)

i) वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	39,413.82
ii) वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	12,677.57
iii) अतिरिक्त प्रावधानों का पुनरांकन/बट्टे खाते में डालना	12,159.36
iv) विनिमय अंतर	160.10
v) वर्षान्त में इतिशेष (i+ii-iii+iv)	40,092.13

ड. एनपीए और बैंक ऑफ इंडिया के लिए प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार द्वारा किया गया प्रावधान (सोलो) : (रू. मिलियन में)

उद्योग का नाम	एनपीए	प्रावधान
कोयला	359.70	344.70
खदान	16,934.40	16,523.20
लौह एवं इस्पात	13,749.50	6,515.50
अन्य धातु एवं धातु उत्पाद	16,500.40	6,949.60
सभी इंजीनियरिंग	5,919.80	4,042.30
जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	703.50	621.60
विद्युत	66,195.70	47,224.60
सूती वस्त्र उद्योग	5,916.40	3,000.10
जूट वस्त्र उद्योग	747.30	653.60
अन्य वस्त्र उद्योग	13,802.90	8,528.90
खाद्य प्रसंस्करण	14,946.79	12,079.40
जिसमें से वनस्पति तेल एवं वनस्पति	4,435.40	4,261.10
जिसमें से चीनी	1,691.60	1,334.30
जिसमें से अन्य खाद्य प्रसंस्करण	8,819.79	6,484.00
जिसमें से चाय	0.00	0.00
तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	1,429.70	577.00
पेपर एवं पेपर उत्पाद	3,322.70	2,652.40
रबर एवं रबर उत्पाद	1,827.10	652.70
केमिकल, डाई, पेंट्स आदि	17,863.40	14,099.00
जिसमें से फर्टिलाइजर्स	2,341.30	1,881.10
जिसमें से पेट्रोकेमिकल्स	1,877.70	1,475.20
जिसमें से ड्रग्ज और फार्मास्युटिकल्स	4,820.20	3,688.70
जिसमें से अन्य	8,824.20	7,054.00
सीमेंट	2,238.00	1,292.90
चर्म एवं चर्म उत्पाद	539.50	261.20
रत्न एवं आभूषण	25,983.00	10,948.60
निर्माण	7,190.10	1,855.30
पेट्रोलियम	3,794.80	3,352.40
ऑटोमोबाइल्स, ट्रक सहित	10,443.00	7,171.80
कम्प्यूटर सॉफ्टवेअर	4,596.10	2,232.90
आधारभूत संरचनायें	210,780.40	101,188.94

जिसमें से पॉवर	66,195.70	47,224.60
जिसमें से दूरसंचार	1,080.70	633.10
जिसमें से सडक़े और पत्तन	41,441.30	23,736.80
अन्य उद्योग	102,062.70	29,594.44
शेष अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों सहित तुलन के लिए)	234,620.53	188,836.29
कुल	607,396.63	394,215.93

ढ. भूगोलवार एनपीए एनपीए एवं प्रावधान (बैंक ऑफ इंडिया के लिए सोलो)

(रू. मिलियन रुपयों में)

	घरेलू	विदेशी	कुल
सकल एनपीए	511,672.45	94,938.67	606,611.12
एनपीए हेतु प्रावधान	326,224.00	67,692.90	393,916.90

तालिका डीएफ-4

ऋण जोखिम : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन संविभागों हेतु

i. गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत संविभागों के लिए:

- **किसी भी परिवर्तन हेतु कारणों सहित, उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारण एजेन्सियों का नाम**
- **ऋण जोखिम के प्रकार जिसके लिए प्रत्येक एजेन्सी का उपयोग किया गया है; एवं**
- **बैंकिंग बही में लोक निर्गम श्रेणी निर्धारण का तुलनीय आस्तियों में अंतरण हेतु प्रयुक्त की गई प्रक्रिया का वर्णन।**

1.0. बैंक ऑफ इंडिया:

ए. बैंक ने सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भार के लिए निम्नलिखित ऋण श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की सामान्य श्रेणी निर्धारण के उपयोग किए जाने हेतु अनुमोदन किया है। स्वदेशी दावों के लिए सीआरआईएसआईएल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग्स, ब्रीकवर्क, एसएमईआरए एवं सीएआरई तथा अनिवासी कार्पोरेट्स, विदेशी बैंको एवं विदेशी प्रभुसत्ता पर दावों के लिए एस एंड पी, फिच एवं मूडी। एसएमई श्रेणी निर्धारण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।

बी. इन सभी एजन्सियों के श्रेणी निर्धारण का उपयोग, बासेल-II के अंतर्गत सीआरएआर गणनाओं हेतु मानकीकृत दृष्टिकोणान्तर्गत, श्रेणीकरण के अधीन समस्त ऋण जोखिमों के जोखिम भार प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

सी. बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम श्रेणी निर्धारण अंतरण हेतु प्रयुक्त प्रक्रिया आरबीआई की नियामक आवश्यकताओं के अनुसार है। श्रेणी निर्धारक एजेन्सियों द्वारा उनकी वेबसाइट पर प्रकाशित की गई लोक श्रेणी निर्धारण इस प्रयोजनार्थ उपयोग की गई है। श्रेणी निर्धारण जो केवल संबद्ध श्रेणी निर्धारण एजेन्सी के मासिक बुलेटिन के अनुसार प्रभावी है एवं पूर्व 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार पुनरीक्षित की गई है, का उपयोग किया जाता है।

डी. विशेष दूसरे पक्ष पर समस्त ऋण जोखिमों के लिए बैंक द्वारा श्रेणी निर्धारण के लिए केवल एक ही एजेन्सी का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस अपवाद सहित कि जहाँ केवल एक अनुमोदित श्रेणी निर्धारण एजेन्सी द्वारा ऋण जोखिमों का एक से अधिक बार श्रेणी निर्धारण किया जाता है।

ई. जोखिम भार प्रयोजनार्थ पात्रता के लिए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि, बाह्य ऋण निर्धारण पर विचार किया जाता है एवं बैंक द्वारा भुगतान की गई संपूर्ण ऋण राशि के संबंध में ऋण जोखिम को प्रतिबिंबित करें। एक ही पार्टी के दूसरे पक्ष को किसी अन्य ऋण जोखिम के लिए विशिष्ट श्रेणी निर्धारण एक निर्गमकर्ता या निर्गम को विस्तारित करते समय, यह ऋण जोखिम एक्सपोजर की संपूर्ण राशि के लिए विस्तारित की जाती है, अर्थात दोनों मूल राशि एवं ब्याज हेतु। एक कार्पोरेट समूह के अंतर्गत एक कंपनी के बाह्य निर्धारण का उपयोग जोखिम भार हेतु उसी समूह की अन्य कंपनियों के लिए नहीं होता है।

एफ़. उन आस्तियों के लिए जिनकी संविदागत परिपक्वता एक वर्ष से कम या एक वर्ष के बराबर होती है, अल्पावधि श्रेणी निर्धारण का उपयोग किया जाता है, जबकि अन्य आस्तियों के लिए दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण प्रयोग की जाती है। नकद उधार एक्सपोजर के लिए दीर्घ अवधि श्रेणी निर्धारण ली जाती है।

जी. जहाँ एक जारीकर्ता की बाह्य दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण सहित दीर्घावधि एक्सपोजर है जो 150% जोखिम भारिता का समर्थन करता है, तथा उसी काउन्टरपार्टी के सभी अमूल्यांकित दावे चाहे वह अल्पावधि की हो अथवा दीर्घावधि की हो, भी 150% जोखिम भारिता वहन करती है, सिवाय उसके जहाँ ऋण जोखिम घटाव तकनीक इन दावों के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्पावधि श्रेणी निर्धारण के मामले भी एकसमान होंगे ।

एच. दीर्घावधि एक्सपोजर हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम भारिता का सीधा आकलन अनुमोदित रेटिंग एजेन्सियों द्वारा दीर्घावधि श्रेणी निर्धारण समनुदेशित किया जाता है। इसके विपरीत, प्रतिपक्ष का अमूल्यांकित अल्पावधि दावा उसके प्रतिपक्ष के मूल्यांकित अल्पावधि दावो पर लागू जोखिम भारिता से कम से कम एक स्तर ज्यादा जोखिम भारिता वहन करता है। बैंकों तथा निगमों के विरुद्ध मूल्यांकित सुविधा से उत्पन्न दावों हेतु जोखिम भारिता निर्गम विशिष्ट अल्पावधि मूल्यांकन जनित है जो अमूल्यांकित दीर्घावधि दावों हेतु जोखिम भारिता का समर्थन नहीं करता है।

आई. यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेन्सियों द्वारा दो निर्धारण दिए जाते है जो विभिन्न ऋण भारिता दर्शा रहा है तो वहाँ उच्च जोखिम भारिता लागू होगा। यदि योग्य ऋण निर्धारण एजेंसियों द्वारा तीन या उससे अधिक मूल्यांकन विभिन्न जोखिम भारिता दर्शा रहे है तब दो न्यूनतम जोखिम भारिता का परवर्ती मूल्यांकन संदर्भित किया जाता है तथा उन दोनों जोखिम भारिताओं में से उच्च जोखिम भारिता लागू होता है यथा द्वितीय न्यूनतम जोखिम भारिता ।

जे. निवेश दावे का आरडब्ल्यू चयनित ऋण निर्धारण एजेन्सी द्वारा विशिष्ट श्रेणी निर्धारण पर आधारित होता है, जहाँ एक विशिष्ट निर्धारित निर्गम में दावा एक निवेश नहीं होता है:

i) विशिष्ट उधार (जहाँ जोखिम भार में श्रेणी निर्धारण का आकलन, जो अमूल्यांकित दावे पर लागू से कम हो) पर लागू श्रेणी निर्धारण बैंक के केवल अनिधार्रित दावे पर लागू होती है। यदि यह दावा समरूप श्रेणी अथवा सभी दृष्टि से विशेष दर आधारित उधार से वरीय हो एवं जहाँ दर आधारित दावा लघु अवधि दायित्व होता है, को छोडक़र अनिधार्रित दावे की परिपक्वता, दर आधारित दावे की परिपक्वता के बाद न आती हो।

ii) यदि निर्गमकर्ता अथवा एकल निर्गम की श्रेणी निधार्रित की गई हो, जो गैर निधार्रित दावों पर लागू की जाती है, के जोखिम भार के बराबर हो अथवा उच्चतर हो, वही दूसरे पक्ष पर गैर निधार्रित दावे, वही जोखिम भार का निर्धारण किया जाता है, जैसा कि दर आधारित एक्सपोजर में लागू होता है, यदि सभी दृष्टि से यह दावा दर आधारित ऋण जोखिम से समरूप या कनिष्ठ श्रेणी का हो।

2.0 पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है।

3.0 बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. बैंक ऑफ इंडिया युगांडा) लि तथा बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि. :

देश में मौजूदा मानदंडो के अनुसार कोई भी बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट रेटिंग किया जाना अपेक्षित नहीं है। देश में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी परिचालन /कार्यरत नहीं है।

4.0 बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैंड) लि. (अनुषंगी) :

आवश्यक्तानुसार तिमाही के आधार पर सामान्य प्रकटीकरण विवरणी द्वारा ऋण जोखिम का प्रकटीकरण किया जाता है ।

ii. **मात्रात्मक प्रकटीकरण:**

(रुपये मिलियन में)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम के कम होने के पश्चात एक्सपोजर की राशि के लिए बैंक की बकाया राशि (दर आधारित एवं गैर दर आधारित) निम्नलिखित तीन बृहत जोखिम क्षेत्रों एवं जिनकी कटौती की जाती है उन क्षेत्रों का मात्रात्मक प्रकटीकरण किया जाता है।	
(मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन) बीओआई का कुल ऋण (बाजार से संबद्ध तुलन पत्र मदों को छोडकर) जोखिम के अंतर्गत वर्गीकृत प्रमुख जोखिम क्षेत्र निम्नानुसार है:-	
100% जोखिम भार से कम	5,485,505.59
100% जोखिम भार	1,184,175.19
100% से अधिक जोखिम भार	329,569.92

तालिका डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. **गुणात्मक प्रकटन**

(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकताओं में यह शामिल है:

- **ऑन एंड ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ और बैंक द्वारा इनका किस हद तक प्रयोग किया जाता है उसका संकेत ;**
- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन हेतु नीतियाँ एवं प्रक्रियाएं;**
- **बैंक द्वारा लिए गए संपार्श्विक के प्रमुख प्रकारों का विवरण**
- **गारंटीकर्ता काउंटर पार्टी के प्रमुख प्रकार और उनकी ऋण पात्रता; एवं**
- लिए गए न्यूनीकरण के भीतर (बाजार अथवा ऋण) जोखिम केंद्रीकरण के बारे में सूचना

क: बैंक ऑफ इंडिया

1. ऋण जोखिम न्यूनीकरण प्रबंधन का एक अनुकूल साधन है, जो अच्छे एवं बुरे दोनों समय में राजस्व हानि से कंपनी का रक्षण करता है। बैंक उसके दैनिक परिचालनों में आने वाले ऋण जोखिम के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न पद्धति और तकनीक अपनाता है। ऐसी प्रक्रिया को ऋण जोखिम न्यूनीकरण का नाम दिया गया है और ऋण जोखिम न्यूनीकरण के कुछ तकनीक को पर्यवेक्षकों द्वारा मूल्य, मुद्रा असंतुलन और परिपक्वता असंतुलन के लिए समायोजन के पश्चात पूंजी प्रभार कटौती करने हेतु उपयोग करने की अनुमति दी गई है। नयी पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल ।।) के अंतर्गत पहचाने गए विभिन्न ऋण जोखिम प्रशामक (सीआरएम) निम्नानुसार है:

- संपार्श्विकृत संव्यवहार
- ऑन - बैलन्स शीट नेटिंग
- गारंटियाँ

2. पात्र वित्तीय संपार्श्विक

मानक दृष्टिकोण के अंतर्गत सभी संपार्श्विकों को ऋण जोखिम प्रशामक के रूप में स्वीकारा नहीं गया है। निम्नलिखित वित्तीय संपार्श्विक को स्वीकार किया गया है।

i. नकदी एवं जमाराशियाँ विदेशी मुद्रा की जमाराशियों सहित
ii. स्वर्ण : 99.99% शुद्धता वाले बेंचमार्क सहित
iii. केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ
iv. किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र
v. जीवन बीमा पॉलिसियाँ
vi. ऋण प्रतिभूतियाँ- श्रेणीकृत शर्तों के अध्यधीन
vii. ऋण प्रतिभूतियाँ-गैर श्रेणीकृत, बैंकों द्वारा जारी, शर्तों के अध्यधीन
viii. म्यूचुअल फंडों की यूनिट शर्तों के अध्यधीन
ix. संपार्श्विक संव्यवहारों के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध करने हेतु कतिपय अतिरिक्त मानदंड हैं, जिनका संपार्श्विक के प्रबंधन पर प्रत्यक्ष वहन है और संपार्श्विक प्रबंधन के दौरान इस पहलू का ध्यान रखा जाता है।

3. ऑन-बैलेंस-शीट- नेटिंग :

ऑन बैलेंस शीट नेटिंग को ऋणों/अग्रिमों (एक्सपोजर के रूप में माने गए) और जमाराशियों (संपार्श्विक के रूप में) तक सीमित रखा जाए, जहाँ पर दस्तावेजो के सबूतों के साथ विशिष्ट ग्रहणाधिकार सहित बैंक का कानूनी प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्था है और जिसका नेट आधार पर प्रबंधन किया जाता है।

4. गारंटियाँ :

जहाँ प्रत्यक्ष, निधार्रित, अविकल्पी और बिना शर्त गारंटियाँ हो, बैंक पूँजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु ऐसे ऋण संरक्षण को मान सकता है। पात्र गारंटीदाताओं/काउंटर गारंटीदाताओं की श्रेणी में ये शामिल हैं:

i. शासक, शासकीय संस्था (बीआईएस, आइएमएफ, यूरोपियन सेन्ट्रल बैंक और यूरोपियन समुदाय के साथ-साथ कतिपय विनिर्दिष्ट एमडीबी, ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई), बैंक और काउंटर पार्टी से अन्य निम्न जोखिम भार सहित बैंक और प्राथमिक व्यापारी;

ii. एए अथवा उससे बेहतर श्रेणी की अन्य संस्थाएं:

5. बैंक की सुपरिभाषित संपार्श्विक प्रबंधन नीति है जो संपार्श्विक के सर्वोत्तम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रित फ्रेमवर्क प्रदान करती है। यह उधार में अंतर्निहित ऋण जोखिम के न्यूनीकरण का प्रमुख घटक है। बैंक मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की प्रतिभूतियाँ स्वीकार करता है। मूर्त प्रतिभूतियाँ या तो भौतिक स्वरूप की होती है अथवा अन्य सामग्री प्रारूप में जैसे कि नकद मार्जिन, बैंक के पास जमाराशियाँ, स्वर्ण अथवा अन्य मूल्यवान धातु, शेयर्स, एनएससी/केवीपी/ जीवन बीमा पॉलिसियाँ। अमूर्त प्रतिभूतियाँ है – बैंक गारंटियाँ/साख पत्र, बही ऋण, आश्वासन पत्र, नकारात्मक पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र, अपंजीकृत प्रभार इत्यादि। उधार दिए गए धन हेतु प्रतिभूति प्राप्त करने के सामान्य तरीके है - बंधक, गिरवी, दृष्टिबंधक और पुनर्ग्रहणाधिकार पत्र। बैंक द्वारा ऋण एक्सपोजर से सृजित की गई संपत्ति पर प्रथम प्रभार/अथवा समरूप आधार पर सामान्य नियम के अनुसार बैंक का प्रभार दर्ज किया जाए।

सामान्यत जब भी लागू हो/अनुमत होने पर गारंटी का आग्रह किया जाए। गारंटीकर्त्ता के प्रमुख प्रकार है:-

i) केंद्र/राज्य सरकार और डीआईसीजीसी, सीजीटीएमएसई और ईसीजीसी जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एजेन्सियाँ

ii) कारपोरेट्स के प्रोमोटर/प्रमुख स्वामी

iii) व्यक्तियों के मामले में रिश्तेदारों की व्यक्तिगत गारंटी

6. संपार्श्विक प्रबंधन के विभिन्न पहलू इस प्रकार है : -

संपार्श्विक को स्वीकार करने हेतु न्यूनतम शर्तें: संपार्श्विक को वैध और प्रवर्तनीय बनाने के लिए बैंक यह सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के रूप में स्वीकार की गई आस्तियाँ बिक्री योग्य, कानूनी प्रवर्तनीय और आवश्यकता पडने पर उसको नियंत्रण में लिये जा सकने योग्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आस्ति का बाजार मूल्य सहज निर्धारण योग्य हो अथवा उसे उचित रूप से स्थापित और सत्यापित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से संपार्श्विक के रूप में स्वीकार्य आस्तियों के प्रकार और प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली इन प्रत्येक आस्तियों के मूल्य अनुपात के अधिकतम ऋण की सूची बैंक के पास है। संपार्श्विक लेते समय बैंक सांविधिक बाध्यताओं का भी ध्यान रखता है।

क) संपार्श्विक की वैधता

i) **प्रवर्तनीयता;**

बैंक सुनिश्चित करता है कि संपार्श्विक के समर्थन में ऋण दस्तावेजीकरण सभी संबंधित क्षेत्राधिकारों में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हो और उधारकर्ता की बाध्यताओं को विमुक्ति हेतु निर्बाध रूप से संपार्श्विक को लागू करने हेतु बैंक को अधिकार देता हो।

ii) **हक और स्वामित्व;**

बैंक हमेशा संपार्श्विक के रूप में आस्ति को स्वीकार करने से पूर्व उसके अस्तित्व तथा स्वामित्व का सत्यापन करता है और सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य पक्ष का कथित संपार्श्विक पर कोई पूर्व दावा नहीं है। ऋण सुविधा के ड्रॉ डाउन से पूर्व ही बैंक संपार्श्विक के नियंत्रण को सुरक्षित करता है। ऋण जोखिम के प्रबंधन के सरलीकरण के लिए शीर्ष प्रबंधन को संपार्श्विक पर सूचना आवधिक रूप से दी जाती है। संपार्श्विक पर प्रभार तत्परता से, जहाँ भी लागू है, संबंधित प्राधिकारियों के पास पंजीकृत किए जाते हैं।

ख) लोन टू वैल्यू अनुपात

बैंक ने प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकार की जाने वाली प्रमुख आस्तियों के लिए अधिकतम लोन टू वैल्यू अनुपात (मार्जिन) निधार्रित किया है। ऐसे अनुपात आस्ति के संबंधित जोखिम के आनुपातिक होते हैं और संपार्श्विक की वसूली के समय होनेवाली संभाव्य हानि के विरूद्ध पर्याप्त बफर प्रदान करते हैं।

ग) मूल्यांकन;

बैंक के एक्सपोजर हेतु स्वीकार की गई संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए बैंक की बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें मूल्यांकन का आधार, मूल्यांकक की अर्हता और पूनर्मूल्यांकन की बारंबारता बैंक में अनुपालन हेतु निधार्रित की गई है।

घ) संपार्श्विक को सुरक्षित रखना तथा उसमें पहुँच का नियंत्रण;

संपार्श्विक के स्वीकारने, निगरानी अथवा सुरक्षित अभिरक्षा के अनुमोदन का प्राधिकार और उत्तरदायित्व संबंधित व्यक्तियों और विभागों को दिया गया है।

ड) संपार्श्विक का प्रतिस्थापन/अतिरिक्त संपार्श्विक :

अतिरिक्त संपार्श्विक के अनुरोध की कार्यविधि का स्पष्ट दस्तावेजीकरण किया गया है।

च) बीमा:

सभी पात्र संपार्श्विक, जिन्हे विशेष रूप से छूट दी गई है उन्हें छोडकर, संबंधित जोखिम हेतु बीमा द्वारा संरक्षित है और इसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किए गए है।

छ) संपार्श्विक की बिक्री;

संपार्श्विक के समय पर परिसमापन के लिए बैंक की सुस्पष्ट और सख्त कार्यविधि है।

ख: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके :

संपार्श्विक मूल्यांकन हेतु पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके की नीति एवं कार्यविधि है जो बैंक ऑफ इंडोनेशिया विनियमन और बंधक ऋण हेतु राष्ट्रीय विवेक पर आधारित है। यदि संपार्श्विक का मूल्य रु.2.79 करोड से अधिक है तो संपार्शिक का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है। संपार्श्विक के स्वरूप पर आधारित परिसमापन मूल्य की गणना की जाती है। संपार्श्विक मूल्य की प्रत्येक वर्ष समीक्षा की जाती है। भूमि एवं भवन के रूप में प्रमुख रूप से संपार्श्विक स्वीकार किया जाता है। सामान्यता व्यक्तिगत एवं अन्य पक्ष गारंटी नहीं ली जाती। केंद्रीकरण हेतु उधार देने की क्षेत्रीय सीमा निधार्रित की जाती है। बैंक को संपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम शामकों की प्रमुख जोखिम की चिंता नहीं है।

ग: बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि. और बैंक ऑफ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि.:

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर सीमा निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	25
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	10
ग) अप्रतिभूत	5

घ. बैंक ऑफ इंडिया (युगांडा) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों; अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिप्रबंधक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उधारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार है।

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	एकल उधारकर्ता एक्सपोजर सीमा, पूंजी के 25% है और इसे बढ़ाकर कोर पूंजी के 50% किया जा सकता है।
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव का 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	
ग) अप्रतिभूत	

ड. बैंक ऑफ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

बैंक के स्वयं की मीयादी जमाराशि रसीदों, अचल संपत्ति पर विधिक बंधक, कंपनी की चल संपत्ति पर दृष्टिबंदक प्रभार, शेयर इत्यादि को गिरवी रखकर आदि संपार्श्विक प्राप्त किया जाता है।

नियामक की आवश्यकताओं के अनुसार एकल उदारकर्ता/समूह को प्रदान किए जाने वाले अधिकतम एक्सपोजर निम्नानुसार हैं:-

संपार्श्विक स्थिति	सीमा (कोर पूँजी के % के रूप में)
1) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूति जिसका मूल्य कम से कम हो	
क) उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% (पूर्णत: प्रतिभूत)	30
ख) संपार्श्विक द्वारा प्रतिभूत जिसका मूल्य उसके द्वारा प्रतिभूत ऋण निभाव के 125% से कम है (आंशिक रूप से प्रतिभूत)	30
ग) अप्रतिभूत	30

ii मात्रात्मक प्रकटन :

(रुपये मिलियन में)

(क) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर -ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा कवर की गई है : मार्जिन (हेयर कट) लागू करने के बाद।	281,374.13
(ख) पृथक रूप से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल एक्सपोजर (जहां लागू के बाद ऑन-ओर-ऑफ बैलेन्स शीट नेटिंग) जो गारंटी/क्रेडिट व्युत्पन्न (जब कभी आरबीआई द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी गई है) द्वारा कवर की गई है।	597,025.47

तालिका डीएफ-6
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण हेतु प्रकटन

i. गुणात्मक प्रकटन

समेकित स्तर पर यथा 31.03.2019 बैंक का कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन :-

लागू नहीं

तालिका डीएफ-7
लेन-देन बही में बाजार जोखिम

i. गुणात्मक प्रकटन :

(क) मानक दृष्टिकोण को कवर करते हुए पोर्टफोलियों को शामिल करते हुए बाजार जोखिम हेतु सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता ।

ए: बैंक ऑफ इंडिया

लेन-देन बही में बैंक निवेशों के "लेन-देन हेतु धारित" (एचएफटी) एवं "बिक्री हेतु उपलब्ध" (एएफएस) पोर्टफोलियों को धारित करता है। शेष आस्तियों- अर्थात परिपक्वता हेतु धारित पोर्टफोलियों और अग्रिमों के अंतर्गत निवेशों को बैंकिंग बही के रूप में माना जाता है। नीचे बाजार जोखिम प्रबंधन प्रयोजन एवं नीतियों का संक्षिप्त ब्योरा दिया गया है।

(i) कार्यनीतियाँ एवं प्रक्रियाएं :

बाजार जोखिम प्रबंधन के अंतर्गत चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम एवं इक्विटी कीमत जोखिम की निगरानी की जाती है। बैंक वर्तमान में जिन्स (कमॉडिटी) में लेन-देन नहीं कर रहा है।

ए. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम की निगरानी के लिए गैप विश्लेषण का पाक्षिक आधार पर पालन किया जाता है। संचयी गैप से संचयी आउटफ्लो का प्रतिशत निकालने के लिए विवेकपूर्ण सीमा का उपयोग किया जाता है- 28 दिनों तक के अल्पावधि बकेट के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अध्यधीन निगरानी की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार उधार -दैनिक एवं औसत मांग उधार, आंतर बैंक देयताएं, खरीदी गयी नीधियां आदि के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं काम करती हैं।

ऊँचे मूल्य की एकमुश्त जमाराशियों की निगरानी साप्ताहिक आधार पर की जाती है। अल्पावधि डायनामिक चलनिधि विवरण चलनिधि स्थिति का आकलन करने के लिए पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है जो व्यवसाय वृद्धि को ध्यान में रखकर चलती है। एक आकस्मिक निधि योजना तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार की गयी है। योजना का तिमाही आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलनिधि संकट के समय और आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए यदि बाजार से निधि उठाई जानी हो तो बैंक की संभावित हानि का आकलन करने के लिए तिमाही आधार पर स्ट्रेस परीक्षण भी किया जाता है।

बी. ब्याज दर जोखिम

पिछले 12 माह के दौरान एवं अगले वित्तीय वर्ष तक बैंक की निवल ब्याज आय पर प्रभाव का आकलन करने के लिए गैप विश्लेषण उपयोग में लिया जाता है। बैंक ड्यूरेशन गैप विश्लेषण का भी उपयोग करता है। देयताओं की अवधि के

लिए विवेकपूर्ण सीमाएं नियत की गयी हैं। बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की ड्यूरेशन आधार पर निगरानी की जाती है।

एसएलआर एवं गैर एसएलआर (घरेलू) विवेकपूर्ण सीमाओं के अंतर्गत दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए वीएआर पद्धति अपनायी जाती है क्योंकि वीएआर के लिए विवेकपूर्ण सीमा नियत की गयी है एवं दैनिक आधार पर निगरानी की जा रही है एवं उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट की जा रही है। दिनांकित प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश सामान्यतया हैज किए जाते हैं एवं ब्याज दर जोखिम निम्नतम है। विदेशी मुद्रा विनिमय स्थिति में भी वीएआर सीमा नियत की गई है।

निश्चित आय, इक्विटी, फॉरेक्स आदि सहित बाजार जोखिम स्थिति के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का आकलन स्ट्रेस टेस्टिंग से किया जाता है, यह जिसमें 200 बेसिस पाईंट के बाजार दर में परिवर्तन का सॉक लगाकर किया जाता है।

सी. विदेशी विनिमय जोखिम

बैंक ने यूएसडी के साथ अन्य मुद्राओं में एग्रीगेट गैप लिमिट नियत की है । बैंक के विभिन्न मुद्राओं में विदेशी विनिमय एक्सपोजर के लिए अधिकतम डेलाइट एवं ओवरनाइट एक्सपोजर नियत किया है। हमने अवधि वार इंडिविजुअल करेंसी वाइस गैप लिमिट भी नियत किया है इसके अलावा, नुकसान रोक सीमा, लाभ सीमा लेना एवं एकल व्यवहार सीमाएं डीलरों के फोरेक्स परिचालनों पर निगरानी रखने के लिए बनायी गयी हैं।

नेट ओपन पोजीशन हेतु विवेकपूर्ण सीमा नियत करके डेरिवेटिव संव्यवहार की निगरानी की जाती है और बकाया डेरिवेटिव पर पीवी 01 का केप रखा जाता है।

डी. इक्विटी कीमत जोखिम

बैंक की घरेलू निवेश नीति के इक्विटी डीलरों के लिए नुकसान रोक सीमाएं नियत की हैं। कोषागार की दैनिक सीमा , अधिकतम निवेश सीमा , इर्क्विटी संविभाग (ट्रेडिंग) के लिए धारण अवधि के संव्यवहारों की उच्चतम प्रबंधन को दैनिक आधार पर रिपोर्टिंग की जाती है।

ई. बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का ढाँचा एवं संगठन:

जोखिम प्रबंधन बोर्ड संचालित कार्य है जिसे तीन स्तरों पर सपोर्ट किया जाता है: देखभाल करने एवं निर्देश जारी करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति, जहाँ कहीं आवश्यक हो नीतियों, सीमाओं आदि पर चर्चा के लिए मार्केट जोखिम प्रबंधन समिति (एमआरएमसी) एक मूलभूत स्तरीय समिति है।

जोखिम प्रबंधन नीतियां चलनिधि जोखिम प्रबंधन अनुमोदित करने के लिए आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) जो नीति विषयों पर विचार करती है एवं एएलएम कक्ष के साथ जमीनी स्तर पर सपोर्ट प्रदान करती है। आस्ति देयता प्रबंधन समितियां विदेशी केन्द्रों में भी परिचालन में है।

ii. जोखिम रिपोर्टिंग का स्कोप एवं प्रकृति और/अथवा मापांकन प्रणाली

स्वदेशी कारोबार के संबंध में बाजार जोखिम का प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निधार्रित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है - जैसे कि मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाना-दैनिक आधार पर लेन-देन बही में निवेशों का अवधि विश्लेषण-दैनिक आधार पर वीएआर लेन-देन बही निवेश इर्क्विटी पोर्टफोलियों को छोडक़र-तिमाही आधार पर तरलता जोखिम/बाजार जोखिम के लिए स्ट्रेस परीक्षण करना, स्वदेशी तुलन पत्र का अवधि विश्लेषण और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर तिमाही आधार पर प्रभाव पर समीक्षा की जाती है और एएलसीओ द्वारा कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है।एएलसीओं द्वारा मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता की समीक्षा की जाती है।

बाजार उधार लेन-देन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानर्देशों के अनुरूप तरलता जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न विवेकपूर्ण उपाय किए गए हैं। मासिक आधार पर ढांचागत तरलता विवरणी तैयार की जाती है और पाक्षिक आधार पर अल्पावधि डायनमिक तरलता विवरणी तैयार की जाती है और उच्च प्रबंधन/ एएलसीओं को रिपोर्ट की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की ढांचागत तरलता कार्पोरेट स्तर पर तिमाही आधार पर की जा रही है।

स्ट्रेस परीक्षण एवं इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर प्रभाव का परिणाम एएलसीओ को रिपोर्ट किया जाता है। लेन-देन बही स्थिति ड्यूरेशन एवं वीएआर दैनिक आधार पर उच्चतम प्रबंधन को रिपोर्ट किया जाता है।

iii हैजिंग और/अथवा जोखिम न्यूनीकरण के लिए नीतियां :

आस्ति देयता प्रबंधन एवं बाजार जोखिम प्रबंधन से संबंधित विस्तृत नीतियां कार्यरत हैं जो बाजार जोखिम की निगरानी के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं प्रक्रियाओं पर विस्तार से प्रकाश डालती है।

iv पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी):

वाणिज्यिक बैंक के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता से संबंधित बैंक इंडोनेशिया के विनियमन के अनुसार, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) के परिकलन हेतु बाजार जोखिम के मापन के लिए अनिवार्य श्रेणी में बैंक शामिल नहीं है। यह इसलिए है कि बैंक विदेशी विनिमय बैंक है जिसके ट्रेडिंग बुक में प्रतिभूतियों और/अथवा डेरिवेटिव संव्यवहार के रूप में वित्तीय लिखत आईडीआर 20 बिलियन (यूएसडी 1.7 मिलियन अनुमानित) से कम की रकम है।

बी. बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगी), बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

क) बाजार जोखिम के सामान्य गुणात्मक प्रकटन की आवश्यकता जिसमें मानकीकृत दृष्टिकोण के संविधान भी शामिल है।

i. बाजार जोखिम: ब्याज दर, मुद्रा तथा इक्विटी उत्पाद में खुली स्थिति से बाजार जोखिम उत्पन्न होती है। बोर्ड सीमा निधार्रित करता है तथा जो स्वीकार की जा सकती है, नियमित अंतराल पर उसकी समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त दैनिक आधार पर एक्सपोजर की निगरानी की जाती है।

ii. तरलता जोखिम: ओवरनाइट जमा से नकदी संसाधन, चालू खाते, परिपक्व जमाराशियां, ऋण आहरण और गारंटियों से उपलब्ध नकद स्त्रोतों से दैनिक मांग के लिए तथा मार्जिन और अन्य नकद समझौतों पर मांग से बैंक को नकद आरक्षित रखना पडता है। ऐसे मांग की पूर्ति करने के लिए परिपक्व निधि के उपलब्ध अंश के आधार पर बोर्ड ने उनके अनुभव पर सीमा निधार्रित की है और अंतर बैंक तथा अन्य उधार सुविधा के न्यूनतम स्तर पर जो मांग की अपेक्षित आहरण को कवर कर सके।

iii. ब्याज दर जोखिम- बैंक को उसकी वित्तीय स्थिति तथा नकदी प्रवाह पर प्रचलित बाजार ब्याज दर में उतर चढाव के परिणाम के साथ जुडी विभिन्न जोखिमों को उठाना पडता है। बैंक को जमा राशि ऋण तथा बाजार प्रवृत्ति के परिवर्तन के अनुरूप दरों को परिवर्तित करने का विवेकाधिकार है। यह उपाय ब्याज दर जोखिम को बैंक एक्सपोजर न्यूनतम रखते है।

iv. मुद्रा जोखिम : बैंक को विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण वित्तीय लिखत के मूल्य में होने वाले उतार-चढाव की जोखिम उठानी पडती है। बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में केवल जितनी आवश्यक मुद्रा की खरीदी तथा बिक्री के आधार तक

शामिल रहती है। बैंक विदेशी मुद्रा वायदा बाजार में शामिल नहीं होता है और इस प्रकार जोखिम सीमित हो जाती है।

ii. मात्रात्मक प्रकटन

(रू. मिलियन में)

निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता #	
ब्याजदर जोखिम	10371.00
विदेशी विनिमय जोखिम (गोल्ड सहित)	335.00
इक्विटी जोखिम	5744.00

पूंजी आवश्यकता का परिकलन आरडब्ल्यूए की 9% की दर पर न्यूनतम विनियामक आवश्यकता पर किया जाता है।

तालिका डीएफ-8
परिचालनात्मक जोखिम
गुणात्मक प्रकटन

साधारण गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता के अतिरिक्त जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त है उस परिचालन जोखिम पूंजी मूल्यांकन हेतु बैंक का (के) दृष्टिकोण ।

ए: बैंक ऑफ इंडिया

बैंक जोखिम प्रबंधन की सर्वोत्कृष्ट प्रक्रिया अपनाता है। बैंक कारोबार की विभिन्न पद्धतियों के तहत समस्त आर्थिक उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के परिचालन जोखिम का सतत निर्धारण और अभिनिर्धारण करता है। समस्त नये उत्पाद, गतिविधियाँ और प्रणालियाँ पहले नया उत्पाद समूह और फिर परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (सीओआरएम) अथवा क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), जो लागू हो के माध्यम से कार्यान्वित होती है। सभी नीतियां बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर.काम) द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद ही बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। मुख्य जोखिम अधिकारी, आरकॉम के निदेशों को कार्यान्वित करते है और दिन-प्रतिदिन के परिचालन गत जोखिम प्रबंधन की देखभाल करते है।

जोखिम प्रबंधन विभाग, कारोबार परिचालन जोखिम प्रबंधकों (बीओआरएम) तथा परिचालनगत जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञ (ओआरएमएस) के नजदीकी सहयोग से कार्य करता है। बीओआरएम तथा ओआरएमएस की समिति परिचालनगत जोखिम प्रबंधन प्रभाग को आवधिक आधार पर जोखिम और नियंत्रण निर्धारण करना, हानि की रिपोर्टिंग करना तथा की मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) में सहायता करता है।

अर्धवार्षिक आधार पर लॉस डेटा विश्लेषण के रूप में जोखिम रिपोर्टिंग की जाती है जिससे उच्च जोखिम प्रवणता वाले उत्पाद और कारोबार लाइन का निर्धारण किया जा सके और न्यूनीकरण उपाय अपनाए जा सके। शाखा स्तर के केआरआई और बैंक स्तर के केआरआई को तिमाही आधार पर ट्रैक किया जाता है।सभी बैंक के उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए वार्षिक आधार आरसीएसए कार्रवाई की जाती है।

बैसिक इंडिकेटर दृष्टिकोण द्वारा ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज की गणना की जाती है। वर्तमान में बैंक ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल चार्ज के परिकलन के लिए उन्नत मापन के प्रयास अपना रहा है। परिचालन जोखिम पूंजी प्रभार की गणना के लिए समानान्तर रन के लिए बैंक को द स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच(टीएसए) में माइग्रेट करने के लिए अनुमोदन मिला है ।

बी: पीटी बैंक ऑफ़ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी)

कार्यों का पृथक्करण, प्रशिक्षण, स्पष्ट रूप से निधार्रित कार्यवाहियां, इत्यादि जैसे परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने श्रेष्ठ प्रक्रिया अपनाई है।

परिचालन जोखिम के प्रबंधन में, नीतियों और कार्यविधियों के नियंत्रण और रूटीन पर्यवेक्षण के संदर्भ में प्रत्येक इकाई जिम्मेदार है। अपरिहार्य परिस्थितियों से बचने प्रणाली के लिए उत्पाद का विकास, प्रणाली, मानव संसाधन और "अपने ग्राहक को जानिए" से संबंधित क्षेत्र शामिल है।

परिचालन जोखिम को कम करने के लिए बैंक ने संव्यवहार प्रोसेसिंग में नियंत्रण कार्य को बढा दिया है जिसमें संव्यवहार के समय के अंदर पूरा करना, लागू मानकों के अनुवाद लेखांकन पद्धति का समायोजन,ठीक ढग़ से रिकार्ड का अनुरक्षण, आस्ति तथा डेटा के लिए सुरक्षित ऐक्सेस क्रियान्वित करने हेतु कार्य विधि सुनिश्चित करना है। आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई का कार्य जो परिचालन गतिविधियों की नियमित जांच करती है, आवश्यक सुधार को बेहतर बना रही है। बैंक परिचालन जोखिम के परिकलन के लिए बेसिक इंडिकेटर एप्रोच इन रिस्क वेटेड एसेट्स (एटीएमआर) का प्रयोग कर रही है।

बैंक में एक आंतरिक नियंत्रण इकाई भी है जो सुनिश्चित करता है कि सभी कारोबार इकाई बैंक की प्रक्रिया का और साथ ही स्थानीय सरकार के विनियमों का भी अनुपालन करते हैं।

सी: बैंक ऑफ़ इंडिया (तंजानिया) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (न्यूज़ीलैण्ड) लि. (अनुषंगी) , बैंक ऑफ़ इंडिया (युगांडा) लि. और बैंक ऑफ़ इंडिया (बोत्स्वाना) लि.

परिचालनात्मक जोखिम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हानि का जोखिम है जो विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती है जो बैंक की प्रक्रिया, कार्मिक, प्रौद्योगिकी और आधार संरचना से संबद्ध है और क्रेडिट, बाजार, तरलता जोखिम छोडक़र बाह्य कारक जैसे विधिक और विनियामक जरूरतों और कारपोरेट व्यवहार के आम स्वीकृत मानकों से उत्पन्न होते है। परिचालनात्मक जोखिम बैंक की सभी गतिविधियों से उत्पन्न होती है।

वित्तीय हानि एवं कुल लागत प्रभावशीलता सहित बैंक की प्रतिष्ठा धूमिल होने से बचाव को संतुलित करने और नियंत्रण कार्रवाई जो पहल एवं रचनात्मकता को सीमित करती है, से बचाव के लिए परिचलनात्मक जोखिम का प्रबंध करना बैंक का उद्देश्य है।

परिचालनात्मक जोखिम का ध्यान रखने के लिए प्रबंधन विकास एवं कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक उत्तरदायित्व प्रत्येक शाखा स्तर पर वरिष्ठ प्रबंधन हेतु निर्धारत किया गया है। परिचालनात्मक जोखिम के प्रबंधन हेतु कुल मानकों के विकास उत्तरदायित्व में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायक है :-

- संव्यवहार के स्वतंत्र प्राधिकार सहित कार्य के उचित पृथक्करण की आवश्यकता;
- संव्यवहार के समाधान एवं निगरानी की आवश्यकता;
- नियामक एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं सहित अनुपालन;
- नियंत्रण एवं प्रक्रिया का प्रलेखीकरण;
- महसूस किए गए परिचालनात्मक जोखिमों के निर्धारण की आवश्यकता तथा पहचान किए गए जोखिमों का ध्यान रखने के लिए नियंत्रण एवं प्रक्रिया की पर्याप्तता;
- परिचालनात्मक हानि की रिपोर्टिंग एवं प्रस्तावित निवारणात्मक कार्रवाई की आवश्यकता;

- आकस्मिकता योजना का विकास;
- प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास;
- नैतिक एवं कारोबार मानक;
- बीमा सहित जोखिम कमी, जहां यह प्रभावी है।

तालिका डीएफ–9

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

i. **गुणात्मक प्रकटन**

साधारण गुणात्मक प्रकटन अपेक्षा में आईआरआरबीबी और प्रमुख धारणाओं के ऋण भुगतान और अ-परिपक्व जमा का परिचालन संबंधी धारणाओं का स्वरूप तथा आईआरआरबीबी मापने की बारंबारता शामिल है।

ए: बैंक ऑफ इंडिया

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम की आम तौर पर तिमाही आधार पर गणना की जाती है। बैंकिंग बही में परिपक्वता हेतु धारित (एचटीएम) संविभाग में धारण किए सभी अग्रिम और निवेश सम्मिलित है।

कार्यनीति और प्रणालियाँ/संरचना और संगठन/जोखिम रिपोर्टिंग संबंधी कार्यक्षेत्र और स्वरूप/नीतियों आदि वही है जो टेबल डीएफ-7 के तहत रिपोर्ट की गई है।

आईआरआरबीबी मेजरमेंट की प्रणाली और प्रमुख धारणाएँ निम्नानुसार है;

- अग्रिमों तथा जमा राशियों, जो बैंक का 100% कारोबार कवर करती है, की शेष परिपक्वता पर नेटवर्क की शाखाओं से प्राप्त मासिक सूचना के आधार पर विभिन्न समय बकेट के साथ ब्याज दर संवेदनशील और विभिन्न आस्तियों व देयताओं की शेष परिपक्वता को ध्यान में लेते हुए संवेदनशीलता विवरण तैयार किया जाता है।
- प्रत्येक आस्ति एवं देयता की अवधि, प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु को परिपक्वता दिनांक के रूप में एवं औसत प्राप्ति को कूपन के रूप में तथा भुनाई प्रयोजन के लिए बाजार दर को लेकर परिचालित की जाती है। निवेशों के लिए, वास्तविक अवधि ली जाती है, जैसा कि डाटा संपूर्ण ब्योरों सहित उपलब्ध रहता है। निवेशों के संबंध में इस प्रयोग के लिए एएफएस एवं एचएफटी संविभागों को अलग रखा जाता है, जैसा कि बैंकिंग बही में आईआरआर पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
- उक्त के उपयोग से, प्रत्येक बकेट के लिए देयताओं और आस्तियों की आशोधित अवधि परिकलित की जाती है और ब्याज दर में 1% से परिवर्तन के लिए उनके मूल्य पर प्रभाव माना जाता है। उसमें जोडकर निवल स्थिति परिकलित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य में सकारात्मक वृद्धि है या अन्यथा।

धारणाएँ :

i. समस्त टाईम बकेट और समस्त आस्तियों के लिए ब्याज दर सभी समान रूप से चालित होता है।

ii. मांग जमा राशियों–बचत तथा चालू के संदर्भ में इसे भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसरण में स्ट्रेस परीक्षण पर विभाजित किया जाता है।

iii. आम तौर पर, बैंक आईआरआरबीबी की गणना करते समय कूपन दर/भुनाई दर का चयन/परिपक्वता तारीख के रूप में प्रत्येक टाईम बकेट के मध्यबिंदु , को लेना आदि सहित रिजर्व बैंक के तनाव परीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

iv. बीपीएलआर लिंकड अग्रिमों/बेस रेट के पुनर्मूल्य निर्धारण को 3 से 6 माह के बकेट में लिया गया है।

v. एमसीएलआर से संबद्ध अग्रिमों का पुनर्मूल्यन, उस एमसीएलआर परिपक्वता अवधि के आधार पर किया गया है जिससे ये एमसीएलआर संबद्ध है।

बी: पीटी बैंक ऑफ इंडिया इंडोनेशिया टीबीके (अनुषंगी) तथा बैंक ऑफ इंडिया (तंजानिया) लि., बैंक ऑफ इंडिया (न्यूजीलैंड) लि. (अनुषंगियां) तथा बैंक ऑफ इंडिया युगांडा लि.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह पर बाजार ब्याज दरों के वर्तमान स्तरों में अस्थिरता के प्रभाव सहित शामिल विभिन्न जोखिमों से युक्त है। बाजार प्रवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ बैंक को जमा राशियों, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज दर में संशोधन करने का विवेकाधिकार है। इन उपायों के कारण बैंक के ब्याज दर जोखिम का क्षेत्र कम होता है।

II **मात्रात्मक प्रकटन**

आईआरआरबीबी मापने के लिए प्रबंधन की प्रणाली के अनुसार उर्ध्वमुखी और अधोमुखी रेट शॉक के लिए उपार्जन और आर्थिक मूल्य (अथवा प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त संबद्ध उपाय) में वृद्धि (ह्रास), मुद्रा द्वारा खंडित (जहां कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त होता है)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (बीओआई सोलो)

(रू. मिलियन में)

	कुल	जिसमें से, यूएसडी में (जहाँ कारोबार कुल कारोबार के 5% से अधिक है)
1. जोखिम पर अर्जन (एनआईआई)		
1 वर्ष के लिए 0.50% परिवर्तन	271.02	(7.75)
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य		
200 बेसिस पॉईंट शॉक	(14801.86)	16044.72
% ता के रूप में इक्विटी मूल्य में कमी	-5.66%	6.13%

तलिका – डीएफ 10

प्रतिपक्षी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजर् के लिए सामान्य प्रकटन

I **गुणात्मक प्रकटन**

बैंक तुलन पत्र की मदों के साथ प्रतिपक्षी कारोबार के उद्देश्य से हैजिंग के लिए व्युत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करता है। व्युत्पन्न परिचालन के जोखिम प्रबंधन के शीर्ष में वरिष्ठ कार्यपालक रहते हैं जो उच्च प्रबंधन को रिपोर्ट करते है, यह लाइन कार्यो से स्वतंत्र है। ट्रेडिंग की स्थिति दैनंदिन आधार पर बाजार पर अंकित किया जाता है ।

जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा व्युत्पन्न नीति बनाई जाती है जिसमें ऋण जोखिम और बाजार जोखिम को आंकना शामिल है।

तुलन पत्र प्रबंधन के लिए हैज संव्यवहार किया जाता है। जोखिमों के सही रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए उचित प्रणाली है। हैजिंग की नीति और उसकी निगरानी की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से है।

हैज तथा गैर-हैज संव्यवहारों को रिकार्ड करने के लिए लेखांकन नीति है जिसमें आय, प्रीमियम और छूट का निर्धारण शामिल है। बकाया संविदा, प्रावधानीकरण, संमार्श्विक और जोखिम न्यूनीकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है।

करंट एक्सपोजर मेथोडोलजी (सीईएम) के अनुरूप क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी परिकलित की गई है। संभाव्य एक्सपोजर का परिकलन क्रेडिट कनवर्जन फैक्टर के साथ कल्पित मूलधन को गुणा करके किया जाता है। प्रतिस्थापन लागत सकारात्मक बाजार मूल्य है। चालू एक्सपोजर प्रतिस्थापन लागत के समान है। क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी संभाव्य एक्सपोजर और चालू एक्सपोजर का जोड है।

II गुणात्मक प्रकटन

क) संविदाओं का सकल सकारात्मक उचित मूल्य,लाभ की निवल राशि, चालू ऋण एक्सपोजर की निवल राशि, धारित संपार्श्विक (यथा नकदी,सरकारी प्रतिभूतियां आदि प्रकार सहित) और निवल व्युत्पन्न ऋण एक्सपोजर । इसमें चूक वाले एक्सपोजर के लिए उपाय की रिपोर्ट अथवा सीईएम के तहत एक्सपोजर राशि भी है। ऋण व्युत्पन्न हेज की कल्पित शून्य और ऋण एक्सपोजर के प्रभार द्वारा चालू ऋण एक्सपोजर का वितरण।

ख) ऋण व्युत्पन्न संव्यवहार जो सीसीआर (कल्पित मूल्य) में एक्सपोजर सृजित करती है, संस्था के अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो के साथ प्रयोग किए गए क्रेडिट व्युत्पन्न उत्पादों के वितरण सहित उसकी मध्यवर्ती गतिविधियों के बीच पृथक किया जाता है, जिसे आगे प्रत्येक उत्पाद समूह के मध्य खरीदे और बेचे गए संरक्षण में विखंडित किया जाता है।

(रू. मिलियन में)

काउंटर पार्टी ऋण जोखिम (सीसीआर)	
कल्पित मूलधन रकम	550,007.97
संभाव्य एक्सपोजर	11,571.23
प्रतिस्थापन लागत	2,870.63
चालू एक्सपोजर	2,870.63
क्रेडिट समतुल्य अथवा ईएडी	14,441.87
आरडब्ल्यूए	3,959.25
पूँजी प्रभार	316.74

(रू. मिलियन में)

मदें	कल्पित रकम	चालू ऋण एक्सपोजर	क्रेडिट समतुल्य
मुद्रा विकल्प	0	0	0
क्रॉस सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	1,085.12	21.70	43.93
वायदा दर करार	4,43,701.34	10,502.42	13,301.39
ब्याज दर भविष्य	0	0	0
ऋण चूक स्वैप	0	0	0
एकल सीसीवाई ब्याज दर स्वैप	1,05,221.50	1,047.11	1,096.54
कुल	**5,50,007.97**	**11,571.23**	**14,441.87**

तालिका डीएफ -11
पूंजी का विन्यास

(रू. मिलियन में राशि)

	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : लिखत तथा आरक्षित	
1	प्रत्यक्ष जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी के साथ संबंधित अतिरिक्त स्टॉक (शेयर प्रीमियम)	344,863.94
2	प्रतिधारित उपार्जन	(204,973.95)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षितियां)	296,095.07
4	सीईटी 1 से फेस आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी (केवल गैर- संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	
	सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी लगाना जिसकी देखरेख 1 जनवरी 2018 तक की जाएगी	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी और थर्ड पार्टियों द्वारा धारित सामान्य शेयर पूंजी (ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत रकम)	809.81
6	**विनियामक समायोजन के पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी**	**301359.10**
	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	
8	गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	
9	बंधक सर्विसिंग अधिकारों को छोड़कर अमूर्त (संबंधित कर देयता का निवल)	-
10	आस्थगित कर आस्तियां	75621.45
11	नकदी प्रवाह हैज आरक्षित	
12	अपेक्षित हानि के प्रावधान में कमी	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	
14	उचित मूल्य देयताओं पर अपने ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानियां	
15	परिनिश्चित- लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियां	
16	अपने शेयरों में निवेश (रिपोर्ट की गई तुलन-पत्र में यदि पहले ही प्रदत्त पूंजी समायोजित न किया गया हो)	
17	सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	248.02
18	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
19	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टाक में महत्वपूर्ण निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
21	अस्थायी अंतरों से उभरे आस्थगित कर आस्तियां (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	

22	(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि, कर देयता से संबंधित का समायोजन)	
23	15% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि	
24	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
25	जिसमें से: अस्थायी अंतरो से उभरे आस्थगित कर आस्तियां	
26	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन 7 (26ए+26बी+26सी+26डी)	
26ए	जिसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00
26बी	जिसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों के इक्विटी पूंजी में निवेश	0
26सी	जिसमें से: बहुलांश स्वामित्व वित्तीय संस्थाएं जिन्हें बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है के इक्विटी पूंजी में कमी	0
26डी	जिसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाएं गए विनियामक समायोजन।	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	उदाहरण के लिए: एएफएस ऋण प्रतिभूतियों पर अप्राप्त हानियों को फिल्टर किया जाना (भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई संबंध नहीं)	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से : समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें .	
27	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
28	**सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**75,869.47**
29	**सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)**	**361,737.15**
	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें	
30	प्रत्यक्ष जारी सापेक्ष अतिरिक्त टियर 1 लिखतें के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	1875.00
31	जिसमें से: लागू लेखांकन मानको के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)	
32	जिसमें से: लागू लेखांकन मानक के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण लिखत)	
33	अतिरिक्त टियर 1 से फेज.आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखतें	1875.00
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखतें (और सीईटी 1 लिखत जो रो 5 में शामिल नहीं) (ग्रुप एटी 1 में अनुमत रकम)	
35	जिसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो फेज.आउट के अधीन है।	
36	**विनियामक समायोजन के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**1875.00**

	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन	
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस धारिता	
39	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है (10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	0.00
40	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को घटाकर)10	
41	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	
41ए	असमेकित बीमा अनुषंगियो के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	
41बी	बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी।	
	पूर्व-बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में अतिरिक्त टियर 1 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा डीटीए.	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें जैसे वर्तमान समायोजन जो टियर 1 से 50% पर कटौती की जाती है)	
	जिसमें से: डसमायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
42	कटौतियों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 में लगाए गए विनियामक समायोजन	
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी पर कुल विनियामक समायोजन**	**0.00**
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**1875.00**
44ए	**पूंजी पर्याप्तता 11 के लिए माना गया अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**1875.00**
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44ए)**	**363,612.15**
	टियर 2 पूंजी: लिखते एवं प्रावधान	
46	प्रत्यक्ष जारी पात्र टियर 2 लिखतों के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	67000.00
47	टियर 2 से फेज.आउट के अधीन प्रत्यक्ष जारी पूंजी लिखत	9000.00
48	अनुषंगियों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (ग्रुप टियर 2 में अनुमत राशि) टियर 2 लिखते (और रो 5 अथवा 34 में शामिल न किए गए सीईटी 1 ओर एटी 1 लिखतें)	
49	जिसमें से: फेज. आउट के अधीन अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें	
50	प्रावधान	19,385.19
51	**विनियामक समायोजन के पहले टियर 2 पूंजी**	**95,385.19**
	टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन	
52	अपने टियर 2 लिखतों में निवेश	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-धारिता	46.93

54	विनियामक समेकन की परिधि से बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं के पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थिति का समायोजन जहाँ संस्था द्वारा जारी सामान्य शेयर पूंजी के अधिकतम 10% का स्वामित्व बैंक का है(10% थ्रेसहोल्ड से अधिक राशि)	
55	विनियामक समेकन की परिधि के बाहर बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय की स्थिति को घटाकर)	0.00
56	राष्ट्रीय निर्दिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	
56ए	जिसमें से: असमेकित अनुषंगियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	
56बी	जिसमें से: बैंक में समेकित न किए गए बहुलांश स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी।	
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में टियर 2 पर लगाए गए विनियामक समायोजन	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें यथा वर्तमान समायोजन जो 50% पर टियर 2 से कटौती की जा रही है.	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	46.93
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**95338.26**
58ए	**पूंजी पर्याप्तता 14 के लिए माना गया टियर 2 पूंजी**	**95338.26**
58बी	**एक्सेस अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी माना जाता है।**	**0**
58सी	**पूंजी पर्याप्तता के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए+ 58बी)**	**95338.26**
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58सी)**	**458,950.41**
	पूर्व बासेल III व्यवहार के अधीन रकम के संबंध में जोखिम भारित आस्तियां	
	जिसमें से: समायोजन के प्रकार की प्रविष्टि करें.	
	जिसमें से:	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)**	**3,089,084**
60ए	**जिसमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां**	2,610,278
60बी	**जिसमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां**	182,789
60सी	**जिसमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां**	296,017
	पूंजी अनुपात	
61	**सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	11.71%
62	**टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	11.77%
63	**कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**	14.86%
64	**संस्था निर्दिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता के साथ पूंजी संतुलन और प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता, जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में व्यक्त)**	
65	**जिसमें से: पूंजी संतुलन बफर आवश्यकता**	
66	**जिसमें से: बैंक निर्दिष्ट प्रतिचक्रीय बफर आवश्यकता**	
67	**जिसमें से: जी-एसआईबी बफर आवश्यकता**	
68	**बफर को पूरा करने के लिए उपलब्ध सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम धारित आस्ति के प्रतिशत के रूप में)**	
	राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बासेल III से भिन्न है)	
69	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	7.375%
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	8.875%
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासेल III न्यूनतम से भिन्न है)	10.875%
	कटौती के लिए थ्रेसहोल्ड से कम रकम (जोखिम भारिता के पहले)	
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	
73	वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
75	अस्थायी अंतरो से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता से घटाकर)	
	टियर 2 में प्रावधान को शामिल करने पर लागू सीमा	
76	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर् के संबंध में टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	19385.19
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की सीमा	
78	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर् के संबंध में टियर-2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने के पहले)	
79	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधान शामिल करने के लिए सीमा	
	फेज आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखत (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)	
80	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर वर्तमान सीमा	
81	सीमा के कारण सीईटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	
82	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर चालू सीमा	11159.29
83	सीमा के कारण एटी 1 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00
84	फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी 2 लिखतों पर चालू सीमा	9000.00
85	सीमा के कारण टी 2 से निकाली गई रकम (मोचन और परिपक्वताओं के बाद सीमा से अतिरिक्त)	0.00

तालिका डीएफ-12
पूंजी की संरचना- समाधान संबंधी आवश्यकताएं

चरण – 1

(रू. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2019)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलनपत्र (31.03.2019)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	27,600.29	27,600.29
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	402,539.19	401,555.84
	अल्प संख्यक हित	1,621.54	1,621.54
	कुल पूंजी	431,761.02	430,777.67
ii	जमाराशियां	5,225,549.62	5,225,656.20
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	521,105.08	521,105.08
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,704,444.55	4,704,551.13
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृ. उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	442,651.92	442,651.92
	जिसमें से : आरबीआई से	111,000.00	111,000.00
	जिसमें से : बैंकों से	16,855.95	16,855.95
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	117,518.70	117,518.70
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	91,027.27	91,027.27
	जिसमें से : पूंजी लिखत	106,250.00	106,250.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	208,876.53	185,350.16
	कुल	6,308,839.09	6,284,435.96
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी और शेष	293,220.92	292,926.38
	बैंकों में शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	655,379.03	655,398.53
ii	निवेश:	1,509,050.17	1,486,672.08
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1,330,270.64	1,321,813.25
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	3,361.45	-
	जिसमें से : शेयर	13,523.06	9,793.59
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	81,815.62	79,386.22
	जिसमें से :अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/ सहयोगी कंपनियां	16,323.10	17,073.10
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	63,756.31	58605.92
iii	ऋण एवं अग्रिम	3,429,663.40	3,429,638.97
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	99,523.50	99,523.50
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	3,330,139.90	3,330,115.48
iv	अचल आस्तियां	89,990.78	89,941.00
v	अन्य आस्तियां	331,534.79	329,859.00
	जिसमें से : सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	-	-
	जिसमें से : आस्थगित कर आस्तियां	119,357.31	119,357.31
vi	समेकन पर सद्भाव	-	-
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष	-	-
	कुल आस्तियां	**6,308,839.09**	**6,284,435.96**

चरण -2

(रू. मिलियन में)

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2019)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र (31.03.2019)
ए	पूंजी एवं देयताएं		
i	प्रदत्त पूंजी	27,600.29	27,600.29
	जिसमें से : सीईटी 1 हेतु पात्र राशि	27,600.29	27,600.29
	जिसमें से : एटी 1 हेतु पात्र राशि	-	-
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	402,539.19	401,555.84
	अल्प संख्यक हित	1,621.54	1,621.54
	कुल पूंजी	431,761.02	430,777.67
ii	जमाराशियां	5,225,549.62	5,225,656.20
	जिसमें से : बैंकों से जमाराशियां	521,105.08	521,105.08
	जिसमें से : ग्राहकों से जमाराशियां	4,704,444.55	4,704,551.13
	जिसमें से : अन्य जमाराशियां (कृपया उल्लेख करें)	-	-
iii	उधार	442,651.92	442,651.92
	जिसमें से : आरबीआई से	111,000.00	111,000.00
	जिसमें से : बैंकों से	16,855.95	16,855.95
	जिसमें से : अन्य संस्थाओं एवं एजेन्सियों से	117,518.70	117,518.70
	जिसमें से : अन्य (कृपया उल्लेख करें)	91,027.27	91,027.27
	जिसमें से : पूंजी लिखत	106,250.00	106,250.00
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	208,876.53	185,350.16
	जिसमें से : सद्भाव से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00

		वित्तीय विवरणियों के अनुरूप तुलन पत्र (31.03.2019)	विनियामक द्वारा समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र (31.03.2019)
	जिसमें से : अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	0.00	0.00
	कुल	**6,308,839.09**	**6,284,435.96**
बी	आस्तियां		
i	भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं शेष		
	बैंकों में शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धन	293220.92	292926.38
ii	निवेश:	655379.03	655398.53
	जिसमें से : सरकारी प्रतिभूतियां	1509050.17	1486672.08
	जिसमें से : अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	1330270.64	1321813.25
	जिसमें से : शेयर	3361.45	0.00
	जिसमेंसे : डिबेंचर एवं बॉंड	13523.06	9793.59
	जिसमें से : अनुषंगियां/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कंपनियां	81815.62	79386.22
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक कागजात, म्यूचुअल फण्ड इत्यादि)	16323.10	17073.10
iii	ऋण एवं अग्रिम	63756.31	58605.92
	जिसमें से : बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	3429663.40	3429638.97
	जिसमें से : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	99523.50	99523.50
		3330139.90	3330115.48
iv	अचल आस्तियां		
v	अन्य आस्तियां	89990.78	89941.00
	जिसमें से:सद्भाव एवं अमूर्त आस्तियां	331534.79	329859.00
	जिसमें से :		
	सद्भाव		
	(अन्य अमूर्त (एमएसआरएस को छोडकर)		
	आस्थगित कर आस्तियां		
vi	समेकन पर सद्भाव	119357.31	119357.31
vii	लाभ एवं हानि खाते में नामे शेष		
	कुल आस्तियां	**6308839.09**	**6284435.96**

चरण -3

(रु. मिलियन में)

आम इक्विटी टियर 1 पूंजी :लिखत एवं आरक्षितियां

		बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया विनियामक पूंजी का अंश	चरण 2 से विनियामक के समेकन की गुंजाइश के अंतर्गत तुलन पत्र के संदर्भ संख्या/पत्रों पर आधारित स्रोत
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी किए गए पात्र आम शेयर (और गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा साथ में संबंधित स्टॉक अधिशेष	344863.94	e
2	प्रतिधारित अर्जन	-204973.95	
3	संचित अन्य समेकित आय (एवं अन्य आरक्षितियां)	296,095.07	
4	सीईटी 1 से फेस आउट की शर्त के अध्यधीन प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी एवं थर्ड पार्टियों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी(ग्रुप सीईटी 1 में अनुमत राशि)	1621.54	
6	विनियामक समायोजनों से पूर्व आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	437606.61	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन		
8	सद्भाव (संबंधित कर आस्तियां कम कर)		a-c

तालिका डीएफ-13
विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

टियर - 1 बॉण्ड

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक (जैसे– निजी प्लेसमेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09191	INE084A09225
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि
	नियामक प्रबंध		
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	अतिरिक्त टियर 1	अतिरिक्त टियर 1
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि(अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में रू. मिलियन में)	975	900
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	3,250	3,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	09.12.2009	09.09.2010
12	बेमियादी या दिनांकित	बेमियादी	बेमियादी
13	परिपक्वता की मूल तिथि	बेमियादी	बेमियादी
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	कॉल ऑपशन की तारीख 09.12.2019 सममूल्य पर मोचन	कॉल ऑपशन की तारीख 09.09.2020 सममूल्य पर मोचन
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	09.12.2019 के बाद	09.09.2020 के बाद
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.00% कॉल से पहले, 9.50% यदि कॉल नही किया गया	9.05% कॉल से पहले, 9.55% यदि कॉल नही किया गया
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	आंशिक विवेकाधीन	आंशिक विवेकाधीन
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	हां	हां
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्तन होगा	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन है तो, राइट डाउन ट्रिगर	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	स्थायी ऋण लिखत	स्थायी ऋण लिखत
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	हां	हां
37	यदि हां तो गैर –अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता

टियर - 2 बॉण्ड

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनीक आईडेन्टिफायर(जैसे– निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A01016
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय विधि
	विनियामक व्यवहार	
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
6	सोलो/ग्रुप /ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो एवं समूह
7	लिखत प्रकार	आम शेयर
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में , नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	27600.285
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन)	लागू नहीं
10	लेखांकन वर्गीकरण	इक्विटी शेयर
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	विभिन्न
12	दिनांकित या बेमियादी	बेमियादी
13	मूल परिपक्वता तारीख	लागू नहीं
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के अध्यधीन पहले इश्यूअर कॉल	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं
	कूपन /डिविडेंड	लाभांश
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश /कूपन	लागू नहीं
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	लागू नहीं
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	लागू नहीं
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	गैर-संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन ट्रिगर्स	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किसी प्रकार के लिखत में परिवर्तन किधर जाएगा उल्लेख करें।	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसके जारीकर्ता का उल्लेख करें।	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर ।	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं
35	पोजीशन इन सबऑर्डिनेशन हाइरार्कि (लिखत से तुरंत वरिष्ठ लिखत के प्रकार का उल्लेख करें।	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	लागू नहीं

1	**जारीकर्ता**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**	**बैंक ऑफ इंडिया**
2	यूनीक आईडेन्टिफायर (जैसे– निजी प्लेस्मेंट के हेतु सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग आईडेन्टिफायर)	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	लिखत के शासी नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम	भारतीय नियम
	विनियामक व्यवहार				
4	संक्रामणकालीन बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	संक्रामणकाल- उपरांत बासेल III नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
6	सोलो/ग्रुप/ग्रुप एवं सोलो में पात्र	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप	सोलो और ग्रुप
7	लिखत प्रकार	अपर टियर 2 पूँजी लिखत	अपर टियर 2 पूँजी लिखत	अपर टियर 2 पूँजी लिखत	अपर टियर 2 पूँजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य की गई राशि (रु. मिलियन में, यथा नवीनतम रिपोर्टिंग तारीख)	1,500	1,500	3,000	3,000
9	लिखत का सममूल्य (रु.मिलियन में)	5,000	5,000	10,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी किए जाने की मूल तारीख	28.07.2009	28.08.2009	20.01.2010	11.06.2010

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
12	दिनांकित या सर्वकालिक	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता तारीख	28.07.2024	28.08.2024	20.01.2025	11.06.2025
14	पर्यवेक्षीय अनुमोदन के अध्यधीन इश्यूअर कॉल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
15	ऑप्शनल कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन	28.07.2019	28.08.2019	20.01.2020	11.06.2020
16	तदुपरांत की कॉल तारीखें, यदि लागू हों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन/डिविडेंड	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित इन्डेक्स	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	डिविडेन्ड स्टॉपर की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
20	पूर्णत: विवेकपूर्ण, आंशिकरूप से विवेकपूर्ण या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	मोचन हेतु स्टेप अप या अन्य किसी प्रोत्साहन की उपलब्धता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
22	गैर-संचयी या संचयी	संचयी	संचयी	संचयी	संचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय हो तो, कन्वर्जन् ट्रिगर्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय हो तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय हो तो, परिवर्तन अनिवार्य है या वैकल्पिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हो तो, किस प्रकार के लिखत में परिवर्तन होगा उल्लेख करें।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हो तो, जिस लिखत में परिवर्तित होगा उसका जारीकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हो तो, राइट डाउन ट्रिगर्स।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि राइट डाउन हो तो, पूर्णत: है या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि राइट डाउन हो तो, वह स्थायी है या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि राइट डाउन हो तो, राइट अप तंत्र का विवरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में सबऑर्डिनेशन व्यवस्था में स्थिति (लिखत के प्रकार का उल्लेख करें लिखत से तत्काल सीनियर)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुपालित पारगमन विशेषता	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं
37	यदि हाँ, तो कृपया गैर-कम्प्लायंट विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता	कोई हानि समावेश नहीं विशेषता

1	जारीकर्ता	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया	बैंक ऑफ इंडिया
2	विशिष्ट अभिज्ञापक (उदा.निजी स्थापन के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा ब्लूमबर्ग अभिज्ञापक)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	लिखत का शासी विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि	भारतीय विधि

	नियानक प्रबंध					
4	संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2	टियर 2
5	परिवर्ती संक्रमणशील बेसल ।।। नियम	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र	पात्र
6	एकल/समूह/समूह और एकल पात्र	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप	सोलो व ग्रुप
7	लिखत प्रकार	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत	टियर 2 ऋण लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि में, रू. मिलियन में)	8,000	4,000	30,000	15,000	10,000
9	सममूल्य के लिखत (रु. मिलियन, अद्यतन रिपोर्टिंग तिथि के)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	लेखांकन वर्गीकरण	उधार	उधार	उधार	उधार	उधार
11	जारी करने की मूल तिथि	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	07/07/2016	27/03/2017
12	बेमियादी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	परिपक्वता की मूल तिथि	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	पर्यवेक्षकीय पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन जारीकर्ता बोली	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां
15	वैकल्पिक बोली तिथि, आकस्मिक बोली तिथि तथा प्रतिदान राशि	नहीं	नहीं	नहीं	07/07/2021	27/03/2022
16	अनुवर्ती बोली तिथि, यादि लागू हो तो	नहीं	नहीं	नहीं	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 7 जुलाई)	मोचन तक, आरबीआई अनुमोदन की शर्त के अध्यधीन प्रत्येक वर्षगांठ तारीख पर (अर्थात 27 मार्च)
	कूपन/लाभांश	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन	कूपन
17	स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूची	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	लाभांश रोधक की स्थिति	हां	हां	हां	हां	हां
20	पूर्ण विवेकाधीन आंशिक विवेकाधीन अथवा अनिवार्य	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक	पूर्ण विवेक
21	संरचना की स्थिति अथवा अन्य प्रोत्साहन मोचन	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूर्णतया या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

28	यदि परिवर्तनीय है तो लिखत प्रकार को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है तो, लिखत जारीकर्ता को स्पष्ट करें जिसमें यह परिवर्त होगा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	राइट डाउन विशिष्टताएं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
31	यदि राइट डाउन हैं तो, राइट डाउन ट्रिगर	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
32	यदि राइट डाउन है तो पूर्ण या आंशिक	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
33	यदि राइट डाउन है तो स्थायी या अस्थाई	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित	आरबीआई द्वारा निर्धारित
34	यदि अस्थायी राइट डाउन तो लेखन प्रणाली का वर्णन-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	ऋणमुक्ति में अधीनस्थ तारतम्यता की स्थिति (लिखत प्रकार को तत्काल वरिष्ठता से स्पष्ट करें)	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार	बैंक के सभी अन्य जमाकर्ता एवं देनदार
36	गैर-अनुवर्ती परिवर्तन विशिष्टताएं	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया	अनुपालन किया गया
37	यदि हां तो गैर - अनुवर्ती विशिष्टताओं को स्पष्ट करें	--	--	--	--	--

तालिका डीएफ -14
विनियामक पूंजी लिखतों के सम्पूर्ण निबंधन एवं शर्तें

➢ हमारे वेबसाइट पर विनियामक प्रकटन खंड के अंतर्गत पृथक प्रकटन ।

तालिका डीएफ : -15
परिश्रमिक के लिए प्रकटन की आवश्यकता

निदेशक मण्डल और उच्चतम कार्यपालको के पारिश्रमिक का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए कार्यनिष्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजना है। यह योजना स्टेटमेन्ट ऑफ इन्टेन्ट (एसओआई) के आधार पर बनाई गई है जो भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित है।

तालिका डीएफ: -16
बैंकिंग बहियों के लिए इक्विटी का प्रकटन

(रू. मिलियन में)

गुणात्मक प्रकटन

1.	इक्विटी जोखिम से संबंधित सामान्य गुणात्मक प्रकटन आवश्यकता (इस अनुलग्नक का पैरा 2.1 जिसमें शामिल है :)	
	धारित जिस पर अभिलाभ अपेक्षित है और वे जो अन्य उद्देश्यों के लिए गए है के बीच अंतर जिसमें संपर्क और कार्यनीतिक कारण शामिल हैं, और	ट्रेजरी द्वारा इक्विटी में निवेश अलग-अलग उद्देश्यों से परिचालित होता है। एसोसिएट, सहायक, संयुक्त उद्यम और आरआरबी में किए गए सभी इक्विटी निवेश एचटीएम श्रेणी में वर्गीकृत हैं क्योंकि इस प्रकार के निवेश परिपक्वता तक रखने के लिए प्राथमिक इरादे से किए जाते हैं। इसके अलावा, ट्रेजरी विभिन्न कंपनियों की इक्विटी में कार्यनीतिक निवेश भी करता है, जो एएफएस श्रेणी में बुक हैं क्योंकि ऐसे निवेश शीघ्र निर्मित नहीं होते। ऐसे भी मामले हैं जहां ऋण आस्तियों को उधारकर्ता के इक्विटी में बदला जाता है, ऐसी कंपनियां एएफएस श्रेणी में वर्गीकृत है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ऐसे निवेश सभी विवेकपूर्ण सीमाओं की परिधि से बाहर रखे गए हैं। कैपिटल गेन के उद्देश्य से इक्विटी में निवेश को एचएफटी श्रेणी के अंतर्गत बुक किया है एवं बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति में निर्धारित हानि रोध सीमा के अध्यधीन है। एएफएस एवं एचएफटी में सभी इक्विटी निवेश मार्क टू मार्केट (एम.टी.एम,.) के अध्यधीन है।
	बैंकिंग बही में इक्विटी धारिता के मूल्यांकन और लेखांकन की महत्वपूर्ण नीतियों पर विचार विमर्श। इसमें प्रयोग लेखांकन तकनीक और मूल्यांकन पद्धति शामिल है साथ ही मुख्य धारणाएं और मूल्यांकन प्रभावित करने वाली पद्धति के साथ इन पद्धतियों में परिवर्तन भी शामिल है।	इक्विटी होल्डिंग के लेखांकन एवं मूल्यांकन के लिए, ट्रेजरी को मास्टर परिपत्र - 'बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन एवं परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदण्ड' में दिये गए आरबीआई के दिशानिर्देश के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक बही में इक्विटी होल्डिंग में निवेश को मार्क टू मार्केट होना आवश्यक नहीं है तथा अधिग्रहण लागत पर कैरी किया गया है। इक्विटी निवेश के मूल्य में क्षणिक को छोडकर यदि कोई ह्रास होता है। एच. टी.एम. श्रेणी में निवेश की बिक्री से कोई हानि,लाभ एवं हानि खाते में दर्ज की जाती है तथा बाद में कर को हटाकर आरक्षित पूंजी तथा वैधानिक पूंजी में विनियोजित की जाती है। लागत में शामिल ब्रोकरेज, कमीशन, प्रतिभूत संव्यवहार कर, आदि इक्विटी निवेश के अधिग्रहण पर भुगतान किया गया । इक्विटी निवेश को स्वीकार करने के लिए ट्रेजरी, ट्रेड डेट लेखांकन नीति बनाए रखता है।

	मात्रात्मक प्रकटन	
1.	निवेश के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य के साथ-साथ उन निवेशों का उचित मूल्य, उद्धृत शेयर मूल्य से तुलना जहां शेयर मूल्य भौतिक रूप से उचित मूल्य से भिन्न है।	
	निवेश का बही मूल्य	14440.66
	तुलन पत्र के अनुसार बही मूल्य	14237.92
2.	निवेश के प्रकार और प्रकृति, जिसमें निम्नानुसार श्रेणीकृत की जाने वाली राशि शामिल है :	
	• सार्वजनिक रूप से व्यापार ;	
	• निजी रूप से धारित	14237.92
3.	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानि).	
4.	कुल अप्राप्य लाभ (हानि) 13	
5.	कुल प्रकट पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानि) 14	
6.	उपरोक्त में से कोई राशि टियर 1 और/या टियर 2 पूंजी में शामिल	
7.	उचित इक्विटी ग्रूपिंग द्वारा विघटित पूंजी आवश्यकताएं, बैंक की पद्धति के साथ समनुरूप के साथ-साथ संकलित राशि और इक्विटी निवेशों का प्रकार बशर्ते कि पर्यवेक्षी ट्रैन्जिशन या विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित प्रावधान की देखभाल.	लागू नहीं

तालिका डीएफ 17-
लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर् उपाय का सारांश 31-03-2019 (समेकित स्थिति)

	मद	(रू. मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल समेकित आस्तियाँ	6,308,839.09
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा और वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेशके लिए समायोजन जिसका लेखांकन उद्देश्य के लिए समेकन किया जाता है लेकिन विनियामक समेकन की सीमा के बाहर है।	(-)750.00
3	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन लेकिन लीवरेज अनुपात एक्सपोजर् उपाय में शामिल नहीं	
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	14,442.27
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संव्यवहार के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और समान प्रतिभूत उधार)	--
6	तुलन पत्र बाह्य/बाहय मदों के लिए समायोजन (अर्थात् तुलन-पत्र बाहय एक्सपोजर के क्रेडिट समतुल्य राशि में परिवर्तन)	353,999.80
7	अन्य समायोजन	(-)75119.45
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर्	6,601,411.71

तालिका डीएफ -18
लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटन टेम्प्लैट

	मद	लीवरेज अनुपात फ्रेमवर्क (राशि मिलियन में)
	तुलन पत्र के एक्पोजर्	
1	तुलन पत्र के अंदर के मद (डेरिवेटिव और एसएफटी छोडक़र, लेकिन संपार्श्विक शामिल)	6,306,225.40
2	(बासेल III टियर 1 पूंजी निर्धारण में आस्ति रकम घटाया गया)	(-)75,869.47
3	तुलन-पत्र पर कुल एक्सपोजर् (डेरिवेटिव और एसएफटी छोडक़र) (पंक्ति 1 और 2 का जोड़)	6,230,355.93
	डेरिवेटिव एक्सपोजर्	
4	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद अंतर मार्जिन का निवल)	2,870.63
5	सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों के साथ सम्बद्ध पीएफई के लिए एड ऑन रकम	11,571.64
6	परिचालन लेखा फ्रेमवर्क के अनुसरण में तुलन-पत्र आस्ति से घटाये जाने पर दिए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए ग्रॉस अप	
7	(डेरिवेटिव संव्यवहार में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कमी)	
8	(ग्राहक का छूट प्राप्त सीसीपी लेग – स्पष्ट व्यापार एक्सपोजर्)	
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव से समायोजित प्रभावी अनुमानित रकम	
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित ऑफ सेट और एड ऑन घटाना)	
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर् (पंक्ति 4 से 10 का जोड़)	14,442.27
	संव्यवहार एक्सपोजर् वित्तपोषित प्रतिभूतियां	
12	सकल एसएफटी आस्ति (नेटिंग को मान्यता दिए बिना), बिक्री लेखा संव्यवहारो के लिए समायोजन के बाद	2,613.70
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के नकद देय और नकद प्राप्य का निवल रकम)	--
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर्	
15	एजेंट संव्यवहार एक्सपोजर्	
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषित संव्यवहार (पंक्ति 12 से 15 का जोड)	2,613.70
	अन्य तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर्	
17	सकल अनुमानित रकम पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर्	786,176.03
18	(क्रेडिट समतुल्य रकम के परिवर्तन के लिए समायोजन)	(-)432,176.23
19	तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 और 18 का जोड़)	353,999.80
	पूंजी और कुल एक्सपोजर्	
20	टियर 1 पूंजी	363,612.14
21	कुल एक्सपोजर् (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	6,601,411.70
	लीवरेज अनुपात	
22	बासेल III लीवरेज अनुपात	5.51%

Basel III (Pillar 3) - Disclosures (Consolidated) March, 2019

Table DF 1
Scope of Application

Name of the top bank in the group to which the Framework applies-

BANK OF INDIA

i. Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation:

Nameoftheentity/Country ofincorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the Method of consolidation	Whether the Entity is included under regulatory scope of consolidation yes/no)	Explain the Method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
Bank of India New Zealand Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India(Uganda) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Tanzania) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Bank of India (Botswana) Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
PT Bank of India Indonesia, TBK	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Shareholding Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI AXA Investment Managers Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI AXA Trustee Services Pvt Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
BOI Merchant Bankers Ltd	Yes	Subsidiary	Yes	Subsidiary	NA	NA
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Yes	Joint Venture	No	Joint Venture	NA	NA
STCI Finance Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
ASREC (India) Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
Indo Zambia Bank Ltd	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB VidharbhaKonkanGramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Gramin Bank of Aryavart	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Jharkhand Gramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA
RRB Narmada JhabuaGramin Bank	Yes	Associate	Yes	Associate	NA	NA

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

ii. Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity & reserves (as stated inthe accounting balance sheet of the legal entity) (Equity + Reserve) (Rs Mn)	Total balance sheet assets (as stated inthe accounting balance sheet of the legal entity) (Rs Mn)
Bank of India New Zealand Ltd	Banking	2593.51	4156.38
Bank of India(Uganda) Ltd	Banking	687.33	3252.17
Bank of India (Tanzania) Ltd	Banking	1024.65	3322.96
Bank of India (Botswana) Ltd	Banking	222.42	638.21
PT Bank of India Indonesia, TBK	Banking	5550.50	17563.99
BOI Shareholding Ltd	Clearing & Settlement of Stock Exchange	308.53	326.46
BOI Axa Investment Managers Pvt Ltd	Assets Management	586.56	689.99
BOI Axa Trustee Services Pvt Ltd	Trusteeship Services	2.15	2.76
BOI Merchant Bankers Ltd	Merchant Banking services	142.58	143.50
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company Ltd	Life Insurance	6001.55	85852.06
STCI Finance Ltd	NBFC- NDSI	18112.27	135115.14
ASREC (India) Ltd	Assets Recovery Company	1382.91	1645.68
Indo Zambia Bank Ltd	Banking	5081.46	25847.52
RRB Vidharbha Konkan Gramin Bank	Banking	1148.73	44139.23
RRB Gramin Bank of Aryavart	Banking	16935.37	188917.12
RRB Jharkhand Gramin Bank	Banking	1688.40	38263.56
RRB Narmada Jhabua Gramin Bank	Banking	6391.38	90525.34

d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

There is no deficiency in the subsidiaries.

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted:

Name of the insurance entities / country of incorporation	Principle activity of the entity	Total Balance Sheet equity (Rs Mn)	% of bank's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method (Rs Mn)
Star Union Dai-Ichi Life Insurance Company LTD	Life Insurance	85852.06	28.96	1875.00 (Risk weight 250%)

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group are as governed by RBI.

No

Table DF - 2

Capital Adequacy

i. Qualitative disclosures:

a. A summary discussion of the bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

1. Bank of India:

The Bank carries out regular assessment of its Capital requirements from time to time reviewed on an annual basis to take care of the future growth in business, capital requirements, policy guidelines, macro-economic scenarios, risk appetite etc. The Bank has also developed Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively address all risks and maintain necessary additional capital.

2. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia, Bank's Tier-1 Capital should be minimum IDR 1 trillion in order to run foreign exchange business.

3. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (Uganda) Ltd - Subsidiary:

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines developed by the Basel Committee, as implemented by the Bank of Tanzania (BOT) and Bank of Uganda (BOU), for supervision purposes. The required information is filed with the BOT and BOU, the local regulators on a quarterly basis. IFRS- 9 has been implemented with effect from 1st January, 2018.

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital and Retained Earnings,Deferred Charges, Statutory Reserves, and General Provisions are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: - Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off- balance sheet exposure, with some adjustments to reflect the more contingent nature of the potential losses.

4. Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiary):

Capital adequacy and the use of regulatory capital are monitored regularly by the Bank's Management, employing techniques based on the guidelines of the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), for supervision purposes. The required information is disclosed in General Disclosure Statement on quarterly basis. The bank's regulatory capital as managed by its management solely consists of Tier 1 Capital

Tier 1 capital: - Share capital, retained earnings and reserves created by appropriation of retained earnings

The risk-weighted assets are ensured by means of a hierarchy of five risk weights classified according to the nature and reflecting an estimate of credit, market and other risks associated with each asset and counterparty, taking into account any eligible collaterals or guarantees. A similar treatment is adopted for off-balance sheet exposure.

5. Bank of India (Botswana) Ltd:

The bank's regulatory capital as managed by its management is divided into two tiers:

Tier 1 Capital: - Share capital, retained earnings and reserves (now loss for the subsidiary) created by appropriation of retained earnings. Prepaid expenses and deferred charges are deducted in arriving at Tier 1 Capital.

Tier 2 Capital: -Qualifying subordinate loan capital, collective impairment allowances i.e, provision on standard assets and unrealized gains arising on the fair valuation of equity instruments held as available for sale.

ii. Quantitative disclosures:-

(Amount in ₹ Mn.)

Capital requirements for Credit Risk (#):	234,926.10
➢ Portfolios subject to standardized approach	
➢ Securitisation exposures	
Capital requirements for Market Risk: Standardized duration approach: (#)	16,450.00
➢ Interest rate risk	10371.00
➢ Foreign exchange risk (including gold)	335.00
➢ Equity risk	5744.00
Capital requirements for Operational Risk (#):	
➢ Basic Indicator Approach ➢ The Standardized Approach (if applicable)	26,640.00
Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios: For the top consolidated group)	
➢ Common Equity Tier 1 Capital (CET 1)	11.71%
➢ Tier 1 Capital (T 1)	11.77%
➢ Total Capital Ratio	14.86%
# Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.	

Table DF 3 - Credit risk
General Disclosures For All Banks

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk, including:

- Definition of past due and impaired (for accounting purposes)

1.0 Bank of India

The Bank follows Reserve Bank of India regulations, which are summed up below:

1.1 Non-performing Assets

An asset, inclduing a leased asset, becomes non-perforking when it ceases to generate income for the bank.

A non-performing asset(NPA) is a loanor an advancewhere;

- Interest and / or installment of principal remain over due for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
- the account remains 'out of order' as indicated below, in respect of an Overdraft/Cash Credit (OD/CC),
- The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
- The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.
- The amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days, in respect of a securitization transaction undertaken in terms of guidelines on securitization dated February 1, 2006.
- Bank should classify an account as NPA only if the interest charged during any quarter is not serviced fully within 90 days from the end of the quarter.
- A loan for infrastructure/non-infrastructure project will be classified as NPA during any time before commencement of commercial operations as per record of recovery (90 days overdue) unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for an infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within two years from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"
- A loan for a non-infrastructure project will be classified as NPA if it fails to commence commercial operations within twelve months from original DCCO, even if it is regular as per record of recovery, unless it is restructured and becomes eligible for classification as "Standard Asset"

1.2 'Out of Order' status:

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

1.3 Overdue:

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

1.4 Non Performing Investments:

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where:

- Interest/ installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
- Any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
- The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

The Credit Quality is assessed based on the factors such as business prospects, performance of the debtor and repayment capacity. It is undertaken depending upon the materiality and significance of each assessment factor and components and the relevance of the assessment factors and components to the characteristics of the debtor concerned. Accordingly, the assets are classified into current, special mention, sub-standard, doubtful and loss category.

"Assets" are classified into Earning Assets and Non-earning Assets. Earning Assets are provision of funds by a bank to earn revenues. "Non-Earning Assets" are assets of the Bank other than Earning Assets with potential for Loss.

An asset becomes non-performing when it ceases to generate revenue for the bank. A non-performing asset is a loan or an advance where the arrears in principal and / or interest exceed 90 days.

Past due: Any amount due to the bank under any credit facility is "past due" if it is not paid on the due date fixed by the bank.

In 2010, PT Bank of India Indonesia Tbk implemented New Accounting Policy i.e. PSAK 50 & 55 which is similar to the International Accounting Standards IAS 32 & 39 according to which the financial asset must be presented at the fair value. It can compute financial asset impaired as described above. We are in process to integrate PSAK calculation into bank's core banking, which is in line with our business plan that is up-gradation technology.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
90-120	Substandard	15%
120-180	Doubtful	50%
180 and More	Loss	100%

3.0 Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India Uganda, and Bank of India (Botswana) Ltd (Subsidiaries):

Credit risk is a risk of financial loss to the bank, if a customer or counterparty to a financial instrument fails to meet its contractual obligations and arises principally from the bank's loans and advances to customers and other banks, and investment debt securities.

The Board of Directors has delegated responsibility for the oversight of credit risk to its Credit committee. The credit department of the bank, reporting to the Credit committee is responsible for management of the bank's credit risk, including:-

- Formulating credit policies covering collateral requirements, credit assessment, risk grading and reporting, documentary and legal procedures, and compliance with regulatory and statutory requirements.
- Establishing the authorization structure for approval and renewal of credit facilities. The credit limits are governed by the Credit policy, as approved by the board.
- Reviewing and assessing credit risks.
- Limiting concentrations of exposure to counterparties, geographies and industries (for loans and advances).

3.1 Definitions of Past Due and Impaired (for accounting purposes):

Overdrafts and other credit facilities without specific due dates shall be considered past due if:

- Exceeds the customer's borrowing limit.
- Customers borrowing limit is expired.
- Deposits are insufficient to cover the interest calculated and due for the period
- Bill has been dishonoured
- Bill or account is not paid on due date
- Loans which are payable in installments are considered as past due in their entirety. If any of the installments have become due and unpaid for thirty days or more.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-180	Substandard	10%
181-270	Doubtful	50%
271 and More	Loss	100%

5.0 Bank of India (Tanzania) Ltd:

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
30-90	Especially Mentioned	3%
91-180	Substandard	20%
181-360	Doubtful	50%
361 and More	Loss	100%

6.0 Bank of India Uganda

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
91-179	Substandard	20%
180-365	Doubtful	50%
365 and more	Loss	100%

7.0 Bank of India (Botswana) Ltd.

Outstanding Loans and advances reviewed by quantitative approach are classified as follows:

No of Days Past Due	Classification	Provisioning
1 year	Substandard	Secure - 20% Unsecure – 25%
1 year & above and < 2 years	Doubtful	25%+100% of shortfall
> 2 years to 4 years	Doubtful	40%+100% of shortfall
> 4 years	Loss	100%

b. Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy:

A. Bank of India:

- In a bank's portfolio, losses stem from out right default due to inability or unwillingness of a customer or counterparty to meet commitments in relation to lending, trading, settlement and other financial transactions or from reduction in portfolio value arising from actual or perceived deterioration in credit quality.
- Against this backdrop a robust risk management frame work is necessary for the long-term financial health of a bank. Credit Risk Management encompasses identification, measurement, monitoring and control of the credit risk exposures.
- The Bank has identified various types of credit risk at a generic level in the Credit Risk Management policy. More granular identification is done at the product /process level. Various risks are looked into before introducing new products/processes, which are cleared from the risk angle.
- The Credit Risk Management framework outlined in the policy is built on three distinct building blocks namely Policy & Strategy, Organizational Set up and Operations/Systems.

i) Policy and Strategy:

The Bank has been following a conservative risk philosophy, which has steered the bank through difficult times. However the Bank has an open policy regarding new and unexplored areas and new opportunities are not lost sight of. The

important aspects of this philosophy are embodied in the circulars and are periodically codified in the form of Manual of Instructions.

The business objectives and the strategy of the Bank is decided taking into account the profit considerations, the level of various risks faced, level of capital, market scenario and competition. The Bank is always conscious of its asset quality and earnings and hence judiciously matches profit maximization with risk control.

The Credit Risk Management policy and significant credit risk related policies like Credit Policy, and Credit Monitoring Policy are approved and periodically reviewed by the Board of Directors. The Credit Policy covers various areas of credit like Clientele, Marketing, Segmented Approach to Lending, Credit Delivery, Credit Thrust, Tenure of Credit, Credit Acquisition, Risk Rating (including risk acceptance criteria), Pricing, Credit appraisal, Assessment of Limits, Exposure Norms, Industry Norms, Collateral and Margins, Review of Relationship, Scheme of Delegation, Statutory and other Restrictions and Documentation. Credit Policy for International Operations is in place and each center has its own credit policy dovetailed to the main policy. The delegation of powers for credit matters is covered by a separate policy. In addition Credit Risk is tracked and monitored as per the Credit Monitoring Policy. Restructuring Policy, Write Off and Recovery Policy, Asset Classification and Provisioning Policy, Bank Exposure Policy, Country Risk policy and Credit Audit Policy are also in place. Investments are contracted as per the policy guidelines laid down in the Investment Policy and after clearance by the Investment Committee.

ii) Organizational Set up:

The organizational structure of the Bank for Credit Risk Management function has the Board of Directors at the Apex levels that have the overall oversight of management of risks. The Risk Management Committee of the Board (R. Com) which is the sub-committee of the Board headed by the MD & CEO and whose members also include heads of Credit, Market & Operational Risk Management Committees, devises the policy and strategy for integrated risk management including credit risk. At the operational level the Credit Risk Management Committee (CRMC) manages the credit risk. The main functions includes implementation of credit risk management policy approved by the Board, monitoring credit risk on a bank wide basis, recommending to the board for its approval all policies relating to credit matters including delegation of credit, prudential limits on large credit exposures, portfolio management, etc.

The Risk Management Department headed by the Chief Risk Officer of General Manager rank, measures, controls and manages credit risk on bank wide basis within the limits set by the Board and enforces compliance with risk parameters set by Board/R. Com/M.Com. The Credit Monitoring Department headed by a General Manager, monitors the quality of loan portfolio, identifies problems and takes steps to correct deficiencies. Loan review / credit audit is undertaken by the Credit Audit function.

iii) Operations/Systems/Processes

The Bank has proactive Credit Risk Management practices like consistent standards for the credit origination, maintenance and documentation for all credit exposures including off balance sheet items, periodic individual obligor reviews, periodic inspections and collateral management systems.

Credit risk limits including obligor limits and concentration limits by industry, systems and procedures for monitoring financial performance of customers and for controlling outstanding within limits are followed. Checks and balances are in place for extension of credit viz. separation of credit risk management from credit sanction, vetting of new products and systems from risk angle by the CRMC, multiple credit approvers, system of assigning risk rating, vetting of ratings, mechanism to price facilities depending on the risk grading of the customer, Credit Risk Evaluation committee for vetting credit proposals from risk angle, credit process audit, post sanction pre disbursement review and post sanction review systems and an independent audit and risk review function. Proposals for investments are subjected to credit risk analysis, detailed appraisal and rating. As a matter of entry level, minimum ratings/quality standards, industry, maturity, duration, issue-wise limits are stipulated for investments to mitigate the adverse impact of concentration and risk of liquidity. Investment exposure is taken into consideration while computing exposure to a customer/group. A suitable framework is in place to provide a centralized overview on the aggregate exposure on other banks and half-yearly reviews are undertaken at a single point. The country exposures are monitored on half yearly basis.

A diversified portfolio of risk assets is maintained and a system to conduct regular analysis of the portfolio so as to ensure ongoing control of risk concentrations is in place. A conservative policy for provisioning in respect of non-performing advances is followed. Management Information System (MIS) is being upgraded with introduction of Credit Risk Management System, which would enhance the capabilities of the bank to manage and measure the credit risk inherent in all on- and off-balance sheet activities.

iv) The following tools are used for credit risk management/ mitigation –

- **Credit Approving Authority – Delegation of Powers:**

The Bank has a well-defined scheme of risk based delegation of powers with a multi-tier risk based approving system, which is reviewed periodically and revised as and when necessary to meet the compulsions of business environment. The delegation of powers is linked to the rating of the borrower with powers for sanction of higher limits to better-rated customers. At present, all credit proposals falling within the delegated authority of the General Manager and above are being routed through the “Credit Risk Evaluation Committee (CREC)” to bring in an element of independence and off-site evaluation of risks perceived in credit proposals. The General Manager, Risk Management Department, who has no volume or profit targets, is mandatory member of the CREC.

As per Ministry of Finance Guidelines, Credit Committees with sanctioning powers have been formed at various administrative levels to exercise delegation of powers. At Head Office level, three Credit Committees (GMLCC, EDLCC and CAC) are functioning to deal with proposals falling beyond the delegated powers of the field functionaries. Such Credit Committees (SZLCC/ZLCC/NBGLCC) have also been set-up at Zonal Office/NBG office for considering the credit proposals falling within their powers.

➢ **Prudential Limits:**

Prudential limits on various aspects of credit/investment like Single/Group borrower limits for various types of borrowers are in place.

➢ **Risk Rating/Pricing:**

The bank has introduced rating models for various segments, which serve as a single point indicator of diverse risk factors of a counter party and support credit and pricing decisions.

➢ **Credit Audit/Loan Review Mechanism (LRM):**

Credit Audit/LRM is an effective tool for constantly evaluating the quality of loan book and to bring about qualitative improvements in credit administration

v) Portfolio Management through analysis:

It is also important to have in place a system for monitoring the overall composition and quality of various credit portfolios and investments. With this objective, to start with, the bank has introduced a simple portfolio-monitoring framework. Going forward the bank will be graduating to a more sophisticated Portfolio Management model. Rating Migration of accounts with Rs. 10 lacs and above is being done on half yearly and submitted to Board. Credit Risk Management Software (CRMS) is being implemented phase-wise. Bank is getting prepared for adopting Advanced Approaches.

vi) Risk Measurement:

At present Credit Risk is assessed through Risk rating at the individual level and through Risk Weighting of the assets at the portfolio level and capital is maintained based on Risk Weights. The Bank has migrated to the Standardized approach under the New Capital Adequacy Framework (Basel II), effective 31st March 2008.

vii) Risk Reporting System:

All credit related policies are cleared by the CRMC (which is the operational level committee for credit risk) before submission to the appropriate authorities for approval. Various Credit Related reporting's submitted to CRMC to enable proper monitoring.

viii) Risk Review:

Audit –Credit Risk Management Systems procedures and Tools are also subjected to internal audit for ensuring effectiveness.

ix). Measures for follow up of Special Mention Accounts (SMA) / NPA Accounts

The various means of monitoring / resolving NPAs undertaken by the Banks are listed below:

I. Before the account becoming NPA [Special Mention A/c (SMA)]:

a. Close monitoring for compliance of sanction terms to maintain asset quality.

b. Reminders are sent promptly whenever irregularities are observed.

c. Overdues are recovered quickly to ensure that account does not slip to NPA category.

d. Periodic inspection of the unit and charged assets along with analysis of financial data.

e. To restructure the dues before accounts become NPAs. Remedial action includes enhancement of moratorium period, funding of interest, and deferment of installments.

II. After the account becoming NPA:

a. Appropriation of liquid securities (TDR, shares, margin money etc.) and pledged goods, to reduce outstanding.

b. Disposal of other securities, with the co-operation of borrowers.

c. Compromise and settlement of dues through negotiation.

d. Re-calling the advance.

e. Filing suit in Court– Execution of decree.

f. After all the chances of recovery of dues are exhausted, account is written off of the balance dues.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

PT Bank of India Indonesia Tbk has established a Risk Management Committee (RMC) and the Risk Management Unit (RMU) which is independent of the Operational Unit and the Internal Audit Unit ("Internal Audit") in the hope of overall risk management can be integrated, targeted, coordinated and sustainable. Furthermore, to monitor the effectiveness of implementation of tasks RMC and RMU, the Bank established a Risk Monitoring Committee which is directly responsible to the Board of Commissioners.

The Bank has managed 8 (eight) types of risk according to Bank of Indonesia which are credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. Banks also create risk profiles which can broadly map the activity that has risks as well as potential risks that disrupt the Bank business continuity. Assessment of risk type is a combination of the risks inherent in any functional activity (inherent risk) and risk control systems.

The Bank is selective in approving new credits and maintains higher loan provisions than that required by the Regulator. In collateral based lending, hair cut is applied to the value of collateral. The Risk Manager of the bank reports to the Director Compliance. Risk Management Unit (RMU) supervises/ has oversight of the credit approval process.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd, and Bank of India (Botswana) Ltd:

Monthly interest application has become a useful tool

to tackle potential delinquencies or defaults in standard accounts. To retain the asset quality, the Bank has adopted the following policy, Branches should promptly act and:

i Recover the overdues or at least the critical amount through active follow up with borrowers;

ii Put the accounts under holding on operations in case of temporary cash flow mismatches;

iii Reschedule the repayment terms as per expected cash flows;

iv Restructure the dues in keeping with the expected cash flows and gaps in cash flows, if any as per guidelines given in the restructuring policy.

v Any one or more of the above actions are taken by the Bank before the account becomes NPA.

ii. Quantitative Disclosures:

a. The total gross credit exposures is:

Category	(Rs. In Mn)
Fund Based	4,111,537.44
Non Fund Based*	458,102.50

*Excluding Credit Equivalent of Derivatives

b. The geographic distribution of exposure is:

(Rs.in Mn)

	Domestic	Overseas
Fund Based	3,526,210.92	585,326.53
Non Fund Based	403,933.62	54,168.88

c. Industry type distribution of exposure (Fund Based & Non Fund Based) is as under:

(Rs. in mn)

Industry Name	O/S Fund Based	O/S NFB
Coal	987.01	0.00
Mining	50,665.86	1,138.88
Iron & Steel	92,761.53	895.71
Other Metal & Metal Products	52,671.50	7,426.91
All Engineering	18,417.98	4,201.25
Of which Electronics	4,072.57	543.79
Electricity	328,655.40	0.00
Cotton Textiles	29,794.43	653.09
Jute Textiles	1,062.03	15.75
Other Textiles	42,223.19	2,294.00
Food Processing	40,093.50	2,358.97
Of which Vegetable Oil &Vanaspati	6,492.95	1,402.89
Of Which Sugar	14,729.98	464.93
Of Which Other Food Processing	18,382.80	476.60
Of Which Tea	5.76	14.55
Tobacco & Tobacco Products	5,345.35	68.37
Paper & Paper Products	10,534.67	251.88
Rubber & Rubber Products	17,768.89	1,812.39
Chemical, Dyes, Paints etc.	54,956.84	5,716.59
Of which Fertilisers	15,206.70	1,147.46
Of which Petro-chemicals	8,421.77	1,931.54
Of which Drugs & Pharmaceuticals	16,353.42	1,625.72
Of which others	14,885.44	1,011.86
Cement	12,689.33	353.85
Leather & Leather Products	3,971.73	171.86
Gems &Jewellery	67,584.41	185.91
Construction	67,598.18	17,059.30
Petroleum	22,485.93	4,824.16
Automobiles including Trucks	19,242.62	958.97
Computer Software	5,472.97	0.00
Infrastructure*	477,814.43	87,256.73
Of which Power	329,821.36	46,817.35
Of which Telecommunications	1,530.99	57.05
Of which Roads & Ports	106,360.87	25,305.08
Other Industries	529,413.72	314,239.11
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	2,487,981.35	6,218.83
Total	**4,111,537.44**	**458,102.50**

- Exposure to Infra Sector at 11.62% exceeds 5% of total fund based advances
- Exposure toInfra Sector at 19.04% exceeds 5% of total non-fund based outstanding.

d. The residual contractual maturity break down of assets is:

(Rs in Mn)

	Advances	Investments	F. C. Assets
Day 1	49,470.76	257,835.45	324.21
2 to 7 days	71,809.62	65,475.28	25,867.26
8 to 14 days	84,711.29	19,364.78	11,361.45
15 to 30 days	77,991.94	21,293.10	24,455.65
31 Days &upto 2 months	130,118.97	25,423.67	70,368.16
> 2 months &upto 3 months	129,067.13	29,567.50	99,134.14
>3 months &upto 6 months	323,135.40	26,033.51	70,486.41
Over 6 months &upto 1 year	98,785.31	60,260.00	29,162.69
Over 1 year &upto 3 years	941,715.47	262,525.35	7,588.63
Over 3 years &upto 5 years	252,285.36	176,897.37	407.22
Over 5 years	908,473.31	514,351.06	26,440.77
Total	**3,067,564.54**	**1,459,027.07**	**365,596.59**

e. The Gross NPAs are:

Category	(Rs, in Mn)
Sub Standard	105,927.20
Doubtful – 1	73,245.49
Doubtful – 2	145,551.61
Doubtful – 3	117,302.34
Loss	165,369.99
Total	**607,396.63**

f. The amount of Net NPAs is Rs. 191,676.04 Mn.

g. The NPA ratios are as under:

- Gross NPAs to Gross Advances (Solo) :15.78%
- Net NPAs to Net Advances (Solo) : 5.59%

h. The movement of Gross NPA is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	624,061.21
ii) Additions during the year	179,293.92
iii) Reductions during the year	195,958.50
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	607,396.63

i. The movement of provision for NPAs is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	318,942.21
ii) Provisions made during the year	121,767.87
iii) Write-off/write-back of excess provisions	46,494.15
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	394,215.93

j. The amount of Non-Performing Investment is Rs.20,380.30 Mn.

k. The amount of provision held for Non-Performing Investment is Rs.18,273.36 Mn.

l. The movement of provisions for depreciation on investments is as under:

(Rs in Mn)

i) Opening balance at the beginning of the year	39,413.82
ii) Provisions made during the year	12,677.57
iii) Write-off/write-back of excess provisions	12,159.36
iv) Exchange Difference	160.10
v) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii+iv)	40,092.13

m. NPA and Provisions maintained by Major Industry or Counterparty type for Bank of India [Solo] :

(Rs. in Mn.)

Industry Name	NPA	Provision
Coal	359.70	344.70
Mining	16,934.40	16,523.20
Iron & Steel	13,749.50	6,515.50
Other Metal & Metal Products	16,500.40	6,949.60
All Engineering	5,919.80	4,042.30
Of which Electronics	703.50	621.60
Electricity	66,195.70	47,224.60
Cotton Textiles	5,916.40	3,000.10
Jute Textiles	747.30	653.60
Other Textiles	13,802.90	8,528.90
Food Processing	14,946.79	12,079.40
Of which Vegetable Oil &Vanaspati	4,435.40	4,261.10
Of Which Sugar	1,691.60	1,334.30
Of Which Other Food Processing	8,819.79	6,484.00
Of Which Tea	0.00	0.00
Tobacco & Tobacco Products	1,429.70	577.00
Paper & Paper Products	3,322.70	2,652.40
Rubber & Rubber Products	1,827.10	652.70
Chemical, Dyes, Paints etc.	17,863.40	14,099.00
Of which Fertilisers	2,341.30	1,881.10
Of which Petro-chemicals	1,877.70	1,475.20
Of which Drugs & Pharmaceuticals	4,820.20	3,688.70
Of which Others	8,824.20	7,054.00
Cement	2,238.00	1,292.90
Leather & Leather Products	539.50	261.20
Gems &Jewellery	25,983.00	10,948.60
Construction	7,190.10	1,855.30
Petroleum	3,794.80	3,352.40
Automobiles including Trucks	10,443.00	7,171.80
Computer Software	4,596.10	2,232.90
Infrastructure*	210,780.40	101,188.94
Of which Power	66,195.70	47,224.60
Of which Tele communications	1,080.70	633.10
Of which Roads & Ports	41,441.30	23,736.80
Other Industries	102,062.70	29,594.44
Residuary Other Advances (to balance with Gross Adv.)	234,620.53	188,836.29
Total	607,396.63	394,215.93

n. Geography wise NPA and Provision [for Bank of India Solo]:

(Amount in Rs Mn)

	Domestic	Overseas	Total
Gross NPA	511,672.45	94,938.67	606,611.12
Provision for NPA	326,224.00	67,692.90	393,916.90

Table DF-4

Credit Risk: Disclosures For Portfolios Subject To The Standardised Approach

i. Qualitative Disclosure:

a) For portfolios under the standardized approach:

- Names of Credit Rating agencies used, plus reasons for any changes
- Types of exposure for which each agency is used; and
- A description of the process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book;

1.0 BANK OF INDIA:

a. The Bank has approved using the general rating of the following credit rating agencies for risk weighting under the standardized approach for CRAR calculations CRISIL, ICRA, INDIA RATINGS, BRICKWORK, SMERA, and CARE for domestic claims and S&P FITCH and Moody's for claims on non-resident corporates, foreign banks and foreign sovereigns. SME ratings are not being used, as they are not approved by RBI.

b. The ratings of all these agencies are being used for all exposures subjected to rating for risk weighting purposes under the standardized approach for CRAR calculations under Basel-II.

c. The process used to transfer public issue ratings on to comparable assets in the banking book is as per regulatory requirements of RBI. The public ratings published by the rating agencies on their website are used for this purpose. Only, ratings which are in force as per monthly bulletin of the concerned rating agency and which have been reviewed at least once during the previous 15 months are used.

d. For all the exposures on a particular counterparty, bank uses the rating of only one agency, even though these exposures are rated by more than one with exception being where each of the exposures is rated by only one of the approved rating agencies.

e. To be eligible for risk-weighting purposes, it is ensured that the external credit assessment takes into account and reflects the entire amount of credit risk exposure the bank has with regard to all payments owed to it. Even while extending an issuer or an issue specific rating to any other exposure on the same counterparty it is extended to the entire amount of credit risk exposure i.e., both principal and interest. External assessments for one entity within a corporate group is not used to risk weight other entities within the same group.

f. For assets that have contractual maturity less than or equal to one year, short term ratings are used while for other assets, long term ratings are used. For Cash Credit exposures long term ratings are taken.

g. Where an issuer has a long-term exposure with an external long term rating that warrants a risk weight of 150%, all unrated claims on the same counterparty whether short-term or long-term, also receive a 150% risk weight, except in cases where credit risk mitigation techniques are used for such claims. Similar is the case with short-term rating.

h. The long-term ratings assigned by the approved rating agencies are directly mapped to the risk weights under the Standardized Approach for long-term exposures. On the contrary, the unrated short-term claim on counter-party attracts a risk weight of at least one level higher than the risk weight applicable to the rated short-term claim on that counter-party. Issue-specific short-term ratings are used to derive risk weights for claims arising from the rated facility against banks and a corporate's short-term rating is not used to support a risk weight for an unrated long-term claim.

i. If there are two ratings accorded by eligible credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied. If there are three or more ratings accorded by eligible credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights are applied, i.e., the second lowest risk weight.

j. The RW of the investment claim is based on specific rating by a chosen credit rating agency, where the claim is not an investment in a specific assessed issue:

i. The rating applicable to the specific debt (where the rating maps into a risk weight lower than that which applies to an unrated claim) is applied to the bank's un- assessed claim only if this claim ranks paripassu or senior to the specific rated debt in all respects and the maturity of the un-assessed claim is not later than the maturity of the rated claim, except where the rated claim is a short term obligation.

ii. If either the issuer or single issue has been assigned a rating which maps into a risk weight equal to or higher than that which applies to unrated claims, an unrated claim on the same counterparty, is assigned the same risk weight as is applicable to the rated exposure, if this claim ranks paripassu or junior to the rated exposure in all respects.

2.0 PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary):

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency.

3.0 Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (Uganda) Ltd) and Bank of India (Botswana) Ltd.:

As per prevailing norms in the Country credit rating is not required to be done by any external credit rating agency. There is no credit rating agency operating/working in the Country.

4.0 Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary):

Credit risk is disclosed through General Disclosure Statement on quarterly basis as per the requirements.

ii. Quantitative Disclosures

(Rs in Mn)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted;	
The total credit exposure of BOI (subject to standardized approach), are classified under major risk buckets are as under: -	
Below 100 % risk weight:	5,485,505.59
100 % risk weight:	1,184,175.19
More than 100 % risk weight:	329,569.92

Table DF-5 Credit Risk Mitigation

Disclosures For Standardised Approaches

i. Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;
- Policies and processes for collateral valuation and management;
- A description of the main types of collateral taken by the bank;
- The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness; and
- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken

A. Bank of India:

1. Credit Risk Mitigation is a proactive management tool designed to protect entity's earnings from loss both in good and bad times. Banks employ various methods and techniques to reduce the impact of the credit risks they are exposed to in their daily operations. Such a process is termed as credit risk mitigation and some of the credit risk mitigation techniques are permitted to be used by the supervisor for reducing the capital charge after adjustment for value, currency mismatch and maturity mismatch. The Credit Risk Mitigants (CRM) recognized under the New Capital Adequacy Framework (Basel II) are as follows:

- Collateralized transactions
- On-balance-sheet-netting
- Guarantees

2. Eligible Financial Collateral:

All collaterals are not recognized as credit risk mitigants under the Standardized Approach. The following are the financial collaterals recognized.

i. Cash and Deposits including deposits in foreign currency.
ii. Gold: benchmarked to 99.99% purity.
iii. Securities issued by Central and State Governments
iv. Kisan Vikas Patra and National Savings Certificates
v. Life insurance policies
vi. Debt securities -Rated subject to conditions.
vii. Debt securities not rated issued by banks subject to conditions
viii. Units of mutual funds subject to conditions
ix. There are certain additional standards for availing capital relief for collateralized transactions, which have direct bearing on the management of collaterals, and these aspects are taken into account during Collateral Management.

3. On-balance-sheet-netting:

On-balance sheet netting is confined to loans/advances (treated as exposure) and deposits (treated as collateral), where Bank has legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation and which are managed on a net basis.

4. Guarantees:

Where guarantees are direct, explicit, irrevocable and unconditional, bank takes account of such credit protection in calculating capital requirements. The range of eligible guarantors/ counter guarantors includes:

i. Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank and European Community as well as certain specified MDBs, ECGC and CGTSME), banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty;

ii. Other entities rated AA or better.

5. The Bank has a well-defined Collateral Management policy, which provides the controlling framework to ensure collateral is used optimally. This is a key component in mitigating the credit risks inherent in lending. The Bank accepts both tangible and intangible securities. Tangible Securities are either in physical form or such other material form like cash margin, Deposits with Banks, Gold or such other precious metals, Shares NSC/KVP/Life Insurance Policies. The intangible securities are –Bank Guarantees / Letters of Credit, book debts, Letter of Comfort, Letter of Negative Lien, Unregistered Charge etc. The common ways for obtaining security for moneys lent are Mortgage, Pledge, Hypothecation and lien The assets created out of the bank's credit exposure are as a general rule charged to the bank by way of first charge on pari-passu basis.

Guarantees are normally insisted upon whenever available/ permissible. The main type guarantors are:

i. Central/State Government and Central Government sponsored agencies like DICGC, CGTMSE, and ECGC.
ii. Promoters/Major owners of corporates.
iii. Individual Guarantees of relatives in case of individuals

6. The various aspects of collateral management are:

Minimum conditions for the acceptance of collateral: For collateral to be valid and enforceable the bank ensures that the assets accepted as collateral are marketable, legally enforceable and can be taken control of if necessary .It is also ensured that the market value of the asset is readily determinable or can be reasonably established and verified. For internal control purposes, the bank has a list of types of assets acceptable as collateral and the maximum loan to value ratio for each of these assets taken as primary security. The bank also takes into account statutory restriction while taking collaterals.

a) Validity of collateral:

i) Enforceability:

Bank ensures that credit documentation supporting the collateral, is legally enforceable in all relevant jurisdictions and empowers the Bank to apply the collateral freely to discharge the borrower's obligations.

ii) Title and ownership:

Bank always verifies the existence and ownership of the assets being received as collateral before acceptance and ensures that there is no prior claim by any other party on the said collateral. Bank secures its control of the collateral prior to the drawdown of credit facilities. Information on collaterals is provided to Top Management periodically to facilitate management of credit risk. Charges on collaterals are promptly registered with the relevant authorities wherever applicable.

b) Loan-to-value ratios:

Bank has specified the maximum loan-to-value ratio (margin) for major types of asset to be accepted as primary security. Such ratios are commensurate with the relative risk of the assets and should be able to provide an adequate buffer against potential losses in realizing the collateral.

c) Valuation:

Bank has a Board approved policy in place for valuation of properties accepted for bank's exposures, where Basis of valuation, Qualification of Valuer and Frequency of revaluation are laid down for compliance across the bank.

d) Safe Keeping Of Collateral And Control To Their Access:

Authority and responsibility has been delegated to relevant individuals and departments for approving the acceptance, monitoring or safe custody of collaterals.

e) Additional / Replacement of Collateral:

Procedures for requesting additional collateral are clearly documented

f) Insurance:

All eligible collaterals except those specially exempted are covered by insurance for relevant risks and detailed guidelines for the same are in place.

g) Sale of Collateral:

The Bank has clear and robust procedure for the timely liquidation of collateral.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk:

PT Bank of India Indonesia Tbk has policy and processes for collateral valuation, based on Bank of Indonesia Regulation and national discretions for mortgage loan. Independent appraisal of the collateral is made if the sanction limit of the loan is above Rs. 2.79 Crores. Liquidation value is calculated based on type of collateral. Collateral value is reviewed every year. The main type of collateral taken is Land & Buildings. Generally personal or third party guarantee is not taken. Sectoral caps in lending are in place to take care of concentrations. The Bank has no major risk concentrations of collaterals or credit risk mitigants.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd and Bank of India (New Zealand) Ltd:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	25
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	10
c) Unsecured	5

D. Bank of India (Uganda) Ltd.:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own term deposit receipts, Legal mortgage over immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, pledge of shares etc.

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/ group as per detailed under:

Collateral position	limit (as % of core capital)
1) Secured by collateral the value of which is at least	Single borrower exposure limit is 25% of the Capital and can be extended to 50% of core Capital.
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	
c) Unsecured	

E. Bank of India (Botswana) Ltd.:

The collaterals are obtained in the form of Bank's own Term Deposit receipts, Legal Mortgage over Immovable properties, Hypothecation charge over movable assets of the company, Pledge of shares etc

As per regulatory requirements maximum exposure limits on single borrower/group are as detailed under:

Collateral position	Limit (as % of unimpaired capital)
1) Secured by collateral, the value of which is at least	
a) 125% of the credit accommodation secured by it (fully secured)	30
b) Secured by collateral the value of which is less than 125% Of the credit accommodation secured by it (partly secured)	30
c) Unsecured	30

ii. Quantitative Disclosures:-

(Amount in Rs. Mn)

(a) For eeach separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral: after the application of haircuts.	281,374.13
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on – or off balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI).	597,025.47

Table DF - 6

Securitisation Exposures :- Disclosure for Standarised Approach

i. Qualitative Disclosures:-

On consolidated level the Bank has no Securitization Exposure as on 31.03.2019

ii. Quantitative Disclosures :-

Not Applicable.

Table DF - 7

Market Risk in Trading Book

i. Qualitative Disclosures

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

A. Bank of India:

In Trading book the Bank holds" Held for Trading"(HFT) and "Available for Sale" (AFS) portfolios of investments. The rest of the assets–i.e. Investments under Held to Maturity(HTM) portfolio and advances; are treated as Banking Book. Given below is brief description of the Market Risk Management objectives and policies.

i. Strategies and Processes:

Under Market Risk Management; Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Foreign Exchange Risk, and Equity Price risk are monitored. Bank is not currently trading in commodities.

a. Liquidity Risk:

Gap analysis is followed for monitoring Liquidity risk on a fortnightly basis. Prudential limit-for percentage of cumulative gap to cumulative outflow-based on Reserve Bank of India guidelines for the short-term buckets up-to 28 days is monitored. Besides, prudential limits are in place for market borrowing–Daily and average call borrowing–Inter Bank Liabilities, Purchased funds etc.

High value bulk deposits are monitored on a weekly basis. Short-term dynamic liquidity statement is prepared on a fortnightly basis to assess the liquidity position, which takes in to account the business growth. A contingency funding plan is in place to meet the emergencies. The plan is tested on a quarterly basis. Stress Testing is also done on a quarterly basis to assess possible loss to Bank if there is any liquidity crisis and if funds are to be raised from the market to meet the contingencies.

b. Interest Rate Risk:

Gap analysis is used to assess the impact on the Net Interest Income of the bank for the next 12 months and till the next financial year. The Bank also uses duration gap analysis. Prudential limits have been fixed for duration of liabilities. Bank's investments portfolio is monitored on basis of duration analysis.

VaR methodology is followed for dated securities under SLR and Non-SLR(Domestic). Prudential limits for VaR have been fixed and daily monitoring is being done and reported to Top Management. Foreign investments in dated securities are normally hedged and the interest rate risk is minimal. VaRlimits are also fixed for Foreign Exchange position.

Stress Testingis done to assess the impact on Economic Value of Market Risk positions including Fixed Income, Equity, Forex etc.

c. Foreign Exchange Risk:

The Bank has fixed Aggregate Gap Limit in USD as well as in other currencies, Maximum Aggregate daylight and overnight exposure limits for foreign exchange exposure in various currencies. We have also fixed period-wise Individual Currency-wise Gap Limits. Stop loss limits, take profit limit and single deal limits are in place for monitoring the forex operations of the dealers.

Derivative transactions are monitored by fixing prudential limit for net open position and a cap for PV01on the outstanding derivatives.

d. Equity Price Risk:

The bank's domestic investment policy has fixed stop loss limits. Daily Limits to Treasury, Maximum Investment Limit, Holding Period for Equity Portfolio (Trading). Daily reporting is done to Top Management on the transactions.

e. Structure and Organization of Market Risk Management function:

Risk Management is a Board driven function supported by three levels-.Risk Management Committee of the Board for overseeing and issuing directions, wherever necessaryapproving Risk Management Policies etc.Market Risk Management Committee (MRMC) is a basic level committee for discussion on policies, limits, exceeding etc.

Asset Liability Management Committee(ALCO) consider policy issues for Liquidity Risk Management. ALM Cell providessupport at the ground level. Asset Liability Management Committees are operational at foreign centers also.

ii. Scope and nature of risk reporting and/ or measurement systems:

In respect of domestic business the guide lines stipulated by RBI for managing Market Risk is followed such as–Preparation of Interest Rate Sensitivity statement on a monthly basis–Duration analysis of investments in the Trading book on a

daily basis–VaR calculation of trading book investments on a daily basis excepting the equity portfolio–conducting stress test for liquidity risk/market risk on a quarterly basis.–Duration analysis of global balance sheet and impact on the Economic Value of Equity on a monthly basis. Interest Rate sensitivity is reviewed on a monthly basis by ALCO.

Various prudential measures have been put in respect to market borrowing and lending in conformity with RBI guidelines for monitoring liquidity risk. Structural Liquidity statement is prepared on daily basis and Short Term Dynamic Liquidity statement on a fortnightly basis and reported to Top Management / ALCO. Structural liquidity of international operations is being done on a quarterly basis at the corporate level.

The results of the Quarterly study on Stress-Testing and Impact on Economic Value of Equity is reported to ALCO. Trading book position–Duration and VaR is reported daily to Top Management.

iii. Policies for Hedging and / or Mitigating Risk:

Detailed policies are operational for Asset Liability Management and Market Risk Management, which deal in detail the various strategies and processes for monitoring Market Risk.

iv. PT Bank of India IndonesiaTbk (Subsidiary):

In accordance with Regulation of Bank Indonesia regarding Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Bank, Bank is not included in the mandatory category for measuring the market risk in the calculation of the value of capital adequacy ratio (CAR). This is due to Bank is a foreign exchange Bank with financial instrument position in the form of securities and/or derivative transaction in the form of a Trading Book with amount below IDR 20 billion (USD 1.7 Million approximately).

B. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd. & Bank of India (Botswana) Ltd.

a. The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardized approach.

i. Market risk: Market risk arises from open positions in interest rate, currency and equity products. The board sets limits and reviews it at regular interval on the risk that may be accepted. Further the exposure is monitored on daily basis.

ii. Liquidity risk: The bank is exposed to daily calls on its available cash resources from overnight deposits, current accounts, maturing deposits, loans drawn and guarantees, from margin and other calls on cash settlement. The board has set limit based on their experience of the minimum proportion of maturing funds available to meet such calls and on the minimum level of inter-bank and other borrowing facility that should be in place to cover withdrawals at unexpected levels of demand.

iii. Interest rate risk: The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

iv. Currency risk: The bank is exposed to the risk that the value of a financial instrument will fluctuate due to changes in foreign exchange rate. The bank is involved in foreign currency market only to the extent of buying and selling to the extent of required currency. The bank is not involved in foreign currency forward contracts and thus the risk is limited.

ii. Quantitative Disclosure :-

(Rs in Mn)

The capital requirements for #	
Interest rate risk	10371.00
Foreign exchange risk (including gold)	335.00
Equity risk	5744.00

Capital requirement is calculated at Minimum Regulatory Requirement @ 9% of RWA.

Table DF – 8

Operational Risk

Qualitative Disclosures

In addition to the general qualitative disclosure requirement, the approach(es) for operational risk capital assessment for which the bank qualifies.

A. BANK OF INDIA

The Bank adopts best practices in Risk Management. The Bank assesses and identifies operational risks inherent in all the material products, processes and systems under different Business Lines on an ongoing basis. All new products, activities and systems are being first routed through the New Product Group Committee and then through Committee on Operational Risk Management (CORM) or Credit Risk Management Committee (CRMC), as applicable. All policies related to Risk Management are approved by the Board only after clearance by the Risk Management Committee of the Board (R Com). The Chief Risk Officer implements the directives of R.Com and overseas day-to-day Operational Risk Management functions.

Risk Management function works in close coordination with the committee of Business Operational Risk Managers (BORM) and Operational Risk Management Specialists (ORMS). The committee of BORM and ORMS assists the Operational Risk Management Division in undertaking the Risk and Control Self-Assessments (RCSA), reporting Operational Risk Losses and tracking Key Risk Indicators (KRIs) on a periodical basis.

Risk reporting in the form of Loss Data Analysis is done on half yearly basis to assess the high-risk prone product and business lines and mitigation measures are adopted. Branch levels KRIs and Bank Level KRIs are tracked on a quarterly basis. RCSA exercise is undertaken for all the Bank's products and processes on an annual basis.

Operational Risk Capital Charge is calculated through Basic Indicator Approach. At present, the Bank is in the process of moving towards Standardised Measurement Approaches for computation of Operational Risk Capital Charge. The Bank has already got parallel run approval for migration to The Standardised Approach (TSA) for calculation of Operational Risk Capital Charge.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary)

Bank adopts best practices in operational risk management, like segregation of duties, trainings, clear laid down procedures etc.

In managing operational risk, each unit is responsible for the risks in its daily operations by referring to policies and procedures, control and routine supervision. Managing operational risks also include areas related to product development, system, human resources and "know your customer" principles to prevent unavoidable circumstances.

To minimize the operational risk, the bank has increased the control function in the transaction processing which conducted among others by implementing the procedures to ensure timely completion of the transaction, adjustment the accounting method to the applied standards, maintain records in orderly, secure access to the asset and data. Function of the Internal Audit Unit who conducts regular checks to the operational activities is also adding value to the improvement needed. Bank use Basic Indicator Approach in Risk Weighted Assets (ATMR) calculation for Operational Risk.

Bank also has Internal Control unit which has job to ensure all business unit comply to bank procedure and local government regulation as well.

C. Bank of India (Tanzania) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (New Zealand) Ltd. (Subsidiary), Bank of India (Uganda) Ltd.& Bank of India (Botswana) Ltd.

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a variety of causes associated with the bank's processes, personnel, technology and infrastructure, and from external factors other than credit, market, liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of corporate behavior. Operational risk arises from all the bank's activities.

The bank's objective is to manage the operational risk so as to balance the avoidance of financial losses and damage to the bank's reputation with overall cost effectiveness and to avoid control procedures that restrict initiate and creativity.

The primary responsibility for the development and implementation of controls to address operational risk is assigned to the senior management at each branch level. The responsibility is supported by the development of overall standards for management of operational risks in the following areas:

- Requirements for appropriate segregation of duties, including the independent authorization of transactions;
- Requirements for the reconciliation and monitoring of transactions;
- Compliance with regulatory and other legal requirements;
- Documentation of controls and procedures;
- Requirements for the periodic assessment of operational risks faced, and the adequacy of controls and procedures to address the risks identified;
- Requirements for the reporting of operational losses and proposed remedial action;
- Development of contingency plans;
- Training and professional development;
- Ethical and business standards;
- Risk mitigation, including insurance where this is effective

Table DF-9

Interest Rate Risk In The Banking Book (IRRBB)

i. Qualitative Disclosures

The general qualitative disclosure requirement, including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behavior of non-maturity deposits, and frequency of IRRBB measurement.

A. Bank Of India

Interest Rate Risk in banking book is calculated generally on a quarterly basis. Banking book includes all advances and investments held in Held to Maturity (HTM) portfolio.

The strategies & processes /structure & organization / scope and nature of risk reporting/ policies etc. are the same as reported under Table DF –7.

The methodology and key assumptions made in the IRRBB measurement are as follows:

- Based on monthly information from data centre on the residual maturity of the advances and the deposits covering around 100% of bank's business, Interest Rate Sensitivity statement is prepared with various time buckets, having regard to the rate sensitivity as well as residual maturity of different assets and liabilities.
- The duration for each asset and liability is arrived at taking the midpoint of each time bucket as the maturity date and the average yield as coupon and taking the market rate for discounting purpose. For investments, the actual duration is taken, as data is available with full particulars. In respect of investments, the AFS and HFT portfolios are excluded for this exercise as the focus is on IRR in the Banking Book.
- Using the above, Modified duration of liabilities and assets for each bucket is calculated and the impact on their value for a change in interest rate by 1% is reckoned By adding up, the net position is arrived at to determine as to whether there will be a positive increase in the value or otherwise.

Assumptions:

i. The interest rate moves uniformly across all time buckets and for all assets.

ii. In respect of demand deposits – savings and current – the same are distributed as per their behavioral analysis as suggested by RBI.

iii. Generally the bank follows RBI guidelines on stress testing while calculating the IRRBB including selection of coupon rate / discount rate / taking midpoint of each time bucket as the maturity date etc.

iv. Re-pricing of Base Rate/BPLR linked advances has been taken in the 3 to 6 months bucket.

v. Re-pricing of MCLR linked advances has been taken as per the MCLR tenor they are linked to.

B. PT Bank of India Indonesia Tbk (Subsidiary),Bank of India (Tanzania) Ltd, Bank of India (New Zealand) Ltd (Subsidiaries) and Bank of India Uganda Ltd

The bank is exposed to various risks associated with the effect of fluctuation in the prevailing levels of market interest rates on its financial position and cash flow. The bank has the discretion to change the rates on deposits, loans and advances in line with changes in market trend. These measures minimize the bank's exposure to interest rate risk.

ii. Quantitative Disclosures

The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5 per cent of the total turnover.

Interest Rate Risk In Banking Book (BOI Solo)

(Rs in Mn)

	Total	Of which in USD (where turnover is more than 5% of total turnover)
1. Earnings At Risk (NII)		
At 0.50% change for 1 year	271.02	(7.75)
2. Economic Value of Equity at Risk		
200 basis point shock	(14801.86)	16044.72
Drop in equity value in %age terms	-5.66%	6.13%

Table –DF 10

General Disclosure For Exposures Related To Counterparty Credit Risk

i. Qualitative Disclosure

The bank uses derivatives products for hedging its own balance sheet items as well as for trading purposes. The risk management of derivative operation is headed by a senior executive, who reports to top management, independent of the line functions. Trading positions are marked to market on daily basis.

The derivative policy is framed by the Risk Management Department, which includes measurement of credit risk and market risk.

The hedge transactions are undertaken for balance sheet management. Proper system for reporting and monitoring of risks is in place. Policy for hedging and processes for monitoring the same is in place.

Accounting policy for recording hedge and non-hedge transactions are in place, which includes recognition of income, premiums and discounts. Valuation of outstanding contracts, provisioning, collateral and risk mitigation are being done.

Credit equivalent or EAD has been computed in accordance with the Current exposure methodology (CEM). Potential exposure is computed by multiplying Credit conversion factor with Notional principal. Replacement cost is the positive market value. Current exposure is the same as the replacement cost. Credit equivalent or EAD is the sum of potential exposure and current exposure.

ii. Quantitative Disclosure

a. Gross positive fair value of contracts, netting benefits, netted current credit exposure, collateral held (including type, e.g. cash, government securities, etc.), and net derivatives credit exposure. Also report measures for exposure at default, or exposure amount, under CEM. The notional value of credit derivative hedges, and the distribution of current credit exposure by types of credit exposure.

b. Credit derivative transactions that create exposures to CCR (notional value), segregated between use for the institution's own credit portfolio, as well as in its intermediation activities, including the distribution of the credit derivatives products used, broken down further by protection bought and sold within each product group

(Rs in Mn)

Counter Party Credit Risk (CCR)	
Notional Principal Amount	550,007.97
Potential Exposure	11,571.23
Replacement Cost	2,870.63
Current Exposure	2,870.63
Credit Equivalent or EAD	14,441.87
RWA	3,959.25
Capital Charge	316.74

(Rs. In Mn)

Item	Notional Amount	Current Credit Exposure	Credit equivalent
Currency Option	0	0	0
Cross CCY Interest Rate Swaps	1,085.12	21.70	43.93
Forward rate agreements	4,43,701.34	10,502.42	13,301.39
Interest rate future	0	0	0
Credit default swaps	0	0	0
Single CCY interest Rate Swaps	1,05,221.50	1,047.11	1,096.54
Total	**5,50,007.97**	**11,571.23**	**14,441.87**

Table DF -11

Composition of Capital

(Rs. in million)

	Common Equity Tier 1 Capital : Instruments and Reserves)	
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	344,863.94
2	Retained earnings	(204,973.95)
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	296,095.07
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	
	Public sector capital injections grandfathered until January 1, 2018	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	809.81
6	**Common Equity Tier1 capital before regulatory adjustments**	**301359.10**
	Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments	
7	Prudential valuation adjustments	
8	Goodwill (net of related tax liability)	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	-
10	Deferred tax assets	75621.45
11	Cash-flow hedge reserve	
12	Shortfall of provisions to expected losses	
13	Securitisation gain on sale	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	
15	Defined-benefit pension fund net assets	
16	Investments in own shares (if not already netted off paid-in capital on reported balance sheet)	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	248.02
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)3	
20	Mortgage servicing rights4 (amount above 10% threshold)	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences5	
22	(amount above 10% threshold, net of related tax liability)	
23	Amount exceeding the 15% threshold6	
24	of which: significant investments in the common stock of financial entities	
25	of which: deferred tax assets arising from temporary differences	
26	National specific regulatory adjustments 7	
	(26a+26b+26c+26d)	
26a	of which:Investments in the equity capital of the unconsolidated insurance subsidiaries	0.00
26b	of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries8	0
26c	of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank9	0
26d	of which: Unamortised pension funds expenditures Regulatory Adjustments Applied to Common Equity Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	For example: filtering out of unrealised losses on AFS debt securities (not relevant in Indian context)	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1**	**75,869.47**
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1)**	**361,737.15**
	Additional Tier 1 capital: instruments	
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	1875.00
31	of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	
32	of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	1875.00
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**1875.00**
	Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	

39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)10	
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied to Additional Tier 1 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. DTAs]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 1 at 50%]	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT]	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	
43	**Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital**	**0.00**
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**	**1875.00**
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy11**	**1875.00**
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44a)**	**363,612.15**
	Tier 2 capital: instruments and provisions	
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	67000.00
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	9000.00
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	
50	Provisions12	19,385.19
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	**95,385.19**
	Tier 2 capital: regulatory adjustments	
52	Investments in own Tier 2 instruments	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	46.93
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	
55	Significant investments13 in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	
56a	of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	
56b	of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in respect of Amounts Subject to Pre-Basel III Treatment	
	of which: [INSERT TYPE OF ADJUSTMENT e.g. existing adjustments which are deducted from Tier 2 at 50%]	
	of which:	
57	Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	46.93
58	**Tier 2 capital (T2)**	**95338.26**
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy14**	**95338.26**
58b	**Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital**	**0**
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy (58a+58b)**	**95338.26**
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58c)**	**458,950.41**
	Risk Weighted Assets in respect of Amounts Subject to Pre Basel III Treatment	
	of which: …	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)**	**3,089,084**
60a	of which: total credit risk weighted assets	2,610,278
60b	of which: total market risk weighted assets	182,789
60c	of which: total operational risk weighted assets	296,017
	Capital ratios	
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.71%
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	11.77%
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	14.86%
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	
65	of which: capital conservation buffer requirement	
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	

67	of which: G-SIB buffer requirement	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	
	National minima (if different from Basel III)	
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.375%
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	8.875%
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	10.875%
	Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	
73	Significant investments in the common stock of financial entities	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	
	Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2	
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardised approach (prior to application of cap)	19385.19
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardised approach	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	
	Capital instruments subject to phase-out arrangements (only applicable between March 31, 2017 and March 31, 2022)	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	11159.29
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	9000.00
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	0.00

Table DF-12

Composition of Capital - Reconciliation Requirements

Step - 1

(Rs. in Mn.)

		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		(31.03.2019)	(31.03.2019)
A	**Capital and Liabilities**		
i	Paid-up Capital	27,600.29	27,600.29
	Reserves & Surplus	402,539.19	401,555.84
	Minority Interest	1,621.54	1,621.54
	Total Capital	431,761.02	430,777.67
ii	Deposits	5,225,549.62	5,225,656.20
	of which: Deposits from banks	521,105.08	521,105.08
	of which: Customer deposits	4,704,444.55	4,704,551.13
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	442,651.92	442,651.92
	of which: From RBI	111,000.00	111,000.00
	of which: From banks	16,855.95	16,855.95
	of which: From other institutions & agencies	117,518.70	117,518.70
	of which: Others (pl. specify)	91,027.27	91,027.27
	of which: Capital instruments	106,250.00	106,250.00
iv	Other liabilities & provisions	208,876.53	185,350.16
	Total	6,308,839.09	6,284,435.96
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India	293,220.92	292,926.38
	Balance with banks and money at call and short notice	655,379.03	655,398.53
ii	Investments:	1,509,050.17	1,486,672.08
	of which: Government securities	1,330,270.64	1,321,813.25
	of which : Other approved securities	3,361.45	-
	of which: Shares	13,523.06	9,793.59
	of which: Debentures & Bonds	81,815.62	79,386.22
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	16,323.10	17,073.10
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	63,756.31	58605.92
iii	Loans and advances	3,429,663.40	3,429,638.97
	of which: Loans and advances to banks	99,523.50	99,523.50
	of which: Loans and advances to customers	3,330,139.90	3,330,115.48
iv	Fixed assets	89,990.78	89,941.00
v	Other assets	331,534.79	329,859.00

	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	119,357.31	119,357.31
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**6,308,839.09**	**6,284,435.96**

Step – 2

(Rs in Mn)

		Balance sheet as in financial statements (31.032019)	**Balance sheet under regulatory scope of consolidation (31.03.2019)**
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	27,600.29	27,600.29
	of which: Amount eligible for CET1	27,600.29	27,600.29
	of which: Amount eligible for AT1	-	-
	Reserves & Surplus	402,539.19	401,555.84
	Minority Interest	1,621.54	1,621.54
	Total Capital	431,761.02	430,777.67
ii	Deposits	5,225,549.62	5,225,656.20
	of which: Deposits from banks	521,105.08	521,105.08
	of which: Customer deposits	4,704,444.55	4,704,551.13
	of which: Other deposits (pl. specify)	-	-
iii	Borrowings	442,651.92	442,651.92
	of which: From RBI	111,000.00	111,000.00
	of which: From banks	16,855.95	16,855.95
	of which: From other institutions & agencies	117,518.70	117,518.70
	of which: Others (pl. specify)	91,027.27	91,027.27
	of which: Capital instruments	106,250.00	106,250.00
iv	Other liabilities & provisions	208,876.53	185,350.16
	of which: DTLs related to goodwill	0.00	0.00
	of which: DTLs related to intangible assets	0.00	0.00
	Total	**6,308,839.09**	**6,284,435.96**
B	**Assets**		
i	Cash and balances with Reserve Bank of India		
	Balance with banks and money at call and short notice	293220.92	292926.38
ii	Investments	655379.03	655398.53
	of which: Government securities	1509050.17	1486672.08
	of which: Other approved securities	1330270.64	1321813.25
	of which: Shares	3361.45	0.00
	of which: Debentures & Bonds	13523.06	9793.59
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	81815.62	79386.22
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	16323.10	17073.10
iii	Loans and advances	63756.31	58605.92
	of which: Loans and advances to banks	3429663.40	3429638.97
	of which: Loans and advances to customers	99523.50	99523.50
		3330139.90	3330115.48
iv	Fixed assets		
v	Other assets	89990.78	89941.00
	of which:Goodwill and intangible assets	331534.79	329859.00
	Out of which:		
	Goodwill		
	(Other intangibles (excluding MSRs)		
	Deferred tax assets		
vi	Goodwill on consolidation	119357.31	119357.31
vii	Debit balance in Profit & Loss account		
	Total Assets	**6308839.09**	**6284435.96**

Step -3

(Rs. in Mn)

	Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
		Component of regulatory capital reported by bank	**Source based on reference numbers/ letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from step 2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	344863.94	e
2	Retained earnings	-204973.95	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	296,095.07	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non- joint stock companies)	0	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	1621.54	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	437606.61	
7	Prudential valuation adjustments		
8	Goodwill (net of related tax liability)		a-c

Table DF-13

Main Features of Regulatory Capital Instruments

Tier – I Bonds

(Rs. In Thousand)

1	**Issuer**	**Bank of India**	**Bank of India**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09191	INE084A09225
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment		
4	Transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Additional Tier 1	Additional Tier 1
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Perpetual Debt Instrument	Perpetual Debt Instrument
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	975	900
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	3,250	3,000
10	Accounting classification	Borrowing	Borrowing
11	Original date of issuance	09.12.2009	09.09.2010
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Perpetual	Perpetual
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Call Option Date 09.12.2019 Redemption at Par	Call Option Date 09.09.2020 Redemption at Par
16	Subsequent call dates, if applicable	after 09.12.2019	after 09.09.2020
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	Before Call 9.00% if call not exercised 9.50%	Before Call 9.05% if call not exercised 9.55%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Partially Discretionary	Partially Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Perpetual Debt Instruments	Perpetual Debt Instruments
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

Tier- II Bonds

1	Issuer	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A01016
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	
4	Transitional Basel III rules	Common Equity Tier 1
5	Post-transitional Basel III rules	Common EquityTier 1
6	Eligible at solo / group / group & solo	Solo and Group
7	Instrument type	Common Shares
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	27600.285
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	NA
10	Accounting classification	Equity Share Capital
11	Original date of issuance	Various
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	NA
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
16	Subsequent call dates, if applicable	NA
	Coupons / dividends	Dividend
17	Fixed or floating dividend / coupon	NA
18	Coupon rate and any related index	NA
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non-Cumulative
23	Convertible or non-convertible	NA
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA
25	If convertible, fully or partially	NA
26	If convertible, conversion rate	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
30	Write-down feature	NO
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA
32	If write-down, full or partial	NA
33	If write-down, per manent or temporary	NA
34	If temporary write-down, description of write - upmechanism	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	NA

	Issuer	Bank of India	Bank of India	Bank of India	Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A09175	INE084A09183	INE084A09209	INE084A09217
3	Governing law (s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment				
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post - transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
6	Eligible at solo / group /group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments	Upper Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	1,500	1,500	3,000	3,000
9	Par value of instrument (Rs. Mn)	5,000	5,000	10,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	28/07/2009	28/08/2009	20/01/2010	11/06/2010
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	28/07/2024	28/08/2024	20/01/2025	11/06/2025
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes	Yes	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	28/07/2019	28/08/2019	20/01/2020	11/06/2020
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	NA
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend / coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.45%	8.50%	8.54%	8.48%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes	Yes	Yes	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative	Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Nonconvertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversionrate	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	No	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	NA	NA	NA	NA
32	If write-down, full or partial	NA	NA	NA	NA
33	If write-down, permanent or temporary	NA	NA	NA	NA
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature	No Loss Absorption Feature

1	**Issuer**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**	**Bank of India**
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE084A08037	INE084A08045	INE084A08060	INE 084A08094	INE 084A08110
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment					
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group	Solo and Group
7	Instrument type	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments	Tier 2 Debt Instruments
8	Amount recognised in regulatory capital (Rs. in million, as of most recent reporting date)	8,000	4,000	30,000	15,000	10,000
9	Par value of instrument (Rs. in million, as of most recent reporting date)	10,000	5,000	30,000	15,000	10,000
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25/09/2013	30/09/2013	31/12/2015	07/07/2016	27/03/2017
12	Perpetual or dated	Dated	Dated	Dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25/09/2023	30/09/2023	31/12/2025	07/07/2026	27/03/2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No	Yes	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA	NA	NA	07/07/2021	27/03/2022
16	Subsequent call dates, if applicable	NA	NA	NA	On every anniversary date (i.e. 7th July) till redemption, subject to RBI approval	On every anniversary date (i.e. 27th March) till redemption, subject to RBI approval
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.80%	9.80%	8.52%	8.57%	8.00%
19	Existence of a dividend stopper	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary	Fully Discretionary
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No	No	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non-Cumulative	Non-Cumulative	Non-Convertible	Non-cumulative	Non-cumulative
23	Convertible or non-convertible	Nonconvertible	Nonconvertible	Non-Convertible	Non-convertible	Non-convertible
24	If convertible, conversion trigger(s)	NA	NA	NA	NA	NA
25	If convertible, fully or partially	NA	NA	NA	NA	NA
26	If convertible, conversion rate	NA	NA	NA	NA	NA
27	If convertible, mandatory or optional conversion	NA	NA	NA	NA	NA
28	If convertible, specify instrument type convertible into	NA	NA	NA	NA	NA
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA	NA	NA	NA	NA
30	Write-down feature	Yes	Yes	Yes	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
32	If write-down, full or partial	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI	Decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA	NA	NA	NA	NA
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank	All other depositors and creditors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled	Compiled
37	If yes, specify non-compliant features	--	--	--	--	--

Table DF - 14

Full terms and Condition of Regulatory Capital Instrument

➢ Disclosed separately under Regulatory Disclosure Section on our website.

Table DF - 15

Disclosure Requirement for Remuneration

The remuneration of Board of Directors and Top executives are decided by the Government of India. In addition to that there is one performance linked Incentive Scheme for whole time directors. The scheme is formulated on the basis of Statement of Intent (SOI) which is signed by the Government of India.

Table DF -16

Equities Disclosure for Banking Books

(Amount in Rs. Mn)

	Qualitative Disclosure	
1.	The general qualitative disclosure requirement (Para 2.1 of this annex) with respect to equity risk, including:	
	Differentiation between holdings on which capital gains are expected and those taken under other objectives including for relationship and strategic reasons; and	Investments in Equity by Treasury are driven by different motives. All equity investments made in Associates, Subsidiaries, Joint Venture and RRBs are classified in HTM category as such investments are made with a primary intention to hold them till maturity. Apart from these, Treasury also make strategic investments in equities of various companies which are booked in AFS category as such investments are not churned frequently. There are also cases of loan assets converted into equities of the borrower companies which are classified in AFS category. As per RBI guidelines, such investments are kept outside the purview of all prudential limits. Investments in equity made with an objective of capital gains are booked under HFT category and are subject to stop loss limit as prescribed in the Board approved Investment Policy. All equity investments in AFS and HFT are subject to Marking to Market (MTM).
	Discussion of important policies covering the valuation and accounting of equity holdings in the banking book. This includes the accounting techniques and valuation methodologies used, including key assumptions and practices affecting valuation as well as significant changes in these practices.	For valuation and accounting of equity holdings, Treasury is guided by Board approved Investment Policy along with the RBI guidelines as laid down in Master circular- 'Prudential Norms for classification, valuation and operation of investments portfolio by Banks'. In accordance with these guidelines, investments in equity holding in the banking book need not be marked to market and are carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss account. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized first in the profit and loss account and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. Brokerage, commission, securities transaction tax, etc. paid on acquisition of equity investments are included in cost. Treasury maintains trade date accounting policy for recognising equity investments.

	Quantitative Disclosures	
1.	Value disclosed in the balance sheet of investments, as well as the fair value of those investments; for quoted securities, a comparison to publicly quoted share values where the share price is materially different from fair value.	
	Book value of investment	14440.66
	Value as per Balance sheet	14237.92
2.	The types and nature of investments, including the amount that can be classified as:	
	• Publicly traded;	
	• Privately held	14237.92
3.	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.	
4.	Total unrealized gains (losses)13	
5.	Total latent revaluation gains (losses)14	
6.	Any amounts of the above included in Tier 1 and/or Tier 2 capital.	
7.	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	N.A.

Table DF 17

Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure: 31.03.2019 (Consolidated Position)

		(Rs. in Million)
1	Total consolidated assets as per published financial statements	6,308,839.09
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	(-) 750.00
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	14,442.27
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e. repos and similar secured lending)	
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e. conversion to credit equivalent amounts of off-balance sheet exposures)	353,999.80
7	Other adjustments	(-) 75,119.45
8	**Leverage ratio exposure**	**6,601,411.71**

Table DF-18

Leverage Ratio Common Disclosure Template

On-balance sheet exposures		
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	6,306,225.40
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(-) 75,869.47
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	6,230,355.93
Derivative exposures		
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	2,870.63
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	11,571.64
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	14,442.27
Securities financing transaction exposures		
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	2613.70
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	
14	CCR exposure for SFT assets	
15	Agent transaction exposures	
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	2613.70
Other off-balance sheet exposures		
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	786,176.03
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(-) 432,176.23
19	Off-balance sheet items (sum of lines 17 and 18)	353,999.80
On-balance sheet exposures		
20	Tier 1 capital	363,612.14
21	Total exposures (sum of lines 3, 11, 16 and 19)	6,601,411.70
Leverage ratio		
22	Basel III leverage ratio	5.51%

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई -400 051

Head Office : Star House, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051

सूचना

एतद्-द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की तेइसवीं वार्षिक आम बैठक **गुरुवार, जून 27, 2019 की प्रातः 10.30** बजे बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 में निम्नलिखित कार्य के लिए आयोजित की जायेगा:

मद सं. 1 -

"31 मार्च 2019 के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक के लाभ एवं हानि खाते, लेखा द्वारा कवर की गई अवधि हेतु बैंक के कार्य तथा गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलनपत्र तथा लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना,उन्हें अनुमोदित करना तथा अंगीकृत करना।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.05.2019

टिप्पणियां:

1. वेबकास्टिंग की सुविधा

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2019 के विनियम 44 के अनुपालन में बैंक ने स्वेच्छा से 27 जून 2019 को प्रातः 10.30 बजे से हमारी वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही देखने के लिए हमारे शेयरधारकों हेतु वेबकास्टिंग सुविधा की व्यवस्था की है। वे शेयरधारक जो इस बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं, वे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए उन्हें "www.evotingindia.com" पर जाना होगा तथा shareholders/members टैब पर क्लिक करना होगा। इसके बाद कृपया अपने 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या (डीमैट होल्डिंग के मामले में) या सात अंकों की फोलियो संख्या (फिजिकल होल्डिंग के मामले में) डालें तथा स्क्रीन पर प्रदर्शित अक्षर/संख्या प्रविष्ट करें। तदनन्तर आपको सिस्टम द्वारा पूछे गये विवरणों को डालना है तथा इसके बाद आप ''लाइव स्ट्रीमिंग'' लिंक पर पहुँच जायेंगे जहाँ से आप हमारी 23वीं वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही देख (केवल देख) सकते है। यदि आपको बैठक को देखने में कोई समस्या आती है तो आप कृपया सेवा प्रदाता - सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड से सहायता के लिए 1800225533 पर संपर्क कर सकते है।

2. परोक्षी की नियुक्ति

वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मत देने के लिए हकदार शेयरधारक स्वयं के बदले किसी परोक्षी को बैठक में उपस्थित होने और मतदान के लिए नियुक्त कर सकता है। वैध एवं प्रभावी होने के लिए परोक्षी फार्म वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात शुक्रवार, जून 21, 2019 को बैंक के कार्य की समाप्ति तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में अवश्य ही प्राप्त हो जाने चाहिए।

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Twenty Third Annual General Meeting of the Shareholders of Bank of India will be held on **Thursday, June 27, 2019 at 10.30 A.M.** at Bank of India Auditorium, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 to transact the following business:

Item No. 1

"To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet as at 31st March 2019, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2019, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 28.05.2019

Notes.

1. Arrangement of Webcast:

The Bank has voluntarily in compliance with Regulation 44 of SEBI Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2019 made arrangements for Web-Casting facility to our shareholders for viewing the proceeding of our Annual General Meeting on June 27, 2019 from 10.30 p.m. onwards. Shareholders who cannot attend the Meeting avail this facility by browsing the link "www.evotingindia.com" and clicking on "Shareholders / Members" tab. Please enter your 16 digit demat account (in case of demat holding) or 7 digit folio details (in case of Physical holding) and then enter the Characters displayed on the screen. After this you need to enter the details as asked by the system and then you will reach at the link "live streaming" from where you can ONLY VIEW the proceeding of our 23rd Annual General Meeting. In case you face any difficulty in viewing the meeting please contact the service provider – Central Depository Services Limited on 1800225533 for assistance.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE ON HIS/HER BEHALF. The Proxy form, in order to be effective, must be received at the place specified in the Proxy form not later than 4(four) days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the close of banking hours of Friday, June 21, 2019.

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय, निगम जो बैंक के शेयरधारक हैं, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति, उस बैठक जिसमें वह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक आम बैठक की तारीख से 4 (चार) दिन पहले, अर्थात शुक्रवार, जून 21, 2019 को बैंक के कार्य की समाप्ति तक या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो।

4. लेखा बंदी

वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य के लिए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर सोमवार, जून 24, 2019 से गुरुवार, जून 27, 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा।

5. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/परोक्षी धारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें और बैठक स्थल पर उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र सौंप दें। शेयरधारक के परोक्षी/प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र में यह उल्लेख करना चाहिए कि वह "परोक्षी" है या "प्रतिनिधि"।

6. लाभांश, यदि कोई जिसका दावा न किया गया हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण न करवाया हो / विगत अवधियों के लिए लाभांश नहीं प्राप्त किया है उनसे अनुरोध है कि वे भुगतान न किये गये लाभांश के भुगतान के लिए बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें। बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, सात वर्षों की अवधि तक दावा न की गई या भुगतान न की गयी लाभांश की राशि को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एण्ड प्रोटेक्शन फण्ड (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना है।

7. ई वोटिंग

बैंक सहर्ष, नोटिस में उल्लेख किए गए मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने के लिए बैंक के शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बैंक ने मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, पेशेवर कंपनी सचिव को ई-वोटिंग प्रक्रिया को न्यायोचित और पारदर्शी ढंग से पूरा करने के लिए स्क्रूटिनाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/स्वामित्व हितधारकों का ई-वोटिंग अधिकार उनके द्वारा यथा गुरुवार, जून 20, 2019 को धारित इक्विटी शेयरों पर माना जाएगा जो इस हेतु कट-ऑफ तारीख है। कट-ऑफ तारीख पर भौतिक अथवा डीमैट रूप में बैंक का शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप से डाल सकते हैं।

8. ई-वोटिंग अनुदेश

i. शेयरधारकों का वोटिंग अधिकार इस उद्देश्य से नियत यथा गुरुवार, जून 20, 2019 (कट-ऑफ तारीख) को बैंक के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनके द्वारा धारित शेयर के आधार पर होगा।

ii. वोटिंग अवधि सोमवार, 24 जून, 2019 को सुबह 10.00 बजे आरंभ होगी और बुधवार, 26 जून, 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा उसी दिन शाम 5.00 बजे ई-वोटिंग मोड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।

3. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than 4 (four) days before the Annual General Meeting on or before the close of banking hours of Friday, June 21, 2019.

4. BOOK CLOSURE

The Register of the Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Monday, June 24, 2019 to Thursday, June 27 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting.

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry pass is annexed to this report. Shareholders/ Proxy holders/ representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the Attendance slip-cum-Entry pass at the venue. Proxy/Representative of a shareholder should state on the Attendance slip-cum-Entry pass "Proxy" or "Representative" as the case may be.

6. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend for previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for claiming of unpaid dividend. As per the Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013.

7. E-VOTING

The Bank is pleased to provide remote e-voting facility to the shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice. The Bank has appointed M/s. S N Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Tursday, June 20, 2019 being the Cut-off date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off date, may cast their vote electronically.

8. E-VOTING INSTRUCTIONS

(i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on Tursday, June 20, 2019 (Cut-off Date) fixed for the purpose.

(ii) The voting period will commence at 10.00 a.m. on Monday June 24, 2019 and will end at 5.00 p.m. on Wednesday June 26, 2019. The e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.

iii. शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करना होगा।

iv. ***shareholders/members*** पर क्लिक करें।

v. अब अपने यूज़र आईडी की प्रविष्टि करें।

(ए) सीडीएसएल के लिए : 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी

(बी) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी

(सी) जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों उन्हें बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।

vi. डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

vii. यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.comhej लॉग-ऑन किया हो और किसी कंपनी/निकाय पर वोट किया हो, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।

viii. यदि आप पहली बार ई वोटिंग कर रहे हों तो निम्नलिखित का पालन करें :-

डीमैट और भौतिक स्वरूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए	
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) ● जिन सदस्यों ने बैंक/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि वे अपने नाम के पहले के दो अक्षर और अपने पीएएन के 8 अंकों का सीक्वेन्स नंबर सूचित करें। ● यदि सीक्वेन्स नंबर, 8 अंकों से कम अंकों का हो तो नाम के पहले दो अक्षरों(बड़े अक्षरों में) के बाद उस नंबर से पहले आवश्यक संख्या में '0' जोड़ें। अर्थात यदि आपका नाम Ramesh Kumar है और सीक्वेन्स नंबर 1 है तो पीएएन फील्ड में RA0000001 लिखें।
लाभांश बैंक विवरण एवं जन्मतिथि (DOB)	लॉग इन करने के लिए आपके डीमैट या बैंक अभिलेख में उल्लिखितानुसार लाभांश के बैंक विवरण या जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्टि करें। ● यदि डिपॉजिटरी या बैंक में ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लाभांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर डालें।

(iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(iv) Click on shareholders/members

(v) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digit beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 Character DPID followed by 8 Digit Client ID

(c) Members holding shares in physical form should enter Folio Number registered with the Bank.

(vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/ entity, then your existing password is to be used.

(viii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha numeric `PAN' issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) ● Members who have not updated their PAN with the Bank/ Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number (refer serial no. printed on the name and address sticker/postal ballot form/mail) in the PAN Field. ● In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two character of the name in CAPITAL letters. E.g. if your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA0000001 in the PAN Field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login. ● If the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v)

ix. इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात `*SUBMIT*' पर क्लिक करें।

x. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे `Bank selection' स्क्रीन पर जायेंगे। परन्तु, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब `password creation' मेन्यू में पहुंचेंगे जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी/ निकाय के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्ते वह कंपनी/निकाय सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।

xi. जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।

xii. कृपया बैंक ऑफ़ इंडिया के EVSN पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।

xiii. वोटिंग पृष्ठ पर, आपको `Resolution Description' दिखेगा और उसी विकल्प के सामने वोटिंग हेतु `Yes/No' दिखेगा। इच्छानुसार 'Yes' या `No' विकल्प चुनें। 'Yes' विकल्प चुनने से तात्पर्य है कि आप इस संकल्प से सहमत हैं और `No' विकल्प मतलब आप इस संकल्प से सहमत नहीं हैं।

xiv. यदि आप संकल्प के पूर्ण ब्यौरे देखना चाहें तो `RESOLUTION FILE LINK' पर क्लिक करें।

xv. आप ने जिस संकल्प पर वोट करने का निर्णय लिया है उसका चयन करने के पश्चात `SUBMIT' पर क्लिक करें। एक `confirmation box' प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने नोट की पुष्टि करना चाहें तो `OK' पर क्लिक करें अन्यथा आपका नोट बदलने के लिए `CANCEL' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

xvi. 'संकल्प' पर अपने वोट की पुष्टि करने पर आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

xvii. आपके द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकालने हेतु आप वोटिंग पेज पर `click here to print' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

xviii. यदि डीमैट खाता धारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज नोटिफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें और `Forget Password' पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।

xix. एंड्राइड आधारित मोबाइल फोन हेतु उपलब्ध CDSL के m-Voting मोबाइल एप्प के माध्यम से भी शेयरधारक मतदान कर सकते हैं। m-Voting मोबाइल एप्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। Apple और Windows फोन प्रयोगकर्ता क्रमश: एप्प स्टोर और विंडोज़ फोन स्टोर से इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं। कृपया मोबाइल से मतदान करते वक्त मोबाइल एप्प के अनुदेशों का पालन करें।

(ix) After entering these details appropriately, click on `SUBMIT' tab.

(x) Members holding shares in physical form will then directly reach the Bank selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach `password creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company / entity on which they are eligible to vote, provided that company / entity opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(xi) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolution contained in this notice.

(xii) Click on the EVSN of Bank of India on which you choose to vote.

(xiii) On the voting page, you will see `Resolution Description' and against the same the option `Yes/ No' for voting. Select the option Yes or No as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xiv) Click on the "RESOLUTION FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on `SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on `CANCEL' and accordingly modify your vote.

(xvi) Once you `CONFIRM' your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvii) You can also take out print out of the voting done by you by clicking on the `Click here to print' option on the Voting page.

(xviii) If Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows Phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

xx. गैर-एकल शेयरधारक और अभिरक्षक हेतु नोट:

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट के रूप में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia-com को ई मेल की जानी चाहिए जिसकी प्रतिलिपि scrutinizer@snaco.net को भेजी जाए।
- लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूज़र उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia-com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में लोड करना होगा ताकि स्क्रूटिनाइजर इसकी जांच कर सके। ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न (एफएक्यू) और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk@deslindia.com को ई मेल लिख सकते हैं।

xxi. बहु फोलियो/डीमैट खाता धारित शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए पृथक रूप से वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे। **तथापि, शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2ई) के अनुसार भारत सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक की कुल शेयरधारिता के 10% से अधिक के वोटिंग अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है।**

xxii. ई-वोटिंग के परिणाम की घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

xxiii. कृपया नोट करें कि एक बार वोट देने के बाद आप उसे बदल नहीं सकते। असाधारण आम बैठक में वोट नहीं दे सकते हैं। तथापि आप बैठक में उपस्थित रह सकते हैं और विचार-विर्मश, यदि कोई हो, में सहभागिता कर सकते हैं।

xxiv. आप फोलियो में यूज़र प्रोफाइल ब्योरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में संसूचनाएं भेजने के लिए किया जाएगा।

(xx) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians:

- Non Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) and custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and signature of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and CC to scrutinizer@snaco.net.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com.

(xxi) Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account. However, shareholder may please note that in terms of Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder other than Government of India is allowed to exercise voting rights in excess of 10% of the total shareholding of the Bank.

(xxii) The results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

(xiii) Kindly note that once you have cast your vote, you cannot modify or vote on voting at the Annual General Meeting. However, you can attend the meeting and participate in the discussions, if any.

(xxiv) You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).

9. बैठक में मतदान

कार्यसूची के मद पर चर्चा के पश्चात, अध्यक्ष महोदय कार्यसूची के मद के संबंध में मतदान का आदेश देंगे। बैठक में उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए उनका वोट नहीं दिया है वे बैठक में मतदान के जरिए अपने मतदान अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इस प्रयोजन हेतु नियुक्त स्क्रूटिनाइज़र के तहत मतदान का आयोजन और पर्यवेक्षण किया जाएगा। मतदान पूरा होने के बाद अध्यक्ष महोदय बैठक की समाप्ति की घोषणा करेंगे।

10. मतदान के परिणाम के साथ रिमोट ई-वोटिंग के परिणाम जोड़कर परिणाम की घोषणा, बैंक अपनी वेबसाइट पर करेगा और स्टॉक एक्सचेजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(दीनबंधु मोहापात्रा)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक : 28.05.2019

9. VOTING AT THE MEETING

After the agenda item has been discussed, the Chairman will order voting in respect of the item on the agenda. Shareholders/ Members attending the meeting and who have not casted their vote by remote e-voting shall be able to exercise their voting right at the meeting through onsite e-voting. Voting will be conducted and supervised under Scrutinizer appointed for the purpose. After conclusion of the Voting, the Chairman may declare the meeting as closed.

10. The Results of the voting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board

(Dinabandhu Mohapatra)
Managing Director & CEO

Place : Mumbai
Date : 28.05.2019

यह पृष्ठ खाली छोड़ा गया है
THIS PAGE HAS BEEN LEFT BLANK

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

प्रधान कार्यालय : स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051

परोक्षी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाए)

फोलियो नं. _____ डी. पी. आईडी नं _____

(यदि डीमेट न किया गया हो) ग्राहक आईडी नं _____ (यदि डीमेट किया गया हो)

मैं/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ बैंक ऑफ़ इंडिया का/के शेयरधारक हूं/हैं और मैं/हम एतदद्वारा

श्री/श्रीमती _____ निवासी _____ जिला _____ राज्य _____

को या उनके उपस्थित न होने पर श्री/श्रीमती _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ को मेरे/हमारे लिए तथा मेरी/हमारी ओर से गुरुवार 27 जून 2019 को आयोजित की जाने वाली बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की बैठक में और संबंधित बैठक के स्थगन की स्थिति में मतदान के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं/करते हैं।

माह _____ की _____ 2019 को हस्ताक्षरित।

परोक्षी के हस्ताक्षर _____

नाम: _____

पता: _____

राजस्व स्टांप

प्रथम /एकमात्र शेयर धारक के हस्ताक्षर

परोक्षी फार्म पर हस्ताक्षर करने और इसे जमा करने संबंधी अनुदेश

1. कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक कि वह,
 - क) एकमात्र शेयरधारक व्यक्ति के मामले में शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित में विधिवत प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
 - ख) संयुक्त धारकों के मामले में यह रजिस्टर में दर्ज प्रथम शेयरधारक द्वारा या उनके द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
 - ग) निगमित निकाय के मामले में लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत अधिकारी या अटॅर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगी।
2. परोक्षी लिखत किसी शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित होनी चाहिए किन्तु किसी कारणवश शेयरधारक अपना नाम लिखने में असमर्थ है और उनके अंगूठे का निशान वहां लगा है तो वह निशान न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक ऑफ़ इंडिया के किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित (अटेस्टेड) होना चाहिए।
3. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक उस पर विधिवत रसीदी टिकट न लगा हो और उसे निम्नलिखित पते पर असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले जमा नहीं कराया गया हो। उसके साथ उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत उसे हस्ताक्षरित किया गया हो या उस पॉवर ऑफ़ अटर्नी की प्रति या अन्य प्राधिकार जिसे नोटरी अथवा न्यायधीश ने सत्य प्रति के रुप में प्रमाणित किया हो, को बैंक में निम्न पते पर पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो-

 "बैंक ऑफ़ इंडिया, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, 8 वीं मंजिल, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051."
4. बैंक के पास जमा की गयी परोक्षी की लिखत अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगी।
5. विकल्प में दो व्यक्तियों के पक्ष में प्रदत्त परोक्षी की लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
6. परोक्षी की लिखत को निष्पादित करने वाले शेयरधारक असाधारण आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।
7. किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो बैंक ऑफ इंडिया का अधिकारी अथवा कर्मचारी हो।

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

Head Office : Star House, C-5, 'G' Block, BandraKurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051.

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Folio No._____
(if not dematerialised)

DP ID No._____

Client ID _____
(if dematerialised)

I/We, _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____being a shareholder/ shareholders of Bank of India, hereby appoint Shri/Smt_____,resident of _____ in the district of _____in the state of _____ or failing him/ her Shri/Smt. _____resident of_____in the district of_____ in the state of _____as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Meeting of the shareholders of Bank of India to be held on Thursday, June 27, 2019 and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of _____2019.

Signature of Proxy _____

Name _____

Address _____

Revenue Stamp

Signature of first named/sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by his/her attorney, duly authorised in writing.
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing.
 c) in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney, duly authorised in writing.
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of Bank of India.
3. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and deposited at the following address not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting, together with the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that power of attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank at:

 "Bank of India, Share Department Head Office, 8th Floor, Star House, C-5, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400 051."
4. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
5. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
6. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting.
7. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or employee of the Bank.

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

असाधारण आम बैठक हेतु उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश-पत्र
ATTENDANCE SLIP – CUM - ENTRY PASS
ANNUAL GENERAL MEETING

दिनांक: गुरुवार 27 जून 2019, समय: प्रात: 10.30 बजे

Date: Thursday, June 27, 2019, Time 10.30 AM

बैंक ऑफ़ इंडिया ऑडिटोरियम, स्टार हाउस, सी-5, ''जी'' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051.
Bank of India Auditorium, Star House, 'C' 5 G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400 051

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश के समय जमा करने हेतु)

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry)

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	शेयरों की संख्या No. of Shares	उपस्थित शेयरधारक/परोक्षी/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर Signature of the shareholder / proxy / Representative present

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India

प्रवेश पत्र

(बैठक के दौरान इसे अपने पास रखें)

ENTRY PASS

(to be retained throughout the meeting)

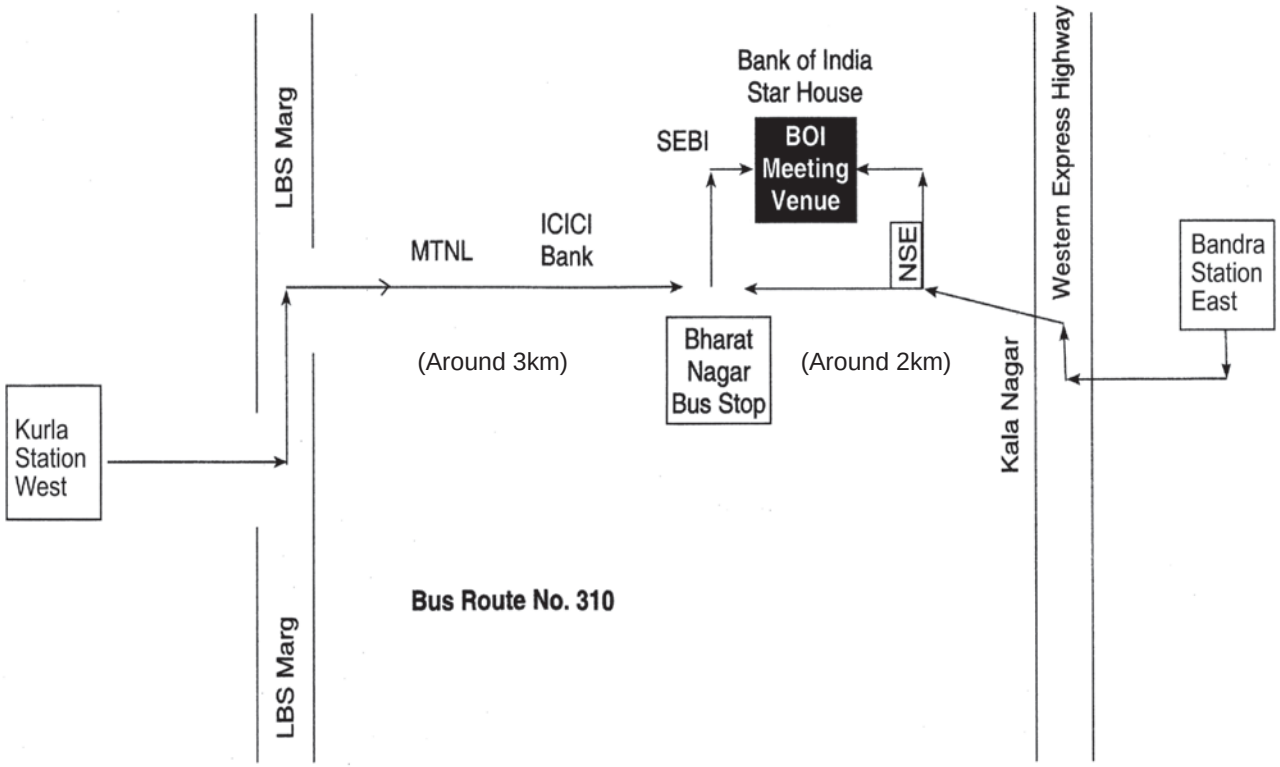
असाधारण आम बैठक: दिनांक गुरुवार 27 जून 2019, समय: प्रात: 10.30 बजे

Annual General Meeting: Date Thursday, June 27, 2019 at 10.30 A.M.

फोलियो क्र./ग्राहक आईडी नं. Folio No./ DPID No./ Client ID No.	क्रम संख्या Serial no.	शेयरों की संख्या No. of Shares

पश्चलेख : बैठक के दौरान कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं बांटे जाएँगे।
P.S. No gifts / gift coupons will be distributed at the meeting.

GUIDING MAP FOR THE MEETING VENUE



NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES

बैंक ऑफ़ इंड़िया
Bank of India BOI

हमारा दृष्टिकोण

''कंपनियों, मध्यम श्रेणी व्यापारियों और दूरदाराज के छोटे आम ग्राहकों का मनपसंद बैंक बनना, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण बाजारों और सामान्य बाजार को लागत प्रभावी विकासमान बैंकिंग प्रदान''।

Our Vision

"To become the bank of choice for corporates, medium businesses and upmarket retail customers and to provide cost effective developmental banking for small business, mass market and rural markets".

हमारा लक्ष्य

''सर्वश्रेष्ठ और व्यावहारिक बैंकिंग भूमंडलीय बाजारों में प्रदान करने के लिए एक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुए लागत प्रभावी और दायित्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना और ऐसा करते हुए हमारे पूंजी निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करना''।

Our Mission

"To provide superior, proactive banking services to niche markets globally, while providing cost-effective, responsive services to others in our role as a development bank, and in so doing, meet the requirements of our stakeholders".

हमारी गुणवत्ता नीति

हम, बैंक ऑफ़ इंडिया को पसंदीदा बैंक बनाने हेतु अपने ग्राहकों और सरंक्षकों को, **उत्कृष्ट, व्यवहार्य, नवोन्मेषी, अत्याधुनिक** बैंकिंग सेवाएं तत्परता और शालीनता से प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं।

Our Quality Policy

We, at Bank of India, are committed to become the Bank of Choice by providing SUPERIOR, PROACTIVE, INNOVATIVE STATE OF THE ART Banking Services with an attitude of Care and Concern for the Customers and Patrons.

महत्वपूर्ण सूचना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 के सॉफ्ट कॉपी को प्राप्त करने हेतु बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट **www.bankofindia.co.in** का अवलोकन करें।

बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले शेयरधारक **info@bigshareonline.com** पर ई-मेल कर ऑर्डर कर सकते हैं।

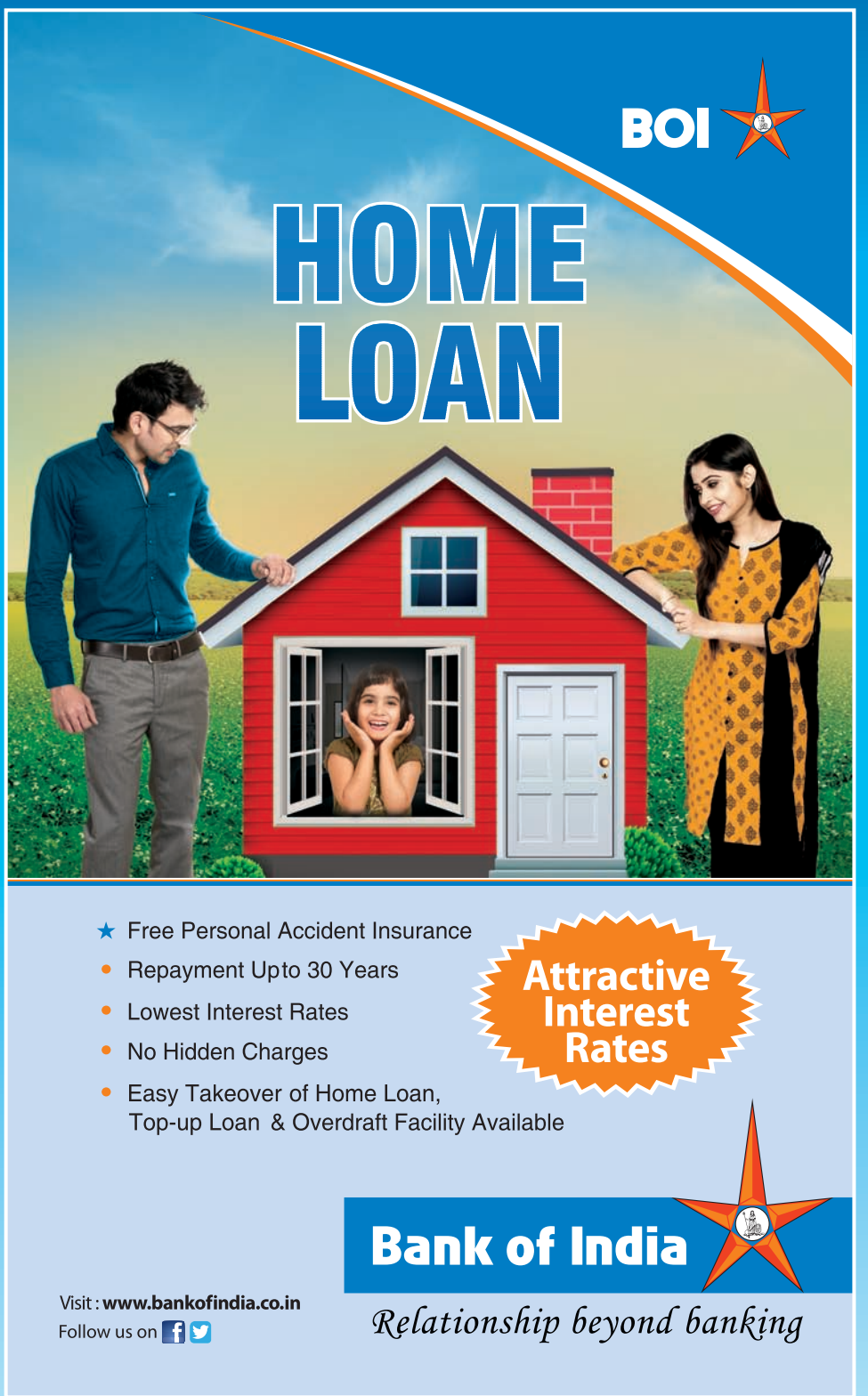
शेयरधारकों से यह भी अनुरोध है कि ई मेल के जरिए जल्द नोटिस, सूचना आदि प्राप्त करने के लिए अपना ई मेल आई डी **headoffice.share@bankofindia.co.in,** पर सूचित करें

IMPORTANT NOTICE

Shareholders are requested to visit Bank of India website **www.bankofindia.co.in** to get the soft copy of Annual Report 2018-19.

Shareholders desirous of having a copy of Bank's Annual Report may order for it by sending email to **info@bigshareonline.com**

Shareholders are requested to register their E-mail ID, with the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in, for quick/early receipt of Notice, information, communication through E-mail.



बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय:
स्टार हाउस, सी-5, जी ब्लॉक,
बांद्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051.
फोन : 022 - 6668 44 44
वेबसाइट: www.bankofindia.co.in

Bank of India
Head Office :
Star House, C-5, G Block,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai - 400 051.
Phone : 022- 6668 44 44
Website : www.bankofindia.co.in